



प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2023-24

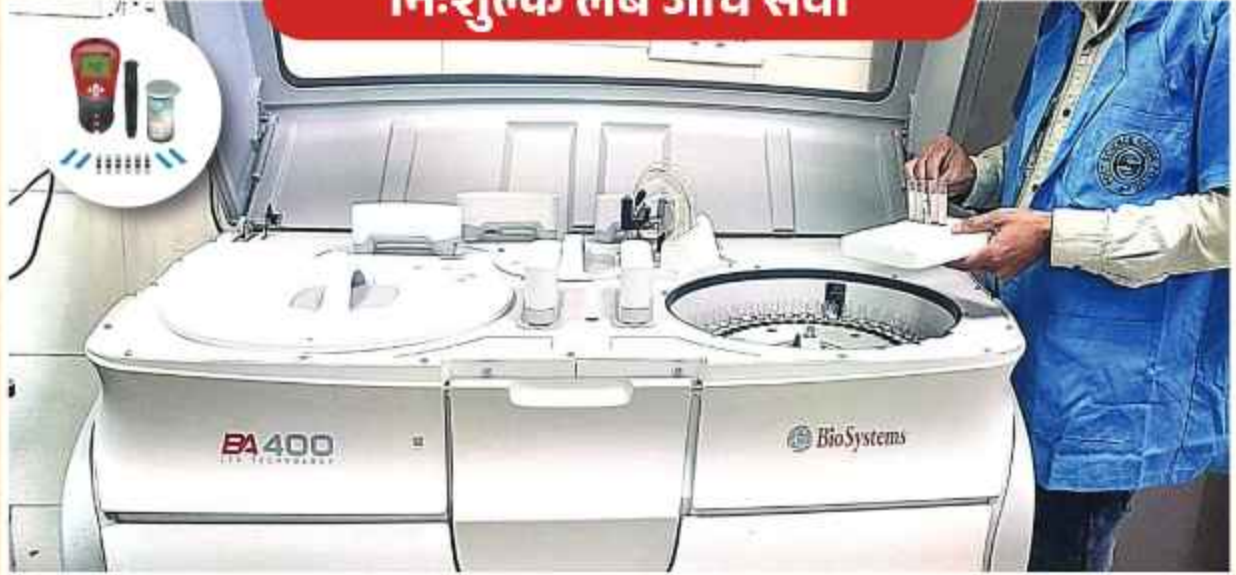


हमारा संकल्प...
विकसित और स्वस्थ मध्यप्रदेश

लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश

हमारा संकल्प ... विकसित और स्वस्थ मध्यप्रदेश

निःशुल्क लैब जांच सेवा



- सभी जिला चिकित्सालयों में 132 प्रकार की जांचे • सिविल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 80 प्रकार की जांच • 324 हब (सीएच/सीएचसी) व 1610 स्पोक (पीएचसी- ग्रामीण और शहरी) स्थापित • जिला स्तर पर प्रतिदिन 35 हजार से अधिक जांचे • हब और स्पोक पर प्रतिदिन 32 हजार से अधिक जांचे

सीटी स्कैन सेवाएं



- प्रदेश के सभी जिला चिकित्सालयों एवं चिन्हित सिविल अस्पतालों में पी.पी.पी. मोड पर सी.टी. स्कैन सेवा उपलब्ध है। • अब तक कुल 11 लाख से अधिक सी.टी. स्कैन हुए हैं। • प्रदेश में प्रतिदिन आवश्यकतानुसार लगभग 1600 स्कैन कर रोगियों को लाभान्वित किया जा रहा है।



आपकी सेहत, हमारा संकल्प
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश





प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2023-24



लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग
मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग
अनुक्रमणिका

क्रं.	विषय	पृष्ठ क्रं.
	भाग-अ	
	भाग-एक	
1	विभागीय संरचना	2
2	विभागीय संगठन	3
3	विभाग के दायित्व एवं विभाग के तहत विभिन्न केन्द्रीय व राज्य अधिनियम एवं नियम	4-7
3.1	विनियमन एवं गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम	8-13
3.2	गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम (एम.टी.पी. एक्ट) 1971	14-15
4	महत्वपूर्ण सांख्यिकी एवं महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सूचकांक	16
5	स्वास्थ्य संस्थाओं की जानकारी	17-19
	भाग-दो	
1	बजट प्रावधान, लक्ष्य, व्यय (योजनावार)	21-23
	भाग-तीन	
	राज्य योजनाएँ तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाएँ	
	राज्य योजनाएँ	
1.	रोगी कल्याण समिति	25-26
2.	डायलिसिस सेवाएँ	27
3.	एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (IDSP)	28-31
4.	आपदा प्रबंधन	32-33
5.	सूचना शिक्षा संचार गतिविधियाँ	34-35
	केन्द्र प्रवर्तित योजनाएँ / कार्यक्रम	
	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	
1.	बजट (वित्तीय प्रावधान)	37
2.	मानव संसाधन	37
3.	मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम	38-43
4.	शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम	44-47
5.	शिशु एवं बाल पोषण कार्यक्रम	48-53
6.	राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम	54-55
7.	परिवार कल्याण कार्यक्रम	56-57
8.	राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम	58-61
9.	आशा कार्यक्रम	62-66
10.	एकीकृत रेफरल ट्रांसपोर्ट संजीवनी	67-68
11.	राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन	69-70

क्रं.	विषय	पृष्ठ क्रं.
12.	क्वालिटी एश्योरेन्स	71-73
13.	कायाकल्प अभियान	74
14.	राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम	75-78
15.	शीत-श्रृंखला	79-80
16.	राष्ट्रीय वैक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम	81-83
17.	राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम	84-86
18.	राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम	87
19.	राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम	88-90
20.	राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम	91-93
21.	राष्ट्रीय ओरल हेल्थ कार्यक्रम	94
22.	राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम	95
23.	राष्ट्रीय फ्लोरोसिस निवारण एवं नियंत्रण कार्यक्रम	96
24.	राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम	97-98
25.	राष्ट्रीय सर्पदंश नियंत्रण कार्यक्रम	99-100
26.	राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम	101
27.	राष्ट्रीय असंचारी नियंत्रण एवं रोकथाम कार्यक्रम	102-106
28.	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम	107
29.	राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम	108
30.	राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन एवं मानव स्वास्थ्य कार्यक्रम	109
31.	राष्ट्रीय सिकल सेल उन्मूलन कार्यक्रम	110-114
32.	आयुष्मान भारत "निरामयम" मध्यप्रदेश	115-116
33.	हेल्थ एंड वेलनेस सेन्टर्स मध्यप्रदेश आरोग्यम"	117-118
34.	मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति	119-122
	भाग-चार	
1.	मानव संसाधन	124-125
2.	मध्यप्रदेश स्वास्थ्य क्षेत्र निवेश प्रोत्साहन योजना	126-128
3.	स्वास्थ्य संस्थाओं की अधोसंरचना (भवन)	129-131
4.	प्री-सर्विस नर्सिंग एज्युकेशन	132-133
5.	विभागीय प्रशिक्षण	134-137
6.	उपकरण रखरखाव एवं मॉनिटरिंग तंत्र	138-139
7.	सी.टी. स्केन जाँच सुविधा	140-141
8.	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	142
9.	राज्य रक्ताधान परिषद	143-151
10.	खाद्य सुरक्षा एवं नियन्त्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन	152-154

क्रं.	विषय	पृष्ठ क्रं.
	भाग-ब	
	भाग-एक	
1.1	चिकित्सा शिक्षा के अंतर्गत अधीनस्थ कार्यालय	157-158
1.2	विश्वविद्यालय जबलपुर	159
1.3	विभाग के अन्तर्गत आने वाले मण्डल/उपक्रम/संस्थाओं का विवरण	159
1.4	चिकित्सा शिक्षा विभाग के दायित्व	159-160
1.5	चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत शासकीय, एवं निजी चिकित्सा महाविद्यालय एवं स्कूलों की सांख्यिकी जानकारी	160-161
1.6	संचालित एम.बी.बी.एस/बी.डी.एस./पी.जी./नर्सिंग /पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में उपलब्ध सीट्स ।	161-162
1.7	सम्पर्क सूत्र	163
1.8	महत्वपूर्ण सांख्यिकी	163-165
1.9	मानव अंग प्रत्यारोपण के लिये राज्य में पंजीकृत संस्थायें (सोटो के संबंध में आवश्यक जानकारी)	165-167
1.10	राज्य के बाहर उपचार - मान्यता प्राप्त चिकित्सालय	167-180
	भाग - दो	
2.1	बजट	182-184
	भाग - तीन	
3.1	विभागीय उपलब्धियाँ वर्ष 2023-24	186-188
3.2	आत्मनिर्भर भारत के संबंध में आवश्यक जानकारी	189
	भाग - चार	
	संसदीय कार्य	191
4.1	सामान्य प्रशासनिक विषय	191
4.2	सेवा संबंधी न्यायालयीन प्रकरणों की जानकारी	191
	भाग - पांच	
5.1	म.प्र. आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय का परिचय एवं संबंधित संस्थाओं की सूची	193-197
5.2	मध्यप्रदेश मेडिकल कौंसिल, भोपाल	197-199
5.3	नवगठित मध्यप्रदेश अलाइड एण्ड हेल्थ केयर काउंसिल	200-279
5.4	मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल भोपाल	280-336
5.5	मध्यप्रदेश राज्य दंत परिषद् इन्दौर	337-338

भाग-अ

भाग-एक

1. विभागीय संरचना
2. विभागीय संगठन
3. विभाग के दायित्व एवं विभाग के तहत विभिन्न केन्द्रीय व राज्य अधिनियम एवं नियम
 - 3.1 विनियमन एवं गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम
 - 3.2 गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम (एम.टी.पी. एक्ट) 1971
4. महत्वपूर्ण सांख्यिकी एवं महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सूचकांक
5. स्वास्थ्य संस्थाओं की जानकारी

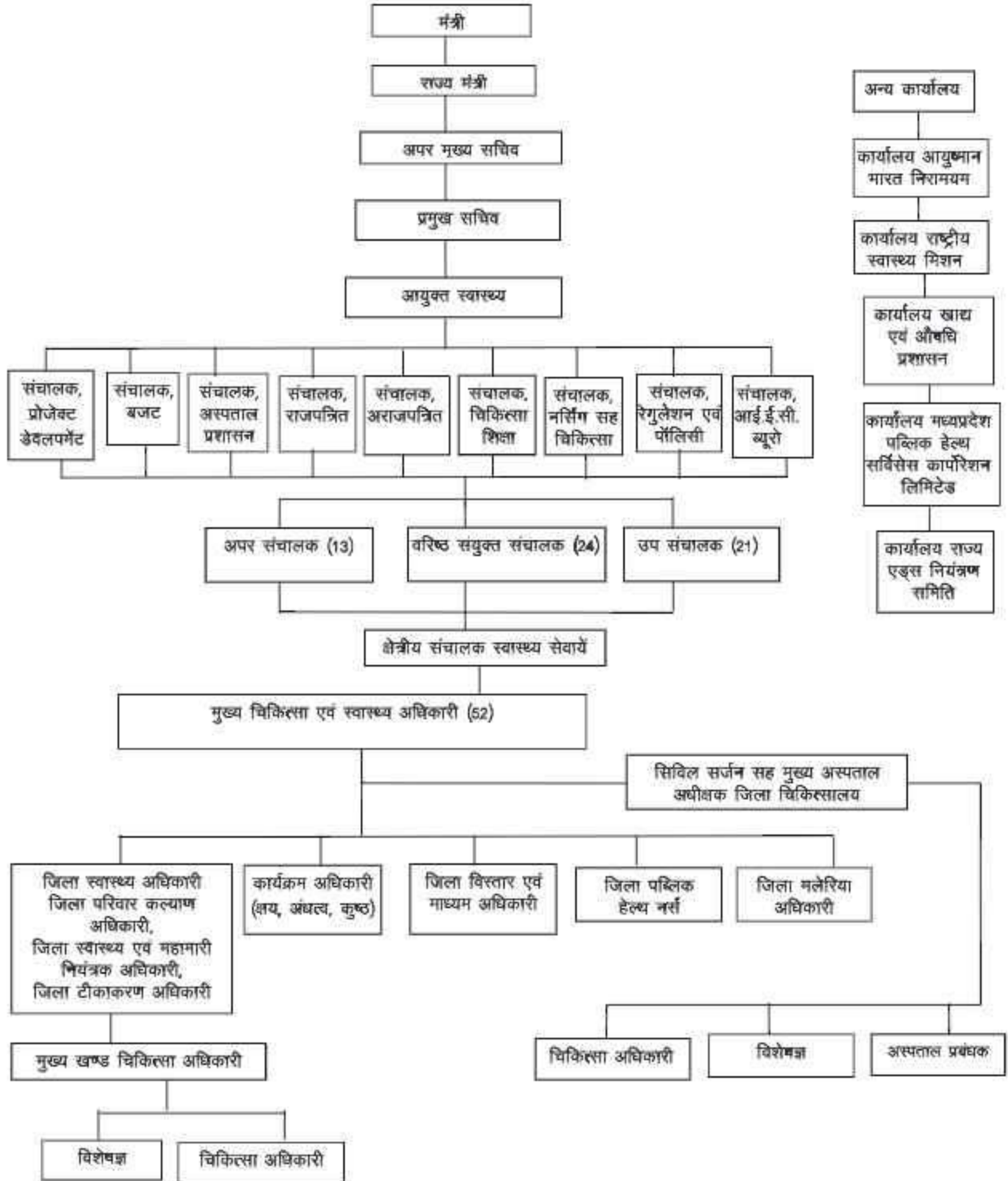
विभागीय संरचना

मध्यप्रदेश शासन

विभाग का नाम - लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा

उप मुख्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग	श्री राजेन्द्र शुक्ल
राज्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग	श्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल
सचिवालय	
अपर मुख्य सचिव	श्री मोहम्मद सुलेमान
प्रमुख सचिव	श्री विवेक पोरवाल
सचिव	श्रीमती सुरभि गुप्ता
अपर सचिव	श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव
उप सचिव	श्री के.के. दुबे
उप सचिव	श्री मयंक अग्रवाल
अवर सचिव	श्रीमती बबीता बसुनिया
अवर सचिव	श्रीमती सीमा डेहरिया
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा	
आयुक्त स्वास्थ्य एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन	श्री विवेक पोरवाल
परियोजना संचालक, म.प्र. राज्य एड्स नियंत्रण समिति मिशन संचालक	श्रीमती सुरभि गुप्ता
मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	श्रीमती प्रियंका दास
संचालक, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट	श्री तरुण पिथोडे
संचालक, अस्पताल प्रशासन एवं प्रबंध संचालक MPPHSCL	डॉ. पंकज जैन
संचालक, राजपत्रित	श्री दिनेश श्रीवास्तव
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, आयुष्मान 'निरामयम' मध्यप्रदेश	श्रीमती अदिति गर्ग
संचालक, अराजपत्रित	श्रीमती मलिका निगम नागर
संचालक, चिकित्सा शिक्षा	डॉ. अरुण कुमार श्रीवास्तव
संचालक, नर्सिंग सह चिकित्सा	डॉ. जितेन चन्द्र शुक्ला
संचालक, रेगुलेशन एवं पॉलिसी	डॉ. अरुणा कुमार
संचालक, राज्य स्वास्थ्य सूचना शिक्षा संचार ब्यूरो	डॉ. रचना दुबे
अपर संचालक (वित्त)	श्री विनय प्रकाश चतुर्वेदी
अपर संचालक (वित्त)	श्री महक सिंह

विभागीय संगठन



विभाग के दायित्व एवं विभाग के तहत विभिन्न केन्द्रीय व राज्य अधिनियम एवं नियम

(अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय -

1. चिकित्सालय और औषधालय जिनके अंतर्गत महामारी औषधालय और चलते-फिरते औषधालय आते हैं।
2. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ।
3. जिला अस्पतालों सहित सभी सिविल अस्पताल।
4. लोक स्वास्थ्य प्रशासन जिसमें निम्नलिखित शामिल है :-
 - (क) स्वच्छता संबंधी विधियां तथा विनियम।
 - (ख) स्वास्थ्य कर्मचारियों तथा कल्याणकारी कार्यकर्ताओं की नियुक्तियां, अर्हताएं तथा कर्तव्य।
 - (ग) लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं।
 - (घ) वैक्सीन-संस्था।
5. खाद्यान्न तथा औषधियों में मिलावट (औषधियों में मिलावट एवं औषधी मानक के विषय, जहां तक उनका संबंध आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और औषधियों से हैं, को छोड़कर)।
6. संक्रामक तथा सांसर्गिक रोग तथा परजीवी पशुओं से होने वाले रोग।
7. महामारियों की रोकथाम।
8. राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम।
9. परिवार कल्याण कार्यक्रम, प्रजनन मातृ शिशु तथा किशोर स्वास्थ्य।
10. राष्ट्रीय वाहक जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम।
11. राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम।
12. राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम।
13. राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम।
14. औषध निर्माण व्यवसाय तथा औषध निर्माण शिक्षा।
15. औषधि मानक।
16. राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम।
17. सेक्सुअली ट्रान्समिटेड रोगों की रोकथाम।
18. दस्त रोग नियंत्रण कार्यक्रम।
19. राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम।
20. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत समस्त राष्ट्रीय कार्यक्रम।
21. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम।
22. आयुष्मान भारत निरामयम् योजना।

23. प्रसाविकी (मिडवाइफरी) सेवाएँ।
24. मधुमेह, हृदयरोग एवं स्ट्रोक की रोकथाम तथा नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम।
25. सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद के विज्ञापन का प्रतिषेध और उसके व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन।
26. चिकित्सा व्यवसाय तथा चिकित्सा शिक्षा।
27. परिचर्या व्यवसाय तथा परिचर्या शिक्षा तथा परिचर्या प्रशिक्षण।
28. दंत व्यवसाय तथा दंत चिकित्सा शिक्षा।
29. शासकीय कर्मचारियों/आश्रितों को राज्य के अंदर तथा राज्य के बाहर चिकित्सा प्रतिपूर्ति तथा उपचार से संबंधित विषय।
30. गंभीर मनोविकार रोगियों के रखने (पुनर्वास केन्द्र) एवं उनके उपचार प्रबंधन केन्द्र भी हैं।
31. ऐसी सेवाओं से सम्बद्ध सभी विषय जिनका विभाग से संबंध हो (वित्त विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग को आवंटित किए गए विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ- नियुक्तियां, पदस्थापनाएं, स्थानांतरण, वेतन, छुट्टी, निवृत्ति, वेतन पदोन्नतियां, भविष्य निधियां, प्रतिनियुक्तियां, दण्ड तथा अभ्यावेदन.
32. (एक) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) की धारा 19 के अधीन अभियोजन की मंजूरी.
(दो) दण्ड प्रक्रिया की संहिता 1973 (1974 का 2) की धारा 197 तथा विशेष/अन्य अधिनियमों के अंतर्गत लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन तथा मंजूरी.

(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम और नियम-

1. मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा संस्था नियंत्रण अधिनियम 1973 (1973 का 19).
2. मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालय शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम 2018.
3. मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सीय सेवा आदर्श नियम 2018.
4. मध्यप्रदेश सुपरस्पेशलिटी अस्पताल चिकित्सा शिक्षक आदर्श नियम 2018.
5. मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय गैर शैक्षणिक आदर्श नियम 2018.
6. मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2023. तथा अराजपत्रित सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2023.
7. मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम 2018.
8. फार्मसी अधिनियम 1948 (1948 का 8).
9. खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34).
10. औषधि तथा प्रसाधन अधिनियम, 1940 (1940 का 23).
11. सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 (2003 का 34)
12. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम 1958.
13. मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम 1987 (क्रमांक 11 सन् 1990).
14. मध्यप्रदेश उपचर्या तथा रुजोपचार संबंधी स्थापनाये (रजिस्ट्रीकरण एवं अनुज्ञापन) नियम 1997.
15. विष अधिनियम 1919 (1919 का 12).

16. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2022. अराजपत्रित सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम 1989.
17. गर्भ धारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम 1994.
18. गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 (1971 का 34).
19. महामारी अधिनियम 1897 (1897 का 3).
20. मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017.
21. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 (2016 का 2).
22. मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ अधिनियम 1949 (क्रमांक 36 सन् 1949).
23. लैंगिक अपराधी से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 (2012 का 32).
24. सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 एवं सहायता प्राप्त प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2021
25. भारतीय चिकित्सा परिषद (व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार और नैतिकता) विनियम 2002
26. म.प्र. स्टेट डेंटल कौंसिल, इंदौर अधिनियम 1964
27. भारतीय परिचारिका परिषद अधिनियम 1947
28. म.प्र. सह चिकित्सीय परिषद अधिनियम -2000
29. मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम 2011
30. मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994, नियम 2014
31. म.प्र. उपचारिका प्रसाविका, सहायी उपचारिका प्रसाविका तथा स्वास्थ्य परिदर्शक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973
32. म.प्र. नर्सिंग शिक्षण संस्था मान्यता नियम -2018 (संशोधित नियम-2021)
33. म.प्र. स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय गैर चिकित्सकीय सेवा आदर्श नियम-2018

(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय-

1. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संचालनालय.
2. चिकित्सा शिक्षा संचालनालय.
3. नियंत्रक, खाद्य तथा औषधि प्रशासन.
4. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन.
5. राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण.
6. मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय.
7. समस्त शासकीय / स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय एवं सम्बद्ध अस्पताल.
8. स्वशासी दंत चिकित्सा महाविद्यालय.
9. मानसिक अरोग्य संस्थान.
10. नर्सिंग महाविद्यालय.
11. चिकित्सा शिक्षा के अधीन आने वाले समस्त सह-चिकित्सीय महाविद्यालय.
12. क्षेत्रीय नेत्र विज्ञान संस्थान.

(ई) अधिनियमों के अधीन गठित मण्डल तथा निगम-

1. मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड.

(उ) ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली संस्थाएं तथा निकाय/समिति-

1. फार्मसी परिषद:
2. मध्यप्रदेश राज्य दंत परिषद.
3. मध्यप्रदेश राज्य एड्स कंट्रोल सोसायटी.
4. मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद.
5. स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान, ग्वालियर.
6. मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल, भोपाल.
7. मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद
8. राज्य रक्ताधान परिषद
9. राज्य स्वास्थ्य सूचना शिक्षा संचार ब्यूरो
10. मध्यप्रदेश ऊतक एवं मानव अंग प्रत्यारोपण समिति.
11. दीन दयाल स्वास्थ्य सुरक्षा परिषद:
12. राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण.
13. गर्भधारण एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक लिंग चयन तकनीक के लिए राज्य सुपरवाइजरी बोर्ड, (पी.सी.पी.एन. डी.टी.).
14. राज्य सुपरवाइजरी बोर्ड ए.आर.टी. एवं सरोगेसी.

(ऊ) विभाग के अधीन आने वाले सेवाओं के नाम यदि कोई हो, और विशेष सेवा विषय, यदि कोई हो-

1. मध्यप्रदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा.
2. मध्यप्रदेश तृतीय श्रेणी (अराजपत्रित) लिपिक वर्गीय तथा अलिपिक वर्गीय स्वास्थ्य सेवाएं.
3. मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा सेवा.

स्रोत : मध्यप्रदेश शासन/सामान्य प्रशासन विभाग/पत्र क्रमांक F-1-5/2020/एफ (1) दिनांक 12.2.2024

।। हमारा उद्देश्य, विकसित और स्वस्थ मध्यप्रदेश।।

विनियमन एवं गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम

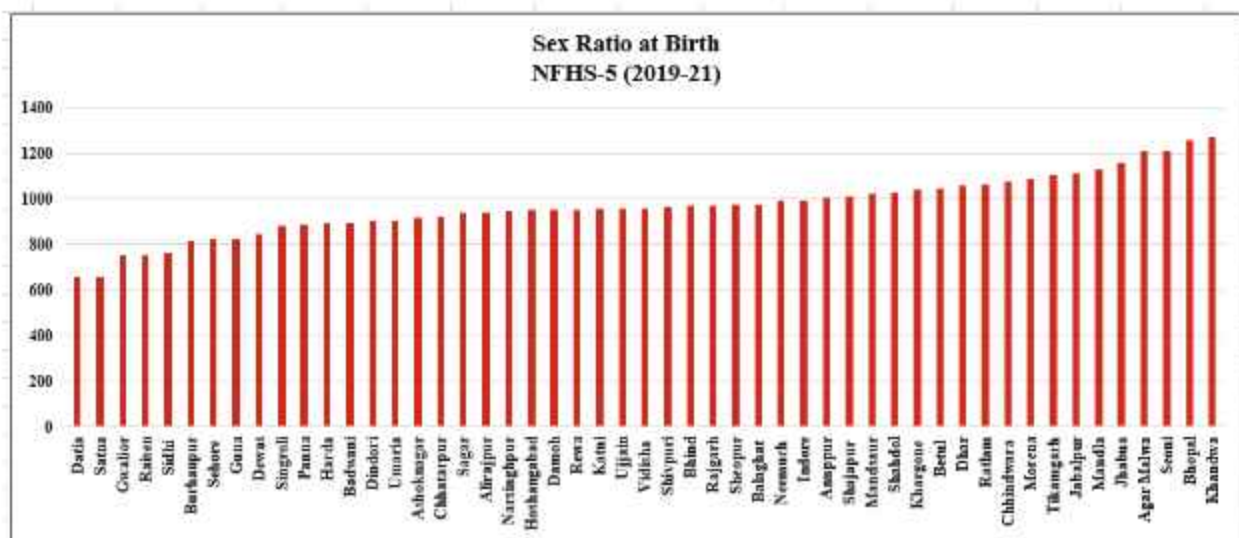
राज्य में गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) नियम एवं अधिनियम 1994 के अंतर्गत संचालित अल्ट्रासाउण्ड केन्द्रों, जेनेटिक क्लिनिक, जेनेटिक लेबोरेटरी एवं इमेजिंग क्लिनिकों का विनियमन किया गया है। इसके अतिरिक्त आई.व्ही.एफ. केन्द्रों अथवा केन्द्र जिनके द्वारा Assisted Reproductive Technology की सेवाएँ देने वाले केन्द्रों का भी विनियमन किया जाता है।

वैज्ञानिक प्रगति के चलते गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव निदान के उन्नत तकनीकों की सुलभ उपलब्धता व दुरुपयोग, सामाजिक रुढ़िवादिता एवं प्रमुखतः पितृ सत्तात्मक समाज में बेटे की चाह के कारण, समाज में शिशु लिंगानुपात में गिरावट परिलक्षित हुई है।

जन्म के समय लिंगानुपात-

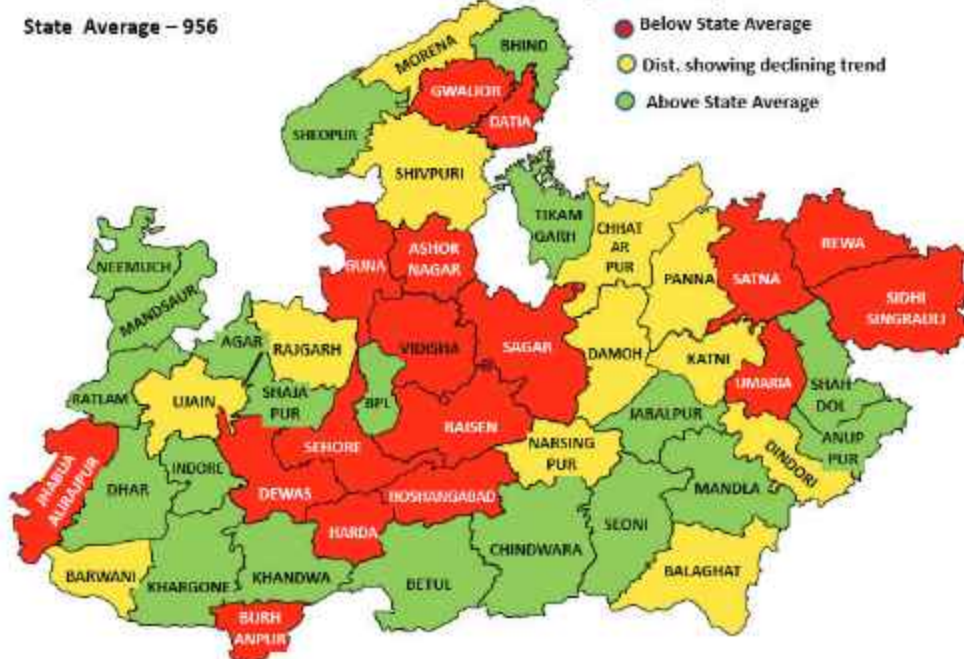
प्रति 1000 बालकों की तुलना में जन्म लेने वाली बालिकाओं की संख्या को जन्म के समय का लिंगानुपात (Sex Ratio at Birth) के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह सामाजिक परिदृश्य को दर्शाने वाले एक महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील सूचकांक है। सामान्यतः जैविक कारणों से 1000 बालकों के जन्म पर 952 या अधिक बालिकाओं का जन्म होना स्वाभाविक है। अतएव, किसी भी क्षेत्र में जन्म के समय लिंगानुपात 952 से कम होने पर गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीकों के दुरुपयोग द्वारा लिंग चयन आधारित गर्भपात प्रकरणों के परोक्षरूपी संकेत प्राप्त होते हैं। प्रदेश में जन्म के समय लिंगानुपात में सुधार हेतु इस समस्या से जुड़े विभिन्न सामाजिक, आर्थिक तथा कानूनी पहलूओं को दृष्टिगत रखते हुए मध्यप्रदेश शासन द्वारा हर स्तर पर कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम हेतु गतिविधियाँ की जा रही हैं।

प्रदेश की सकारात्मक रणनीतियों फल:स्वरूप, एन.एफ.एच.एस.-05 (2019-21) में प्रतिवेदित आंकड़ों के अनुसार एन.एफ.एच.एस.-4 (2015-16) की तुलना में, राज्य में जन्म के समय के शिशु लिंगानुपात में 29 बिंदुओं की वृद्धि हुई है। उल्लेखनीय है कि 29 जिलों में जन्म के समय के शिशु लिंगानुपात में 11 से 449 अंकों का सुधार दर्ज हुआ है। प्रदेश की औसत जन्म के समय के शिशु लिंगानुपात 956 है जिसकी जिलेवार तुलनात्मक स्थिति निम्नानुसार है:-



Sex Ratio at Birth Districts of Concern (NFHS 5)

State Average – 956



गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 एवं नियमों के प्रावधान-

1. गर्भधारण के पूर्व एवं पश्चात लिंग निर्धारण पर रोक।
2. गर्भस्थ भ्रूण का लिंग परीक्षण एवं चयन से संबंधित विज्ञापन अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत प्रतिबंधित है।
3. अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत केन्द्र के संचालक अथवा केन्द्र पर अल्ट्रासोनोग्राफी करने वाले व्यक्ति द्वारा अधिनियम एवं नियमों के प्रथम उल्लंघन एवं दोष सिद्धि पर 3 वर्षों का कारावास व रुपये 10,000/- तक का अर्थदंड का प्रावधान है। पश्चातवर्ती दोष सिद्धि होने पर 05 वर्षों तक का कारावास तथा रु. 50,000/- रुपये तक का अर्थदंड का प्रावधान है।
4. न्यायायिक प्रकरण में आरोप अधिरोपित होने पर प्रकरण के निपटारे तक संबंधित चिकित्सक का म.प्र. आयुर्विज्ञान परिषद् का पंजीयन निलंबित करने एवं अपराध सिद्ध होने पर Penal Erasure का प्रावधान है।
5. सभी प्रसव पूर्व निदान तकनीकों का उपयोग कर रही संस्थाओं, अणुवांशिक केन्द्रों, क्लीनिक एवं प्रयोगशाला का पंजीयन अनिवार्य है। साथ ही समस्त इमेजिंग मोडेलिटी संबंधी उपकरणों के उत्पादक, निर्माता, विक्रेता, वितरक, आयातक एवं रि-फरविशर द्वारा प्रदेश में गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम अंतर्गत अनुज्ञापन प्राप्त करना अनिवार्य है।
6. अधिनियम के अंतर्गत सभी जिलों में केन्द्रों के निरीक्षण हेतु जिला निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण दल का गठन किया जाना है। इन सभी केन्द्रों का 90 दिवसों में जिला निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण दल द्वारा निरीक्षण किये जाने का प्रावधान है।
7. अधिनियम एवं नियम का उल्लंघन प्रकट होने पर जिला समुचित प्राधिकारी द्वारा केन्द्र विरुद्ध पंजीयन के निलंबन, निरस्तीकरण एवं न्यायालय में प्रकरण दर्ज कराने की कार्यवाही की जानी है।

पी.सी.एण्ड पी.एन.डी.टी. अधिनियम एवं नियम के क्रियान्वयन हेतु प्रयास-

1. पी.सी.पी.एन.डी.टी. अधिनियम एवं नियम के अंतर्गत कुल 2536 अल्ट्रासोनोग्राफी केन्द्रों, 03 जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर, 11 जेनेटिक लेबोरेटरीज, 12 संयुक्त रूप से जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर /जेनेटिक लेबोरेटरी/जेनेटिक क्लीनिक/ अल्ट्रासाउंड क्लीनिक/इमेजिंग सेंटर, 110 अन्य (आई.व्ही.एफ./ इन्फर्टिलिटीकेयर सेंटर) का प्रदेश में पंजीयन किया गया है।
2. नवीन पंजीयन एवं पंजीयन के नवीनीकरण की प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु पी.सी.पी.एन.डी. टी. पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पंजीयन की सुविधा प्रवृत्त है।
3. राज्य में संचालित समस्त पंजीकृत केन्द्रों, केन्द्रों में संचालित अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन एवं अल्ट्रासोनोग्राफी करने हेतु पात्र चिकित्सकों की जानकारी की समीक्षा जिले एवं राज्य स्तर पर निरंतर की जाती है।
4. समय सीमा में पंजीयन, पंजीयन के नवीनीकरण एवं अपील की कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु पी.सी.पी.एन. डी.टी. की सेवाओं को लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है।
5. राज्य में «पुनरीक्षित मुखबिर पुरस्कार योजना-2021» प्रभावशील है जिसमें प्रमुख प्रावधान निम्नानुसार है:-

मुखबिर योजना अंतर्गत कुल प्रस्तावित प्रोत्साहन राशि रु. 2,00,000/-		
परिदृश्य 1 मुखबिर की सूचना पर आधारित विधिक कार्यवाही		
• प्रथम किशत-राशि रु. 1,25,000/-कोर्ट में चालान प्रस्तुत होने पर।		
मुखबिर	जिला नोडल अधिकारी पी.सी.पी.एन.डी.टी./अन्य (जिला समुचित प्राधिकारी/ कलेक्टर द्वारा चिह्नित)	अभियोजन अधिकारी**
रु. 50,000/-	रु. 25,000/-	रु. 50,000/-
नोट-		
*i) प्राप्त सूचना का सत्यापन ii) केन्द्र की जाँच iii) पंचनामा लेखन iv) जप्ति एवं सील की कार्यवाही v) केन्द्र के पंजीयन के निरस्तीकरण/निलम्बन की कार्यवाही vi) अभियोजन अधिकारी के साथ समन्वय कर परिवाद प्रारूप का निर्माण हेतु		
**i) परिवाद प्रस्तुत करना ii) शासकीय गवाहों की उपस्थिति एवं समय-सीमा में बयान की कार्यवाही iii) अभियोजन संबंधी अन्य विधिक कार्यवाही हेतु		
• द्वितीय किशत रु. 75,000/- न्यायालय में अपराध सिद्ध होने पर।		
मुखबिर	जिला नोडल अधिकारी पी.सी.पी.एन.डी.टी./ अन्य (जिला समुचित प्राधिकारी /कलेक्टर द्वारा चिह्नित)	अभियोजन अधिकारी
रु. 30,000/-	रु. 15,000/-	रु. 30,000/-

6. वर्ष 2023-24 में जिला ग्वालियर एवं रीवा में किये गये सफल स्टिंग ऑपरेशन हेतु उपरोक्त योजना के अंतर्गत मुखबिर, डिकॉय महिला, डिकॉय महिला के सहयोगी, जिला नोडल अधिकारी (पी.सी.पी.एन.डी.टी.) एवं जिला अभियोजन अधिकारी के संयुक्त दल को पुरस्कृत किया गया है।

7. पी.सी.पी.एन.डी.टी. अधिनियम की जागरूकता हेतु जिलों में विभिन्न सूचना एवं प्रसार गतिविधियां सुनिश्चित की गई है।



8. प्रदेश में संचालित समस्त जननी एक्स्प्रेस, 108 एम्बुलेंस में परिवहन के दौरान गर्भवती महिलाओं एवं उनके परिजनों/जन समुदाय के उन्मुखीकरण हेतु पोस्टर गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम के दण्डनीय प्रावधानों का प्रदर्शन सुनिश्चित किया गया है।



9. समस्त जिलों में भ्रूण परीक्षण एवं लिंग चयन आधारित गर्भपात के नियंत्रण हेतु अंतर्विभागीय बैठकों का आयोजन किया गया है।



10. प्रदेश के समस्त जिला समुचित प्राधिकारियों एवं जिला नोडल अधिकारियों को दिनांक 06/10/2023 को गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम पर राज्य स्तरीय कार्यशाला में उन्मुखीकरण किया गया है।



11. प्रदेश में 239 उत्पादक, निर्माता, विक्रेता, वितरक, आयातक एवं रि-फरबिशर द्वारा प्रदेश में गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम अंतर्गत ऑनलाईन अनुज्ञापन जारी किया गया है।

12. अंतराष्ट्रीय बालिका दिवस 11.10.2023 पर जिलों में गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम के संबंध में जागरूकता हेतु विभिन्न सांस्कृतिक एवं पाठ्योत्तर गतिविधियों का आयोजन किया गया है।



13. संभागीय स्तर पर महाविद्यालयों में वाद-विवाद, नुक्कड़ नाटक, गायन एवं अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रतिभागियों, विजेताओं एवं अन्यो को पुरस्कृत किया गया।

14. पी.सी.पी.एन.डी.टी. अधिनियम तथा लिंग आधारित गर्भपात विषयों पर विद्यालय एवं महाविद्यालयों में रंगोली, अन्य प्रतियोगिताओं एवं पाठ्योत्तर गतिविधियों का आयोजन किया गया। जिससे किशोरवय बालिकाओं में जागरूकता सुनिश्चित हो सके। संभाग स्तरीय विजेताओं को गणमान्य नागरिकों/राजनेताओं एवं स्थानीय पत्रकारों द्वारा सम्मानित किया गया।



15. लिंग चयन एवं गर्भस्थ भ्रूण के लिंग उजागर करने के अपराध में प्रदेश के जबलपुर में पंजीबद्ध एक प्रकरण में दोष सिद्धि पर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी निजी चिकित्सक को 2 वर्ष का कारावास एवं राशि रु. 40000/- के आर्थिक दण्ड से दिनांक 22/11/2023 को दण्डित किया गया है।



16. जिलों के चिकित्सा अधिकारियों में स्वास्थ्य सेवाओं की प्रतिक्रिया जागरूक करने एवं लैंगिक आधारित हिंसा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए प्रदेश में "Gender Based Violence" की तीन दिवसीय कार्यशाला का आयोजन तीन बैचों में किया गया एवं 74 चिकित्सा अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया।

17. पी.सी.पी.एन.डी.टी. अधिनियम अंतर्गत गठित राज्य सुपरवाईजरी बोर्ड की बैठक माननीय उप मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 28.03.2024 को संपन्न हुई जिसमें उक्त अधिनियम के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई।

विनियामक अधिनियम एवं नियम का क्रियान्वयन

- प्रदेश में संचालित निजी अस्पताल एवं क्लीनिक्स के संचालन हेतु मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम, 1973 एवं नियम, 1997 (यथासंशोधित) 2021 के विनियामक प्रावधान के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1612 निरीक्षण, 637 कारण बताओ नोटिस एवं 150 पंजीयन का निरस्तीकरण सुनिश्चित किया गया है।
- राज्य स्तर पर वर्ष 2023-24 में 10 अपीलीय प्रकरणों का निराकरण राज्य अपीलीय प्राधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया गया है।
- ए.आर.टी. एवं सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम 2021 अंतर्गत 105 ए.आर.टी. लेवल-1 क्लीनिक, ए.आर.टी. लेवल-2 क्लीनिक, ए.आर.टी. बैंक तथा सरोगेसी क्लीनिक्स को पंजीकृत किया गया है।
- सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम के अंतर्गत प्रदेश में 2 प्रकरणों पर राज्य सुपरवाइजरी बोर्ड के अनुशंसा अनुसार सरोगेसी हेतु अनुमति प्रदान की गई।
- देश में प्रथम बार मध्यप्रदेश में सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम अंतर्गत मानक प्रपत्रों का निर्धारण किया गया।
- लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की 12 अधिसूचित सेवाओं के लिए कुल 15742 सेवायें प्रदान की गई हैं।
- मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम, 1973 के अंतर्गत नवीन पंजीयन एवं पंजीयन के नवीनीकरण हेतु 3608 पंजीयन लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के तय समय-सीमा अनुरूप प्रदान की गई हैं।
- PCPNDT अधिनियम एवं नियम अंतर्गत केन्द्रों के नवीन पंजीयन एवं नवीनीकरण हेतु 320 पंजीयन लोकसेवा गारंटी अधिनियम 2010 की तय समय-सीमा अनुरूप प्रदान की गई हैं।

।। भ्रूण लिंग परीक्षण एवं लिंग चयन आधारित गर्भपात कानूनन अपराध है।।

गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971

व्यापक सुरक्षित गर्भपात देखभाल (काम्प्रीहेन्सिव एबार्शन केयर)

प्रदेश की स्वास्थ्य संस्थाओं में सुरक्षित गर्भपात सेवाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से चिकित्सकों को सुरक्षित गर्भपात सेवाओं में प्रशिक्षित किया जा रहा है तथा उनके माध्यम से औषधीय एवं चिकित्सकीय सहयोग से गर्भपात की सेवाएँ महिलाओं को प्रदान की जा रही हैं।

केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी राजपत्र “नई दिल्ली, 12 अक्टूबर 2021” गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 (1971 की 34) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये गर्भ का चिकित्सीय समापन नियम 2003 का संशोधन कर गर्भ का चिकित्सीय समापन (संशोधन) नियम 2021 लागू हुआ है, जिसमें:-

एमटीपी अधिनियम में संशोधन

1. विशेष श्रेणियों की महिलाओं के लिए गर्भपात की सीमा 20 से बढ़ाकर 24 सप्ताह।
2. गंभीर भ्रूण विकृति के मामलों में गर्भावस्था के दौरान किसी भी समय गर्भसमापन मेडिकल बोर्ड की अनुमति से मान्य।
3. गर्भनिरोधक की विफलता की स्थिति में अविवाहित महिलाओं के लिए भी सेवाएँ उपलब्ध।
4. 20 सप्ताह तक के गर्भपात के लिए केवल एक आरएमपी और 20-24 सप्ताह के लिए दो आरएमपी की राय आवश्यक।
5. सेवा प्राप्तकर्ता का नाम गोपनीय रखे जाने और कड़ाई से पालन पर जोर।

20-24 सप्ताहों के बीच के गर्भ की अवधि में

- (क) यौन उत्पीड़न या बलात्संग या कौटुम्बिक व्यभिचार के उत्तरजीवी।
- (ख) माईनर (अवयस्क)।
- (ग) गर्भावस्था के दौरान वैवाहिक प्रास्थिति में परिवर्तन (वैधव्य या विवाह-विच्छेद)।
- (घ) शारीरिक अक्षमताओं वाली स्त्रियाँ (दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) के अधीन अभिकथित मानदंडों के अनुसार प्रमुख निःशक्तता)।
- (ङ) मानसिक रूप से रुग्ण स्त्री जिसके अंतर्गत मानसिक मन्दता भी है।
- (च) भ्रूण की विकृति जिसमें जीवन की गंभीर क्षति होने का पर्याप्त जोखिम है या यदि शिशु उत्पन्न होता है तो वह ऐसी शारीरिक या मानसिक असामान्यताओं से पीड़ित हो सकता है जिससे वह गंभीर रूप से अक्षम हो।
- (छ) मानवीय स्थितियों या आपदा या आकस्मिकता की परिस्थितियों में गर्भावस्था वाली स्त्री, जैसा कि सरकार द्वारा घोषित।

24 सप्ताहों के बाद के गर्भ की अवधि में

- (क) भ्रूण की विकृति जिसमें जीवन की गंभीर क्षति होने का पर्याप्त जोखिम है या यदि शिशु उत्पन्न होता है तो वह ऐसी शारीरिक या मानसिक असामान्यताओं से पीड़ित हो सकता है जिससे वह गंभीर रूप से अक्षम हो।

भ्रूण विकृति की स्थिति में गर्भसमापन

- गर्भावस्था के दौरान कभी भी गर्भसमापन करवाया जा सकता है।
- ऐसा मेडिकल बोर्ड द्वारा अनुमति के बाद ही किया जा सकता है।

सुरक्षित गर्भपात सेवाओं को सुदृढ़ करने तथा प्रदेश में एमटीपी नियमों का कठोरता से पालन करने हेतु कई गतिविधियां जैसे प्रशिक्षण, निजी सेवाप्रदाताओं हेतु डीएलसी बैठक, एमटीपी प्रपत्रों एवं फार्म्स का मुद्रण, निर्बाध रूप से संचालित होने वाली दवाईयों की उपलब्धता आदि सम्मिलित है।

- **मेडिकल बोर्ड-** विशेष प्रकरणों में 24 सप्ताह से अधिक एमटीपी की अनुमति देने हेतु प्रदेश के 13 शासकीय मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया है। मेडिकल बोर्ड के माध्यम से एमटीपी एक्ट में उल्लेखित विशेष परिस्थिति में महिलाओं को 24 सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था में एमटीपी की अनुमति प्रदान किये जाने हेतु निर्णय लिया जाता है।
- **अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षित गर्भपात दिवस-** 28 सितम्बर का दिन अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षित गर्भपात दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2023-24 से प्रदेश में भी सुरक्षित गर्भपात दिवस का आयोजन किया गया है। स्वास्थ्य आयुक्त एवं मिशन संचालक एनएचएम की अध्यक्षता में आयोजित समारोह में सुरक्षित गर्भपात सेवाएँ देने वाले सेवा प्रदायकताओं स्त्री रोग विशेषज्ञों, चिकित्सा अधिकारियों तथा आशा एवं उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्थाओं को सम्मानित किया गया था।



।। सुरक्षित गर्भपात सेवायें चिन्हित संस्थाओं में निःशुल्क उपलब्ध है।।

महत्वपूर्ण सांख्यिकी

मद	भारत	मध्यप्रदेश
क्षेत्रफल (हजार वर्ग किलोमीटर)	3287	308
जनसंख्या 2011 जनगणना (हजार में)		
कुल	1210854	72627
पुरुष	623270	37612
महिला	587584	35015
प्रतिशत दशकीय वृद्धि दर (2001-2011)	17.7	20.3
अनुसूचित जाति (प्रतिशत)	16.6	15.6
अनुसूचित जनजाति (प्रतिशत)	8.6	21.1
जनसंख्या घनत्व (प्रति वर्ग किलोमीटर)	382	236
लिंग अनुपात (महिला / 1000 पुरुष)	943	931
ग्रामीण जनसंख्या* (प्रतिशत)	68.9	72.4

स्रोत - भारत के जनगणना आयुक्त एवं महारजिस्ट्रार वर्ष 2011

महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सूचकांक

जन्म दर	24.5 प्रति हजार जनसंख्या (एसआरएस बुलेटिन अक्टूबर 2021)
सकल मृत्यु दर	6.6 प्रति हजार जनसंख्या (एसआरएस बुलेटिन अक्टूबर 2021)
मातृ मृत्यु दर	173 प्रति लाख जीवित जन्म (एसआरएस 2018-2020)
शिशु मृत्यु दर	41.3 प्रति हजार जीवित जन्म (एनएफएचएस 5)
सकल प्रजनन दर	2.0 (एनएफएचएस 5)

।। छोटा परिवार, सुखी परिवार।।

स्वास्थ्य संस्थाओं की जानकारी

क्रं.	संस्था का नाम	
1	जिला चिकित्सालय	52
	बिस्तर संख्या	16850
2	ट्रामासेन्टर	51
3	सिविल अस्पताल	161
	बिस्तर संख्या	11225
4	30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	348
	बिस्तर संख्या	10440
5	06 बिस्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	1442
	बिस्तर संख्या	8652
6	उप स्वास्थ्य केन्द्र	10256
7	पॉलीक्लीनिक	05
	इंदौर (मल्हारगंज, हुकुमचंद), उज्जैन (पॉली क्लीनिक)	
	ग्वालियर (पॉली क्लीनिक), जबलपुर (मोतीनाला)	
8	शहरी स्वास्थ्य संस्थाएँ-	373
	शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	141
	संजीवनी पॉली क्लीनिक	229
	शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	03

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य संस्थाओं की स्थापना हेतु भारत शासन के प्रावधान आधारित मापदण्ड

क्र.	स्वास्थ्य संस्थाएँ	जनसंख्या आधारित मापदण्ड	
		आदिवासी उपयोजना क्षेत्र	सामान्य क्षेत्र/अनुसूचित जाति उपयोजना क्षेत्र
1	उप स्वास्थ्य केन्द्र	एक प्रति 3,000 की ग्रामीण जनसंख्या पर	एक प्रति 5,000 की ग्रामीण जनसंख्या पर
2	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	एक प्रति 20,000 की ग्रामीण जनसंख्या पर	एक प्रति 30,000 की ग्रामीण जनसंख्या पर
3	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	एक प्रति 80,000 की ग्रामीण जनसंख्या पर	एक प्रति 1.20 लाख की ग्रामीण जनसंख्या पर

जिलेवार चिकित्सा संस्थाओं की जानकारी

क्र.	जिले का नाम	जिला चिकित्सालय		सिविल अस्पताल		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र		प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र		उप स्वा. केन्द्र की संख्या	कुल स्वास्थ्य संस्थाएं	कुल स्वास्थ्य शैया
		संख्या	शैया	संख्या	शैया	संख्या	शैया	संख्या	शैया			
1	Aagar-Malwa	1	200	2	100	1	30	9	54	75	88	384
2	Alirajpur	1	200	1	50	7	210	17	102	192	218	562
3	Anuppur	1	200	0	0	9	270	26	156	159	195	626
4	Ashoknagar	1	200	2	100	4	120	11	66	132	150	486
5	Barwani	1	400	2	150	12	360	29	174	329	373	1084
6	Balaghat	1	400	3	250	9	270	41	246	297	351	1166
7	Betul	1	300	1	50	10	300	39	234	320	371	884
8	Bhind	1	400	2	150	8	240	32	192	204	247	982
9	Bhopal	1	400	6	755	5	150	11	66	67	90	1371
10	Burhanpur	1	200	0	0	4	120	17	102	100	122	422
11	Chhatarpur	1	300	4	200	10	300	38	228	240	293	1028
12	Chhindwada	1	400	6	430	9	270	68	408	319	403	1508
13	Damoh	1	300	1	60	6	180	22	132	176	206	672
14	Datia	1	350	2	56	4	120	17	102	106	130	628
15	Dewas	1	500	5	230	4	120	29	174	208	247	1024
16	Dhar	1	300	5	300	14	420	49	294	479	548	1314
17	Dindori	1	100	1	50	6	180	26	156	189	223	486
18	Guna	1	400	1	100	6	180	19	114	161	188	794
19	Gwalior	1	300	5	360	6	180	17	102	120	149	942
20	Harda	1	200	0	0	4	120	11	66	79	95	386
21	Narmada-puram	1	300	5	410	4	120	23	138	159	192	968
22	Indore	1	300	8	520	8	240	30	180	116	163	1240
23	Jabalpur	1	500	5	522	9	270	27	162	176	218	1454
24	Jhabua	1	200	2	200	8	240	21	126	291	323	766
25	Katni	1	350	2	110	6	180	25	150	166	200	790
26	Khandwa	1	400	4	220	6	180	30	180	186	227	980
27	Khargone	1	300	4	240	10	300	58	348	320	393	1188

क्र.	जिले का नाम	जिला चिकित्सालय		सिविल अस्पताल		सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र		प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र		उप स्वा. केंद्र की संख्या	कुल स्वास्थ्य संस्थाएं	कुल स्वास्थ्य शैया
		संख्या	शैया	संख्या	शैया	संख्या	शैया	संख्या	शैया			
28	Mandla	1	300	2	150	10	300	34	204	274	321	954
29	Mandsour	1	500	6	339	5	150	40	240	178	230	1229
30	Morena	1	600	6	350	5	150	27	162	239	278	1262
31	Narsingpur	1	300	3	180	6	180	23	138	142	175	798
32	Neemuch	1	200	3	185	2	60	20	120	108	134	565
33	Panna	1	300	1	50	5	150	20	120	156	183	620
34	Raisen	1	350	6	370	7	210	36	216	186	236	1146
35	Rajgarh	1	500	5	400	6	180	31	186	218	261	1266
36	Rattlam	1	500	3	180	7	210	29	174	196	236	1064
37	Rewa	1	100	5	350	9	270	45	270	326	386	990
38	Sagar	1	300	6	350	9	270	45	270	259	320	1190
39	Satna	1	400	6	510	12	360	46	276	303	368	1546
40	Sehore	1	300	5	350	8	240	26	156	170	210	1046
41	Seoni	1	400	3	200	5	150	37	222	288	334	972
42	Shahdol	1	300	2	150	8	240	32	192	231	274	882
43	Shajapur	1	300	3	178	5	150	20	120	126	155	748
44	Sheopur	1	200	1	100	4	120	13	78	104	123	498
45	Shivpuri	1	400	1	100	8	240	24	144	246	280	884
46	Singrouli	1	200	1	50	7	210	20	120	204	233	580
47	Sidhi	1	300	2	150	5	150	33	198	197	238	798
48	Niwari	1	200	1	50	2	60	10	60	60	74	370
49	Tikamgarh	1	300	1	50	7	210	16	96	146	171	656
50	Ujjain	1	700	7	560	5	150	29	174	207	249	1584
51	Umaria	1	200	0	0	5	150	15	90	125	146	440
52	Vidisha	1	300	3	260	7	210	29	174	201	241	944
TOTAL		52	16850	161	11225	348	10440	1442	8652	10256	12259	47167

।। प्रदेश के समग्र विकास के लिए रखें सीमित परिवार ।।

भाग-दो

बजट प्रावधान, लक्ष्य, व्यय (योजनावार)

बजट प्रावधान, लक्ष्य, व्यय (योजनावार)

राज्य बजट से स्वास्थ्य सेक्टर के लिये उपलब्ध राशि वर्षवार बजट प्रावधान एवं व्यय

समस्त आंकड़े लाखों में

वर्ष	बजट प्रावधान	कुल प्रावधान	व्यय	व्यय प्रतिशत (%) में
2017-18	567300.34	567300.34	522385.85	92.08
2018-19	661678.56	661678.56	549850.78	83.10
2019-20	761234.04	761234.04	672753.66	88.38
2020-21	751613.34	751613.34	717577.72	95.47
2021-22	1062772.76	1062772.76	967798.68	91.06
2022-23	1212306.96	1150063.96	1040057.09	90.43
2023-24	1334814.77	1327031.33	1185987.97	89.37

केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना

1. 2211 परिवार कल्याण

वर्ष	प्रावधान	व्यय	व्यय प्रतिशत (%) में
2017-18	48356.83	40381.07	83.51
2018-19	55574.13	49026.76	88.22
2019-20	54532.69	53152.80	97.47
2020-21	57918.50	51523.99	88.96
2021-22	60072.46	54368.11	90.50
2022-23	61161.29	60253.11	98.52
2023-24	71234.14	65370.49	91.77

2. 9922-15 वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर स्वास्थ्य क्षेत्र के लिये अनुदान

वर्ष	प्रावधान	व्यय	व्यय प्रतिशत (%) में
2021-22	92279.72	62324.00	67.54
2022-23	94517.00	32172.92	34.04
2023-24	157827.92	88562.00	56.11

केन्द्रीय प्रवर्तित योजना

1. 5724 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

वर्ष	प्रावधान	व्यय	व्यय प्रतिशत (%) में
2017-18	237253.05	237253.03	100.00
2018-19	197500.06	159600.64	80.81
2019-20	288553.06	288552.94	100.00
2020-21	311563.05	302594.33	97.12
2021-22	449227.09	449208.95	100.00
2022-23	425000.06	399742.63	94.06
2023-24	399575.06	396290.80	99.18

2. 9923 प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन

वर्ष	प्रावधान	व्यय	व्यय प्रतिशत (%) में
2021-22	12625.00	3157.00	25.01
2022-23	13158.00	8619.67	65.51
2023-24	60000.00	60000.00	100.00

3. 2315 राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना आयुष्मान भारत

वर्ष	प्रावधान	व्यय	व्यय प्रतिशत (%) में
2017-18	42500.00	8650.44	20.35
2018-19	37500.00	11823.01	31.53
2019-20	46391.80	46391.80	100.00
2021-22	40000.00	40000.00	100.00
2022-23	102733.00	90356.59	87.95
2023-24	83333.00	83333.00	100.00

।। चिकित्सा सेवाओं का विस्तार, स्वस्थ मध्यप्रदेश का है आधार।।

राज्य सहायता योजना

1. 2366 मुख्यमंत्री श्रमिक प्रसूति सहायता योजना

वर्ष	प्रावधान	व्यय	व्यय प्रतिशत (%) में
2017-18	60000.00	23610.00	39.35
2018-19	51685.94	36064.85	69.78
2019-20	39574.38	39574.38	100.00
2021-22	40300.00	40300.00	100.00
2022-23	49197.00	49197.00	100.00
2023-24	60000.00	60000.00	100.00

2. 9569 आयुष्मान भारत नॉन एस.ई.सी.सी

वर्ष	प्रावधान	व्यय	व्यय प्रतिशत (%) में
2022-23	16000.00	16000.00	100.00
2023-24	12000.00	12000.00	100.00

3. 9548 आशा कार्यकर्ता को अतिरिक्त प्रोत्साहन

वर्ष	प्रावधान	व्यय	व्यय प्रतिशत (%) में
2022-23	15199.00	15199.00	100.00 प्रतिशत
2023-24	38334.00	30038.00	78.36 प्रतिशत

नोट- वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रावधानित राशि में पुर्नविनियोजन एवं अनुपूरक अनुमान को शामिल किया गया है।

।। हमारा संकल्प विकसित और स्वस्थ मध्यप्रदेश।।

भाग-तीन

राज्य योजनाएं तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं

राज्य योजनाएं

1. रोगी कल्याण समिति
2. डायलिसिस सेवायें
3. एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (IDSP)
4. आपदा प्रबंधन
5. सूचना शिक्षा संचार गतिविधियां

रोगी कल्याण समिति

देश में सर्वप्रथम जनसहयोग से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की पहल अक्टूबर 1994 में एम.वाय. अस्पताल इंदौर से की गई थी तथा इसी उद्देश्य से रोगी कल्याण समिति गठित कर उसके माध्यम से धनराशि एकत्र की गई थी। रोगी कल्याण समिति को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के उद्देश्य से फरवरी 1995 में प्रारंभिक तौर पर अस्पताल द्वारा दी जा रही कुछ सेवाओं को लिए शुल्क निर्धारित किये गये थे इस प्रयोग की सफलता को देखते हुए अप्रैल 1995 में राज्य सरकार द्वारा व्यापक स्वरूप देने का निर्णय लिया गया है। एम व्हाय अस्पताल इंदौर में रोगी कल्याण समिति के रूप में किये गये अभिनव प्रयास की सफलता से प्रेरित होकर प्रदेश के अन्य जिलों में भी रोगी कल्याण समिति का गठन कर अस्पतालों में दी जा रही सेवाओं के लिए शुल्क निर्धारित करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई।

राज्य शासन द्वारा सितम्बर 1995 में प्रदेश के सभी जिलों में रोगी कल्याण समितियों के गठन एवं सुचारु संचालन के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये गये थे किन्तु इसमें कुछ व्यवहारिक बाधाएँ सामने आई जिन्हें दूर करते हुए दिसम्बर 1999 को रोगी कल्याण समिति की नियमावली और अस्पताल परिसर का प्रयोजन हेतु उपयोग/विकास करने के संबंध में मार्गदर्शी निर्देश जारी किये गये थे। तत्पश्चात फरवरी 2000 दिसम्बर 2000 एवं अक्टूबर 2010 में रोगी कल्याण समिति की नियमावली में आंशिक संशोधन किये गये। रोगी कल्याण समितियों को अधिक उपयोगी एवं समसामयिक आवश्यकता के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से इनकी नियमावली एवं संरचना की समीक्षा कर पुनः मई 2018 में इसे पुनरीक्षित करते हुए नवीन दिशा-निर्देश जारी किये गये जो वर्तमान में प्रभावी हैं। प्रदेश रोगी कल्याण समिति के संबंध में किये गये नवाचार को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया तथा राष्ट्रीय स्तर पर इस मॉडल को अपनाते हुए अन्य राज्यों में भी रोगी कल्याण समितियां गठित की गई हैं। जनभागीदारी के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं प्रबंधन में किये गये नवाचार के लिए रोगी कल्याण समिति को टोकियो में 13 फरवरी 2000 को बेस्ट इनोवेशन प्रोजेक्ट के तरह ग्लोबल डेवलपमेंट अवार्ड के लिए चुना गया था तथा इसके लिये 1.25,000 यू.एस.डॉलर का पुरस्कार प्रदान किया गया था।

संरचना

रोगी कल्याण समिति एक प्रबंधकीय संरचना है। स्वास्थ्य सेवाओं की प्रदायगी जनसहभागिता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से रोगी कल्याण समिति के प्रबंधन में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। रोगी कल्याण समितियों में विभिन्न शासकीय विभागों के अधिकारीगण एवं जन प्रतिनिधि दानदाता और सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय कार्यकर्ता सदस्य होते हैं। रोगी कल्याण समितियों के माध्यम से अस्पतालों के प्रबंधन में जनभागीदारी सुनिश्चित होने से अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाओं को बेहतर बनाने एवं मरीजों के लिये अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयास किये गये हैं।

उद्देश्य

रोगियों के कल्याण एवं चिकित्सालयों में सुविधाओं की सतत वृद्धि के उद्देश्य से रोगी कल्याण समिति का गठन किया गया है। रोगी कल्याण समिति के गठन का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदाय, व्यवस्था को पारदर्शी एवं सेवाओं के बेहतर बनाने हेतु मातृ स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये संस्था प्रबंधन निकाय में नागरिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है।

रोगी कल्याण समिति अस्पताल में मरीजों के लिये बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने एवं अस्पताल के प्रबंधन के लिये अधिकृत है। रोगी कल्याण समिति की सेवाओं की आवश्यकताओं के हिसाब से प्रबंधन और गतिविधियां संचालित करने के लिये स्वतंत्रता दी गई है।

गतिविधियां

रोगी कल्याण समितियां अपने उद्देश्य की प्राप्ति हेतु स्वतः राशि की व्यवस्था करती हैं एवं प्रबंधन समिति में लिये गये निर्णयों के अनुरूप गतिविधियों को संपादित करने में राशि का उपयोग करती हैं। रोगी कल्याण समितियों के माध्यम से अस्पताल परिसर के विकास, साफ-सफाई एवं सुरक्षा व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल प्रबंध, मरीज की परिजनों के लिये प्रतीक्षालय निर्माण, उपकरणों की मरम्मत एवं रखरखाव, नवीन उपकरणों एवं सामग्री का क्रय, औषधियों का क्रय, मानव संसाधन की उपलब्धता, रोगी वाहन की सुविधा मरीजों एवं परिजनों के लिये भोजन की व्यवस्था आदि की जाती है, इसके अलावा कतिपय जिला चिकित्सालयों में डायलिसिस सुविधा एवं सीटी स्कैन जैसी आधुनिक चिकित्सा सेवाएँ भी उपलब्ध कराई जा रही हैं।

प्रदेश के चिकित्सालयों में पूर्व में केवल गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा का लाभ दिया जाता था तथा अन्य श्रेणी के मरीजों से प्रदाय सुविधा के एवज में उपभोक्ता शुल्क की राशि ली जाती थी। विगत कुछ वर्षों से राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुरूप प्रदेश के चिकित्सालयों में जाने वाले सभी श्रेणी के मरीजों को निःशुल्क चिकित्सा जांच एवं उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है साथ ही आवश्यक सभी औषधियां भी निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। मरीजों से लिये दानदाता उपभोक्ता शुल्क रोगी कल्याण समितियों की आय का मुख्य स्रोत हुआ करता था किन्तु अब इन समितियों की आय अत्यंत सीमित हो गई है। इसी प्रकार राज्य शासन द्वारा अस्पतालों की रिक्त भूमि/ परिसर का उपयोग व्यवसायिक उद्देश्य के लिये किये जाने पर रोक लगाने के कारण भी रोगी कल्याण समितियों की आय प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई है। वर्तमान में रोगी कल्याण समितियों की आय का मुख्य स्रोत दान दाताओं से प्राप्त राशि तथा अस्पतालों में लिये जाने वाले ओपीडी शुल्क ही हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से (अस्पतालों को अनाबद्ध) राशि प्रदान की जाती है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को शासकीय चिकित्सालय में उपचार प्रदाय करने पर पैसेज राशि का 36 प्रतिशत राशि रोगी कल्याण समिति में जमा की जाती है जिससे की स्वास्थ्य संस्था का उन्नयन किया जा सके।

रोगी कल्याण समितियों का गठन

प्रदेश में विभिन्न स्तर की स्वास्थ्य संस्थाओं में रोगी कल्याण समितियां गठित की गई हैं उसका विवरण निम्नानुसार है-

- जिला चिकित्सालय - 52
- सिविल अस्पताल -135
- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र - 353
- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र - 1245

।। जब है रोगी कल्याण समिति का साथ, तो फिर क्यों हो चिंता की बात।।

डायलिसिस सेवायें

प्रदेश में असंचारी रोगों के निदान व उपचार को दृष्टिगत रखते हुये वर्ष 2013 में चिन्हांकित जिला चिकित्सालयों में डायलिसिस सेवायें प्रारम्भ की गई थी। देश में सर्वप्रथम लोक निजी भागीदारी के अंतर्गत डायलिसिस सेवाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं। 26 जनवरी 2016 से प्रदेश के सभी जिलों में इन सेवाओं का विस्तार किया गया। वर्तमान में प्रदेश के 52 जिलों के 51 जिला चिकित्सालयों, 11 सिविल अस्पताल तथा 02 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों सहित, कुल 64 स्वास्थ्य संस्थाओं में डायलिसिस इकाइयां क्रियाशील हैं।

उपरोक्त डायलिसिस इकाइयों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सभी हितग्राहियों तथा आयुष्मान कार्ड धारकों को निःशुल्क सेवायें प्रदान की जाती हैं। अन्य रोगियों को न्यूनतम शुल्क रुपये 500/- पर यह सेवायें उपलब्ध करायी जा रही हैं।

लोक-निजी भागीदारी के अनुबंध अंतर्गत शासकीय चिकित्सालय द्वारा डायलिसिस इकाई हेतु आवश्यक स्थान, उपकरण व औषधियां प्रदान की जाती हैं। सेवा प्रदाता एजेंसी द्वारा मानव संसाधन व डायलिसिस करने हेतु आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। इकाई के प्रभारी चिकित्सक द्वारा रोगियों का दैनिक उपचार किया जाता है। विशेषज्ञ नेफ्रोलॉजिस्ट का परामर्श एजेंसी द्वारा ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाता है।

रोगियों को तत्काल डायलिसिस सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्तमान में 300 से अधिक डायलिसिस मशीनों के माध्यम से प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1,37,475 डायलिसिस सत्र संपादित किये गये हैं। प्रतिमाह किये जाने वाले डायलिसिस सत्रों की संख्या औसत 13 हजार हैं।



।। शासकीय चिकित्सालयों में जाइये, निःशुल्क डायलिसिस सुविधा अपनाईये।।

एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (आई.डी.एस.पी.)

प्रदेश में एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (आई.डी.एस.पी.) संक्रामक रोगों के सर्वेक्षण कार्य के संपादन हेतु भारत शासन द्वारा माह अक्टूबर 2004 से संचालित है।

आई.डी.एस.पी. कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य संक्रामक बीमारियों की रिपोर्टिंग, सर्वेक्षण कार्य संपादन तथा संक्रामक बीमारियों की महामारी की तत्काल सूचना प्राप्त कर त्वरित नियंत्रण करना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश में संचालित सभी शासकीय एवं निजी चिकित्सा संस्थाओं से समन्वय कर रिपोर्टिंग तथा सतत निगरानी कर एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम के उद्देश्य की पूर्ति की जा रही है। जिसमें संक्रामक बीमारियों के डाटा संधारण कर डाटा विश्लेषण के आधार पर बीमारियों का पूर्वानुमान किया जाता है।

संक्रामक बीमारियों के त्वरित सूचना प्राप्त कर नियंत्रण व रोकथाम के उद्देश्य से भारत शासन द्वारा देश में माह अप्रैल 2021 में Integrated Health Information Platform (IHIP) लॉन्च किया गया है दिनांक 01 अक्टूबर 2021 से संक्रामक बीमारियों की रिपोर्टिंग की जा रही है।

प्रदेश में IHIP प्लेटफॉर्म के माध्यम से लक्षणों आधार पर, बीमारियों व लेबोरेटरी की जांच रिपोर्टिंग Real time, Case based, GIS based, Electronic Platform पर की जा रही है। S Form (11556 Units) ए.एन.एम. द्वारा P Form (1864 Units) चिकित्सा अधिकारी व फर्मासिस्ट द्वारा, L Form (1387 Units) लैब द्वारा की जा रही है।

राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रोगों की सतत निगरानी का कार्य राज्य एवं जिला स्तर पर किया जा रहा है। जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:-

- वाहक जनित रोग जैसे- मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जीका वायरस।
- दूषित जल से होने वाले रोग जैसे- हैजा, टाइफाइड।
- श्वसन रोग से संबंधित रोग जैसे- एक्ज्यूट रैस्पायरेटरी इलनेस, सीजनल इन्फ्लूएन्जा (एच1एन1) एवं कोविड-19 महामारी
- वैक्सीन द्वारा रोकथाम वाले रोग जैसे- खसरा, पोलियो, डिप्थीरिया, काली खांसी।
- जूनोटिक (पशु जन्य) रोग जैसे- ग्लैण्डर्स, स्क्रब टाईफस, लेप्टोस्पायरोसिस, जापानी इन्सेफैलाइटिस, एवियन इन्फ्लूएन्जा, के.एफ.डी., निपाह वायरस आदि।

वर्ष 2023 में IHIP प्लेटफॉर्म पर उप स्वास्थ्य केन्द्र पर पदस्थ ए.एन.एम. द्वारा सिन्ड्रोमिक “S Form” में दर्ज दिनांक 01 जनवरी 2023 से दिनांक 31 मार्च 2024 तक लक्षणों के आधार पर संक्रामक बीमारियों का विवरण निम्नानुसार है:-

“S Form” 01.01.2023 to 31.03.2024		
S. No	Syndromes	Total cases
1	Only Fever $\geq$ 7 days	1151895
2	Only Fever < 7 days	2494306
3	Fever with Rash	23614
4	Fever with Bleeding	2167

“S Form” 01.01.2023 to 31.03.2024		
S. No	Syndromes	Total cases
5	Fever with Altered sensorium	17467
6	Cough <= 2 weeks with fever	149376
7	Cough <= 2 weeks without fever	493515
8	Cough > 2 weeks with fever	50545
9	Cough > 2 weeks without fever	73340
10	Loose watery stools with blood < 2 weeks	14422
11	Loose watery stools without blood < 2 weeks	229546
12	Jaundice of < 4 weeks	3468
13	Acute Flaccid Paralysis	972
14	Malaria Vivax RDT	347
15	Malaria Falciparum RDT	290
16	Malaria Mixed RDT	296
17	Animal Bite - Snake Bite	840
18	Animal Bite - Dog Bite	2715
19	Animal Bite - Others	7638
20	Others	46260

चिकित्सीय संस्थानों से प्रिजम्पटिव “P Form” में दर्ज बीमारियों का विवरण निम्नानुसार है:-

P form 01.01.2023 to 31.03.2024		
S No.	Syndromes	Total cases
1	Only Fever >= 7 days	382065
2	Only Fever < 7 days	534384
3	Fever with Rash	6730
4	Fever with Bleeding	775
5	Fever with Altered sensorium	729
6	Cough <= 2 weeks with fever	172540

P form 01.01.2023 to 31.03.2024		
S No.	Syndromes	Total cases
7	Cough <= 2 weeks without fever	244569
8	Cough > 2 weeks with fever	56097
9	Cough > 2 weeks without fever	68985
10	Jaundice of < 4 weeks	1914
11	Acute Flaccid Paralysis	134
12	Animal Bite - Snake Bite	1732
13	Animal Bite - Dog Bite	156236
14	Animal Bite - Others	5817
15	Acute Diarrhoeal Disease	45982
16	Acute Encephalitic Syndrome	55
17	Acute Hepatitis	1555
18	ARI/Influenza Like Illness(ILI)	186433
19	Severe Acute Respiratory Infection (SARI)	1847
20	Dysentery	14845
	Diseases	
21	Chickenpox	459
22	Diphtheria	113
23	Malaria	241372
24	Measles	394
25	Meningitis	99
26	Mumps	1476
27	Pertussis	61
28	Typhoid	89126

संक्रामक बीमारियों की सतत निगरानी करते हुये IHIP प्लेटफॉर्म पर Total Outbreak-792, Event-1713 दर्ज किये गये हैं। संक्रामक बीमारियों Outbreak का जिला स्तरीय RRT दल तथा राज्य स्तरीय RRT दल द्वारा जाँच, रोकथाम एवं नियंत्रण गतिविधि संपादित की जा रही है।

कोविड-19(COVID-19)

- जनवरी 2020 से 31 मार्च 2024 तक कुल 30325468 संभावित रोगियों के सैम्पलों की जाँच की गई जिसमें कोविड-19 महामारी के कुल 1056732 पॉजिटिव प्रकरण पाये गये, जिनमें 1045946 कोविड-19 रोगी स्वस्थ हुये तथा 10786 रोगियों की मृत्यु हुई। वर्तमान में 01 एक्टिव प्रकरण है।
- राज्य में कोविड-19 वायरस के वेरियंट का पता लगाने के लिये कुल 10248 सैम्पलों की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है जिसमें वेरियंट ऑफ कनसर्न-1964, डेल्टा प्लस म्यूटेशन-14, यूके स्ट्रेन (Alpha)-79, ट्रिपलम्यूटेशन (Delta)-731, ओमीकॉन-1106, XBB.1.16 -02 JN.1-32 पाये गये हैं।
- कोविड-19 पॉजिटिव प्रकरण को Whole Genome Sequencing (WGS) सैम्पलिंग द्वारा उच्च स्तरीय लैब में भेजकर कोविड-19 के वायरस के म्यूटेशन की पहचान कर आवश्यक रोकथाम एवं उपचार प्रोटोकॉल के अनुसार करवाया जा रहा है।

।। जन भागीदारी से प्रदेश को स्वस्थ बनायें।।

आपदा प्रबंधन/लोक स्वास्थ्य

वर्षा ऋतु प्रारंभ होने के पूर्व में फैलने वाली संक्रामक बीमारियों एवं महामारी नियंत्रण के संबंध में दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। जो निम्नानुसार हैं -

1. अतिवृष्टि अथवा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जन स्वास्थ्य की दृष्टि से निर्देश जारी किये गये।
2. अतिवृष्टि से होने वाली बीमारियों की रोकथाम व उपचार हेतु ए.एन.एम. आशा कार्यकर्ता आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं स्वयं सेवी संस्थाओं से सहभागिता सुनिश्चित कर संक्रामक रोगों के उपचार की व्यवस्था एवं जिलों में संक्रामक रोगों को फैलने से रोकने हेतु स्वच्छता संबंधी विशेष प्रचार-प्रसार अभियान जैसे - साफ-पानी, साफ-हाथ रखे गये। आशा कार्यकर्ताओं द्वारा पेयजल शुद्धिकरण हेतु औषधियाँ एवं ब्लीचिंग पाउडर, जीवन रक्षक घोल (ओ.आर.एस.) क्लोरीन की गोलियाँ, पैरासिटामोल की गोलियाँ, मैट्रोजिल की गोलियाँ उपलब्ध कराई गई हैं।
3. राज्य के जल जनित तथा वेक्टर बोरन बीमारियां फैलने की संभावना वाले 4649 समस्या मूलक ग्रामों में 4100 दुर्गम क्षेत्र चिह्नित किये हैं। इन गांवों/क्षेत्रों में संक्रामक रोग हैजा, टाइफाइड, वेक्टर जनित विभिन्न रोग जैसे- मलेरिया, डेंगू, चिकुनगुनिया, डायरिया, आंत्रशोथ कालरा एवं पीलिया के फैलने का जोखिम बढ़ जाता है। उक्त बीमारियों के प्रभावी रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु राज्य स्तर में निर्देश जारी किये गये।
4. वर्षा के कारण पानी के प्रदूषित हो जाने के फलस्वरूप जल जन्य /संक्रामक बीमारियों के फैलने की संभावना बढ़ जाती है। इन बीमारियों के नियंत्रण हेतु राज्य स्तर से संबंधित जिलों को निर्देश जारी किये गये।
5. आपदा प्रबंधन विषय पर क्षमता वृद्धि हेतु जिलेवार क्यू एम.आर.टी टीम गठन में नियमानुसार सदस्य होते हैं - नोडल आफीसर, पी.जी.एम. सर्जरी (ऑर्थो) दो मेडिकल आफीसर, एक ड्रेसर एवं एक सपोर्ट स्टाफ। आपदा प्रबंधन में आपदा की स्थिति में बचाव हेतु प्रत्येक जिले में एक आपदा प्रबंधन नोडल अधिकारी नामांकित किया गया है।
6. समस्त जिलों में कंट्रोल रूम स्थापित कर विभिन्न विभाग जैसे- वन, पुलिस, लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी, राजस्व, मौसम विभाग एवं शिक्षा आदि से सहयोग स्थापित कर बाढ़ ग्रस्त जिलों के इलाकों में महामारी नियंत्रण की व्यवस्था की गई।
7. आकाशीय बिजली, तूफान आदि प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों हेतु आपातकालीन सेवाओं का विशिष्ट कार्य योजना बनाकर जिले के समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देशित किया गया।
8. शीत ऋतु में शीत लहर की वजह से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ उत्पन्न हो सकती है। शीत ऋतु में शीत लहर के फलस्वरूप विभिन्न प्रकार की बीमारियों की संभावना अधिक बढ़ जाती है जैसे- फ्लू चलना, सर्दी, खांसी जुकाम आदि है। अतः शीत घात (शीत-लहर) से बचाव हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गये।
9. प्रदेश में अचानक कोई प्राकृतिक आपदा आने की स्थिति को देखते हुये जैसे - अग्नि, सूखा, भूकंप एवं रसायनिक आदि प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों हेतु आपातकालीन सेवाओं का विशिष्ट कार्य योजना बनाकर जिले के समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देशित किया गया।
10. राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भोपाल के सहयोग से निर्धारित तिथि अनुसार चार चिकित्सा अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण में चिकित्सा अधिकारी, पैरामेडिकल स्टाफ एवं इंजीनियर्स आदि को प्रशिक्षण दिया जाता है। सिस्टम के माध्यम से सूचना तंत्र का सुदृढीकरण एवं प्रचार-प्रसार की गतिविधियां हैं।

11. व्ही.आई.पी. भ्रमण के समय आवश्यक चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु आवश्यक निर्देश प्रसारित किये गये।
12. संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें में घटित दुर्घटना दिनांक 12-6-2023 के पश्चात राज्य आपदा राहत कोष से प्रतिपूर्ति प्राप्त करने विषयक।
13. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा आपदा से निपटने हेतु क्षमता वर्धन विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम किये गये।
14. जन समुदाय को शीत लहर (शीतघात) के प्रकोप से बचाव हेतु एडवायजरी।
15. बीना बहुउद्देशीय परियोजना के डूब क्षेत्र में शासकीय निर्माण कार्य। तारांकित प्रश्न क्र. 1241 श्री देवेन्द्र पटेल।
16. प्रदेश में महामारी रोकने हेतु निर्देश।
17. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का प्रकरण क्रमांक 532/90/01/2023 दिनांक 06/11/2023 Failure of Governments to ensure physical fitness and mental health of police personnel in India के संबंध में।

।। जीवन है सबका अनमोल, दस्त में लें जिक एवं ओ.आर.एस. का घोल।।

सूचना शिक्षा संचार गतिविधियां

राज्य स्वास्थ्य सूचना शिक्षा संचार ब्यूरो द्वारा स्वास्थ्य कार्यक्रमों, स्वास्थ्य योजनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु प्रदेश में सूचना शिक्षा संचार गतिविधियों का नियोजन, पर्यवेक्षण व संचालन किया जाता है। विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों एवं कार्यक्रम अधिकारियों के समन्वय से राज्य स्तर की आईईसी गतिविधियां संचालित की जाती हैं।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के स्वीकृत आरओपी अंतर्गत उपलब्ध बजट से केन्द्र प्रवर्तित योजनाएँ एवं विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों की जानकारी जनसामान्य को दिए जाने हेतु राज्य स्तर से आईईसी गतिविधियां जैसे प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन एवं प्रेस विज्ञप्ति का प्रकाशन, आकाशवाणी एवं निजी एफ.एम. चैनल्स से जिंगल्स का प्रसारण, सजीव फोन-इन कार्यक्रम, बातें सेहत की, स्वास्थ्य दर्पण, प्रमुख क्षेत्रीय समाचार चैनल्स पर स्कॉल का प्रसारण किया गया। सोशल मीडिया फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की जानकारी जनसामान्य को दिये जाने हेतु निरंतर संदेश अपलोड किये जा रहे हैं ताकि अधिकाधिक लोगों तक जानकारी पहुंचा कर स्वस्थ प्रदेश की परिकल्पना को साकार किया जा सके। प्रमुख रूप से निम्नलिखित प्रचार-प्रसार गतिविधियां की गई हैं:-

- कार्यशाला का आयोजन** - जिला मीडिया अधिकारी एवं प्रभारी जिला मीडिया अधिकारियों को विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों की अद्यतन जानकारी दिये जाने हेतु एवं जिला स्तर पर की गई आईईसी गतिविधियों की समीक्षा किये जाने के लिए राज्य स्तर पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में प्रत्येक जिला स्तर पर फेसबुक व ट्विटर को कैसे हैंडल करें के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया। प्रत्येक जिले के फेसबुक व ट्विटर के एकाउन्ट बनवाये गये और प्रचार-प्रसार हेतु नियमित पोस्ट अपलोड करने का भी प्रशिक्षण दिया गया।
- प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन का प्रकाशन** - समय-समय पर विभिन्न स्वास्थ्य दिवसों पर स्वास्थ्य योजनाओं/स्वास्थ्य कार्यक्रमों की जानकारी जनसामान्य तक पहुंचाने के लिए प्रदेश के प्रमुख समाचार पत्रों में 5 अप्रैल 2023 को मुरैना जिले में भूमि पूजन लोकार्पण के संबंध में 5 एवं 6 अप्रैल 2023 को, 19 अप्रैल 2023 एवं 6 जून 2023 कैलाश नाथ काटजू अस्पताल में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य आधारित सेवाओं की जानकारी दिये जाने संबंधी एवं 20 अक्टूबर 2023 को डेंगू नियंत्रण कार्यक्रम विषय पर रंगीन विज्ञापन का प्रकाशन करवाये गये।
- समाचार पत्रों में प्रेस विज्ञप्ति का प्रकाशन** - प्रदेश के प्रमुख समाचार पत्रों में समय-समय पर विभाग से संबंधित स्वास्थ्य कार्यक्रमों, स्वास्थ्य योजनाओं एवं स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों आदि की जानकारी जनसामान्य को देने के उद्देश्य से स्वास्थ्य संबंधी प्रेस विज्ञप्ति का प्रकाशन करवाया गया।
- आमंत्रण पत्र** - 27 जून 2023 को राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया के शुभारंभ के अवसर पर आमंत्रण कार्ड मय लिफाफा के आकल्पन कर तैयार कर वितरण करवाये।
- आकाशवाणी से कार्यक्रमों का नियमित प्रसारण** -
 - जिंगल्स का प्रसारण** - आकाशवाणी एवं निजी एफ.एम. चैनल्स से विटामिन ए अनुपूरण अभियान, एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम पर जिंगल्स का प्रसारण करवाया गया।
 - जिंगल्स का निर्माण** - राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की जानकारी जनसामान्य तक पहुंचाये जाने/प्रभावी क्रियान्वयन हेतु 120 सेकेण्ड के एक जिंगल का निर्माण करवाया गया।
 - सजीव फोन-इन कार्यक्रम** - 2 अगस्त 2022 विश्व स्तनपान सप्ताह के अवसर पर आकाशवाणी से सजीव फोन-इन कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें आकाशवाणी के श्रोताओं द्वारा पूछे गए कार्यक्रम से संबंधित जानकारी, भ्रांतियों आदि सवालों की जानकारी विषय विशेषज्ञों द्वारा दी गई।
 - बातें सेहत की** - आकाशवाणी से साप्ताहिक कार्यक्रम "बातें सेहत की" कार्यक्रम का प्रसारण करवाया गया। जिसमें राज्य स्तर से विषय विशेषज्ञों द्वारा एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम, फाइलेरिया विषय पर जानकारी दी गई।
 - स्वास्थ्य दर्पण** - आकाशवाणी से फाइलेरिया विषय पर साप्ताहिक कार्यक्रम "स्वास्थ्य दर्पण" का प्रसारण करवाया गया है।
 - आकाशवाणी से टॉक शो** - आकाशवाणी से एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम विषय पर टॉक शो कार्यक्रम आयोजित किया गया।

6. **प्रमुख क्षेत्रीय समाचार चैनल्स पर स्कॉल का प्रसारण** - विटामिन ए अनुपूरण अभियान विषय पर प्रमुख क्षेत्रीय समाचार चैनल्स पर जनसामान्य को जानकारी देने के उद्देश्य से स्कॉल प्रदर्शन करवाया गया।
7. **वन्या प्रकाशन से जिंगल का प्रसारण** - वन्या प्रकाशन से क्षेत्रीय भाषाओं में जिंगल का रूपांतरण करवाकर एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम विषय पर जिंगल का प्रसारण करवाया गया।
8. **फिल्म का निर्माण** -
 - राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन विषय पर 5 से 15 मिनट अवधि की विभागीय फिल्म का निर्माण करवाया गया।
 - भ्रूण लिंग परीक्षण एवं लिंग चयन आधारित गर्भपात कानूनन अपराध है की जानकारी जन-जन तक पहुंचाये जाने हेतु पी.सी.पी.एन.डी.टी. विषय पर 3 मिनट अवधि की एक फिल्म का निर्माण करवाया गया है।
9. **पोस्टर मुद्रण** - राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन एवं राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के अतिरिक्त चरण, एनीमिया, डायरिया, दस्तक अभियान, नेत्र परीक्षण, सिकल सेल इत्यादि के क्यूकार्ड/लीफलेट, पी.सी.पी.एन.डी.टी. एवं मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना के विषय के पोस्टरों का मुद्रण करवाया गया।
10. **बैनर मुद्रण** - राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान, मलेरिया, सघन मिशन इन्द्रधनुष 5.0 अभियान, पी.सी.पी.एन.डी.टी. विषय पर बैनर का मुद्रण कराया गया।
11. राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन विषय पर प्रदेश के 8 जिलों (रीवा, छतरपुर, कटनी, उमरिया, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी एवं दतिया) की स्वास्थ्य संस्थाओं में विभागीय होर्डिंग्स पर फ्लेक्स परिवर्तन करवाया गया।
12. **दीवार लेखन**- मलेरिया से बचाव संबंधी संदेशों की डिजिटल वॉल पेंटिंग करवाई गई।
13. **बुकलेट मुद्रण** - स्वास्थ्य की आशा सर्वाइकल कैंसर पुस्तिका एवं संपूर्ण स्वास्थ्य की पहल बुकलेट, ट्रायबल हेल्थ बुकलेट, मध्यप्रदेश सिविल सेवा चिकित्सा परिचर्या नियम 2022 पुस्तक का मुद्रण करवाया गया।
14. **मीडिया कार्यशाला** - मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (फाइलेरिया) के शुभारंभ के अवसर पर मीडियाकर्मियों को आमंत्रित कर कार्यशाला का आयोजन किया गया।
15. **सोशल मीडिया** - फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से स्वास्थ्य योजनाओं एवं स्वास्थ्य कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार किया गया। मौसमी बीमारियों के लक्षण, बचाव के बारे में जानकारी दी गई।
16. **अभियानों का सघन प्रचार-प्रसार** - प्रदेश में टीकाकरण अभियान, दस्तक अभियान संचालित किये गये। अभियान के अंतर्गत दी जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी जनसामान्य तक पहुंचाने के उद्देश्य से विभिन्न प्रचार माध्यमों का उपयोग करते हुये सघन प्रचार-प्रसार गतिविधियाँ राज्य स्तर से ग्राम स्तर तक आयोजित की गई।
17. **मौसमी बीमारियों की रोकथाम हेतु प्रचार-प्रसार** - मौसमी बीमारियों जैसे- मलेरिया, डेंगू, आदि के प्रकरण पाये जाने पर रोकथाम, बचाव एवं उपचार की जानकारी जनसामान्य को देने के लिये ब्यूरो द्वारा सघन प्रचार-प्रसार गतिविधियाँ आयोजित की गई।
18. **मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का प्रचार-प्रसार** - संकोच के कारण मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के विषय में व्यक्ति कम ही खुलकर बात करते हैं और इनके उपचार को महत्व नहीं देते हैं मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को आम लोगों तक पहुंचाने और उन्हें मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों पर जागरूक करने हेतु सोशल मीडिया द्वारा प्रचार-प्रसार किया जाता है।
19. **स्वास्थ्य मेले का आयोजन:-** आयुष्मान भव: स्वास्थ्य मेले का आयोजन मध्यप्रदेश में जिला स्तर से विकासखण्ड स्तर तक किया गया। भारत सरकार द्वारा प्रायोजित आयुष्मान भव: अभियान अंतर्गत जिला स्वास्थ्य समिति के सौजन्य से प्रमुख खण्ड चिकित्सा अधिकारी एवं गांधी मेडिकल कॉलेज के विशेषज्ञों चिकित्सकों द्वारा पीड़ितों के उपचार हेतु ब्लाक स्तरीय निःशुल्क स्वास्थ्य मेले आयोजित किये गये।

।। सभी स्वास्थ्य योजनाओं का जो करे प्रचार, वही है सूचना शिक्षा और संचार।।

केन्द्र प्रवर्तित योजनाएँ / कार्यक्रम

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

1. बजट (वित्तीय प्रावधान)
2. मानव संसाधन
3. मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम
4. शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम
5. शिशु एवं बाल पोषण कार्यक्रम
6. राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम
7. परिवार कल्याण कार्यक्रम
8. राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम
9. आशा कार्यक्रम
10. एकीकृत रेफरल ट्रांसपोर्ट योजना
11. राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन
12. क्वालिटी एश्योरेन्स
13. कायाकल्प अभियान
14. राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम
15. शीत श्रृंखला
16. राष्ट्रीय वैक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम
17. राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम
18. राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम
19. राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम
20. राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम
21. राष्ट्रीय ओरल हेल्थ कार्यक्रम
22. राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम
23. राष्ट्रीय फ्लोरोसिस नियंत्रण एवं रोकथाम कार्यक्रम
24. राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम
25. राष्ट्रीय सर्पदंश नियंत्रण कार्यक्रम
26. राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम
27. राष्ट्रीय असंचारी नियंत्रण एवं रोकथाम कार्यक्रम
28. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम
29. राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम
30. राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन एवं मानव स्वास्थ्य कार्यक्रम
31. राष्ट्रीय सिकल सेल उन्मूलन कार्यक्रम
32. आयुष्मान भारत निरामयम् मध्यप्रदेश
33. हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर मध्यप्रदेश आरोग्यम्
34. मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

बजट

वर्ष	रिसोर्स एन्वेलप	प्रारंभिक शेष	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल राशि	वार्षिक व्यय	प्रतिशत (प्राप्त राशि के विरुद्ध)
2018-19	2985.61	588.55	865.70	730.46	2184.71	1896.25	86.80
2019-20	2710.30	244.20	1447.18	1345.58	3036.96	2327.67	76.64
2020-21	3173.20	727.26	1359.92	1179.46	3266.64	2667.73	81.67
2021-22	3700.15	719.48	1455.99	972.88	3148.35	2893.19	91.90
2022-23	3844.34	1317.26	1473.62	1236.04	4026.92	3604.00	89.50
2023-24	3995.75	1668.94	1785.44	1650.35	5104.73	4278.42	83.81

मानव संसाधन

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश अन्तर्गत संविदा नियुक्तियों का पदवार विवरण

वर्ष 01/01/2023 से 31/03/2024 तक

क्र	पदनाम	01/0/2023 से 31/03/2024 तक की गई संविदा नियुक्तियों	31/03/2024 तक कार्यरत संविदा कर्मचारियों की जानकारी
1	Medical Officer	790	1929
2	PGMO'S	69	341
3	District CPHC Consultant	31	40
4	District Quality Monitor	37	39
5	Feeding demonstrator	18	295
6	STS	18	283
7	Divisional Bio Medical Engineer	09	14
8	Civil Engineer	55	76
Total		1027	3017

।। जनभागीदारी से प्रदेश को स्वस्थ बनायें।।

मातृ स्वास्थ्य

प्रस्तावना

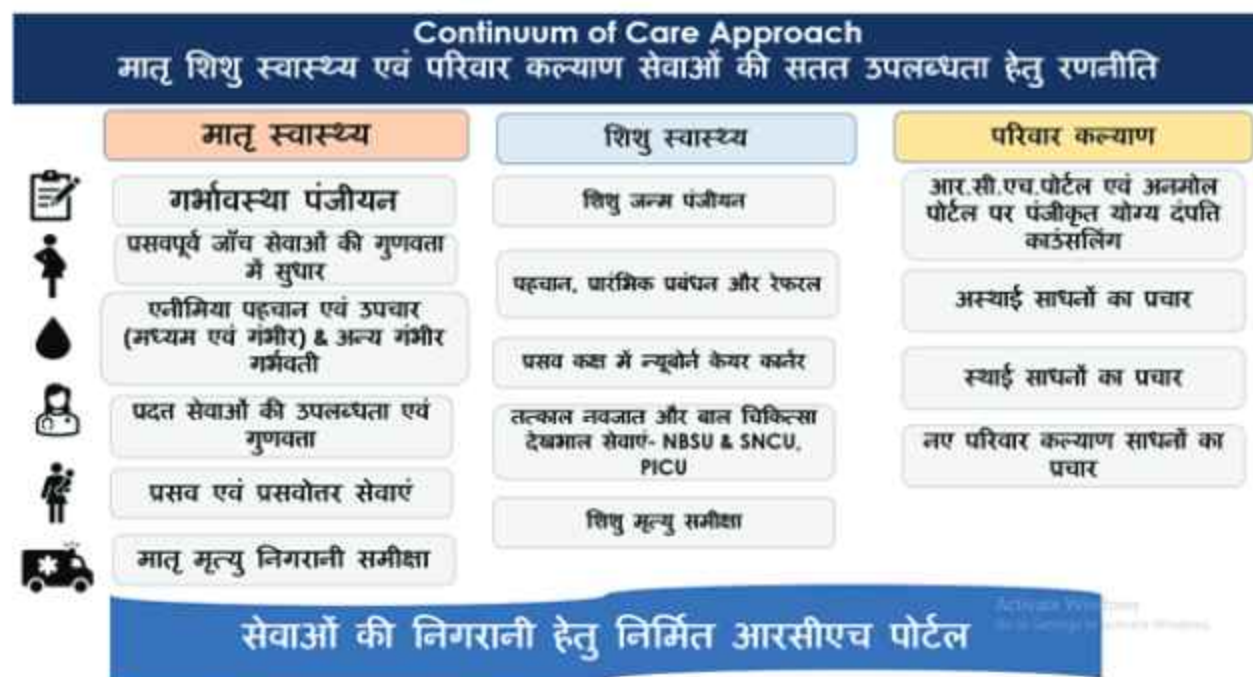
मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है और इसकी शहरी, ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में विविध आबादी रहती है। मध्य प्रदेश सरकार सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। विशेष रूप से मातृ स्वास्थ्य की स्थिति में विगत 10 वर्षों में सुधार परिलक्षित होता है किंतु राष्ट्रीय औसत 97 प्रति लाख जीवित जन्म (SRS-18-20) तक कम करने हेतु शासन द्वारा अथक प्रयास किये जा रहे हैं।

राष्ट्रीय फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार मातृ स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति निम्नानुसार परिलक्षित है:-



Source- NFHS 5 (2019-21)

रणनीति:- मातृ मृत्यु दर (वर्तमान में 173 प्रतिलाख जीवित जन्म) को कम करने हेतु Continuum of care approach के तहत निम्नलिखित प्रयास किये जा रहे हैं।



गतिविधियां-

मातृ स्वास्थ्य अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियां एवं योजनाओं का संचालन किया जा रहा है -

1. प्रसव पूर्व जांच में गुणवत्ता (एएनसी)- गर्भवती महिलाओं की जांच सेवाओं को सुदृढ़ करना
2. ईपीएमएसएमए (विस्तारित प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान)/एचआरपी क्लीनिक
3. एनीमिया प्रबंधन- महिलाओं में एनीमिया की रोकथाम एवं उपचार
4. जेस्टेशनल डायबिटीज मेलआईटिस (जीडीएम) की स्क्रीनिंग
5. डिलेवरी पॉइंट सुदृढ़ीकरण- संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करने हेतु प्रसव केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण
6. सीमांक (एफआरयू)- 24 घण्टे सीजेरियन सेक्शन करने हेतु एफ.आर.यू. की क्रियाशीलता
7. आयुष्मान भारत- निजी स्वास्थ्य संस्थाओं में जटिल गर्भावस्था एवं प्रसव प्रबंधन,
8. ऑब्स्टेट्रिक आईसीयू- आपातकालीन प्रसूति सेवाओं की उपलब्धता
9. लक्ष्य- गुणवत्ता के मानकों के आधार पर लेबर रूम एवं ओ.टी. का प्रमाणीकरण
10. बर्थ वेटिंग होम- पहुंचविहीन क्षेत्र एवं उच्च जोखिम के लक्षण वाली गर्भवती महिलाओं हेतु विशेष सुविधा प्रदान कर संस्थागत प्रसव हेतु प्रोत्साहन।
11. जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम- इसके अंतर्गत (जे.एस.एस.के.) निःशुल्क उपकरण, सामग्री, औषधि, भोजन, प्रयोगशाला जांचें, यू.एस.जी., रक्ताधान एवं निःशुल्क परिवहन की सुविधा
12. प्रसूति सहायता योजना (एमएमएसपीएसवाय) एवं जननी सुरक्षा योजना (जे.एस.वाय.)- प्रसव पूर्व जांच एवं संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करने हेतु वित्तीय सहायता
13. सुमन कार्यक्रम- राज्य स्तरीय इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर तथा जिला स्तरीय सुमन हेल्प डेस्क (आईसीसीसी एवं सुमन हेल्प डेस्क)
14. मातृ मृत्यु समीक्षा प्रणाली- समीक्षा में चिन्हित कमियों को दूर कर सेवाओं का बेहतर प्रबंधन
15. फ़ैमिली केयरगिविंग काउन्सलिंग- परिजन/सहयोगी हेतु मातृ एवं नवजात देखभाल कार्यक्रम
16. स्किल लैब, दक्षता एवं SBA प्रशिक्षण- स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के कौशल का उन्नयन
17. सुरक्षित गर्भपात सेवाएँ
18. नर्सिंग मेंटर द्वारा संस्था एवं समुदाय स्तरीय सेवाओं का सपोर्टिव सुपरविजन

प्रसवपूर्व देखभाल

- प्रदेश में गर्भवती महिलाओं का प्रथम तिमाही पंजीकरण में सुधार हुआ है, प्रथम तिमाही पंजीकरण 73.6% (सोर्स:- अनमोल लाइन लिस्ट-रजिस्ट्रेशन डेटा अप्रैल 2022- मार्च 2023) से बढ़कर 83% (सोर्स:- अनमोल लाइन लिस्ट-रजिस्ट्रेशन डेटा अप्रैल 2023- मार्च 2024) हो गया है।

ई-पीएमएसएमए (विस्तारित प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान) -

प्रत्येक माह की 9 तथा 25 तारीख को सभी गर्भवती महिलाओं की PMSMA अंतर्गत चिकित्सक द्वारा जाँच की जा रही है तथा हाई रिस्क का चिन्हांकन कर उनकी तीन अतिरिक्त प्रसव पूर्व जांच समीपस्थ स्वास्थ्य संस्था में की जा रही है। अभियान अंतर्गत प्रदेश के 595 स्वास्थ्य संस्थाओं (DH, CH, CHC UPHC) पर अभियान का आयोजन किया जा रहा है तथा सभी गर्भवती महिलाओं की स्क्रीनिंग, विशेषज्ञों द्वारा परामर्श, प्रयोगशाला जांचें, दवाईयों का वितरण एवं उपचार निःशुल्क प्रदान किया जा रहा है। भारत सरकार तथा राज्य द्वारा नियमित समीक्षा की जाती है।

उक्त अभियान अंतर्गत आशा को निम्नानुसार प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया है-

- » हाई रिस्क गर्भवती महिला को एनसी जांच के लिए साथ में PMSMA Clinic /HRP Clinic लाने पर रुपये 100/-प्रति विजिट तथा 3 विजिट हेतु रुपये 300/- का प्रावधान किया गया है।
- » आशा कार्यकर्ता को चिन्हांकित गर्भवती महिलाओं के सुरक्षित प्रसव होने के 45 दिवस के पश्चात जच्चा-बच्चा स्वस्थ होने पर रुपये 500/-का प्रावधान किया गया है।

उपलब्धि- e-PMSMA कार्यक्रम अंतर्गत माह अप्रैल से मार्च 2024 तक कुल 3,17,000 गर्भवती महिलाओं की जांच की गयी तथा 1,37,000 हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं का चिन्हांकन कर विशेषज्ञ द्वारा उपचार प्रदान किया गया।

- **महिलाओं में एनीमिया की रोकथाम एवं उपचार-** एनीमिया मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं में एनीमिया की रोकथाम एवं उपचार हेतु उप स्वास्थ्य केन्द्र स्तर तक इंजेक्शन आयरन सुक्रोज सीएचओ के माध्यम से लगाया जा रहा है। साथ ही अधिक प्रसव वाली संस्थाओं में इंजेक्शन एफसीएम गर्भवस्था के दौरान तथा प्रसवोत्तर एनीमिया प्रबंधन हेतु उपयोग किया जा रहा है। वर्ष 2023-24 में माह मार्च 24 तक कुल 348000 महिलाओं को FCM दिया गया।



गर्भवती महिलाओं में एनीमिया की सही जांच एवं उपचार तथा प्रबंधन हेतु मध्यप्रदेश शासन द्वारा जिलों को उप स्वास्थ्य केन्द्र स्तर तक 19424 स्ट्रिप आधारित डिजिटल हीमोग्लोबिनोमीटर प्रदाय किये गये हैं। समुदाय एवं संस्था स्तर पर एनीमिया की रोकथाम हेतु 16 लाख गर्भवती महिलाओं की जांच एवं हीमोग्लोबिन स्तर के आधार पर उपचार किया जा रहा है। चिन्हांकित 2.72 लाख एनीमिक गर्भवती महिलाओं को उपचार प्रदान किया गया तथा आरसीएच पोर्टल एवं सुमन हेल्प डेस्क के माध्यम से एनीमिक गर्भवती महिलाओं की नियमित ट्रेकिंग एवं मॉनीटरिंग की जा रही है। 23 उच्च प्राथमिकता वाले जिलों में गर्भवती महिलाओं को फेरस एसकॉर्बेट टेबलेट प्रदान की जा रही है। प्रदेश के 17 उच्च प्राथमिकता वाले जिलों के 91 विकासखण्डों में तथा 89 आदिवासी विकासखण्डों में एनीमिया की कमी को दूर करने के लिए DFS का वितरण किया जा रहा है। वर्ष 2023-24 में 39631.782 मैट्रिक टन DFS का वितरण किया गया।

प्रसव दौरान देखभाल

- वर्ष अप्रैल 2023 और मार्च 2024 के बीच, कुल 13,36,000 प्रसव प्रतिवेदित हुए। जिसमें 1093641 संस्थागत प्रसव प्रतिवेदित। (सोर्स : एच.एम.आई.एस.)

हाई रिस्क पी.एन.सी. का चिन्हांकन उपचार, फालोअप तथा आशा प्रोत्साहन राशि -

समुदाय स्तर पर आशा के द्वारा एच.बी.एन.सी. कार्यक्रम के अंतर्गत गृह भेंट के दौरान लक्षणों के आधार पर हाईरिस्क लक्षणों का चिन्हांकन कर उपचार के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सक द्वारा जांच हेतु प्रशिक्षित किया गया है। हाईरिस्क महिलाओं के चिन्हांकन रेफरल तथा उपचार के लिये रुपये 250/- प्रति हाई रिस्क महिला का प्रावधान किया गया है। अप्रैल से मार्च 24 तक प्रसव पश्चात 12000 हाई रिस्क महिलाओं का चिकित्सक द्वारा उपचार प्रदान कराते हुये फॉलोअप किया गया।

- **डिलेवरी पॉइंट -** प्रदेश की शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में संस्थागत प्रसव को बढ़ाने के उद्देश्य से 1743 स्वास्थ्य संस्थाओं को डिलेवरी पॉइंट के रूप में चिन्हांकित किया गया है, जिससे गर्भवती महिलाओं को 24 x 7 गुणवत्तापूर्ण प्रसव सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। वर्ष 2022-23 में 1613 डिलेवरी पॉइंट थे जिनमें बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने हेतु वृद्धि कर वर्तमान में 1743 स्वास्थ्य संस्थाओं को डिलेवरी पॉइंट के रूप में चिन्हित किया गया है, डिलेवरी पॉइंट अंतर्गत समस्त जिला चिकित्सालय, समस्त सिविल अस्पताल, समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चिन्हित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं चिन्हित उप स्वास्थ्य केन्द्र सम्मिलित है।

- सीमांक संस्थाएँ (एफआरयू)-** प्रदेश की स्वास्थ्य संस्थाओं में 24 घंटे आपातकालीन प्रसूति सेवाएँ तथा सिजेरियन ऑपरेशन की सुविधा प्रदान कराने के उद्देश्य से 147 स्वास्थ्य संस्थाओं को सीमांक (एफआरयू) के रूप में चिन्हांकित किया गया है। सीमांक के रूप में चिन्हित स्वास्थ्य संस्थाओं में स्त्री रोग, निश्चेतना एवं शिशु रोग विशेषज्ञों की पूर्ति कर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराई जा रही है। सीमांक संस्थाओं में निर्बाध्य रूप से सेवाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों की सेवाएँ भी हायरिंग के माध्यम से ली जा रही है।
- आयुष्मान भारत- “निरामयम”** योजनांतर्गत संबद्ध निजी चिकित्सालयों में पात्र हितग्राहियों को उच्च जोखिम गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एसएनसीयू की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश के 23 जिलों की 29 निजी चिकित्सालयों एवं 09 निजी मेडिकल कॉलेज को जटिल गर्भावस्था एवं प्रसव हेतु चिन्हांकित किया गया है।
- ऑब्स्टेट्रिक आईसीयू-** गंभीर जटिलता वाली महिलाओं के प्रसव पूर्व एवं प्रसव पश्चात प्रबंधन हेतु प्रदेश के 5 मेडिकल कॉलेज एवं 35 जिला चिकित्सालयों में आब्स्टेट्रिक आई.सी.यू./एच.डी.यू. संचालित हैं। वर्ष 2023-24 में प्रदेश में संचालित आब्स्टेट्रिक आईसीयू/एचडीयू में कुल 9500 से अधिक गंभीर जटिलताओं वाली गर्भवती महिलाओं का प्रबंधन किया गया है।
- लक्ष्य-** इस कार्यक्रम के माध्यम से मेटरनिटी की ओ.टी एवं लेबर रूम तथा यहां दी जा रही सेवाओं की गुणवत्ता को विकसित करने के उद्देश्य से राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणीकरण द्वारा मानक गुणवत्ता सुनिश्चित की जा रही है। लक्ष्य कार्यक्रम अंतर्गत 303 लेबर रूम एवं 80 ओ.टी. को चिन्हांकित किया गया है। वर्तमान में कुल 303 में से 131 लेबर रूम तथा 80 ओ.टी. में से 48 ओ.टी. को राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणीकृत किया गया है।
- मुख्यमंत्री श्रमिक प्रसूति सहायता योजना-** असंगठित एवं संगठित क्षेत्रों के परिवारों की गर्भवती महिलाओं को मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजनांतर्गत 1 जुलाई 2022 से आंशिक संशोधन किया गया है जिसके अंतर्गत गर्भावस्था के प्रथम त्रैमास में पंजीकरण कराने वाली गर्भवती महिला को राशि रु 4000/- का भुगतान किया जाता है। तदुपरांत संस्थागत प्रसव कराने पर शेष राशि का भुगतान यथावत किया जाता है। वर्ष 2023-24 में माह मार्च 24 तक योजनान्तर्गत कुल राशि रु. 508.92 करोड़ का भुगतान किया गया।
- जननी सुरक्षा योजना-** योजनांतर्गत शासकीय अस्पताल में प्रसव कराने वाली ग्रामीण क्षेत्र की महिला को राशि रुपये 1400/- एवं शहरी क्षेत्र की महिला को रुपये 1000/- की आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान है, इसके अतिरिक्त घर पर प्रसव होने पर गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को 500/- राशि की आर्थिक सहायता का प्रावधान है। वर्ष 2023-24 में माह मार्च 2024 तक कुल राशि रु. 134.50 करोड़ का भुगतान e-vitt के माध्यम से योजनान्तर्गत किया गया।
- सुमन कार्यक्रम-** निःशुल्क एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं का आश्वासन और किसी भी महिला और नवजात शिशु को सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा में सेवाओं की निश्चित उपलब्धता, ताकि सभी रोगी जा सकने वाली मातृ और नवजात मृत्यु और रुग्णता को समाप्त किया जा सके। इन उद्देश्य की पूर्ति हेतु सुमन कार्यक्रम अंतर्गत राज्य स्तरीय 20 सीटर इंडीग्रेटेड कंमाड कंट्रोल सेंटर तथा जिला स्तर पर 10 मेडिकल कॉलेज, 1 एम्स भोपाल एवं 51 जिला चिकित्सालय सहित कुल 62



फेसीलिटी में सुमन हेल्प डेस्क का संचालन कर हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं तथा बच्चों की ट्रेकिंग कर उचित समय पर प्रबंधन हेतु फॉलोअप किया जा रहा है तथा शिकायत निवारण की व्यवस्था निःशुल्क 104 हेल्प लाईन के माध्यम से प्रारंभ की गई है। वर्ष 2023-24 में माह मार्च तक कुल 1393536 हितग्राहियों को कॉल कर प्रबंधन एवं सुरक्षित प्रसव हेतु ट्रेकिंग की गई है।

- **मातृ मृत्यु समीक्षा प्रणाली-** प्रदेश में होने वाली प्रत्येक मातृ मृत्यु के कारण ज्ञात करने के उद्देश्य से मातृ मृत्यु समीक्षा राज्य, संभाग एवं जिला तथा विकासखंड स्तर पर नियमित रूप से की जा रही है। प्रत्येक संभाग में 3 या अधिक मातृ मृत्यु समीक्षा बैठक इस प्रकार कुल 26 समीक्षा बैठक एवं राज्य स्तरीय 6 समीक्षा बैठक की जा चुकी है।

- **मातृ एवं नवजात देखभाल सहयोगी कार्यक्रम-** मध्यप्रदेश के चिन्हित स्वास्थ्य संस्थाओं में गर्भवती एवं प्रसूता महिला को परिवारजनों का बेहतर सहयोग एवं संवेदनशीलता के लिये बेहतर स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यक जानकारी एवं प्रशिक्षण दिया जाता है। अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक प्रदेश में 77522 काउन्सलिंग सत्रों के द्वारा 1559290 महिलाओं एवं उनके परिवारजनों को स्वास्थ्य देखभाल की जानकारी दी गई।



क्षमता विकास (प्रशिक्षण)

- **स्किल्स लैब-** स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के तकनीकी कौशल में वृद्धि करने हेतु 7 संभाग में स्किल्स लैब संचालित है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 29 प्रशिक्षकों द्वारा 214 बैच में 2043 नर्सिंग ऑफिसर 454 चिकित्सा अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है।

- **दक्षता-** दक्षता मूलतः सेवाप्रदाताओं की क्षमता विकास हेतु रणनीतिक पहल है जिसमें लेबर रूम में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संबंधी प्रमुख जटिलताओं के लिये कुशलता एवं आत्मविश्वास निर्मित किया जाता है। जिलों में 34 बैचेस पूरे हुए एवं 510 नर्सिंग अधिकारी व मेडिकल ऑफिसर्स को प्रशिक्षित किया गया है। इस प्रकार कुल 6149 नर्सिंग स्टाफ, मेडिकल ऑफिसर, ए.एन.एम. को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

- **जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाईटस (जीडीएम)-** जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाईटस (जीडीएम)- गर्भावस्था में होने वाली डायबिटीज (जीडीएम) से माँ एवं शिशु में जटिलताएं होने का खतरा होता है, जैसे कि स्वतः गर्भपात,



GDM testing by OGTT method at VHND

अधिक रक्तशर्करा, टाईप 2 डायबिटीज, नवजात शिशुओं में सांस लेने में परेशानी इत्यादि।

जिला स्तरीय दक्षता प्रशिक्षण

जीडीएम जाँच एवं प्रबंधन 51 जिला चिकित्सालय, 128 सिविल अस्पताल, 189 सीएचसी, 892 पीएचसी, 6078 एचडब्ल्यूसी उप स्वास्थ्य केन्द्र पर प्रारंभ की जा चुकी है। इन संस्थाओं द्वारा 734931 गर्भवती महिलाओं की जाँच की गई जिसमें 30029 गर्भवती महिलाएं जीडीएम पॉजिटिव पाई गई जिनका प्रबंधन किया गया।

- **14 दिवसीय Refresher OBS USG प्रशिक्षण-** प्रदेश में निःशुल्क सोनोग्राफी सेवा प्रदायगी हेतु शासकीय संस्थाओं में पदस्थ स्त्रीरोग विशेषज्ञ/पीजीएमओ Gyn को 14 दिवसीय मेडिकल कॉलेज में सोनोग्राफी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है जिसके उपरांत प्रशिक्षित स्त्रीरोग विशेषज्ञ/पीजीएमओ Gyn द्वारा अपने पदस्थापना स्थल पर एवं अन्य संस्थाओं पर पहुंच कर गर्भवती महिलाओं की जांच के साथ निःशुल्क सोनोग्राफी सेवायें प्रदान करती हैं।
- **CAC प्रशिक्षण-** प्रदेश में सुरक्षित गर्भपात सेवाओं की पहुंच बढ़ाने हेतु 22 संस्थाओं को प्रशिक्षण केन्द्रों के रूप में चिह्नित किया गया है, जिसमें 6 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय भी सम्मिलित हैं। इन प्रशिक्षण केन्द्रों पर चिकित्सकीय तथा औषधीय माध्यम से गर्भपात सेवाएँ देने हेतु चिकित्सा अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाता है। प्रथम प्रकार की 12 दिवसीय CAC प्रशिक्षण में 2 चिकित्सा अधिकारियों एवं 2 नर्सिंग ऑफिसर के बैच को प्रशिक्षित किया जाता है जिससे वे मेडिकल मेथड ऑफ एबॉर्शन विधि का प्रयोग कर महिलाओं को सुरक्षित गर्भपात की सेवाएँ प्रदान कर सकते हैं। द्वितीय प्रकार का 3 दिवसीय MMA प्रशिक्षण जिसमें 10 चिकित्सा अधिकारियों का बैच तैयार कर प्रशिक्षित किया जाता है, इसमें चिकित्सकों को औषधियों के माध्यम से गर्भपात की सेवाएँ प्रदान करने के संबंध में प्रशिक्षित किया जाता है। माह अप्रैल से मार्च 2024 तक कुल 490 चिकित्सा अधिकारियों को सुरक्षित गर्भपात सेवाओं अंतर्गत प्रशिक्षित किया गया है।
- **एस.बी.ए प्रशिक्षण -** वित्तीय वर्ष 2023-24 में एस.बी.ए. प्रशिक्षण सामुदायिक एवं संस्था स्तर पर ANC, Intrapartum & Post Natal services की गुणवत्ता में सुधार लाने की दृष्टि से 24 जिलों के L1 PHC/SHC (डिलेवरी पार्ट) पर पदस्थ ए.एन.एम एवं सी.एच.ओ. का एस.बी.ए. प्रशिक्षण चरणबद्ध रूप से किया जा रहा है। जिसके अंतर्गत 21 दिवसीय एस.बी.ए. प्रशिक्षण में प्रथम 6 दिवसीय प्रशिक्षण स्किल्स लैब भोपाल, इंदौर, जबलपुर एवं ग्वालियर में आयोजित किये गये हैं। उसके उपरांत 15 दिवसीय प्रशिक्षण चिन्हित जिला चिकित्सालय पर किया जाता है। इस प्रकार एस.बी.ए. प्रशिक्षण में कुल 67 (43 ए.एन.एम, 22 सीएचओ, 2 नर्सिंग ऑफिसर) को प्रशिक्षित किया जा चुका है।
- **एएनएम एवं सीएचओ का एएनसी/पीएनसी प्रशिक्षण -** गर्भधारण के दौरान एवं प्रसव पश्चात सेवाओं में सुधार को दृष्टिगत रखते हुए एएनएम एवं सीएचओ हेतु 3 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें निम्नलिखित बैच सफलतापूर्वक आयोजित किये गये-
 - » राज्य के 48 जिलों में एएनएम के 278 बैच पूर्ण किए गए एवं 8340 एएनएम को प्रशिक्षित किया गया है,
 - » राज्य के 11 जिलों में सीएचओ के 20 बैच पूर्ण किए गए एवं 600 सीएचओ को प्रशिक्षित किया गया है।



आरसीएच पोर्टल द्वारा मॉनिटरिंग एवं समीक्षा -

आरसीएच पोर्टल को गर्भवती महिलाओं की गर्भावस्था में शीघ्र पहचान और सर्विस ट्रैकिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका उद्देश्य मातृ स्वास्थ्य योजनाओं एवं कार्यक्रम की बेहतर वितरण, रिपोर्टिंग एवं निगरानी करना है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में आरसीएच पोर्टल पर आधारित आरसीएच डैशबोर्ड विकसित किया गया है, इस का उपयोग राज्य, जिला और ब्लॉक अधिकारियों को कार्य योजना बनाने, निर्णय लेने, विश्लेषण करने एवं मासिक समीक्षा करने में किया जा रहा है।

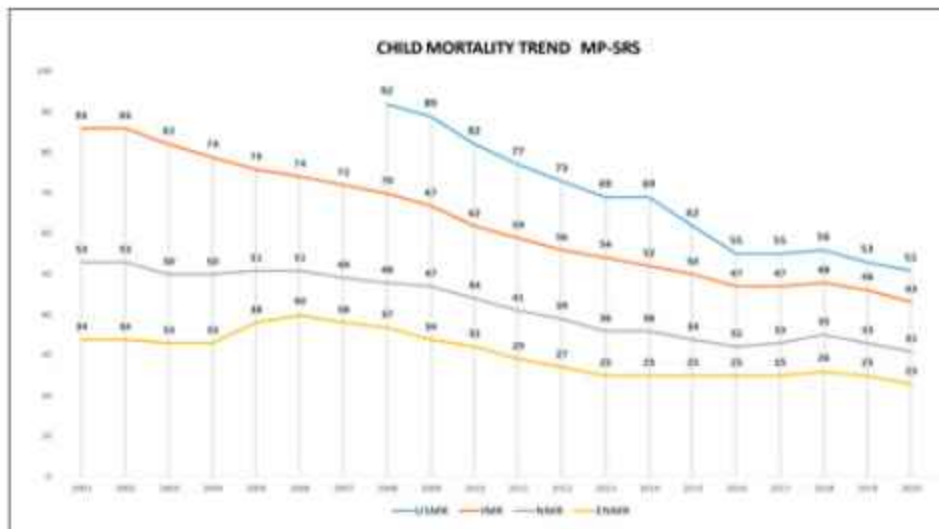
आरसीएच पोर्टल द्वारा हो रही इन समीक्षा बैठकों में क्षेत्रीय संचालक, सीएमएचओ, सिविल सर्जन, डीएचओ-1, स्त्री रोग विशेषज्ञ/एलएमओ, बीएमओ और जिला एवं ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम अधिकारियों (डीपीएम, बीपीएम) की सहभागिता सुनिश्चित की जाती है।

इंटीग्रेटेड डैशबोर्ड -

राज्य ने मातृ स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी हेतु आरसीएच पोर्टल और एचएमआईएस पोर्टल को एकीकृत कर एक इंटीग्रेटेड डैशबोर्ड तैयार किया है। इस डैशबोर्ड के माध्यम से हम एक ही प्लेटफॉर्म से मातृ स्वास्थ्य सेवाओं की ट्रैकिंग और समीक्षा कर पा रहे हैं यह डैशबोर्ड विशेष रूप से ब्लॉक, जिले के साथ-साथ राज्य स्तर पर विभिन्न संकेतकों के आधार पर योजना, प्रबंधन और निर्णय लेने में सहायता के लिए डिज़ाइन किया गया है।

शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम

प्रदेश की वर्तमान नवजात शिशु मृत्यु दर 31 प्रति हजार जीवित जन्म, शीघ्र नवजात शिशु मृत्यु दर 23 प्रति हजार जीवित जन्म, बाल मृत्यु दर 51 प्रति हजार जीवित जन्म एवं शिशु मृत्यु दर 43 प्रति हजार जीवित जन्म (स्रोत: एस.आर.एस. 2020) है।



एन.एफ.एच.एस.-5 (2019-21) डाटा अनुसार प्रदेश की नवजात शिशु मृत्यु दर 36.9 से 29, शिशु मृत्यु दर 51.2 से 41.3 एवं बाल मृत्यु दर 64.6 से 49.2 की गिरावट दर्ज की गई।

शिशु मृत्यु दर में कमी लाने हेतु प्रदेश में विभिन्न गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं, जो निम्नानुसार है:-

- नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई (एस.एन.सी.यू.)- वर्तमान में प्रदेश में 61 एस.एन.सी.यू. क्रियाशील हैं तथा प्रत्येक जिले में एक एस.एन.सी.यू. नवजात शिशुओं के उपचार हेतु स्थापित है। इन इकाईयों के माध्यम से विगत वर्ष 2022-23 में 123174 तथा वर्ष 2023-24 (अप्रैल 23 से मार्च 2024) में 131163 नवजात शिशु उपचारित किये गये।

SNCU ADMISSIONS & DEATHS SINCE 2008



- इकाईयों में विशिष्ट उपकरणों की उपलब्धता- रेडियन्ट वार्मर, फोटोथेरेपी मशीन, पल्स ऑक्सीमीटर, सी-पेप, रिससिटेशन किट, पोर्टेबल एक्सरे, ए.बी.जी.ए. मशीन, सेंद्रल ऑक्सीजन एवं पॉवर बेकअप, वेन्टीलेटर (चिह्नित इकाईयों में) इत्यादि सुनिश्चित किये गये हैं।



- **नवजात शिशु स्थिरीकरण इकाई (एन.बी.एस.यू.)-** उप जिला स्तरीय स्वास्थ्य संस्थाओं में कम वजन एवं बीमार नवजात शिशुओं के उपचार हेतु 196 एन.बी.एस.यू. क्रियाशील हैं, जिनमें विगत वर्ष 2022-23 में 33527 एवं वर्ष 2023-24 (अप्रैल 23 से मार्च 2024) में 38392 नवजात शिशुओं को सफलतापूर्वक उपचारित किया गया है।
- **न्यूबोर्न केयर कॉर्नर (एन.बी.सी.सी.)-** प्रदेश में समस्त क्रियाशील प्रसव केन्द्रों पर न्यूबोर्न केयर कॉर्नर स्थापित हैं जिनमें आवश्यक नवजात शिशु देखभाल हेतु समस्त उपकरण सामग्री तथा प्रशिक्षित स्टाफ उपलब्ध है।
- **नवजात शिशु देखभाल हेतु आशा द्वारा गृहभेंट -** नवजात शिशु की देखभाल हेतु जन्म से 28 दिन अत्यंत संवेदनशील समयावधि है। इस अवधि में शिशुओं की मृत्यु की सर्वाधिक संभावना होती है। आशा कार्यकर्ताओं द्वारा नवजात शिशुओं को गृहभेंट कर सही समय पर बीमार नवजात शिशुओं की पहचान कर प्रारंभिक उपचार करने व आवश्यकता होने पर उच्च स्वास्थ्य संस्थाओं में रेफर करने हेतु प्रशिक्षित किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत संस्थागत प्रसव में 6 गृहभेंट 3,7,14, 21,28 एवं 42 वें दिन तथा घर पर प्रसव होने पर 7 गृहभेंट जन्म के पश्चात् 1,3,7, 14,21,28 एवं 42 वें दिन आशा द्वारा दी जाती है।
- **15 माह तक के बच्चों की देखभाल हेतु आशा द्वारा गृहभेंट -** शिशु की देखभाल हेतु 3 माह से 15 माह तक की समयावधि गंभीर होती है। इस अवधि में बच्चों की शारीरिक,मानसिक एवं बौद्धिक विकास होता है। आशा कार्यकर्ता के माध्यम से बच्चों की गृहभेंट कर सही समय पर शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक की पहचान कर समय पर उपचार प्रदान किया जाता है। इसके अंतर्गत शिशु के 3,6,9 एवं 12 माह पर आशा द्वारा गृहभेंट की जाती है।
- **एस.एन.सी.यू. से डिस्चार्ज एवं कम वजन के शिशुओं का सामुदायिक अनुसरण (हाईरिस्क शिशु ट्रेकिंग)-** शिशु मृत्यु दर में कमी लाने हेतु समुदाय में आशा द्वारा 3,6,9 एवं 12 माह की आयु में 2.5 किलो ग्राम से कम जन्म वजन एवं एस. एन.सी.यू. से डिस्चार्ज किये गये शिशुओं को गृहभेंट दी जाती है। टीकाकरण,स्वच्छता,दस्त में ज़िंक/ओ.आर.एस. का प्रयोग स्तनपान,पूरक आहार तथा शिशुओं के विकास में संवाद का महत्व आदि विषयों पर जानकारी साझा की जाती है।
- **नियोनेटल हाई डिपेन्डेन्सी यूनिट (N-HDU) -** प्रदेश में नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिये नियोनेटल हाई डिपेन्डेन्सी यूनिट (N-HDU)की परिकल्पना की गई है एवं चिन्हित 25 जिला चिकित्सालयों में इस इकाई को स्थापित कर क्रियाशीलता किया जाना है। वर्तमान में 14 इकाईयाँ संचालित की जा रही हैं।
- **बाल्य गहन चिकित्सा इकाई (पी.आई.सी.यू.)-** प्रदेश के 51 जिला अस्पताल एवं 7 चिकित्सा महाविद्यालयों में बाल्य गहन चिकित्सा इकाईयाँ संचालित हैं, जिनके माध्यम से वर्ष 2023-24 (अप्रैल 2023 से मार्च 2024) में 99939 गंभीर रूप से बीमार बच्चों को उपचारित किया गया।
- **चिल्ड्रन वार्ड -** प्रदेश के समस्त जिला चिकित्सालयों में चिल्ड्रन वार्ड संचालित किये जा रहे हैं। इन वार्डों में गंभीर रूप से बीमार बच्चों को भर्ती कर उपचार निरंतर प्रदान किया जा रहा है, जिनके माध्यम से वर्ष 2023-24 (अप्रैल से मार्च 2024) में 196703 बच्चों को उपचारित किया गया।
- **सांस कार्यक्रम -** बाल्यकालीन निमोनिया 5 वर्ष तक के बच्चों में मृत्यु का एक प्रमुख कारण है जो कि वर्तमान में कुल मृत्यु का लगभग 17.5 प्रतिशत है। निमोनिया के प्रकरणों में कमी लाये जाने के उद्देश्य से 12 नवम्बर 2023 से 29 फरवरी



2024 तक अभियान संचालित किया गया। जिससे निमोनिया के प्रकरणों की पहचान, उचित देखभाल की जाकर निमोनिया से होने वाली शिशु मृत्यु में कमी लाई जा सके। निमोनिया की पहचान एवं उचित प्रबंधन हेतु वर्ष 2023-24 में कुल 6,308 मैदानी स्तरीय कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया है, जो कि अब तक कुल 10,068 मैदानी स्तरीय कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

- सघन दस्त रोग नियंत्रण पखवाड़ा (आई.डी.सी.एफ.)** - पाँच वर्ष तक के बच्चों में मृत्यु के प्रमुख कारण निमोनिया एवं दस्त रोग है। दस्त रोग के प्रकरणों में कमी लाये जाने के उद्देश्य से प्रदेश में दिनांक 18 जुलाई 2023 से 31 अगस्त 2023 तक दस्तक समाहित सघन दस्त रोग नियंत्रण पखवाड़ा का आयोजन किया गया। जिसके अंतर्गत 5 वर्ष तक के कुल 8657899 बच्चों में से 7918182 (91.5 प्रतिशत) बच्चों को निःशुल्क ओ.आर.एस. प्रदान किये गये। इस दौरान समस्त स्वास्थ्य संस्थाओं एवं ग्राम आरोग्य केन्द्रों में ओ.आर.एस. तथा ज़िंक कॉर्नर की स्थापना की गई। साथ ही पर्याप्त मात्रा में ओ.आर.एस. तथा ज़िंक की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।
- राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह National Newborn Week (NNW)**- भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार प्रदेश में दिनांक 18-23 दिसम्बर 2023 को राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह मनाया गया। जिसके अंतर्गत निम्न गतिविधियां संचालित की गई -
 - समस्त एस.एन.सी.यू., एन.बी.एस.यू., पी.एन.सी. एवं मदर वार्ड में राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह से संबंधित गतिविधियां आयोजित की गई।
 - एस.एन.सी.यू. से उपचारित हुए बच्चों के फॉलोअप हेतु पूरे सप्ताह विशेष अभियान चलाया गया।
 - आशा द्वारा प्रतिदिन जन्म से 28 दिन तक नवजात शिशु की गृहभेंट की गई।
 - संस्था पर कार्यरत चिकित्सक, नर्सिंग ऑफिसर, सी.एच.ओ. एवं ए.एन.एम. को आवश्यक नवजात शिशु देखभाल पर प्रशिक्षित किया गया।
- MusQan (मुस्कान)** - भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के सर्टीफिकेशन हेतु MusQan कार्यक्रम क्रियान्वयन किया गया, जिसके अंतर्गत वर्ष 2022-23 में 18 स्वास्थ्य संस्थाओं का राष्ट्रीय मुस्कान सर्टीफिकेशन किया जाकर देश में सर्वाधिक मुस्कान प्रमाणित संस्थाओं का कीर्तिमान स्थापित किया है। MusQan कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा NQAS प्रमाणीकरण के आधार पर स्वास्थ्य संस्थाओं में बच्चों के अनुकूल स्वास्थ्य सेवा प्रदायगी को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से गुणवत्ता मापदण्डों को शिशु स्वास्थ्य केंद्रित रूप से व्यवस्था निर्धारण हेतु नवीन कार्ययोजना है।
 - वर्ष 2023-24 में मुस्कान प्रमाणीकरण हेतु 65 संस्थाओं को चिन्हित किया गया है, इसके अंतर्गत राज्य स्तरीय 04 मुस्कान टीओटी का आयोजन कर 191 असेसर्स/प्रशिक्षकों का पूल तैयार किया गया है। वर्ष 2023-2024 में समस्त 51 जिलों व 65 संस्थाओं का प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका है।
- State New-born and Pediatric Resource Centre** - प्रदेश में संचालित एस.एन.सी.यू. एवं पी.आई.सी.यू. की गुणवत्ता में वृद्धि किये जाने हेतु गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल के शिशु रोग विभाग में State New-born and Pediatric Resource Centre की स्थापना की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य एस.एन.सी.यू. एवं पी.आई.सी.यू. में कार्यरत चिकित्सकों तथा नर्सिंग ऑफिसर की कौशल वृद्धि की जाना है, जिससे इन इकाईयों में भर्ती गंभीर रूप से बीमार बच्चों को गुणवत्तापूर्ण उपचार प्रदान किया जा सके। State New-born and Pediatric Resource Centre में PICU IMPACT प्रशिक्षण का प्रारंभ किया गया है, जिसमें कुल 4 बैच (SN-2 Batch, Doctor-2 Batch) आयोजित किये गये हैं। उक्त प्रशिक्षण में PICU में कार्यरत 71 चिकित्सकों व 76 नर्सिंग ऑफिसर्स को PGI चंडीगढ़ व राज्य प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षित किया गया। साथ ही एस.एन.सी.यू. एवं पी.आई.सी.यू. के डॉक्टर एवं नर्सिंग ऑफिसर हेतु FBNC ToT के 1 बैच 31 प्रतिभागी व FBNC प्रशिक्षण के 3 बैच 77 प्रतिभागी, IMNCI TOT 1 बैच 17 प्रतिभागी एवं Observership प्रशिक्षण के 2 बैच 16 प्रतिभागी प्रशिक्षित किये गये हैं।

- > **Observership प्रशिक्षण-** प्रदेश के एस.एन.सी.यू. एवं पी.आई.सी.यू. में कार्यरत चिकित्सक एवं नर्सिंग ऑफिसर की कौशल वृद्धि हेतु गांधी मेडिकल कॉलेज में 2 चिकित्सक व 2 नर्सिंग ऑफिसर्स का बैच 14 दिवसीय PICU Observership प्रशिक्षण हेतु PGI चंडीगढ़ भेजा गया है।
- > **संस्था आधारित नवजात शिशु देखभाल प्रशिक्षण (FBNC)-** नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई में कार्यरत 16 सेवा प्रदायकर्ताओं को कौशल वृद्धि हेतु वर्ष 2023-24 में संस्था आधारित नवजात शिशु देखभाल में 65 चिकित्सकों व 194 नर्सिंग ऑफिसर्स प्रशिक्षण प्रदाय किया गया।
- > **संस्था आधारित समेकित नवजात एवं बाल्य रोग प्रबंधन प्रशिक्षण (F-IMNCI)-** प्रदेश में शिशु रोग विशेषज्ञों की कमी को ध्यान में रखते हुए समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सिविल अस्पतालों में कार्यरत चिकित्सक तथा नर्सिंग ऑफिसर को एफ.आई.एम.एन.सी.आई. प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। वर्ष 2023-24 में 74 चिकित्सकों व 234 नर्सिंग ऑफिसर्स प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।
- > **आई.एम.एन.सी.आई. प्रशिक्षण-** बाल्य एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाये जाने हेतु पुनः आई.एम.एन.सी.आई. प्रशिक्षण का प्रारंभ किया गया, जिसमें वर्ष 2023-24 में समुदाय स्तर पर कार्यरत कुल 86 ए.एन.एम. को आई.एम.एन.सी.आई. प्रशिक्षण में प्रशिक्षित किया गया।
- **Surfactant की उपलब्धता -** समय पूर्व जन्में नवजात शिशुओं में आर.डी.एस. (Respiratory Distress Syndrome) के कारण मृत्यु की संभावना अत्यधिक रहती है। यदि इन नवजात शिशुओं को समय पर Surfactant से उपचार प्रदान किया जाये तो मृत्यु की संभावना कम हो जाती है। Surfactant की 24 X 7 उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु शासन द्वारा दर अनुबंध कर समस्त एस.एन.सी.यू. में उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।

।। छः माह तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलायें।।

शिशु एवं बाल पोषण कार्यक्रम

प्रदेश के बच्चों एवं किशोरवय समूह में स्वास्थ्य एवं पोषण को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से वर्ष 2023-24 में शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण कार्यक्रम अंतर्गत जीवन चक्र आधारित निम्न गतिविधियां संचालित की गई।

बाल कुपोषण रोकथाम रणनीति

प्रदेश में शिशु एवं बाल आहार पूर्ति व्यवहारों के बढ़ावा हेतु माँ कार्यक्रम का क्रियान्वयन - माँ कार्यक्रम अंतर्गत वर्ष 2023-24 में क्रियान्वित संस्थागत एवं सामुदायिक गतिविधियां निम्नानुसार है -

- **मातृ सहयोगिनी समूह बैठक में स्तनपान व शिशु एवं बाल आहार पूर्ति व्यवहारों पर चर्चा** - वर्ष 2023-24 में कुल 69,480 आशा कार्यकर्ताओं का विकासखण्ड स्तर पर मासिक बैठकों में स्तनपान संबंधी उन्मुखीकरण किया गया। आशाओं द्वारा 57116 मातृ सहयोगिनी समूहों का आयोजन किया गया जिसमें कुल 295709 गर्भवती व धात्री माताओं को स्तनपान संबंधी परामर्श दिया गया।
- **स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की आई.वाय.सी.एफ. परामर्श पर कौशल उन्नयन** - प्रदेश के चिन्हित जिलों में प्रसव हेतु चिन्हित स्वास्थ्य केन्द्रों पर पदस्थ पैरा-मेडिकल स्टाफ को शिशु एवं बाल आहार पूर्ति व्यवहार संबंधी परामर्श कौशल पर प्रशिक्षित किया जाता है। वर्ष 2023-24 में चिन्हित 16 जिलों में 32 चार दिवसीय आवासीय बैच आयोजित किए गए जिसमें विभिन्न डिस्ट्रिक्ट से कुल 897 स्टॉफ नर्स एवं 175 ए.एन.एम.को 4-इन-1 आय.वाय.सी.एफ. परामर्श विषय पर प्रशिक्षण दिया गया।
- **भर्ती बीमार नवजातों हेतु मातृ दुग्ध का सुरक्षित संग्रहण एवं उपयोग** - भोपाल एवं इंदौर शासकीय अस्पताल में 1-1 मातृ दुग्ध कोष (Comprehensive Lactation Management Center) सी.एल.एम.सी. स्थापित है जहां मातृ दुग्ध को सुरक्षित संग्रहण किया जाकर अस्पताल में भर्ती बीमार नवजात शिशुओं को प्रदाय किया जाता है। वर्ष 2023-24 में कुल 12919 प्रसूता माताओं को सटीक स्तनपान के तरीकों पर समझाईश देकर स्तनपान से जुड़ी समस्याओं का निदान किया गया है। कुल 6956 माताओं द्वारा लगभग 113.86 लीटर दुग्ध दान किया गया जिसमें 718 भर्ती बीमार/कमजोर नवजात शिशुओं को लाभान्वित किया जा चुका है।
- **प्रदेश में विश्व स्तनपान सप्ताह दिनांक 1-7 अगस्त 2023 के आयोजन** - इस वर्ष विश्व स्तनपान सप्ताह की थीम - "Enabling breastfeeding: making a difference for working parents" है। उक्त थीम को केन्द्रित करते हुए दिनांक 1 से 7 अगस्त, 2023 के मध्य महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ समन्वय कर जिला, विकासखण्ड एवं ग्राम स्तर पर विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गई।
- **नवाचार** - जन्म के तुरंत बाद शीघ्र स्तनपान प्रोत्साहन हेतु प्रदेश के 51 जिला अस्पतालों में वर्ष 2023-24 में कुल 108061 भर्ती धात्री माताओं को स्तनपान प्रोत्साहन प्रमाण-पत्र जारी किये गये। इस प्रकार स्तनपान प्रोत्साहन में सर्वोच्च रूप से सक्रिय परामर्श देने वाली 1609 स्टॉफ नर्सों को विभाग द्वारा लेक्चरेशन सपोर्टर के रूप में मान्यता प्रदाय की गई।



मातृ सहयोगिनी समूह बैठक का



- उपरोक्त के अतिरिक्त संस्थागत गतिविधियों में एस.एन.सी.यू., एन.बी.एस.यू. तथा एन.आर.सी. में 6 माह से छोटे शिशुओं में कुपोषण की शीघ्र पहचान कर, रोकथाम हेतु माताओं/परिवारजनों को समझाईश, स्तनपान करने में अक्षम शिशुओं को उपचार, के.एम.सी. पद्धति द्वारा हायपोथर्मिया की रोकथाम तथा स्तनपान प्रोत्साहन परामर्श कौशल दिया जा रहा है। साथ ही समुदाय स्तर पर ई-एच.बी.वाय.सी. मॉड्यूल का उपयोग कर समस्त आशाओं को चरणबद्ध रूप से शिशु की देखभाल एवं उचित आहारपूर्ति व्यवहारों पर परामर्श कौशल दिया जा रहा है।



SNCU में भर्ती बच्चों की माताओं की आई.वाय.सी.एफ. व्यवहार पर काउंसलिंग



कंगारू मदर केयर



समुदाय स्तर पर ई-एच.बी.वाय.सी. मॉड्यूल आशा कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण

- एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम** - बच्चों व किशोर-किशोरियों में एनीमिया नियंत्रण एवं रोकथाम प्रदेश में कार्यक्रम के माध्यम से 58,506 प्राईमरी, 33,970 माध्यमिक, उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओं एवं 96,882 आंगनवाड़ी केन्द्रों में पंजीकृत छात्र-छात्राओं में आयरन फॉलिक एसिड की प्रदायगी की जा रही है। साथ ही RBSK आयुष मेडिकल ऑफिसर एवं कम्युनिटी हेल्थ आफफिसर द्वारा समस्त विद्यालयीन छात्र-छात्राओं एवं छूटे हुये बच्चों/किशोरवयों में डिजिटल हीमोग्लोबिनोमीटर के माध्यम से एनीमिया की जांच एवं आवश्यक उपचार सुनिश्चित किया जा रहा है।

आई.एफ.ए. अनुपूरण (प्रोफाइलेक्टिक) - वर्ष 2023-24 :-

- 6 माह से 5 वर्ष के कुल 49,11,219 बच्चों को आई.एफ.ए. सीरप की प्रदायगी की गयी।
- 5 से 10 वर्षीय 38,61,172 बच्चों को आई.एफ.ए. (WIFS Junior) गुलाबी गोली का साप्ताहिक अनुपूरण सुनिश्चित किया गया।

- साप्ताहिक आयरन फॉलिक एसिड कार्यक्रम अन्तर्गत 10 से 19 वर्ष के 43,00,321 किशोरवयों में शालाओं एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम आई.एफ.ए. नीली गोली का अनुपूरण सुनिश्चित किया गया है।

एनीमिया चिन्हांकन - वर्ष 2023-24 :-

- 5 से 11 वर्षीय 31,76,469 बच्चों में एनीमिया का चिन्हांकन सुनिश्चित कर यथोचित उपचार/प्रबंधन सुनिश्चित किया गया।
- 12 से 19 वर्षीय 36,89,160 किशोरवयों में एनीमिया का चिन्हांकन सुनिश्चित कर यथोचित उपचार/प्रबंधन सुनिश्चित किया गया।

3. राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस (National De-worming Day) -

वर्ष 2023-24 में दिनांक 12 सितम्बर को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस एवं दिनांक 15 सितम्बर को NDD Mop-up दिवस मनाया गया, जिसमें प्रदेश की समस्त आंगनवाड़ी केन्द्रों तथा शासकीय शालाओं के माध्यम से 1 से 19 वर्ष के कुल 2.78 करोड़ बच्चों में कृमिनाशन हेतु एल्बेंडाजॉल का अनुपूरण सुनिश्चित किया गया।



4. “दस्तक अभियान” - गृह भेंट आधारित संयुक्त रणनीति-

वर्ष 2023-24 में संपूर्ण प्रदेश में दस्तक अभियान, प्रमुख 10 सेवाओं के साथ, माह जुलाई-सितम्बर 2023 में आयोजित किया गया तथा माह जनवरी- फरवरी 2024 में केवल वितामिन ए अनुपूरण व अनिमिक बच्चों के फॉलोअप हेतु आयोजित किया गया। अभियान के दौरान ए.एन.एम., आशा तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के संयुक्त दल द्वारा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों घर-घर जाकर निम्न सेवाएँ प्रदाय की गई -

शासकीय कन्या विद्यालय फंदा, भोपाल

- 5 वर्ष से कम उम्र के 81.33 लाख बच्चों की सक्रिय स्क्रीनिंग की गई।
- 17,155 चिकित्सकीय जटिलता वाले गंभीर कुपोषित बच्चों को चिन्हित कर प्रदेश के विभिन्न पोषण पुनर्वास केन्द्रों में भर्ती किया गया।
- 6 माह से 59 माह के 62.78 लाख बच्चों में डिजिटल हीमोग्लोबिनोमीटर के माध्यम से हीमोग्लोबिन की जाँच सुनिश्चित की गई। जिसके उपरांत लगभग 20.53 एनीमिक बच्चों को चिकित्सकीय उपचार प्रदान किया गया एवं 8,327 गंभीर एनीमिया से चिन्हांकित बच्चों को जिला स्तर पर रक्ताधान/यथोचित प्रबंधन सुनिश्चित किया गया।
- 102604 गंभीर निर्जलीकरण से ग्रस्त बच्चों का उचित उपचार एवं प्रबंधन सुनिश्चित किया गया।
- 9 माह से 5 वर्ष तक के कुल 72.75 लाख बच्चों को विटामिन ए अनुपूरण कराया गया, जो कि कुल लक्ष्य का 97 प्रतिशत है।
- 10166 बच्चों की Poor vision Acuity हेतु स्क्रीनिंग की गई।
- 11493 बच्चों की Hearing Impairment हेतु स्क्रीनिंग की गई।
- 33,99,379 परिवारों को शिशु एवं बाल आहारपूर्ति संबंधी समझाईश, हाथ धुलाई एवं दस्त रोग की रोकथाम संबंधी समझाईश दी गई।
- जन्मजात विकृति वाले 7,854 बच्चों को आर.बी.एस.के. कार्यक्रम अंतर्गत पंजीकृत करा उपचारित कराया जा रहा है।

- अन्य बीमारियों से ग्रसित 15,282 बच्चों की पहचान कर उपचार एवं उचित प्रबंधन किया गया।
- माह जनवरी-फरवरी 2024 में आयोजित अभियान (द्वितीय चरण) में प्रथम चरण में चिन्हित कुल 17.51 लाख एनीमिक बच्चों का फॉलोअप किया गया जिसमें से 8.71 लाख बच्चों को सामान्य श्रेणी (अनीमिया से मुक्त) में पाया गया।

झलकियां - दस्तक अभियान प्रथम चरण 2023-24



1. गंभीर कुपोषण की पहचान
 2. वॉल पेंटिंग द्वारा जागरूकता
 3. विटामिन ए अनुपूरण
 4. हीमोग्लोबिन की जांच
 5. दस्तक दल जाते हुये,
 6. दस्तक दल द्वारा हाथ धोने का प्रशिक्षण
5. बाल कुपोषण उपचारात्मक रणनीति - चिकित्सकीय जटिल गंभीर कुपोषित बच्चों का संस्थागत प्रबंधन

प्रदेश के एकीकृत कुपोषण प्रबंधन रणनीति (IMAM) अंतर्गत, स्वास्थ्य विभाग द्वारा 318 NRC/SMTU स्थापित है, जहां जटिल गंभीर कुपोषित बच्चों को भर्ती कर, चिकित्सकीय उपचार व प्रबंधन प्रदाय किया जा रहा है। साथ ही समुदाय स्तर पर महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा सी-सैम कार्यक्रम अंतर्गत कुपोषित बच्चों का पोषण प्रबंधन किया जा रहा है।

- उल्लेखनीय है कि, अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान, भोपाल (AIIMS) में तृतीय स्तरीय कुपोषण प्रबंधन इकाई के साथ-साथ संभागीय स्तरीय पोषण पुनर्वास, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित है, जहां गंभीर कुपोषण के साथ-साथ दुर्लभ चिकित्सकीय जटिलता जैसे Sturge Weber Syndrome, Pott's Spine, Dandy walker syndrome आदि बीमारियों की उन्नत जांच व प्रबंधन की व्यवस्था है। प्रदेश के विभिन्न विभागों से एम्स भोपाल में अत्यंत जटिल गंभीर कुपोषित बच्चों का रेफरल किया जा रहा है, साथ ही प्रदेश के अधीनस्थ एन.आर.सी. के चिकित्सा अधिकारी व पैरा मेडिकल स्टाफ का कौशल प्रबंधन किया जाता है।



1. आई.वाय.सी.एफ. परामर्श, 2. NRC वार्ड में एन्थ्रोपोमेट्री, 3. NRC वार्ड में एन्थ्रोपोमेट्री
4. पोषण प्रशिक्षक द्वारा शिशु एवं बाल आहारपूर्ति संबंधी समझाईश, 5-8, Child Friendly NRC
9. PICU प्रभारी चिकित्सकों की F-SAM प्रशिक्षण, 10. आशा कार्यकर्ताओं की शिशु एवं बाल आहारपूर्ति (IYCF), एवं HBYC प्रशिक्षण

- वर्ष 2023-24 में पोषण पुनर्वास केन्द्रों को बाल्य गहन चिकित्सा इकाई (PICU) से संबद्ध करते हुये समस्त 51 जिला अस्पताल के PICU प्रभारी चिकित्सकों को राज्य स्तर पर 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण प्रदाय किया गया। तदोपरांत समस्त संभागीय/जिला अधिकारियों को उन्मुख कर, राज्य स्तर से विस्तृत तकनीकी निर्देश जारी किये गये हैं।
- साथ ही माह अक्टूबर 2023 में राज्य स्तर पर उक्त विषय पर समस्त संभागीय/जिला अधिकारियों का उन्मुखीकरण किया गया तथा एन.आर.सी. की प्रगति की समीक्षा ली गई।

वर्ष 2023-24 में

- 314 पोषण पुनर्वास केन्द्रों में कुल 64,282 चिकित्सकीय गंभीर कुपोषित बच्चे उपचारित किये गये।
- प्रदेश के 03 चिकित्सा महाविद्यालयों रीवा, इंदौर तथा ग्वालियर में संचालित एस.एम.टी.यू. (Severe Malnutrition Treatment Unit) में चिकित्सकीय जटिलता वाले 1475 बच्चे उपचारित किए गए।
- एम्स भोपाल में स्मार्ट सेन्टर (Severe Acute Malnutrition Advanced Referral & Treatment Centre) में 473 नॉन रिस्पॉण्डर तथा गंभीर चिकित्सकीय जटिलता वाले गंभीर कुपोषित बच्चे उपचारित किए गए।



पोषण पुनर्वास केन्द्र - सफलता की कहानी, इलाज के पूर्व एवं पश्चात

पहले	अब
	
Divya/Neesha	
<p> Age -14 month Admission -29/6/2023 Wt.5:100 Length -68.cm Muac <-10 cm W/L<-4sd </p>	<p> Discharge 19/7/2023 Wt 6:300 Length -68cm W/L<-2 sd Muac < 10.4 cm </p>

।। बच्चे हैं अनमोल - दस्त होने पर ज़िंक और ओ.आर.एस. का घोल दें।।

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम

मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का क्रियान्वयन वर्ष 2013-14 से समस्त जिलों में किया जा रहा है। कार्यक्रम अंतर्गत मोबाइल हेल्थ टीम द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों पर (जन्म से 06 वर्ष तक के बच्चों का) वर्ष में दो बार एवं स्कूलों में (06 से 18 वर्ष तक के बच्चों का) वर्ष में एक बार मोबाइल हेल्थ टीम द्वारा 4Dआधारित (Defects at Birth, Deficiencies, Childhood Diseases, Developmental delays and Disabilities) परीक्षण एवं उपचार किया जाता है एवं आवश्यकतानुसार उपचार हेतु उच्च स्तरीय स्वास्थ्य संस्था को भी रेफर किया जाता है।

- वर्ष 2023-24 में माह अप्रैल से माह मार्च 2024 तक कुल 139.00 लाख बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जिसमें कुल 19.07 लाख बच्चे विभिन्न बीमारियों से ग्रसित चिन्हित किये गये। इन बच्चों में से कुल 17.53 लाख बच्चों को उपचारित किया गया तथा कुल 26,147 बच्चों (Major and Minor) की शल्यक्रिया कराई जा चुकी है। जिन्हें जिला चिकित्सालय, शासकीय चिकित्सालय महाविद्यालय एवं अन्य उच्च स्तरीय चिकित्सा संस्थानों में निःशुल्क उपचारित किया गया।
- कार्यक्रम अंतर्गत करायी गयी (Major and Minor) शल्यक्रिया निम्नानुसार है:-



समय अवधि	न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट	कटे फटे होठ एवं तालू	क्लब फुट	डी.डी.एच	जन्मजात मोतियाबिंद	रेटिनोपेथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी	ओटाइटिस मीडिया
माह अप्रैल 2023 से माह मार्च 2024 तक	110	1050	1892	16	229	57	25

- राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में माह अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक कुल 1459 जन्मजात हृदय रोग के गंभीर बच्चों व कुल कुल 191 श्रवणबाधित का निःशुल्क उपचार मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों में कराया जा चुका है।
- एनीमिया मुक्त भारत अभियान:-** एनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत मोबाइल हेल्थ टीमों को डिजिटल हीमोग्लोबिनोमीटर प्रदान किए गए हैं, जिनके माध्यम से मोबाइल हेल्थ टीम द्वारा जन्म से 18 वर्ष तक के बच्चों की रक्त जांच किये जाकर पहचान किए गए माइल्ड, मॉडरेट एवं सीवियर एनीमिया के चिन्हित बच्चों को मुफ्त उपचार प्रदान करना है। आर.बी.एस.के. मोबाइल हेल्थ टीम द्वारा माह अप्रैल 2023 से माह मार्च 2024 तक कुल 68,65,629 बच्चों की हिमोग्लोबिन (एच.बी.) टेस्टिंग करायी जा चुकी है। प्रदेश में एनीमिया से बचाव हेतु आयरन सिरप, गुलाबी, नीली एवं लाल गोलिया क्रमशः आंगनबाड़ी केन्द्रों, स्कूलों एवं ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस के माध्यम से निःशुल्क प्रदान की जाती है।
- कॉम्प्रहेन्सिव न्यूबोर्न स्क्रीनिंग-** संस्था स्तर पर जन्मजात विकृति की पहचान हेतु जन्म के तुरन्त बाद नवजात शिशुओं की 4डी आधारित जांच की जाती है एवं चिन्हित यार्निंग साइन वाले बच्चों को निःशुल्क उपचार एवं फॉलोअप किया जाना है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में माह अप्रैल 2023 से माह मार्च 2024 तक प्रदेश के समस्त जिलों में संचालित जिला चिकित्सालय



के डिलीवरी पॉइंट में कुल 11,39,359 जीवित बच्चों में से कुल 10,71,093 बच्चों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है।

- **सम्पूर्ण स्वास्थ्य कार्यक्रम :-** लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग एवं आदिम जाति कल्याण विभाग मध्यप्रदेश द्वारा संयुक्त रूप से सम्पूर्ण स्वास्थ्य कार्यक्रम का क्रियान्वन किया जा रहा है जिसके अंतर्गत मध्यप्रदेश के 20 आदिवासी जिलों के 89 आदिवासी बाहुल्य विकासखण्डों के अंतर्गत आने वाले आदिवासी विद्यालयों एवं आदिवासी छात्रावास में पंजीकृत छात्र छात्राओं का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में माह अप्रैल 2023 से माह मार्च 2024 तक कुल 3,77,650 बच्चों की स्क्रीनिंग करायी जा चुकी है। जिनमे से कुल 55,534 बच्चे विभिन्न बीमारियों से ग्रसित चिह्नित किये गये, इनमे से कुल 55,440 बच्चो को सफलतापूर्वक उपचार प्रदाय किया जा चुका है।



- **भारत सरकार द्वारा निर्मित आर.बी.एस.के. पोर्टल का क्रियान्वयन :-** प्रदेश के सभी जिलो में आर.बी.एस.के कार्यक्रम की मोनिटरिंग विगत वर्षों से चेतना एप्प के माध्यम से की जा रही थी जिसमे बच्चे के उपचार सम्बन्धी जानकारी से अवगत नहीं हो पाते थे अतः उक्त के समाधान हेतु मध्य प्रदेश ने अप्रैल 2023 से भारत सरकार द्वारा निर्मित नव निर्मित आर.बी. एस.के. पोर्टल की ट्रेनिंग पूर्ण करवा कर पोर्टल पर कार्य प्रारम्भ किया। इसके अंतर्गत वर्तमान में क्रियाशील 655 मोबाइल हेल्थ टीम द्वारा 1 अप्रैल 2023 से स्क्रीनिंग एवं ट्रीटमेंट का कार्य किया जाना शुरू कर दिया गया एवं अप्रैल माह 2023 से मार्च 2024 तक कुल 139.13 लाख बच्चो की 4D's स्क्रीनिंग की गयी।

।। जिम्मेदार पिता का फर्ज निभाएं, बच्चे का संपूर्ण टीकाकरण करवायें।।

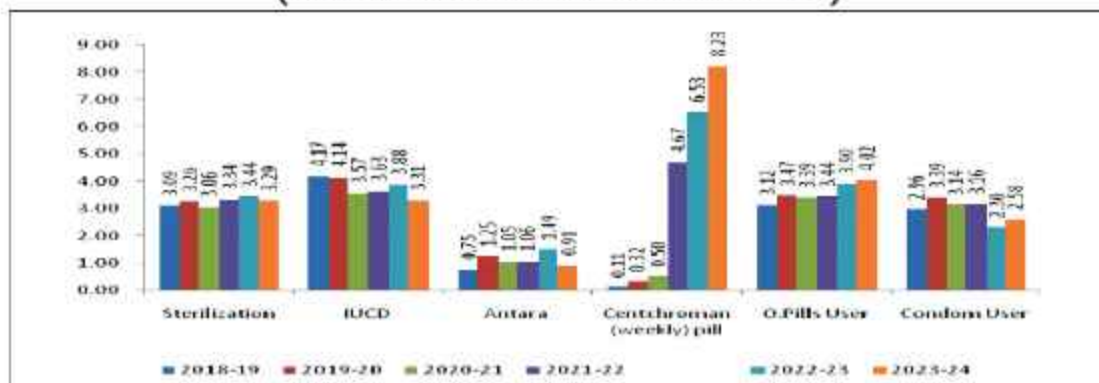
परिवार कल्याण कार्यक्रम

जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उद्देश्य से भारत वह पहला देश था जिसने इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में वर्ष 1952 में ही अपना लिया था। राज्य शासन परिवार कल्याण कार्यक्रम अंतर्गत ऑपरेशन महिला/पुरुष एवं बच्चों के जन्म में अंतर सुनिश्चित करने के लिए अंतराल विधियों की सेवायें उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। परिवार कल्याण कार्यक्रम पूर्ण रूपेण हितग्राहियों द्वारा स्वेच्छापूर्वक अस्थाई एवं स्थाई परिवार नियोजन साधनों के ग्राह्यता पर अवलंबित है।

मध्यप्रदेश में सकल प्रजनन दर 2.0 है तथा अस्थाई साधनों की अपूरित मांग लगभग 7.7 प्रतिशत है (NFHS-5 2019-20)। पुरुष प्रधान सामाजिक परिदृश्य के चलते प्रदेश में स्थाई एवं अस्थाई साधनों का पुरुष वर्ग द्वारा कंडोम का उपयोग 8.1 प्रतिशत तथा पुरुष नसबंदी 0.7 प्रतिशत है। परिवार कल्याण कार्यक्रम अंतर्गत नसबंदी ऑपरेशन पुरुष/महिला और जन्म में अंतर सुनिश्चित करने के लिए अस्थाई अंतराल साधन समुदाय तथा संस्थाओं में निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही लक्ष्य दंपतियों में स्थाई परिवार नियोजन विधियों को अपनाने हेतु विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। प्रदेश के समस्त जिलों को विशेष दर्जा देते हुए मिशन परिवार विकास कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत अधिक प्रोत्साहन राशि एवं परिवार नियोजन को सामुदायिक बढ़ावा देने हेतु केन्द्रित गतिविधियाँ की जा रही हैं। विभिन्न गतिविधियाँ निम्नानुसार है -

- महिला एवं पुरुष नसबंदी सेवायें-** वर्ष 2023-24 में माह अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक प्रदेश में लगभग 3.29 लाख निःशुल्क नसबंदी ऑपरेशन किये गये। नसबंदी करने हेतु प्रशिक्षित शल्य चिकित्सकों एवं उन्नत उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है। पुरुष नसबंदी के प्रोत्साहन हेतु हितग्राहियों को राशि रु. 3000/- प्रोत्साहन स्वरूप मजदूरी क्षतिपूर्ति राशि हितग्राहियों को दी जा रही है। महिला एवं पुरुष नसबंदी हेतु इच्छुक हितग्राहियों का मोबिलाईजेशन स्वास्थ्य विभाग के मैदानी कर्मियों यथा आशा, आशा सहयोगिनी, ए.एन.एम, एम.पी.डब्ल्यू. एल.एच.व्ही तथा पुरुष सुपरवाईजर के द्वारा सुनिश्चित किया जा रहा है।
- अस्थाई परिवार नियोजन साधनों का वितरण एवं निःशुल्क सेवा प्रदायगी-** महिलाओं के लिए आई.यू.सी.डी./पी.पी.आई.यू.सी.डी. अंतरा गर्भ निरोधक इन्जेक्शन, गर्भ निरोधक गोलियाँ माला एन एवं नॉन हार्मोनल साप्ताहिक छाया गोलियाँ समस्त स्वास्थ्य केन्द्रों पर उपलब्ध हैं। इसी प्रकार पुरुषों के लिए निरोध का वितरण पूर्ण गोपनीयता एवं हितग्राही की निजता को दृष्टिगत रखते हुए सुनिश्चित किया जा रहा है।

(परिवार कल्याण कार्यक्रम की उपलब्धियां लाख में)



Year/Program	Sterilization	IUCD	Antara	Centchroman (weekly) pill	O.Pills User	Condom User
2018-19	3.09	4.17	0.75	0.11	3.12	2.96
2019-20	3.26	4.14	1.25	0.32	3.47	3.39
2020-21	3.06	3.57	1.05	0.50	3.39	3.14
2021-22	3.34	3.63	1.06	4.67	3.44	3.16
2022-23	3.44	3.88	1.49	6.53	3.90	2.30
2023-24	3.29	3.31	0.91	8.23	4.02	2.58

3. **एच.डी.सी योजना (Home Delivery of Contraceptives) तथा पी.टी.के. योजना (Pregnancy Testing Kit)**- घर पहुँच कर गर्भ निरोधक साधन वितरण योजना द्वारा गर्भ निरोधक साधनों जैसे निरोध, गर्भ निरोधक गोलियाँ माला एन एवं नॉन हार्मोनल साप्ताहिक छाया गोलियों की उपलब्धता ग्राम स्तर पर आशा कार्यकर्ताओं द्वारा की जा रही है। इस योजना द्वारा बच्चों के जन्म में अंतर सुनिश्चित किया जा रहा है।
4. **ई.एस.बी. योजना (Ensuring Spacing at Birth Scheme)** - विवाह उपरान्त प्रथम संतान के जन्म में न्यूनतम 2 वर्ष का अंतर सुनिश्चित करने, प्रथम एवं द्वितीय संतान के बीच 3 वर्ष का अंतराल सुनिश्चित करने तथा द्वितीय संतान के जन्म के उपरान्त नसबंदी कराने संबंधी सकारात्मक एवं स्वास्थ्यवर्धक व्यवहार का सामुदायिक अनुकरण सुनिश्चित करने के लिए आशा को क्रमशः राशि रु. 500/- एवं रु. 1000/- का प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। वर्ष 2023-24 में अंतराल सुनिश्चित करने हेतु 36,279 प्रकरण के लिए तथा द्वितीय संतान के उपरान्त नसबंदी सुनिश्चित करवाने के लिए 77,199 प्रकरण हेतु आशाओं को योजना अंतर्गत प्रोत्साहन राशि दी गई है।
5. **सेल्फ केयर किट-** प्रदेश की समस्त शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं पर परिवार नियोजन साधनों विशेष कर निरोध, छाया गर्भ निरोधक गोली एवं आकस्मिक गर्भनिरोधक गोली की उपलब्धता सुलभ करने के लिये लगाये गये हैं। स्वास्थ्य संस्था आने वाले हितग्राही स्वेच्छा से निरोध, छाया गर्भ निरोधक गोली एवं आकस्मिक गर्भनिरोधक गोली जैसे गर्भ निरोध साधन प्राप्त कर सकते हैं प्रदेश में अब तक 7,750 स्वास्थ्य संस्थाओं पर सेल्फ केयर किट लगाई गई है।

प्रदेश के समस्त जिलों में मिशन परिवार विकास हेतु संचालित विशिष्ट परिवार कल्याण संबंधी गतिविधियां -

1. **सास-बहु सम्मेलन** - प्रदेश की सामाजिक परिदृश्य में परिवार नियोजन के साधनों के उपयोग संबंधी निर्णय में सास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है जिसके लिए सास-बहु के बीच बेहतर संवाद स्थापित करने एवं रोचक खेल अथवा गतिविधियों के द्वारा महिलाओं के प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य में सुधारात्मक बदलाव हेतु ग्राम स्तर पर सास-बहु सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2023-24 में कुल 95,935 सम्मेलनों का आयोजन किया गया जिसमें 18,59,191 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
2. **नई पहल किट-** नव विवाहित दंपतियों में परिवार नियोजन साधनों की समझ एवं उपयोग प्रोत्साहित करने हेतु नई पहल किट की प्रदायगी की जाती है ताकि नव विवाहितों की परिवार नियोजन संबंधी अपूरित मांग की पूर्ति पूर्ण निजता में सुनिश्चित हो सके तथा उन्हें इस संवेदनशील अवधि में संकोच के कारण परिवार नियोजन साधनों को प्राप्त करने में असुविधा न हो। वर्ष 2023-24 में कुल 2,46,878 नई पहल किट का वितरण आशाओं द्वारा नव दंपतियों को किया गया।
3. **सारथी रथ-** परिवार कल्याण कार्यक्रम संबंधी गतिविधियों के प्रचार प्रसार हेतु सारथी रथ का संचालन किया जाता है जिसके माध्यम से समुदाय तक परिवार नियोजन की स्थाई सेवायें जैसे महिला/पुरुष नसबंदी एवं अस्थाई साधनों के संबंध में जानकारी प्रदान की जाती है। वर्ष 2023-24 में सारथी रथ के माध्यम से 3,93,931 पेम्पलेट बांटे गये, 2,81,070 हितग्राही से सम्पर्क हुआ जिनमें से 2,32,184 को परामर्श दिया गया एवं 45,36,368 निरोध पीस 1,09,588 ओसी पिल्स एवं 24,028 छाया पिल्स का वितरण किया गया।
4. **पुरुष सहभागिता सम्मेलन-** प्रदेश में परिवार नियोजन में पुरुषों की भागीदारी बढ़ाने एवं पुरुष नसबंदी को बढ़ावा देने हेतु ग्राम स्तर पर पुरुष सहभागिता सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन में ग्राम स्तर पर परिवार नियोजन के साधन अपना रहे पुरुष को रोल मॉडल रखते हुए अन्य हितग्राहियों को परिवार नियोजन हेतु प्रोत्साहित किया जाता है।

।। छोटा परिवार, सुखी परिवार।।

राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम

10 से 19 वर्ष के बालक बालिकाओं को किशोर आयु वर्ग में समाहित किया जाता है, इस आयुवर्ग की जनसंख्या निकट भविष्य में देश एवं प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आधार भी है। प्रदेश में शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर तथा सकल प्रजनन दर में कमी लाने हेतु किशोर-किशोरियों के स्वास्थ्य पर ध्यान केन्द्रित करना अति आवश्यक है।

मध्यप्रदेश में 10 से 19 आयुवर्ग की कुल जनसंख्या का 22 प्रतिशत है। जिसमें ग्रामीण अंचल में 74 प्रतिशत किशोर निवासरत है तथा शेष 26 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में निवासरत है।

यह उल्लेखनीय बात है कि 10 से 14 आयु वर्ग में 8564501 किशोर एवं किशोरी है तथा 15 से 19 आयु वर्ग में 7446789 किशोर एवं किशोरियां हैं। दोनों आयु वर्ग के साथ स्वास्थ्य के भिन्न भिन्न मुद्दे जुड़े हुए हैं जैसे रक्ताल्पता दोनों आयु वर्ग में पाई जाती है तथा कम उम्र में गर्भधारण होना, माहवारी इत्यादि समस्या अधिकतर 15 से 19 आयु वर्ग की किशोरियों में देखी जाती है।

वर्तमान में प्रदेश में तनाव एवं अन्य मानसिक समस्याओं की वजह से आत्महत्या के प्रयासों में वृद्धि हो रही है। प्रदेश में उच्च शिक्षा लेने हेतु घर परिवार से दूर रहकर महानगरों में निवास करने वाले किशोरों में पढ़ाई से जुड़ी समस्याओं की वजह से अवसाद का प्रतिशत बढ़ रहा है। सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, ट्विटर का प्रभाव ग्रामीण अंचलो तक देखा जा सकता है सोशल मीडिया के अति उपयोग करने से किशोरों में अकेलापन तथा परिवार से जुड़ाव कम होते जा रहा है जिसकी वजह से भिन्न भिन्न मानसिक समस्याओं में भी वृद्धि हो रही है।

शहरी किशोरों में खान पान से सम्बन्धित समस्याएँ जैसे मोटापा, मधुमेह टाइप 2, रक्तचाप तथा स्ट्रोक इत्यादि असंचारी रोगों का प्रतिशत भी बढ़ते जा रहा है किशोरों में तम्बाकू, सिगरेट, शराब, ड्रग्स इत्यादि के सेवन से बीमारियाँ जैसे कैंसर तथा सड़क दुर्घटना में मृत्यु में बढ़ोत्तरी देखी जा रही है।

राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम में उपरोक्त दर्शित समस्त बिन्दुओं को समाहित कर देश एवं प्रदेश में राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2014 में की गई।

वर्तमान में किशोर स्वास्थ्य से संबंधित निम्न गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं -

1. क्लीनिक आधारित सेवाएं -

प्रदेश के 52 जिलों के 52 जिला चिकित्सालय में एवं इन जिलों के कुल 287 सिविल अस्पताल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर किशोर मित्र स्वास्थ्य क्लीनिक संचालित किये जा रहे हैं उक्त क्लीनिकों में सेवाएँ लेने हेतु आने वाले किशोरों को सुविधा जनक खुशनुमा महौल में परामर्श प्रदान किया जाता है अधिकतर क्लीनिक में हल्के हरे रंग का प्रयोग किया गया है ताकि क्लीनिक की दृश्यता बढ़े। इन क्लीनिक में परामर्श सेवाएं अनुबंधित संस्थाओं के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं जिसके अन्तर्गत उनके परामर्शदाता को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है जो कि आर.के.एस.के. जिलों के जिला अस्पताल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर कार्यरत हैं।

परामर्शदाता परामर्श के साथ साथ आउटरीच गतिविधियों के माध्यम से भी किशोरों में स्वास्थ्य से सम्बन्धित विषयों में जागरूकता लाने के प्रयास हो रहे हैं। आगनवाड़ी उच्च माध्यमिक शाला, छात्रावास आदि में एक माह में 8 दिवस आउटरीच गतिविधि की जाती है।

जनवरी 2023 से मार्च 2024 तक 12.90 लाख किशोर/किशोरियों को परामर्श एवं उपचार सेवाएँ प्रदान की गई हैं तथा आउटरीच गतिविधियों के माध्यम से 9.70 लाख किशोर/किशोरियाँ लाभान्वित हुये।



2. समुदाय आधारित सेवाएं

आरकेएसके संचालित 21 जिलों के समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अन्तर्गत आने वाले गांवों में पीयर एजुकेटर / साथिया कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है।



आरकेएसके संचालित 21 जिलों के कुल 18676 गांवों में प्रत्येक आशा के क्षेत्र से 15 से 19 आयुवर्ग के एक किशोर एवं एक किशोरी का चयन आशा के सहयोग से स्वास्थ्य ग्राम तदर्थ समिति द्वारा साथिया के रूप में किया गया है। चयनीत साथिया को 6 रविवार को आरकेएसके के संचालन हेतु अनुबंधित संस्थाओं द्वारा पीयर एजुकेटर/साथिया मॉड्यूल में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। प्रशिक्षण पूर्ण होने के पश्चात साथिया द्वारा अपने ग्राम के किशोरों की ब्रिगेड बना कर उनके बीच स्वास्थ्य के सम्बन्ध में चर्चा कर जागरूकता लाई जानी है एवं किसी किशोर/किशोरी की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकता होने पर एएनएम के पास अथवा परामर्श/क्लीनिकल सर्विस लेने हेतु किशोर मित्र स्वास्थ्य क्लीनिक जाने हेतु प्रेरित किया जाना है। ग्राम के किशोरों के मध्य कार्य करने हेतु सतत प्रेरणा देने का कार्य भी आशा के द्वारा संपादित किया जाना है।



आशा सहयोगी अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में एएनएम एवं आशा सहयोगी द्वारा हर माह उस क्षेत्र के साथियों की बैठक की जा रही है एवं उन्हें लगातार स्वास्थ्य संबंधी विषयों में जागरूक किया जा रहा है ताकि उनके द्वारा अपने गांव के अन्य किशोरों के मध्य स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता की गतिविधियां आयोजित की जा सके। वर्तमान में 42309 पीयर एजुकेटर/साथिया का चयन एवं प्रशिक्षण किया जा चुका है।

3. किशोर स्वास्थ्य दिवस

किशोर स्वास्थ्य दिवस साथिया कार्यक्रम हेतु चयनित गांवों में आयोजित की जाने वाली गतिविधि है जिसके आयोजन का मुख्य उद्देश्य गांव के किशोरों के मध्य उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़े एवं आवश्यकता होने पर चिकित्सकीय इलाज हेतु रेफरल किया जा सके।



किशोर स्वास्थ्य दिवस का आयोजन ग्राम स्तर पर शाला/महाविद्यालय/पंचायत भवन इत्यादि में सूचना, मनोरंजन एवं उत्सव के माध्यम से आयोजित की जाना है जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताएं, प्रदर्शनी, स्वास्थ्य परीक्षण इत्यादि को सम्मिलित किया जाना है।

किशोर स्वास्थ्य दिवस में ग्राम के चयनित साथिया, ग्राम के समस्त किशोर किशोरी, आशा, ग्राम के मुखिया, स्कूल में पदस्थ शिक्षक, ग्राम पंचायत में कार्यरत कर्मचारी, ए.एन.एम. एवं उक्त ग्राम के निवासी सम्मिलित होंगे। यह कार्यक्रम किशोरों में नेतृत्व गुण को प्रदर्शित एवं वृद्धि करने के अवसर प्रदान करता है।

कॉमिक बुक -

आर.के.एस.के. अन्तर्गत यू.एन.एफ.पी.ए. के तकनीकी सहयोग से स्वास्थ्य विषयों पर 24 कॉमिक बुक का निर्माण किया गया है। जिन्हें साथिया (पीयर एजुकेटर) को प्रतिमाह एक विषय पर उसके स्वयं के लिए एवं बिग्रेड मैम्बर के लिए प्रदान की जाती है। कॉमिक विषय के आधार पर गांव में स्वास्थ्य विषयों पर गतिविधियों का आयोजन किया जाता है।



आयुष्मान भारत उमंग स्कूल हेल्थ एवं वेलनेस कार्यक्रम

वित्तीय वर्ष 2020-21 से संचालित आयुष्मान भारत स्कूल हेल्थ एवं वेलनेस कार्यक्रम एवं स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र. द्वारा वर्ष 2017 से संचालित उमंग जीवन कौशल कार्यक्रम एवं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से के क्रियान्वयन मॉडल, विषय सामग्री, मॉड्यूल का अवलोकन कर निर्णय लिया गया है कि आयुष्मान भारत स्कूल हेल्थ एवं वेलनेस कार्यक्रम एवं उमंग जीवन कौशल कार्यक्रम को अलग-अलग संचालित किए जाने के स्थान पर दोनों कार्यक्रम को संयुक्त कर “उमंग स्कूल हेल्थ एवं वेलनेस कार्यक्रम” के नाम से मध्यप्रदेश के समस्त जिलों की समस्त शासकीय एवं शासकीय अनुदान प्राप्त शालाओं के कक्षा 6 से 12 तक की बच्चों के लिए संचालित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम आयुष्मान भारत कार्यक्रम अन्तर्गत ही संचालित किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का किशोर स्वास्थ्य (आर.के.एस.के.) घटक इस कार्यक्रम की संचालन हेतु मुख्य घटक के रूप में एवं मुख्य डेवलपमेंट पार्टनर की भूमिका में यू.एन.एफ.पी.ए. है।

“उमंग स्कूल हेल्थ एवं वेलनेस कार्यक्रम” अन्तर्गत कक्षा 6 से 12 तक के बच्चों की आयु अनुरूप पृथक पृथक कक्षा मॉड्यूल संचालित किए जाते हुए स्कूल शिक्षा विभाग के शैक्षणिक सत्र के वार्षिक कैलेंडर में जोड़ा जाएगा। शैक्षणिक सत्र 2022-23 के वार्षिक कैलेंडर में जहाँ जीवन कौशल शिक्षा का उल्लेख किया गया है, उन सत्रों में उमंग स्कूल हेल्थ एवं वेलनेस कार्यक्रम अन्तर्गत सत्र का आयोजन किया जाएगा एवं आगामी शैक्षणिक सत्र से उमंग स्कूल हेल्थ एवं वेलनेस कार्यक्रम अन्तर्गत सत्र के नाम से ही सत्रों को वार्षिक कैलेंडर में जोड़ा जाएगा। कक्षा 6 से 12 तक के मॉड्यूल यू.एन.एफ.पी.ए. के सहयोग से तैयार किए जाएंगे जो कि भारत सरकार के मॉड्यूल को दृष्टिगत रखते हुए तैयार किए गए हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को भारत सरकार द्वारा आयुष्मान भारत स्कूल हेल्थ एवं वेलनेस कार्यक्रम अन्तर्गत प्रतिवर्ष स्वीकृत बजट से उमंग स्कूल हेल्थ एवं वेलनेस कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है एवं अतिरिक्त बजट की आवश्यकता होने पर स्कूल शिक्षा विभाग अथवा डेवलपमेंट पार्टनर के बजट का उपयोग किया जाता है।

उमंग स्कूल हेल्थ एवं वेलनेस कार्यक्रम के संचालन का मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार है -

- शालाओं में विद्यार्थियों को हेल्थ एवं वेलनेस शिक्षा एवं जीवन कौशल शिक्षा प्रदान करना।
- विद्यार्थियों के बीच स्वस्थ व्यवहार एवं व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करना।
- बच्चों के स्वास्थ्य एवं एनीमिया की जाँच किया जाना, दन्तरोगों की रोकथाम, आँखों का सही समय में उपचार एवं आवश्यक होने पर चिकित्सालय रेफर किया जाना,
- आई.एफ.ए. गोणियों के सेवन हेतु प्रोत्साहित किया जाना।
- शालाओं को तम्बाकू मुक्त शाला बनाए जाने एवं बच्चों को किसी भी प्रकार के नशे का आदत न लगे इस हेतु प्रयास किया जाना।
- किशोरियों को माहवारी के दौरान माहवारी स्वच्छता प्रबंधन तकनीक को अपनाने हेतु प्रेरित किया जाना।
- स्वच्छ पेयजल के उपयोग को बढ़ावा दिया जाना।
- आयुष्मान भारत डिजीटल मिशन अन्तर्गत प्रत्येक छात्र का डिजीटल हेल्थ रिकार्ड रखने हेतु हेल्थ एकाउन्ट/आई.डी. बनाया जाना।

Health and Wellness Ambassador (आरोग्य दूत) शिक्षक

कार्यक्रम की गतिविधियों के संचालन हेतु जिले की प्रत्येक शासकीय एवं शासकीय अनुदान प्राप्त शालाओं में दो शिक्षक (एक पुरुष एवं एक महिला) को Health and Wellness Ambassador (आरोग्य दूत) के रूप में नामांकित किया गया है। शिक्षकों का नामांकित करते समय यह ध्यान रखा जाता है कि वह स्व-प्रेरित हो, संचार कौशल (Communication Skill) अच्छा हो एवं विद्यार्थियों के साथ स्वास्थ्य विषय पर कार्य करने के इच्छुक हो। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि वह तम्बाकू इत्यादि प्रकार के नशे का सेवन न करता हो। नामांकन के पश्चात इन शिक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है वर्ष 2023 में जनवरी से मार्च 2024 तक 19512 शिक्षक को Health and Wellness Ambassador (आरोग्य दूत) के रूप में नामांकित करते हुए 4 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

अपेक्षित भूमिका -

प्रशिक्षित हेल्थ एवं वेलनेस एम्बेसेडर (आरोग्य दूत) के द्वारा शाला के छात्र-छात्राओं को स्वास्थ्य एवं जीवन कौशल संबंधी शिक्षा मित्रवत वातावरण में प्रदान किया जाना है ताकि छात्र-छात्राएं बिना किसी डर के अपनी समस्या को रख सकें एवं छात्र-छात्राएं सही जानकारी प्राप्त कर अपने जीवनचर्या में आवश्यक परिवर्तन ला सकें। यह शिक्षा एवं गतिविधियाँ प्रत्येक सप्ताह प्रशिक्षित हेल्थ एवं वेलनेस एम्बेसेडर (आरोग्य दूत) के द्वारा की जानी है। इस प्रकार प्रत्येक वर्ष में अनुमानित 24 सप्ताह के लिए गतिविधि की जानी है एवं आयोजित गतिविधियों की रिपोर्ट आर.के.एस.के. मोबाइल एप के माध्यम से किया जाना होगा। माड्यूल में उल्लेखित शिक्षा बच्चों को प्रदान किए जाने के अतिरिक्त तालिका में उल्लेखित गतिविधियों के शालाओं में सुचारु संचालन हेतु नोडल शिक्षक की भूमिका में होंगे।

Health and Wellness Messengers (साथिया स्कूल हेल्थ कार्यक्रम)

शाला के प्रशिक्षित हेल्थ एवं वेलनेस एम्बेसेडर (आरोग्य दूत) को कार्यक्रम के संचालन में आवश्यक सहयोग हेतु प्रत्येक कक्षा से दो छात्र को (विशेषतः एक लड़का एवं एक लड़की) को हेल्थ एवं वेलनेस मैसेंजर (साथिया स्कूल हेल्थ कार्यक्रम) के रूप में नामांकित किया जाता है। किसी कक्षा की एक से अधिक सेक्शन होने पर अलग-अलग सेक्शन में दो छात्रों को हेल्थ एण्ड वेलनेस मैसेंजर (साथिया स्कूल हेल्थ कार्यक्रम) के रूप में नामांकित किया जाना है।

यह नामांकित छात्र हेल्थ एवं वेलनेस एम्बेसेडर (आरोग्य दूत) को शाला में स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत गतिविधि संचालित करने में सहयोग प्रदान करते हैं। प्रत्येक कक्षा के बच्चों को हेल्थ एवं वेलनेस मैसेंजर (साथिया स्कूल हेल्थ कार्यक्रम) के रूप में नामांकित किए जाने का कार्य प्रशिक्षित हेल्थ एण्ड वेलनेस एम्बेसेडर का है, जिसमें स्कूल प्रधानाध्यापक / संस्था प्रमुख आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

अपेक्षित भूमिकाएं -

1. उमंग हेल्थ एवं वेलनेस कार्यक्रम अंतर्गत निर्धारित माड्यूल की पूर्ण जानकारी रखना और स्कूल के बच्चों, समुदाय और परिवार में किशोर स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराकर जागरूक करना। सहपाठी और मित्रों को हेल्थ एण्ड वेलनेस सत्रों में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करना।
2. स्कूल में स्कूल हेल्थ गतिविधि आयोजित किये जाने हेतु हेल्थ एवं वेलनेस एम्बेसेडर (आरोग्य दूत) के साथ विचार-विमर्श करना। अन्य कक्षा/सेक्शन के हेल्थ एवं वेलनेस मैसेंजर को उनके कार्य में सहयोग प्रदान करना।
3. हेल्थ एवं वेलनेस एम्बेसेडर (आरोग्य दूत) को किशोर हेल्थ एवं वेलनेस दिवस के आयोजन में सहयोग प्रदान करना। स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम में निर्धारित विषयों पर स्कूल में बाल सभाओं स्कूल हेल्थ गतिविधि का आयोजन करने में सहयोग प्रदान करना।
4. हेल्थ एवं वेलनेस एम्बेसेडर (आरोग्य दूत) को स्कूल में प्रश्न पेटी उपलब्धता करने में सहयोग प्रदान करना और बच्चों को अपने प्रश्न पेटी में डालने हेतु जानकारी देना।
5. किसी बच्चे के साथ हिंसा, डराने-धमकाने आदि की घटना हुई तो इसकी जानकारी हेल्थ एवं वेलनेस एम्बेसेडर (आरोग्य दूत) को देना।
6. हेल्थ एवं वेलनेस एम्बेसेडर के साथ मासिक बैठक कर चुनौतियों पर चर्चा कर उनका समाधान करना।
7. शाला को तम्बाकू मुक्त शाला बनाए जाने में शाला के शिक्षकों, हेल्थ एवं वेलनेस एम्बेसेडर (आरोग्य दूत) एवं शाला प्रमुख को सहयोग करना, आई.एफ.ए. गोलियों का सेवन स्वयं करना एवं कक्षा के अन्य छात्रों को सेवन करने हेतु प्रोत्साहित करना। सुमन कार्यक्रम अंतर्गत सुमन स्वयंसेवी के रूप में भी गतिविधियों का संचालन करेगा।
8. प्रत्येक कक्षा के नामांकित हेल्थ एवं वेलनेस मैसेंजर (साथिया एस.एच.पी.) को तथा हेल्थ एवं वेलनेस एम्बेसेडर (आरोग्य दूत) के आपस में समन्वय करके एक टीम के रूप में कार्य करना आवश्यक होगा, जिससे कि कार्यक्रम को सुचारु रूप से स्कूल में संचालित किया जा सके और स्कूली छात्र भी इस क्षेत्र में अपनी समाजिक जिम्मेदारी को समझ सकें।

आयोजित सत्र की जानकारी -

कार्यक्रम अंतर्गत आयोजित सत्र की जानकारी जनवरी 2023 से मार्च 2024 तक 91 हजार सत्रों का आयोजन शालाओं में किया गया है एवं लगभग 23 लाख किशोर किशोरियों को हेल्थ एवं वेलनेस की शिक्षा प्रदान की गई है।

आशा कार्यक्रम

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने एवं स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच अंतिम व्यक्ति तक बनाने हेतु आशाएं कार्य कर रही हैं। प्रदेश में 64558 ग्रामीण क्षेत्र में और 4246 शहरी क्षेत्र में आशाएं कार्यरत हैं, वर्तमान में ये आशाएं मिशन की महत्वपूर्ण पहचान व उपलब्धि हैं।

आशाओं के सहयोग के लिए ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सभा स्वस्थ ग्राम तदर्थ समितियों तथा शहरी क्षेत्र में महिला आरोग्य समितियों का निर्माण किया गया है। जिन्होंने स्वास्थ्य से जुड़े स्थानीय मुद्दों को उठाने, ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य शिविर आयोजन और समुदाय तक स्वास्थ्य जानकारी पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। आशाएं गर्भवती महिला की प्रथम त्रैमास में पंजीयन, चार जांचें करवाने के अलावा संस्थागत प्रसव हेतु परिवार एवं गर्भवती महिला को परामर्श देती है तथा प्रेरित करती है।

आशाओं एवं आशा सहयोगी के व्यावसायिक कौशल उन्नयन के लिए शासकीय एएनएम प्रशिक्षण के लिए 25 प्रतिशत तथा जीएनएम प्रशिक्षण के लिए 10 प्रतिशत का आरक्षण राज्य शासन द्वारा दिया गया है। साथ ही पोस्टग्रेजुएट आशा पर्यवेक्षकों को आशा प्रशिक्षक के रूप में भी तैयार किया जा रहा है।

शहरी आशा:- मध्यप्रदेश के 68 नगरी निकाय क्षेत्रों में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन संचालित किया जा रहा है। शहरी आशा, नगरी निकाय क्षेत्रों में स्थापित चिन्हित व अचिन्हित मलिन बस्तियों के निवासियों के लिए जमीनी स्तर की स्वास्थ्य कार्यकर्ता है। वह झुग्गी बस्तियों के वंचित समूहों में महिलाओं और बच्चों तक स्वास्थ्य कार्यक्रमों को तथा आंगनवाड़ियों व शासकीय अस्पतालों में स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं सुनिश्चित करने हेतु महत्वपूर्ण कड़ी है। उसे जनस्वास्थ्य के मुद्दों के प्रति संवेदना रखने वाली जनप्रतिनिधि के रूप में देखा जाता है। आशा बनने वाली महिला में प्रभावी संचार कौशल, नेतृत्व गुण व समुदाय तक पहुंचने में सक्षम होना चाहिये।

आशा प्रशिक्षण

प्रदेश में आशा कार्यकर्ताओं के क्षमतावर्धन व कौशल दक्षता बढ़ाने हेतु सुनियोजित तरीके से विभिन्न चरणों में प्रशिक्षण दिये जाने का प्रावधान है, विभिन्न आशा प्रशिक्षण निम्नानुसार हैं-

- **आशा प्रारम्भिक (इंडक्शन) प्रशिक्षण मॉड्यूल** - यह मॉड्यूल नवीन चयनित आशाओं हेतु तैयार किया गया है, जिसमें मुख्यतः आशा का अर्थ, स्वस्थ समुदाय, अधिकारों और स्वास्थ्य के अधिकार का अर्थ, आशा की दक्षताएं, मातृ स्वास्थ्य, शिशु एवं बाल पोषण, किशोर स्वास्थ्य, अनचाहे गर्भधारण से बचाव, सुरक्षित गर्भपात आदि विषयों को सम्मिलित किया गया है।
- **आशा मॉड्यूल 6-7 प्रशिक्षण मॉड्यूल** - जो जीवन रक्षा कर सकें इस मॉड्यूल को 3 भागों में बांटा गया है जो कि निम्नानुसार है -

आशा बनना के अंतर्गत आशा की भूमिका, उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य, आशा कार्यक्रम का मूल्यांकन, तथा आशा के लिए सहयोगी तंत्र की जानकारी जैसे विषय सम्मिलित किये गए हैं। माँ का स्वास्थ्य के अंतर्गत गर्भावस्था का पता लगाना, शिशु जन्म की तैयारी की योजना बनाना, एनीमिया, गर्भावस्था व प्रसव के बाद देखभाल को शामिल किया गया है। नवजात शिशु का स्वास्थ्य के अंतर्गत प्रसव के समय शिशु की देखभाल, गृह में शिशु की जांच एवं आवश्यक होने पर इलाज हेतु अस्पताल भेजना तथा घर में सामान्य देखभाल, स्तनपान, नवजात शिशु को गर्म रखना तथा बुखार का प्रबंधन व जन्म के समय कम वजन एवं एसएनसीयू से छुट्टी किये गए शिशुओं की गृह आधारित देखभाल शामिल हैं। जीवन रक्षक कौशल के अंतर्गत नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों का आहार प्रणाली, कुपोषण का मूल्यांकन, टीकाकरण, बीमार शिशु का मूल्यांकन, बुखार की जांच और वर्गीकरण, दस्त सम्बन्धी बीमारियों का इलाज एवं ए.आर.आई. को शामिल किया गया है। महिला का प्रजनन स्वास्थ्य के अंतर्गत सुरक्षित गर्भपात, परिवार नियोजन व आर.टी.आई. एवं एस.टी.आई. को शामिल किया गया है। नवजात शिशु का स्वास्थ्य के अंतर्गत जन्म के समय कम वजन/समय पूर्व जन्मे शिशुओं में अधिक जोखिम की पहचान और प्रबंधन करना, जन्म के समय कम वजन/समय पूर्व जन्मे शिशुओं को स्तनपान कराना, जन्म के समय सांस में घुटन की पहचान और इलाज तथा नवजात शिशु में होने वाला संक्रमण (सेप्सिस) का निदान और इलाज को शामिल किया गया है। संक्रामक रोग

में मलेरिया एवं टी.बी. की पहचान, सामान्य जानकारी एवं पूर्ण इलाज में मदद करना शामिल है। महिला हिंसा के खिलाफ सामूहिक प्रयास- इस मॉड्यूल में आशा को सशक्त करने व समुदाय में महिला एवं बच्चों पर होने वाली विभिन्न प्रकार की हिंसाओं को समझाने का प्रयास किया गया है साथ ही महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा को रोकने के लिए कानूनी उपाय हैं उनको शामिल किया गया है। इस प्रकार से आशा मॉड्यूल 6-7 का प्रशिक्षण कौशल आधारित प्रशिक्षण है तथा **महिला हिंसा के खिलाफ सामूहिक प्रयास** मॉड्यूल आशा को सशक्त व जागरूक करता है। यह तीनों मॉड्यूल का 20 दिवसीय प्रशिक्षण को 5-5 दिवसीय प्रशिक्षणों में विभाजित कर चार चरणों में आशा को दिया जाता है।

- **गृह आधारित शिशु देखभाल कार्यक्रम (एचबीवायसी) संबंधी प्रशिक्षण-** एचबीवायसी अंतर्गत आशाओं द्वारा शिशु के जन्म के पश्चात तीसरे माह, छठवें माह, नौवें माह, बारहवें माह व पंद्रहवें माह की आयु में घरों का दौरा किया जाता है, जो कि शिशु के उत्तम स्वास्थ्य, पोषण, आरंभिक बाल विकास एवं संपूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण गतिविधि है। एचबीवायसी प्रशिक्षण में आशा कार्यकर्ताओं को घरों का दौरा करने संबंधी एवं प्रत्येक गृहभेंट में किये जाने वाले कार्यों संबंधी 05 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण दिया जाता है।
- **व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं (CPHC) संबंधी प्रशिक्षण पैकेज-** इस प्रशिक्षण पैकेज में आशा कार्यकर्ताओं का गैर संचारी रोगों पर प्रशिक्षण (05 दिवस), मानसिक स्वास्थ्य, वृद्धजन देखभाल एवं प्रशामक देखभाल प्रशिक्षण (08 दिवसीय) तथा ओरल, ईएनटी, आँख एवं आकस्मिक देखभाल प्रशिक्षण (05 दिवसीय) दिया जाता है।
 - गैर संचारी रोगों संबंधी प्रशिक्षण- आशा एवं आशा पर्यवेक्षकों को गैर संचारी रोगों पर पांच दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस मॉड्यूल में आशा एवं आशा सहयोगी को मुख्यतः पांच गैर संचारी रोग-मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मुँह का कैंसर, स्तन कैंसर, गर्भाशय के मुख (सरवाईकल) कैंसर के उच्च जोखिम लक्षणों को पहचानने तथा इनके आधार पर निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र में स्क्रीनिंग हेतु रेफर किया जाता है।
 - मानसिक स्वास्थ्य, वृद्धजन देखभाल एवं प्रशामक देखभाल प्रशिक्षण- व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल (CPHC) अंतर्गत आशा एवं आशा पर्यवेक्षकों को मानसिक स्वास्थ्य, वृद्धजन देखभाल एवं प्रशामक देखभाल अंतर्गत कुल 08 दिवस का आवासीय प्रशिक्षण निम्नानुसार दो चरणों में प्रदान किया जाना है-
 - मानसिक स्वास्थ्य - 03 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण किया जा रहा है।
 - वृद्धजन देखभाल एवं प्रशामक देखभाल- 05 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण।
 - ओरल, ईएनटी, आँख एवं आकस्मिक देखभाल प्रशिक्षण- व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल (CPHC) अंतर्गत आशा एवं आशा पर्यवेक्षकों को ओरल, ईएनटी, आँख एवं आकस्मिक देखभाल अंतर्गत कुल 05 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है।

आशा प्रशिक्षण प्रमाणीकरण

समुदाय में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाएँ प्रदान करने में आशा कार्यकर्ताओं की योग्यता एवं पेशेवर विश्वसनीयता बढ़ाने के उद्देश्य से आशा प्रमाणन कार्यक्रम आरंभ किया गया है। आशा प्रमाणन कार्यक्रम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केन्द्र (NHSRC) और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) के बीच एक त्रिपक्षीय समझ है।

आशा कार्यकर्ताओं को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि

आशा को उसके द्वारा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संचारी एवं गैर संचारी रोग कार्यक्रम के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यों के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। मातृ शिशु स्वास्थ्य के सूचकांकों में सुधार लाने हेतु राज्य शासन द्वारा सात प्रमुख गतिविधियों के लिए शत-प्रतिशत प्रोत्साहन राशि की प्रतिपूर्ति की जाती रही है। साथ ही आशा एवं आशा पर्यवेक्षक को क्रमशः- रु. 4000 एवं रु. 6000 की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।

आशा कार्यकर्ता को वर्ष 2023-24 में (31 मार्च 2024) तक आशा एवं आशा पर्यवेक्षक को उनके द्वारा किये गये कार्यों हेतु रु. 569.40 करोड़ प्रोत्साहन राशि का वितरण किया गया है।

आशा एवं आशा पर्यवेक्षक अवार्ड

वर्ष 2010-11 में आशाओं को प्रोत्साहन हेतु अवार्ड देने का प्रावधान किया गया था। तब से प्रतिवर्ष आशाओं को निर्धारित मापदण्डों के आधार पर पुरस्कार दिया जा रहा है। जिला स्तर पर आशा पर्यवेक्षक तथा आशाओं को तथा ब्लॉक स्तर पर आशाओं को पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष 15 अगस्त एवं 26 जनवरी को दिये जाते हैं।

आशा हेतु सहयोग तंत्र

आशा को प्रेरित होकर बेहतर रूप से कार्य करने हेतु उसे सामाजिक एवं शासकीय सहयोग तथा प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। इसके लिये आशाओं को समय पर प्रोत्साहन राशि का भुगतान, आशा चयन, कार्य के दौरान व स्वास्थ्य केन्द्रों में दुर्यवहार, लाभार्थी को स्वास्थ्य सुविधाओं में आने वाली समस्याओं का हल निकालने के लिये आशा सहयोगी तंत्र स्थापित है। इस हेतु राज्य स्तर पर राज्य आशा टीम कार्यरत है। जिला स्तर पर जिला कम्युनिटी मोबिलाईजर, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक कम्युनिटी मोबिलाईजर एवं 10-12 आशाओं पर 1 आशा पर्यवेक्षक का सहयोगी तंत्र बनाया गया है। सेक्टर स्तर पर सहयोगी तंत्र के रूप में 5213 आशा पर्यवेक्षकों का चयन किया गया है। प्रति सेक्टर एक आशा पर्यवेक्षक का चयन किया गया है। गांव स्तर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ग्राम सभा स्वस्थ ग्राम तदर्थ समिति के सदस्य आशा के सहयोगी तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

आंगनबाड़ी सह ग्राम आरोग्य केन्द्र

गांवों में आंगनबाड़ी सह ग्राम आरोग्य केन्द्र प्रत्येक गांव में स्वास्थ्य की गतिविधियों का केन्द्र है। आरोग्य केन्द्र में गांव के स्वास्थ्य से संबंधित समस्त रिकार्ड, योजनाओं का विवरण आदि संधारित किया जाता है। पूर्व में आवश्यकता होने पर गांव स्तर पर जानकारी का अभाव रहता था। अब ग्राम आरोग्य केन्द्र इस कमी को पूर्ण करने में सहायक हो रहा है। ग्राम आरोग्य केन्द्र हेतु स्थान चयन गांव में उपलब्ध आंगनबाड़ी केन्द्र, पंचायत भवन, सामुदायिक भवन आदि किया गया है। प्रदेश में कुल 47935 केन्द्र अधिकृत रूप से अस्तित्व में हैं।

ग्राम आरोग्य केन्द्र का व्यवस्थापन - ग्राम आरोग्य केन्द्र में उपलब्ध सुविधाओं तथा कार्यों के सुचारु संचालन हेतु निम्न व्यवस्थाएं हैं-

उपकरण	औषधि	रिकार्ड	आईईसी सामग्री
फर्नीचर- कुर्सी, टेबिल, बैंच,	ओ.आर.एस., पैकेट	जन्म मृत्यु पंजीयन रजिस्टर	प्रचार प्रसार हेतु जैसे- रेडियो, डीव्हीडी, लाउड स्पीकर/माईक एवं आईईसी सामग्री
ए.एन.सी. परीक्षण टेबल और उस पर चढ़ने के लिए स्टूल।	आयरन फोलिक एसिड टेबलेट (छोटी/बड़ी)	गर्भवती पंजीयन रजिस्टर	ग्राम सभा स्वस्थ ग्राम तदर्थ समिति के सदस्यों के नाम का बेनर
नवजात शिशु हेतु न्यूनेटल स्प्रिंग, बैलेंस, इनफेन्टो मीटर	कोट्राइमोक्साजोल टेबलेट (बच्चों की)	टीकाकरण बच्चों का पंजीयन रजिस्टर	आशा प्रोत्साहन राशि का विवरण
हीमोग्लोबिनोमीटर	जेन्शन वायलेट क्रिस्टल	लक्ष्य दंपतियों का पंजीयन रजिस्टर	फ्लिप चार्ट
स्टेथोस्कोप	जिंक सल्फेट डिस्पेंसीबल टेबलेट	सर्वे रजिस्टर	
फीटोस्कोप	पैरासिटमाल टेबलेट (500 एम. जी.)	तदर्थ समिति बैठक रजिस्टर	
स्प्रिट लैंप	एल्बेन्डाजोल टेबलेट (400 एम. जी.)	स्टॉक रजिस्टर	

हब कटर, थर्मामीटर, रूई	डाइक्लोमिन हाइड्रो क्लोराइड टेबलेट (10 एम.जी.)	ड्रग स्टॉक रजिस्टर	
परखनली	पाविडोन आयोडीन आइन्टमेंट	निरीक्षण रजिस्टर	
टार्च, अलमारी, संदूक, पर्दा	कॉटन बेंडेज		
पानी की टंकी, गिलास	अब्जाबेंट कॉटन		
यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट	क्लोरोक्वीन फास्फेट टेबलेट		
आर.डी.के. किट	ओरल पिल्स पैकेट		
ब्लड प्रेशर उपकरण	कंडोम		
मलेरिया स्लाइड	फोलिक एसिड टेबलेट		
छोटे बच्चों के वजन हेतु मशीन तथा वयस्क हेतु मशीन	इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स		

ग्राम सभा स्वस्थ ग्राम तदर्थ समिति

सत्ता के विकेन्द्रीकरण हेतु पंचायतीराज अधिनियम के 73 वें संशोधन पश्चात ग्रामसभा स्तर पर अधिकार एवं जिम्मेदारियां दी गयीं हैं। ग्राम और ग्रामवासियों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के रास्ते खोजना एवं निर्णय लेना ग्राम सभा का काम है और करवाना ग्राम पंचायत का काम है। पंचायतीराज अधिनियम के 73वें संशोधन में ग्राम सभा को सुचारु रूप से कार्य करने स्थायी एवं अस्थायी समितियों को गठित कर ग्राम का विकास करने के प्रावधान हैं। इसी प्रावधान के तहत ग्राम के स्वास्थ्य से जुड़ी हर तरह की समस्या का हल निकालने के लिये सभी ग्रामों में ग्राम सभा द्वारा एक ग्राम सभा स्वस्थ ग्राम तदर्थ समिति बनायी गयी है। ग्राम सभा स्वस्थ ग्राम तदर्थ समिति पंचायत ग्रामीण विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग एवं पी.एच.ई. विभाग के समन्वय से ग्राम सभा की उपसमिति के रूप में बनाई गयी है। वर्तमान में 47840 ग्राम सभा स्वस्थ ग्राम तदर्थ समिति राजस्व ग्रामों में कार्यरत है।

इस समिति में न्यूनतम 12 एवं अधिकतम 20 सदस्य हैं। इनमें 50 प्रतिशत महिला एवं अनुसूचित जाति तथा जनजाति के सदस्य होना अनिवार्य है। ग्राम सभा स्वस्थ ग्राम तदर्थ समिति का गठन ग्राम में स्वास्थ्य जागरूकता लाने तथा ग्राम स्वास्थ्य योजना बनाकर कार्य करने हेतु किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की ओर से प्रत्येक ग्रामसभा स्वस्थ ग्राम तदर्थ समिति को वार्षिक 10000 रुपये अनाबद्ध राशि के रूप में दी जाती है। इसके व्यय हेतु निर्णय समिति की बैठक में लिया जाता है। समिति टीकाकरण, गांव में स्वच्छता, आशा को सहयोग तथा अनाबद्ध राशि आदि के उपयोग हेतु मासिक बैठक कर निर्णय लेती हैं।

समिति का प्रशिक्षण - विश्वास मॉड्यूल

ग्राम सभा स्वस्थ ग्राम तदर्थ समिति के सदस्यों के क्षमतावर्धन हेतु विश्वास मॉड्यूल पर आधारित प्रशिक्षण प्रदेश के समस्त जिलों में दिया जा रहा है। विश्वास VISHWAS (Village-based Initiative to Synergies Health, Water and Sanitation) एक अभियान है, जिसे ग्राम सभा स्वस्थ ग्राम तदर्थ समिति के नेतृत्व में चलाया जा रहा है, अभियान एक वर्ष की अवधि के लिए प्रत्येक ग्राम में आयोजित किया जाएगा, जिसके अंतर्गत मासिक अभियान दिवसों के माध्यम से समुदाय स्तर पर जल, स्वच्छता और स्वास्थ्य सुधार तथा स्वास्थ्य एवं गुणवत्तापूर्ण जीवन पर उसके प्रभाव के लिए सामूहिक पहल करना, लोगों के जीवन में जल एवं स्वच्छता की परिस्थितियों में सुधार लाना, स्वच्छता और साफ-सफाई के व्यवहारों को सुधारने एवं इस संबंध में समुदाय का व्यवहार परिवर्तन में सहायक होगा। विश्वास अभियान के द्वारा ग्राम सभा स्वस्थ ग्राम तदर्थ समितियों को सक्रिय एवं सुदृढ़ीकरण किया जाएगा एवं तदर्थ समिति की भूमिकाओं को पूरा करने के लिए उनकी संस्थागत क्षमता का निर्माण करने में सहायक होगा।

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत सामुदायिक प्रक्रियाएँ

मध्यप्रदेश के 68 नगरी निकाय क्षेत्रों में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन संचालित किया जा रहा है। शहरी आशा, नगरी निकाय क्षेत्रों में स्थापित चिन्हित व अचिन्हित मलिन बस्तियों के निवासियों के लिए जमीनी स्तर की स्वास्थ्य कार्यकर्ता है। वह झुग्गी बस्तियों के वंचित समूहों में महिलाओं और बच्चों तक स्वास्थ्य कार्यक्रमों को तथा आंगनवाड़ियों व शासकीय अस्पतालों में स्वास्थ्य संबंधित सेवाएँ सुनिश्चित करने हेतु महत्वपूर्ण कड़ी है। उसे जनस्वास्थ्य के मुद्दों के प्रति संवेदना रखने वाली जनप्रतिनिधि के रूप में देखा जाता है। आशा बनने वाली महिला में प्रभावी संचार कौशल, नेतृत्व गुण व समुदाय तक पहुंचने में सक्षम होना चाहिए।

शहरी आशा के चयन मापदंड - शहरी आशा का चयन, संबंधित शहर की चिन्हित मलिन बस्तियों के लिया ही किया जाता है, 07 संभागीय मुख्यालयों (भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, सागर, जबलपुर एवं रीवा) में शहरी क्षेत्र के समस्त वार्डों में 2500 की आबादी पर 01 आशा के मान से शहरी आशा का प्रावधान रखा गया है।

शहरी आशा के कार्य - गर्भवती महिला को आकस्मिक परिस्थिति में गंभीर खतरे के लक्षण पहचानकर नजदीकी प्रसव केन्द्र, सरकारी अस्पताल ले जाना। गंभीर रूप से बीमार नवजात शिशु को नवजात केयर यूनिट व गंभीर कुपोषित बच्चे को एन आर सी में भर्ती कराना। गर्भवती महिला एवं नवजात शिशुओं को टीकाकरण हेतु प्रेरित करना। शहरी आशा को अपने क्षेत्र की झुग्गी बस्तियों में निवासरत जनसमुदाय तक स्वास्थ्य सुविधाएँ, साफ पानी, साफ वातावरण, साफ शौचालय की योजना बनाकर उसे क्रियान्वित करना सम्मिलित है।

क्षमता विकास - शहरी आशा के रूप में चयनित कार्यकर्ता को अपने दायित्वों के सम्यक निर्वहन हेतु ग्रामीण आशाओं की ही भांति समस्त प्रशिक्षण प्रदान किये जाते हैं। प्रदेश में विभिन्न जिला मुख्यालयों एवं अन्य 7 बड़े शहरों में 4289 शहरी आशाओं का चयन किया जा चुका है जिनका क्रमबद्ध रूप से विभिन्न प्रशिक्षण कार्य जारी है।

प्रोत्साहन राशि - शहरी आशा को कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाता है। शहरी आशा को ग्रामीण आशा की तरह प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया है।

महिला आरोग्य समिति

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के ढाँचे में महिला आरोग्य समिति का गठन रखा गया है। महिला आरोग्य समिति प्रत्येक मलिन बस्ती में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के कार्यक्रमों को संचालित करने हेतु केन्द्रीय सामुदायिक समूह के रूप में कार्य करती है। किसी भी स्थिति में प्रत्येक आशा के कार्यक्षेत्र में अनिवार्यतः एक महिला आरोग्य समिति का गठन होगा, जिसके सदस्य वहाँ के समुदाय से होंगे। प्रत्येक महिला आरोग्य समिति की सदस्य संख्या 11-15 होगी, जो कि कार्य क्षेत्र की जनसंख्या पर निर्भर होगी। लेकिन किसी भी स्थिति में यह संख्या 09 से कम एवं 21 से ज्यादा नहीं होगी। यदि किसी मलिन बस्ती में विभिन्न सामाजिक समूह निवासरत है तो शहरी आरोग्य समिति में सभी समूहों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाएगा। प्रदेश में विभिन्न शहरों में वर्ष 2023-24 की स्वीकृति अनुसार 4009 महिला आरोग्य समितियों का गठन किया जा चुका है।

महिला आरोग्य समिति का क्षमता निर्माण

- प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य, पोषण एवं पेयजल तथा स्वच्छता के संदर्भ में समिति के सदस्यों की जानकारी को अद्यतन करने, छूटे लाभार्थियों का लेखा-जोखा रखने तथा लाभार्थियों के उचित परामर्श हेतु कौशल निर्माण किया जाना।
- समिति की बैठकों के दौरान सदस्यों द्वारा स्वास्थ्य, पेयजल एवं स्वच्छता संबंधी मुद्दों पर बहस को प्रोत्साहित करना।

।। गांव-गांव में आशा आई, अच्छे स्वास्थ्य की अलख जगाई।।

एकीकृत रेफरल ट्रांसपोर्ट योजना

योजना का स्वरूप

प्रदेश में एकीकृत रेफरल ट्रांसपोर्ट प्रणाली अंतर्गत संजीवनी 108 सेवा (108-आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा, जननी एक्सप्रेस सेवा, एवं हेल्थ हेल्प लाईन सेवा)का संचालन C-21 मॉल स्थित केन्द्रीयकृत 108- कॉल सेंटर के माध्यम से किया जा रहा है।

वर्तमान में 108 सेवाप्रदाता M/s. JAES Projects (I) Pvt. Ltd. द्वारा उक्त सेवाओं का संचालन एवं नियंत्रण केन्द्रीय एकीकृत कॉल सेंटर दिनांक 01/05/2022 से किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार सेवाओं के संचालन हेतु प्रकाशित आर.एफ.पी एवं निष्पादित अनुबंध की शर्त अनुसार वर्तमान में संचालित वाहनों की संख्या में वृद्धि करते हुये नवीन सेवा प्रदाता संस्था द्वारा प्रदेश के समस्त जिलों में कुल 1002 संजीवनी 108-एम्बुलेंस वाहन (ALS/BLS) तथा 1059 जननी एक्सप्रेस वाहनों का चरणबद्ध तरीके से संचालन किया जा रहा है तथा मरीजों को उपचार हेतु नजदीकी चिकित्सालय में पहुँचाने के लिए एम्बुलेंस वाहनों का औसतन रिस्पान्स टाईम ग्रामीण क्षेत्रों में 00:25:00 मिनट एवं शहरी क्षेत्रों में 00:18:00 मिनट का प्रावधान किया गया है। जिससे अधिकाधिक हितग्राहियों को परिवहन सुविधा प्रदाय की जा रही है। एम्बुलेंस वाहनों के मॉनीटरिंग तथा ट्रेकिंग हेतु उच्च तकनीक के रूप में Location Based System (LBS), Mobile Data Terminal (MDT), Advance intimation system, or a Web/application-based system को भी शामिल किया गया है।

योजना के कम्पोनेंट -

- संजीवनी 108-एम्बुलेंस सेवा
- जननी एक्सप्रेस सेवा
- 104-हेल्थ हेल्पलाइन सेवा



संजीवनी 108 एम्बुलेंस सेवा

वर्तमान में प्रदेश के समस्त जिलों में 1002 संजीवनी 108-एम्बुलेंस सेवा का संचालन C-21 मॉल स्थित केन्द्रीयकृत 108-कॉल सेंटर के माध्यम से किया जा रहा है। इस सेवा के अन्तर्गत बेसिक लाइफ सपोर्ट (बीएलएस) स्तर के 835 वाहन तथा एडवांस लाइफ सपोर्ट (एएलएस) स्तर के 167 वाहन उपलब्ध हैं। 108-एम्बुलेंस वाहनों द्वारा किसी भी आपातकालीन स्थिति में पीड़ितों को त्वरित चिकित्सकीय परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। 108-एम्बुलेंस सेवा के बी.एल.एस. स्तर के वाहनों में एक प्रशिक्षित इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन (ई.एम.टी.) उपलब्ध होता है। तथा जीवन रक्षक उपकरण भी उपलब्ध होते हैं। ए.एल.एस. स्तर के वाहनों में जीवनरक्षा हेतु अत्यावश्यक उपकरण तथा वेन्टीलेटर, डी-फिब्रीलेटर भी उपलब्ध हैं। गंभीर परिस्थितियों में पीड़ित के अस्पताल परिवहन के दौरान एम्बुलेंस वाहन में पदस्थ ई.एम.टी. द्वारा 108-कॉल सेंटर में उपलब्ध चिकित्सक से संपर्क स्थापित कर जीवन रक्षक उपकरणों एवं दवाइयों के माध्यम से पीड़ित को प्राथमिक उपचार प्रदाय किया जाता है। उक्त वाहन राज्य स्तरीय संचालित केन्द्रीय कॉल सेंटर के माध्यम से परिचालित किये जाते हैं। जिसका एक टोल-फ्री नम्बर '108' है। इस सेवा के अंतर्गत नगरीय क्षेत्र में 00:18 मिनट तथा ग्रामीण क्षेत्र में 00:25 मिनट में वाहन के पहुंचने का प्रावधान रखा गया है। 108 सेवाप्रदाता संस्था जय अम्बे इमरजेंसी सर्विस लिमिटेड द्वारा संचालित उक्त सभी वाहनों में जी.पी.एस. आधारित एम्बुलेंस ट्रैकिंग प्रणाली की व्यवस्था है। इस वर्ष अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक कुल 13,45,050 तथा योजना प्रारम्भ से मार्च 2024 तक 96,37,729 मरीजों को 108-एम्बुलेंस सेवा द्वारा लाभान्वित किया गया।

जननी एक्सप्रेस सेवा

गर्भवती महिलाओं तथा बीमार बच्चों के परिवहन हेतु आकल्पित जननी एक्सप्रेस योजना को प्रदेश में वर्ष 2006 से प्रारम्भ किया गया। पूर्व में इन वाहनों का नियंत्रण प्रत्येक जिले में स्थापित पृथक-पृथक कॉल सेंटर से किया जाता था, परंतु वर्तमान में एकीकृत रेफरल ट्रांसपोर्ट प्रणाली अंतर्गत जननी एक्सप्रेस सेवा का संचालन राज्य स्तरीय केन्द्रीयकृत 108- कॉल सेंटर के माध्यम से 108 सेवाप्रदाता संस्था द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश के समस्त जिलों में कुल 1059 जननी एक्सप्रेस वाहन संचालित हैं। इस सेवा के अन्तर्गत वाहनों द्वारा गर्भवती महिलाओं तथा 01 वर्ष तक के बीमार बच्चों को निःशुल्क परिवहन सुविधा (घर से अस्पताल एवं अस्पताल से घर) प्रदाय की जाती है।

जननी एक्सप्रेस योजना के अन्तर्गत अप्रैल-23 से मार्च 2024 तक कुल 7,00,944 गर्भवती महिलाओं तथा 85,384 बीमार शिशुओं एवं 6,799 अन्य मरीजों को घर से चिकित्सालय तक पहुंचाया गया।

इसी प्रकार अप्रैल-23 से मार्च 2024 तक कुल 8,44,613 महिलाओं को प्रसव उपरान्त तथा 71,860 बीमार शिशुओं एवं 747 अन्य मरीजों को अस्पताल से घर तक पहुंचाया गया। अप्रैल-23 से मार्च 2024 तक कुल 72,246 हितग्राहियों को एक अस्पताल से दूसरे उच्च संस्थान तक पहुंचाया गया।

।। यदि अस्पताल हो दूर, तो जननी एक्सप्रेस को रखें याद जरूर।।

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन

पूर्व में संचालित राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के उपरान्त बढ़ते हुए शहरीकरण के दृष्टिगत शहरी क्षेत्र में रहने वाले गरीबों मुख्यतः मलिन बस्तियों में जीवनयापन कर रहे गरीबों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन वर्ष 2013 में संचालित किया गया है जिसके अंतर्गत शहरी गरीब बस्तियों में रहने वाले लोगों तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने हेतु विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही हैं।

वर्तमान में प्रदेश में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन का क्रियान्वयन प्रदेश के 47 जिलों एवं 19 उपजिलों में किया जा रहा है। जिसके अंतर्गत आमजन को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत प्रति 50 हजार की जनसंख्या पर प्रदेश में कुल 141 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित किए जा रहे हैं एवं 15वें वित्त आयोग के तहत जन-समुदाय को स्वास्थ्य सेवाएं सुगमता से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से औसतन 20 से 25 हजार की आबादी के मान से कुल 783 मुख्यमंत्री संजीवनी क्लीनिक/संजीवनी पॉलीक्लीनिक (अर्बन-एच.डब्ल्यू.सी.) का क्रियान्वयन किया गया जा रहा है जिसमें 172 पूर्व से क्रियाशील संजीवनी क्लीनिक एवं सिविल डिस्पेंसरी सम्मिलित हैं जिसके परिणामस्वरूप गरीब मलीन बस्ती/क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को गुणात्मक स्वास्थ्य सुविधाएं घर के समीप सुगमता से उपलब्ध हो रही हैं। इसके साथ ही शहरी स्वास्थ्य संस्थाओं द्वारा सामुदायिक स्तर पर भी शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के माध्यम से टीकाकरण, स्क्रीनिंग एवं काउन्सलिंग सेवाएं शहरी आशा एवं ए.एन.एम. के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं।

शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत शहरी स्वास्थ्य संस्थाओं हेतु जनसंख्या मापदण्ड -

- प्रति 20-25 हजार की शहर जनसंख्या पर एक मुख्यमंत्री संजीवनी क्लीनिक/पॉलीक्लीनिक क्लीनिक (अर्बन-एच.डब्ल्यू.सी.)।
- प्रति 50 हजार की शहरी जनसंख्या पर एक शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (यू.पी.एच.सी.)।
- प्रति 2.50 लाख की शहरी जनसंख्या पर एक शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र(यू.सी.एच.सी.)।
- वर्तमान में कार्यक्रम के तहत 928 शहरी स्वास्थ्य संस्थाएँ स्वीकृत हैं जिसमें 141 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य संस्थाएं 04 शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य एवं 783 संजीवनी क्लीनिक/पॉलीक्लीनिक क्लीनिक(अर्बन-एच.डब्ल्यू.सी.) शामिल हैं।
- वर्तमान में 928 शहरी स्वास्थ्य संस्थाओं में से 141 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 04 शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 229 मुख्यमंत्री संजीवनी क्लीनिक/पॉली क्लीनिक (अर्बन-एच.डब्ल्यू.सी.) सहित कुल 374 शहरी स्वास्थ्य संस्थाएं क्रियाशील हैं तथा शेष 554 अर्बन-एच.डब्ल्यू.सी. को क्रियाशील किये जाने की प्रक्रिया प्रचलन में है।
- प्रत्येक मलिन बस्ती के लिए शहरी आशा।
- प्रत्येक मलिन बस्ती क्षेत्र में एक महिला आरोग्य समिति (MAS)।
- प्रत्येक संस्था पर ओ.पी.डी. के साथ निःशुल्क जाँच एवं दवाओं की उपलब्धता।

शहरी स्वास्थ्य संस्थाओं द्वारा निम्न स्वास्थ्य सेवाएँ निःशुल्क प्रदान की जा रही हैं -

- 12 प्रकार की हेल्थ एवं वेलनेस स्वास्थ्य सेवाएँ।
- शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर कुल 80 प्रकार की लैबजांच सेवाएँ जिसमें 30 प्रकार की लैब जांच रैपिड कार्ड द्वारा संस्था पर एवं 50 प्रकार की लैब जांच हब एण्ड स्पोक मॉडल के तहत और मुख्यमंत्री संजीवनी क्लीनिक/पॉली क्लीनिक (अर्बन-एच.डब्ल्यू.सी.) पर 67 प्रकार की लैब जांच सेवाएँ जिसमें 17 प्रकार की लैब जांच रैपिड कार्ड द्वारा संस्था पर एवं 50 प्रकार की लैब जांच हब एण्ड स्पोक मॉडल के तहत किये जाने का प्रावधान है।
- रेफरल सेवाएँ।
- शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाएँ।
- महिला आरोग्य समिति के माध्यम से समुदाय में महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य जागरूकता, स्व:रोजगार एवं आत्मनिर्भर आदि हेतु प्रेरित करने के साथ-साथ मूल-भूत सुविधाएँ जैसे- स्वच्छ पेय जल, बिजली, जल निकासी, शौचालय, स्वच्छता आदि की उपलब्धता स्थानीय अधिकारियों से समन्वय।

विभाग द्वारा शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत किये जा रहे प्रयासों के परिणाम स्वरूप संक्षिप्त उपलब्धियां निम्नानुसार हैं

माह 01 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक की उपलब्धियां

क्र.	सुविधायें	उपलब्धियां
1	शहरी स्वास्थ्य संस्थायें	वर्तमान में 928 शहरी स्वास्थ्य संस्थाओं में से 141 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य संस्थाएं, 04 शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य एवं 240 मुख्यमंत्री संजीवनी क्लीनिक/पॉली क्लीनिक (अर्बन-एच.डब्ल्यू.सी) क्रियाशील हैं तथा शेष 543 अर्बन-एच.डब्ल्यू.सी को क्रियाशील किये जाने की प्रक्रिया प्रचलन में है।
2	हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर का उन्नयन	924 शहरी स्वास्थ्य संस्थाओं में से वर्तमान में 141 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं 214 अर्बन-एच.डब्ल्यू.सी को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर के रूप में उन्नयन किया जा चुका है। शेष संस्थाओं को एच.डब्ल्यू.सी में उन्नयन करने की कार्यवाही प्रचलन में है।
3	ओ.पी.डी. सेवायें	शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं मुख्यमंत्री संजीवनी क्लीनिक (अर्बन-एच.डब्ल्यू.सी) के माध्यम से कुल 53,46,589 हितग्राहियों को ओ.पी.डी. सेवायें, 17,15,421 लैब टेस्ट, 4,56,768 हाइपरटेंशन एवं 3,35,407 डायबिटीज, 2,37,753 गर्भवती महिलाओं का एएनसी पंजीकरण, 1,74,102 प्रथम त्रैमास में पंजीकृत एवं 1,91,171 गर्भवती महिलाओं का चार एएनसी जाँच स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान की गई।
4	मेरा अस्पताल	मेरा अस्पताल के अंतर्गत 140 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य संस्थाओं को मेरा अस्पताल शिकायत निवारण कार्यक्रम से जोड़ा गया है।
5	क्वालिटी इनिशिएटिव एवं एन.क्यू.ए.एस. सर्टिफिकेशन	शहरी क्षेत्र में स्थित समस्त अर्बन-एच.डब्ल्यू.सी, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराये जाने हेतु कायाकल्प एवं एन.क्यू.ए.एस. क्वालिटी इनिशिएटिव प्रारंभ किया गया है तथा संस्थाओं को कायाकल्प एवं एन.क्यू.ए.एस.के. अनुरूप विकसित किया जा रहा है जिसके परिणाम स्वरूप प्रदेश की 05 संस्थाओं जिसमें इंदौर जिले की 01 अर्बन-एच.डब्ल्यू.सी (मुख्यमंत्री संजीवनी क्लीनिक आजाद नगर) एवं भोपाल जिले की 02 अर्बन एच डब्ल्यू सी. (मुख्यमंत्री संजीवनी पॉली क्लीनिक सेवानियमों) एवं मुख्यमंत्री संजीवनी पॉली क्लीनिक इण्डस्ट्रियल एरिया भोपाल तथा जबलपुर और सतना जिले की क्रमशः 1-1 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संजय नगर एवं हनुमान नगर नई बस्ती को भारत सरकार द्वारा एन.क्यू.ए.एस. सर्टिफाइड घोषित किया गया है।
6	कायाकल्प अभियान	कायाकल्प अभियान वर्ष 2023-24 के अंतर्गत 168 शहरी स्वास्थ्य संस्थाओं द्वारा 70 या 70 से अधिक प्रतिशत अंक फाईनल असेसमेंट में स्कोर प्राप्त किये हैं।
7	स्वास्थ्य सेंवाओं का विस्तार	भारत सरकार द्वारा 15 वे वित्तीय आयोग के तहत नवीन 611 स्वास्थ्य संस्थाएँ खोले जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसमें 446 मुख्यमंत्री संजीवनी क्लीनिक को संचालन हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत किये जा रहे प्रयासों के फलस्वरूप शहरी स्वास्थ्य संस्थाओं द्वारा दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में निरंतर सुधार हुआ है इसके साथ ही जन सामुदाय में भी स्वास्थ्य संस्थाओं द्वारा दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है।

क्वालिटी एश्योरेन्स

मध्यप्रदेश शासन द्वारा जहां रोगियों को समस्त स्वास्थ्य सेवाएं सुलभता से उपलब्ध कराने के सार्थक प्रयास किये जा रहे हैं, वहीं स्वास्थ्य विभाग रोगियों को गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदायगी के लिए भी निरंतर प्रयासरत है। इसी उद्देश्य से प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत क्वालिटी एश्योरेन्स सेल का गठन किया गया है। क्वालिटी एश्योरेन्स सेल ना केवल स्वास्थ्य संस्थाओं द्वारा दी जा रही सेवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए प्रयासरत है, वहीं भारत सरकार द्वारा अधिकथित नेशनल क्वालिटी एश्योरेन्स मापदंड अनुरूप स्वास्थ्य संस्थाओं का उन्नयन करने के लिए भी क्रियाशील है। इसके अतिरिक्त क्वालिटी एश्योरेन्स सेल द्वारा निम्न गतिविधियां क्रियाशील हैं, जिनके माध्यम से स्वास्थ्य संस्थाओं का उन्नयन किया जा रहा है -

- **क्वालिटी एश्योरेन्स समिति का गठन** - भारत शासन से प्राप्त निर्देश अनुसार राज्य एवं जिला स्तर पर क्वालिटी एश्योरेन्स समिति का गठन किया गया है, जिसका उद्देश्य क्वालिटी एश्योरेन्स के अंतर्गत संचालित विभिन्न गतिविधियों की जिला, संभाग एवं राज्य स्तर पर समीक्षा करना है।
- **नेशनल क्वालिटी एश्योरेन्स स्टैंडर्ड अनुरूप संस्थाओं का उन्नयन** - शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं की गुणवत्ता बढ़ाने एवं संस्थाओं के उन्नयन के लिए भारत सरकार द्वारा नेशनल क्वालिटी एश्योरेन्स स्टैंडर्ड विकसित किये गये, जिसके अनुसार संस्थाओं का 8 आयामों-सेवा प्रदायगी, स्वास्थ्य सेवा की उपलब्धता, पेशेंट राईट्स, इनपुट, संक्रमण नियंत्रण, सपोर्ट सर्विसेज, क्वालिटी मैनेजमेन्ट तथा आउट कम अनुसार विकसित करना, जिससे कि रोगियों को गुणवत्तापूर्ण सेवा दी जा सके।
- **प्रशिक्षण एवं कौशल विकास**- गुणवत्ता सेवा प्रदायगी के लिए संस्था कर्मचारी का सतत प्रशिक्षण एवं कौशल विकास जिसके तहत कर्मचारियों को नेशनल क्वालिटी एश्योरेन्स स्टैंडर्ड, अपशिष्ट प्रबंधन, संक्रमण नियंत्रण, पेशेंट सेफ्टी, आंतरिक मूल्यांकन तकनीक, सेवा सूचकांकों का सुधार आदि विषयों पर प्रशिक्षित किया जाता है।
- **गुणवत्ता सेवा प्रदायगी हेतु गाईडलाइन/प्रोटोकॉल का निर्माण**- राज्य क्वालिटी एश्योरेन्स शाखा द्वारा सेवा सुधार हेतु विभिन्न गाईडलाइन/प्रोटोकॉल जैसे ऑपरेशन थियेटर, लेबर रूम, जैव अपशिष्ट प्रबंधन आदि विकसित कर स्वास्थ्य संस्थाओं में लागू की गयी है।
- **स्वास्थ्य संस्थाओं का पर्यवेक्षण**- सपोर्टिव सुपरविजन विजिट के माध्यम से संस्थाओं का सतत निरीक्षण, जिससे की स्वास्थ्य संस्थाओं द्वारा उत्कृष्ट एवं गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदायगी सुनिश्चित की जा सके।
- मध्यप्रदेश पूरे भारत वर्ष में द्वितीय राज्य है, जिसके द्वारा स्वयं का ए.एम.आर. एक्शन प्लान विभिन्न विभागों के सहयोग से बनाया गया है। वर्तमान में लगभग 1000 शासकीय एवं 600 प्राइवेट चिकित्सालयों को एन्टीबायोटिक रेजिस्टेन्स को कम करने के लिये IMA/IAP के माध्यम से प्रशिक्षित किया जा चुका है।
- राज्य द्वारा स्वास्थ्य संस्थाओं में एन्टीबायोटिक रेजिस्टेन्स को रोकने के लिये राज्य द्वारा एन्टीबायोटिक पॉलिसी का निर्माण किया गया है तथा निरंतर राज्य के सभी चिकित्सालयों को प्रशिक्षित किया गया है। राज्य द्वारा MP-AMR पॉलिसी का निर्माण किया गया है, इस एक्शन प्लान को लागू करने से एन्टीमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्स जो कि एक ग्लोबल समस्या है को कम किया जा रहा है। स्वास्थ्य संस्थाओं में डॉक्टर्स, अन्य स्वास्थ्य कर्मियों एवं आमजन मानस में रेजिस्टेन्स के प्रति जागरूकता लाये जाने हेतु दिनांक 18 से 24 नवम्बर 2023 तक वर्ल्ड एन्टीबायोटिक अवेयरनेस सप्ताह का आयोजन किया गया।
- 46 जिला चिकित्सालय, 26 सिविल अस्पताल तथा 32 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कुल (104) संस्थाओं के एक्स-रे रूम को रेडियो विकिरण सुरक्षा मापदण्ड (ए.ई.आर.बी.) अनुरूप विकसित कर ए.ई.आर.बी. आर्थराईजेशन प्राप्त किया गया है।
- राज्य की प्रत्येक स्वास्थ्य संस्था में दिनांक 12 से 17 सितम्बर 2023 तक रोगी सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य संस्था में रोगी सुरक्षा मापदण्ड अनुरूप सभी कर्मचारियों को पेशेंट सेफ्टी, मेडीकेशन सेफ्टी के बारे में जागरूक किया गया एवं संस्थाओं में प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट करवाया गया।

- प्रदेश की कुल 677 स्वास्थ्य संस्थाओं को फायर ऑडिट/एन.ओ.सी. प्राप्त की गई है।
- राज्य स्वास्थ्य संस्थाओं में प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में निरंतर सुधार हेतु प्रतिबद्ध है इस हेतु स्वास्थ्य संस्थाओं को राष्ट्रीय मानक एन.क्यू.ए.एस. एवं कायाकल्प अनुरूप विकसित करने के प्रयास किये जा रहे हैं संस्थाओं को मापदण्ड अनुरूप विकसित करने हेतु जिला क्वालिटी मॉनिटर की नियुक्ति की गई है।
- जैव अपशिष्ट प्रबंधन एवं संक्रमण नियंत्रण प्रोटोकॉल का निरंतर प्रशिक्षण प्रदान कर लगभग 1000 स्वास्थ्य कर्मियों को ऑनलाईन प्रशिक्षित किया गया।

एन.क्यू.ए.एस. प्रमाणीकरण

प्रदेश की स्वास्थ्य संस्थाओं को निम्नानुसार भारत सरकार द्वारा विकसित राष्ट्रीय मानक एन.क्यू.ए.एस. प्रमाणीकरण प्राप्त हो चुका है -



भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य संस्थाओं के रोगी सुरक्षा मापदण्ड में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु राज्य को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया।



एन.क्यू.ए.एस. राष्ट्रीय प्रमाणित मध्यप्रदेश की स्वास्थ्य संस्थायें

जिला चिकित्सालय देवास



जिला चिकित्सालय जबलपुर



प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चिरई डोंगरी
जिला - मण्डला

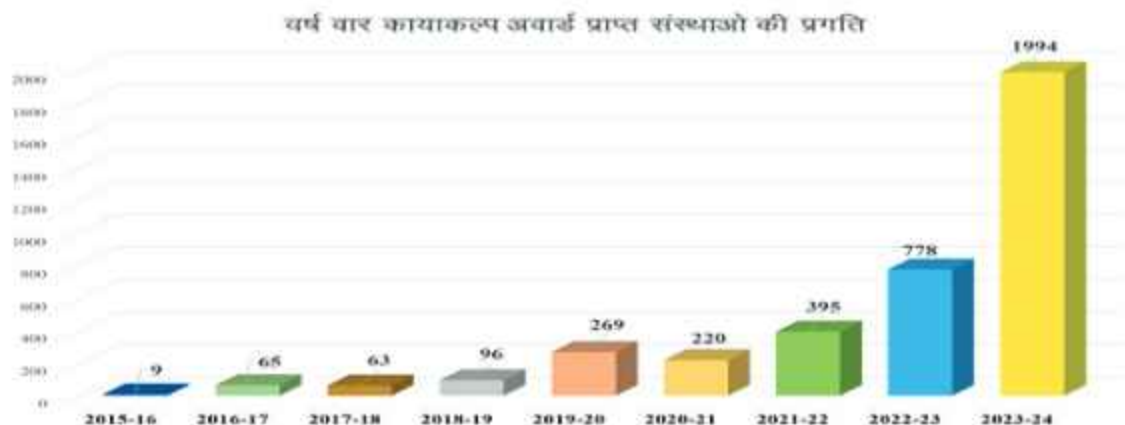


प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मैङगवा
जिला - जबलपुर

॥ हमारा संकल्प, विकसित स्वस्थ मध्यप्रदेश ॥

कायाकल्प अभियान

कायाकल्प अभियान का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य संस्थाओं में मानक अनुसार उच्च स्तर की साफ-सफाई, संक्रमण नियंत्रण एवं जैव अपशिष्ट प्रबंधन प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन कर संस्थाओं में संक्रमण नियंत्रण करना एवं साफ स्वच्छ वातावरण प्रदान करना है। प्रदेश में कायाकल्प अभियान वर्ष 2015-16 में केवल जिला अस्पताल स्तर पर लागू किया गया। कायाकल्प अभियान अंतर्गत मानक अनुसार 70 प्रतिशत या उससे अधिक अंक अर्जित करने वाली स्वास्थ्य संस्थाओं को पुरस्कृत किया जाता है। कायाकल्प अभियान अंतर्गत वर्षवार संस्थाओं द्वारा प्रदर्शन निम्न तालिकानुसार प्रस्तुत है।



कायाकल्प अभियान के अंतर्गत स्वास्थ्य संस्थाओं ने जहाँ सेवा प्रदायगी को सुदृढ़ करने के प्रयास किये गये, वहीं जनसामान्य को इस अभियान से जोड़ते हुए जनभागीदारी को भी प्रोत्साहित किया। इसके अतिरिक्त कायाकल्प अभियान के फलस्वरूप संस्था परिसर, सेवा प्रदायगी, संक्रमण नियंत्रण, अपशिष्ट प्रबंधन, कार्यस्थल प्रबंधन आदि पहलू सुदृढ़ हुए हैं, जिससे ना केवल कर्मचारियों में बल्कि, जनसामान्य में भी शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं के प्रति विश्वास मजबूत हुआ है। तथा मापदण्ड के अनुरूप संस्था के विकसित होने से संस्था में आने वाले मरीजों/हितग्राहियों की संख्या में वृद्धि हुई है, वहीं मरीजों/हितग्राहियों द्वारा ली गई स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति संतुष्टि स्तर में भी सुधार हुआ है।

स्वास्थ्य संस्थाओं को कायाकल्प मापदण्ड अनुरूप ईको फ्रेंडली हॉस्पिटल (Eco Friendly Hospital) के रूप में विकसित किया है, जहाँ निरंतर एनर्जी ऑडिट करवाकर प्राकृतिक एनर्जी का उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया गया है। वर्ष 2023-24 में 37 जिला चिकित्सालय 211 सिविल अस्पताल/ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 414 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 168 शहरी सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 1164 हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर (कुल-1994 स्वास्थ्य संस्थाएँ) को कायाकल्प मापदण्ड विकसित कर कायाकल्प पुरस्कार हेतु चयनित किया गया है। साथ ही 37 जिला चिकित्सालय एवं 116 सिविल अस्पताल/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (कुल 153 संस्थाओं) को ईको-फ्रेंडली मापदण्ड अनुरूप विकसित किया गया है।

।। एक कदम स्वच्छता की ओर।।

राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम

राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम का उद्देश्य शिशुओं एवं गर्भवती माताओं में होने वाली 12 जानलेवा बीमारियों (पोलियो, टी.बी., हेपेटाइटिस-बी, कालीखांसी, गलघोंटू, टिटनेस, दस्त रोग, निमोनिया, खसरा, रुबेला, हिब एवं दिमागी बुखार से होने वाले रोग) से बचाव तथा न्यूनतम 95 प्रतिशत पूर्ण टीकाकरण उपलब्धी प्राप्त कर, शिशु एवं बाल्य मृत्यु दर में आशातीत कमी लाना है। मध्यप्रदेश में निम्न टीकाकरण तालिका अनुसार बच्चों एवं गर्भवती माताओं का टीकाकरण किया जाता है।

टीकाकरण सारणी - शिशुओं के लिए

उम्र/संस्था	टीका	खुराक	मात्रा	माध्यम	स्थान
जन्म के तुरन्त बाद (24 घण्टे के भीतर)	हेपेटाइटिस-बी	जन्म के समय की खुराक	0.5 मिली.	IM	बायीं मध्य 'जांघ' के आगे व बाहरी हिस्से में
जन्म के तुरन्त बाद (15 दिन के भीतर)	पोलियो	'0' खुराक	2 बूँद	Oral	मुँह
जन्म के तुरन्त बाद (1 वर्ष की उम्र तक)	बी.सी.जी.	जन्म के समय की खुराक	एक माह की भीतर 0.05 मिली (यदि एक माह बाद दिया जा रहा है तो 0.1 मिली. दें)	ID	बायीं 'बांह' का ऊपरी भाग
6 सप्ताह पर (छेड़ माह पर)	पोलियो, रोटा वायरस, f-ipv, पी.सी.वी., पेन्टावैलेंट	पहली खुराक पहली खुराक पहली खुराक पहली खुराक पहली खुराक	2 बूँद 5 बूँद 0.1 मिली. 0.5 मिली. 0.5 मिली.	Oral Oral ID IM IM	मुँह, मुँह, दाहिनी 'बांह' का ऊपरी भाग, दाहिनी मध्य 'जांघ' के आगे व बाहरी हिस्से में बायीं मध्य 'जांघ' के आगे व बाहरी हिस्से में
10 सप्ताह पर (पहली खुराक के 4 सप्ताह के अंतराल पर छेड़ माह पर)	पोलियो, रोटा वायरस, पेन्टावैलेंट	दूसरी खुराक दूसरी खुराक दूसरी खुराक	2 बूँद 5 बूँद 0.5 मिली.	Oral Oral IM	मुँह मुँह बायीं मध्य 'जांघ' के आगे व बाहरी हिस्से में
14 सप्ताह पर (दूसरी खुराक के 4 सप्ताह के अंतराल पर साढ़े तीन माह पर)	पोलियो, रोटा वायरस, f-IPV, पी.सी.वी., पेन्टावैलेंट	तीसरी खुराक तीसरी खुराक दूसरी खुराक दूसरी खुराक तीसरी खुराक	2 बूँद 5 बूँद 0.1 मिली. 0.5 मिली. 0.5 मिली.	Oral Oral ID IM IM	मुँह मुँह दाहिनी 'बांह' का ऊपरी भाग दाहिनी मध्य 'जांघ' के आगे व बाहरी हिस्से में बायीं मध्य 'जांघ' के आगे व बाहरी हिस्से में
9 माह पर	f-IPV * MR. पी.सी.वी.	तीसरी खुराक पहली खुराक बुस्टर	0.1 मिली. 0.5 मिली. 0.5 मिली.	ID SC IM	बायें बाजू के ऊपरी हिस्से में दाहिनी 'बांह' का ऊपरी भाग दाहिनी मध्य 'जांघ' के आगे व बाहरी हिस्से में
16 से 24 माह	पोलियो, MR. डी.पी.टी.	बुस्टर खुराक दूसरी खुराक पहला बुस्टर	2 बूँद 0.5 मिली. 0.5 मिली.	Oral SC IM	मुँह दाहिनी 'बांह' का ऊपरी भाग बायीं मध्य 'जांघ' के आगे व बाहरी हिस्से में
5-6 वर्ष पर	डी.पी.टी.	दूसरा बुस्टर	0.5 मिली.	IM	दाहिने बांह पर (Deltoid)
10 वर्ष पर	टी.डी. (Td)	पहली खुराक	0.5 मिली.	IM	दाहिने बांह पर (Deltoid)
16 वर्ष पर	टी.डी. (Td)	दूसरी खुराक	0.5 मिली.	IM	दाहिने बांह पर (Deltoid)

टीकाकरण सारणी - गर्भवती महिलाओं के लिए

टीका	खुराक	मात्रा	माध्यम	स्थान
टी.डी. (Td1)	गर्भावस्था के प्रारंभिक महीनों में	0.5 मि.ली.	मांसपेशी में	ऊपरी बांह पर
टी.डी. (Td2)	टी.डी. 1 के 4 सप्ताह बाद	0.5 मि.ली.	मांसपेशी में	ऊपरी बांह पर
टी.डी. बूस्टर	यदि गर्भ पिछले टीकाकरण के 3 वर्ष के भीतर ठहर गया हो	0.5 मि.ली.	मांसपेशी में	ऊपरी बांह पर

नोट:- अधिक जानकारी के लिये आशा/आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा ए.एन.एम. से संपर्क करें।

0 से 1 साल तक के बच्चों का वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध टीकाकरण उपलब्धि

टीके	0 से 1 वर्ष के लक्षित शिशु		अनुपातिक उपलब्धि	अनुपातिक उपलब्धि का प्रतिशत
	वार्षिक लक्ष्य	अनुपातिक लक्ष्य		
B.C.G. (Birth Dose)	12,95,123	12,95,123	12,94,256	98%
Pentavalent (III Dose)	19,86,910	19,86,910	17,42,724	88%
Polio (III Dose)	19,86,910	19,86,910	17,41,579	88%
MR (I Dose)	19,86,910	19,86,910	19,06,841	96%
MR (II Dose)	19,86,910	19,86,910	17,58,822	89%
Full Immunization	19,86,910	19,86,910	18,68,762	94%

संदर्भ: एच.एम.आई.एस पोर्टल रिपोर्ट माह अप्रैल-मार्च 2024 ।

वर्ष 2023 में टीकाकरण कार्यक्रम की उपलब्धियां

- माह अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक, एच.एम.आई.एस. रिपोर्ट अनुसार प्रदेश में पूर्ण टीकाकरण की उपलब्धि 95 प्रतिशत है।
- प्रथम फेस अन्तर्गत प्रदेश के दो चयनित जिलों (विदिशा एवं रायसेन) में Japanese Encephalitis (JE) अभियान दिनांक 10 अप्रैल से 8 जून 2023 तक आयोजित किया गया। जिसके अन्तर्गत 1 से 15 वर्ष आयुवर्ग के 2.61 लाख बच्चों को Japanese Encephalitis वैक्सीन लगाई गई। साथ ही द्वितीय फेस 4 जिलों (भोपाल, इंदौर, नर्मदापुरम एवं सागर) में दिनांक 27 फरवरी 2024 से आयोजित किया जा रहा है जिसमें दिनांक 20 मई 2024 तक 7.21 लाख 1 से 15 वर्ष के बच्चों को टीकाकृत किया जा चुका है।
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत शासन नई दिल्ली द्वारा प्रदेश में सघन मिशन इंद्रधनुष 5.0 अभियान के तीन चरणों अगस्त, सितंबर एवं अक्टूबर 2023 में किये गये। जिनमें 2 लाख से अधिक टीकाकरण सत्र आयोजित कर, 6.55 लाख 0 से 5 साल के बच्चों एवं 1.06 लाख गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया गया।
- प्रदेश में नियमित टीकाकरण की कवरेज रिपोर्टिंग हेतु COWIN पोर्टल की तर्ज पर U-WIN पोर्टल का प्रारम्भ 1 अगस्त 2023 से किया गया। जिसमें टीकाकरण सत्र का आयोजन, ड्यूलिस्ट का निर्माण, आगामी टीकों की जानकारी, ड्रॉपआउट/लेफ्टआउट बच्चों की ट्रेकिंग/ट्रेसिंग, टीकाकरण पश्चात् प्रमाण-पत्र जैसी कई अन्य सुविधायें उपलब्ध हैं।
- भारत शासन द्वारा प्रदाय नियमित टीकाकरण हेल्थ वर्कर्स ए.एन.एम. मॉड्यूल की 7 संभागों की पृथक-पृथक राज्य स्तरीय

टी.ओ.टी. आयोजित कर, मास्टर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण किया गया तत्पश्चात आज दिनांक तक प्रदेश की लगभग 6 हजार ए.एन.एम. को उक्त मॉड्यूल का प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

- प्रदेश में "दो बूंद हर बार पोलियो पर जीत रहे बरकरार" उद्देश्य के साथ प्रदेश के चयनित 16 जिलों में दो चरण क्रमांक - 28 मई एवं 10 दिसंबर 2023 को आयोजित किये गये जिसमें लक्षित 37.55 लाख 0 से 5 वर्ष के बच्चों के विरुद्ध 37.05 (99%) बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई।
- अवार्ड- भारत शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राज्य टीकाकरण अधिकारी मध्यप्रदेश को "Dynamic leadership, unparalleled commitment, vital contributions, and immense courage displayed during the world's largest COVID-19 vaccination program." के संबंध में सी0ई0ओ0 GAVI के माध्यम से अवार्ड प्रदान किया गया।

टीकाकरण कार्यक्रम की आगामी कार्ययोजनायें

- एडल्ट बी.सी.जी. वैक्सीनेशन - भारत शासन के निर्देशानुसार प्रदेश के 26 जिलों के 18 वर्ष से अधिक आयुवर्ग के चिन्हित 6 संवर्गों के हितग्राहियों को एडल्ट बी.सी.जी. वैक्सीन से टीकाकृत किया जायेगा।
- मीजल्स रूबेला निर्मूलन- के लक्ष्य का प्राप्त करने के लिये एम.आर. वॉर रूम की स्थापना राज्य एवं प्रत्येक जिला स्तर पर की गई है। जिसके माध्यम से अन्तर्विभागीय समन्वय, एम.आर. की मॉनिटरिंग, प्रगति की समीक्षा, डाटा का विश्लेषण इत्यादि कार्य संपादित किये जायेंगे। साथ ही एम.आर. निर्मूलन को जन आंदोलन का रूप देकर, सशक्त बीमारी निगरानी सूचना तंत्र के तहत प्रत्येक जिला एवं प्रत्येक ब्लॉक की एम.आर. टीके की उपलब्धि 95 प्रतिशत दिसंबर 2024 तक प्राप्त करना।
- एच.पी.व्ही. वैक्सीनेशन- भारत शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा महिलाओं में होने वाली घातक सर्वाङ्कल कैंसर रोग को दृष्टिगत रखते हुए एवं Human Puppiloma Virus (HPV) से बचाव हेतु प्रदेश में 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं के लिए HPV वैक्सीनेशन का शुभारंभ किया जायेगा।



मीजल्स उन्मूलन तथा रूबेला नियंत्रण 2024 तक कराना है, हर बच्चे को मीजल्स-रूबेला के दो बार टीके लगवाना है। बच्चे का संपूर्ण टीकाकरण करायें, आजन्म सुरक्षा पायें।

टीकाकरण कार्यक्रम अंतर्गत किये गये नवाचार



।। बच्चे का संपूर्ण टीकाकरण करायें, आजन्म सुरक्षा पायें।।

शीत-श्रृंखला

टीकाकरण कार्यक्रम के उपायों में आने वाले शिशु रक्षक समस्त टीकों का संधारण एक निश्चित तापमान पर किया जाना अति आवश्यक है, जिससे टीकों की क्षमता एवं गुणवत्ता बनी रहे। प्रदेश में इस हेतु संभाग, जिलों, विकासखण्ड तथा सेक्टर पी.एच.सी. स्तर पर पर्याप्त शीत श्रृंखला उपकरण उपलब्ध है।

समस्त शीत श्रृंखला उपकरणों के समुचित रख-रखाव हेतु संबंधित कोल्ड चैन हैंडलर्स एवं कोल्ड चैन टेक्नीशियन को समय-समय पर प्रशिक्षण तथा उनके कार्य का नियमित पर्यवेक्षण किया जाता है। प्रदेश के सुदूर क्षेत्रों में वैक्सीन व्यवस्था बनाये रखने के लिये सोलर रेफ्रिजरेटर स्थापित किये गये हैं। भारत शासन अध्ययन के सूचकांकों के आधार पर तैयार राष्ट्रीय रिपोर्ट में प्रदेश की शीत श्रृंखला व्यवस्था को सर्वश्रेष्ठ आंकलित किया है।

शीत-श्रृंखला के अन्तर्गत प्रदेश में स्थापित 1296 कोल्ड चैन फोकल पाइंट में उपलब्ध उपकरण की जानकारी 11 जनवरी 2024 तक की स्थिति		
स.क्र.	उपकरण	NCCMIS साफ्टवेयर पर आधारित संख्या
01	डब्ल्यू .आई.सी.	15
02	डब्ल्यू आई.एफ.	09
03	डीप फ्रीजर	2379
04	आई.एल.आर .	2632
05	सोलर रेफ्रिजरेटर	45
06	कोल्ड बॉक्स	6227
07	वैक्सीन कैरियर	98255
08	आईस पैक	600000
09	वोल्टेज स्टेब्लाइजर	4300
10	टूल किट	10 नग न्यू सप्लाय

भारत शासन द्वारा प्रदेश को कुल 60 नग सोलर कोल्ड चैन उपकरण उपलब्ध कराये हैं जिससे प्रदेश के 60 स्वास्थ्य संस्थाओं पर स्थापित किया गया है और साथ ही एक बड़ा सोलर प्लांट जो क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें ग्वालियर संभाग ग्वालियर के वाकिंग कोल्ड रूम एवं वाकिंग फ्रीजर रूम स्थापित संस्था के संचालन के लिये ग्रीन एनर्जी के तहत प्रदान किया गया है जिससे इन स्वास्थ्य संस्थाओं पर बिजली की खपत कम हो गई है।

प्रदेश के समस्त कोल्ड चैन फोकल पाइंट को बेस लाईन डाटा वेब साईट NCCMIS पर अंकित किये जाने का प्रशिक्षण संपूर्ण जिला एवं संभाग स्तरीय कोल्ड चैन टेक्नीशियन एवं वैक्सीन स्टोर कीपर, वैक्सीन कोल्ड चैन मैनेजर, टीकाकरण डाटा मैनेजर को राज्य स्तर से दिया जा चुका है।

प्रदेश की कोल्ड चैन प्रणाली को अधिक सुदृढ़ीकरण की दिशा में राज्य टीकाकरण एवं उप संचालक, कोल्ड चैन के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में कोल्ड चैन उपकरणों एवं वैक्सीन वेन को समय-समय पर प्रिवेन्टिवनेस मेन्टेनेंस कार्य का निरीक्षण किया जाता है। जिसके फलस्वरूप प्रदेश का सिकनेस दर निर्धारित से 2 प्रतिशत कम बनी रहती है।

वर्तमान में प्रदेश के कोल्ड चैन उपकरणों के रख-रखाव मरम्मत कार्य आउट सोर्स ऐजन्सी मेसर्स ए.ओ.व्ही.इन्टरनेशनल कम्पनी भोपाल को दिया गया है। कम्पनी के द्वारा किये जा रहे समस्त कोल्ड चैन उपकरण के कार्य का सुपरविजन राज्य,संभाग,जिला स्तर पर कार्यरत टीकाकरण प्रकोष्ठ की टीम के माध्यम से किया जा रहा है।

वैक्सीन की सतत मॉनीटरिंग के लिये ई-विन सॉफ्टवेयर में वैक्सीन की समस्त जानकारी ऑनलाईन की जाती है, जिसका प्रशिक्षण प्रदेश के 1296 वैक्सीन कोल्ड चैन हैंडलर्स एवं 07 संभागीय एवं 51 जिला स्तरीय वैक्सीन स्टोर कीपर,वैक्सीन कोल्ड चैन मैनेजर तथा कोल्ड चैन टेक्नीशियन को दिया जा चुका है। सॉफ्टवेयर के माध्यम से वैक्सीन एवं लॉजिस्टिक की उपलब्धता/ एक्सपारी तथा आर्डर मैनेजमेंट से समस्त कोल्ड चैन पाइंट पर उपलब्ध सभी वैक्सीन की बैच न. की जानकारी एवं कोल्ड चैन उपकरणों का तापमान की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जिसकी मॉनीटरिंग राज्य टीकाकरण सेल द्वारा सतत की जाती है।

वर्तमान में प्रदेश में कुल 55 कोल्ड चैन टेक्नीशियन कार्यरत हैं एवं आठ जिले अशोकनगर, डिंडोरी, नरसिंहपुर, सागर, विदिशा, बैतूल, बड़वानी, छतरपुर में पद रिक्त है। प्रदेश के समस्त कोल्ड चैन टेक्नीशियन को कोल्ड चैन स्पेयर पार्ट्स के संबंध में प्रशिक्षण राज्य स्तरीय प्रशिक्षण उप संचालक, कोल्ड चैन के मार्गदर्शन में दिया जाता है।

मध्य प्रदेश में जी.आई.एस. पद्धति का प्रयोग कर प्रदेश में नये कोल्ड चैन फोकल पाइंट बनाये जाते हैं। जिससे प्रदेश के कोल्ड चैन फोकल पाइंट से टीकाकरण स्थल तक वैक्सीन एक निश्चित तापमान में मात्र एक घंटे के अन्दर टीकाकरण स्थल पर वैक्सीन उपलब्ध कराई जाती है।

1. क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें ग्वालियर के स्टेट कोल्ड चैन प्रशिक्षण में प्रयोशाला बनाये जाने हेतु योजना है।
2. प्रदेश से तीन कोल्ड चैन टेक्नीशियन को नेशनल कोल्ड चैन प्रशिक्षण के कोर ग्रुप में प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षक के रूप में, राज्य टीकाकरण अधिकारी एवं उप संचालक, कोल्ड चैन अधिकारी के समन्वय से चयन किया गया।
3. प्रदेश के कोल्ड चैन हैंडलर्स के दो दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण दिये जाने हेतु राज्य स्तरीय ToT प्रशिक्षण माह अक्टूबर 2023 से जनवरी 2024 में सम्पन्न किया जा चुका है।
4. प्रदेश में 26 जिलों में एडल्ट BCG वैक्सीन का प्रारंभ दिनांक 7 मार्च 2024 को किया गया है। प्रदेश में अभियान के लिए भारत सरकार से 93 लाख डोज वैक्सी प्राप्त हुए हैं। वैक्सीन के भण्डार की व्यवस्था संभाग एवं जिला स्तरीय वैक्सीन स्टोर मुख्यालय में समुचित व्यवस्था की गई है।
5. प्रदेश में नियमित टीकाकरण एवं कोल्ड चैन के सुदृढीकरण कार्य एवं कोविड-19 के सफल क्रियान्वयन कार्य हेतु नेशनल एवं राज्य स्तर से राज्य टीकाकरण अधिकारी एवं उप संचालक, कोल्ड चैन को राज्यपाल महोदय द्वारा सम्मानित किया गया।
6. NCCMIS के सर्पोटिव सुपरविजन के माध्यम से माह के प्रत्येक पहले दिन (आनंद दिवस) 01 तारीख को प्रदेश के समस्त कोल्ड चैन पाइंट का सुपरविजन समस्त कोल्ड चैन फोकल पाइंट के संस्था प्रभारी द्वारा किया जाता है जिससे कोल्ड चैन निरन्तर सुदृढ बनाई जा रही है।
7. भारत सरकार लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं NCCVMRC नई दिल्ली तथा यूनिसेफ मध्यप्रदेश भोपाल के सहयोग से EVM (इफेक्टिव वैक्सीन मैनेजमेंट सिस्टम) प्रदेश के चारों राज्य स्तरीय वैक्सीन स्टोर भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर, जबलपुर एवं तीन क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें एवं इक्कावन जिला स्तरीय तथा 102 कोल्ड चैन फोकल पाइंट में नौ इंडीकेटर के माध्यम से सफलता पूर्वक की गई।

राष्ट्रीय वैक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम

प्रदेश के सभी 52 जिलों में राष्ट्रीय वैक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम का संचालन जिला मलेरिया कार्यालयों के माध्यम से किया जा रहा है। मध्यप्रदेश शासन द्वारा मलेरिया नियंत्रण कार्य को विभाग हेतु निर्धारित प्राथमिकता में लिया है। मलेरिया के नियंत्रण हेतु बुखार सर्वेलेन्स कार्य, कीटनाशक दवा छिड़काव कार्य, हाईरिस्क उप.स्वा.केंद्र में मलेरिया सर्वेलेन्स कैंप, सी.एच.वी के माध्यम से हाईरिस्क क्षेत्रों में संक्रमण काल के दौरान नियमित सर्वेलेन्स, आरोग्य केन्द्र की स्थापना एवं जैविक मच्छर नियंत्रण गतिविधि लावार्भक्षी मछली का जलस्रोतों में संचय करने के कार्य को प्राथमिकता दी गई है। ये कार्य निम्नानुसार हैं-

सर्वेलेन्स कार्य -

बुखार के रोगियों के रक्त की जांच हेतु रक्तपट्टी बनाने के लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं। वर्ष 2023 हेतु माह जनवरी से दिसंबर तक 108.43 लाख बुखार के रोगियों की मलेरिया रोग की जांच के लक्ष्य के विरुद्ध 115.30 लाख बुखार के रोगियों की रैपिड डायग्नोस्टिक किट द्वारा अथवा रक्तपट्टी बनाकर मलेरिया रोग की जांच की गई है, जो कि निर्धारित लक्ष्य का 106 प्रतिशत है। इनकी जांच में 3794 मलेरिया के रोगी पाये गये हैं, जिन्हें उपचार दिया गया। प्रदेश में वर्ष 2019 से 2024 तक बुखार सर्वेलेन्स एवं पाये गये मलेरिया रोगियों की संख्या निम्नानुसार है:-

वर्ष	कुल बुखार के रोगियों की मलेरिया की जांच	कुल प्राप्त मलेरिया रोगियों की संख्या	कुल प्राप्त फेल्सीपेरम मलेरिया रोगियों की संख्या	मलेरिया से मृत्यु
2019	9968281	14147	3627	3
2020	9056958	6760	3971	1
2021	9864546	3181	1688	2
2022	11037771	3826	2452	0
2023	11530451	3794	2625	0
1.1.2024 से 31.3.2024 तक	2384743	197	112	0

मलेरिया रोग का आंकलन भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार किया जाता है। इसी मापदण्ड में एनुअल पैरासिटिक इन्डिसेंस (ए.पी.आई.) एक मापदण्ड है। प्रति 1000 की जनसंख्या पर पाये गये मलेरिया के प्रकरणों की संख्या को ए.पी.आई. कहा जाता है। प्रदेश में वर्ष 2023 में 0.04 ए.पी.आई है।

किसी क्षेत्र में मलेरिया के प्रकरण (ए.पी.आई. के आधार पर) राष्ट्रीय फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन 2016-30 में निर्धारित दिशा-निर्देशानुसार जिले, विकासखण्ड एवं अन्य क्षेत्रों को 0 से 3 तक की कटेगरी के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है तथा उसी अनुसार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जाती है। प्रदेश में भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार मलेरिया उन्मूलन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सतत कार्य किया जा रहा है।

आरोग्य केन्द्र पर बुखार के उपचार की व्यवस्था -

राज्य के प्रत्येक ग्राम में शीघ्र खोज एवं त्वरित उपचार के अन्तर्गत बुखार के मरीज के उपचार हेतु ग्राम आरोग्य केन्द्र पर व्यवस्था की गयी है, जहां संभावित मलेरिया के मरीज की रैपिड किट द्वारा अथवा रक्तपट्टी बनाकर मलेरिया की निःशुल्क जांच की जाती है तथा मलेरिया पाये जाने पर आवश्यक उपचार दिया जाता है।

जैविक नियंत्रण (पर्यावरण मित्र) उपाय -

मलेरिया नियंत्रण के उपायों में जैविक नियंत्रण (पर्यावरण मित्र) पद्धति भी अपनाई गई है जिसमें लावार्भक्षी मछलियों

गम्बूसिया एवं गम्पी को अस्थायी एवं स्थायी जलस्रोतों में संचित किया जाता है। ये मछलियाँ मच्छरों के लार्वा का भक्षण करती हैं। लार्वाभक्षी मछली का संचयन जिलों में विभाग की नर्सरी एवं आवश्यकतानुसार मत्स्य विभाग से क्रय करके किया जाता है।

कीटनाशी छिड़काव कार्य -

वर्ष 2023 में मलेरिया से अति प्रभावित जनसंख्या वाले क्षेत्रों में 20 जिलों की 1.40 लाख से अधिक जनसंख्या को कीटनाशी दवा के छिड़काव से संरक्षित किया गया है। कीटनाशी दवा अल्फासाइपरमेथ्रिन 5 प्रतिशत म.प्र. शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई, जबकि डी.डी.टी. 50 प्रतिशत भारत सरकार से प्राप्त हुई। कीटनाशी दवा का छिड़काव कार्य संक्रमण काल 16 जून 2023 से 15 अक्टूबर 2023 तक करवाया गया जिसका प्रभाव छिड़काव तिथि से आगामी 10-12 सप्ताह तक रहता है।

मलेरिया माह जून -

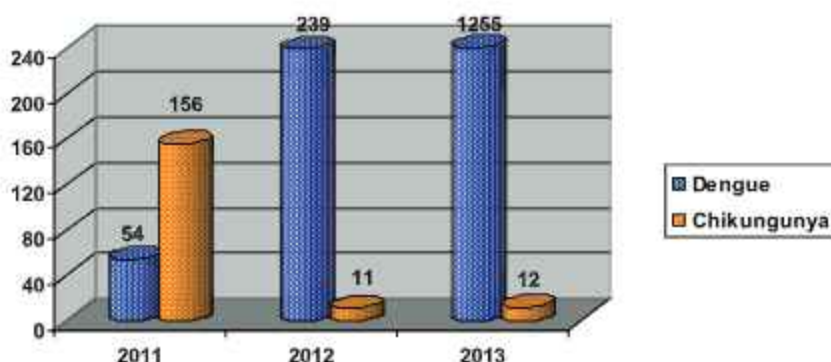
माह जून को “मलेरिया निरोधक माह” के रूप में मनाया जाता है। इस माह के दौरान प्रदेश के सभी जिलों में प्रदर्शनियों व रैली का आयोजन, मलेरिया रथ का भ्रमण, स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन, पंचायत स्तर पर एडवोकेसी कार्यशाला, आकाशवाणी से प्रसारण, समाचार-पत्रों में विज्ञापन प्रकाशन तथा अन्य प्रचार-प्रसार की गतिविधियाँ संचालित की गई हैं। इन गतिविधियों के माध्यम से जन भागीदारी को बढ़ाने में सहायता मिलती है।

सूचना शिक्षा संचार गतिविधियां -

- दूरदर्शन, आकाशवाणी एवं अन्य केबल चैनलों के माध्यम से वैक्टर जनित रोगों से बचाव, उपचार एवं रोकथाम बाबत जानकारी दी गई।
- समाचार पत्रों में विभागीय संदेशों के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया गया।
- होर्डिंग्स, बैनर, माईकिंग, आदि के माध्यम से प्रचार-प्रसार की गतिविधियां निरंतर की गयी।
- विद्यालय, महाविद्यालय स्तर पर अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को वाहक जनित बीमारियों एवं उसके नियंत्रण हेतु जानकारी प्रदान की गई एवं इन छात्र-छात्राओं के सहयोग से जन समुदाय को जागरूक कर बीमारी के नियंत्रण में सहयोग प्राप्त किया गया।

डेंगू/चिकुनगुन्या नियंत्रण के लिये किये गये उपाय -

डेंगू/चिकुनगुन्या प्रकरणों की जांच की व्यवस्था - भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप 9 मेडिकल कॉलेज, 51 जिला चिकित्सालय, 1 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भोपाल, 1 भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, भोपाल एवं 1 सिविल अस्पताल बैरागढ़, भोपाल सहित 63 सेंटिनल साईट्स एवं 1 अपेक्स रेफरल लैब, राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान, जबलपुर की स्थापना डेंगू की मेक एलाइजा किट द्वारा जांच हेतु की गयी है। इन साईट्स को आवश्यकता अनुसार मेक-एलाइजा किट भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जाती है एवं डेंगू एन.एस.-1 एन्टीजन एलाइजा किट की व्यवस्था राज्य/जिले स्तर से की जाती है।



डेंगू एवं चिकुनगुन्या बीमारी के नियंत्रण हेतु की गई कार्यवाही -

- राज्य स्तर से डेंगू एवं चिकुनगुन्या बीमारी के नियंत्रण हेतु समस्त दिशा-निर्देश एवं प्रोटोकॉल जिलों को जारी किये गये हैं एवं सतत निगरानी रखते हुए दैनिक समीक्षा एवं आवश्यक कार्यवाही करायी जाती है।
- ग्राम स्तर से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र से जिला स्तर तक बुखार की जानकारी भेजने हेतु निर्देश जारी किये गये हैं। इसके अन्तर्गत 500 से 1000 की आबादी में एक सप्ताह की अवधि में 5 बुखार से अधिक मरीज पाये जाने पर ग्राम स्तर से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर सूचना दी जावेगी व आवश्यकतानुसार प्रतिबंधात्मक उपाय लिये जावेंगे। प्रभावित क्षेत्रों में छिड़काव हेतु कीटनाशी टेमोफॉस एवं फॉगिंग कार्य हेतु पायरैथ्रम की उपलब्धता जिलों पर कराई गई है।
- जिलास्तर से राज्य स्तर पर कॉल सेन्टर के माध्यम से सभी बीमारियों की आउटब्रेक की रिपोर्ट प्रतिदिन प्राप्त होती है एवं त्वरित रूप से नियंत्रण की कार्यवाही की जाती है।
- जिलों में त्वरित नियंत्रण की कार्यवाही हेतु रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया गया।
- मलेरिया तथा मच्छरों से उत्पन्न अन्य बीमारियों के नियंत्रण हेतु मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 के अन्तर्गत नगर पालिका परिसर/नगर पंचायत उपविधियाँ 1999 के क्रियान्वयन हेतु जिलों के जिला कलेक्टर से अनुरोध किया गया है। इसके अन्तर्गत घरों में मच्छरों की उत्पत्ति पाये जाने पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी को रुपये 500/- अर्थदंड देने के अधिकार हैं।

फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम

भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक फाइलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसी तारतम्य में प्रत्येक वर्ष चिन्हित जिलों में मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान चलाया जाता है जिसे राष्ट्रीय फाइलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह कार्य वर्ष 2004 से प्रारंभ किया गया है। जिसके अन्तर्गत 2 वर्ष एवं उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों को डी.ई.सी. एवं एलबेन्डाजोल आइवरमेक्टिन गोली का सेवन आयु के अनुसार निर्धारित मात्रा में कराया जाता है। इस अभियान में दो वर्ष से कम आयु वाले बच्चे, गर्भवती महिला, गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति एवं अतिवृद्ध को छोड़कर शेष जनसंख्या को दवा का सेवन कराया जाता है।

प्रदेश में फाइलेरिया से प्रभावित 12 विशेष जिलों के फाइलेरिया बीमारी के उन्मूलन की प्रक्रिया की जाती है। जिनमें से 08 जिलों - कटनी, उमरिया, पन्ना, निवाड़ी, टीकमगढ़, रीवा, छतरपुर, दतिया में फरवरी 2023 में मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (सामूहिक दवा सेवन) की गतिविधि की गई है। इसके अंतर्गत 48.38 लाख लक्षित जनसंख्या को एम.डी.ए. के अन्तर्गत फाइलेरिया रोधी दवा डी.ई.सी. व एलबेन्डाजोल, आइवरमेक्टिन दवा का सेवन कराया गया जिसका लक्ष्य पूर्ति प्रतिशत 85.56 रहा।

जापानीज़ इन्सिफेलाइटिस

प्रदेश में वर्ष 2023 में जापानीज़ इन्सिफेलाइटिस के 27 प्रकरण प्रदेश के 12 जिलों में पाये गये हैं। इस बीमारी के नियंत्रण हेतु भी सतत रूप से प्रयास किये जा रहे हैं।

आशा की भूमिका मच्छर लार्वा सर्वे एवं विनिष्टीकरण, कीटनाशक दवा के छिड़काव कवरेज बढ़ाने में तथा ग्राम में बुखार के रोगियों की रैपिड डायग्नोस्टिक किट/स्लाईड से मलेरिया की जांच एवं उपचार तथा फाइलेरिया नियंत्रण सहित अन्य वाहक जनित रोग नियंत्रण में आशा का सहयोग सराहनीय रहा है।

**बुखार आने पर खून की जांच करायेँ,
जांच में मलेरिया पाये जाने पर पूर्ण उपचार लें।**

राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम

राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसकी सतत् समीक्षा माननीय प्रधानमंत्री के प्रगति कार्यक्रम द्वारा की जा रही है। भारत सरकार द्वारा देश में रोगियों को बेहतर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने हेतु टी.बी. उन्मूलन का लक्ष्य वर्ष 2025 तक निर्धारित किया गया है।

राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश में क्षय मरीजों के उपचार एवं निदान हेतु वर्तमान में 411 टी.बी. यूनिट, 902 डी.एम.सी.(माईक्रोस्कोपिक सेन्टर) एक IRL, 4 C&DST Lab संचालित है।

राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम में Sub National Certification के अंतर्गत वर्ष 2020-21 में बैतूल जिले को Bronze Category, वर्ष 2021-22 में खरगौन जिले को Gold Category एवं उज्जैन जिले को Bronze Category, वर्ष 2022-23 धार, मन्दसौर, एवं नीमच, जिले को Gold Category शाजापुर, बैतूल, इंदौर एवं देवास, जिले को Silver Category एवं नरसिंहपुर, मुरैना, नर्मदापुरम एवं मण्डला, जिले को Bronze Category का अवार्ड प्राप्त हुए हैं एवं वर्ष 2023-24 में Sub National Certification हेतु प्रदेश के 25 जिलों (मण्डला, बालाघाट, दतिया, डिण्डौरी, अनूपपुर, रायसेन, खण्डवा, नर्मदापुरम, उमरिया, शहडोल, सीहोर, भिण्ड, बुरहानपुर, टीकमगढ़, श्योपुर, रीवा, नरसिंहपुर, इंदौर, ग्वालियर, गुना, धार, देवास, दमोह, छिन्दवाड़ा एवं भोपाल) को नामांकित किया गया है।

महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा प्रधानमंत्री टी.बी. मुक्त भारत अभियान, का लोकार्पण दिनांक 09 सितम्बर, 2022 को किया गया। जिसके अंतर्गत क्षय रोगियों को अतिरिक्त पोषण सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से प्रतिष्ठित व्यक्तियों एवं जनप्रतिनिधियों को नि-क्षय मित्र बनाकर अभियान से जोड़ा गया है।

उक्त अभियान के तहत वर्तमान में प्रदेश में 20,579 नि-क्षय मित्रों का पंजीयन है। वर्तमान में कुल 90,468 टी.बी. रोगी उपचाररत हैं। कुल 79,995 टी.बी. रोगियों द्वारा सहयोग प्राप्त किये जाने हेतु सहमति प्रदान की गई है जो कि, कुल रोगियों की संख्या का 88 प्रतिशत है। नि-क्षय मित्रों द्वारा टी.बी. मरीजों को 43,993 पोषण आहार किट का वितरण किया जा चुका है। यह उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश, भारत में अभियान अन्तर्गत अग्रणी राज्यों में शामिल है।

प्रधानमंत्री टी.बी. मुक्त ग्राम पंचायत अभियान का क्रियान्वयन निम्नानुसार किया जा रहा है :-

- टी.बी. मुक्त पंचायत हेतु ब्लॉक पंचायत एवं ग्राम पंचायत स्तर पर जिला टी.बी. अधिकारी (DIO) एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत (CEOZP) द्वारा टी.बी. मुक्त पंचायत अभियान का आयोजन कर जन समुदाय में इसका प्रचार-प्रसार किया जा रहा है एवं निम्नानुसार गतिविधियों के माध्यम से ग्राम पंचायतों का टी.बी. मुक्त ग्राम पंचायत हेतु सत्यापन किया जा रहा है:-

1. टी.बी. मुक्त पंचायत हेतु तैयारी तथा प्रशिक्षण
2. टी.बी. मुक्त पंचायत हेतु नामांकन।
3. जिला टी.बी. शाखा द्वारा नामांकनों का सत्यापन।
4. टी.बी. मुक्त पंचायत की घोषणा।
5. टी.बी. मुक्त पंचायत का प्रमाणीकरण।
6. टी.बी. मुक्त पंचायत अभियान की रिकॉर्डिंग एवं रिपोर्टिंग।
7. हितधारक समूहों को टी.बी. मुक्त पंचायत पहल से जोड़ा गया है।
8. कार्यक्रम अंतर्गत सहयोगी संस्थाओं को दायित्व सौंपा जाता है।

Indian Oil Corporation Ltd. (IOCL) ने अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के हिस्से के रूप में राज्य को 100 TrueNAAT Machine & 52 Handheld X-ray Machine प्रदान करने में रुचि व्यक्त की है, IOCL के साथ समन्वय कर प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किया जा चुका है। IOCL से हुई चर्चा अनुसार प्रस्ताव स्वीकार किया जा चुका है एवं मशीनों हेतु खरीदी प्रक्रियाधीन है। किया गया है, जिसकी प्रक्रिया प्रचलन में

है।सिंगरौली जिले में NCL के अधिकारियों के साथ समन्वय कर टी.बी. निदान हेतु डायग्नोस्टिक सपोर्ट एवं प्रधानमंत्री टी.बी. मुक्त अभियान के अंतर्गत जिले के सभी टी.बी. मरीजों को फूड बास्केट वितरण सुनिश्चित करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए MOU किया जा चुका है जिसके अंतर्गत NCL द्वारा प्रथम किश्त के रूप में राशि रु. 2,05,23,150 आवंटित किया जा चुका है।

- **विकसित भारत संकल्प यात्रा-** भारत सरकार द्वारा प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में जागरूकता लाने हेतु व्यापक स्तर पर 60 दिवसीय अभियान “Viksit Bharat Sankalp Yatra” की गई है। उक्त यात्रा में 3000 Mobile IEC Vans के द्वारा जनसमुदाय में जागरूकता लाने तथा स्वास्थ्य सेवाओं का प्रचार प्रसार जमीनी स्तर तक पहुँचाने हेतु, उक्त अभियान यात्रा में Ministry of Health and Family Welfare द्वारा राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नानुसार गतिविधियों को शामिल किया गया है। जिसमें प्रदेश अन्तर्गत जिलों में उक्त Vans एवं Health Camps के माध्यम से आयोजित की जावेंगी।
- **राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम अन्तर्गत गतिविधियां -**
 1. यात्रा के दौरान टी.बी. रोग के लक्षण, रोकथाम, उपचार, निदान एवं जन समुदाय में व्याप्त भ्रांतियों संबंधी आई.ई.सी. सामग्री का प्रचार प्रसार एवं वितरण।
 2. प्रधान मंत्री टी.बी. मुक्त भारत अभियान (PMTBMBA) के अंतर्गत निम्न On Spot Services.
 - नि-क्षय मित्र रजिस्ट्रेशन एवं पंजीकृत नि-क्षय मित्रों का सम्मान किया जाना।
 - क्षय रोगियों से Consent प्राप्त करना।
 3. टी.बी. लक्षणों की On Spot स्क्रीनिंग।
 4. नि-क्षय पोषण योजना के अंतर्गत लंबित बैंक/ पोस्ट ऑफीस खातों के लम्बित प्रकरणों का निराकरण करना।
 5. क्षय रोगियों की जांच किये जाने हेतु सेम्पल एकत्रित कर Camp Site पर True NAAT Machine द्वारा जांच सुनिश्चित की जाना।
 6. आरोग्य साथी एप डाउनलोड कराया जाकर जन जागरूकता लाना।
 7. आभा आईडी का निर्माण किया जाना।

“Viksit Bharat Sankalp Yatra” अभियान हेतु जिले के संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नोडल अधिकारी एवं जिले के अन्य कार्यक्रम अधिकारी (यथा जिला क्षय अधिकारी, जिला स्वास्थ्य अधिकारी) उप नोडल अधिकारी होंगे। इसके अंतर्गत प्रदेश 26243 हेल्थकैंप का आयोजन किया गया जिसके अंतर्गत 2151721 लोगों की टी.बी. स्क्रीनिंग एवं 205419 की टेस्टिंग की गयी जिनमें से 4117 व्यक्तियों को नोटिफाई किया गया।

Adult BCG Vaccination Study का आयोजन प्रदेश के 26 जिलों (आगर मालवा, अशोकनगर, बड़वानी, भिण्ड, भोपाल, छिन्दवाड़ा, दमोह, देवास, ग्वालियर, हरदा, नर्मदापुरम, जबलपुर, कटनी, मण्डला, मुरैना, नरसिंहपुर, पन्ना, रायसेन, रतलाम, सतना, सीहोर, शहडोल, श्योपुर, सिंगरौली, टीकमगढ़ एवं उमरिया) शीघ्र किया जाना है। जिस हेतु टीकाकरण की प्रक्रिया सभी चिन्हित 26 जिलों में प्रारंभ की जा चुकी है। एवं शेष जिलों में भी सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। Adult BCG Vaccination अभियान वर्ष 2025 तक क्षय उन्मूलन के लक्ष्य प्राप्ति की ओर एक बड़ा कदम है। Adult BCG Vaccination अभियान अंतर्गत टीकाकरण हेतु निम्नांकित हितग्राही समूह को शामिल किया गया है -

- टी.बी. मरीजों के संपर्क में आये व्यक्ति।
- पूर्व में टी.बी. का उपचार ले चुके व्यक्ति।
- BMI<18KG/M2 के व्यक्ति।
- 60 वर्ष से अधिक आयु समूह के व्यक्ति।
- स्वप्रतिवेदित धूम्रपान कर रहे व्यक्ति।
- स्वप्रतिवेदित Diabetes के मरीज।

उपरोक्त Adult BCG Vaccination अभियान हेतु जिला क्षय अधिकारी एवं जिला टीकाकरण अधिकारी को उन्मुखीकृत किया जाकर, राज्य स्तर से हितग्राहियों के चिन्हांकन हेतु घर-घर सर्वे प्रपत्र के प्रारूप उपलब्ध कराये गये हैं। गुणवत्तापूर्ण सर्वे कार्य समय-सीमा में पूर्ण कर जानकारी राज्य स्तर पर प्रेषित करेगी, साथ ही जिले में Adult BCG Vaccination हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार करेगी।

प्रदेश द्वारा जिलेवार टी.बी. मुक्त पंचायतों की जानकारी प्रतिवर्ष माह मार्च के प्रथम एवं द्वितीय सप्ताह में सेन्दल टी.बी. डिवीजन (CTD) मंत्रालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा मंत्रालय पंचायती राज भारत सरकार से अनिवार्यतः साझा की जायेगी।

TB Notification :

Year	Annual Target	Achievement	Percentage
2020	240100	137907	57 %
2021	240100	167024	70%
2022	245000	187105	76%
2023	210000	183459	87%
2024 (Jan-march)	47500 (Q' 24)	45231	95%

* Data is taken from NIKSHAY Software.

राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत DBT के माध्यम से क्षय रोगियों को भुगतान किया गया है:-

Year	Total Beneficiaries	Beneficiaries Paid Atleast Once
2023 (January to December)	180710	155495 (86%)
2024 (Jan-March)	44795	18727 (42%)

* Data is taken from NIKSHAY Software.

NTEP कार्यक्रम के अंतर्गत जिलों में प्राइवेट प्रोवाइडर्स को नोटीफिकेशन (TB Case Notification) कराने के लिये राशि रु. 500/- प्रति टी.बी. मरीज के नोटीफिकेशन एवं रु. 500/- प्रति टी.बी. मरीज के Outcome देने पर राशि 01 अप्रैल, 2018 से DBT के माध्यम से दी जा रही है।

प्रदेश के टी.बी. मरीजों हेतु रु. 500/- प्रतिमाह (मरीज के उपचार से निदान तक) पोषण आहार हेतु राशि 01 अप्रैल 2018 से दी जा रही है।

आदिवासी विकास खण्डों के क्षय रोगियों को उपचार की समाप्ति के बाद, कार्यक्रम में दिये गये वित्तीय प्रावधान के अनुसार राशि रु. 750/- अतिरिक्त राशि डी.बी.टी. के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है।

कार्यक्रम के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रदेश में क्षय रोगियों की जांच एवं आधुनिक उपचार प्रणाली "DOTS" (Daily DOTS) द्वारा उपचार की निःशुल्क सुविधा ग्रामीण स्तर तक सभी शासकीय चिकित्सालयों में उपलब्ध है।

मध्यप्रदेश शासन द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार टी.बी.गगग. की पहचान एवं उपचार की सुविधा राज्य के समस्त हैल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र) के माध्यम से दी जा रही है, जिससे क्षय रोगियों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्रों में उपलब्ध हो सके।

राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम

राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1983-84 में की गई थी। कार्यक्रम में बहु-औषधि उपचार (एम.डी.टी.) 1994-95 में प्रारंभ किया गया। राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के शुरुआत में कुष्ठ उन्मूलन का लक्ष्य 10 हजार की जनसंख्या में 1 से कम कुष्ठ रोगी रखा गया था जिस लक्ष्य को 2005 में प्राप्त कर लिया गया था। पुनः 2012 में कार्यक्रम में निर्धारित परिवर्तन करते हुये कुष्ठ उन्मूलन का नया लक्ष्य ग्रेड 2 विकृति एक प्रति 10 लाख जनसंख्या में एवं कुष्ठ प्रभाव दर (PR)1 प्रति 10000 से कम तथा बच्चों में ग्रेड-2 विकृति शून्य करना रखा गया जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये 2027 तक की समय-सीमा तय की गई है।

उपलब्धियां वर्ष 2023-24

- प्रदेश में कुष्ठ प्रभाव दर 0.85 प्रति 10000 जनसंख्या एवं नये रोगी खोज दर (ANCDR) 9.70 प्रति 1 लाख जनसंख्या।
- कुल नये खोजे गये 8336 कुष्ठ रोगी उपचाररत हैं।
- कुल नये कुष्ठ रोगियों में 262 विकृति ग्रेड-2 के कुष्ठ रोगी उपचाररत हैं।
- कुल नये बाल कुष्ठ रोगियों में 228 उपचाररत हैं एवं ग्रेड-2 विकृति के 3 बाल कुष्ठ रोगी उपचाररत हैं।
- कुल उपचार मुक्त कुष्ठ रोगी - 7550
- कुल उपचाररत कुष्ठ रोगी - 7492
- कुल 4089 एम.सी.आर फुटवेयर कुष्ठ रोगियों को वितरित किये गये।
- कुल 3204 सेल्फ केयर किट कुष्ठ रोगियों को वितरित किये गये।
- प्रदेश में 124 विकृति ग्रेड-2 रोगियों की आर.सी.एस. (पुनः शल्य क्रिया) की गई।
- माह जुलाई 2023 में 51 जिला कुष्ठ अधिकारियों एवं जिला कुष्ठ सलाहकारों को प्रशिक्षण करवाया गया।
- माह अगस्त 2023 में 4 जिले सिंगरोली, विदिशा, नीमच एवं सिवनी के फिजियोथेरेपिस्ट को आर.एल.टी. आर.आई रायपुर में प्रशिक्षण करवाया गया।
- माह अक्टूबर 2023 में 4 जिला कुष्ठ अधिकारियों को आर.एल.टी.आर.आई रायपुर में प्रशिक्षण करवाया गया।
- माह 16 अक्टूबर से 30 नवंबर 2023 तक कुष्ठ रोगी खोज अभियान प्रदेश के 30 जिलों में किया गया जिसमें 2119 नये कुष्ठ रोगी खोजे गये।
- प्रदेश के सभी जिलों में स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान 30 जनवरी से 13.2.2024 तक कुष्ठ पखवाड़े के रूप में मनाया गया जिसमें 792 नए कुष्ठ रोगी खोजे गये।

।। एम.डी.टी. से निश्चित ही ठीक हो जाता है कुष्ठ रोग।।

राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम

राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मध्यप्रदेश में दृष्टिहीनता की दर कम कर 0.3 प्रतिशत तक लाना है, इस दिशा में राज्य निरंतर प्रयासरत है।

मध्यप्रदेश में नेत्र चिकित्सा कार्य विभिन्न स्तरों पर संचालित हो रहा है, इनमें प्रमुख रूप से जिला चिकित्सालयों की नेत्र चिकित्सा इकाई, सिविल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के नेत्र विभाग के माध्यम से नेत्र-चिकित्सा सुविधा सुदूर ग्रामीण अंचलों तक उपलब्ध करवाई जा रही है।

मध्यप्रदेश के जिला तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सुसज्जित नेत्र शल्यक्रिया कक्ष तथा नेत्र रोगियों के उपचार के लिये 600 शैय्याओं की व्यवस्था है। ग्रामीण क्षेत्रों में रिक्रैक्शन व प्रारंभिक नेत्र परीक्षण के लिये विकासखण्ड स्तर पर रिक्रैक्शन कक्ष कार्यरत है।

पूर्व 10 वर्षों में 52 जिलों में ऑप्टिकल ऑपरेटिंग माईक्रोस्कोप उपलब्ध कराये गये एवं 24 जिलों में फेको मशीन उपलब्ध कराई गई है, प्रशिक्षण उपरांत उपरोक्त जिलों में फेको पद्धति से शासकीय चिकित्सालयों में मोतियाबिंद के ऑपरेशन प्रारंभ कर दिये गये हैं तथा 30 जिलों के SNCU में फंडस केमरा उपलब्ध कराये गये हैं, जिससे समय से पूर्व जन्मे बच्चों का फंडस फोटोग्राफी कर नेत्र परीक्षण किया जाना प्रारंभ किया गया है।

मध्यप्रदेश शासकीय नेत्र-चिकित्सा संस्थायें

क्र.	संस्था का नाम	संख्या	स्थान
1	नेत्र विभाग, मेडिकल कालेज	14	इन्दौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर, उज्जैन, विदिशा, दतिया, शिवपुरी, खंडवा, रतलाम, शहडोल, छिंदवाड़ा
2	नेत्र चिकित्सा इकाई जिला चिकित्सालय	52	जिला मुख्यालय
3	सिविल अस्पताल	102	जिला स्तर पर
4	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र	333	ब्लाक स्तर पर

वर्ष 2014-15 से 2023-24 तक मोतियाबिंद ऑपरेशन, लक्ष्य एवं उपलब्धियों की भौतिक जानकारी निम्नानुसार है -

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत
2014-15	500000	505343	101.01
2015-16	500000	515207	103.03
2016-17	500000	508083	101.06
2017-18	500000	538175	107.63
2018-19	500000	618200	123.64
2019-20	500000	601411	100.2
2020-21	500000	397957	66.3
2021-22	500000	645538	129.10
2022-23	500000	740644	148.12
2023-24	625000	770866	123.33

पिछले 10 वर्षों में प्रदेश के सभी जिला चिकित्सालयों में लेंस प्रत्यारोपण के मोतियाबिंद ऑपरेशन प्रारंभ हो गये हैं साथ ही अन्य नेत्र रोग ग्लूकोमा, मेडिकल रेटिना की सेवाएं भी प्रारम्भ कर दी गयी हैं, चिकित्सकों के शल्य क्रिया में गुणवत्ता हेतु राज्य स्तर पर प्रशिक्षण प्रदाय किये जा रहे हैं।

प्रदेश के नेत्र चिकित्सकों एवं नेत्र सहायको द्वारा स्कूली छात्र-छात्राओं का नेत्र परीक्षण कर आवश्यकतानुसार निःशुल्क चश्मे वितरित किये गये जिसकी जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	लक्ष्य	परीक्षण किये गये स्कूलों की संख्या	नेत्र परीक्षण किये गये छात्रों की संख्या	दृष्टिदोष पाये गये छात्रों की संख्या	दृष्टिदोष पाये गये छात्रों की संख्या जिन्हें निःशुल्क चश्मा प्रदाय किये गये
2014-15	41,00,000	32038	2947177	94580	80032
2015-16	41,00,000	31124	3202478	117554	76579
2016-17	41,00,000	30959	2595013	141463	113596
2017-18	41,00,000	35672	3046525	128349	102102
2018-19	41,00,000	31434	2604870	135057	107709
2019-20	41,00,000	40575	3257782	146899	101547
2020-21	41,00,000	1573	84978	5965	4893
2021-22	41,00,000	14456	1324214	152928	39154
2022-23	41,00,000	17262	1549710	82525	52152
2023-24	41,00,000	15177	1598081	120784	65937

प्रदेश में वर्ष 2015-16 से 2023-24 तक वरिष्ठ नागरिकों का नेत्र परीक्षण कर उन्हें निःशुल्क चश्मे प्रदाय किये गये जो निम्नानुसार है:-

वर्ष	लक्ष्य	वरिष्ठ नागरिकों को प्रदाय निःशुल्क चश्मे
2015-16	100000	108826
2016-17	100000	102311
2017-18	100000	132141
2018-19	100000	174607
2019-20	100000	184113
2020-21	100000	46408
2021-22	100000	152485
2022-23	100000	185849
2023-24	100000	123013

सामाजिक गुणवत्ता

सामान्य वर्ग के साथ-साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के मोतियाबिंद ऑपरेशन प्राथमिकता के आधार पर किये जाते हैं, जिसकी सूची निम्नानुसार है:-

वर्ष	पुरुष	महिला	कुल योग	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	पिछड़ा वर्ग	कुल योग
2014-15	263018	242325	505343	152698	98818	76830	176997	505343
2015-16	256108	259099	515207	140032	109362	73115	192698	515207
2016-17	248254	259829	508083	136165	104375	82915	184628	508083
2017-18	266236	271939	538175	142914	114441	82632	198188	538175
2018-19	305306	312894	618200	166308	127494	106393	218005	618200
2019-20	296792	304619	601411	170087	128097	100685	202542	601411
2020-21	190763	207194	397957	107713	87139	80887	122218	397957
2021-22	331243	314295	645538	230451	112752	131468	170867	645538
2022-23	363707	376937	740644	217248	159540	140465	223391	740644
2023-24	378372	392494	770866	-	-	-	-	-

।। नेत्रदान कीजिये, ताकि आपकी आँखों से कोई देख सके।।

राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम

तम्बाकू उत्पादों का बढ़ता उपयोग विश्व में लोगों की असमय मृत्यु का सबसे मुख्य कारण है। तम्बाकू के सेवन से व्यक्ति के शरीर पर अनेक प्रकार की बीमारियाँ होती हैं जैसे- फेफड़ों का कैंसर, मुँह का कैंसर, श्वसन तंत्र की बीमारी, गर्भावस्था के समय धूम्रपान अथवा धूम्ररहित तम्बाकू के सेवन से शिशु को होने वाले दुष्प्रभाव, अस्थमा, निमोनिया ब्रोंकाइटिस, बार-बार श्वसन तंत्र का संक्रमण एवं क्षयरोग इत्यादि। इसके सेवन से हृदय और रक्त संबंधी बीमारियों, पुरुषों में नपुंसकता और महिलाओं में प्रजनन क्षमता में कमी आना, बांझपन जैसी समस्याएँ भी उत्पन्न होती हैं। बीमारियों की रोकथाम एवं इलाज में होने वाले खर्च में से अधिकांश राशि तम्बाकू सेवन के कारण होने वाली बीमारियों के इलाज में खर्च होती है।

वैश्विक वयस्क तम्बाकू सर्वेक्षण-2 के अनुसार भारत में तम्बाकू के उत्पाद से प्रतिवर्ष 1.3 मिलियन से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो रही है। मध्यप्रदेश में कुल 50.2 प्रतिशत पुरुष एवं 17.3 प्रतिशत महिलाएँ तम्बाकू सेवन करते हैं एवं 24.7 प्रतिशत वयस्क सार्वजनिक जगहों पर अप्रत्यक्षित धूम्रपान के संपर्क में आते हैं। ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे-2009 के अनुसार 36.4% बच्चे घर में अप्रत्यक्षित धूम्रपान के शिकार होते हैं तथा 48.7% बच्चे घर के बाहर इसका शिकार होते हैं। इनके अतिरिक्त 55 हजार बच्चे हर वर्ष नियमित रूप से तम्बाकू सेवन करने वालों की सूची में जुड़ रहे हैं। धूम्रपान करने वालों में से 80% पहली सिगरेट 8 से 13 वर्ष की आयु में पीते हैं। परोक्ष धूम्रपान के शिकार होने वालों में भी बच्चे ही सबसे अधिक हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएँ और बच्चे धूम्ररहित तम्बाकू सेवन से होने वाली हानियों की जानकारी के अभाव में मुँह साफ करने के लिए तम्बाकू का सेवन करते हैं। महिलाएँ गर्भावस्था या प्रसव के समय पीड़ा कम करने के लिए तम्बाकू का उपयोग करती हैं, जिससे होने वाले शिशु पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। विभिन्न अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है कि बच्चों के आस-पास धूम्रपान के दुष्परिणाम से नवजात शिशु की अकस्मात् मृत्यु का संकट, निमोनिया, काली खाँसी एवं फेफड़ों से संबंधित समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। ज्यादातर सम्भावना यही रहती है कि जो बच्चे कम आयु में तम्बाकू सेवन शुरू करते हैं वे फिर सारी जिंदगी इसे जारी रखते हैं एवं तम्बाकू से संबंधित बीमारियों से ग्रसित होने का खतरा उनके लिए काफी ज्यादा होता है।

भारत शासन द्वारा 2003 में तम्बाकू उत्पादों के उपभोग को हतोत्साहित करने हेतु “COTPA/सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण के विज्ञापन एवं विनियमन निषेध) अधिनियम” लागू किया गया है। प्रदेश में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत इस अधिनियम का संचालन किया जा रहा है, जिसमें तम्बाकू आपदा से लोगों को बचाने के लिए विभिन्न धाराएँ बनाई गई हैं, जिसमें मुख्यतः धारा 4 (सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध), धारा 6 (अ) (18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को तम्बाकू बेचना निषेध), धारा 6 (ब) (शिक्षण संस्थानों के 100 गज की परिधि में तंबाकू उत्पाद बेचना प्रतिबंधित) एवं धारा 7 (तंबाकू उत्पादों पर निर्धारित स्वास्थ्य चेतावनी) की निगरानी का अधिकार प्रदाय किया गया है।

सरकार द्वारा तम्बाकू उत्पादों पर नियंत्रण हेतु अधिनियम बनाया है, जिसमें टार एवं निकोटिन का न्यूनतम स्तर रखने के प्रावधान हैं। किन्तु उपयुक्त क्षमता तथा संसाधनों के अभाव में राज्य में तम्बाकू नियंत्रण के अपेक्षित परिणाम हासिल नहीं हो सके हैं। इसके अतिरिक्त कई तम्बाकू उत्पादों मुख्यतः सिगरेट व बीड़ी में टार की मात्रा की जांच के लिये हमारे पास व्यवस्थित प्रयोगशाला नहीं हैं।

भारत FCTC (Framework Convention on Tobacco Control) से प्रतिबद्ध देश है, जहाँ तम्बाकू नियंत्रण के लिये प्रशासनिक, विधायी मापदण्ड स्थापित किये गये हैं जिसमें प्रभावी कानूनी विधियाँ बनाना शामिल है। तम्बाकू नियंत्रण की प्रभावी विधियाँ, कानून के प्रावधानों का क्रियान्वयन तथा साथ ही तम्बाकू के विपरीत प्रभावों के प्रति जागरूकता के क्रम में एक विस्तृत राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम की आवश्यकता है। तम्बाकू उपयोग की आदतों को कम करके कई लोगों की जिन्दगी बचाने की जरूरत है तथा स्वास्थ्य, आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यावरण पर हो रहे हानिकारक प्रभावों को कम करना है जो तम्बाकू के कारण राष्ट्र पर पड़ रहे हैं।

राज्य सरकारों के साथ राष्ट्रीय टास्क फोर्स की बैठक में हुई चर्चा में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के घटक निर्धारित किये गये एवं मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया गया।

कार्यक्रम के विभिन्न घटक निम्नलिखित हैं :-

1. केंद्र व राज्य स्तर पर कड़े निगरानी तकनीकों के साथ जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम लागू करना।
2. सूचना, शिक्षा व संचार (IEC)
3. नेशनल टोबैको रेगुलेटरी अथॉरिटी गठित करना जो तम्बाकू परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने, टार व निकोटिन की मात्रा के संदर्भ उत्पाद कानून बनाने के साथ ही तंबाकू नियंत्रण कानून एवं नियमों के क्रियान्वयन की निगरानी के लिये भी जिम्मेदार हो।
4. शोध एवं प्रशिक्षण।

उक्त राष्ट्रीय टॉस्क फोर्स के निर्णय के अनुसार मध्यप्रदेश में तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम की धारा 5 (तम्बाकू उत्पादों के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर प्रतिबंध) को लागू करवाने एवं उसकी निगरानी हेतु राज्य स्तर पर प्रमुख सचिव स्वास्थ्य की अध्यक्षता में एवं सभी 51 जिलों में जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में मॉनीटरिंग समिति का गठन किया गया है।

राज्य तम्बाकू नियंत्रण सेल का गठन -

राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत कानून के प्रभावी क्रियान्वयन तथा जिला स्तर पर तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम की निगरानी के लिये राज्य तम्बाकू नियंत्रण सेल का गठन संचालक, लोक स्वास्थ्य, मध्यप्रदेश की अध्यक्षता में किया गया है। यह सेल कार्यक्रम के लिये मानव संसाधन प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन, जिला तम्बाकू नियंत्रण केंद्र की स्थापना, तम्बाकू नियंत्रण कानून का प्रभावी परिपालन तथा सार्वजनिक स्थलों को धूम्रपान मुक्त करने हेतु समय-समय पर दिशानिर्देश जारी करने के लिये उत्तरदायी है। कार्यक्रम के क्रियान्वयन, समन्वयन, निगरानी तथा जिलास्तर पर कार्यक्रम के मूल्यांकन की जिम्मेदारी प्रदेश स्तर पर नियुक्त नोडल ऑफिसर की है। तम्बाकू नियंत्रण के प्रति जनसमुदाय को जागरूक करने के लिये प्रदेश स्तर पर कार्यशालाएँ, सेमिनार व प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं। इसमें सूचना, शिक्षा एवं संचार माध्यमों का प्रयोग कर सघन जन जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है।

जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम -

तम्बाकू उपयोग के दुष्परिणामों के प्रति ग्रामीण एवं शहरी जन समुदाय में जागरूकता लाने के लिये प्रदेश के सभी जिलों में समुदाय स्तर पर जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम लागू किया जा रहा है तथा गाँवों एवं शहरों को तम्बाकू मुक्त व धूम्रपान मुक्त करने हेतु प्रयास किये गए हैं। इसमें तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम के प्रावधानों व नियमों के प्रभावी परिपालन के लिये मध्यप्रदेश शासन द्वारा जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में जिला स्तरीय तम्बाकू नियंत्रण समिति का गठन निम्नानुसार किया गया है-

- | | |
|--|--------------|
| 1. जिला दण्डाधिकारी/जिलाध्यक्ष | - अध्यक्ष |
| 2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी | - सदस्य सचिव |
| 3. जिला पुलिस अधीक्षक | - सदस्य |
| 4. जिला जनसंपर्क अधिकारी | - सदस्य |
| 5. जिला खाद्य एवं औषधि निरीक्षक म.प्र. | - सदस्य |
| 6. स्वास्थ्य/तम्बाकू नियंत्रण के क्षेत्र में कार्यरत प्रमुख स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि | - सदस्य |
| 7. जिले के मुख्य महाविद्यालय के प्रार्चाय सदस्य | - सदस्य |
| 8. अकादमीशियन / मनोविज्ञानिक / समाजशास्त्री | - सदस्य |

COTPA 2003 के प्रभावी अनुपालन एवं निगरानी के लिये अंतर्विभागीय निगरानी/जांच दल (Enforcement squad) का गठन निम्नानुसार किया गया है-

जिला स्तरीय निगरानी/जांच दल

1. जिला नोडल अधिकारी (तम्बाकू नियंत्रण)	- समन्वयक
2. पुलिस उपनिरीक्षक या निरीक्षक सदस्य	- सदस्य
3. खाद्य निरीक्षक	- सदस्य
4. सहायक संचालक, शिक्षा (योजना/खेलकूद)	- सदस्य
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगरपालिका/नगर पंचायत	- सदस्य

अनुभाग स्तरीय समिति -

अनु-विभागीय अधिकारी (राजस्व)	- अध्यक्ष
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत	- सदस्य
तहसीलदार	- सदस्य
मुख्य नगर पालिका/पंचायत अधिकारी	- सदस्य
पुलिस उपनिरीक्षक	- सदस्य
विकास खण्ड चिकित्सा अधिकारी सदस्य	- सदस्य
विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी सदस्य	- सदस्य

जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम में निम्न घटकों को शामिल किया गया है -

1. तम्बाकू नियंत्रण कानून की निगरानी
2. सूचना, शिक्षा एवं संचार (IEC)
3. स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम
4. प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं अन्य गतिविधियाँ

राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश में मुख्य रूप से निम्न गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं -

- सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन और वितरण का विनियमन) अधिनियम / COTPA 2003 के तहत प्रावधानों का प्रभावी कियान्वयन समस्त 52 जिलों में किया जा रहा है एवं इस अधिनियम का उल्लंघन करने वालों पर चालान एवं अन्य नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।
- तम्बाकू के उपयोग से होने वाले दुष्प्रभावों के सम्बन्ध में समाज में जागरूकता लाने के लिए व्यापक आई.ई.सी. गतिविधियाँ आयोजित की जा रही हैं, जिन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से भी प्रसारित किए जाने की योजना है।
- प्रदेश के समस्त शालाओं एवं महाविद्यालयों को तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान के रूप में तैयार किया जा रहा है एवं प्रत्येक जिले के लगभग 23078 शालाओं में तम्बाकू नियंत्रण से सम्बन्धित विशेष गतिविधियाँ आयोजित की जा रही हैं। प्रदेश के प्रत्येक जिले के चिन्हित स्कूल एवं कॉलेज में तम्बाकू नियंत्रण हेतु कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है एवं स्कूल के 100 गज के दायरे में कोई भी तम्बाकू विक्रेता की दुकान न हो इस हेतु यलोलाइन कैम्पेन भी चलाया जा रहा है।
- तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम अन्तर्गत पुलिस विभाग, नगरीय निकाय, पंचायती राज विभाग, शिक्षा विभाग के साथ समन्वय कर गतिविधियाँ आयोजित की जा रही हैं एवं COTPA 2003 का पालन करवाया जा रहा है।

।। जिन्दगी चुनो, तम्बाकू नहीं।।

राष्ट्रीय ओरल हेल्थ कार्यक्रम



बेहतर मौखिक स्वास्थ्य के लिए प्राथमिक स्तर पर मौखिक स्वास्थ्य संवर्धन को प्राथमिकता देना प्रमुख है। व्यक्ति के जीवन की समग्र गुणवत्ता के लिए उसका ओरल (मुख संबंधी) स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है, यह मानव की बुनियादी आवश्यकता है, इसे सुधारने के लिए राष्ट्रीय ओरल हेल्थ कार्यक्रम (NOHP) भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ किया गया। प्रदेश के समस्त जिलों के जिला चिकित्सालय में पदस्थ वरिष्ठ दंत चिकित्सक को जिला नोडल अधिकारी, ओरल हेल्थ कार्यक्रम बनाया गया है।

राष्ट्रीय ओरल हेल्थ कार्यक्रम के उद्देश्य

1. स्वास्थ्य और हेल्थ एवं वेलनेस केन्द्रों में मुख स्वास्थ्य के ढांचे को मजबूत करके मुख स्वास्थ्य संवर्धन तथा सेवा प्रावधानों के अंतर्गत वित्तीय प्रावधानों को बढ़ाना।
2. सार्वजनिक मुख स्वास्थ्य देखभाल के लिये राज्यों और उनके प्रशिक्षित वर्गीकृत मानव संसाधनों को प्रशिक्षित कर, जन स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करना।
3. दन्त स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रावधानों की मॉनिटरिंग, सुरक्षा, समानता, स्वास्थ्य संस्थानों तक पहुंच स्वास्थ्य व्यवस्था की जवाबदेही एवं गुणवत्ता में वृद्धि।
4. मुख स्वास्थ्य की सुदृढ़ निगरानी।
5. मुख स्वास्थ्य के आयामों का सभी नीतियों में समेकित करना।
6. दन्त शिक्षा और दन्त सेवा के मध्य समन्वय स्थापित करना, जिससे गुणवत्ता का स्तर बनाए रखने की प्रतिबद्धता सुनिश्चित करना।
7. मुख स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए पर्याप्त निधि आवंटित करके सार्थक नीतिगत एवं बहुविषयक दन्त चिकित्सा अनुसंधान का संवर्धन।

राष्ट्रीय ओरल हेल्थ कार्यक्रम अन्तर्गत वर्तमान में 182 दन्त चिकित्सा इकाई संचालित है। प्रदेश के सभी जिलों में प्रोस्थेसिस/इम्प्लांट (नकली दाँत लगाने की सुविधा) उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से प्रदेश में PPP (प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप) द्वारा डेंटल लेबोरेटरी उपलब्ध करवाई जा रही है।

।। स्वस्थ मुँह - सेहत का आधार, ब्रश दिन में दो बार, दो मिनट हर बार।।

राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम

आयोडीन की कमी से होने वाले दुष्प्रभावों अथवा आयोडीन की कमी को साधारणतः नियमित आयोडीन युक्त नमक के उपयोग करने से आसानी से रोका जा सकता है। आयोडीन की कमी शरीर में कई विकारों को जन्म दे सकती है। जिन्हें समग्र रूप से आयोडीन अल्पता विकार(IDD) कहा जाता है जिनमें मुख्यतः घेंघा रोग, मृत जन्म शिशु, जन्मजात विसंगतियां, मानसिक कमजोरी, बौनापन, शरीर का विकास न होना, हाइपोथायरायडिज्म इत्यादि सम्मिलित है।

- लक्ष्य एवं उद्देश्य-** राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम का लक्ष्य देश में घेंघा के फैलाव को 5 प्रतिशत से कम करना और घरेलू स्तर पर 100 प्रतिशत पर्याप्त रूप से आयोडीन युक्त नमक के सेवन को सुनिश्चित करना है। भारत सरकार के पोर्टल पर अंतिम अद्यतन सूची वर्ष 2017 के अनुसार मध्यप्रदेश के 14 स्थानिक जिले बैतूल, बालाघाट, छतरपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, नर्मदापुरम्, जबलपुर, खण्डवा, खरगोन, मण्डला, सागर, शहडोल, सीधी, टीकमगढ़ को नामांकित किया गया है।
- आई डी डी सर्वेक्षण:-** भारत सरकार द्वारा आई.डी.डी की स्थिति जानने के लिए राज्य स्तरीय आई.डी.डी. सर्वेक्षण 2010 से 2018 के अंतराल में विभिन्न एजेंसी एवं प्रतिष्ठित चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा सर्वे कराया गया था। सर्वेक्षण से प्राप्त टी.जी.आर. डेटा अनुसार 14 में से 7 स्थानिक घेंघा जिले में घेंघा का फैलाव 5 प्रतिशत से कम का प्रतिवेदन है।
 - जबलपुर टीजीआर 2.2%
 - दमोह टीजीआर 2.1%
 - टीकमगढ़ टीजीआर 1.9%
 - मण्डला टीजीआर 0.7%
 - छिंदवाड़ा टीजीआर 0.6%
 - नर्मदापुरम् टीजीआर 1.96%
 - बैतूल टीजीआर 2.88%
- वित्तीय वर्ष 2022-23 में मध्यप्रदेश द्वारा जिला अलीराजपुर एवं झाबुआ में आई.डी.डी. सर्वेक्षण सम्पन्न किया गया था। सर्वेक्षण से प्राप्त टी.जी.आर डेटा अनुसार दोनों जिले में घेंघा का फैलाव 5 प्रतिशत से कम का प्रतिवेदन है।
- कार्यक्रम अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में आई.डी.डी की स्थिति जानने हेतु आई.डी.डी सर्वेक्षण जिला बालाघाट, मण्डला, सीधी, सागर, शहडोल, में कराया गया है। जिसके परिणाम प्रक्रियाधीन हैं।
- राज्य स्तर पर हर माह 14 स्थानिक जिले की आशा कार्यकर्ता द्वारा नमक के नमूनों की जांच साल्ट टेस्ट किट के माध्यम से सम्पादित की जाती है वित्तीय वर्ष 2023-24 में 101.98 लाख जांच सम्पादित की जा चुकी है।
- IEC गतिविधियां-** प्रतिवर्ष 21 अक्टूबर को आयोडीन दिवस के रूप में मनाया जाता है एवं समय-समय पर पोस्टर, पैम्पलेट, ऑडियो एवं विडियो द्वारा आयोडीन नमक के उपयोग के प्रति लोगों को जागरूक किया जाता है।
- राज्य आयोडीन मॉनिटरिंग प्रयोगशाला-** जिला चिकित्सालय भोपाल में संस्थित राज्य आयोडीन लैब माह जनवरी 2022 से प्रशिक्षित लैब तकनीशियन द्वारा कार्य आरम्भ किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में नमक के नमूनों की 4889 एवं यूरिन के नमूनों की 1431 जांच सम्पादित की गई है।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम** अंतर्गत राज्य स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित किया गया जिसमें समस्त जिला कम्युनिटी मोबिलाईजर को प्रशिक्षित किया गया एवं साथ ही साथ समस्त मैदानी कार्यकर्ता का प्रशिक्षण ऑनलाइन माध्यम से सम्पादित किया गया है।

।। आयोडीन युक्त नमक ही खाना, बुद्धि और स्वास्थ्य को सुरक्षित बनाना।।

राष्ट्रीय फ्लोरोसिस रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम

फ्लोरोसिस एक ऐसी स्थिति है जिसके परिणामस्वरूप आपके दांतों पर सफेद या भूरे धब्बे पड़ जाते हैं। यह जीवन के शुरुआती वर्षों में फ्लोराइड के अत्यधिक संपर्क में आने के कारण होता है जब आपके स्थायी दांत विकसित हो रहे होते हैं। यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है। किंतु सौन्दर्य कारणों से चिंतन का विषय बना हुआ है, लेकिन ऐसे उपचार हैं जो इसे ठीक कर सकते हैं।

लक्ष्य एवं उद्देश्य - राष्ट्रीय फ्लोरोसिस नियंत्रण एवं रोकथाम कार्यक्रम का उद्देश्य देश में फ्लोरोसिस के मामलों को रोकना और नियंत्रित करना है। कार्यक्रम अंतर्गत 15 जिले अलीराजपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, धार, डिण्डौरी, झाबुआ, खरगौन, मण्डला, रायसेन, राजगढ़, रतलाम, सीहोर, सिवनी, शाजापुर, उज्जैन चिह्नांकित हैं। जिनमें लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के साथ आवश्यक समन्वय स्थापित करते हुए फ्लोरोसिस मुक्त पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है।

आई.ई.सी. गतिविधियां- समय समय पर आई.ई.सी. गतिविधियों द्वारा लोगो को फ्लोरोसिस के दुष्प्रभावों के बारे में अवगत कराया जाता है।

फ्लोरोसिस क्या है?

पेयजल/पौजन के जरूरी अधिक मात्रा में फ्लोराइड का सेवन कर लेने के कारण फ्लोरोसिस हो जाता है।

लक्षण

- ✱ घबलती, उल्टी आना
- ✱ भूख कम लगना
- ✱ पेट में दर्द होना
- ✱ रीस बनना, पेट फूलना
- ✱ दांतों का रंग बिगड़ना
- ✱ बार-बार पेशाब आना
- ✱ अत्यधिक प्यास
- ✱ मांसपेशियों/जोड़ों में दर्द
- ✱ लम्बी दूरी तक चलने में असमर्थता

इसका पहली चिह्न, फ्लोरोसिस से बचो

बच्चे आपको तपसुक कोड़े/बेलक दिखाने से तो अधिक जानकारी के लिए अपने निकटतम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, समुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल में संपर्क करें।

राष्ट्रीय फ्लोरोसिस रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम

फ्लोरोसिस से ऐसे बच्चे सुरक्षित जल पियें

सुरक्षित जल पीने के लिए

सुरक्षित जल पीने से बचें

फ्लोरोसिस से हुई समस्याओं में सुधार करने के लिए, धारा माता में अजिबो, बाली, गुप्त और अन्य स्थलों का जल शुद्धित कराएं।

जल फ्लोरोसिस मुक्त पौष्टिक व बर्तन

कम से कम पानी पियें, फ्लोरोसिस से बचें

यदि आपको तपसुक कोड़े/बेलक दिखाने से तो अधिक जानकारी के लिए अपने निकटतम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, समुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल में संपर्क करें।

राष्ट्रीय फ्लोरोसिस रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम

संयोजक डॉ. सी.एस. शर्मा, जिला अस्पताल, जिला अस्पताल, जिला अस्पताल

संयोजक डॉ. सी.एस. शर्मा, जिला अस्पताल, जिला अस्पताल, जिला अस्पताल

फ्लोरोसिस सर्वेक्षण- राष्ट्रीय फ्लोरोसिस नियंत्रण एवं रोकथाम कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में से 1065 गांव का सर्वेक्षण किया जा चुका है जिसमें 4003 डेंटल फ्लोरोसिस मरीज पाये गये हैं। 7059 व्यक्तियों को सप्लीमेंटेशन की सुविधा दी गई है।

फ्लोरोसिस प्रयोगशाला - कार्यक्रम के अंतर्गत फ्लोरोसिस लैब के सुचारु संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2022- 23 में 15 लैब टेक्नीशियन को पदस्थ कर डेंटल फ्लोरोसिस एवं स्केलेटल फ्लोरोसिस ग्रसित मरीजों में सबसे अधिक प्रभावित हिस्से का एक्सरे, यूरीन की जांच, एवं पानी में फ्लोरोसिस की मात्रा की जांच सम्पादित की जा चुकी है और सतत प्रक्रिया जारी है।

फ्लोरोसिस प्रशिक्षण - कार्यक्रम अंतर्गत राज्य स्तर से एंडेमिक जिलों में जिला फ्लोरोसिस अधिकारी, लैब तकनीशियन एवं जिला फ्लोरोसिस सलाहकारों का प्रशिक्षण आयोजित कर प्रशिक्षित किया गया है।

।। पीले दांत हड़डी जाम यही है पानी में फ्लोराइड ज्यादा होने की पहचान शुद्ध पानी, दूध दही हरी सब्जियां खाये फ्लोरोसिस से मुक्ति पायें।।

राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम

भारत में होने वाली मृत्यु एवं बीमारी का एक मुख्य कारण रेबीज है। यह रोग पूरे देश में स्थानिक है। मुख्यतः कुत्ते, बिल्ली, भेड़िया, गीदड़, नेवला और बन्दर के काटने से यह रोग फैलता है। औसतन 96 प्रतिशत रेबीज के कारण होने वाली मृत्यु एवं बीमारी कुत्ते के काटने से होती है। परन्तु रेबीज रोग के कारण होने वाली मृत्यु एवं बीमारी के आंकड़े राष्ट्रीय स्तर पर पर्याप्त नहीं हैं।

भारत में रेबीज से होने वाली मृत्यु एवं बीमारी की समस्या के समाधान हेतु 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम के अधीन राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया था।

उद्देश्य:-

1. समस्त स्वास्थ्य कर्मियों को जानवर के काटने के बाद का प्रबंधन (Animal bite Management) एवं पोस्टएक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस पर प्रशिक्षण।
2. जानवर के काटने के बाद पीड़ित व्यक्तियों को इंट्रा डर्मल रूट द्वारा पोस्ट-एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस को प्रदाय करना एवं जोखिम वाली श्रेणियों के लिये प्री-एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस की नीति को अपनाना एवं राज्य/जिला स्तर पर लागू करना।
3. रेबीज रोग हेतु सर्वेलेन्स प्रणाली का सुदृढीकरण करना।
4. राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत रेबीज रोग की जाँच हेतु संभाग स्तरीय लैबोरेटरी का सुदृढीकरण।
5. समुदाय में रेबीज रोग के विषय पर जागरूकता प्रदाय करना।

कार्यक्रम अंतर्गत की जाने वाली विविध गतिविधियां

1. राष्ट्रीय निःशुल्क दवाई कार्यक्रम के अंतर्गत जानवर के काटने के बाद पीड़ित व्यक्तियों हेतु ARV एवं ARS की प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर तक उपलब्धता सुनिश्चित करना।
2. समस्त स्वास्थ्य कर्मियों को जानवर के काटने के बाद का प्रबंधन (Animal bite Management) एवं पोस्ट प्रोफिलैक्सिस पर प्रशिक्षण देना।
3. जनसमुदाय को रेबीज रोग के प्रति जागरूक करने हेतु विविध आई.ई.सी. तैयार करना।
4. रेबीज एवं जानवर के काटने की स्थिति का सर्वेलेन्स एवं निगरानी कर समीक्षा बैठक का आयोजन करना।
5. जिला स्तर पर एंटी-रेबीज क्लिनिक एवं अन्य स्वास्थ्य संस्थाओं में रेबीज रोग हेतु निर्धारित सेवाएँ प्रदाय करने, परामर्श एवं रेफरल सेवाओं का सुदृढीकरण करना।

जानवर के काटने पर हितग्राहियों का घाव प्रबंधन एवं टीकाकरण:-

1. श्रेणी 1 के कुल 407301 पीड़ितों को प्राथमिक देखभाल एवं घाव प्रबंधन की सेवाएँ प्रदाय की गई।
2. श्रेणी 2 एवं 3 के कुल 272482 पीड़ितों को पोस्ट एक्सपोजर प्रफाईलकसिस प्रदाय किया।

अन्तर्विभागीय समन्वय:-

1. राष्ट्रीय रेबीज कार्यक्रम के सुचारु क्रियान्वयन हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयुक्त नगर निगम, आयुक्त शिक्षा विभाग, प्रमुख सचिव, पशुपालन एवं डेरी विभाग को मिशन संचालक महोदय के माध्यम से कार्यक्रम में आवश्यक सहयोग प्रदाय करने के लिये अर्द्धशासकीय पत्र प्रेषित किया गया है एवं विभाग द्वारा प्रत्येक अंतराल पर मीटिंग एवं समस्या अनुसार चर्चा की जाती है।
2. स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयुक्त एवं अपर आयुक्त-नगरीय निकाय एवं आवास विभाग एवं पशुपालन विभाग से समन्वय बैठक आयोजित कर, रेबीज मुक्त शहर कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन संबंधित उन्मुखीकरण किया गया।

रेबीज उन्मूलन हेतु राज्य स्तरीय कार्य योजना:-

1. रेबीज को वर्ष 2030 तक उन्मूलन करने हेतु राज्य स्तरीय कार्य योजना तैयार कर पशुपालन एवं वन्य विभाग से

फीडबैक प्राप्त किया गया है।

- राज्य स्तरीय कार्ययोजना एनसीडीसी, नई दिल्ली से साझा की गई है।

मॉडल एन्टी रेबीज क्लीनिक:-

- जिला इन्दौर, उज्जैन, ग्वालियर, भोपाल, रीवा एवं जबलपुर के एन्टी रेबीज क्लीनिक को मॉडल एन्टीरेबीज क्लीनिक के रूप में क्रियाशील करने हेतु चेक लिस्ट के माध्यम से असेसमेंट पूर्ण किया गया।

रेबीज मुक्त शहर कार्यक्रम:-

- रेबीज मुक्त शहर कार्यक्रम के सुचारु क्रियान्वयन हेतु 6 शहरों में सीटी टास्क फोर्स कमेटी का गठन किया जाना है। उक्तानुसार भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर एवं जबलपुर में सीटी टास्कफोर्स कमेटी का गठन किया गया।

डॉग हैंडलर का प्रशिक्षण:-

- मास डॉग टीकाकरण के लक्ष्य प्राप्ति हेतु पंजीकृत डॉग हैंडलर की दक्षता वृद्धि करने के लिये एक दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में 43 प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया। 10 डॉग हैंडलर्स को हेन्डस ऑन प्रशिक्षण देकर लीड केचर बनाया गया।

रेबीज हेल्पलाइन का शुभारम्भ:-

- भारत सरकार द्वारा जन समुदाय को रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत जागरूकता प्रदाय करने के लिये 5 राज्यों में से मध्यप्रदेश राज्य में रेबीज हेल्पलाइन का विमोचन किया गया है। रेबीज हेल्पलाइन के माध्यम से जन समुदाय को जानवर के काटने पर प्राथमिक चिकित्सा उपचार, नजदीकी टीकाकरण सेन्टर, टीकाकरण शेड्यूल एवं आवस विहीन श्वान का टीकाकरण जैसे विषयों पर जानकारी प्रदाय की जाती है।
- रेबीज से संबंधित जानकारी प्राप्त करने हेतु हेल्पलाइन नम्बर 15400 पर जन समुदाय द्वारा सम्पर्क किया जा सकता है।

प्री-एक्सप्रोजर प्रोफिलैक्क्स शिविर:-

- नगर निगम एवं राज्य पशु चिकित्सा विभाग के उच्च जोखिम वाले 253 कर्मचारियों के लिये प्री-एक्सप्रोजर प्रोफिलैक्क्स शिविर का आयोजन किया गया था।





रेबीज़

एक जानलेवा बीमारी है जिसका बचाव पूर्णतः संभव है

रेबीज कुत्ते, बिल्ली, बंदर आदि जैसे जानवरों के काटने या खरोंचने के कारण हो सकता है।



हाथ को साबुन और कठरे साफ पानी से तुरंत धोएं व डिस्ट/अल्कोहल का परेन्तु एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल करें



घाव पर गिरे, मल्लों का प्रेस इत्यादि कोई कच्चा पदार्थ न लगायें और अंतर्विषास से बचें



एंटी रेबीज विज्ञानिक में जाएं और चिकित्सक से परामर्श अनुसार टीकाकरण का कार्य पूरा करें



समय-समय पर पासतु जानवरों का टीकाकरण कराएं

अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र से संपर्क करें।



www.mohfw.nic.in
www.mypgov.in
www.pmindia.gov.in



mohfwindia
[@MoHFW_INDIA](https://twitter.com/MoHFW_INDIA)



<http://ncdc.gov.in/>
[@director_NCDC](https://twitter.com/director_NCDC)







राष्ट्रीय 'एकीकृत स्वास्थ्य' पशुजन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम

राष्ट्रीय सर्पदंश प्रबंधन कार्यक्रम

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक वर्ष में 83,000 सर्पदंश में से 11,000 लोगों की मृत्यु हो जाती है। अधिकांश मृत्यु मरीज का उचित स्वास्थ्य संस्था पर उपचार हेतु नहीं पहुंचना है जिससे उन्हें समय पर उपचार नहीं मिल पाता है साथ ही में समुदाय के लोगों को भी सर्पदंश का उपचार एवं उपचार प्रदाय करने वाली संस्थाओं के संबंध में जानकारी नहीं होती है तथा पारंपरिक उपचार पर विश्वास होने के कारण सर्पदंश से मृत्यु की संख्या अधिक है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा सर्पदंश से मृत्यु के आंकड़ों में कमी लाने हेतु राष्ट्रीय सर्पदंश प्रबंधन प्रोटोकॉल तैयार किया है।

राजस्व विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार मध्यप्रदेश में प्रतिवर्ष अनुमानतः 2000 से अधिक सर्पदंश के प्रकरणों में क्षतिपूर्ति की राशी प्रदाय की जाती है। वर्ष 2020-21 में 2979 सर्पदंश मृत्यु प्रकरणों में 11916 लाख तथा वर्ष 2021-22 में 10996 लाख क्षति पूर्ति की राशि वितरित की गई है।

राष्ट्रीय सर्पदंश निवारण एवं नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत मध्यप्रदेश में वित्तीय वर्ष 2023-24 में सर्पदंश मरीज कुल-12587 है।

कार्यक्रम के उद्देश्य -

1. सर्पदंश प्रबंधन प्रोटोकॉल का समस्त स्वास्थ्य संस्थाओं पर क्रियान्वयन।
2. समस्त सेवा प्रदाताओं का पोलीवैलेन्ट एन्टी स्नेक विनम के उपयोग हेतु प्रशिक्षित किया जाना।
3. जनसमुदाय में सर्पदंश संबंधित जानकारी प्रदाय कर जागरूक करना।
4. सर्पदंश के उपचार हेतु समस्त स्वास्थ्य संस्थाओं पर जाँच, उपचार एवं रेफरल की व्यवस्था उपलब्ध कराया जाना।
5. राजस्व विभाग से समन्वय स्थापित कर क्षति पूर्ति राशि की मासिक जानकारी प्राप्त करना एवं अधिक प्रकरणों वाले जिलों/विकासखण्ड/ग्रामों में जनजागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करना।
6. वन विभाग से समन्वय स्थापित कर सर्प की प्रजाति के संबंध में जनमानस में जागरूकता लाने हेतु कार्यक्रमों का आयोजन करना।
7. कृषि विभाग से समन्वय स्थापित कर फसल कटाई के मौसम में सर्पदंश से बचाव एवं प्राथमिक उपचार के संबंध में जनजागरूकता हेतु कार्यक्रम का आयोजन करना।
8. अन्य विभाग से सामंजस्य स्थापित कर हितग्राही को कार्यक्रम अंतर्गत प्रदाय की जाने वाली सेवाओं का उपलब्ध कराया जाना।

सर्पदंश से मृत्यु के प्रकरणों में कमी लाने हेतु विभाग द्वारा की गई गतिविधियां -

1. अत्याधिक सर्पदंश के प्रकरणों वाले जिलों का चिन्हांकन किया गया।
2. सर्पदंश के प्रकरणों की संख्या के आधार पर एन्टीवेनम की उपलब्धता सुनिश्चित की गई।
3. शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं पर उपचार हेतु आने वाले समस्त सर्पदंश के प्रकरणों को निःशुल्क जांच उपचार उपलब्ध कराया गया।
4. समुदाय में सर्पदंश संबंधित जानकारी प्रदाय करने हेतु आशा कार्यकर्ता स्तर तक प्रशिक्षण कार्यक्रम का संपादन।
5. सेकेन्ड्री एवं टर्शरी लेवल की संस्थाओं पर Twenty-minute whole blood clotting test (20WBCT) टेस्ट की उपलब्धता, साथ ही में निम्न आवश्यक टेस्ट की उपलब्धता -
 - Hb/platelet count/peripheral smear prothrombin time (PT)/ activated partial thromboplastin time (APTT)/fibrin degradation products (FDP)/D-Dimer

- Urine examination for proteinuria/RBC/hemoglobinuria/ Myoglobinuria
 - Biochemistry for serum creatinine/Urea/Potassium
 - ECG/X-ray/CT/Ultrasound for identification of clot in viperine bite
 - Oxygen saturation/arterial blood gas (ABG)
6. राजस्व वन विभाग एवं कृषि विभाग से सर्पदंश के प्रकरणों एवं आयोजित गतिविधियों की जानकारी साझा करने हेतु आवश्यक समन्वयन स्थापित करते हुए संयुक्त प्रोजेक्ट हेतु कार्यवाही प्रक्रियारत है।

राष्ट्रीय सर्पदंश शोकथाम एवम् निरोधन कार्यक्रम

साँप काटने पर क्या करें ?



मरीज को धीरज दिलाए। अधिकतर मौतें तब, सदस्य और मृत्यु का डर से घुल्लाज मिलने के कारण होती हैं।

मरीज को स्थिर कर दें।

घाव को पानी से धोएं।

घाव को साफ कपड़े से ढीक दें।

सबसे आशुपन्न निकाल दें और कपड़े ढीले कर दें क्योंकि खुजल हो सकती है।

मरीज को हिलने घुलने न दें।

घाव के ऊपर या नीचे टूर्निकेट नहीं लगाएं (रक्त प्रवाहको नहीं रोकें)।

मरीज को नजदीकी सरकारी अस्पताल ले जाएं जहाँ पर विष-रोधी दवा उपलब्ध है।



Figure 2: Pressure immobilization (Sutherland method)

सर्पदंश बसावित अंग को स्थिर करने के लिए एक भारी ड्रेस या इलास्टिक रीबन्ड पट्टी का उपयोग करें। सर्पदंश के अंग के दोनों ओर के जोड़ी बन्धन अंग को केस या इलास्टिकबन्धन रीबन्ड पट्टी से आवरण करें। व्यक्ति और अंग पूरी तरह स्थिर रखें।

।। सावधानी ही बचाव है।।

राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य वृद्धावस्था-चिकित्सा के क्षेत्र में निवारक, उपचारात्मक और पुनर्वास संबंधी स्वास्थ्य सेवाओं को प्रदान करना है। इस कार्यक्रम का संचालन प्रदेश के समस्त जिलों में किया जा रहा है।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत एन.सी.डी. एवं वृद्धजन स्वास्थ्य क्लीनिक के माध्यम से चिकित्सकों द्वारा वरिष्ठ नागरिकों हेतु निःशुल्क परामर्श, दवाओं की उपलब्धता, पैथोलॉजिकल जाँचे एवं रैफरल सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।

कार्यक्रम अंतर्गत जिला स्तर पर की जाने वाली गतिविधियाँ

- “एन.सी.डी. एवं वृद्धजन स्वास्थ्य क्लीनिक” के माध्यम से चिकित्सक एवं नर्सिंग अधिकारी द्वारा वृद्धजनों को स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान की जा रही हैं।
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रत्येक जिला अस्पताल में 12 बिस्तर आरक्षित किये गये हैं।
- कार्यक्रम अंतर्गत चिकित्सा अधिकारियों एवं नर्सिंग अधिकारी को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
- समस्त जिला चिकित्सालयों में वृद्धजन/वरिष्ठ नागरिकों हेतु रैम्प एवं व्हील चेयर की सुविधा प्रदान की जा रही है।
- प्रत्येक जिले में प्रतिवर्ष चार बार वृद्धाश्रम स्तर पर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरों में एन.सी.डी. के प्रभारी चिकित्सक, मेडिसिन विशेषज्ञ एवं प्रशिक्षित स्टाफ नर्स द्वारा निःशुल्क परामर्श, दवाएँ जाँचे एवं रैफरल सुविधा प्रदान की जाती हैं।
- ओ.पी.डी पंजीयन कक्ष में वृद्धजन/वरिष्ठ नागरिकों के लिए पृथक पंक्ति की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है।
- दवाई वितरण केंद्र में वृद्धजन/वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता अथवा पृथक पंक्ति की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है।
- “एन.सी.डी. एवं वृद्धजन स्वास्थ्य क्लीनिक” के बाहर वेटिंग एरिया में वृद्धजन/वरिष्ठ नागरिकों के लिए बैठक हेतु पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है।
- समस्त जिला चिकित्सालयों में संचालित एन.सी.डी एवं वृद्धजन स्वास्थ्य क्लीनिक में बुजुर्ग मरीजों की स्क्रीनिंग कर आवश्यक उपचार प्रदान किया जा रहा है।
- इस कार्यक्रम अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस (01 अक्टूबर) के उपलक्ष्य में जिला स्तर, विकासखण्ड स्तर (सिविल अस्पताल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों) पर निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस दिन वरिष्ठ नागरिकों हेतु निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण, उपचार, परामर्श एवं फिजियोथैरेपी की सुविधा उपलब्ध करायी गयी।

फिजियोथेरेपी यूनिट

- राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम अंतर्गत जिला स्तर पर समस्त जिला चिकित्सालय स्तर पर फिजियोथेरेपी यूनिट स्थापित की गयी है जिसके माध्यम से फिजियोथेरेपी सेवाएँ प्रदान की जा रही हैं।
- प्रदेश में अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक जिला चिकित्सालय में स्थित फिजियोथेरेपी यूनिट के माध्यम से कुल 136395 वृद्धजनों को फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध करायी गयी।

।। स्वस्थ नियम अपनाएं, संतुलित भोजन खाएं।।

राष्ट्रीय असंचारी नियंत्रण एवं रोकथाम कार्यक्रम

राष्ट्रीय असंचारी नियंत्रण एवं रोकथाम कार्यक्रम अंतर्गत मध्य प्रदेश में मधुमेह की वर्तमान में प्रचलित दर 13.5 प्रतिशत एवं रक्तचाप की प्रचलित दर 23.5 प्रतिशत है। (स्रोत:-एन.एफ.एच.एस.-5) जिसमें हृदयजनित रोगों से होने वाली मृत्यु का अनुपात 57 प्रतिशत और हृदय आघात/हृदय का दौरा से होने वाली मृत्यु का अनुपात 24 प्रतिशत होकर समस्त मृत्यु में 81 प्रतिशत का अनुपात है। कार्यक्रम के अंतर्गत मध्यप्रदेश में 52 जिला नोडल अधिकारी एवं 52 सहायक नोडल अधिकारी नामांकित हैं।

असंचारी रोग के अंतर्गत मधुमेह एवं रक्तचाप के नियंत्रण मात्र से संभावित जटिलताएं हृदयाघात, हृदय का दौरा, दीर्घकालिक गुर्दा विघात, दीर्घकालिक फेफड़ा विघात, दीर्घकालिक श्वसन प्रतिरोधी रोग, अंधत्व, शारीरिक अक्षमता, अंग - विच्छेद इत्यादि की सफलतापूर्वक रोकथाम संभव है। इस दृष्टिकोण के साथ मध्यप्रदेश कार्यक्रम अंतर्गत संचालित गतिविधियों के माध्यम से रोगियों के बी पी एवं शुगर के लिए मापदंड नियंत्रण पर सतत प्रयासरत है। कार्यक्रम अंतर्गत चिन्हांकित जिलों में रक्तचाप एवं मधुमेह के मरीजों की प्राथमिक स्क्रीनिंग सुनिश्चित करने के लिये 15 जिलों में असंचारी बूथ की स्थापना की गई है। जिससे मरीजों को संस्था के प्रवेश द्वार पर ही जांच का लाभ प्राप्त हो रहा है।

मध्यप्रदेश के इस प्रयास को संयुक्त राष्ट्र द्वारा सितम्बर 2022 में 55 प्रतिशत रक्तचाप के मरीजों को सफलतापूर्वक नियंत्रण में पाए जाने पर मान्यता देकर पुरस्कृत किया गया है।

मध्यप्रदेश में कार्यक्रम अंतर्गत 3.58 करोड़ व्यक्तियों को पंजीकृत किया गया है, जिसमें 30 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 2.72 करोड़ व्यक्ति सम्मिलित हैं। जिसमें 1.91 करोड़ व्यक्तियों की स्क्रीनिंग उपरांत रक्तचाप के 19.57 लाख एवं मधुमेह के 11.77 लाख मरीजों को निःशुल्क उपचार दिया जा रहा है। मध्यप्रदेश के समस्त 52 जिला चिकित्सालय 97 सिविल अस्पताल 356 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में असंचारी रोग नियंत्रण क्लीनिक इस आशय से संचालित किया जा रहे हैं कि रक्तचाप एवं मधुमेह जनित संभावित निर्मम जटिलताओं की दरों को भी प्रभावी रूप से नियंत्रित किया जा सके। मध्यप्रदेश में मधुमेह एवं रक्तचाप के चिकित्सीय प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिये उपचार संलेख भी जारी किये गए हैं।

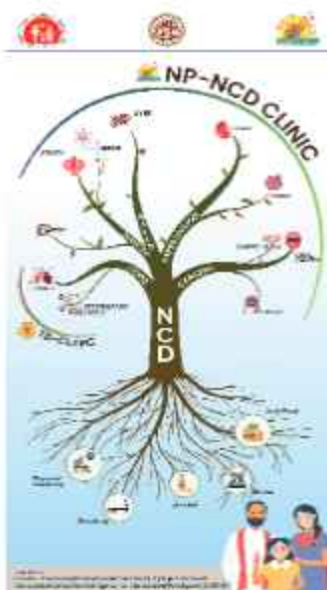
कार्यक्रम अंतर्गत मरीजों को निःशुल्क उपचार, (Treatment Protocall) जांच एवं औषधियों का वितरण प्रदान किया जा रहा है। कार्यक्रम की रणनीतियों में मानक उपचार प्रोटोकॉल का उपयोग, दवाओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना, रोगी केंद्रित देखभाल, कार्य साझा करना और कार्यक्रम की निगरानी सम्मिलित है।

मध्यप्रदेश में हृदयघात से होने वाली मृत्यु को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित प्रयास किये जा रहे हैं -

1. मध्यप्रदेश के सभी 52 जिला चिकित्सालयों में जटिलता ग्रस्त रोगियों को आकस्मिक चिकित्सीय उपचार को सतत प्रदाय करने के लिये आईसीयू की स्थापना की गई है।
2. मध्यप्रदेश के जिला भोपाल, छिंदवाड़ा, धार, नर्मदापुरम्, इन्दौर, जबलपुर, झाबुआ, रतलाम, सागर, शहडोल, एवं उज्जैन में कार्डियक केयर यूनिट स्थापित कर रोगियों को उपचार दिया जा रहा है।
3. सभी 52 जिलों में सेंट्रल लैब की स्थापना की गई है जिसमें हार्ट अटैक के अतिरिक्त अन्य दीर्घकालिक असाध्य रोगों के लिए जरूरी लैब टेस्ट की उपलब्धता 24/7 सुनिश्चित की जा रही है।
4. पीएचसी, यूपीएचसी, संजीवनी क्लीनिक, सिविल डिस्पेंसरी में उपलब्ध टेस्ट डी-डायमर, सीरम ट्राइग्लिसराइड्स, सीरम कोलेस्ट्रॉल, सीरम एचडीएल, सीरम एलडीएल, ट्रोपोनिन- I, सीकेएमबी, आरए फैक्टर, सीआरपी, उपलब्ध हैं इसके अतिरिक्त नियमित परीक्षण सीबीसी, ब्लड शुगर, एचबीए 1सी, थायराइड प्रोफाइल, एलएच, एफएसएच, जीटीटी, डेंगू, एलएफटी इत्यादि की उपलब्धता भी सुनिश्चित की गई है।
5. उप स्वास्थ्य केन्द्र पर प्राथमिक रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए बीपी उपकरण और ग्लूकोमीटर द्वारा रक्तचाप का माप, रक्त शर्करा क्रमशः उपचार, नियंत्रण एवं अनुवर्ती कार्रवाई के लिए रिकॉर्ड संधारण की व्यवस्था उपलब्ध है।
6. आईसीयू में कार्डियक केयर के लिये बीआईपीएपी (नॉन-इनवेसिव), बीपी इंस्ट्रूमेंट डिजिटल, टीसीपी और आईडी

के साथ डीफिब्रिलेटर, ईसीजी मशीन, इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड सक्शन मशीन, इमरजेंसी ड्रग ट्रॉली, लेरिंजोस्कोप एडल्ट एंड पीडियाट्रिक, मोटराइज्ड आईसीयू बेड, 12 चैनल स्ट्रेस ईसीजी परीक्षण उपकरण ट्रेड मिल, 2-डी इको कार्डियोग्राफी मशीन, एबीजी मशीन, बीपी इंस्ट्रुमेंट, बिपेप एडल्ट पीडियाट्रिक, वेंटीलेटर, कार्डिएक डिफाइब्रिलेटर, कार्डियक मॉनिटर, सेंट्रल पेशेंट मॉनिटरिंग स्टेशन, ऑक्सीजन की केंद्रीकृत आपूर्ति, फाउलर बेड, फ्यूमिगेशन मशीन, ग्लूकोमीटर, पोर्टेबल एक्स-रे मशीन, टीएमटी मशीन, ऑक्सीजन कंसन्ट्रेंटर आदि उपकरण उपलब्ध है।

7. विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व हृदय दिवस, विश्व स्ट्रोक दिवस, विश्व मधुमेह दिवस, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, (NAFLD) मदिरा रहित वसा युक्त यकृत रोग दिवस, दीर्घ कालिक श्वसन रोधी फेफड़ा रोग दिवस (COPD) नवम्बर माह के तृतीय सप्ताह जैसे चिन्हित स्वास्थ्य दिवस के माध्यम से उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोगों और संबंधित नैदानिक परीक्षणों को आम जनता के लिये सुगम और सुलभ करने के उद्देश्य से शिविर आयोजित किये जाते हैं।
8. जन समुदाय में जागरूकता का संचार करने के लिये जनपदों में ग्राम संचार शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में वर्तमान में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन अति महत्वकांक्षी लक्ष्य का निर्धारण करते हुए स्वास्थ्य संबंधी निष्पादन सूचकांक (असंचारी रोग, सिकल सेल अनिमिया, आयुष्मान काडी) को सम्मिलित कर आम जन मानस तक पहुँचने का प्रयास किया जा रहा है।
9. रोगियों के उपचार में आने वाली समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुये समय-समय पर विशेषज्ञों और आम जनता के साथ रेडियो पर टॉक शो की व्यवस्था भी की जा रही है।
10. समुदाय में जागरूकता के उद्देश्य से प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आईईसी गतिविधियां संपन्न की जा रही है।
11. WHO थीम आदि का उपयोग कर जागरूकता के लिए सार्वजनिक मंचों पर ऑडियो वीडियो साझा किया जा रहा है।
12. आम जनता की सहायता के लिए प्रत्येक जिले में जिला चिकित्सालय से लेकर उप स्वास्थ्य केन्द्र तक असंचारी रोग नियंत्रण क्लीनिक की स्थापना की गई है।
13. समस्त उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर रेफरल प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिये सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है।



मध्यप्रदेश में कार्यक्रम अंतर्गत विभिन्न परियोजना का संचालन किया जा रहा है-

• प्रोजेक्ट उन्नति

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश एवं राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन मध्यप्रदेश के संयुक्त प्रयास से जिला सीहोर ब्लॉक बुदनी में असंचारी रोग के चिन्हांकन हेतु विशेष कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जिसमें संकुल स्तरीय संगठन के अंतर्गत आने वाली सभी स्व सहायता समूह महिला सदस्यों (कुल 2600) की जांच व उपचार का प्रावधान है। की प्रोजेक्ट के अंतर्गत स्वास्थ्य इकाईयों में सदस्यों की निम्न जांचें संपादित की जा रही है -

1. खून जांच (हीमोग्लोबिन)
2. रक्तचाप
3. मधुमेह
4. बीएमआई
5. तीन प्रकार के कैंसर की जांच (मुंह, स्तन व सर्वाइकल)
6. स्क्रीनिंग के दौरान रोग प्रभावित पाये जाने वाले मरीजों को उपचार एवं नियमित फॉलोअप की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है।

• प्रोजेक्ट इको इंडिया

मध्यप्रदेश में प्रोजेक्ट इको इंडिया द्वारा स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करने एवं क्षमता निर्माण को विस्तृत करने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं। प्रोजेक्ट के माध्यम से दीर्घकालिक कोविड सिंड्रोम का चिन्हांकन एवं प्रबंधन के लिये क्षमता निर्माण डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से किया जा रहा है। इस प्रकार चिकित्सा सेवा वितरण प्रणाली को सुदृढ़ किया जा रहा है।

कार्यक्रम का उद्देश्य - दीर्घकालिक कोविड सिंड्रोम रोगियों की पहचान, प्रबंधन, निगरानी और ट्राइएज करने के लिए ईसीएचओ मॉडल का उपयोग करके स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के विभिन्न संवर्ग चिकित्सा अधिकारी सहित की क्षमता निर्माण करना।

संचालित समस्त परियोजनाओं में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश की वित्तीय भागीदारी शून्य है। NCD कार्यक्रम अंतर्गत प्रशिक्षण आयोजित कर समस्त जिला एन सी डी कार्यक्रम अधिकारी, समस्त चिकित्सक, सी सी यू स्टाफ नर्स एवं एम एण्ड ई अधिकारी को प्रशिक्षित किया गया है।

कैंसर

- मध्यप्रदेश में डे-केयर कैंसर कीमोथेरेपी कार्यक्रम 2014 से प्रारंभ हुआ है।
- इसके अंतर्गत मध्यप्रदेश के 51 जिलों में डे केयर कैंसर कीमोथेरेपी यूनिट स्थापित की गयी है।
- 51 जिला कैंसर नोडल अधिकारियों तथा 30 सिविल अस्पताल कैंसर नोडल अधिकारियों को डे केयर कैंसर कीमोथेरेपी मॉड्यूल अंतर्गत प्रशिक्षित किया गया है। इस वर्ष 51 स्टॉफ नर्स जिला चिकित्सालय स्तर से एवं 30 स्टॉफ नर्स सिविल अस्पताल स्तर से डे केयर कैंसर कीमोथेरेपी मॉड्यूल अंतर्गत प्रशिक्षित किया गया है।
- वर्तमान में 42 प्रकार की एंटी कैंसर औषधियों के माध्यम से कैंसर का इलाज किया जा रहा है एवं इन औषधियों को ई.डी.एल.सूची में सम्मिलित किया गया है।
- पॉपुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग कार्यक्रम अंतर्गत तीनों कॉमन कैंसर (ब्रेस्ट, सर्वाइकल एवं ओरल कैंसर) की जांच की जा रही है।

	ओरल कैंसर	ब्रेस्ट कैंसर	सर्वाइकल कैंसर
स्क्रीनिंग	69-2 लाख	32-1 लाख	9-4 लाख

- 4500 से अधिक स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं तथा 88 मास्टर ट्रेनर को कॉमन कैंसर स्क्रीनिंग एवं सरवाईकल कैंसर के उपचार संबंधित मॉड्यूल में प्रशिक्षित किया गया है।
- जिला चिकित्सालय में जटिल रोगियों को आवश्यकतानुसार उपचार, सर्जरी एवं रेडियोथैरेपी हेतु उचित टरशरी कैंसर चिकित्सालय /मेडिकल कॉलेज में रेफर किया जाता है।
- जिला चिकित्सालयों में कैंसर मरीजों को आवश्यकतानुसार जांचें औषधियों एवं उपचार भी निःशुल्क प्रदाय किया जा रहा है।
- समस्त संभागों के संभागीय मुख्यालय के जिला चिकित्सालय में संभागीय प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की गई है। प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र में 02 थर्मोबलेशन डिवाइस उपलब्ध कराये गये हैं। समस्त संभागीय मुख्यालयों के जिला चिकित्सालयों में प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया गया है।

हेल्थ आईडी (राष्ट्रीय डिजिटल हेल्थ मिशन)-

एन.सी.डी. पोर्टल में पंजीकृत समस्त हितग्राहियों की आभा आई.डी. बनाई जानी है, जिससे भविष्य में समस्त हितग्राही अपना हेल्थ रिकॉर्ड आभा आई.डी. से लिंक कर स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं से साझा कर सकेंगे। राज्य में सीपीएससी एनसीडी पोर्टल के माध्यम से कुल 63,38,351 हितग्राहियों की हेल्थ आईडी बनाई गई है। उक्त अभियान हेतु भारत सरकार के द्वारा निर्धारित दिवसों में लक्ष्यों की पूर्ति में देश में राज्य द्वारा द्वितीय स्थान प्राप्त किया है।

टेलीमेडिसिन-

आमजन मानस तक स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने की दृष्टि से टेलीमेडिसिन सेवा की स्थापना की गई है। इस सुविधा का मुख्य उद्देश्य विशेषज्ञों से चिकित्सा परामर्श लेकर उच्च गुणवत्तायुक्त चिकित्सा सेवाओं को ग्रामीण जन-मानस तक सुगमता से पहुंचाना है। इस तारतम्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश द्वारा हब एवं स्पोक मॉडल के अनुसार टेलीमेडिसिन की सुविधायें उपलब्ध करायी जा रही हैं।

ई-संजीवनी टेलीमेडिसिन कार्यक्रम

- जिलों में ई-संजीवनी पोर्टल के माध्यम से सभी हितग्राहियों को टेलीमेडिसिन सेवायें हब एवं स्पोक मॉडल के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं।
- इस मॉडल अंतर्गत हब की स्थापना प्रदेश के समस्त जिलों के जिला अस्पतालों में एवं स्पोक की स्थापना समस्त सब सेन्टर हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर तथा शहरी स्वास्थ्य केन्द्रों में की गई है।
- ई-संजीवनी पोर्टल पर 52 हब (51 जिला अस्पताल एवं 01 एम्स भोपाल) स्थापित है तथा 10,000 सक्रिय एचडब्ल्यूसी सब सेन्टर / शहरी स्वास्थ्य केन्द्र स्पोक के रूप में कार्य कर रहे हैं।
- दिनांक 01-04-2023 से आज दिनांक तक मध्यप्रदेश द्वारा ई-संजीवनी पोर्टल के माध्यम से कुल 1754049 टेलीकंसल्टेशन कॉल पूर्ण कर लिये गये हैं।
- डे-केयर कैंसर कीमोथेरेपी हेतु ई-संजीवनी टेलीमेडिसिन के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराये जाने के क्रम में जिला चिकित्सालय उज्जैन को हब एवं राज्य के शेष 50 जिलों के जिला चिकित्सालयों को स्पोक के रूप में स्थापित किया गया है।
- मानसिक स्वास्थ्य हेतु ई-संजीवनी टेलीमेडिसिन के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराये जाने के क्रम में 24 चिन्हित जिला चिकित्सालयों (जहां पर मानसिक रोग विशेषज्ञ पदस्थ हैं) को हब एवं 24 जिले के समस्त यू.पी. एच.सी/एस.एच.सी एच.डब्ल्यू.सी. को स्पोक के रूप में स्थापित किया गया है।

विशेषज्ञ टेलीमेडिसिन सुविधा

- ग्लोकल हेल्थ केयर सिस्टम प्रा.लि. द्वारा प्रथम चरण में रीवा सागर एवं जबलपुर संभाग के 20 जिलों के संबंधित 550 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर 3 प्रकार के विशेषज्ञों (गायनेकॉलोजी, पीडिएट्रिक्स एवं जनरल मेडिसिन) के

माध्यम से टेलीमेडीसिन की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदाय की जा रही है।

- इस मॉडल अंतर्गत हब की स्थापना कोलकता, भुवनेश्वर, नोएडा एवं जयपुर में की गई है एवं स्पोक की स्थापना सीवा, सागर एवं जबलपुर संभाग के 20 जिलों के संबंधित 550 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर की गई है। दिनांक 01-04-2023 से आज दिनांक तक गायनेकोलॉजी, पीडियाट्रिक्स एवं जनरल मेडिसिन विधाओं में कुल 1308050 टेलीकंसलटेशन पूर्ण कर लिये गये हैं।
- पवनश्री फूड इंटरनेशनल प्रा.लि द्वारा द्वितीय चरण में संभाग भोपाल, इंदौर, उज्जैन एवं ग्वालियर अंतर्गत 31 जिलों के शेष 652 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर 3 प्रकार के विशेषज्ञों (गायनेकोलॉजी, पीडियाट्रिक्स एवं जनरल मेडिसिन) के माध्यम से टेलीमेडीसिन की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदाय की जा रही है।
- इस मॉडल अंतर्गत हब की स्थापना आगरा, ग्वालियर, लखनऊ एवं मथुरा में की गई है एवं स्पोक की स्थापना संभाग भोपाल, इंदौर, उज्जैन एवं ग्वालियर अंतर्गत 31 जिलों के शेष 652 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर की गई है। दिनांक 01-04-2023 से आज दिनांक तक गायनेकोलॉजी, पीडियाट्रिक्स एवं जनरल मेडिसिन विधाओं में कुल 1802015 टेलीकंसलटेशन पूर्ण कर लिये गये हैं।
- मध्यप्रदेश द्वारा इस वित्त वर्ष कुल 4884114 टेलीकंसलटेशन कॉल पूर्ण कर लिये गये हैं। ई-संजीवनी-1754049 टेलीकंसलटेशन एवं विशेषज्ञ टेलीकंसलटेशन- 3110065

पेलियेटिव केयर

- असंचारी रोगों जैसे:- कैंसर, एड्स, एम.डी.आर टी.बी वृद्धावस्था, सी.ओ.पी.डी. सी.वी.डी, स्ट्रोक जैसे समस्याओं के साथ-साथ समुदाय में दुर्लभ मानसिक बीमारियों की निरंतर बढ़ती राज्य के लिए एक व्यापक समस्या है। इस हेतु गंभीर मरीजों की देखभाल हेतु पेलियेटिव केयर कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है।
- वर्तमान में प्रदेश के समस्त 51 जिला चिकित्सालयों में पेलियेटिव केयर यूनिट स्थापित है।
- प्रदेश के कुल 51 चिकित्सा अधिकारियों (नोडल अधिकारियों) को पेलियेटिव केयर की देखभाल का प्रशिक्षण दिया जा चुका है।
- इस वर्ष 51 स्टॉफ नर्स जिला चिकित्सालय स्तर से पेलियेटिव केयर मॉड्यूल अंतर्गत प्रशिक्षित किया गया है।
- सभी जिला अस्पतालों में 04 बिस्तर पेलियेटिव रोगियों की देखभाल हेतु आरक्षित किये गये हैं एवं उन्हें स्वास्थ्य लाभ की सुविधाएं दी जा रही हैं। पेलियेटिव केयर हेतु निर्धारित औषधियों समस्त जिलों की स्वास्थ्य संस्थाओं में उपलब्ध करायी गयी।

।। टेली कंसलटेशन द्वारा विशेषज्ञ चिकित्सकीय परामर्श का लाभ उठाये ।।

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या की लगभग 10 प्रतिशत आबादी मानसिक स्वास्थ्य समस्या से ग्रस्त है। प्रति चार व्यक्तियों में से एक व्यक्ति अपने जीवनकाल में कम से कम एक बार किसी मानसिक बीमारी से प्रभावित होता है।

कार्यक्रम अंतर्गत की जाने वाली गतिविधियां

- इस कार्यक्रम अंतर्गत प्रत्येक जिले में जिला चिकित्सालय के अंतर्गत स्थापित मनकक्ष के माध्यम से मनोरोग विशेषज्ञ/प्रशिक्षित चिकित्सक चिकित्सा मनोवैज्ञानिक एवं प्रशिक्षित नर्सिंग अधिकारी द्वारा मानसिक रोगियों की स्क्रीनिंग, उपचार एवं काउंसिलिंग की जाती हैं। गम्भीर मानसिक रोगियों को मानसिक चिकित्सालय इन्दौर, ग्वालियर अथवा मेडिकल कालेज के मानसिक रोग विभाग में रेफर किया जाता है।
- माह अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत जिला स्तर पर चिन्हित कर 3,27,790 लोगों की स्क्रीनिंग की गयी एवं 2,17,559 मरीजों को निःशुल्क उपचार प्रदान किया गया।
- इस कार्यक्रम अंतर्गत प्रत्येक जिलों में जिला स्तर पर कुल 10 सेमिनार के माध्यम से (स्कूल/कालेज ओल्ड एज होम/केयरगिवर्स/जिला जेल/पुलिस विभाग) मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता सेमिनार एवं व्याख्यानों का आयोजन किया जाता है।
- जिला स्तर एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर के चिकित्सकों एवं नर्सिंग अधिकारी को मानसिक स्वास्थ्य हेतु प्रशिक्षण दिया गया ताकि ओ.पी.डी. में आने वाले व्यक्तियों/रोगियों का परीक्षण कर उपचार एवं परामर्श दिया जा सके।
- प्रत्येक जिले में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों सिविल अस्पतालों पर शिविर का आयोजन किया जाता है। शिविर में मनकक्ष प्रभारी चिकित्सक, चिकित्सा मनोवैज्ञानिक एवं प्रशिक्षित नर्सिंग अधिकारी द्वारा मानसिक रोगियों की स्क्रीनिंग उपचार एवं काउंसिलिंग अथवा मानसिक स्वास्थ्य पर लोगों में जागरूकता लाने हेतु गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। प्रतिवर्ष 10 अक्टूबर को अंतराष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य दिवस का आयोजन प्रदेश के समस्त जिलों में किया जाता है इस दिन जिला स्तर पर विभिन्न गतिविधियों जैसे निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर, रैलियों का आयोजन व्याख्यान एवं समुदाय में जागरूकता फैलाने हेतु नाटकों का मंचन किया जाता है एवं इस वर्ष से प्रत्येक जिले में 10 सितम्बर को आत्महत्या रोकथाम दिवस के अवसर पर विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया है। जिसके माध्यम से आत्महत्या के कारणों और उसकी रोकथाम विषयक जागरूकता आधारित कार्यक्रम आयोजित किये गए।
- इस कार्यक्रम अंतर्गत निर्धारित दवाइयाँ मानसिक रोगियों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है।
- मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जनमानस में जागरूकता एवं सेवा प्रदाय करने हेतु प्रदेश में दो टेलीमानस केन्द्र मानसिक चिकित्सालय इंदौर एवं ग्वालियर मानसिक आरोग्य शाला में प्रारम्भ किये गये हैं तथा मेनटोरिंग संस्थान एम्स भोपाल में स्थापित की गई है। मानसिक एवं भावनात्मक समस्या महसूस होने पर टेली-मानस हेल्पलाइन नंबर (14416 अथवा 1800-891-4416) पर 24X7 कॉल कर निःशुल्क परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। प्रदेश में अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक कुल 42012 कॉल के माध्यम से परामर्श सेवाएँ प्रदान की गई।
- मातृत्व मानसिक स्वास्थ्य की देखरेख हेतु चिकित्सा विशेषज्ञों, नर्सिंग अधिकारी के प्रशिक्षण हेतु मातृत्व मानसिक स्वास्थ्य मार्गदर्शिका निर्मित की गई है।
- मानसिक स्वास्थ्य स्क्रीनिंग एप मनहित को निर्मित किया गया है। जिसके प्रमुख उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में साक्षरता एवं जन जागरूकता बढ़ाना है। आमजन मानसिक स्वास्थ्य स्वयं मूल्यांकन कर आवश्यकतानुसार मानसिक स्वास्थ्य प्रदाता से संपर्क कर सकते हैं।

।। आयोडीन नमक का करें प्रयोग, बच्चे होंगे स्वस्थ निरोग।।

राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम

कार्यक्रम का शुभारंभ 28 जुलाई 2018 से प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य लक्ष्य में Sustainable development goal (SDG) 3.3 प्राप्त करने के लिये वायरल हेपेटाइटिस की रोकथाम एवं नियंत्रण है। जिसका उद्देश्य 2030 तक वायरल हेपेटाइटिस-सी को समाप्त करना है। एवं हेपेटाइटिस ए,बी,सी एवं ई के रोकथाम, जांच एवं उपचार करना है।

मध्यप्रदेश के 51 जिला चिकित्सालय एवं 6 मेडिकल कॉलेज (सागर, शिवपुरी, शहडोल, रीवा, विदिशा एवं रतलाम) में ट्रीटमेंट सेंटर, 4 मॉडल ट्रीटमेंट सेंटर, मेडिकल कॉलेज (इंदौर, भोपाल, ग्वालियर एवं जबलपुर) में स्थापित किये जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त भोपाल एम्स एवं BMHRC में भी कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

इस कार्यक्रम के मुख्य घटक

- समस्त गर्भवती महिलाओं का हेपेटाइटिस बी की स्क्रीनिंग करना।
- स्क्रीनिंग में पॉजिटिव पायी गयी गर्भवती महिलाओं के नवजात शिशुओं को 24 घंटे के भीतर HBIG का टीकाकरण करना।
- हेपेटाइटिस बी एवं सी की स्क्रीनिंग एवं उपचार करना है।
- हाई रिस्क ग्रुप एवं उनके साथ रहने वालों की स्क्रीनिंग एवं उपचार।
- स्वास्थ्य कर्मियों का हेपेटाइटिस बी का शत प्रतिशत टीकाकरण करना।

उपलब्धियां

- **गर्भवती महिलाओं की जांच** - प्रदेश में 1413118 गर्भवती महिलाओं की हेपेटाइटिस बी की जांच की गयी। जिसमें 6901 महिलाये हेपेटाइटिस की जांच में पॉजिटिव पाई गयी एवं 4772 पॉजिटिव महिलाओं का संस्थागत प्रसव हुआ एवं 4991 नवजात शिशुओं को HBIG का टीका 24 घंटे के अंदर लगाया गया।
- **हेपेटाइटिस बी** - 1625564 व्यक्ति की हेपेटाइटिस बी की जांच की गयी, जांच में पॉजिटिव पाए गए व्यक्तियों के वायरल लोड टेस्ट पश्चात 2448 व्यक्ति उपचार योग्य पाए गए, जिसमें 2206 व्यक्तियों का हेपेटाइटिस को उपचार प्रदान किया गया।
- **हेपेटाइटिस सी** - 1454462 व्यक्ति की हेपेटाइटिस सी की जांच की गयी, जांच में पॉजिटिव पाए गए व्यक्तियों के वायरल लोड टेस्ट पश्चात 891 व्यक्ति उपचार योग्य पाए गए, जिसमें 853 व्यक्तियों का हेपेटाइटिस को उपचार प्रदान किया गया।
- प्रदेश की समस्त जेलों में 79636 कैदियों की हेपेटाइटिस बी एवं 76600 की हेपेटाइटिस सी की जांच की गयी, जिसमें से पॉजिटिव कैदियों के वायरल लोड पश्चात उपचार योग्य पाए गए व्यक्तियों में 95 हेपेटाइटिस बी के एवं हेपेटाइटिस सी के 101 व्यक्तियों का उपचार प्रदान किया गया।
- स्वास्थ्य कर्मचारियों का हेपेटाइटिस बी की तीनों डोज से टीकाकरण किया जा रहा है।
- PLHIV (पेशेंट लिविंग विथ HIV पॉजिटिव), Drug अडिक्ट, गोदना वाले (tattoo, Dialysis, Thalassemia वाले रोगियों की स्क्रीनिंग एवं उपचार प्रदान किया जा रहा है।

।। हेपेटाइटिस बी रोग से बचने के लिये टीके लगवाएं।।

राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन एवं मानव स्वास्थ्य कार्यक्रम

- राज्य के समस्त जिला नोडल अधिकारियों/जिला ऐपिडेमियोलॉजिस्ट एवं प्रत्येक जिले से एक चिकित्सा अधिकारियों का गर्मी एवं अधिक तापमान से होने वाली बिमारियों की रोकथाम, नियंत्रण तथा इन्टीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन पोर्टल पर रिपोर्टिंग विषय पर राज्य स्तरीय उन्मुखीकरण किया गया।
- समस्त जिला नोडल अधिकारियों/जिला ऐपिडेमियोलॉजिस्ट को वायु प्रदूषण के दुष्प्रभावों को कम किये जाने हेतु राज्य स्तरीय प्रशिक्षण दिया गया। तत्पश्चात राज्य के समस्त जिलों द्वारा वायु प्रदूषण विषय पर जिला स्तरीय ऐक्शन प्लान तैयार किया गया है।
- राज्य में श्वसन संबंधी रोगों के प्रकरणों की जानकारी ऑनलाइन रूप से इन्टीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म (IHIP) में इन्द्राज किया जाना प्रारंभ किया गया। इस हेतु चिन्हित 08 सेंटिनल सर्विलेंस साइट (शासकीय मेडिकल कॉलेज ग्वालियर, इन्दौर, भोपाल, सागर एवं जिला चिकित्सालय ग्वालियर, इन्दौर, भोपाल, सागर) के AR। नोडल अधिकारियों एवं संबंधित जिले के जिला ऐपिडेमियोलॉजिस्ट का राज्य स्तरीय उन्मुखीकरण किया गया।
- वित्तीय वर्ष 2023-24 में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, रोकथाम एवं नियंत्रण विषय पर में कुल 2627 चिकित्सा अधिकारी एवं 3692 स्वास्थ्य कर्मी एवं 1188 अंतर्विभागीय कर्मचारी प्रशिक्षित किये गये हैं।
- गर्मी से होने वाले रोगों (लू, निर्जलीकरण, हीट रेसेज आदि) से बचाव विषय पर जिलों में कुल 1617 स्वास्थ्य कर्मियों का उन्मुखीकरण किया गया।
- नागदा जिले में चम्बल नदी में औद्योगिक जल प्रदूषण के कारण होने वाले रोगों हेतु शासकीय मेडिकल कॉलेज रतलाम द्वारा शोध कार्य प्रारंभ किया गया जिससे वहाँ के निवासियों के स्वास्थ्य पर हो रहे विपरीत प्रभावों पर रोकथाम एवं नियंत्रण किया जा सके।
- चिन्हित 14 स्वास्थ्य संस्थाओं को मध्यप्रदेश ऊर्जा निगम के माध्यम से ग्रीन क्लाइमेट रेजिलिएंट फेसिलिटीस के रूप में तैयार किये जाने हेतु प्रक्रिया प्रचलन में है।
- प्रत्येक त्रैमास में समस्त जिला नोडल अधिकारियों एवं जिला ऐपिडेमियोलॉजिस्ट की वायु प्रदूषण, शीतघात, तापघात, लू, मौसमी बीमारियाँ आदि विषय पर ऑनलाइन उन्मुखीकरण किया गया।

कार्यक्रम अंतर्गत समय-समय पर विभिन्न अभियान जैसे- अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस (5 जून 2023) को 4th International -Clean Air for Blue skies Day (7th सितम्बर 2023) डिजास्टर रिस्क रिडक्शन दिवस (13 अक्टूबर 2023) विश्व प्रदूषण दिवस (2 दिसम्बर 2023) का आयोजन किया गया।

इन अभियानों के अंतर्गत 18 मई से 5 जून 2023 तक मिशन लाईफ अभियान दिनांक 04 सितम्बर से 09 सितम्बर 2023 तक चतुर्थ अंतर्राष्ट्रीय दिवस- Clean Air for Blue skies सप्ताह मनाया गया। इन अभियानों अंतर्गत जिला अस्पताल से लेकर उप स्वास्थ्य केन्द्र तक समस्त स्वास्थ्य संस्थाओं पर संबंधित गतिविधियाँ संपन्न की गई।

अभियान में स्वास्थ्य कर्मियों, आशाओं तथा विभिन्न महिला दलों को आंगनवाड़ी के माध्यम से जलवायु परिवर्तन से होने वाले दुष्परिणाम एवं बचाव विषय पर उन्मुखीकरण किया गया ताकि ग्रामों में रहने वाली जनता को भी इस विषय पर जागरूक किया जा सके।

राज्य तथा जिला स्तर से भिन्न संचार माध्यमों(टी.वी, रेडियो)एवं सोशल मीडिया के माध्यम से वायु प्रदूषण के दुष्परिणाम एवं इसको कम करने के संबंध में जानकारी दी गई स्कूल एवं कॉलेजों में संबंधित विषयों पर क्वीज गतिविधियाँ आयोजित की गई। स्वास्थ्य संस्थाओं में रंगोली प्रतियोगिता/वृक्षारोपण संबंधी गतिविधियाँ संपादित की गई।

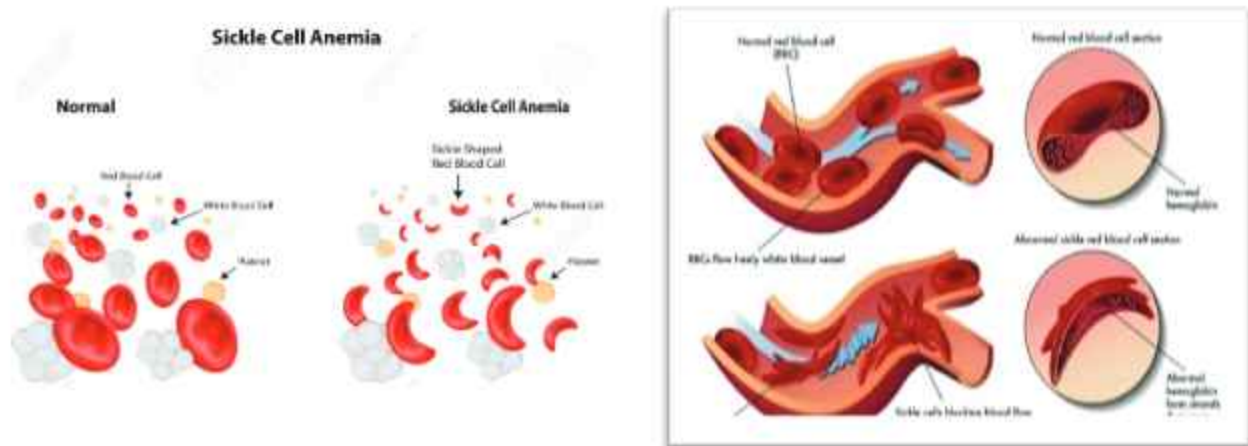
- लू एवं हीट स्ट्रोक वायु प्रदूषण विषय पर जनजागरूकता बढ़ाने हेतु प्रत्येक जिले में पोस्टर बैनर नारा लेखन आदि प्रचार-प्रसार की गतिविधियाँ संपादित की गई।
- राज्य स्तर से अधिक तापमान से होने वाली बिमारियों, शीत-घात की रोकथाम, नियंत्रण हेतु जिलों को दिशानिर्देश प्रेषित किये गए।

राष्ट्रीय सिकल सेल उन्मूलन कार्यक्रम (राज्य हीमोग्लोबिनोपैथी मिशन)

मध्यप्रदेश में कुल आबादी लगभग 8.15 करोड़ है जिसमें से लगभग 1.5 करोड़ जनसंख्या जनजातीय समुदाय की है। प्रदेश में आई.सी.एम.आर. जबलपुर की रिसर्च अनुसार आदिवासी बाहुल्य इलाकों में सिकलसेल एनीमिया की व्यापकता अधिक है एवं सिकलसेल एनीमिया आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में एक अहम स्वास्थ्य समस्या है।

- हिमोग्लोबिनोपैथी : लाल रक्त कोशिकाओं का एक अनुवांशिक रोग
- मुख्य प्रकार : सिकल सेल एनीमिया एवं थैलेसिमिया
- सिकल सेल : व्यापकता एवं होने वाली जटिलता अधिक
- सिकल सेल : लाल रक्त कोशिकाओं का स्वरूप हसियाकार (सिकलसेल)
- हीमोग्लोबिन की संरचना में बदलाव : लाल रक्त कोशिकाओं का जल्दी टूटना खून की कमी होना।
- सिकल सेल में लाल रक्त कण कठोर एवं चिपचिपे हो जाते हैं एवं इनका आकार हंसिये जैसा या अर्धचन्द्राकार हो जाता है।
- ये अनियमित आकार के लाल रक्त कण जब छोटी रक्त वाहिकाओं से गुजरते हैं तो अनियमित आकार के कारण ये उन वाहिकाओं में फंस जाते हैं एवं उसी जगह चिपक जाते हैं जोकि रक्त के बहाव एवं ऑक्सीजन के परिवहन में अवरोध उत्पन्न करने लगता है जिसके कारण शरीर में विभिन्न प्रकार के लक्षण उत्पन्न होते हैं।

सिकल सेल रोग की पहचान प्रतिशत



सिकलसेल के रोगी 02 प्रकार के होते हैं सिकलसेल वाहक (लक्षण रहित/मंद लक्षण) एवं सिकलसेल रोगी (गंभीर लक्षण वाले)। सिकलसेल वाहक में गंभीर लक्षण नहीं होते किंतु यह असामान्य जीन को अगली पीढ़ी में संचालित करते हैं। इस हेतु बीमारी के अनुवांशिक प्रसार को रोकने के लिए समुदाय स्तर पर स्क्रीनिंग जांच द्वारा बीमारी की पहचान कर जेनेटिक काउंसलिंग एवं प्रबंधन करना अत्यंत आवश्यक है।

सिकल सेल एनीमिया के प्रकार एवं लक्षण

सिकल सेल वाहक (AS) : बिना लक्षण वाले : आवश्यकतानुसार इलाज

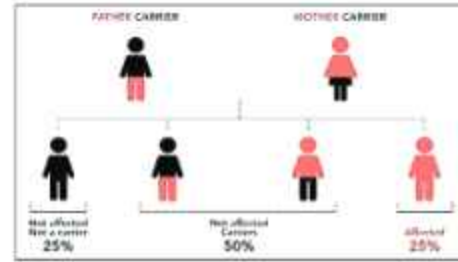
सिकल रोगी (SS) : सिकल रोग के लक्षण : इलाज जरूरी

सिकल बीटा थैलेसिमिया (SCB) : सिकल व बीटा थैलेसिमिया के लक्षण : इलाज जरूरी

लक्षण

सिकल रोगी के लक्षण शिशु अवस्था में सामने आने लगते हैं, जैसे :

- एनीमिया (खून की कमी)।
- हल्का पीलिया होने से बच्चे का शरीर पीला दिखना।
- तिल्ली का बढ़ जाना।
- पेट एवं छाती में दर्द।
- सांस लेने में तकलीफ होना।
- हड्डियों और जोड़ों में विकृति।
- पैरों में अल्सर पड़ना।



- सिकलसेल एनीमिया की रोकथाम एवं उपचार की परिकल्पना को मूर्त रूप देने के लिये 'राज्य हिमोग्लोबिनोपैथी मिशन का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 15 नवम्बर 2021 को जनजातीय गौरव दिवस एवं भगवान बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर अलीराजपुर एवं झाबुआ जिले में सिकलसेल स्क्रीनिंग हेतु पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया।
- माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 1 जुलाई 2023 को राष्ट्रीय स्तर पर सिकल सेल उन्मूलन मिशन 2047 का शुभारंभ मध्यप्रदेश के शहडोल जिले से किया गया एवं 17 राज्यों में राष्ट्रीय सिकल सेल उन्मूलन मिशन लॉन्च किया गया।



मिशन का कार्य एवं दायित्व निम्नानुसार है -

- सिकल सेल एनीमिया की पहचान हेतु सामुदायिक स्तर पर स्क्रीनिंग कर प्रारंभिक पहचान एवं संस्था स्तर पर उपचार सुनिश्चित कर रूग्णता एवं मृत्यु के प्रकरणों में कमी लाना।
- आगामी पीढ़ी में हीमोग्लोबिनोपैथी के प्रसार को रोकने हेतु जेनेटिक काउंसलिंग करना।
- हीमोग्लोबिनोपैथी के विषय में सामुदायिक जागरूकता उत्पन्न कर स्वस्थ जीवन शैली हेतु प्रेरित करना।

सिकल सेल प्रबंधन कार्ययोजना



- राज्य हिमोग्लोबिनोपैथी मिशन अंतर्गत द्वितीय चरण में प्रदेश के 20 आदिवासी बाहुल्य जिलों के 89 विकासखण्डों में लगभग 1.11 करोड़ जनसंख्या की सिकल सेल स्क्रीनिंग तथा जेनेटिक काउंसलिंग किए जाने की योजना सिकल सेल एनीमिया प्रोजेक्ट के रूप में तैयार की गयी है।
- सिकलसेल कार्ययोजना अंतर्गत प्रथम चरण में राज्य के 02 आदिवासी बाहुल्य जिलों (झाबुआ एवं अलीराजपुर) में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 8.26 लाख गर्भवती महिलाओं और 06 माह से 18 वर्ष के बच्चों की सिकल सेल की स्क्रीनिंग, जेनेटिक काउंसलिंग एवं प्रबंधन किये जाने हेतु सिकल सेल प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया। पायलट प्रोजेक्ट 31 जुलाई 2022 को पूर्ण किया गया। प्रोजेक्ट अंतर्गत कुल 9.17 लाख जनसंख्या की स्क्रीनिंग की गयी है। स्क्रीनिंग में पॉजिटिव पाए गए सैंपल की पुष्टिकरण जांच जिला अस्पताल स्थित लैब में की गयी, जिसमें कुल 16693 सिकल वाहक एवं 1862 सिकल रोगी पाए गए।
- द्वितीय चरण में प्रदेश के 89 आदिवासी बाहुल्य विकासखण्डों में सिकल सेल एनीमिया की स्क्रीनिंग का कार्य लक्षित समूहों (40 वर्ष तक की आयु वर्ग के समस्त व्यक्ति, समस्त गर्भवती महिलाएं और पॉजिटिव पाये जाने पर उनके परिवार के समस्त सदस्यों तथा किसी भी आयु एवं वर्ग के लक्षण युक्त व्यक्ति) में किये जाने हेतु मंत्रिपरिषद् से स्वीकृति प्राप्त की जाकर स्क्रीनिंग का कार्य निरंतर जारी है। द्वितीय चरण में कुल 34.14 लाख स्क्रीनिंग की गयी जिसमें से 80,157 सिकल वाहक एवं 13,450 सिकल रोगी पाए गए।

सिकलसेल हेतु अधोसंरचना एवं जांच सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण

- आवश्यक जांच सुविधा एवं एकीकृत उपचार केन्द्रों की स्थापना-वर्तमान में प्रदेश में सिकलसेल रोगियों के जांच एवं उपचार सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण हेतु प्रत्येक जिला चिकित्सालयों में एच.पी.एल.सी. मशीन द्वारा सिकलसेल एनीमिया की पुष्टीकरण जांच की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त अन्य जांचें जैसे- सी.बी.सी., टोटल आयरन, सिरम फेरीटिन आदि जांचों की व्यवस्था निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है।

सिकलसेल रोगी की पहचान एवं जेनेटिक काउंसलिंग हेतु विशेष काउंसलिंग कार्ड

- सिकलसेल अनुवांशिक रक्तविकार के प्रसार को रोकने के लिए सभी स्क्रीन किये गए सिकलसेल रोगियों की जेनेटिक काउंसलिंग हेतु जेनेटिक काउंसलिंग कार्ड का वितरण तथा जेनेटिक काउंसलिंग का कार्य किया जा रहा है।
- जेनेटिक काउंसलिंग कार्ड एक विशेष पद्धति से बनाया गया कलर कोडेड कार्ड है, जो महिला एवं पुरुष द्वारा कार्ड मिलान किए जाने पर सिकल सेल एनीमिया होने की संभावना तुरंत बता देता है, अतः यह विवाह पूर्व सिकल सेल रोग के उन्मुलन के लिए विशेष योगदान प्रदान करेगा।

जेनेटिक परामर्श हेतु जेनेटिक काउंसलिंग कार्ड

The image displays a grid of 9 sample Genetic Counseling Cards. Each card is color-coded and contains the following information:

- Header:** जेनेटिक परामर्श हेतु जेनेटिक काउंसलिंग कार्ड (Genetic Counseling Card for Genetic Counseling)
- Fields:**
 - नाम (Name)
 - वय (Age)
 - लिंग (Sex)
 - धर्म (Religion)
 - जाति (Caste)
 - रक्त समूह (Blood Group)
 - रोगी का नाम (Patient's Name)
 - रोगी की वय (Patient's Age)
 - रोगी का लिंग (Patient's Sex)
 - रोगी का धर्म (Patient's Religion)
 - रोगी की जाति (Patient's Caste)
 - रोगी का रक्त समूह (Patient's Blood Group)
- QR Code:** A QR code is present on each card, likely linking to a website or database for genetic testing.

रोकथाम एवं प्रबंधन

- पुष्टिकरण जांच में पॉजिटिव पाये गये सिकल रोगियों का जिला स्तर पर संचालित एकीकृत उपचार केन्द्र में प्रबंधन एवं उपचार किया जा रहा है एवं समस्त रोगियों को हाइड्रोक्सीयूरिया, फॉलिक एसिड दवाइयों का वितरण तथा आवश्यकता पड़ने पर निःशुल्क रक्ताधान दिया जा रहा है। स्क्रीनिंग में पॉजिटिव पाये गये व्यक्तियों के परिवार के अन्य सदस्यों की भी स्क्रीनिंग की जा रही है।
- सिकलसेल रोगियों की उपचार के लिए बोनमेरोट्रांसप्लांट सुविधा प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर में बोनमेरोट्रांसप्लांट यूनिट की स्थापना की गई है।
- प्रदेश में चिन्हित समस्त सिकल सेल रोगियों को शासकीय योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए विकलांगता प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं।

सिकलसेल रोगियों का रजिस्ट्रेशन एवं ट्रैकिंग हेतु पोर्टल

- प्रदेश में सिकल सेल एनीमिया की स्क्रीनिंग, रिपोर्टिंग एवं डाटाबेस ट्रैकिंग हेतु राज्य स्तर पर सिकल सेल पोर्टल विकसित किया गया है। जिससे सामुदायिक एवं संस्था स्तर पर स्क्रीनिंग एवं पुष्टिकरण जांच की ऑनलाइन इन्ट्री एवं ट्रैकिंग की गयी है। पोर्टल के माध्यम से पॉजिटिव रोगियों का उपचार, प्रबंधन, रक्ताधान, जेनेटिक काउंसलिंग का रिकार्ड पोर्टल में ऑनलाइन दर्ज किया जाकर पॉजिटिव पाये गये प्रकरणों का फालोअप सुनिश्चित किया गया है।

- राज्य स्तर पर विकसित किए गए पोर्टल की प्रशंसा भारत सरकार द्वारा भी की गयी है एवं उक्त पोर्टल को अपनाकर राष्ट्रीय स्तर पर सिकल सेल नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत नेशनल सिकल पोर्टल विकसित किया गया है। द्वितीय चरण में स्क्रीन किये गए हितग्राहियों का डाटा मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से नेशनल सिकलसेल पोर्टल में दर्ज किया जा रहा है।



महत्वपूर्ण गतिविधियां

- » द्वितीय चरण में 89 आदिवासी विकासखण्डों में नवीन POC Kit से सिकल सेल एनीमिया की जांच की जा रही है।
- » नवजात शिशुओं में जन्म के 72 घंटे के अंदर विशेष जांच हेतु AIIMS भोपाल में लैब स्थापित कर आदिवासी बाहुल्य जिलों से भेजे गये सैम्पलों की जांच प्रारंभ की गई।
- » सिकल सेल एनीमिया की स्क्रीनिंग तथा प्रबंधन के प्रशिक्षण हेतु तकनीकी सहयोग। CMR NIRTH, जबलपुर से लिया जा रहा है। इसके अंतर्गत प्रदेश के समस्त 89 आदिवासी बाहुल्य विकासखण्डों में पदस्थ प्रबंधकीय एवं चिकित्सकीय स्टाफ के साथ-साथ मैदानी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण किया जा रहा है।
- » जिलों में स्क्रीनिंग के पश्चात चिह्नित सिकलसेल रोगियों को उपचार औषधि एवं सम्पूर्ण प्रबंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने एवं निरंतर निगरानी हेतु ट्रीटमेंट एवं फॉलोअप बुकलेट तैयार की गयी है। इस ट्रीटमेंट एवं फॉलोअप बुकलेट के माध्यम से सिकल सेल रोगियों का उपचार एवं प्रबंधन नियमित रूप से संभव हो सकेगा एवं संबंधित चिकित्सक द्वारा मरीज की नियमित समीक्षा की जा सके। इसके साथ ही मरीज के पास अपना संपूर्ण स्वास्थ्य रिकार्ड भी उपलब्ध रहेगा।
- » सिकल सेल रोग के प्रसार को आगामी पीढ़ी में जाने से रोकने के लिए गर्भवती महिलाओं की प्रि-नेटल डायग्नोसिस हेतु 'संकल्प इंडिया' संस्था के साथ एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किया गया है।
- » विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान आयोजित कैम्प में प्रदेश के समस्त जिलों में आदिवासी जनजातीय समुदायों के 235633 लाभार्थियों की सिकलसेल स्क्रीनिंग की गई।

।। शादी से पहले लड़का लड़की की सिकल सेल एनीमिया की जांच कराये, और होने वाले बच्चे को वंशानुगत बीमारी से बचाये।।

आयुष्मान भारत निरामयम् (प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना)

आयुष्मान भारत निरामयम् (प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना), दिनांक 23 सितंबर, 2018 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा प्रारंभ की गई। यह योजना विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसका उद्देश्य प्रति परिवार, प्रति वर्ष, 5 लाख रुपये तक का निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराना है।

मध्य प्रदेश शासन सभी प्रदेशवासियों को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज अर्थात Universal Health Coverage (UHC) प्रदान करने हेतु अग्रसर है। यह पहल सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) और इसकी रेखांकित प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए तैयार की गई है, जिसका उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति को मुफ्त में उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है।

2. आयुष्मान कार्ड बनवाने हेतु पात्रता -

- » योजना में सामाजिक, आर्थिक जाति जनगणना (SECC) में चिह्नित D-1 से D-7(D-6 को छोड़कर) वंचित श्रेणी के ग्रामीण परिवार सम्मिलित होंगे एवं चिह्नित व्यवसाय-आधारित शहरी परिवार सम्मिलित हैं। साथ ही कुछ श्रेणियों के परिवार स्वतः ही समावेशित हैं।
- » संबल योजना कार्ड धारक परिवार।
- » खाद्यान्न पात्रता पर्ची (ई-राशन कार्ड) धारक परिवार।
- » भवन एवं संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल म.प्र.अन्तर्गत पंजीयक श्रमिक एवं उनके परिवार जन।
- » भोपाल गैस पीड़ित (भोपाल गैस राहत विभाग द्वारा प्रदत्त डाटा अनुसार)।

भारत शासन द्वारा SECC के परिवारों को इस योजना के लिए पात्र माना गया है। मध्यप्रदेश में SECC के अतिरिक्त राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा पर्ची धारकों, मुख्यमंत्री संबल योजना के हितग्राहियों, मुख्यमंत्री भवन एवं संनिर्माण कर्मकार मण्डल में सम्मिलित परिवारों एवं भोपाल गैस पीड़ित परिवार को योजना की पात्रता प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त सभी आँगनवाड़ी कार्यकर्ता, आँगनवाड़ी सहायिका, मिनी आँगनवाड़ी कार्यकर्ता, पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, आशा तथा ऊषा कार्यकर्ता, आशा सुपरवाइजर, कोटवार एवं संविदा कर्मियों को भी प्रतिवर्ष, प्रति परिवार, 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य सुरक्षा लाभ स्वीकृत किया गया है। इस दृष्टि से मध्यप्रदेश में इस योजना के पात्र परिवारों की संख्या 1.08 करोड़ है। प्रदेश की लगभग 64 प्रतिशत जनसंख्या को योजना से जोड़ा गया है।

3. आयुष्मान कार्ड की प्रगति:-

राज्य में अभी तक 3.99 करोड़ (86% से अधिक) हितग्राहियों का e-KYC सत्यापन पूर्ण हो चुका है तथा 1 करोड़ से अधिक पी.वी.सी. कार्ड तैयार किये जा चुके हैं। 99 प्रतिशत से ज्यादा पात्र परिवारों को कम से कम एक आयुष्मान कार्ड बनाया जा चुका है। दिनांक 27 जून 2023 को समारोहपूर्वक हितग्राहियों को पी.वी.सी. कार्ड वितरण किये गये हैं। इसी दिन समस्त 3.57 करोड़ हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड, उनके मोबाइल फोन पर, डिजिटल रूप में उपलब्ध कराये गये हैं।

4. योजनांतर्गत उपचार सुविधाओं में वृद्धि

- योजनांतर्गत पात्र हितग्राहियों की सुविधा के लिए, शासकीय चिकित्सालयों हेतु आरक्षित 191 पैकेजेस में से 136 पैकेजेस को निजी चिकित्सा महाविद्यालयों हेतु खोला गया है।
- हाई रिस्क प्रसव तथा नवजात शिशुओं के उपचार से संबंधित शासकीय चिकित्सालयों हेतु आरक्षित पैकेजेस को 36 जिलों के 46 निजी चिकित्सालयों हेतु खोला गया है।
- प्रदेश के 156 चिकित्सालयों में डायलिसिस की एवं 11 केन्द्रों में निःसंतानता के उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

5. आयुष्मान योजनांतर्गत चिकित्सालयों का विवरण

देश में 513 निजी एवं 491 शासकीय चिकित्सालयों/चिकित्सा महाविद्यालयों को योजना के अंतर्गत सम्बद्धित किया गया है। आयुष्मान योजनांतर्गत संबद्ध कुल चिकित्सालयों की संख्या 1013 है।

6. उपलब्धियां

- 3.97 करोड़ (84.5%) से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बनाकर योजनांतर्गत देश में प्रथम स्थान पर
- 99 प्रतिशत से ज्यादा पात्र परिवारों में कम से कम एक आयुष्मान कार्ड
- 99 प्रतिशत से ज्यादा आयुष्मान कार्ड आधार e-KYC के माध्यम से सत्यापित
- आयुष्मान योजनांतर्गत मध्यप्रदेश में 37 लाख से ज्यादा उपचार अनुमोदित
- 18 लाख से ज्यादा हितग्राही गुणवत्ता पूर्ण निःशुल्क उपचार से लाभान्वित

7. दण्डात्मक/अनुशासनात्मक कार्यवाही-

- 26 अस्पतालों को योजना से असंबद्ध किया गया है।
- 19 अस्पतालों की जनरल मेडिसिन विषय विशेषज्ञता समाप्त की गयी है।
- 3 अस्पतालों के विरुद्ध FIR दर्ज की गई है।
- 119 चिकित्सालयों के विरुद्ध अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया।

8. आयुष्मान कियोस्क

आयुष्मान भारत 'निरामयम्' योजना के अंतर्गत सम्बद्ध समस्त शासकीय एवं निजी चिकित्सालयों में कियोस्क (आयुष्मान कियोस्क) बनाया गया है, जहां पदस्थ आयुष्मान मित्र से सम्पर्क कर योजना से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त की जा सकती हैं। उक्त समस्त जानकारी आयुष्मान भारत की आधिकारिक वेबसाइट www.ayushman-bharat.mp.gov.in /www.pmjay.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।

9. कॉल सेंटर की स्थापना-

हितग्राहियों को सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से Inbound - Outbound Call Center स्थापित किया गया है, जो 24x7 आधार पर सातों दिन कार्यरत रहता है, कॉल सेंटर के माध्यम से हितग्राहियों से सम्पर्क कर उनके Feed Back भी प्राप्त किये जाते हैं। हितग्राही 24x7 कॉल सेंटर के टोल फ्री नम्बर 14555/18002332085 पर निःशुल्क जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तथा किसी भी प्रकार की समस्या होने पर अपनी शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं।

10. आयुष्मान कियोस्क

आयुष्मान भारत 'निरामयम्' योजना के अंतर्गत सम्बद्ध समस्त शासकीय एवं निजी चिकित्सालयों में कियोस्क (आयुष्मान कियोस्क) बनाया गया है, जहां पदस्थ आयुष्मान मित्र से सम्पर्क कर योजना से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त की जा सकती हैं। उक्त समस्त जानकारी आयुष्मान भारत की आधिकारिक वेबसाइट www.ayushman-bharat.mp.gov.in/ www.pmjay.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।

।। इलाज में आयुष्मान कार्ड बना वरदान आर्थिक समस्या का हुआ समाधान।।

हैल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर मध्यप्रदेश आरोग्यम (आयुष्मान आरोग्य मंदिर- आरोग्यपरमंथनम)

जनसमुदाय को उनके निवास के समीप बेहतर एवं व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये प्रदेश में सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में विकसित किया गया है, जिन्हें आरोग्यम नाम दिया गया है। आरोग्यम स्वास्थ्य केन्द्रों में न सिर्फ वर्तमान में प्रदाय की जा रही सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाया जा रहा है बल्कि तेजी से बढ़ रहे हाई ब्लडप्रेसर, डायबिटीज तथा कैंसर के अतिरिक्त अन्य रोगों से संबंधित सेवायें भी बीमारियों की समय पूर्व पहचान नियंत्रण एवं उपचार भी उपलब्ध करायी जा रही हैं।

उपस्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर बेहतर सेवा प्रदायगी हेतु कम्युनिटी हैल्थ ऑफिसर को पदस्थ किया गया है। जिसमें निम्नानुसार आवश्यक जांचें तथा औषधियों की निःशुल्क उपलब्धता कराई जा रही है।

- **लैबोरेटरी जांचें** - प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर 80 तथा उप स्वास्थ्य केन्द्र पर 17 प्रकार की।
- **आवश्यक औषधियां** - प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर 299 तथा उप स्वास्थ्य केन्द्र पर 126 प्रकार की।

आरोग्यम आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होने से नागरिकों को अनावश्यक उच्च स्तरीय स्वास्थ्य संस्थाओं में जाने की परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी तथा उनके जेब खर्च को कम किया जा सकेगा, साथ ही उच्च स्तरीय संस्थाओं पर पड़ने वाले मरीजों के दबाव को भी कम किया जा सकेगा। वर्ष 2023-24 में लक्षित एवं क्रियाशील संस्थाओं की स्थिति निम्नानुसार है -

क्र.	संस्था	लक्ष्य	क्रियाशील	क्रियाशील संस्थाओं का प्रतिशत
1.	PHCs	1178	1178	100%
2.	UPHCs	141	141	100%
3.	SHCs	10189	9453	93%
4.	UHCWC	788	214	27%
5.	AYUSH	800	803	100%
	Total	13096	11789	90%

"आरोग्यम" प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर निम्नानुसार 12 सेवाएँ उपलब्ध रहेंगी-

1. गर्भावस्था में देखभाल एवं प्रसव सेवाएं
2. नवजात शिशु की देखभाल
3. बाल्य व किशोर स्वास्थ्य सेवाएं
4. परिवार नियोजन, गर्भनिरोधक एवं प्रजनन स्वास्थ्य सेवाएं
5. संक्रामक रोगों का इलाज
6. सामान्यतः होने वाली संक्रामक बीमारियों हेतु ओपीडी सेवाएँ तथा इलाज
7. असंचारी रोगों (उच्च रक्तचाप, मधुमेह तथा कैंसर) की स्क्रीनिंग, रोकथाम, नियंत्रण व प्रबंधन
8. आंख, नाक, कान एवं गले से संबंधित प्राथमिक सेवाएं
9. मुख स्वास्थ्य हेतु प्राथमिक सेवाएँ

10. वृद्धावस्था में देखभाल
11. आपातकालीन मेडिकल सेवाएँ
12. मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में प्रारंभिक परामर्श एवं रेफरल सेवाएँ

सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धियां -

- » दैनिक ओपी.डी.- राज्य के आयुष्मान आरोग्य मंदिर से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के जन-समुदाय को निरन्तर स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदाय की जा रही है। जिसके अंतर्गत दैनिक ओ.पी.डी. सेवा भी शामिल है ओ.पी.डी. के माध्यम से कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एवं चिकित्सा अधिकारी द्वारा एन.सी.डी., टी.बी., ए.एन.सी. आदि की जांच उपलब्ध कराते हुये निःशुल्क जांच एवं दवा वितरित की जा रही है। जिसके अंतर्गत कुल 4,73,08,074 की ओ.पी.डी. कुल 3,62,13,288 को दवाई एवं 2,91,43,522 की जांच की गई।
- » टेलीमेडिसिन सेवा:- आयुष्मान भारत आयुष्मान आरोग्य मंदिर द्वारा दूरस्थ अंचलों एवं ग्रामीण इलाकों में हिताग्राहियों को चिकित्सा अधिकारियों एवं विशेषज्ञों द्वारा परामर्श सेवाएँ टेलीमेडिसिन सेवा के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। जिससे रोगी को उसके घर के समीप स्वास्थ्य केन्द्र से चिकित्सक द्वारा परामर्श उपलब्ध कराया जाता है। जिसके अंतर्गत वर्ष 2023-24 में कुल 20.47 लाख टेलीमेडिसिन कॉल कर हिताग्राहियों को लाभान्वित किया गया।
- » वेलनेस सत्रों का आयोजन:- आयुष्मान आरोग्य मंदिर के माध्यम से बीमारियों की रोगधाम के लिये स्वास्थ्य संवर्धन] योग गतिविधियों] स्वास्थ्य दिवसों का आयोजन करते हुये जन समुदाय को जागरूक किया जाता है। साथ ही उन्हें सही पोषण जीवन शैली और निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। वर्ष 2023-24 में 76.38 लाख वेलनेस सत्रों का आयोजन किया गया।
- » प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर आंखों की जांच - राज्य के समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (ग्रामीण/शहरी) पर नेत्र सहायक की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुये इनके माध्यम से आंखों की जांच कराये जाने की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही जांच होने के उपरान्त मुफ्त चश्मे उपलब्ध कराये जाने की पहल भी जिला सिहोर, उज्जैन एवं इन्दौर में प्रारम्भ की गई है।
- » टी.बी. की जांच:- आयुष्मान आरोग्य मंदिर के माध्यम से टी.बी. की रोगधाम के लिये टी.बी. की जांच एवं उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही जनसमुदाय को टी. बी. के प्रति जागरूक किया जाता है।

राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय स्तर की किसी रैंकिंग में अग्रणी स्थान प्राप्त करने अथवा विशिष्ट पुरस्कार प्राप्त करने की जानकारी।

- आयुष्मान आरोग्य मंदिर कार्यक्रम अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्राप्त पुरस्कार
- » सर्वाधिक टी बी की स्क्रीनिंग किये जाने हेतु विगत दो वर्ष से पुरस्कार प्राप्त हुआ।

जन आरोग्य समिति

- » संस्थाएँ समुदाय स्तर पर बेहतर स्वास्थ्य प्रणाली हेतु 10,151 जनआरोग्य समिति का गठन किया गया।

।। मध्यप्रदेश ने ठाना है हर नागरिक को स्वस्थ बनाना।।

मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति

1. समिति का गठन

प्रदेश में एच.आई.वी./एड्स की रोकथाम के लिये 14 जुलाई 1988 को म.प्र. राज्य एड्स नियंत्रण समिति का रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1973 के अधीन हुआ था। समिति लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, म.प्र. शासन के अंतर्गत राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन नई दिल्ली के नीति निर्देशों के अनुसार मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम का संचालन करती है।

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम शत प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है।

2. समिति के उद्देश्य

समिति मुख्यतः राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम को मध्यप्रदेश में संचालित करने हेतु गठित की गई है। यह शासन के अधीन कार्यरत संस्था है तथा शत प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। समिति के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं :-

- एच.आई.वी. संक्रमण के प्रसार की रोकथाम तथा उससे होने वाली मृत्यु को घटाना।
- जन सामान्य में सूचना, शिक्षा एवं संचार द्वारा एच.आई.वी./एड्स के प्रति जागरूकता एवं उच्च जोखिम समूहों के लिए लक्ष्योद्देशित मध्यस्थता द्वारा व्यवहार परिवर्तन करना।
- रक्त एवं रक्त उत्पादों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, रक्तदान प्रणाली को मजबूत करना एवं स्वैच्छिक रक्तदान को प्रोत्साहित करना।
- यौन संचारित संक्रमणों का नियंत्रण एवं यौन मार्ग से होने वाले एच.आई.वी. संक्रमण की रोकथाम हेतु कण्डोम के उपयोग को प्रोत्साहित करना।
- एकीकृत परामर्श एवं जांच केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन कर निःशुल्क एच.आई.वी.परामर्श एवं जांच सेवा उपलब्ध कराना।
- एच.आई.वी. जैसे वायरल संक्रमण को दवाई द्वारा नियंत्रित करने के लिये एओआरटीओ केन्द्रों की स्थापना कर उपचार उपलब्ध कराना।
- एच.आई.वी. संक्रमित एवं प्रभावित व्यक्तियों के प्रति होने वाले भेदभाव एवं कलंक को समाप्त करने हेतु आवश्यक प्रयास करना।

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्यतः निम्नानुसार घटक (program components) हैं:-

क्र.	घटक/उपघटक
1	रोकथाम
1.1	लक्ष्यगत हस्तक्षेप परियोजना
1.2	यौन संचरित संक्रमण
1.3	रक्त सुरक्षा
1.4	सूचना शिक्षा एवं संचार तथा मुख्यधारा
1.5	आईसीटीसी/पीपीटीसीटी/एचआईवी-टीबी
1.6	लिंग वर्कर स्कीम
1.7	लैब सर्विसेज
2	देखभाल, सहायता और उपचार (एआरटी), लिंग एआरटी सर्विसेस
3	संस्थागत सुदृढीकरण
4	स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन्फोरमेशन सिस्टम /एम एण्ड ई और एचएसएस

एकीकृत परामर्श एवं जांच केन्द्र (आई.सी.टी.सी.)

मध्यप्रदेश में एच.आई.व्ही. जांच एवं परामर्श की सुविधा जन सामान्य के साथ ही उच्च जोखिम समूहों, गर्भवती महिलाओं, यौन रोगियों एवं क्षय रोगियों को निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए 206 एकीकृत परामर्श एवं जांच केन्द्र (आई.सी.टी.सी.) कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त 8 पी.पी.पी. आई.सी.टी.सी. भी संचालित हैं।

एच.आई.व्ही. जांच सुविधाओं के विस्तार हेतु पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप स्कीम के अंतर्गत भी एकीकृत परामर्श एवं जांच केन्द्र संचालित हैं। एन.एच.एम. के समन्वय से फेसिलिटी इंटिग्रेटेड काउंसलिंग एवं टेस्टिंग सेंटर (एफ.आई.सी.टी.सी.) अन्य शासकीय चिकित्सा संस्थानों में संचालित हैं।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में मार्च 2024 तक इन आई.सी.टी.सी. एवं एफ.आई.सी.टी.सी. केन्द्रों के माध्यम से निम्नानुसार जांचें हुईं:-

- जनसामान्य की कुल जांच - 19,57,418
- कुल प्रतिवेदित एच.आई.व्ही. संक्रमित (जनसामान्य)- 6,078

पी.पी.टी.सी.टी. कार्यक्रम -

एच.आई.व्ही. संक्रमित माता-पिता से उनके गर्भस्थ शिशु में होने वाले एच.आई.व्ही. संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रिवेंशन ऑफ पेरेंट्स टू चाइल्ड ट्रांसमिशन (पी.पी.टी.सी.टी.) कार्यक्रम संचालित है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत एच.आई.व्ही. संक्रमित गर्भवती महिलाओं को एच.आई.व्ही. परामर्श, जांच, सुरक्षित प्रसव के साथ ही आवश्यक चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है।

प्रदेश के 206 शासकीय चिकित्सा संस्थानों में संचालित आई.सी.टी.सी./पी.पी.टी.सी.टी.केन्द्रों पर एच.आई.व्ही. संक्रमित महिला से जन्मे बच्चों की एच.आई.व्ही. जांच के लिए अर्ली इन्फेंट डायग्नोसिस (ई.आई.डी.) की सुविधा भी उपलब्ध है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में मार्च 2024 तक इन आई.सी.टी.सी. एवं एफ.आई.सी.टी.सी. केन्द्रों के माध्यम से गर्भवती महिलाओं की निम्नानुसार जांचें हुईं:-

- गर्भवती महिलाओं की कुल जांच - 20,98,254
- कुल प्रतिवेदित एच.आई.व्ही. संक्रमित गर्भवती महिलाएं/प्रसव पश्चात/धात्री महिलाएं सहित) - 754

एंटी रेट्रो वायरल थेरेपी केन्द्र (ए.आर.टी.) -

में एच.आई.व्ही. संक्रमित पात्र व्यक्तियों के उपचार एवं उन्हें निःशुल्क दवाइया उपलब्ध कराने के लिए 32 ए.आर.टी. केन्द्र एवं 01 एफ.आई.ए.आर.टी. केन्द्र कार्यरत हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

1. इनमें से 07 ए.आर.टी.केन्द्र, चिकित्सा महाविद्यालय-इन्दौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, सागर एवं शहडोल में कार्यरत हैं।
2. 01 ए.आर.टी. केन्द्र, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), भोपाल में कार्यरत है।
3. 16 ए.आर.टी.केन्द्र, जिला चिकित्सालय खण्डवा, मंदसौर, सिवनी, नीमच, धार, बुरहानपुर, रतलाम, बड़वानी, बालाघाट, शिवपुरी, देवास, छिंदवाड़ा, मुरैना, सतना, सीधी एवं बैतूल में कार्यरत हैं।
4. इसके साथ ही 01 एफ.आई.ए.आर.टी. केन्द्र, जिला चिकित्सालय, खरगौन में कार्यरत है।
5. 08 प्रायवेट ए.आर.टी. केन्द्र, आर.डी.गार्डी चिकित्सा महाविद्यालय-उज्जैन, अमलतास मेडिकल कॉलेज-देवास, एल. एन. मेडिकल कॉलेज-भोपाल, पीपुल्स मेडिकल कॉलेज-भोपाल, चिरायु मेडिकल कॉलेज-भोपाल एवं इंडेक्स मेडिकल कॉलेज-इन्दौर में कार्यरत हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन द्वारा स्वीकृत 04 ए.आर.टी. केन्द्र जिला चिकित्सालय-नर्मदापुरम्, भिण्ड, गुना व मण्डला में आरंभ किये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

माह मार्च 2024 की स्थिति में ए.आर.टी. केन्द्रों में उपचाररत एच.आई. व्ही. संक्रमित व्यक्तियों की जानकारी निम्नानुसार है-

- एच.आई.वी. देखभाल सेवा में कुल दर्ज एच.आई.वी. संक्रमित व्यक्ति- 41,831
- निःशुल्क ए.आर.टी. उपचार प्राप्त कर रहे कुल एच.आई.वी. संक्रमित व्यक्ति- 41,668

लक्ष्यगत हस्तक्षेप परियोजनाएं -

प्रदेश में एचआईवी/एड्स के संक्रमण से बचाव एवं नियंत्रण हेतु मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति के द्वारा अशासकीय संस्थाओं के माध्यम से लक्ष्यगत हस्तक्षेप परियोजनाएं संचालित की जाती हैं। प्रदेश में दिसम्बर 2023 तक की स्थिति में 72 लक्ष्यगत हस्तक्षेप परियोजनाओं का संचालन किया जा रहा है।

लिंग वर्कर स्कीम -

ग्रामीण क्षेत्रों में एचआईवी/एड्स से बचाव एवं संक्रमण की रोकथाम के उपायों की जानकारी, उपलब्ध सुविधाओं से ग्रामीण अंचल के उच्च जोखिम समूहों एवं ब्रिज पापुलेशन के समुदायों को जोड़ने के उद्देश्य से प्रदेश के 09 जिलों क्रमशः बड़वानी, बालाघाट, टीकमगढ़, पन्ना, जबलपुर, मंदसौर, उज्जैन, भिण्ड एवं छिन्दवाड़ा में अशासकीय संस्थाओं के माध्यम से लिंग वर्कर स्कीम का संचालन किया जा रहा है।

ओएसटी केन्द्र -

प्रदेश में सुई से नशा करने वाले उच्च जोखिम समूहों के बीच एचआईवी/एड्स से बचाव एवं रोकथाम हेतु ओएसटी केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है। वर्तमान में 14 ओएसटी केन्द्र भोपाल, रीवा, जबलपुर, इटारसी, सीधी, सीहोर, नरसिंहपुर, छतरपुर, पन्ना, सतना, होशंगाबाद, ग्वालियर, राँझी (जबलपुर) एवं उज्जैन जिलों में एवं 04 एन.जी.ओ. ओ.एस.टी. केन्द्र अशासकीय संस्थाओं के माध्यम से संचालित हैं। साथ ही 01 सेटलाइट ओ.एस.टी. केन्द्र सेंट्रल जेल भोपाल में संचालित है।

जेल इंटरवेंशन -

सुभिक्षा प्लस एचआईवी-टीबी जेल इंटरवेंशन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश की सभी जेलों में प्रवेशरत एवं निवासरत समस्त बंदियों हेतु एचआईवी-टीबी जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गई एवं बंदियों की एचआईवी जांच कराई गई। वित्तीय वर्ष अप्रैल से मार्च 2024 तक प्रदेश की प्रत्येक केन्द्रीय जेल, जिला जेल, उपजेलों में कुल प्रवेशित बंदियों की संख्या 146494 जिनमें से 177275 बंदियों की एचआईवी जांच कराई गई, जिसमें से 214 एचआईवी संक्रमित पाए गए जिनमें से 203 (95%) का एआरटी केन्द्रों पर उपचार हेतु पंजीयन कराया गया। कुल 175318 बंदियों की टीबी हेतु स्क्रीनिंग कराई गई जिसमें 139 टी.बी. के मरीज पाए गए तथा 139 का उपचार प्रारंभ किया गया।

एस.टी.आई. घटक -

एस.टी.आई. घटक के अंतर्गत मध्यप्रदेश में कुल 66 एसटीआई/आरटीआई क्लीनिक स्थापित हैं जोकि जिला स्तर के अस्पताल, सिविल अस्पताल तथा मेडिकल कालेज स्तर के अस्पतालों में संचालित हो रहे हैं, जिन्हें सुरक्षा क्लीनिक के नाम से जाना जाता है। चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर एवं भोपाल में एस.टी.आई. स्टेट रेफरेंस सेंटर स्थापित हैं। डीएसआरसी केन्द्रों में यौनजनित रोगों की निःशुल्क जांच, परामर्श एवं उपचार की सुविधा उपलब्ध है। इन केन्द्रों में विभिन्न यौन रोगों का लाक्षणिक आधार पर उपचार प्रदान किया जाता है। इसके लिये लक्षणों के आधार पर अलग-अलग बीमारियों के लिये 7 प्रकार की कलर कोडेड मेडिसिन किट्स एवं इंजेक्शन बेंजाथिन पेनिसिलीन एस.टी.डी. केन्द्रों में उपलब्ध कराए गये हैं। सभी एस.टी.आई./आर.टी.आई. रोगियों एवं गर्भवती महिलाओं की सिफलिस स्क्रीनिंग अनिवार्य रूप से किये जाने हेतु निर्देश प्रसारित हैं जिसके लिये निःशुल्क आर.पी.आर./ट्वेल टेस्ट किट्स केन्द्रों को उपलब्ध कराई जाती है। प्रशिक्षित चिकित्सकों के माध्यम से उपचार किया जा रहा है। उपलब्ध कराई गई मेडिसिन किट्स की संपूर्ण जानकारी के चार्ट्स सुलभ संदर्भ हेतु चिकित्सकों को उपलब्ध कराये गये हैं। प्रत्येक केन्द्र पर एस.टी.आई. परामर्शदाता नियुक्त है जिसके सहयोग से रोगी सुरक्षा क्लीनिक के माध्यम से प्रदाय की जा रही सेवाओं का लाभ उठाते हैं। खण्ड स्तर पर भी प्रशिक्षित चिकित्सकों के माध्यम से एस.टी.आई. सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। जिसके लिये जिला स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित कर चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ को प्रशिक्षित किया जा रहा है।

वर्ष 2023-24 में (अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक) एस.टी.डी. केन्द्रों के माध्यम से कुल यौन रोग उपचारित मरीजों का विवरण निम्नानुसार है -

क्र.	विवरण	संख्या
1-	एस.टी.आई. फूटफॉल	491391
2-	यौन रोग उपचार	305140
3-	गर्भवती महिलाओं की सिफलिस जांच	300117

डीएसआरसी परामर्शदाताओं द्वारा क्षेत्र के उच्च जोखिम समूह को क्षेत्र में भ्रमण कर, समय-समय पर अपनी सेवाएं दी जाती हैं, जिसमें जिला जेल, क्षेत्रीय जेल आदि सम्मिलित किये जाते हैं।

एस.टी.आई. गतिविधियों के अंतर्गत चिकित्सकों, स्टाफ नर्स, लेब टेक्नीशियन एवं परामर्शदाताओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

सुरक्षा क्लीनिकों के माध्यम से प्रदाय की जा रही सेवाओं की गुणवत्ता के आंकलन एवं आवश्यक सुधार हेतु समिति के अधिकारियों द्वारा सुपरवाइजरी विजिट की जाती है।

सूचना शिक्षा एवं संचार कार्यक्रम (आई.ई.सी.)

सूचना, शिक्षा एवं संचार का राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (एन.ए.सी.पी.) में बहुत महत्व है। नये संक्रमणों की रोकथाम के लिए जनसामान्य को जागरूक करना, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्ध परामर्श, जांच एवं उपचार सेवाओं के संबंध में जानकारी प्रदान करना ताकि अधिक से अधिक लोग इन सेवाओं का लाभ ले सकें तथा जो लोग एच.आई.वी संक्रमित हैं उनके प्रति समाज में कलंक और भेदभाव की भावना को समाप्त कर सकारात्मक वातावरण का निर्माण सूचना शिक्षा संचार के माध्यम से किया जाता है।

रेड रिबन क्लब - युवाओं के बीच एच.आई.वी.-एड्स जागरूकता एवं स्वैच्छिक रक्तदान को प्रोत्साहित करने हेतु उच्च शिक्षा विभाग की एन.एस.एस. इकाई के समन्वय से प्रदेश के विभिन्न महाविद्यालयों में 700 रेड रिबन क्लब संचालित किये जा रहे हैं। इन क्लबों में एच.आई.वी.-एड्स जागरूकता से संबंधित विभिन्न गतिविधियां एवं रक्तदान शिविरों के माध्यम से स्वैच्छिक रक्तदान में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने हेतु प्रयास किये जाते हैं। मेनस्ट्रीमिंग अंतर्गत विभिन्न विभागों के साथ समन्वय एवं HIV के साथ जी रहे व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ दिलाने हेतु कार्यवाही की जाती है।

लैब सर्विसेस -

प्रदेश में एचआईवी जांच की गुणवत्ता को निर्धारित करने के लिए चार स्टेट रेफरेंस लैब, चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल, इंदौर व ग्वालियर एवं एन.आई.आर.टी.एच. जबलपुर में स्थापित हैं। इन केन्द्रों के माध्यम से वर्ष में चार बार एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस के माध्यम से एच.आई.वी. जांच की गुणवत्ता को जांचा जाता है। साथ ही लैब टेक्नीशियन को प्रशिक्षण भी दिया जाता है।

• कुल स्टेट रेफरेंस लैब	-	04
• एन.ए.बी.एल. एक्कीडेटेड लैब	-	01
• वायरल लोड लैब (इंदौर)	-	01

।। मध्यप्रदेश ने ठाना है हर नागरिक को स्वस्थ बनाना।।

भाग - चार

1. मानव संसाधन
2. मध्यप्रदेश स्वास्थ्य क्षेत्र निवेश प्रोत्साहन योजना 2020
3. स्वास्थ्य संस्थाओं की अधोसंरचना (भवन)
4. प्री-सर्विस नर्सिंग एज्युकेशन
5. विभागीय प्रशिक्षण
6. उपकरण रखरखाव एवं मॉनिटरिंग तंत्र
7. सीटी स्कैन जांच सुविधा
8. चिकित्सा प्रतिपूर्ति
9. राज्य रक्ताधान परिषद
10. खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन

मानव संसाधन

प्रदेश में चिकित्सक संवर्ग की वर्तमान स्थिति 31-12-2023

संवर्ग	नियुक्ति का प्रकार	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
विशेषज्ञ	नियमित /चयन	3725	1351	2374
चिकित्सा अधिकारी	नियमित	5329	4275	1054
दंत चिकित्सक	नियमित	561	247	314

- वर्ष 2023 में प्रथम बार विशेषज्ञों के 25 प्रतिशत पदों (888 पदों) पर मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती की कार्यवाही की गई।
- वर्ष 2023 में विभाग अंतर्गत चार संवर्गों का निर्माण किया गया जिसमें चिकित्सक संवर्ग, विशेषज्ञ संवर्ग, लोक स्वास्थ्य प्रबंधन संवर्ग एवं अस्पताल प्रबंधन संवर्ग सम्मिलित है।
- वर्ष 2023 में मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित 925 चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति की कार्यवाही संपादित की गई है।
- वर्ष 2023 में मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित 128 दंत चिकित्सकों की नियुक्ति की कार्यवाही संपादित की गई है।
- माह फरवरी 2024 में 12 दंत चिकित्सा विशेषज्ञों की नियुक्ति की कार्यवाही की गई।

मानव संसाधन - वर्ष 2023 में भर्ती की कार्यवाही

क्र.	पदनाम	रिक्तियों की संख्या	विज्ञापन जारी होने की दिनांक	चयन परिणाम की तिथि	चयन सूची के आधार पर प्राप्त पद	शासन द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किए जाने का दिनांक
1	2	3	4	5	6	7
1.	निश्चेतना विशेषज्ञ	96	29.07.2022	04.02.2023	57	29.05.2023
2.	नाक-कान-गला विशेषज्ञ	21	17.08.2022	25.04.2023	12	28.06.2023
3.	मेडिसिन विशेषज्ञ	160	22.07.2022	29.12.2022	72	18.05.2023
4.	स्त्री रोग विशेषज्ञ	153	20.07.2022	06.12.2023	95	25.01.2023
5.	नेत्र विशेषज्ञ	29	17.08.2022	04.05.2023	20	21.07.2023
6.	अस्थि विशेषज्ञ	57	28.07.2022	30.01.2023	41	29.05.2023
7.	शिशु रोग विशेषज्ञ	128	17.08.2022	05.07.2022	83	16.08.2023
8.	पैथोलॉजिस्ट	34	17.08.2022	09.03.2023	24	29.05.2023
9.	रेडियोलॉजिस्ट	24	17.08.2022	17.02.2023	06	29.05.2023
10.	शल्य क्रिया विशेषज्ञ	159	17.08.2022	14.07.2023	76	16.08.2023
11.	क्षयरोग विशेषज्ञ	13	17.08.2022	17.02.2023	08	29.05.2023
12.	दंत शल्य चिकित्सक	193	01.02.2022	22.06.2023	128	16.08.2023
13.	सहायक प्रबंधक	63	07.07.2021	27.03.2023	48	21.07.2023
14.	चिकित्सा अधिकारी	1456	30.12.2022	16.08.2023	925	15.09.2023
15.	दंत चिकित्सा विशेषज्ञ	14	17.08.2022	29.11.2023	12	09.02.2024
	योग	2600			1607	

।। जनभागीदारी से प्रदेश को स्वस्थ बनायें।।

मध्यप्रदेश स्वास्थ्य क्षेत्र निवेश प्रोत्साहन योजना 2020

मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे में निजी निवेश को प्रोत्साहित करना विशेष रूप से स्टेण्ड अलोन हेल्थ केयर केन्द्रों की स्थापना को प्रोत्साहित करके राज्य के अल्पविकसित जिलों में, और मल्टी स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों को संपूर्ण राज्य में विकसित करना है। मध्यप्रदेश में चिकित्सा और नर्सिंग स्टाफ की संख्या और गुणवत्ता में वृद्धि करना, मेडिकल कॉलेज की स्थापना को बढ़ावा देकर और नर्सिंग को प्रोत्साहित करके कॉलेजों में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम और स्पेशलिटी नर्सिंग पाठ्यक्रम शुरू करना है। 2019 को संक्षेप में 'नई नीति' कहा गया है और इसका शीर्षक होगा- 'मध्यप्रदेश स्वास्थ्य क्षेत्र निवेश प्रोत्साहन योजना 2020'

यह योजना 27 नवम्बर 2019 से प्रभावी है एवं इसका संचालन कम से कम 05 वर्ष की अवधि तक बना रहेगा अथवा जब तक कि यह योजना या पॉलिसी सरकार द्वारा वापस नहीं ली जाती या प्रतिस्थापित नहीं की जाती।

पात्र चिकित्सा संस्थान

क्रमांक	संस्था का प्रकार	बिस्तरों की क्षमता	न्यूनतम पूंजी निवेश
1	मल्टी स्पेशलिटी चिकित्सालय ग्रेड-1 2 या 2 से अधिक स्पेशलिटी केयर	30	05 करोड़
2	मल्टी स्पेशलिटी चिकित्सालय ग्रेड-2 2 या 2 से अधिक स्पेशलिटी केयर	100	15 करोड़
3	सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा संस्थान स्पेशलिटी केयर हेतु न्यूनतम 25 प्रतिशत बिस्तर सुपर स्पेशलिटी केयर के लिए आरक्षित	50	12 करोड़
4	मेडिकल कॉलेज/नर्सिंग कॉलेज	—	150 करोड़
5	स्टेण्ड अलोन हेल्थ केयर सेंटर	—	50 लाख

कौन इस योजना का लाभ ले सकते हैं -

- मौजूदा चिकित्सा प्रतिष्ठान की क्षमता का विस्तार या उन्नयन टर्सरी हेल्थ केयर के रूप में नैदानिक और उपचार सुविधाओं का लाभ उठाने के लिये पात्र होगा।
- मौजूदा चिकित्सा संस्थान मल्टी स्पेशलिटी चिकित्सा संस्थान (ग्रेड-1) या मल्टी स्पेशलिटी चिकित्सा संस्थान (ग्रेड-2) अपनी बिस्तर संख्या में वृद्धि करना चाहते हैं। (50 प्रतिशत वृद्धि)
- मौजूदा सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा संस्थान जो अपनी बिस्तर क्षमता का विस्तार करना चाहते हैं। (50 प्रतिशत वृद्धि)
- मौजूदा चिकित्सा संस्थान या मल्टी स्पेशलिटी चिकित्सा संस्थान (ग्रेड-1) अपनी क्षमता का विस्तार सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा संस्थान में करना चाहते हैं। (50 प्रतिशत वृद्धि)
- मौजूदा चिकित्सा संस्थान या मल्टी स्पेशलिटी चिकित्सा संस्थान (ग्रेड-1) टर्सरी हेल्थ केयर समकक्ष सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा संस्थान के रूप में करना चाहते हैं, नैदानिक एवं उपचार सुविधाओं का उन्नयन करना होगा। (बेड क्षमता का विस्तार किये बिना)
- मौजूदा चिकित्सा संस्थान या मल्टी स्पेशलिटी चिकित्सा संस्थान (ग्रेड-2) वर्तमान बिस्तर की क्षमता का विस्तार मौजूदा अस्पताल के बिस्तर की क्षमता का कम से कम 50 प्रतिशत बिस्तर की वृद्धि करना होगी एवं कुल बिस्तरों की संख्या कम से कम 150 होगी।
- विस्तार एवं उन्नयन करने वाले चिकित्सा संस्थान को न्यूनतम निवेश करने की शर्त प्रचलित नहीं होगी।

पात्र आवेदक

- पात्र आवेदकगण निम्नलिखित श्रेणी के आवेदकगण इस योजना के तहत लाभ या प्रोत्साहन प्राप्त करने हेतु आवेदन कर सकेंगे।
- मल्टी स्पेशलिटी चिकित्सा संस्थान (ग्रेड-1), मल्टी स्पेशलिटी चिकित्सा संस्थान (ग्रेड-2), सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा संस्थान एवं स्टेन्ड-अलोन हेल्थ केयर केन्द्र
- चिकित्सा स्नातक जो सक्षम प्राधिकार में पंजीकृत हो या
- साझेदारी या संबंधित भारतीय नियम के अंतर्गत पंजीकृत कॉर्पोरेट
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये प्रचलित नियमों के अधीन चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना हेतु आवेदन करने के पात्र होंगे।
- मौजूदा नर्सिंग कॉलेज जिनके स्वयं के अस्पताल बेड और नये पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम या सुपर स्पेशलिटी नर्सिंग कोर्सेस जिनकी अवधि कम से कम एक वर्ष हो तथा जो म.प्र. नर्सिंग कॉउंसिल से मान्यता प्राप्त हो।

पूँजीगत अनुदान

- किस्त- 1 25 प्रतिशत निवेश प्रोत्साहन समिति की सैद्धांतिक मंजूरी।
- किस्त- 2 25 प्रतिशत NABH मान्यता प्राप्त / NABL मान्यता प्राप्त / AERB का प्रमाणन जहाँ लागू हो।
- किस्त- 3 50 प्रतिशत राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति SLEC
- टीप - स्टेन्ड अलोन हेल्थ केयर केन्द्र की श्रेणी के लिये NABH मान्यता /NABL मान्यता / AERB का प्रमाणन लागू नहीं होती है, वाणिज्यिक परिचालन शुरू होने पर पहली किस्त के रूप में 50 प्रतिशत अनुदान प्राप्त की जावेगी।

मेडिकल कॉलेज एवं नर्सिंग कॉलेज

माईलस्टोन	दस्तावेज
शैक्षणिक बैच का पहला शैक्षणिक सत्र	<ul style="list-style-type: none"> • चिकित्सा शिक्षा विभाग की निवेश प्रोत्साहन समिति द्वारा सिद्धांतिक रूप से अनुमोदन। • प्रवेश रिकार्ड • परीक्षा के परिणाम
बाद के शैक्षणिक बैच के शैक्षणिक सत्र	<ul style="list-style-type: none"> • चिकित्सा शिक्षा विभाग की निवेश प्रोत्साहन समिति द्वारा सिद्धांतिक रूप से अनुमोदन। • प्रवेश रिकार्ड • परीक्षा के परिणाम

नोट- पचास हजार प्रति सीट की वित्त सहायता का भुगतान नर्सिंग कॉलेजों को वार्षिक रूप से किया जायेगा।

विस्तार/उन्नयन अनुदान

- टर्सरी हेल्थ केयर केन्द्र के नैदानिक एवं उपचार सुविधाओं के विस्तार के लिय अनुसूची-सी के अनुरूप
- मल्टी स्पेशलिटी (ग्रेड-1) क्षमता का विस्तार ग्रेड-2 में करता है।
- सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा संस्थान बिस्तर की क्षमता का विस्तार 50 प्रतिशत करता है।
- मल्टी स्पेशलिटी (ग्रेड-1) अपनी क्षमता का विस्तार सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा संस्थान में करता है।
- स्पेशलिटी चिकित्सा संस्थान (ग्रेड-1) या मल्टी स्पेशलिटी चिकित्सा संस्थान (ग्रेड-2) टर्सरी केयर केन्द्र के रूप में करता है।

- मल्टी स्पेशलिटी (ग्रेड-2) बिस्तर की क्षमता का विस्तार 50 प्रतिशत करता है। कुल बिस्तर की संख्या 150 तक है।
- मौजूदा ईमारत को चिकित्सा संस्थान में बदलने या संचालन के मामले में एक अक्रियाशील चिकित्सालय उसको नया चिकित्सा संस्थान माना जायेगा।
- स्टेन्ड-अलोन हेल्थ केयर केन्द्र एवं चिकित्सा महाविद्यालयों के उन्नयन एवं विस्तार के मामलों में पूंजीगत अनुदान का लाभ उपलब्ध नहीं होगा।

भूमि का आवंटन

- प्रोत्साहन का संवितरण भूमि के मूल्य पर रियायती दर के रूप में होगा, चिकित्सा संस्थान के नाम पर भूमि आवंटन की जावेगी, आवेदक द्वारा अवशिष्ट राशि (रियायत के बाद) और दिशा निर्देशों के अधीन भूमि आवंटन के लिये नीति में निर्धारित दिनांक 30 मई 2013 (के रूप में समय-समय पर संशोधित नीति जो कि राजस्व विभाग म.प्र. शासन द्वारा जारी किया जाता है।)
- नये पात्र चिकित्सा संस्थानों की स्थापना के लिये भूमि आवंटित की जायेगी। मौजूदा चिकित्सा संस्थानों के विस्तार के लिये कोई भूमि आवंटित नहीं की जायेगी।
- श्रेणी-ए जिलों में भूमि का आवंटन नगरीय क्षेत्र के बाहर किया जावेगा।
- म.प्र. शासन उन आवेदकों को भूमि आवंटन में प्राथमिकता देगी जोकि, श्रेणी- बी एवं सी जिलों में चिकित्सा संस्थानों की स्थापना का प्रस्ताव रखते हैं।
- भूमि के आवंटन पर मिलने वाली कुल रियायत की दर 25 प्रतिशत कुल पूंजी निवेश की राशि से अधिक नहीं होगी।

।। हमारा संकल्प, विकसित स्वस्थ मध्यप्रदेश।।

स्वास्थ्य संस्थाओं की अधोसंरचना (भवन)

वर्ष 2023-24 हेतु निर्माण कार्यों से संबंधित जानकारी

वित्तीय वर्ष 2023-24 में पूर्ण किये गये कार्य

» जिला चिकित्सालयों में निम्नानुसार निर्माण कार्य पूर्ण कराये गये -

- जिला चिकित्सालय ग्वालियर का 200 से 300 बिस्तरीय भवन उन्नयन एवं निर्माण कार्य।
- जिला चिकित्सालय राजगढ़ का 300 से 500 बिस्तरीय भवन उन्नयन एवं निर्माण कार्य।
- जिला चिकित्सालय ग्वालियर सीधी एवं शहडोल में एच.टी. लाईन का कार्य।
- 7 जिला चिकित्सालय में आईपीएचएल लैब का निर्माण कार्य।
- 20 जिला चिकित्सालयों में ब्लड बैंक का उन्नयन / निर्माण कार्य।
- 3 जिला चिकित्सालय में डीईआईसी भवन का निर्माण कार्य।

» सिविल अस्पतालों में निम्नानुसार निर्माण कार्य पूर्ण कराये गये -

- 30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र परासिया जिला छिंदवाड़ा का 100 बिस्तरीय सिविल अस्पताल भवन में उन्नयन/निर्माण कार्य।
- 30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र केवलारी जिला सिवनी का 50 बिस्तरीय सिविल अस्पताल में उन्नयन/निर्माण कार्य।
- गोविन्दपुरा जिला भोपाल में 100 बिस्तरीय नवीन सिविल अस्पताल भवन निर्माण कार्य।
- 30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सिवनी मालवा, जिला होशंगाबाद का 50 बिस्तरीय सिविल अस्पताल भवन उन्नयन एवं निर्माण कार्य।
- 30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सांची, जिला रायसेन का 50 बिस्तरीय सिविल अस्पताल भवन उन्नयन एवं निर्माण कार्य।
- 37 बिस्तरीय सिविल अस्पताल नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़ का 100 बिस्तरीय सिविल अस्पताल भवन उन्नयन एवं निर्माण कार्य।
- 30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पाटन जिला जबलपुर का 50 बिस्तरीय सिविल अस्पताल भवन उन्नयन एवं निर्माण कार्य।
- 30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र राहतगढ़ जिला सागर का 50 बिस्तरीय सिविल अस्पताल भवन उन्नयन एवं निर्माण कार्य।
- 30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र शामगढ़, जिला मंदसौर का 50 बिस्तरीय सिविल अस्पताल भवन उन्नयन एवं निर्माण कार्य।
- 34 बिस्तरीय सिविल अस्पताल महिदपुर, जिला उज्जैन का 50 बिस्तरीय सिविल अस्पताल भवन उन्नयन एवं निर्माण कार्य।
- सिविल अस्पताल बिरलानगर जिला ग्वालियर में 50 बिस्तरीय एमसीएच भवन का निर्माण कार्य।
- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मण्डीदीप जिला रायसेन का 30 बिस्तरीय अस्पताल से 50 बिस्तरीय सिविल अस्पताल भवन में निर्माण/ उन्नयन कार्य।

- 100 बिस्तरीय सिविल अस्पताल बेगमगंज जिला रायसेन का उन्नयन एवं निर्माण कार्य।
- 50 बिस्तरीय सिविल अस्पताल बुधनी जिला सीहोर का उन्नयन एवं निर्माण कार्य।
- 30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मुंगावली जिला अशोकनगर का 50 बिस्तरीय सिविल अस्पताल में उन्नयन/निर्माण कार्य।
- सिविल अस्पताल आरौन जिला गुना का 50 बिस्तरीय भवन निर्माण कार्य।
- 30 बिस्तर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नागौद, जिला सतना का 50 बिस्तरीय सिविल अस्पताल भवन उन्नयन एवं निर्माण कार्य।
- 30 बिस्तर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बण्डा, जिला सागर का 50 बिस्तरीय सिविल अस्पताल भवन उन्नयन एवं निर्माण कार्य।
- 30 बिस्तर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मनासा, जिला नीमच का 100 बिस्तरीय सिविल अस्पताल भवन उन्नयन एवं निर्माण कार्य।

» **30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन उन्नयन / निर्माण कार्य निम्न स्थानों पर पूर्ण कराये गये-**

- (1) खेडीसांवलीगढ़ जिला बैतूल (2) खिलचीपुर जिला राजगढ़. (3) हरई जिला छिंदवाड़ा, (4) कोठी जिला अनूपपुर, (5) ईसानगर जिला छिंदवाड़ा एवं (6) नेपानगर जिला बुरहानपुर, (7) पिपरई जिला अशोकनगर (8) किरनापुर जिला बालाघाट (9) हस्तिनापुर जिला ग्वालियर (10) स्लीमनाबाद जिला कटनी (11) पिपलिया मंडी जिला मंदसौर एवं (12) बिरमाबल जिला रतलाम में भवन निर्माण कार्य पूर्ण।

» **प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र**

- 58 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों भवन निर्माण/उन्नयन कार्य पूर्ण।

» **नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र**

- 599 उप स्वास्थ्य केन्द्र भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण।

» **आवासीय भवनों का निर्माण कार्य निम्नानुसार कार्य पूर्ण कराये गये -**

- जिला चिकित्सालय मुरैना में 18 एफ, 18 जी, 18 एच टाईप आवासीय भवन एवं जिला चिकित्सालय उगरिया में 4 एफ 4 जी, 4 एच टाईप आवासीय भवन, इस प्रकार 66 आवासीय भवनों का निर्माण कार्य।
- सिविल अस्पताल भवन गाडरबाड़ा में 2 एफ 4 जी, 4 एच टाईप आवासीय भवनों का निर्माण कार्य।
- 8 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 56 आवासीय भवनों (16 एफ, 22 जी, 18 एच टाईप) का निर्माण कार्य।

अन्य कार्य: -

- 15 एचडीयू/आईसीयू वार्ड की स्थापना का कार्य।
- 12 अतिरिक्त वार्ड का निर्माण कार्य।
- 70 बी.पी.एच.यू. युनिट का निर्माण कार्य।
- 7 पीआईसीयू वार्ड की स्थापना का कार्य।

(2) वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्वीकृति किये गये कार्य

» **राज्य मद एवं एनएचएम मद अंतर्गत निम्नानुसार भवन निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृतियों जारी की गई-**

- जिला चिकित्सालय अशोकनगर में 200 बिस्तरीय नवीन अस्पताल भवन का निर्माण कार्य।
- जिला चिकित्सालय निवाड़ी का 100 बिस्तर से 200 बिस्तरीय अस्पताल भवन में उन्नयन/निर्माण कार्य।

- जिला चिकित्सालय अलीराजपुर का 100 बिस्तर से 200 बिस्तरिय अस्पताल भवन में उन्नयन/निर्माण कार्य।
- 31 सिविल अस्पताल भवनों का निर्माण/उन्नयन कार्य।
- 17 सामुदायिक, स्वास्थ्य केन्द्र भवनों का निर्माण/उन्नयन कार्य।
- 16 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवनों निर्माण/उन्नयन कार्य।
- 186 उप स्वास्थ्य केन्द्र भवनों का निर्माण कार्य।
- समग्र लोक स्वास्थ्य कार्यालय संकुल भवन भोपाल का निर्माण कार्य।
- 18 स्वास्थ्य संस्थाओं में पोस्ट मार्टम भवन का निर्माण कार्य।
- 35 जिला चिकित्सालयों में ब्लड बैंक का निर्माण/उन्नयन कार्य।
- 7 मॉड्यूलर ऑपरेशन थियेटर का निर्माण/उन्नयन कार्य।
- 34 अन्य कार्य जैसे डी.ई.आई.सी., डी.आर.टी.बी., अतिरिक्त वार्ड, एम.सी.एच., आवासीय भवन, डेडीकेटेड फीडर, एच.टी. लाईन इत्यादि के कार्य।
- 40 जिला चिकित्सालयों में सी.एस.एस.डी का निर्माण कार्य।
- 44 जिला चिकित्सालयों में फायर फाईटिंग एवं फायर सेफ्टी का कार्य।
- 32 जिला चिकित्सालयों में मॉड्यूलर ओ.टी. की स्थापना का कार्य।
- 51 जिला चिकित्सालयों में एम.जी.पी.एस. का रख रखाव का कार्य।
- 51 जिला चिकित्सालयों में मॉड्यूलर किचन का उन्नयन कार्य।
- » **पीएम-अभीम योजना अंतर्गत निम्नानुसार 230 कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई -**
 - 25 जिला चिकित्सालयों एवं 9 शासकीय चिकित्सालय महाविद्यालयों में क्रिटिकल केयर हेल्थ ब्लॉक का निर्माण/उन्नयन कार्य।
 - 35 जिला चिकित्सालयों में आई.पी.एच.एल. लैब की स्थापना का कार्य।
 - 16 सिविल अस्पताल भवनों, 140 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 5 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवनों में बी.पी.एच.यू. (ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट) का निर्माण/उन्नयन कार्य।
- » **15 वें वित्त आयोग योजना अंतर्गत निम्नानुसार कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई -**
 - 92 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 1770 उप स्वास्थ्य केन्द्र भवनों के निर्माण कार्य।
 - 7 सिविल अस्पताल 15 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 1 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवनों में बी.पी.एच.यू. (ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट) का निर्माण/उन्नयन कार्य।

।। चिकित्सा सेवाओं का विस्तार, स्वस्थ मध्यप्रदेश का आधार ।।

प्री-सर्विस नर्सिंग एज्युकेशन

1. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत 18 बी.एस.सी. नर्सिंग महाविद्यालय संचालित हैं।
2. 15 जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्रों का उन्नयन वर्ष 2019 में बी.एस.सी नर्सिंग महाविद्यालय में किया गया। 02 नर्सिंग महाविद्यालय (उज्जैन, जबलपुर) पूर्व से स्वीकृत थे एवं 01 महाविद्यालय (अनूपपुर) नवीन स्वीकृत किया गया।
3. मध्य प्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमोंक 768/ PHFW / 0729 /2023 /सत्रह/मेडि-3 दिनांक 06/10/2023 से -
 - लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन 9 शासकीय नर्सिंग महाविद्यालयों में (उज्जैन, जबलपुर, रायसेन, झाबुआ, सीधी, देवास, नरसिंहपुर अनूपपुर एवं बालाघाट) में 219 नवीन पदों की स्वीकृति प्रदान की गई।
 - लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन 9 शासकीय नर्सिंग महाविद्यालयों (छिंदवाड़ा, खंडवा, रतलाम, सतना, राजगढ़, विदिशा, दतिया, सिवनी एवं मंदसौर) को चिकित्सा शिक्षा विभाग को हस्तान्तरण करते हुये 195 पदों की स्वीकृति प्रदान की गई।
 - छिंदवाड़ा, खंडवा, रतलाम, सतना, राजगढ़, विदिशा, दतिया, सिवनी एवं मंदसौर में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के साथ नर्सिंग महाविद्यालय की सह-स्थापना के लिये लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन 9 शासकीय नर्सिंग महाविद्यालयों का 195 नवीन पदों, भवन, उपकरण, फर्नीचर एवं अन्य सामग्री का चिकित्सा शिक्षा विभाग को हस्तान्तरण किया गया। इन नर्सिंग महाविद्यालयों के लिये लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन स्वीकृत कुल 183 पदों का चिकित्सा शिक्षा विभाग को हस्तान्तरण किया गया।
 - शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय अनूपपुर में बी.एस.सी नर्सिंग पाठ्यक्रम के लिये 30 सीट की वृद्धि स्वीकृत की गई।
3. नर्सिंग महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों का विवरण-

स.क्र.	नर्सिंग पाठ्यक्रम	स्थान	सीट संख्या
1	बी.एस.सी. नर्सिंग (04 वर्षीय)	समस्त 18 नर्सिंग महाविद्यालय	60 सीट प्रति महाविद्यालय
2	पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. (02 वर्षीय)	उज्जैन, जबलपुर	50 सीट प्रति महाविद्यालय
3	एम.एस.सी. नर्सिंग (02 वर्षीय)	उज्जैन, जबलपुर	50 सीट प्रति महाविद्यालय

4. शैक्षणिक सत्र वर्ष 2020-21 में प्रवेशित 570 छात्राएं वर्तमान में शासकीय नर्सिंग महाविद्यालयों में बी.एस.सी. नर्सिंग प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं।
5. वर्ष 2022-23 में पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम में 100 एवं एम.एस.सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम में 89 विभागीय नर्सिंग ऑफिसर्स को प्रशिक्षण (उच्च अध्ययन) की अनुमति प्रदान की गई। 44 नर्सिंग संवर्ग को पीएच.डी. नर्सिंग की अनुमति प्रदान की गई।
6. बी.एस.सी नर्सिंग पाठ्यक्रम के लिये शैक्षणिक सत्र 2022-23 में प्रवेश हेतु कर्मचारी चयन मण्डल भोपाल द्वारा परीक्षा का आयोजन किया गया है, परीक्षा परिणाम अपेक्षित है (माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका के परिप्रेक्ष्य में)।
7. शासन के आदेश क्रमोंक 252 दिनांक 18/09/2023 से लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत संचालित नर्सिंग महाविद्यालयों में बी.एस.सी नर्सिंग पाठ्यक्रम के शैक्षणिक सत्र वर्ष 2023-24 को शून्य घोषित किया गया।

8. ए.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्रों का विवरण-

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत 22 ए.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र एवं 1140 सीट स्वीकृत हैं। वर्तमान में 9 शासकीय ए.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्रों (बैतूल, सीहोर, धार, बुरहानपुर, शिवपुरी, मण्डला, शहडोल, पन्ना, अशोकनगर) में 260 सीटों पर छात्राएं प्रशिक्षणरत हैं।

क्र	प्रशिक्षण केन्द्र का नाम	कुल सीट्स
1	बैतूल, सीहोर, धार, शिवपुरी, मण्डला, शहडोल, होशंगाबाद, बड़वानी, सागर, टीकमगढ़, मुरैना, गुना, छतरपुर	60 सीट प्रति प्रशिक्षण केन्द्र
2	बुरहानपुर, पन्ना, अशोकनगर, छिन्दवाड़ा, उज्जैन, उमरिया, भिण्ड, डिंडौरी, अनुपपुर	40 सीट प्रति प्रशिक्षण केन्द्र
कुल		1140

- बी.एस.सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्राओं को प्रतिमाह रु 3500/- शिष्यवृत्ति एवं ए.एन.एम पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्राओं को प्रतिमाह रु 2500/- शिष्यवृत्ति प्रदान की जाती है।
- मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिनांक 12/02/2024 को लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग को विलय कर नाम परिवर्तित कर लोक स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा विभाग किये जाने का निर्णय लिया गया।
- वर्तमान में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 18 शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय (जबलपुर, उज्जैन, देवास, राजगढ़, रायसेन, विदिशा, रतलाम, खण्डवा, अनूपपुर, झाबुआ, मंदसौर, नरसिंहपुर, सिवनी, सीधी, छिन्दवाड़ा, बालाघाट, दतिया तथा सतना) एवं 6 स्वशासी (भोपाल, जबलपुर, इन्दौर, रीवा, सागर तथा ग्वालियर) कुल 24 नर्सिंग महाविद्यालय संचालित हैं।
- मध्य प्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक 768/ PHFW / 0729 /2023 /सत्रह/मेडि-3 दिनांक 06/10/2023 से 18 शासकीय नर्सिंग महाविद्यालयों में शैक्षणिक कार्य संपादित किये जाने हेतु 476 शैक्षणिक पद तथा गैर शैक्षणिक 324 पद स्वीकृत किये गये हैं। स्वशासी नर्सिंग महाविद्यालयों के लिये 383 शैक्षणिक पदों की स्वीकृति प्राप्त है।
- शासकीय नर्सिंग महाविद्यालयों के लिये स्वीकृत शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों के भर्ती नियम राजपत्रित दिनांक 22 मार्च 2024 एवं अराजपत्रित 21 मार्च 2024 को प्रकाशित किये गये हैं।

।। बेहतर स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश की पहचान।।

विभागीय प्रशिक्षण

मध्यप्रदेश शासन प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदायगी सुनिश्चित करने हेतु संकल्पित है। विभिन्न शासकीय अस्पतालों में प्राटोकॉल्स अनुसार स्वास्थ्य सेवा प्रदाय करने हेतु कुशल एवं दक्ष स्वास्थ्य सेवा प्रदायकर्ताओं की आवश्यकता होती है। विभाग द्वारा विभिन्न स्वास्थ्य संवर्ग के कौशल वृद्धि हेतु निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं। प्रशिक्षण संस्थाओं में मुख्यतः विशेषज्ञ, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, चिकित्सा अधिकारी, दंत चिकित्सक, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला लेखा अधिकारी, सलाहकार, नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थाओं के संकाय सदस्य, स्टाफ नर्स आदि को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

1. प्रशिक्षण संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण

लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान निम्नानुसार है -

क्र	प्रशिक्षण स्थान का नाम	प्रशिक्षण क्षमता
1	राज्य स्वास्थ्य एवं प्रबंधन संचार संस्थान, ग्वालियर	60
2	क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, ग्वालियर	76
3	क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, जबलपुर	90
4	क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, इंदौर	90

उक्त प्रशिक्षण संस्थाओं में स्किल लेब दृश्य-श्रवण सुविधायुक्त व्याख्यान कक्ष तथा आवासीय व्यवस्था हेतु छात्रावास उपलब्ध है।

• राज्य स्वास्थ्य एवं प्रबंधन संचार संस्थान, ग्वालियर

विभाग द्वारा राज्य स्वास्थ्य एवं प्रबंधन संचार संस्थान ग्वालियर को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में विकसित है जिसमें आधुनिक व्याख्यान कक्ष एवं कॉन्फ्रेंस हॉल्स की व्यवस्था के साथ-साथ उन्नत स्किल लैब, सर्व सुविधायुक्त छात्रावास एवं परिसर में आवासीय व्यवस्था उपलब्ध है।

• क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र ग्वालियर, इंदौर एवं जबलपुर

क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों में विभिन्न संवर्गों हेतु स्वास्थ्य संबंधी प्रशिक्षण आयोजित किये जाते हैं। इंदौर में 40 प्रशिक्षणार्थियों के लिए नवीन हॉस्टल के निर्माण संबंधी कार्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत किया जा रहा है। जबलपुर में डायनिंग हॉल एवं रिक्रियेशन रूम निर्मित किया गया तथा टॉयलेट्स का पुनर्निर्माण किया जा रहा है।

2. आधारभूत सह परिचयात्मक प्रशिक्षण

लोक सेवा आयोग से चयनित नवनि्युक्त नियमित एवं संविदा चिकित्सा अधिकारियों को 04 सप्ताह का आधारभूत सह परिचयात्मक प्रशिक्षण आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी भोपाल, में प्रदान किया गया है। प्रशिक्षण के प्रथम चरण में प्रशासन अकादमी भोपाल में प्रशासकीय वित्तीय एवं वैधानिक नियम तथा प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी प्रदान की गई है। समस्त राष्ट्रीय कार्यक्रम, मेडिकोलीगल कार्य, सॉफ्ट स्किल्स, मोटिवेशन आदि विषयों पर विषय विशेषज्ञों द्वारा सत्र लिये गए हैं। प्रशिक्षण के द्वितीय चरण में जिला चिकित्सालय, एम्स भोपाल तथा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय में विभिन्न विशिष्ट विषयों पर हेण्डस ऑन तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। वर्ष 2023-24 में 03 प्रशिक्षण सत्रों में कुल 153 चिकित्सा अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है।



3. सी.पी.एस., पी.जी. डिप्लोमा कोर्स, मुम्बई

प्रदेश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता हेतु 19 संस्थाओं में कॉलेज ऑफ फिजीशियन एण्ड सर्जन, मुम्बई के साथ संबद्धता की गई है ताकि एम.बी.बी.एस. के पश्चात् सेवारत (नियमित / संविदा) तथा ओपन श्रेणी के चिकित्सकों के द्वारा 07 विधाओं में विषय विशेषज्ञता 2 वर्षीय सी.पी.एस. पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम अंतर्गत प्राप्त की जा सके। वर्तमान में प्रदेश के 19 स्वास्थ्य संस्थानों में प्रथम वर्ष (शैक्षणिक सत्र 2021) में 42 एवं द्वितीय वर्ष (शैक्षणिक सत्र 2022-24) में 60 चिकित्सक अध्ययनरत हैं। सी.पी.एस. पी.जी. डिप्लोमा हेतु अभिप्रमाणित संस्थाएं जिला चिकित्सालय भोपाल, सागर, सतना, होशंगाबाद, सीहोर, विदिशा, रतलाम, उज्जैन, मंदसौर, छिन्दवाड़ा, शहडोल, शिवपुरी, बड़वानी, खण्डवा, सिविल अस्पताल रानी दुर्गावती चिकित्सालय जबलपुर, पी.सी. सेठी चिकित्सालय, इंदौर, मानसिक आरोग्य शाला ग्वालियर तथा कमला नेहरू गैस राहत अस्पताल, इंदिरा गांधी अस्पताल, भोपाल हैं।

स्त्री एवं प्रसूति रोग, शिशु रोग, निश्चेतना, पैथोलॉजी एवं बैक्टीरियोलॉजी, मानसिक रोग/साइकेट्रिक मेडिसिन, जनरल मेडिसिन एवं जनरल सर्जरी विषयों में पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित होने से इन अस्पतालों में उन्नत चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता होगी।



4. एन.बी.ई. पोस्ट एम.बी.बी.एस. पी.जी. डिप्लोमा कोर्स

प्रदेश में स्नातकोत्तर चिकित्सकों की उपलब्धता एवं गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सुनिश्चित करने हेतु नेशनल बोर्ड ऑफ एकजामिनेशन्स स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पोस्ट एम.बी.बी.एस. पी.जी. डिप्लोमा कोर्स हेतु निम्नलिखित जिला चिकित्सालयों को संबद्धता प्रदान की गई है।

S.N.	NBEMS Accredited Institution/Hospital	Specialty	No. of Seats accredited by NBEMS
Post MBBS PG Diploma course (Session 2022-24)			
1.	DH, Gwalior	OBGY	2
2.	DH, Sagar	Family Medicine	2
3.	DH, Sagar	Ophthalmology	2
4.	DH, Sagar	Pediatrics	2
5.	DH, Jabalpur	Ophthalmology	1
6.	DH, Jabalpur	Pediatrics	1
7.	DH, Satna	OBGY	2
8.	DH, Vidisha	OBGY	2

9	DH Vidisha	DA	2
10	DH Ujjain	ENT	1
11	DH Ujjain	OBCY	2
12	DH Ujjain	Ophthalmology	2
13	DH Sehore	Anesthesiology	2
14	DH Sehore	OBCY	2
15	DH Guna	Pediatrics	2
16	DH Morena	OBCY	2
17	DH Rewa	Pediatrics	2
18	DH Bhopal	DRD	2
19	DH RATLAM	Fam. Med	2
20	DH RATLAM	Anesthesiology	2
21	DH RATLAM	OBCY	2
Total Post MBBS PG Diploma course Seats			39

शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए विभाग द्वारा स्नातकोत्तर विषयों में कुल 39 सीटों में राज्य स्तरीय कोटे की 16 सीटों हेतु काउंसलिंग के द्वारा 13 एवं अखिल भारतीय कोटे से 16 अभ्यर्थियों द्वारा पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया गया।

5. पोस्ट एम.बी.बी.एस., डी.एन.बी. पी.जी. कोर्स

प्रदेश में स्नातकोत्तर चिकित्सकों की उपलब्धता एवं गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सुनिश्चित करने हेतु नेशनल बोर्ड ऑफ एक्जामिनेशन्स, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित पोस्ट एम.बी.बी.एस., डी.एन.बी. पी.जी. कोर्स जिला चिकित्सालय भोपाल में फैमिली मेडिसिन विधा में संचालित किया जा रहा है। उक्त पाठ्यक्रम हेतु शैक्षणिक सत्र 2023-26 के लिए विभाग द्वारा स्नातकोत्तर विषय में कुल 02 सीटों में अखिल भारतीय कोटे से 01 अभ्यर्थी द्वारा पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया गया है।

6. मेडिकल एवं नर्सिंग ऑफिसर्स हेतु विशिष्ट विधाओं में प्रशिक्षण

“Patient Safety & Communication” विषय पर 03 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण के 03 बैचों में 85 विभागीय मेडिकल ऑफिसर्स को प्रशिक्षित किया गया।



7. पोस्ट ग्रेज्यूएट डिप्लोमा इन पब्लिक हेल्थ मनेजमेंट (PGDPIM) एवं माॅस्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ (MPH)

प्रशासकीय क्षमताओं के विकास हेतु वर्ष 2023-24/25 में आई.आई.पी.एच. नई दिल्ली द्वारा संचालित 01 वर्षीय PGDPIM पाठ्यक्रम हेतु 02 चिकित्सकों के एवं 02 वर्षीय MPH पाठ्यक्रम हेतु 02 चिकित्सक एवं नर्सिंग ऑफिसर के नामांकन किये गये हैं।

8. डिप्लोमा इन हेल्थ प्रमोशन एजुकेशन (DHPE) एवं पोस्ट ग्रेज्यूएट डिप्लोमा इन कम्युनिटी हेल्थ केयर (PGDCHC)

प्रशासकीय क्षमताओं के विकास हेतु एन.आई.पी.एच.टी.आर. मुम्बई द्वारा संचालित 01 वर्षीय DHPE में 07 & PG-DCHC पाठ्यक्रम हेतु प्रदेश से 8 नर्सिंग ऑफिसर/ए.एन.एम./फार्मासिस्ट को नामांकित किया गया है।

9. Fundamentals in Abdominopelvic Ultrasonography Training Level-1 for MBBS Doctors

छ: मासिक प्रशिक्षण दिनांक 01 सितम्बर 2023 से प्रदेश के 06 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के रेडियो डायग्नोसिस विभाग में प्रारंभ किया गया, जिसमें कुल 45 चिकित्सा अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण लिया जा रहा है।

10. District Residency Programme (DRP)

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम 1956 के अंतर्गत समस्त चिकित्सा महाविद्यालयों/संस्थानों में एम.डी./एम.एस. में अध्ययनरत सभी स्नातकोत्तर छात्र पाठ्यक्रम कॅरिक्यूलम के एक भाग के रूप में जिला चिकित्सालय/जिला स्वास्थ्य प्रणाली में 3 महीने का एक अनिवार्य रोटेशन जिला रेसिडेंसी कार्यक्रम के अंतर्गत करेंगे। यह रोटेशन स्नातकोत्तर कार्यक्रम के तीसरे या चौथे या पांचवे सेमेस्टर में होगा।

जिला रेसिडेंसी कार्यक्रम देश में सर्वप्रथम मध्यप्रदेश द्वारा दिनांक 01 अप्रैल 2023 से चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया है। वर्ष 2023-24 में जिला रेसिडेंसी कार्यक्रम के 04 बैचों में कुल 1040 छात्र चिकित्सकों की पोस्टिंग जिला चिकित्सालयों में की गई। जिला चिकित्सालय आवंटन की प्रक्रिया को पारदर्शी करने हेतु विभाग द्वारा DARPAN - District Allocation tool for Residency Program & Need Assessment Software को निर्मित किया गया है।

11. **Outreach ANMs** हेतु 15 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किया गया। प्रदेश में कार्यरत लगभग 16000 मैदानी ए.एन.एम. हेतु प्रशिक्षण माह जनवरी 2024 से चरणबद्ध तरीके से प्रारम्भ किया जाएगा

12. **State Center of Excellence for Training** प्रदेश में स्वास्थ्यकर्मियों की गुणवत्ता एवं दक्षता में वृद्धि करने के उद्देश्य से भोपाल में राज्य स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र (State Center of Excellence for Training) का निर्माण किया जाना है, जिसकी स्वीकृति वार्षिक कार्ययोजना (PIP) वर्ष 2022-24 में ली गई है।

13. **Skill Enhancement & Administrative Training of Health Professionals at National**

Institute of Health and Family Welfare, New Delhi प्रदेश में स्वास्थ्यकर्मियों की गुणवत्ता एवं दक्षता में वृद्धि करने के उद्देश्य से संस्थान द्वारा आयोजित विभिन्न प्रशिक्षणों में विभागीय अधिकारियों, राज्य सलाहकारों, नर्सिंग ऑफिसर्स एवं डीपीएम को नामांकित किया गया है।

14. **Management Development Program on Hospital Management by IIHMR Jaipur at Kochi, Kerala IIHMR Jaipur** द्वारा आयोजित 05 दिवसीय आवासीय Management Development Program on Hospital Management में 03 विभागीय अधिकारियों को नामांकित किया गया।

15. **NPC Gujarat** द्वारा आयोजित 05 दिवसीय आवासीय Productivity Improvement through Team Building & Effective Communication प्रशिक्षण में 01 विभागीय कर्मचारी को नामांकित किया गया।

16. **UNFPA** के सहयोग से Gender based Violence and Medicolegal Care for Survivors/Victims of Sexual Violence विषय पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के 03 बैच में कुल 71 चिकित्सा अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया।



उपकरण रख रखाव एवं प्रबंधन तंत्र

(E.M.M.S - Equipment Maintenance and Management System)

मध्यप्रदेश शासन अंतर्गत शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में रोगियों की जांच हेतु उपलब्ध बायो मेडिकल उपकरणों का रख-रखाव अनुबंधित एजेन्सी द्वारा किया जा रहा है। प्रदेश स्तरीय ई.एम.एम.एस (Equipment Maintenance and Management System) सॉफ्टवेयर के माध्यम से अनुबंधित एजेन्सी द्वारा किए जा रहे कार्य का निरंतर पर्यवेक्षण कर निर्बाध सेवा सुनिश्चित की जा रही है। प्रदेश की विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाओं में लगभग 79,184 बायो मेडिकल उपकरण उपलब्ध हैं। संबंधित एजेन्सी के साथ CMC (Comprehensive Maintenance Contract) संपादित कर, उपकरणों का नियमित रख-रखाव व यथा शीघ्र सुधार सुनिश्चित किया जा रहा है।

उक्त व्यवस्था अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में माह अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक की जिलेवार उपलब्धि निम्नानुसार है:-

EMMS EQUIPMENT MANAGEMENT & MAINTENANCE SYSTEM (01.04.2023- 31.03.2024)								
S.No.	District Name	Total Equip-ment	Com-plaint Call In	Total Close Com-plaint	Pending Call	Not Repair-able	"Close Com-plaint (%)"	"Not Repair-able (%)"
1	आगर	822	242	242	0	3	100	0.36
2	अलीराजपुर	885	217	215	2	4	99	0.45
3	अनूपपुर	830	264	262	2	9	99	1.08
4	अशोकनगर	1286	201	194	7	86	97	6.69
5	बड़वानी	1541	450	446	4	9	99	0.58
6	बालाघाट	2116	549	541	8	33	99	1.56
7	बैतूल	1934	971	962	9	68	99	3.52
8	भिंड	1546	655	649	6	11	99	0.71
9	भोपाल	3074	1272	1262	10	176	99	5.73
10	बुरहानपुर	722	498	496	2	36	100	4.99
11	छतरपुर	1804	740	731	9	44	99	2.44
12	छिंदवाड़ा	2047	645	633	12	67	98	3.27
13	दमोह	1690	345	343	2	6	99	0.36
14	दतिया	1027	424	422	2	2	100	0.19
15	देवास	1783	508	501	7	12	99	0.67
16	धार	3035	707	705	2	46	100	1.52
17	डिंडोरी	819	112	111	1	10	99	1.22
18	गुना	1516	846	827	19	76	98	5.01
19	ग्वालियर	1768	653	647	6	21	99	1.19
20	हरदा	1158	425	422	3	37	99	3.2
21	होशंगाबाद	1483	736	734	2	54	100	3.64
22	इंदौर	2834	674	668	6	44	99	1.55

23	जबलपुर	1630	665	661	4	37	99	2.27
24	झाबुआ	1020	456	456	0	33	100	3.24
25	कटनी	1241	356	355	1	24	100	1.93
26	खंडवा	1516	504	501	3	48	99	3.17
27	खरगोन	1666	667	664	3	33	100	1.98
28	मंडला	1089	258	256	2	14	99	1.29
29	मन्दसौर	1362	478	467	11	13	98	0.95
30	मुरैना	1847	664	663	1	26	100	1.41
31	नरसिंहपुर	1355	357	355	2	8	99	0.59
32	नीमच	1297	245	242	3	4	99	0.31
33	पन्ना	976	448	444	4	59	99	6.05
34	रायसेन	2139	746	737	9	113	99	5.28
35	राजगढ़	2279	949	947	2	134	100	5.88
36	रतलाम	1461	915	889	26	27	97	1.85
37	रीवा	2555	407	404	3	36	99	1.41
38	सागर	1987	599	591	8	9	99	0.45
39	सतना	1705	383	377	6	34	98	1.99
40	सीहोर	2107	800	797	3	106	100	5.03
41	सिवनी	1700	595	587	8	32	99	1.88
42	शाहडोल	1259	476	475	1	8	100	0.64
43	शाजापुर	967	340	335	5	9	99	0.93
44	श्यामपुर	1016	345	343	2	9	99	0.89
45	शिवपुरी	1627	387	382	5	14	99	0.86
46	सीधी	930	264	263	1	32	100	3.44
47	सिंगरौली	1052	337	333	4	23	99	2.19
48	टीकमगढ़	1584	429	419	10	10	98	0.63
49	उज्जैन	1964	470	466	4	20	99	1.02
50	उमरिया	729	213	211	2	3	99	0.41
51	विदिशा	1599	493	489	4	15	99	0.94
Total		79184	26380	26122	258	1320	99	0

सी.टी. स्कैन जांच सुविधा

विभाग द्वारा जनमानस को नवीनतम व उच्च रेडियो ग्राफिक नैदानिक सेवाएँ प्रदान करने हेतु वर्ष 2018 से पी.पी.पी. मॉडल अंतर्गत अनुबंधित सेवा प्रदाताओं के माध्यम से सार्वजनिक निजी भागीदारी प्रणाली अंतर्गत सी.टी. स्कैन सेवाएँ प्रदान की जा रही हैं। संचालित सेवा कि अद्यतन जानकारी अनुसार कुल 52 जिलों के 50 शासकीय जिला चिकित्सालयों व 03 चिन्हित सिविल अस्पतालों में निरंतर सी.टी. स्कैन सेवाएँ प्रदान की जा रही है। उक्त सेवा बी.पी.एल, दीन दयाल योजना एवं आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत पात्र हितग्राहियों हेतु निःशुल्क तथा ए.पी.एल (गरीबी रेखा से ऊपर) रोगियों हेतु न्यूनतम अनुबंधित दरों पर निर्बाध उपलब्ध करायी जा रही है। प्रतिमाह औसतन 980 सी.टी. स्कैन प्रति संस्था किए जा रहे हैं।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में माह अप्रैल 2023 से दिसम्बर 2023 तक किए गए कुल सी.टी. स्कैन की जिलेवार अद्यतन जानकारी निम्नानुसार है -

सी.टी स्कैन रिपोर्ट (अप्रैल 2023 से मार्च 2024)				
क्र	जिला चिकित्सालय / सिविल हॉस्पिटल का नाम	सी.टी स्कैन की संख्या		कुल स्कैन संख्या
		बी.पी.एल. / दीनदयाल / आयुष्मान	ए.पी.एल.	
1	आगर	6244	3739	9983
2	अलीराजपुर	15616	1266	16882
3	अनूपपुर	12493	2198	14691
4	अशोकनगर	22895	3462	26357
5	बड़वानी	15191	1444	16635
6	बालाघाट	10090	1706	11796
7	बैतूल	10216	2236	12452
8	भिंड	10299	890	11189
9	भोपाल	3665	813	4478
10	बुरहानपुर	14259	1116	15375
11	छतरपुर	13186	2134	15320
12	छिंदवाड़ा	13362	1541	14903
13	दमोह	6845	1765	8610
14	दतिया	10544	1558	12102
15	देवास	14506	2426	16932
16	घार	3497	1421	4918
17	डिंडोरी	12528	956	13484
18	गुना	11064	2162	13226
19	ग्वालियर	6851	2144	8995
20	हरदा	8986	78	9064
21	होशंगाबाद	14686	2002	16688

22	पीसी सेठी - CH (इंदौर)	0	54	54
23	जबलपुर	4826	1873	6699
24	झाबुआ	7139	1208	8347
25	कटनी	10567	1305	11872
26	खंडवा	13855	1276	15131
27	खरगोन	10545	1481	12026
28	मंडला	4956	607	5563
29	मन्दसौर	11056	623	11679
30	मुरैना	4419	1615	6034
31	नरसिंहपुर	17831	985	18816
32	नीमच	8444	1154	9598
33	पन्ना	7159	1563	8722
34	रायसेन	22179	1909	24088
35	राजगढ़	12665	1369	14034
36	रतलाम	22043	1394	23437
37	रीवा	3888	627	4515
38	सागर	3042	1221	4263
39	सतना	11979	2858	14837
40	आष्टा - CH (सीहोर)	9013	716	9729
41	नसरुल्लागंज - CH (सीहोर)	7798	1000	8798
42	सीहोर	9624	2136	11760
43	सिवनी	10965	2389	13354
44	शाहडोल	13925	3377	17302
45	शाजापुर	2118	1851	3969
46	श्यामपुर	7307	1857	9164
47	शिवपुरी	9468	907	10375
48	सीधी	4839	548	5387
49	सिंगरौली	7265	4196	11461
50	टीकमगढ़	7907	3389	11296
51	उज्जैन	7942	1516	9458
52	उमरिया	14465	1351	15816
53	विदिशा	19241	2514	21755
कुल स्कैन संख्या		545493	87926	633419

चिकित्सा प्रतिपूर्ति

विभाग द्वारा प्रदेश के समस्त शासकीय कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों के चिकित्सा उपचार पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति संबंधी प्रक्रियाओं का सरलीकरण हेतु दिनांक 03.08.2022 को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्चा) नियम 1958 को निरसित करते हुए नवीन “मध्यप्रदेश सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्चा) नियम 2022 की गई है। उक्त नियमों के तहत शासकीय कर्मचारियों के हितलाभ को दृष्टिगत रखते हुए चिकित्सीय उपचार तथा नैदानिक सेवाओं को विस्तारित करते हुए सेन्ट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (CGHS) के भोपाल शहर हेतु निर्धारित पैकेज अनुसार एकरूप किया गया है।

नवीन नियम अंतर्गत शासकीय कर्मचारियों एवं उनकी आश्रितों के चिकित्सीय व्यय एवं प्रतिपूर्ति हेतु प्रासंगिक बिन्दुओं को सम्मिलित किया गया है जैसे चिकित्सा/शल्य चिकित्सा सुविधाओं में दंत विज्ञान (Dentistry) पैथोलॉजी विज्ञान (Pa-thology) जीवाणु विज्ञान (Bacteriology) विकिरण चिकित्सात्मक विज्ञान (Radiology) को सम्मिलित करने के साथ-साथ शासकीय कर्मचारियों के लिए बांझपन हेतु गर्भधारणपूर्व उपचार (Pre- conception Infertility Treatment) को सम्मिलित किया गया है।

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्चा) नियम 2022 अंतर्गत बाह्य रोगी उपचार पर उपगत व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु चिकित्सीय देयकों के भुगतान हेतु विकेन्द्रीकृत अधिकार शासकीय कर्मचारी के नियंत्रणकर्ता अधिकारी एवं सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक स्तर पर दी गई है एवं भुगतान की स्वीकृत सीमा में वृद्धि की गई है ताकि शासकीय कर्मचारियों के चिकित्सीय प्रतिपूर्ति देयकों के भुगतान संबंधी प्रकरणों का त्वरित निराकरण हो सके। आपातकालीन चिकित्सीय अवस्था में एयर एम्बुलेन्स में प्रभारित व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए प्रावधान तय किया गया है। शासकीय कर्मचारियों के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति की सुगमता हेतु स्वीकृति हेतु अधिकारों का विकेन्द्रीकरण निम्नानुसार किया गया है -

देयक का प्रकार	विवरण	स्वीकृति की प्रक्रिया	स्वीकृति अधिकारी
अंतर्वासी रोगी के उपचार पर उपागत व्यय (IPD Expenditure Bills)	1. राज्य के भीतर राज्य सरकार/केंद्र सरकार/सामुदायिक क्षेत्र के उपकरण/संसाधन शासन द्वारा स्थापित चिकित्सालयों में उपचार संबंधी चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयक	सिबिल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक की अनुमति अनुसार [नियम 11(1) अनुसार]	नियंत्रणकर्ता अधिकारी
	2. राज्य के भीतर एम्बेल्ड निजी चिकित्सालयों के (डिफिन्ट रोगी के लिए) चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयक	क्षेत्रीय समिति की अनुमति अनुसार [नियम 11(2) अनुसार] (क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं - कम्प्लेक्स एवं संघीय मुख्यालयीन शिफ्ट के सिबिल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक - सदस्य सहित)	नियंत्रणकर्ता अधिकारी
	3. राज्य के बाहर एम्बेल्ड निजी चिकित्सालयों समीप चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयक	संघीय समिति की अनुमति अनुसार [नियम 11(3) अनुसार] (संघीय मुख्यालयीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के अधिष्ठाता - कम्प्लेक्स एवं क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं - सदस्य सहित)	नियंत्रणकर्ता अधिकारी
	4. राज्य के भीतर अथवा बाहर नॉन-एम्बेल्ड निजी चिकित्सालय में आपातकालीन चिकित्सकीय अवस्था में उपचार संबंधी चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयक	देयक दावा मूल्य यदि रु. 5 लाख से कम होने पर - संघीय समिति की अनुमति अनुसार [नियम 11(4) अनुसार] (संघीय मुख्यालयीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के अधिष्ठाता - कम्प्लेक्स एवं क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं - सदस्य सहित)	नियंत्रणकर्ता अधिकारी
	5. राज्य के भीतर अथवा बाहर नॉन-एम्बेल्ड निजी चिकित्सालय में आपातकालीन चिकित्सकीय अवस्था में उपचार संबंधी चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयक	देयक दावा मूल्य यदि रु. 5 लाख से अधिक किन्तु रु. 20 लाख से कम होने पर - राज्य स्तरीय समिति की अनुमति अनुसार [नियम 11(4) अनुसार] (संचालक स्वास्थ्य सेवाएं - कम्प्लेक्स एवं संचालक चिकित्सा शिफ्ट - सदस्य सहित)	नियंत्रणकर्ता अधिकारी

- मार्च 2024 की स्थिति में शासकीय कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों के जांच/उपचार हेतु राज्य के भीतर वर्तमान में 75 निजी चिकित्सालयों को सूचीबद्धकरण किया गया है।
- राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में 70 अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है।
- वर्ष 2023-24 में शासकीय अधिकारी/कर्मचारियों एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों के 64 चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत प्रदान किया गया।

राज्य रक्ताधान परिषद एवं ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेस

पृष्ठभूमि - याचिका क्रमांक 51/1992 (कॉमन काज विरुद्ध भारत सरकार एवं अन्य) में माननीय सुप्रीम कोर्ट आदेश के दिनांक 04/01/1996 के पालन में स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउन्सिल का गठन दिनांक 15/10/1996 को मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (सन् 1973 का क्रमांक 44) के अंतर्गत एक पंजीकृत निकाय (बाडी कापोरिट) के रूप में किया गया है।

मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-2/96/55/चिशि/3 दिनांक 12/09/1996 से राज्य शासन माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्णय के परिपालन में स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउन्सिल (राज्य रक्ताधान परिषद) का गठन किया गया है। परिषद का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण मध्यप्रदेश है।

संरचना- मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 10-11/2020/सत्रह/मेडि-2 दिनांक 28.09.2020 द्वारा राज्य रक्ताधान परिषद के सुचारु संचालन हेतु साधारण सभा एवं कार्यकारिणी समिति का पुनर्गठन निम्नानुसार किया है:-

1. **साधारण सभा**- प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में किया गया है।
2. **कार्यकारिणी समिति**- आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश की अध्यक्षता में किया गया है।
3. **उप समिति**- संचालक, राज्य रक्ताधान परिषद, मध्यप्रदेश की अध्यक्षता में किया गया है।

परिषद के मुख्य उद्देश्य :-

- स्वैच्छिक रक्तदान द्वारा रक्त एकत्रीकरण तथा इस दिशा में जन संचार, सूचना-शिक्षा इत्यादि के माध्यम से सामाजिक प्रेरणा की दिशा में प्रयास तथा व्यावसायिक रक्त अर्जन की समाप्ति।
- प्रदेश को रक्तकोष सेवाओं का बहुमुखी/बहुउद्देशीय उन्नयन एवं सुदृढीकरण, नोडल रक्त केन्द्रों तथा ब्लड कम्पोनेंट सेपरेशन केन्द्रों की स्थापना।
- रक्त के यथोचित उपयोग का प्रोत्साहन
- रक्तकोष सेवाओं हेतु मानव संसाधन का विकास।
- रक्ताधान क्षेत्र में शोध एवं विस्तार।
- राष्ट्रीय रक्ताधान परिषद के मार्गदर्शन/अनुशंसाओं अनुसार प्रदेश में रक्त कार्यक्रम का क्रियान्वयन।
- परिषद के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शुल्क दान अथवा अनुदान प्राप्त करना।
- प्रदेश के समस्त ब्लड बैंक्स के लिए प्रोसेसिंग शुल्क का निर्धारण।
- स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करना जिससे कि अस्पताल में आने वाले सभी मरीजों को बिना रिफ्लेसमेंट के रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।
- रक्त की सुगमता पूर्वक उपलब्धता हेतु नवीन ब्लड सेंटर एवं ब्लड स्टोरेज यूनिट स्थापित करने के प्रयास करना।
- प्रदेश के समस्त स्वयंसेवी संस्था/परमार्थ संस्था के नये रक्तकोष, ब्लड कम्पोनेंट सेपरेशन यूनिट एवं एफरेसिस सेंटर के लायसेन्स/नवीनीकरण एवं रक्तदान शिविर आयोजित के प्रकरण/आवेदनों का परीक्षण किया जाकर अनुमोदन प्रदान करना।
- प्रदेश के शासकीय ब्लड सेंटर एण्ड ब्लड कम्पोनेंट सेपरेशन यूनिट द्वारा उत्पन्न अतिरिक्त प्लाज्मा प्रोडक्ट्स के निष्पादन की अनुमति प्रदान करना।
- केन्द्र शासन (नॉको) से प्राप्त अनुदान अनुसार- नॉको सपोर्टेड ब्लड सेंटर को स्वैच्छिक रक्तदान कैम्प, रक्तदान दिवस,

स्वैच्छिक रक्तदान सम्बंधी प्रचार-प्रसार (आईईसी) एवं रक्तदाता के जलपान (Donor Refreshment) के लिए राशि का आवंटन करना।

औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम 1945 के (संशोधन 2020) के अनुसार ब्लड बैंक को ब्लड सेंटर के नाम से प्रतिस्थापित किया गया है। उक्त नियमानुसार लाइसेंस प्राप्त वर्तमान में प्रदेश में कुल 172 ब्लड सेंटर स्वीकृत हैं संस्थावार ब्लड सेंटर्स का विवरण निम्नानुसार है :-

स.क्र.	संस्था का नाम/प्रकार	ब्लड सेंटर्स की संख्या	ब्लड कम्पोनेंट सेपरेशन सुविधा
1.	जिला चिकित्सालय-	49	13
2.	सिविल अस्पताल- डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इटारसी जिला नर्मदापुरम, रानी दुर्गावती, जबलपुर, खुरई जिला सागर एवं इंदिरा गांधी गैस राहत अस्पताल, भोपाल।	04	02
3.	शासकीय मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल- इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, शिवपुरी एवं रतलाम।	07	07
4.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), भोपाल	01	01
5.	भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, भोपाल	01	01
6.	भारत सरकार के अन्तर्गत अस्पताल-	04	00
7.	इंडियन रेडक्रास सोसायटी- भोपाल, डबरा (ग्वालियर), कम्पू (ग्वालियर), सिंगरौली, महु (इंदौर), इंदौर, देवास	07	03
8.	52-स्वैच्छिक संगठन या चेरिटेबल ट्रस्ट, 35-प्रायवेट हॉस्पिटल ब्लड सेंटर एवं 12-अन्य ब्लड सेंटर	99	72
		172	99

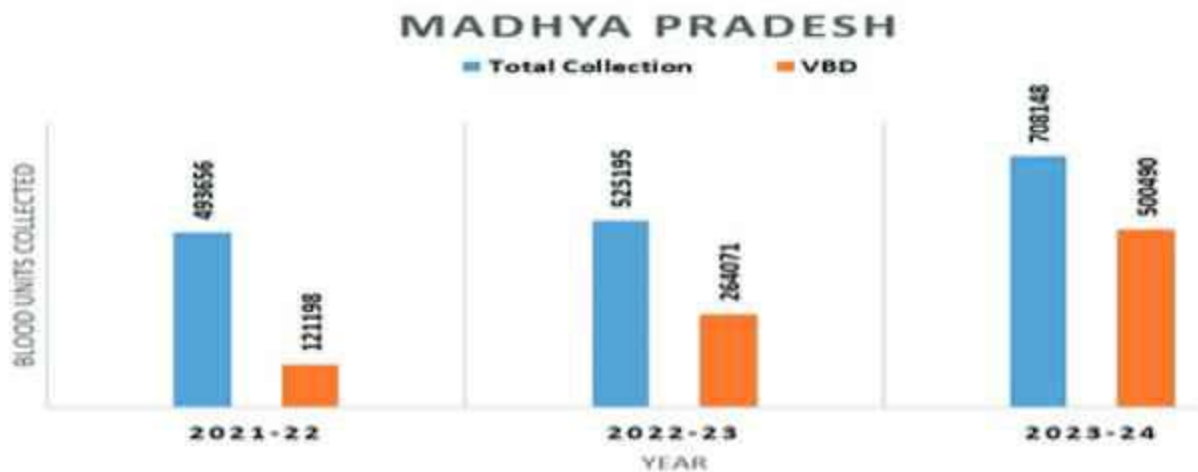
नोट :- सिंगरौली एवं इंदौर जिला चिकित्सालय में नवीन ब्लड सेंटर स्थापित करने की कार्यवाही प्रचलन में है।

उपलब्धियां

1. प्रदेश के 66 शासकीय ब्लड सेंटरों में से 49 जिला चिकित्सालयों में ब्लड सेंटर की सुविधा उपलब्ध है। जिसमें से 07 चिकित्सा महाविद्यालयों, 13 जिला चिकित्सालयों यथा छिन्दवाड़ा, सतना, शहडोल, सागर, उज्जैन, मुरैना, मंदसौर, रतलाम, जबलपुर, खण्डवा, खरगोन, गुना एवं दतिया में ब्लड कम्पोनेंट सेपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा 2-सिविल अस्पतालों रानी दुर्गावती, जबलपुर एवं इंदिरा गांधी गैस राहत चिकित्सालय भोपाल में भी यह सुविधा उपलब्ध है।
2. वर्ष 2023 में सिविल अस्पताल खुरई जिला सागर ब्लड सेंटर की सुविधा उपलब्ध कराई गई है एवं शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल जिला रतलाम में ब्लड सेंटर एण्ड ब्लड कम्पोनेंट सेपरेशन यूनिट की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
3. वर्ष 2023-24 में प्रदेश के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों, जिला चिकित्सालयों, सिविल अस्पतालों एवं इंडियन रेडक्रास सोसायटी के ब्लड सेंटरों जिलों को 6,15,000 यूनिट्स रक्त संग्रहण एवं स्वैच्छिक रक्तदान शिविर द्वारा 4,61,250 यूनिट रक्त संग्रहण का लक्ष्य दिया गया है।
4. वर्ष 2023 में ई-रक्तकोष पोर्टल से जानकारी अनुसार 168-ब्लड सेंटरों (शासकीय, अर्द्धशासकीय, स्वैच्छिक/चेरिटेबल ट्रस्ट संगठन, प्रायवेट हॉस्पिटल एवं अन्य ब्लड सेंटरों) में 7,08,148 यूनिट्स रक्त का कलेक्शन किया गया है जिसमें

से स्वैच्छिक रक्तदान शिविरों द्वारा कुल 5,00,490 यूनिट्स रक्त एकत्रित किया गया। जिसकी जानकारी निम्नानुसार है -

Name of Blood Centres	1 April 2023 to 31 March 2024							
	Total No. of Blood Units Collection	Total No. of Voluntary Blood Donation Collection	Collected via Camp BCTV Van	VBD %	Collected via Replacement	Issued to Pregnant woman	Issued to Thalassemia	Issued to Sickle patients
Disitric& Civil Hospital	3,00,117	1,97,959	64,119	87.33	1,02,158	71,051	20,501	8,835
Govt. Medical College	1,10,702	84,122	22,201	96.04	20,580	24,775	4,240	643
Central Govt. & IRCS	36,265	20,199	3,088	64.21	16,066	3,143	2,231	483
Non Govt. BloodCentres (Voluntary or Charitable Organization/ Private Hospital & 12 Other Blood Centers)	2,61,064	1,08,231	571	41.68	1,52,833	33,285	11,630	2383
Total	7,08,148	4,10,511	89,979	70.68	2,91,637	1,32,254	38,602	12,344



5. वर्ष 2023-24 में प्रदेश के समस्त गर्भवती महिलाओं को 1,32,254 यूनिट रक्त बिना किसी प्रोसेसिंग चार्ज के निःशुल्क एवं रिप्लेसमेंट फ्री रक्त उपलब्ध कराया गया। गर्भवती महिलाओं के लिए रिप्लेसमेंट फ्री रक्त उपलब्ध कराने के लिए अधिक से अधिक स्वैच्छिक रक्तदान शिविरों का आयोजन कर 75 प्रतिशत रक्त की आपूर्ति स्वैच्छिक रक्तदान से की गई है।
6. वर्ष 2023-24 में प्रदेश के समस्त ब्लड सेंटरों द्वारा थैलेसिमिया के मरीजों को 38,602 यूनिट रक्त एवं सिकलसेल एनीमिया के मरीजों को 12,344 यूनिट रक्त बिना किसी प्रोसेसिंग चार्ज के निःशुल्क एवं रिप्लेसमेंट फ्री रक्त उपलब्ध कराया गया।
7. प्रत्येक जिले में ब्लॉक एवं ग्राम स्तर पर दूरस्थ इलाकों में आमजन में रक्तदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु आवश्यक उपकरणों से सुसज्जित 52 ब्लड कलेक्शन ट्रांसपोर्टेशन वैन की सुविधा 4-चिकित्सा महाविद्यालयों एवं 48-जिला चिकित्सालयों में उपलब्ध कराई गई। ब्लड कलेक्शन ट्रांसपोर्टेशन वैन के माध्यम से स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित कर 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक 86,320 रक्त यूनिट एकत्रित किया गया है।
8. सिकल सेल एनीमिया एवं थैलेसिमिया के मरीजों में निरंतर रक्ताधान से फैलने वाली बिमारियों जैसे- एच.आई.वी. हेपाटाइटिस-बी एवं हेपाटाइटिस-सी के संक्रमण के खतरे को कम करने के लिए उच्च तकनीकी (NAT Testing) पद्धति से जांच कर सुरक्षित रक्ताधान की सुविधा हब एण्ड स्पोक मॉडल से भोपाल संभाग एवं इंदौर संभाग के जिलों में उपलब्ध कराई जा रही है। उच्च तकनीकी (NAT Testing) जांच कर 01 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक कुल 97,367 यूनिट रक्त परीक्षण किया जाकर सिकल सेल एनीमिया एवं थैलेसिमिया के मरीजों को उपलब्ध कराया गया।
9. वर्ष 2023 में ई-रक्तकोष पोर्टल से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रदेश में ब्लड सेंटरों में की गई जांचों में स्क्रीन पॉजिटिव पाये गये हेपेटाइटिस-बी 6454, हेपेटाइटिस-सी 869 एवं एचआईवी 668 के व्यक्तियों को परामर्श/उपचार हेतु जिला चिकित्सालय परामर्श उपचार केन्द्रों में रेफर किया गया।
10. प्रदेश के समस्त शासकीय अस्पतालों में भर्ती होने वाले समस्त श्रेणी के मरीजों को बिना किसी प्रोसेसिंग चार्ज के निःशुल्क रक्त उपलब्ध कराया जा रहा है।
11. प्रदेश के समस्त ब्लड सेंटर अधिकारियों की समय-समय पर प्रशिक्षण एवं समीक्षा ब्लड सेंटर की सुविधाओं का सुदृढीकरण किया जा रहा है।
12. प्रदेश में समस्त एनीमिया से ग्रस्ति गर्भवती महिलाओं एवं सिकल सेल एनीमिया, हीमोफिलिया के मरीजों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में ही निःशुल्क रक्ताधान की सुविधा ब्लॉक स्तर पर 138 ब्लड स्टोरेज यूनिट को चिन्हित कर 117 को अनुमोदन (लाइसेंस) कार्यालय नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन, भोपाल से प्राप्त किया जा चुका है।
13. राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरों में स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने हेतु “आयुष्मान भवः” अभियान गतिविधि सेवा पखवाड़ा का आयोजन दिनांक 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2023 तक चलाकर विशाल रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। जिसमें रक्तदान शिविरों में प्रतिभागी डोनर्स का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन पोर्टल से किये गये। “आयुष्मान भवः” अभियान कुल 639 स्वैच्छिक रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया और 20325 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया और प्रमाण पत्र प्राप्त किए।
14. प्रदेश के 37 शासकीय ब्लड सेंटरों में ब्लड कम्पोनेंट सेपरेशन सुविधा, टी.टी.आई. जांच एवं क्रॉस मैचिंग की सुविधा उच्च तकनीकी उपकरणों के माध्यम से उपलब्ध कराने, ब्लड कलेक्शन ट्रांसपोर्टेशन वैन के संचालन एवं मॉनिटरिंग, आर.एफ. आई.डी. सिस्टम एवं बीबीएमआईएस की व्यवस्था आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से प्रथम चरण में 19-ब्लड सेंटरों में ऑटोमेशन ऑफ़ ब्लड बैंकिंग प्रोजेक्ट का संचालन किया जा रहा है एवं द्वितीय चरण में शेष 18 ब्लड सेंटरों में नवीन ब्लड कम्पोनेंट सेपरेशन यूनिट स्थापित कर ऑटोमेशन प्रोजेक्ट का संचालन किये जाने की प्रक्रिया प्रचलन में है।



लैब सुदृढीकरण कार्यक्रम (निःशुल्क पैथोलॉजी जांच योजना)

प्रदेश के समस्त शासकीय चिकित्सालयों में माह फरवरी 2013 से मुख्यमंत्री निःशुल्क पैथोलॉजी जांच योजना के अंतर्गत आमजन को निःशुल्क जांच सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। जांच सुविधा के अंतर्गत जांच व्यवस्था को सुदृढ करने हेतु वर्ष 2020 में समस्त जिला चिकित्सालयों तथा सिविल अस्पतालों में PPP (Public Private Partnership) आधारित वेट लीज रिएजेंट रेंटल मॉडल की शुरुआत की गई। इसमें शासन द्वारा आमजन को उच्च गुणवत्ता वाली निःशुल्क जांच सुविधा, मरीज का शीघ्र उपचार, समय की बचत एवं इलाज के खर्च में सहयोग प्रदान किया गया है।



वेट लीज रिएजेंट रेंटल मॉडल के अंतर्गत वर्तमान में प्रदेश के समस्त जिला चिकित्सालयों एवं 35 सिविल अस्पतालों (100 बिस्तर से अधिक) में सेंट्रल पैथालाजी लैब स्थापित कर उच्च तकनीकी फुली ऑटोमेटिक यू.एस.ए.एफ.डी.ए. एप्रूव्ड उपकरणों के माध्यम से उच्च मानक एवं उच्च शुल्क वाली जांचें आमजन को निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस PPP आधारित मॉडल से हितग्राहियों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। उच्च शुल्क वाली जांचें जिनकी उपलब्धता पहले निजी लैब में थी, उन जांचों को अब शासकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। उक्त मॉडल में निम्न उच्च तकनीकी फुली ऑटोमेटिक उपकरणों को पैथोलॉजी लैब में स्थापित किया गया है-

1. Automatic Hematology Analyzer (Sysmex, Japan)
2. Automatic Biochemistry Analyzer (Biosystems, Spain)
3. Automatic Urine Analyzer (YD Diagnostic, South Korea)
4. Automatic Hormone (Immunoassay) Analyzer (Siemens, USA)
5. Automatic Coagulation Analyzer (Stago, France)
6. Automatic HPLC Analyzer (Biorad, USA)



वेट लीज रिएजेंट रेंटल मॉडल की उपलब्धियां

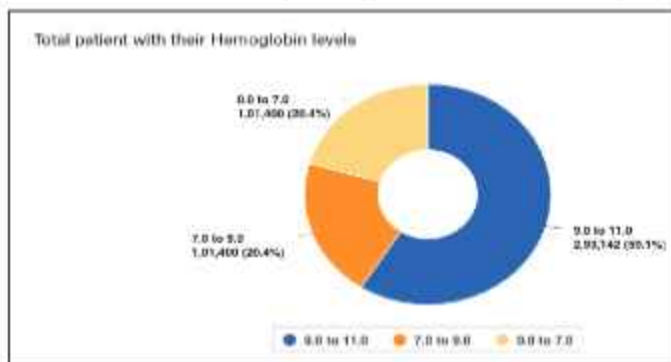
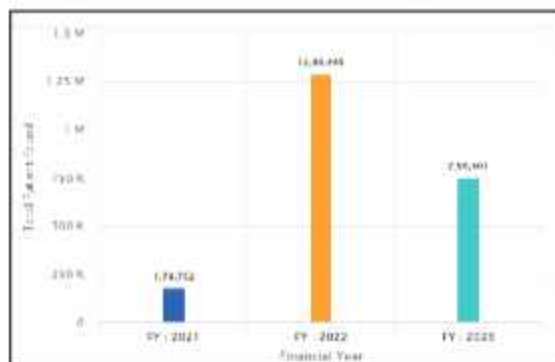
कुल जांच संख्या	2020	2021	2022	2023-24
	209883	4201243	8855998	12136501
कुल हितग्राही संख्या	67468	1337308	3072905	3570106

- वेट लीज रिएजेंट रेंटल मॉडल के माध्यम से समस्त मरीजों को उच्च शुल्क वाली विशेष प्रकार की जांचें जैसे- हार्मोन की जांचें, कैंसर मार्कर, मधूमेह की जांच एवं कोविड-19 के उपचार के लिए आवश्यक जांचें, सी.आर.पी., सीरम फेरिटिन, एल.डी.एच. एवं डी-डायमर इत्यादि निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं।
- समस्त जिलों में सिकिल सेल एनीमिया, थैलेसिमिया एवं अन्य रक्त विकारों की जांच हेतु HPLC जांच सुविधा भी निःशुल्क उपलब्ध कराई गई है।
- प्रदेश के समस्त जिलों के जिला चिकित्सालय एवं 35 सिविल अस्पतालों में की गयी जांचों की निगरानी सेंट्रल डैशबोर्ड के माध्यम से की जा रही है।
- वर्तमान में प्रदेश में मरीजों को जांच रिपोर्ट प्रिन्टेड फॉर्मेट में तथा मोबाइल पर SMS के माध्यम से भी उपलब्ध करायी जा रही हैं।
- वेट लीज रिएजेंट रेंटल मॉडल पैथोलॉजी से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या/ पंजीकरण/शिकायत के लिए कॉल सेंटर टोल फ्री नं. 022-42792157 भी चलाया जा रहा है।
- वित्तीय वर्ष 2023-24 में वेट लीज रिएजेंट रेंटल मॉडल के अंतर्गत लैब सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम में शासन द्वारा लगभग राशि रु. 13,68,8.40 लाख राशि का बजट स्वीकृत किया गया है।
- राज्य स्तर पर इंटीग्रेटेड डैशबोर्ड का संचालन प्रदेश के विभिन्न जिलों में बीमारियों का ट्रेंड भौगोलिक विस्तार एवं भविष्य में आने वाली गंभीर बीमारियों का पूर्वानुमान समय रहते लगाए जाने हेतु किया जा रहा है।

राज्य स्तर पर संचालित इंटीग्रेटेड डैशबोर्ड

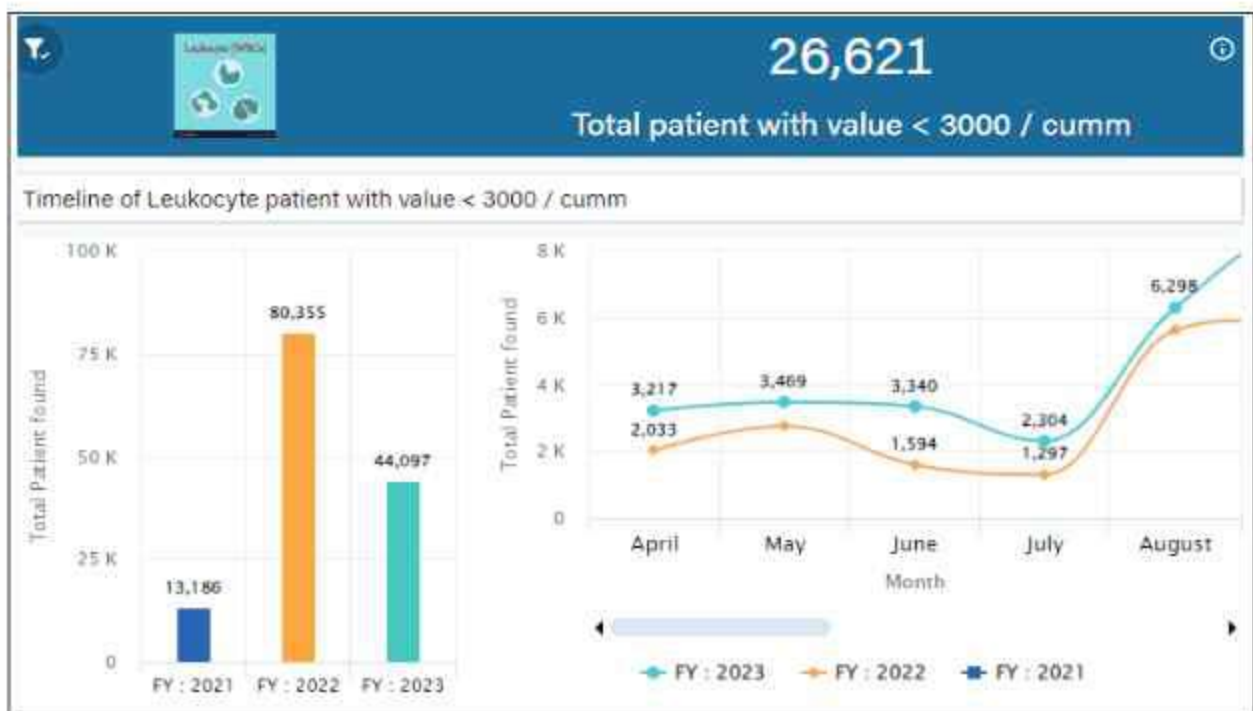
शासकीय चिकित्सालयों में मरीजों की बीमारी के उपचार के लिए उस बीमारी से संबंधित जांचों के प्रमाण के आधार पर ही उपचार शुरू किया जाता है। बीमारी का कारण जानने के लिए विभिन्न प्रकार की पैथोलॉजी जांचें की जाती हैं, की गई जांचों के आधार पर राज्य स्तर पर स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत बनाने हेतु एक इंटीग्रेटेड डैशबोर्ड स्थापित किया गया है, जिसमें रोगों की प्रारम्भिक पहचान एवं निदान के माध्यम से मृत्यु दर, रोग दर इत्यादि को कम करने का कार्य किया जा रहा है जिसमें विभिन्न जन स्वास्थ्य कार्यक्रमों जैसे- NACP, NTEP, NVBDCP, NVHCP, IDSP etc. में की जा रही जांचों को भी निगरानी हेतु सम्मिलित किया गया है।

इंटीग्रेटेड डैशबोर्ड के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न जिलों में बीमारियों का ट्रेंड भौगोलिक विस्तार एवं भविष्य में आने वाली गंभीर बीमारियों का पूर्वानुमान समय रहते लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए जैसे राज्य में कुल हीमोग्लोबिन हेतु की गई जांचों की संख्या के आधार पर एनीमिया से ग्रसित मरीजों को समय पर चिन्हित कर इलाज प्रदान किया जा रहा है।





प्रदेश के जिलों किस माह में किस रोग का ज्यादा फैलाव होता है की जानकारी भी इस इंटीग्रेटेड डैशबोर्ड के माध्यम से लगाई जा रही है, जिसके पश्चात् समय रहते रोकथाम एवं निदान हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा सकती है, जैसे - Dengue जो कि एक मौसमी बीमारी है, एवं वैक्टर जनित है, के लिये पूर्व वर्षों के डाटा को देखकर भाविष्य में संबंधी रोग के संभावित कितने मरीज हो सकते हैं कि जानकारी प्राप्त की जा सकती है।



(B) जिला एकीकृत जन-स्वास्थ्य प्रयोगशाला

भारत सरकार की PM&ABHIM एवं ECRP&II परियोजना के अंतर्गत भारत सरकार की गाइडलाइन अनुसार प्रदेश के 52 जिला अस्पतालों में District Integrated Public Health Laboratory (DIPHL) जिला एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला का चरणबद्ध तरीके से निर्माण कार्य किया जा रहा है। उक्त परियोजना के अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रथम चरण में प्रदेश के 17 जिला अस्पतालों (सिंगरौली, बालाघाट, विदिशा, बैतूल, छतरपुर, उज्जैन, राजगढ़, खण्डवा, दमोह, बड़वानी, शिवपुरी, गुना, झाबुआ, जबलपुर, सिवनी, टीकमगढ़ एवं मंदसौर) में DIPHL का निर्माण/सुदृढीकरण का कार्य चल रहा है। उक्त प्रयोगशाला में सभी लैब जाचें जैसे कि- Clinical Pathology, Haematology, Clinical biochemistry, Microbiology, Serology, Molecular biology, Cytology आदि जांच सुविधा एक ही जगह उपलब्ध करने हेतु तथा सभी स्वास्थ्य कार्यक्रमों की लैबों को एकीकृत करने का कार्य किया जा रहा है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रदेश के सभी चिन्हांकित 52 जिला अस्पतालों में RT&PCR मशीनों तथा अन्य आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता किया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

Dispatch and Bill Payment Details of PO raised						
Sr. No.	Name of Equipment	PO raised	Pay-ments Done	Payment under process	New DDO Approved	Under Process to DDO Approved
1	-20 Deep Freezer	32	0	7	7	18
2	-80 Deep Freezer	45	0	1	2	42
3	BSA Class II A2	64	0	18	12	34
4	Horizontal Autoclave	45	0	0	6	39
5	Incubator	45	35	5	4	1
6	Microspin	32	29	3	0	0
7	Refrigerated Microcentrifuge	32	20	7	0	5
8	Water Bath	32	0	15	5	12
9	Centrifuge Machine	84	0	32	15	37

सभी 52 जिला अस्पतालों में पदस्थ माइक्रोबायोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट एवं 2-2 कुशल लैब टेक्नीशियन का RT&PCR Testing Hands on training भी कि जा चुकी है। प्रदेश के 08 जिला अस्पतालों में (जिला अस्पताल-भोपाल, इंदौर, उज्जैन, मंदसौर, जबलपुर, रीवा, सिंगरौली एवं छतरपुर) में माइक्रोबायोलॉजीकल कल्चर, इग टेस्टिंग, वाटर एण्ड फूड टेस्टिंग तथा सिरोलॉजी की लैब संचालित है। वर्तमान में DIPHL की गाइडलाइन अनुसार जिला अस्पताल उज्जैन, भोपाल, बैतूल एवं विदिशा में DIPHL लैब पूरी तरह से Functional है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक DIPHL - माइक्रोबायोलॉजी, सिरोलॉजी लैब की भारत सरकार के DIPHL पोर्टल पर संक्रामक बीमारियों की जांचों का विवरण निम्नानुसार है।

SR. NO.	Testing details	Testing Number	DPHL Bhopal	DPHL Indore	DPHL Ujjain	DPHL Jabal-pur	DPHL Rewa
1	Malaria PF smear/ Gram stain/ microscopy / Diphtheria /Others	14732	3645	1910	118	1388	6671
2	WIDAL	10021	2392	312	3856	2050	144
3	Typhi DOT	1050	236	285	196	210	123
4	Malaria Rapid Test	12902	1093	1443	3851	3366	3149
5	Dangue IgM/ IgG Rapid	30	6	5	4	6	9
6	Dengue Rapid NS1	643	128	152	114	93	156
7	Chikungunya IgM /IgG Rapid	47	12	6	9	9	11
8	Meningococcal latex agglutination	8	2	1	3	1	1
9	Dengue NS1 ELISA	2022	1175	106	116	554	51
10	Dengue IgM ELISA	992	370	236	128	112	146
11	chikungunya IgM ELISA	33	13	6	2	3	9
12	Stool Culture for Cholera & other common enteropathogens & Sensitivity	1465	387	749	146	85	98
13	Blood Culture for Enteric Fever & Sensitivity	666	214	274	27	138	13
14	Diphtheria Culture	42	12	7	3	11	9
15	Neisseria meningitidis culture	23	11	1	6	2	3
16	Urine/Sputum/ Pus/other body fluids etc. Culture	2266	1032	848	138	140	108
17	OT Swabs/ Labour ward etc./ Sterility test for culture	971	98	42	85	70	676
18	Fungal Culture	317	122	68	33	25	69
19	Milk culture	590	420	89	36	22	23
	Total	48806	11369	6541	9873	8386	12737

।। रक्तदान महादान।।

खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन मध्यप्रदेश

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत उपलब्धियां

क्र.	विवरण	01-01-2023 से 31-03-2024
1	लिये गये लीगल नमूनों की संख्या	19,568
2	लिये गये सर्विलेंस नमूनों की संख्या	24,852
3	विश्लेषित नमूनों की संख्या	17,517
4	असुरक्षित/अवमानक/मिथ्याछाप नमूनों की संख्या	2,608
5	दायर प्रकरणों की संख्या	2,710
6	निर्णित प्रकरणों की संख्या	2,204
7	दोषसिद्ध प्रकरणों की संख्या	2,180
8	जारी किये गये लायसेंस की संख्या	37,994
9	जारी किये गये रजिस्ट्रेशन की संख्या	2,15,601
10	अधिरोपित अर्थदण्ड की राशि	रु. 7,11,65,300
11	अर्थदण्ड की वसूली	रु. 3,00,18,248
12	लायसेंस/रजिस्ट्रेशन से प्राप्त राजस्व की जानकारी (01-01-2023 से 31-03-2024)	रु. 14,26,82,300

मिलावट से मुक्ति अभियान - राज्य सरकार द्वारा आम नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण एवं स्वास्थ्यप्रद खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित करने एवं मिलावटी खाद्य पदार्थों के निर्माण एवं विक्रय की रोकथाम हेतु दिनांक 09 नवम्बर 2020 मिलावट से मुक्ति अभियान प्रारंभ किया गया जो निरंतर है।

मिलावट से मुक्ति अभियान अंतर्गत इस प्रशासन द्वारा खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम एवं आम नागरिकों को गुणवत्ता युक्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मिलावट से मुक्ति अभियान दिनांक 09-11-2020 से प्रारंभ किया गया है। अभियान अंतर्गत प्रदेश में अब तक लगभग 45 हजार से अधिक लीगल नमूने लिये जा चुके हैं तथा लगभग 1.5 लाख से अधिक खाद्य पदार्थों के सर्विलेंस नमूनों की जांच चलित खाद्य प्रयोगशाला एवं मैजिक बॉक्स के माध्यम से की गई है। खाद्य पदार्थों में गंभीर तथा असुरक्षित मिलावट पाये जाने पर इन खाद्य कारोबारियों/मिलावटखोरों के विरुद्ध अब तक 710 एफ. आई.आर एवं 45 एन.एस.ए की कार्यवाही की गई है। निरीक्षण के दौरान मिलावटी खाद्य सामग्री मौके पर पाये जाने पर 304 प्रतिष्ठानों को सील्ड करते हुये उनके 138 पंजीयन/अनुज्ञप्ति निरस्त कर लगभग 25 करोड़ मूल्य की खाद्य सामग्री भी जप्त की गयी है। प्रदेश में खाद्य पदार्थों में मिलावट के विरुद्ध मिलावट से मुक्ति अभियान निरंतर जारी है।

मिलावट से मुक्ति अभियान - अंतर्गत प्रदेश में माह मार्च 2023 में दूध के शुद्धिकरण का विशेष अभियान भी चलाया गया था जिसके तहत विशेषतः दूध एवं दूध से बने खाद्य पदार्थों के निर्माताओं के प्रतिष्ठानों की सघन जांच की गयी थी। इस 'दूध के शुद्धिकरण के अभियान के तहत दूध एवं दूध से बने खाद्य पदार्थों के लीगल/सर्विलेंस सहित चलित प्रयोगशाला एवं मैजिक बॉक्स के माध्यम से लगभग 5000 नमूनों की जांच की गयी थी।

चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला - भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली के सौजन्य से 15 चलित खाद्य प्रयोगशाला संचालित की जा रही है। चलित खाद्य प्रयोगशालाओं का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों के खाद्य पदार्थों में की जाने वाली मिलावट के संबंध में जागरूक करना प्रशिक्षित करना एवं आम नागरिकों के खाद्य पदार्थों की जांच करना है। इसके अतिरिक्त चलित प्रयोगशालाओं की सहायता से वीडियो एवं ऑडियो के माध्यम से आम नागरिकों को जागरूकता के संबंध में आवश्यक जानकारी प्रदान की जा रही है।

चलित खाद्य प्रयोगशाला से आम नागरिकों के खाद्य पदार्थों की जांच मात्र रु. 10 में करने की सुविधा प्रदान की जा

रही है। चलित खाद्य प्रयोगशाला से आम नागरिकों एवं खाद्य कारोबारकर्ताओं के खाद्य पदार्थ मौके पर जांच किये जाते हैं। चलित खाद्य प्रयोगशाला से आम नागरिकों/खाद्य कारोबारकर्ताओं को उनके खाद्य पदार्थों की रिपोर्ट FSSAI के FSW पोर्टल के माध्यम से जारी की जा रही है।

ईट राइट चैलेंज प्रतियोगिता - भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा आम नागरिकों में गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपभोग की संस्कृति विकसित करने उपलब्ध कराने प्रशिक्षित जागरूक एवं विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 के अंतर्गत निर्धारित मानकों के अनुरूप विकसित करने के लिए ईट राइट चैलेंज प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसमें मध्यप्रदेश 09 जिले भोपाल, उज्जैन, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, सतना, शहडोल एवं सागर जिलों द्वारा प्रतियोगिता में भाग लिया गया था, जिसमें से मध्यप्रदेश के इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, सागर एवं सतना विजयी हुये। इस प्रतियोगिता के अंतर्गत प्रदेश में ईट राइट कैम्पस 57, हाईजीन रेटिंग 313, भोग प्रमाणन 18, क्लीन स्ट्रीट फूड हब 08, क्लीन वेजीटेबल मार्केट 03, ईट राइट स्टेशन 18 बनाये गये।

ईट राइट स्मार्ट सिटी चैलेंज प्रतियोगिता- भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा नगरीय प्रशासन विभाग के साथ ईट राइट स्मार्ट सिटी चैलेंज प्रतियोगिता प्रारंभ की गई है, जिसके अंतर्गत जिले में सार्वजनिक क्षेत्रों में मानकों के अनुसार क्लीन वेजीटेबल मार्केट, क्लीन स्ट्रीट फूड हब, फ्रेश एण्ड मीट मार्केट विकसित करना एवं आम नागरिकों में गुणवत्तापूर्ण एवं पोषक खाद्य पदार्थों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिये यह प्रतियोगिता प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत देश के 11 जिलों को ईट राइट स्मार्ट सिटी चैलेंज प्रतियोगिता हेतु शार्टलिस्ट किया गया है, जिसमें मध्यप्रदेश के 05 जिले भोपाल, इंदौर, जबलपुर, सागर एवं उज्जैन का चयन किया गया था, जिसमें से मध्यप्रदेश के 04 सिटी इंदौर, जबलपुर, सागर, उज्जैन विजयी हुये।

प्रदेश में ईट राइट गतिविधियां अंतर्गत - देश का प्रथम ईट राइट एयरपोर्ट (भोपाल) देश का प्रथम भोग प्रमाणन (महाकाल मंदिर, उज्जैन), देश की प्रथम भोग दरगाह (बुरहानपुर) देश का प्रथम स्कूल (इंदौर) देश का प्रथम ईट राइट कैम्पस (आयकर कार्यालय, भोपाल) का प्रमाणन भारत सरकार से प्राप्त कर देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया गया इसी प्रकार ईट राइट चैलेंज प्रतियोगिता में भी भोपाल एवं ग्वालियर शहर ने खान-पान की व्यवस्थित गतिविधियों में देश के प्रथम 5 शहरों में स्थान प्राप्त किया।

Healthy & Hygienic Food Street प्रसादम - देश में FSSAI भारत सरकार द्वारा 100 Healthy & Hygienic Food Street निर्माण किये जाने का निर्णय लिया गया था, जिसके क्रम में मध्यप्रदेश राज्य में 04 Healthy & Hygienic Food Street स्थापित करने का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया। उक्त के आलोक में उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर एवं भोपाल जिले को चयनित कर 100 Healthy & Hygienic Food Street बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी।

इसके अनुक्रम में उज्जैन जिले में महाकाल लोक के समीप भारत सरकार की 100 Healthy & Hygienic Food Street योजना अंतर्गत देश के प्रथम 100 Healthy & Hygienic Food Street प्रसादम, महाकाल लोक, उज्जैन का लोकार्पण किया जा चुका है। इस फूड स्ट्रीट से स्ट्रीट फूड वेंडरों को रोजगार उपलब्ध होगा साथ ही महाकाल लोक में आने वाले श्रद्धालुओं को उच्च गुणवत्ता वाली खाद्य सामग्री प्राप्त होगी।

माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार विभाग द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये प्रदेश के 802 मांस विक्रेताओं के मांस विक्रय प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर 153 बिना लायसेंस/बिना पंजीयन प्रकरण बनाये गये तथा 47 नमूने लिये जाकर प्रयोगशाला को भेजे गये एवं 16 मांस विक्रेताओं के प्रतिष्ठान सील्ड किये गये। विभाग एवं नगरीय निकायों के संयुक्त दल द्वारा 5130 मांस विक्रेताओं के विरुद्ध रु. 211291-00 का अर्थदण्ड भी अधिरोपित किया गया।

प्रदेश में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम अंतर्गत खाद्य कारोबारियों के 73041 लायसेंस एवं 645729 पंजीयन जारी किये गये हैं।

प्रदेश में खाद्य पदार्थों की जांच करने के लिये भोपाल में एक मात्र राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला संचालित है जिसमें प्रदेश के जिलों से आने वाले खाद्य पदार्थों की जांच की जाती है। इसके अतिरिक्त FSSAI भारत सरकार से अधिकृत 03 प्राइवेट खाद्य प्रयोगशालाओं के माध्यम से भी खाद्य पदार्थों के नमूनों की जांच करायी जा रही है।

प्रदेश में 03 नवीन संयुक्त खाद्य एवं औषधि परीक्षण प्रयोगशाला क्रमशः इंदौर, जबलपुर एवं ग्वालियर का निर्माण मध्यप्रदेश हाउसिंग बोर्ड के माध्यम से कराया जा रहा है। इंदौर प्रयोगशाला का लगभग 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। इंदौर एवं जबलपुर प्रयोगशाला हेतु उपकरण/मानव संसाधन की व्यवस्था की जा चुकी है।

इसके अतिरिक्त FSSAI, भारत सरकार के सहयोग से राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल में माइक्रोबायोलॉजी प्रयोगशाला का निर्माण कार्य प्रचलन में है। उक्त प्रयोगशाला संचालित होने से खाद्य पदार्थों में जीवाणु, विषाणु, कवकजीवी आदि की जांच होने लगेगी जिससे आमजन को खाद्य पदार्थों से होने वाले संक्रमण आदि से लाभ प्राप्त होगा।

मध्यप्रदेश औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अंतर्गत उपलब्धियाँ

विवरण	वर्ष
	(01-04-2023 से 31-03-2024 तक)
लिए गए नमूनों की संख्या	7948
विश्लेषित नमूनों की संख्या	4984
अवमानक नमूनों की संख्या	62
दायर अभियोजनों की संख्या	0
निर्णित अभियोजनों की संख्या	0
दोषसिद्ध प्रकरणों की संख्या	0
अर्थदण्ड की राशि	0
प्राप्त राजस्व की कुल राशि	4,27,43,714/- करोड़ रुपये

- 1) प्रशासन की औषधि परीक्षण प्रयोगशाला की क्षमता 1500 नमूने प्रतिवर्ष जाच विश्लेषण करने की है। उक्त क्षमता का शत प्रतिशत से भी अधिक उपयोग किया गया है।
- 2) वर्तमान में मध्यप्रदेश की एकमात्र राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल द्वारा प्रदेश के सभी जिलों से प्राप्त औषधि एवं प्रसाधन सामग्री के नमूनों की जाँच की जाती है। जिसे एनएबीएल की अधिमान्यता 12.04.2024 तक प्राप्त है। साथ ही जिला ग्वालियर, इंदौर एवं जबलपुर में तीन नवीन औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं के निर्माण का कार्य प्रगति पर है जो कि लगभग पूर्ण हो चुका है एवं आवश्यक उपकरण एवं मशीनरी का क्रय किया जा चुका है।
- 3) औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 नियमावली, 1945 के अंतर्गत जारी किये जाने वाले औषधि विक्रय एवं निर्माण अनुज्ञप्ति एवं अनुज्ञप्ति की वैधता को जारी रखने हेतु समयावधि में शुल्क जमा किये जाने की प्रक्रिया ऑन लाइन निष्पादित की जाती है।
- 4) 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत औषधि निरीक्षकों के कुल 36 नवीन पद स्वीकृत किये गये थे एवं कुल 44 पदों की भर्ती हेतु MPESB द्वारा परीक्षा आयोजित की गयी थी जिनमें पात्र पाए गए कुल 27 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जा चुकी है, जो वर्तमान में मुख्यालय भोपाल में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।
- 5) औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, भोपाल हेतु सहायक औषधि विश्लेषकों के कुल 35 पदों की भर्ती हेतु MPESB द्वारा परीक्षा आयोजित की गयी थी जिनमें से पात्र पाए गए 14 अभ्यर्थियों द्वारा सहायक औषधि विश्लेषक के पद पर कार्यभार ग्रहण किया गया है एवं शेष पदों हेतु 10 अभ्यर्थियों का दस्तावेज परीक्षण किया जा चुका है।

।। हमारा संकल्प विकसित और स्वस्थ मध्यप्रदेश।।

भाग-ब

भाग-एक

- 1.1 चिकित्सा शिक्षा के अंतर्गत अधीनस्थ कार्यालय
- 1.2 विश्वविद्यालय जबलपुर
- 1.3 विभाग के अन्तर्गत आने वाले मण्डल/उपक्रम/संस्थाओं का विवरण
- 1.4 चिकित्सा शिक्षा विभाग के दायित्व
- 1.5 चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत शासकीय, एवं निजी चिकित्सा महाविद्यालय एवं स्कूलों की सांख्यिकी जानकारी
- 1.6 संचालित एम.बी.बी.एस/बी.डी.एस./पी.जी./नर्सिंग/पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में उपलब्ध सीट्स।
- 1.7 सम्पर्क सूत्र
- 1.8 महत्वपूर्ण सांख्यिकी
- 1.9 मानव अंग प्रत्यारोपण के लिये राज्य में पंजीकृत संस्थायें
- 1.10 राज्य के बाहर उपचार हेतु मान्यता प्राप्त चिकित्सालय

चिकित्सा शिक्षा के अंतर्गत अधीनस्थ कार्यालय

क्रमांक	अधीनस्थ कार्यालय के नाम	कार्यालय प्रमुख
1.	गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल	अधिष्ठाता
	हमीदिया चिकित्सालय, भोपाल	संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक
	सुल्तानिया जनाना चिकित्सालय, भोपाल	अधीक्षक
	स्वशासी क्षेत्रीय नेत्र विज्ञान संस्थान, भोपाल	संचालक
	क्षय चिकित्सालय, भोपाल	अधीक्षक
2.	महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इंदौर	अधिष्ठाता
	महाराजा यशवत राव चिकित्सालय, इंदौर	संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक
	चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय, इंदौर	अधीक्षक
	कैंसर चिकित्सालय, इंदौर	अधीक्षक
	मनोरोग चिकित्सालय, इंदौर	अधीक्षक
	महाराजा तुकोजीराव चिकित्सालय, इंदौर	अधीक्षक
	सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मानसिक चिकित्सालय, इंदौर	अधीक्षक
	सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय, इंदौर	अधीक्षक
	कल्याणमल नर्सिंग होम, इंदौर	अधीक्षक
	एम.आर. टी.बी. चिकित्सालय, इंदौर	अधीक्षक
	शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, इंदौर	प्राचार्य
	शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय, इंदौर	प्राचार्य
	क्षय रोग चिकित्सालय इंदौर	अधीक्षक
3.	गजराजा चिकित्सा महाविद्यालय, ग्वालियर	अधिष्ठाता
	जयारोग्य समूह चिकित्सालय, ग्वालियर	संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक
	कमला राजा महिला एवं बाल चिकित्सालय, ग्वालियर	अधीक्षक
	सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय, ग्वालियर	अधीक्षक
4.	ग्वालियर मानसिक आरोग्यशाला, ग्वालियर (सेंटर ऑफ एक्सीलेंस)	संचालक
	क्षय रोग चिकित्सालय ग्वालियर	अधीक्षक

क्रमांक	अधीनस्थ कार्यालय के नाम	कार्यालय प्रमुख
5.	नेताजी सुभाषचन्द्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर	अधिष्ठाता
	पल्मोनरी स्कूल ऑफ़ एकसीलेंस जबलपुर	संचालक
	सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय, जबलपुर	अधीक्षक
	चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध चिकित्सालय, जबलपुर	संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक
	कैंसर चिकित्सालय, जबलपुर	अधीक्षक
6.	श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा	अधिष्ठाता
	संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय, रीवा	संयुक्त संचालक सह अधीक्षक
	सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय, रीवा	संचालक
7.	बुंदेलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय, सागर	अधिष्ठाता
	चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध चिकित्सालय, सागर	संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक
	क्षय रोग चिकित्सालय सागर	अधीक्षक
8.	अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा महाविद्यालय, विदिशा	अधिष्ठाता
9.	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया	अधिष्ठाता
10.	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, रतलाम	अधिष्ठाता
11.	नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, खण्डवा	अधिष्ठाता
12.	छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइंसेज, छिंदवाड़ा	अधिष्ठाता
	क्षय रोग चिकित्सालय, छिंदवाड़ा	अधीक्षक
13.	श्रीमंत राजमाता विजयाराजे सिंधिया शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी	अधिष्ठाता
14.	बिरसा मुण्डा चिकित्सा शासकीय महाविद्यालय, शहडोल	अधिष्ठाता

विश्वविद्यालय जबलपुर

1	मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर	कुलपति
---	--	--------

विभाग के अंतर्गत आने वाले मण्डल/उपक्रम/संस्थाओं का विवरण

क्रमांक	कार्यालय का नाम	कार्यालय प्रमुख
1	म. प्र. सह-चिकित्सीय परिषद, भोपाल	रजिस्ट्रार
2	म. प्र. परिचारिका पंजीयन परिषद्, भोपाल	रजिस्ट्रार
3	म. प्र. मेडिकल कौंसिल, भोपाल	रजिस्ट्रार
4	म. प्र. स्टेट डेंटल कौंसिल, इंदौर	रजिस्ट्रार

चिकित्सा शिक्षा विभाग के दायित्व

1. एलोपैथी चिकित्सा, दंत चिकित्सा, परिचारिका एवं सह चिकित्सीय पाठ्यक्रमों में पठन-पाठन, प्रशिक्षण एवं मॉनिटरिंग।
2. चिकित्सा शिक्षा विभाग अंतर्गत निजी क्षेत्र में चिकित्सा, दंत चिकित्सा, महाविद्यालय/नर्सिंग स्कूल, महाविद्यालय एवं पैरामेडिकल स्कूल, महाविद्यालय स्थापित करने हेतु मान्यता प्रदान करने संबंधी विषय संचालित होते हैं।
3. स्वशासी शासकीय तथा निजी चिकित्सा, दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर प्रवेश संबंधी विषय।
4. चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीनस्थ चिकित्सा महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को स्नातक एवं स्नातकोत्तर के उच्च स्तरीय पाठ्यक्रम उपलब्ध कराये जा रहे हैं। परिणाम स्वरूप एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति में निरंतर उत्कृष्ट चिकित्सकों का निर्माण हो रहा है।
5. भारत सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटल ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, एवं इन्दौर, स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट जबलपुर में तथा टर्शरी कैंसर केयर सेंटर ग्वालियर।
6. शासकीय कर्मचारियों एवं उन पर आश्रित पारिवारिक सदस्यों को राज्य के बाहर इलाज से संबंधित कार्य।
7. निजी संस्थाओं को कैंसर उपचार एवं नियंत्रण हेतु दिये जाने वाले अनुदान।
8. विकेन्द्रीकरण अंतर्गत समुचित प्राधिकारी के रूप में अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा मानव अंग प्रत्यारोपण के लिये शासकीय एवं निजी संस्थानों के पंजीकरण संबंधी कार्यवाही।
9. विभाग से संबंधित राज्य और केंद्र की स्वास्थ्य योजना एवं अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये स्वशासी तथा निजी चिकित्सा महाविद्यालयों, दंत चिकित्सा महाविद्यालयों और अन्य विभागों से समन्वय करना।
10. शासकीय कर्मचारियों को राज्य के बाहर इलाज करने हेतु विशेष गंभीर बीमारियों के लिये निजी चिकित्सालयों को मान्यता प्रदान किये जाने संबंधी विषय।

11. राज्य के बाहर के अस्पतालों को मान्यता देने का कार्य साथ ही राज्य के बाहर उपचार कराये जाने पर कार्यान्तर स्वीकृति हेतु राज्य स्तरीय कार्यान्तर समिति द्वारा किया जाता है।
12. संचालनालय स्तर पर अधीनस्थ संस्थाओं से संबंधित ऐसे विषय जिनका संबंध विभागाध्यक्ष कार्यालय से हो, उनका निराकरण जैसे – नियुक्ति, पदस्थापना, अवकाश, वेतन, सेवानिवृत्ति, पदोन्नति, सा.भ. निधि, दण्ड, प्रतिनियुक्ति, अभ्यावेदन, सेवानिवृत्ति पश्चात अवकाश नगदीकरण आदि।
13. मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना एवं मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना, पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत प्रदेश के स्वशासी चिकित्सा/निजी चिकित्सा/महाविद्यालयों में प्रवेशित छात्रों को पात्रता अनुसार लाभ दिया जा रहा है।
14. उच्च शिक्षा ऋण गारंटी योजनान्तर्गत एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम छात्रों को ऋण उपलब्ध कराना।
15. चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के एम.बी.बी.एस. पीजी कोर्स, नर्सिंग स्नातक एवं स्नातकोत्तर कोर्स के लिये ऑनलाईन द्वारा प्रवेश दिया जाकर कौन्सलिंग की सम्पूर्ण प्रक्रिया की जा रही है।
16. मानव अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संबंधी कार्य।
17. कोविड-19 संक्रमण की जाँच, ऑक्सीजन की उपलब्धता, बिस्तरों की संख्या, प्रशिक्षण, डेथ ऑडिट संबंधी प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों में कार्यों का सुपरविजन एवं रिसर्च कार्य किया जा रहा है।

चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत शासकीय एवं निजी चिकित्सा महाविद्यालय एवं स्कूलों की सांख्यिकी जानकारी

क्रमांक	संस्थाओं के नाम	संख्या
1	चिकित्सा महाविद्यालय	
	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय	14
	निजी चिकित्सा महाविद्यालय	12
	कुल	26
2	दंत चिकित्सा महाविद्यालय	
	शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय	01
	निजी दंत चिकित्सा महाविद्यालय	14
	कुल	15
3	नर्सिंग महाविद्यालय/स्कूल	
	शासकीय ए.एन.एम. स्कूल	22
	निजी ए.एन.एम. स्कूल	75
	निजी जी.एन.एम. स्कूल	448
	शासकीय बी.एस.सी. महाविद्यालय	25
	निजी बी.एस.सी. महाविद्यालय	338
	शासकीय पोस्टबेसिक. महाविद्यालय	08
	निजी पोस्टबेसिक. महाविद्यालय	136

क्रमांक	संस्थाओं के नाम	संख्या
	शासकीय एम.एस.सी. महाविद्यालय	09
	निजी एम.एस.सी. महाविद्यालय	107
	शासकीय पोस्ट बेसिक डिप्लोमा सुपरस्पेशलिटी	05
	कुल	1173
4	पैरामेडिकल चिकित्सा महाविद्यालय	
	शासकीय पैरामेडिकल स्कूल / महाविद्यालय	22
	निजी पैरामेडिकल स्कूल / महाविद्यालय	221
	कुल	243
	महायोग	1477

संचालित एम.बी.बी.एस. / बी.डी.एस. / पी.जी. / नर्सिंग / पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों की सीट्स क्षमता।

1	स्नातक एम.बी.बी.एस. सीटें	
	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय	2275
	निजी चिकित्सा महाविद्यालय	2400
	कुल	4,675
2	स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम एम.डी. / एम.एस. / डिप्लोमा सीटें	
	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय	1262
	निजी चिकित्सा महाविद्यालय	830
	कुल	2,092
3	स्नातक बी.डी.एस. सीटें	
	शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय	63
	निजी दंत चिकित्सा महाविद्यालय	1320
	कुल	1,383
4	स्नातकोत्तर एम.डी.एस. दंत सीटें	
	शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय	30
	निजी दंत चिकित्सा महाविद्यालय	266
	कुल	296

5	शासकीय सह चिकित्सीय संस्थायें/स्कूल (पैरामेडिकल) सीटें	
	स्नातकोत्तर पैरामेडिकल पाठ्यक्रम	75
	स्नातक पैरामेडिकल पाठ्यक्रम	635
	डिप्लोमा पैरामेडिकल पाठ्यक्रम	2187
	प्रमाण-पत्र पैरामेडिकल पाठ्यक्रम	1328
	योग	4,225
	निजी सह चिकित्सीय संस्थायें/स्कूल (पैरामेडिकल) सीटें	
	स्नातकोत्तर पैरामेडिकल पाठ्यक्रम	830
	स्नातक पैरामेडिकल पाठ्यक्रम	16210
	डिप्लोमा पैरामेडिकल पाठ्यक्रम	20475
	प्रमाण-पत्र पैरामेडिकल पाठ्यक्रम	13550
	योग	51,065
6	नर्सिंग की पाठ्यक्रम सीटें	
	शासकीय ए.एन.एम.	1130
	निजी ए.एन.एम.	2480
	निजी जी.एन.एम. स्कूल	20341
	शासकीय बी.एस.सी. नर्सिंग	1820
	निजी बी.एस.सी. नर्सिंग	16010
	शासकीय पोस्टबेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग	450
	निजी पोस्टबेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग	5534
	शासकीय एम.एस.सी. नर्सिंग	445
	निजी एम.एस.सी. नर्सिंग	2310
	शासकीय पोस्ट बेसिक डिप्लोमा सुपरस्पेशलिटी	70
	कुल	50,590
	महायोग	1,13,047

सम्पर्क सूत्र

पता: छठवीं मंजिल, सतपुड़ा भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश।

वेबसाइट: www.medicaleducation.mp.gov.in

ई-मेल आईडी : (1) dme12001@yahoo.com

(2) nodalme@mp.gov.in

फोन नम्बर : 0755-551719, 2578844

महत्वपूर्ण सांख्यिकी

- सत्र 2023-24 की स्थिति में स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा एवं डिग्री स्तर के पाठ्यक्रम हेतु स्वशासी एवं निजी चिकित्सा, दन्त चिकित्सा महाविद्यालयों में कुल स्वीकृत सीटों का विवरण निम्नानुसार है -

क्र.	संस्थाओं के नाम	कुल संस्थायें	कुल स्वीकृत स्नातक सीटों का विवरण	कुल स्वीकृत स्नातकोत्तर सीटों का विवरण
1	स्वशासी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर, खण्डवा, रतलाम, दतिया, विदिशा, छिदवाड़ा, शिवपुरी, शहडोल, सतना	14	2275 एम.बी.बी.एस.	1262 एम.डी./एम.एस. डिप्लोमा
2	स्वशासी दंत चिकित्सा महाविद्यालय, इंदौर।	01	63 बी.डी.एस.	30 एम.डी.एस.
3	निजी चिकित्सा महाविद्यालय	12	2400 एम.बी.बी.एस.	830 एम.डी./एम.एस. डिप्लोमा
4	निजी दंत चिकित्सा महाविद्यालय।	14	1320 बी.डी.एस.	266 एम.डी.एस.

- प्रदेश के शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों में संस्थावार स्वीकृत सीटों की संख्या निम्नानुसार है -

क्र.	नाम	एम.बी.बी. एस.सीट	पी.जी. (डिग्री) सीट एम.डी./एम.एस.
1.	गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल।	250	247
2.	महात्मा गांधी स्मारक चिकित्सा महाविद्यालय, इंदौर	250	276
3.	गजराजराजा चिकित्सा महाविद्यालय, ग्वालियर	200	169
4.	नेताजी सुभाषचन्द्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर	250	194
5.	श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा	150	132
6.	बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय, सागर	125	60

7.	शा.चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया	120	46
8.	शा.चिकित्सा महाविद्यालय, विदिशा	180	51
9.	शा.चिकित्सा महाविद्यालय, रतलाम	180	59
10.	शा.चिकित्सा महाविद्यालय, खण्डवा	120	24
11.	छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस	100	—
12.	शा.चिकित्सा महाविद्यालय, शहडोल	100	—
13.	शा.चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी	100	—
14.	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, सतना	150	—
15.	मानसिक अरोग्य शाला, ग्वालियर	—	04
कुल		2275	1262

3. मध्यप्रदेश के शासकीय दन्त चिकित्सा महाविद्यालय :-

क्र.	नाम	बी.डी.एस. (स्नातक) सीट	एम.डी.एस. (स्नातकोत्तर) सीट
1	स्वशासी दन्त चिकित्सा महाविद्यालय, इंदौर	63	30

4. मध्यप्रदेश के निजी चिकित्सा महाविद्यालय :-

क्र.	नाम	स्नातक सीट एम.बी.बी.एस.	स्नातकोत्तर सीट (डिग्री)
1.	पीपुल्स कालेज ऑफ मेडिकल साइंस रिसर्च सेंटर, भोपाल	250	88
2.	श्री अरविंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इंदौर	250	145
3.	आर.डी.गार्डी. मेडिकल कालेज, उज्जैन	150	107
4.	इण्डेक्स मेडिकल कालेज, इंदौर	250	131
5.	एल0एन0 मेडिकल कालेज, भोपाल	250	158
6.	चिरायु मेडिकल कालेज, भोपाल	250	69
7.	अमलतास मेडिकल कालेज, देवास	250	52
8.	आर.के.डी.एफ. मेडिकल कालेज भोपाल	150	80
9.	एल.एन.सि.टी. मेडिकल कॉलेज, इंदौर	150	—
10.	सुख सागर मेडिकल कॉलेज, जबलपुर	150	—
11.	महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एण्ड रिसर्च भोपाल।	150	—
12.	राम कृष्ण मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, भोपाल।	150	—
योग		2400	830

5. मध्यप्रदेश के निजी दंत चिकित्सा महाविद्यालय :-

क्र.	नाम	बी.डी.एस. (स्नातक) सीट	एम.डी.एस. (स्नातकोत्तर) सीट
1	पीपुल्स डेंटल अकादमी , भोपाल	100	32
2	पीपुल्स कालेज ऑफ डेंटल साइंस एण्ड रिसर्च सेंटर भानपुर, भोपाल	100	26
3	श्री अरविंदो इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेस, इंदौर	100	27
4	ऋषिराज कालेज ऑफ डेंटल साइंसेस एण्ड रिसर्च सेंटर, भोपाल	100	27
5	गुरु गोविन्द सिंह कालेज ऑफ डेंटल साइंस, बुरहानपुर	100	—
6	कालेज ऑफ डेंटल साइंस राउ, इंदौर	60	09
7	हितकारणी डेंटल कालेज, जबलपुर	60	21
8	आर.के.डी.एफ. डेंटल कालेज एण्ड रिसर्च सेंटर, भोपाल	100	28
9	मानसरोवर डेंटल कालेज, भोपाल	100	11
10	महाराणा प्रताप कालेज ऑफ डेंटल साइंस, ग्वालियर	100	20
11	इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल एज्युकेशन एण्ड एडवांस स्टडीज, ग्वालियर	100	—
12	भामा डेंटल कालेज, भोपाल	100	20
13	इण्डेक्स डेंटल कालेज, इंदौर	100	16
14	मॉडर्न डेंटल कॉलेज, इंदौर	100	29
	योग	1320	266

वर्ष 2023-24 मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना एवं मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा क्रियान्वित है योजना के अंतर्गत प्रदेश के स्वशासी चिकित्सा/निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेशित छात्र-छात्राओं को पोर्टल पर प्रदर्शित सूची अनुसार तकनीकी शिक्षा विभाग से मुख्यमंत्री जनकल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आवंटन राशि को आहरण संवितरण अधिकारी के माध्यम से राशि डिसर्बस की जाती है।

पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति एससी/एसटी/ओबीसी श्रेणी के अंतर्गत काउंसलिंग से प्रवेशित छात्र-छात्राओं का डाटा एम.पी.टॉस पोर्टल पर अद्यतन किया जाता है साथ ही शासकीय चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालयों की फीस कर्पिंग विभाग द्वारा की जाती है। डिसर्बस संबंधी कार्यवाही संबंधित विभागों द्वारा की जाती है।

मानव अंग प्रत्यारोपण के लिए राज्य में पंजीकृत संस्थाएं

सोटी के संबंध में आवश्यक जानकारी

केन्द्र सरकार मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 (1994 का 42) की धारा 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मानव अंग प्रत्यारोपण नियम, 1995 के अंतर्गत मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण नियम 2014 के तहत प्रदेश में प्रत्यारोपण को बढ़ावा देने और संस्थाओं को पंजीकृत करने के लिए राज्य में संचालक, चिकित्सा शिक्षा के साथ शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के अधिष्ठाताओं को भी प्राधिकारी बनाया गया है एवं अधिष्ठाताओं के अध्यक्षता में समिति गठित कराई गई है। उक्त समिति में विभागाध्यक्ष मेडिसिन विभाग, चिकित्सा महाविद्यालय,

विभागाध्यक्ष शल्य क्रिया विभाग, चिकित्सा महाविद्यालय, आयुक्त चिकित्सा शिक्षा द्वारा नियम 13 (ग) के अधीन नाम निर्दिष्ट प्रतिरोपण से संबंधित दो स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधि, जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को सदस्य बनाया गया है।

मानव अंग प्रत्यारोपण के कार्य को प्रोत्साहित करने एवं संबंधित संस्थाओं का पंजीकरण करने की व्यवस्था को सुलभ करने हेतु सोटो की वेबसाइट एवं वेब एप्लिकेशन बनाई गई है। जिसका फ़ेस-1, दिनांक 21.12.2021 को शुरू किया गया है। जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के माड्यूल तैयार किये गये हैं। जैसे कि- अस्पताल प्रबंधन, प्राप्तकर्ता माड्यूल एवं प्राप्तकर्ता की स्कोरिंग शामिल हैं। सोटो से संबंधित जानकारी निम्नलिखित सोटो की वेबसाइट पर उपलब्ध है:-

<https://www.sotto.mp.gov.in>

All Registered Organ Transplant Centers of Madhya Pradesh

S. No	Hospital Name	Address	Hospital Contact No.	Public/Private	Organ Transplant Centre/NTORC/Tissue Transplant Centre	Registered for which Organ (s)/ Tissue (s)
1	Amaltas Institute of Medical Science	Dewas M.P.	7272426500	Private	OTC/TTC	Kidney/Cornea/Retrival
2	Eminent Hospital Indore	Indore	7314747800	Private	OTC	Kidney/Liver
3	Bombay Hospital	Indore	7312558866	Private	OTC	Heart/Liver/Kidney
4	Shalby Hospital	Indore	7316677777	Private	OTC TTC/Retrival	Kidney/Cornea/LIVER
5	Mohak Hospital	Indore	9893037790	Private	OTC	Kidney/Bone Marrow
6	Choihran Hospital	Indore	7312362491	Private	OTC/TTC	Heart/Skin/Liver/Kidney/Cornea
7	CHL Hospital	Indore	7314774444	Private	OTC	Liver/Kidney/Heart
8	Medanta Hospital	Indore	7314747000	Private	OTC/TTC	Kidney/Liver/Cornea/HEART
9	Greater kailash Hospital	Indore	7316633333	Private	OTC/TTC	Kidney/Cornea
10	Apollo Hospital	Indore	8120809001	Private	OTC	Kidney
11	Nav Jeevan Hospital	Gwalior	9983005938	Private	OTC	Kidney
12	Shitla Shayah Inst. Of Medical Science	Gwalior	9425163830	Private	OTC	Kidney
13	City Hospital & Research center Pvt. Ltd.	Jabalpur	7614033111	Private	OTC (Registration not renewed from feb 2019)	Kidney
14	Vishesh Jupiter Hospital Indore	Indore	9993098854	Private	OTC	Kidney/Liver
15	Bansal Hospital	Bhopal	7024104184 9926084493	Private	OTC	Kidney/Liver
16	Chirayu Hospital Bhopal	Bhopal	7470701230	Private	OTC	Kidney
17	Siddhanta Red Cross Hospital	Bhopal	7552572555	Private	OTC	Kidney
18	Gandhi Medical College & Hospital	Bhopal	755240590	Public	OTC	Kidney
19	RJN APOLLO SPECTRA Hospital	Gwalior	7512454600	Private	OTC	Kidney
20	MGM Superspeciality Hospital Indore	Indore	8.349E+09	Public	OTC	KIDNEY
21	Metro Hospital & Cancer Research	Jabalpur	7614062000	Private	OTC	Kidney
22	Parivar super speciality Hospital & Research centre	Gwalior	7514927000	Private	OTC	Kidney
23	Superspeciality Hospital NSCB MCH JBP	Jabalpur	7415507205	Public	OTC	Kidney

Organ Donation & Transplantation Data SOTTO MP

S No.	YEAR	TOTAL Live Kidney Donation	TOTAL Live Liver Donation	Total Cadaveric Kidney Donation	Total Cadaveric Liver Donation	Total Cadaveric Heart Donation	Total Cadaveric Lungs Donation	Cadaveric Hand Donation	Total Organ Donation
1	2015	100	0	4	2	0	0	0	106
2	2016	118	0	22	12	7	0	0	159
3	2017	156	3	35	19	8	0	0	221
4	2018	148	2	12	7	1	0	0	170
5	2019	167	0	7	3	0	0	0	177
6	2020	94	2	0	0	0	0	0	96
7	2021	162	6	8	4	1	1	0	182
8	2022	224	13	6	5	0	0	0	248
9	2023 (III OCT. 2023)	201	11	11	3	1	1	1	229
	TOTAL	1370	37	105	55	18	2	1	1588

राज्य के बाहर उपचार हेतु मान्यता प्राप्त चिकित्सालय

1. मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश के अधिकारी/कर्मचारियों को राज्य के बाहर उपचार कराये जाने हेतु नवीन नियम तैयार किये जाकर राजपत्र में दिनांक 03/08/2022 को प्रकाशित किया गया है।
2. राज्य के बाहर मान्यता प्राप्त चिकित्सालय –

क्र.	अस्पताल का नाम	एनओबीओएचओ मान्यता की अवधि	जॉइंट/उपचार का नाम
1	सर्वोदय हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर रोड, सेक्टर दावादीरफ 8, (इरियाणा)	20.06.2021 से 21.04.2024 तक	1. एंजियोग्राफी 2. हार्ट (सर्जरी) 3. a. न्यूरोसर्जरी b. न्यूरोलॉजी 4. कैंसर 5. आर्थोपेडिक्स
2	Aureus Institute of Medical Science PVT.LTD, Nagpur-440003 (Maha.)	22.04.2021 से 21.04.2024 तक	1. एंजियोग्राफी 2. हार्ट (सर्जरी) 3. a. न्यूरोसर्जरी b. न्यूरोलॉजी 4. कोकिलियर इम्प्लान्ट 5. हिप रिप्लेसमेंट (क्सडोपिथआ)
3	Sevan Star Hospital (A Unit of Nagpur Inst. Of Surgical Science & Research Centre Pvt Ltd) Nagpur-440003 (M.H.)	25.03.2021 से 24.03.2024 तक	1. एंजियोग्राफी 2. हार्ट (सर्जरी) 3. a. न्यूरोसर्जरी b. न्यूरोलॉजी 4. कोकिलियर इम्प्लान्ट 5. हिप रिप्लेसमेंट (क्सडोपिथआ)
4	Suretech Hospital & Research Centre Ltd. 13-A, Banerjee Marg, Dhantoli Nagpur- 440012 (M.H.)	20.05.2021 से 19.05.2024 तक	1. एंजियोग्राफी 2. न्यूरोलॉजी 3. हिप रिप्लेसमेंट (क्सडोपिथआ)

क्र.	अस्पताल का नाम	एनओबीओएचओ मान्यता की अवधि	जौंच/उपचार का नाम
5	व्हेकार्ड हॉस्पिटल लिमिटेड शंकर नगर, नागपुर (महाराष्ट्र)	25.11.2021 से 24.11.2024 तक	1. हार्ट डिजीज (सर्जरी) 2. किडनी ट्रान्सप्लान्ट 3. a. न्यूरोसर्जरी b. न्यूरोलॉजी 4. कैंसर 5. लिवर ट्रान्सप्लान्ट
6	Crescent Hospital & Heart Centre, Nagpur (M.H.)	09.06.2022 से 08.06.2025 तक	1. Anaesthesiology 2. Emergency Medicine 3. Paediatrics 4. Cardiology 5. Cardiothoracic Surgery

क्रमांक	अस्पताल का नाम	एनओबीओएचओ मान्यता की अवधि	जाँच/उपचार का नाम
1	श्रीकृष्णा हृदयालय एण्ड क्रिटिकल केयर सेंटर धनतौली नागपुर	26.08.2022 से 25.08.2025 तक	Clinical Services Anaesthesiology (Including Cardiac Anesthesia) General Medicine (Including Critical Care) General Surgery Orthopaedic Surgery Cardiology (Including Paediatric Cardiology) Cardiothoracic & Vascular Surgery Urology Paediatrics Cardiothoracic & Vascular Surgery Diagnostic Services 2 D Echo Ultrasound DSA X-Ray Tread Mill Testing Laboratory Services Clinical Bio-Chemistry Clinical Pathology Haematology Pharmacy Dispensary Professions Allied to Medicine Dietetics Psychology Physiotherapy Support Services Ambulance
2	एस्टर हॉस्पिटल, बेंगलूर	05.02.2022 से 15.09.2025 तक	Clinical Services Anaesthesiology Including Critical Care and Pain Palliative Medicine Cardiac Anaesthesia Cardiology including interventional Cardiology and paediatric Cardiology Cardiothoracic Surgery including Heart Transplant Dental Science Dermatology and Venereology Emergency Medicine Family Medicine Endocrinology Internal Medicine Infectious Diseases General Surgery including Bariatric Surgery Liver Transplant Medical Oncology Medical Gastroenterology including Hepatology Nuclear Medicine Nephrology Neurology including paediatric Neurology Neurosurgery obstetrics and Gynecology including IVF/Intertiaty and fetal medicine Ophthalmology

क्रमांक	अस्पताल का नाम	एनओबीओएचओ मान्यता की अवधि	जाँच/उपचार का नाम
			<p>Orthopaedic Surgery including Paediatrics Orthopaedics, Joint Replacement and sports Medicine</p> <p>Otorhinolaryngology</p> <p>Paediatric Surgery</p> <p>Paediatric Immunology</p> <p>Plastic and Reconstructive Surgery including Maxillofacial surgery</p> <p>Paediatrics including Neonatology and paediatric Neurology</p> <p>Psychiatry (OPD)</p> <p>Physical Medicine and Rehabilitation including podiatry</p> <p>Pulmonology including lung transplant</p> <p>Rheumatology</p> <p>Radiation Oncology</p> <p>Surgical Gastroenterology</p> <p>Surgical Oncology including Gynaecological Oncology and Head & Neck</p> <p>Vascular Surgery</p> <p>Urology including Anorology and kidney transplant</p> <p>Diagnostic Services</p> <p>2 D Echo</p> <p>Audiometry</p> <p>Bone Densitometry</p> <p>CT Scanning</p> <p>DSA Lab</p> <p>EEG</p> <p>EMG/EP</p> <p>Gamma Camera</p> <p>Holter Monitoring</p> <p>MRI</p> <p>Mammography</p> <p>PET</p> <p>Spirometry</p> <p>Tread Mill Testing</p> <p>Ultrasound</p> <p>Urodynamic Studies</p> <p>X-Ray</p> <p>Laboratory Services</p> <p>Clinical Bio-Chemistry</p> <p>Clinical Microbiology and Serology</p> <p>Clinical Pathology</p> <p>Cytopathology</p> <p>Haematology</p> <p>Histopathology</p> <p>Pharmacy</p> <p>Dispensary</p> <p>Transfusions Services</p> <p>Blood Bank</p> <p>Blood Transfusions Services</p>

क्रमांक	अस्पताल का नाम	एनओबीओएचओ मान्यता की अवधि	जाँच/उपचार का नाम
			Professions Allied to Medicine Dietetics Physiotherapy Psychology Occupational Therapy Speech and Language Therapy Support Services Ambulance
3	आशा हॉस्पिटल, नागपुर	15.04.2021 से 14.04.2024 तक	Clinical Services Anaesthesiology including cardiac Anesthesia Critical Care Cardiology Cardiothoracic Surgery Emergency Medicine General Medicine General Surgery Ophthalmology Respiratory Medicine Urology Vascular Surgery Diagnostic Services 2 D Echo CT Scan DSA Lab EEG MRI Spirometry Tread Mill Testing Ultrasound X-Ray Laboratory Services Clinical Bio-Chemistry Clinical Pathology Haematology Pharmacy Dispensary Professions Allied to Medicine Dietetics Physiotherapy
4	रेडियंस हॉस्पिटल प्रा.लि. नागपुर	14.10.2022 से 13.10.2025 तक	Clinical Services Anaesthesiology Cardiology General Medicine General Surgery obstetrics and Gynecology Orthopaedic including Joint Replacement Surgery Nephrology Neurology Neurosurgery Surgical Gastroenterology Surgical Oncology Urology

क्रमांक	अस्पताल का नाम	एनओबीओएचओ मान्यता की अवधि	जाँच/उपचार का नाम
			Diagnostic Services X-Ray 2 D Echo Tread Mill Testing Laboratory Services Clinical Bio-Chemistry Clinical Pathology Pharmacy Dispensary
5	लोटस हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर नागपुर	25.11.2021 से 24.11.2024 तक	Clinical Services Anaesthesiology General Medicine General Surgery Laparoscopic Surgery obstetrics and Gynecology Orthopaedic Joint Replacement Surgery Medical Gastroenterology Plastic and Reconstructive Surgery Surgical Gastroenterology Urology Diagnostic Services 2 D Echo Ultrasound X-Ray Laboratory Services Haematology Clinical Bio-Chemistry Pharmacy Dispensary
6	ह्यूमन केयर मेडिकल चैरीटेबल (HCMC) ट्रस्ट द्वारका नई दिल्ली	08.09.2022 से 08.06.2026 तक	Clinical Services Anaesthesiology Including Critical Care and Pain Management Cardiology (invasive & Non-invasive) Cardiothoracic Surgery Emergency Medicine Endocrinology General Medicine including Rheumatology General Surgery including Laparoscopic Surgery and including Surgical Gastroenterology Medical Gastroenterology Medical Oncology Neonatology Nephrology including Dialysis Neurology Nuclear Medicine obstetrics and Gynecology including Fetal Medicine Orthopaedic Surgery (including Joint Replacement & Arthroscopic Surgery) Otorhinolaryngology Paediatrics Paediatric Surgery Plastic and Reconstructive Surgery

क्रमांक	अस्पताल का नाम	एनओबीओएचओ मान्यता की अवधि	जाँच/उपचार का नाम
			<p>Radiation Oncology Respiratory Medicine Surgical Oncology Transplant Services (Renal, Liver, Heart, Lung) Urology</p> <p>Diagnostic Services 2 D Echo Audiometry Bone Densitometry CT Scan DSA Scan EEG EMG/EP Gamma Camera Holter Monitoring Mammography MRI PET CT Scan Spirometry Tread Mill Testing Ultrasound Urodynamic Studies X-Ray</p> <p>Laboratory Services Clinical Bio-Chemistry Clinical Microbiology and Serology Clinical Pathology Cytopathology Haematology Immuno Haematology Haemato Pathology Histopathology Molecular Genetics</p> <p>Pharmacy Dispensary</p> <p>Transfusions Services Blood Transfusions Services Blood Bank</p> <p>Professions Allied to Medicine Dietetics Physiotherapy Psychology Speech and Language Therapy</p> <p>Support Services Ambulance</p>
7	स्पंदन हार्ट इस्टी. एण्ड रिसर्च सेंटर नागपुर	10.11.2022 से 09.11.2025 तक	<p>Clinical Services Anaesthesiology General Medicine Emergency Medicine Cardiology Critical Care</p> <p>Diagnostic Services X-Ray</p>

क्रमांक	अस्पताल का नाम	एनओबीओएचओ मान्यता की अवधि	जाँच/उपचार का नाम
			Professions Allied to Medicine Physiotherapy
8	एच.सी.जी. हॉस्पिटल, नागपुर	14.07.2022 से 28.04.2026 तक	Clinical Services Anaesthesiology including Pain Management Clinical Hematology including Bone Marrow Transplant Emergency Medicine Medical Oncology Nuclear Medicine Radiation Oncology Surgical Oncology Diagnostic Services 2 D Echo Bronchoscopy CT Scan Endoscopy Mammography PET CT scan Ultrasound X-Ray Laboratory Services Clinical Bio-Chemistry Clinical Microbiology and Serology Clinical Pathology Cytopathology Hematology Haemato Pathology Histopathology Pharmacy Dispensary Transfusions Services Blood Transfusions Services Blood storage Center Professions Allied Medicine Dietetics Physiotherapy Psychology Support Services Ambulance
9	रिदम हार्ट इंस्टी, दाहोद	23.12.2021 से 22.12.2024 तक	Clinical Services Cardiology including Critical Coronary Care Diagnostic Services X-Ray 2 D Echo Tread Mill Testing Pharmacy Dispensary

क्रमांक	अस्पताल का नाम	एनओबीओएचओ मान्यता की अवधि	जाँच/उपचार का नाम
10	आर्टिमस हॉस्पिटल, गुडगांव, हरियाणा	14.07.2022 से 15.02.2026 तक	Clinical Services Anaesthesiology Including Pain Medicine Cardiac Anesthesia Cardiology Cardiothoracic and Vascular Surgery including Pediatric Cardio Vascular Surgery Emergency Medicine including Trauma Critical Care Dentistry Dermatology and Venereology Endocrinology Fetal Medicine and Gynecological Oncology Gastroenterology Gastrointestinal Surgery General Surgery Hemato Oncology Internal Medicine Medical Oncology Nephrology Neuro Anesthesia Neuro Interventional Surgery Neurology Neurosurgery Nuclear Medicine obstetrics and Gynecology including Reproductive Medicine Ophthalmology Orthopaedics Otorhinolaryngology Paediatrics including Neonatology Paediatric Surgery Pediatric Cardiology Plastic and Reconstructive Surgery Psychiatry (Only OPD) Radiation Oncology Radiology Respiratory Medicine including Sleep Medicine Rheumatology Surgical Oncology Transplant Services (Kidney, Liver, Cornea) Urology Diagnostic Services 2 D Echo Audiometry Bone Densitometry CT Scan DSA Scan EEG EMG/EP Gamma Camera Holter Monitoring Mammography MRI PET Spirometry

क्रमांक	अस्पताल का नाम	एनओबीओएचओ मान्यता की अवधि	जाँच/उपचार का नाम
			<p>Tread Mill Testing Ultrasound Urodynamic Studies X-Ray</p> <p>Laboratory Services Clinical Bio-Chemistry Clinical Microbiology and Serology Clinical Pathology Cytopathology Haematology Histopathology Molecular Biology Toxicology</p> <p>Pharmacy Dispensary</p> <p>Transfusions Services Blood Transfusions Services Blood Bank</p> <p>Professions Allied to Medicine Dietetics Physiotherapy Speech and Language Therapy</p> <p>Support Services Ambulance</p>
11	अमेरिकन ऑन्कोलॉजी इन्स्टी, नागपुर	11.08.2022 से 10.08.2026 तक	<p>Clinical Services Anaesthesiology General Medicine Including Critical Care General Surgery Including laparoscopic Surgery Gynecology including Gynecological Oncology Hemato Oncology including Paediatric Oncology and BMT Medical Gastroenterology Medical Oncology, Nuclear Medicine Otorhinolaryngology, Radiation Oncology Urology including Andrology</p> <p>Diagnostic Services CT Scanning Mammography PET Ultrasound X-Ray</p> <p>Pharmacy Dispensary</p>
12	होप हॉस्पिटल, नागपुर	24.11.2022 से 23.11.2025 तक	<p>Clinical Services Anaesthesiology (including Cardiac anaesthesia) General Medicine General Surgery Obstetrics and Gynaecology Orthopaedic Surgery</p>

क्रमांक	अस्पताल का नाम	एनओबीओएचओ मान्यता की अवधि	जाँच/उपचार का नाम
			Paediatrics Respiratory Medicine Cardiology Nephrology Paediatric Cardiology Paediatric Surgery Plastic and Reconstructive Surgery Urology Diagnostic Services X-Ray 2 D Echo Ultrasound Laboratory Services Hematology Professions Allied Medicine Physiotherapy Support Services Ambulance
13	रिदम हार्ट इंस्टी, बडोदरा (गुजरात)	29.11.2022 से 28.11.2025 तक	Clinical Services Cardiac Anaesthesia Cardiology Critical Care Diagnostic Services Ultrasound X-Ray TMT Holter Monitoring Professions Allied to Medicine Physiotherapy Pharmacy Dispensary Support Services Ambulance
14	New Era Hospital & Research Center Nagpur	19.01.2023 से 18.01.2027 तक	Clinical Services Anaesthesiology including Cardiac Anesthesia, Trans-plant Anesthesia and Paediatric Anesthesia Cardiology Cardiothoracic and Vascular Surgery including Pediatrics CVTS Critical Care Dermatology and Venereology Emergency Medicine Family Medicine General Medicine including Rheumatology General Surgery Infectious Disease Interventional Radiology Medical Gastroenterology Medical Oncology Nephrology Neurology Neurosurgery including Spine Surgery Obstetrics and Gynaecology

क्रमांक	अस्पताल का नाम	एनओबीओएचओ मान्यता की अवधि	जाँच/उपचार का नाम
			<p>Ophthalmology Orthopaedic Surgery including joint Replacement and Arthroscopy Otorhinolaryngology Paediatric Surgery Paediatrics including Neonatology Pediatric Cardiology Pediatric Hemato-Oncology Plastic and Reconstructive surgery Pulmonary Medicine Sports Medicine Surgical Gastroenterology including Hepatopancreato-biliary Surgery Transplant Services (Renal Heart, Liver) Urology</p> <p>Diagnostic Services 2D Echo Audiometry CT Scanning DSA Lab EEG EMG/EP Holter Monitoring Spirometry Tread Mill Testing Ultrasound X-Ray</p> <p>Laboratory Services Clinical Bio-Chemistry Clinical Microbiology and Serology Clinical Pathology Cytopathology Haematology</p> <p>Pharmacy Dispensary</p> <p>Professions Allied to Medicine Dietetics Physiotherapy</p> <p>Support Services Ambulance</p>
15	Shat-Ayu Hospital & Research Centre, Nagpur- 440012 (Maha.)	06.05.2021 से 05.05.2024 तक	<p>Clinical Services Anaesthesiology Dermatology and Venereology General Medicine, Obstetrics and Gynecology General Surgery including laparoscopic surgery Otorhinolaryngology, Orthopedics, Neurosurgery, Plastic and Reconstructive Surgery, Urology, Critical Care, Nephrology, Medical Gastroenterology, Neurology, Cardiology</p> <p>Diagnostic Services X-Ray Tread Mill Testing Holter Monitoring Spirometry</p>

क्रमांक	अस्पताल का नाम	एनओबीओएचओ मान्यता की अवधि	जाँच/उपचार का नाम
			Laboratory Services Haematology Clinical Biochemistry, Clinical Pathology Pharmacy Dispensary Professions Allied to Medicine Physiotherapy
16	मेडिट्रिना इंस्टी. ऑफ मेडिकल साइंसेस नागपुर	15.09.2022 से 26.07.2026 तक	Clinical Services Anaesthesiology Dermatology and Venereology General Medicine Including Emergency Medicine and Critical Care General Surgery Geriatrics Nephrology Neurology Neurosurgery obstetrics and Gynecology (Excluding High Risk) Orthopaedics Surgery Otorhinolaryngology Psychiatry (Only OPD) Respiratory Medicine Diagnostic Services 2D Echo Audiometry CT Scan EEG EMG/EP Holter Monitoring Mammography MRI Spirometry Tread Mill Testing Ultrasound Urodynamic studies X-Ray Laboratory Services Clinical Bio-Chemistry Clinical Microbiology and Serology Clinical Pathology Cytopathology Hematology Haemato Pathology Histopathology Immuno Hematology Pharmacy Dispensary Transfusions Services Blood Transfusions Services Blood Bank

क्रमांक	अस्पताल का नाम	एनओबीओएचओ मान्यता की अवधि	जाँच/उपचार का नाम
			Professions Allied to Medicine Diaterics Physiotherapy Psychology Support Services Ambulance
17	सी.पी.एच. सेंटर पाईट हॉस्पिटल नागपुर	25.08.2022 से 24.08.2025 तक	Clinical Services Anaesthesiology Cardiology Critical Care Dentistry General Medicine General Surgery Medical Gastroenterology Medical Oncology Nephrology including dialysis Neurology Neurosurgery obstetrics and Gynecology Orthopaedic including joint Replacement Surgery Respiratory Medicine Surgical Gastroenterology Plastic and Reconstructive Surgery Urology Diagnostic Services Ultrasound X-Ray 2 D Echo Tread Mill Testing Laboratory Services Clinical Bio-Chemistry Clinical Pathology Haematology Pharmacy Dispensary Professions Allied to Medicine Physiotherapy

भाग-दो

बजट

2.1 बजट

बजट

वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 में योजनावार स्वीकृत प्रावधान राशि (लाख रुपये में)

राशि रु. लाख में

स. क्र.	योजना क्रमांक एवं नाम	वर्ष 2020-21		वर्ष 2021-22		वर्ष 2022-23		वर्ष 2023-24 दिनांक 7.12.23 तक की स्थिति	
		बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय
1	(1353) Hospital attached to medical college	109314.30	100559.74	128598.79	117588.16	140212.75	135317.58	150143.63	108278.93
2	(9080) खलाम/ दतिया/ शिवपुरी एवं सतना चिकित्सा महाविद्यालय	32604.82	31394.38	37094.07	39114.30	39432.55	38272.42	32467.35	25712.83
3	(9075) विदिशा/शहडोल/ खण्डवा चिकित्सा महाविद्यालय	9000.00	5817.59	0.03	43.60	0.00	0.00	50.03	0.00
4	(2061) एम.बी.बी.एस. सीट्स में वृद्धि	14000.60	8364.30	23000.02	10161.35	10948.00	10947.97	6864.03	6864.00
5	(7296) चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में दो हजार बेड्स का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण	6499.50	9525.96	10000.01	4971.87	66.00	58.42	605.00	483.96
6	(1211) पी.एम.एस.एस.वाय. परि. अंतर्गत सुपरस्पेशलिटी अस्पताल की स्थापना	2532.00	2027.55	2532.01	324.95	1096.98	286.97	713.01	406.21
7	(1210) स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट जबलपुर की स्थापना	4000.01	334.68	4000.00	1146.07	3168.00	2943.80	1476.37	1476.33
8	(6335) चिकित्सा महाविद्यालयों में उन्नयन	1500.00	928.85	2500.00	845.79	1003.00	867.44	1425.00	2.24
9	(2064) टर्सरी कैंसर कैंसर, ग्वालियर	2500.00	100.00	2500.01	0.00	1015.02	1000.00	2744.00	2150.00
10	(7158) चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर में 1000 बिस्तर अस्पताल का निर्माण	6100.00	8245.97	14000.01	20099.55	6980.00	5905.19	451.79	190.63
11	(6591) जबलपुर में आयुर्विज्ञान विश्व विद्यालय की स्थापना	325.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	(5388) allied health center	422.00	272.52	0.02	0.00	0.04	0.00	3.03	0.00
13	(6460) चिकित्सा महाविद्यालय में पी.जी. पाठ्यक्रम का सुदृढीकरण	8000.00	32.00	14908.01	0.00	21622.00	21622.00	14414.74	14414.66

स. क्र.	योजना क्रमांक एवं नाम	वर्ष 2020-21		वर्ष 2021-22		वर्ष 2022-23		वर्ष 2023-24 दिनांक 7.12.23 तक की स्थिति	
		बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय
14	(1915) Dental college	1474.00	1587.29	2671.59	1814.85	2293.97	2284.82	2597.67	1942.35
15	(3506) Mental hospital	1100.00	1100.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	960.00	688.00
16	(1946) बर्न यूनिट की स्थापना	1000.00	327.64	200.00	99.46	70.02	64.00	350.00	350.00
17	(1355) Directorate of medical education	700.40	505.90	840.35	500.52	750.58	504.12	806.54	343.45
18	(7502) चिकित्सा महाविद्यालयों में आई.सी.टी. सपोर्ट/ प्रशिक्षण सहायता/ स्मार्ट क्लास का उन्नयन	564.00	17.28	1084.85	199.36	885.02	267.76	149.66	21.39
19	(0527) College of nursing education, Indore	323.69	424.86	989.35	658.60	700.05	677.68	816.01	641.96
20	(1944) चिकित्सा महाविद्यालय में वायरोलॉजी की स्थापना	100.00	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	(2060) चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर में टी.वी. चैट विभाग की स्थापना	200.00	198.87	500.00	459.18	300.00	299.09	360.00	357.39
22	(9077) सिवनी चिकित्सा महाविद्यालय (पी.पी.पी)	0.00	0.00	1.00	477.98	8220.00	7533.22	20087.98	17938.81
23	(6458) चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में वायरोलॉजी लैब की स्थापना (13वां वित्त आयोग)	170.00	82.63	190.01	108.01	187.20	106.87	185.78	105.69
24	(0961) Grant to cancer hospital, Gwalior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	(6105) Pension	90.00	59.97	95.00	29.80	90.00	32.20	32.00	1.66
26	(8808) सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	(5674) निर्धन वर्ग के लिए विक्रमादित्य निशुल्क शिक्षा योजना	3.00	2.70	3.15	0.00	3.15	0.00	2.52	0.00
28	(5891) ग्रीन कार्ड धारी योजना	19.10	18.28	20.00	29.70	68.00	68.00	18.40	11.00
29	(5402) छिंदवाड़ा इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस	1500.06	3191.48	1510.06	3562.74	705.07	689.89	7600.10	2094.06

स. क्र.	योजना क्रमांक एवं नाम	वर्ष 2020-21		वर्ष 2021-22		वर्ष 2022-23		वर्ष 2023-24 दिनांक 7.12.23 तक की स्थिति	
		बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय
30	(5632) जन निजी भागीदारी अंतर्गत अधीनस्थ विकास हेतु अनुदान	2000.00	0.00	3500.00	0.00	263.00	0.00	0.01	0.00
31	(7280) मानसिक चिकित्सालय इंदौर एवं मानसिक आरोग्य शाला ग्वालियर का उन्नयन	98.01	0.00	98.51	0.00	25.01	0.00	1192.01	1179.49
32	7853- Establishment of new medical colleges	0.00	0.00	30000.00	0.00	42474.77	42474.77	43776.00	43775.23
33	7214 - स्व शीतला सहाय स्मृति पुरस्कार	0.00	0.00	1.00	0.00	1.05	0.00	0.84	0.00
34	(9545) विभागीय परिसंपत्तियों का संभरण	0.00	0.00	0.00	0.00	1212.00	752.51	969.60	213.55
35	(7660) Karyakram aayojan evam prabandhan	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	40.00	0.00
36	(1103) रतलाम/ दतिया/ शिवपुरी एवं सतना चिकित्सा महाविद्यालय (राज्य सहायित)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5166.46	5084.87
37	(1136) नवीन नर्सिंग कालेजों का निर्माण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4333.00	4333.00
38	(2377) मुख्यमंत्री जन कल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
	योग	206140.50	175137.98	282037.85	203435.84	285043.23	274176.72	300852.56	239061.69

भाग-तीन

राज्य तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनायें

- 3.1 वर्ष 2023-24 की उपलब्धियाँ
- 3.2 आत्मनिर्भर भारत के संबंध में आवश्यक जानकारी

विभागीय उपलब्धियां वर्ष 2023-24

1. सी.एस.एस. योजना फेस 3 के अंतर्गत भारत शासन स्तर से क्रमशः राजगढ़, नीमच, मंदसौर, श्योपुर, सिंगरौली एवं मण्डला में नवीन चिकित्सा महाविद्यालय, स्थापित किये जाने हेतु 60:40 के अनुपात अनुसार दी गई स्वीकृति के अनुक्रम में मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक 1145/एफ/2-1/2020/55-2, दिनांक 08.12.2021 द्वारा चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना हेतु मण्डला राशि रुपये 249.63 करोड़, सिंगरौली राशि रुपये 258.07 करोड़, श्योपुर राशि रुपये 256.83 करोड़, राजगढ़ राशि रुपये 256.55 करोड़, नीमच राशि रुपये 255.78 करोड़ तथा मंदसौर को राशि रुपये 270.59 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसके अनुक्रम में पीआईयू द्वारा नीमच, मंदसौर तथा राजगढ़ के लिये निविदा जारी की जा चुकी है। सिंगरौली एवं श्योपुर चिकित्सा महाविद्यालय के निर्माण हेतु भारत शासन के केन्द्रीय उपक्रम ब्रिज एण्ड रूफ इंडिया लिमिटेड का चयन किया गया एवं निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा मण्डला मेडिकल कॉलेज हेतु मध्यप्रदेश भवन विकास निगम (एम.पी.बी.डी.सी.) भोपाल का चयन किया गया है।
2. चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल के अधीन सेन्टर ऑफ एक्सीलेस फार आर्थोपेडिक केन्द्र की स्थापना हेतु राज्य की निर्माण एजेंसी पी०आई०यू० द्वारा निविदा जारी कर निर्माण एजेंसी का चयन किया गया है। इस केन्द्र की स्थापना से प्रदेश की जनता को अस्थिरोग से सम्बंधित गंभीर प्रकृति के रोगों का इलाज सुनिश्चित हो सकेगा।
3. चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल के अधीन "रीजनल इंस्टीट्यूट फॉर रेस्पिरेटरी डिजीज" केन्द्र की स्थापना हेतु राज्य की निर्माण एजेंसी पी०आई०यू० द्वारा निविदा जारी कर निर्माण एजेंसी का चयन किया गया है। इस केन्द्र की स्थापना से प्रदेश की जनता को फेफड़ों से सम्बंधित गंभीर प्रकृति के रोगों का इलाज सुनिश्चित हो सकेगा।
4. पैरा-3 के अनुक्रम में मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक 1080-ए/ एफ 1-5 / 2021 / 55-2 दिनांक 26.11.2021 द्वारा भोपाल स्थित क्षय चिकित्सालय का उन्नयन "रीजनल इंस्टीट्यूट फॉर रेस्पिरेटरी डिजीज" में किये जाने हेतु क्षय चिकित्सालय के पूर्व में स्वीकृत 227 पदों में से 113 पदों का समर्पित करते हुए 138 नवीन पदों का सृजन, कम्प्यूटर ऑपरेटर के 09 पद कलेक्टर दर पर स्वीकृत एवं साफ सफाई तथा सुरक्षा की व्यवस्था अनुबंधित एजेन्सी के माध्यम से किये जाने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है।
5. मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ 1-3/2009/55-2 दिनांक 24.06.2021 द्वारा चिकित्सा महाविद्यालय, ग्वालियर के परिसर में निर्माणाधीन 1000 बिस्तरिय अस्पताल के द्वितीय चरण में राशि रुपये 161.09 करोड़ से प्रारंभ करने हेतु केबिनेट अनुमोदन में दी गई शर्त के अनुसार आवंटन की सीमा में व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। परियोजना परीक्षण समिति द्वारा दिनांक 05.06.2022 को बैठक में लिये गये निर्णय में परियोजना की लागत से वृद्धि होने से राशि रुपये 397.05 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक 805/एफ 1-3/2009/55-2 दिनांक 20.07.2022 द्वारा प्रदान की गई है।
6. मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ 1-04/2017/55-2, दिनांक 09.05.2022 द्वारा नेताजी सुभाषचंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर में 150 से 250 एम.बी.बी.एस. सीट्स में वृद्धि हेतु स्वीकृति परियोजना अंतर्गत पूर्व में जारी की गई राशि रुपये 127.05 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति के स्थान पर राशि रुपये 171.39 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।
7. मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ 4-2/2022/55-2 दिनांक 07.07.2022 के संदर्भ में चिकित्सा महाविद्यालय उज्जैन में 100 एम.बी.बी.एस सीट प्रवेश क्षमता की नवीन चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
8. मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ 4-2/2022/55-2 दिनांक 07.07.2022 के संदर्भ में जिला सीहोर स्थित बुदनी तहसील में 100 एम.बी.बी.एस सीट प्रवेश क्षमता का चिकित्सा महाविद्यालय

तथा 500 बिस्तर संबद्ध अस्पताल स्थापित किये जाने के साथ-साथ नर्सिंग पाठ्यक्रमों हेतु 60 सीट प्रवेश क्षमता का नर्सिंग महाविद्यालय तथा पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए 60 सीट प्रवेश क्षमता का पैरामेडिकल महाविद्यालय स्थापित किये जाने की प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 10/04/2023 को राशि रु. 714.91 करोड़ की प्रदान की गई है।

9. मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ 1-3/2019/55-2 दिनांक 13.12.2022 के संदर्भ में छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस जिला छिन्दवाड़ा के लिये दिनांक 22.10.2021 के द्वारा जारी पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति राशि रुपये 665.88 करोड़ के स्थान पर राशि रुपये 768.22 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।
10. नवीन चिकित्सा महाविद्यालय सतना में शैक्षणिक सत्र 2023-24 एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम की 150 सीटों पर प्रवेश प्रारंभ करने के संबंध में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक NMC/UG/2023-24/000034/007958 दिनांक 23.02.2023 के संदर्भ में स्वीकृति प्रदान की गई है। इस वर्ष 150 सीटों पर प्रवेश दिया गया है।
11. मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक 277 एफ 1-4/2/0002/2022/55-2 दिनांक 22.02.2023 द्वारा सतना में 150 एम.बी.बी.एस. सीट प्रवेश क्षमता के नवीन निर्मित चिकित्सा महाविद्यालय एवं स्वीकृत 750 बिस्तरिय अस्पताल के संचालन हेतु नियमित स्थापना के 1092 नवीन पद तथा 497 आउटसोर्स पद की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।
12. मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ 2-5/2022/55-2 दिनांक 16/05/2023 से चिकित्सा महाविद्यालय, सागर में स्नातक पाठ्यक्रम के लिए स्वीकृत 100 एम.बी.बी.एस. सीट प्रवेश क्षमता से 250 एम.बी.बी.एस. सीट की वृद्धि किये जाने हेतु राशि रु. 200.31 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।
13. मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक 712/एफ 5-1/2021/55-2 दिनांक 05/06/2023 द्वारा दमोह जिले में चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना किए जाने हेतु राशि रु. 266.71 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।
14. मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक 860/एफ 2/1/6/0006/2023/55-2 दिनांक 05/07/2023 द्वारा खरगौन, धार, भिण्ड, बालाघाट, टीकमगढ़ तथा सीधी जिलों में 100 एम.बी.बी.एस. सीट प्रवेश क्षमता के नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना हेतु सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई है।
15. मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ 2/1/14/0017/2023/55-2 दिनांक 29/08/2023 से श्याम शाह मेडिकल कॉलेज केम्पस, रीवा के अंतर्गत यू.जी. छात्रावास के निर्माण हेतु राशि रु. 73.47 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।
16. मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक 1259/एफ 2/1/6/0007/2023/55-2 दिनांक 21/09/2023 द्वारा प्रदेश में मुरैना जिले में 100 एम.बी.बी.एस. सीट प्रवेश क्षमता के नवीन चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना हेतु सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई है।
17. मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ 2/1/6/0008/2023/55-2 दिनांक 06/10/2023 द्वारा प्रदेश में रायसेन जिले में 100 एम.बी.बी.एस. सीट प्रवेश क्षमता के नवीन चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना हेतु सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई है।
18. चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर के अधीनस्थ स्वीकृत स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट का बनकर तैयार है। नवनिर्मित भवन संबंधित विभाग को हस्तांतरण हो चुका है।

19. मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ 1-1/2022/55 दिनांक 01.06.2022 द्वारा नर्सिंग महाविद्यालय, इंदौर एवं अधीनस्थ संस्थाओं में वित्त अधिकारी उपसंचालक स्तर का, वित्त अधिकारी सहायक संचालक स्तर का, उप रजिस्ट्रार अस्पताल सहायक प्रबंधक एवं बायोमेडिकल इंजीनियर के कुल 69 नवीन पदों की स्वीकृति प्रदान की गई है।
20. मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ 802/एफ 2-2/2022/55-2 दिनांक 20/07/2022 द्वारा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल में 128 पी.जी. सीट वृद्धि के लिये राशि रुपये 116.90 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।
21. मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक 267/एफ 1-2/2022 / 55-2, दिनांक 09.03.2022 द्वारा गजराजा चिकित्सा महाविद्यालय, ग्वालियर में स्थापित कार्डियक थोरेसिक यूनिट के निर्माण एवं उपकरण संबंधी परियोजना अंतर्गत राशि रुपये 9.08 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।
22. राज्य शासन द्वारा चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर में बोन मेरो ट्रांसप्लांट एवं रिसर्च यूनिट की स्थापना हेतु राशि रु. 9.50 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।
23. भारत शासन के सहयोग से 13 चिकित्सा महाविद्यालय क्रमशः दतिया, खण्डवा, रतलाम, शहडोल, विदिशा, छिंदवाड़ा, शिवपुरी, सतना, राजगढ़, नीमच, मंदसौर, श्योपुर एवं सिंगरौली में 60:40 के मान से नर्सिंग महाविद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं, जिस हेतु भारत शासन द्वारा केन्द्रांश की ओर से प्रथम किश्त के रूप में प्रति चिकित्सा महाविद्यालय हेतु राशि रु. 2.00 करोड़ इस प्रकार कुल 13 चिकित्सा महाविद्यालयों हेतु राशि रु. 26.00 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गयी है।
24. राज्य शासन के आदेश क्रमांक एफ 2/1/14/0013/2023/55-2 दिनांक 21/11/2023 के संदर्भ में चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन नवीन पांच शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, सिवनी, श्योपुर, सिंगरौली, मंदसौर एवं नीमच के लिए प्रत्येक चिकित्सा महाविद्यालय हेतु नियमित स्थापना में 331 पद इस प्रकार कुल 1655 तथा प्रत्येक चिकित्सा महाविद्यालय हेतु आउटसोर्स सेवाओं के 205 पद इस प्रकार कुल 1025 नवीन पद सृजित किये जाने की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।
25. देश में प्रथम बार राज्य में हिंदी भाषा में एम.बी.बी.एस. प्रथम वर्ष की पुस्तकों का पठन पाठन हेतु प्रथम चरण की 03 एम.बी.बी.एस. पुस्तकों का विमोचन दिनांक 16 अक्टूबर 2022 को माननीय केन्द्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा किया गया। वर्तमान में हिंदी एम.बी.बी.एस. द्वितीय एवं तृतीय चरण की पुस्तकों की प्रिंटिक की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है।
26. मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) अधिसूचना दिनांक 20 अप्रैल 2023 द्वारा राजपत्रित एवं अधिसूचना दिनांक 26 जून 2023 द्वारा अराजपत्रित चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालनालय चिकित्सा शिक्षा एवं चिकित्सा महाविद्यालयों के लिये सेवा भर्ती नियम-2023 का प्रकाशन किया गया है।

आत्मनिर्भर भारत के संबंध में आवश्यक जानकारी

1. रेफरल सेवायें परामर्श और पर्यवेक्षण हेतु मेडिकल कॉलेजों के क्षेत्र में आने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा जिला चिकित्सालयों एवं स्वास्थ्य विभाग के समन्वय कर शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिविल अस्पताल तथा जिला चिकित्सालयों के साथ मैप कर लिया गया है। जिससे रेप सेवायें परामर्श तथा उपचार की गुणवत्ता में वृद्धि हुई एवं दूरस्थ क्षेत्रों से गंभीर बीमारी से पीड़ित रोगियों को अविलंब चिकित्सकीय लाभ उपलब्ध हो सका।
2. एन.एम.सी. मापदंडों के अनुसार चिकित्सा महाविद्यालयों से संबद्ध अस्पतालों और शिक्षण ब्लॉकों के उन्नयन के उद्देश्य से चिकित्सा महाविद्यालयों में एम.बी.बी.ए सीटों की वृद्धि हुई है, आज दिनांक तक प्रदेश के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों कुल 2275 एम.बी.बी.एस. एवं 1262 पी. जी. सीटें हैं। सतना मेडिकल कॉलेज सत्र 2023-24 प्रारंभ होकर 150 सीटों पर प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है।
3. राज्य के नर्सिंग मान्यता नियम 2024 प्रक्रियाधीन है और पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं हेतु कड़े उपाय, सरकार में विभिन्न नर्सिंग पाठ्यक्रमों में सीटों की दौगुनी सीट वृद्धि, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में नवीन पैरामेडिकल कोर्सेस का संचालन का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं स्वास्थ्य विभाग के नर्सिंग स्कूलों का चिकित्सा शिक्षा विभाग में नये चिकित्सा महाविद्यालय में स्थानांतरण एवं उन्नयन का कार्य प्रगति पर है।
4. देश में प्रथम बार - राज्य में हिंदी भाषा में एम.बी.बी.एस प्रथम वर्ष की पुस्तकों का पठन पाठन हेतु प्रथम चरण की 03 एम.बी.बी.एस. पुस्तकों का विमोचन दिनांक 16 अक्टूबर 2022 को माननीय केन्द्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा किया गया। वर्तमान में हिंदी MBBS द्वितीय एवं तृतीय चरण की पुस्तकों की प्रिंटिंग की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है।
5. स्वास्थ्य और शिक्षा संस्थानों में पाठ्यक्रम का पुनरीक्षण और उत्कृष्टता केन्द्रों का निर्माण करने हेतु प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी संस्थान एवं Epidemiology संस्थान की स्थापना लक्षित है जिसके अंतर्गत 4 सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, इंदौर में क्रियान्वित है। वर्तमान में विभाग का लक्ष्य चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल एवं रतलाम को सुपर स्पेशलिटी संस्थान के रूप में उन्नयन करना है।

भाग-चार

सामान्य प्रशासनिक विषय

- 4.1 सामान्य प्रशासनिक विषय
- 4.2 सेवा संबंधी न्यायालयीन प्रकरणों की जानकारी

संसदीय कार्य

सामान्य प्रशासनिक विषय

क्र.	विधान सभा सत्र	प्रश्न	ध्याना-कर्षण सूचना	अशासकीय संकल्प	स्थगन प्रस्ताव	शून्य-काल सूचना	कटौती प्रस्ताव	अ-विश्वास प्रस्ताव	विधान सभा याचिका	लोक महत्त्व की सूचना	अभ्या-वेदन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	विधानसभा बजट सत्र मार्च-2023	97	17	00	01	02	00	00	00	00	00
2	विधानसभा सत्र जुलाई 2023	35	11	00	00	01	00	00	00	00	00
3	विधानसभा सत्र फरवरी - 2024	58	21	01	00	00	00	00	00	00	00

सेवा संबंधी न्यायालयीन प्रकरणों की जानकारी

स.क्र.	न्यायालयीन प्रकरण का प्रकार	कुल संख्या	कुल प्रकरण जिनमें जवाबदावा प्रस्तुत किया जा चुका है।	कुल प्रकरण जिनमें जवाबदावा प्रस्तुत किया जाना है।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	एस.एल.पी.	17	11	06
2.	डब्ल्यू. पी. प्रकरण	783	677	106
3.	रिट अपील प्रकरण	24	17	07
4.	अवमानना प्रकरण	24	21	03
5.	अन्य प्रकरण	43	35	08
	कुल योग	891	761	130

भाग-पांच

- 5.1 म.प्र. आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय का परिचय एवं संबंधित संस्थाओं की सूची
- 5.2 मध्यप्रदेश मेडिकल काँसिल, भोपाल
- 5.3 मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद, भोपाल
- 5.4 मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काँसिल भोपाल
- 5.5 मध्यप्रदेश राज्य दंत परिषद् इन्दौर

म.प्र. आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय का परिचय

मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर की स्थापना म.प्र. विधानसभा द्वारा पारित मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम 2011, (मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण में प्रकाशन दिनांक 06/05/2011) द्वारा की गई थी। मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार संपूर्ण मध्यप्रदेश है।

मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना चिकित्सा, दंत चिकित्सा, नर्सिंग, आयुर्वेदिक, यूनानी, हौम्योपैथी, योग, नैचुरोपैथी, सिद्ध, सह-चिकित्सा तथा अन्य सहबद्ध विषयों में उपाधि और उपाधि पत्र स्तर पर व्यवस्थित, दक्षतापूर्ण एवं गुणात्मक शिक्षा सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए चिकित्सा विज्ञान का एक विश्वविद्यालय स्थापित और निर्मित करने तथा उसे संबद्ध या अनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए की गई है।

विश्वविद्यालय स्वयं के भवन में संचालित है। विश्वविद्यालय भवन का निर्माण रुपये 20 करोड़ की लागत से पी.आई.यू. लोक निर्माण विभाग द्वारा किया गया है।

विश्वविद्यालय से वर्तमान में चिकित्सा, दंत चिकित्सा, हौम्योपैथी, नर्सिंग, सह चिकित्सा, आयुर्वेद, यूनानी एवं नैचुरोपैथी संकायों के लगभग 600 महाविद्यालय संचालित है।

विश्वविद्यालय के स्थापित होने से अब तक शासकीय 14 चिकित्सा महाविद्यालय के साथ ही निजी क्षेत्र के 04 चिकित्सा महाविद्यालय, शासकीय 01 दंत चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर, निजी क्षेत्र में 08 दंत चिकित्सा महाविद्यालय, शासकीय 10 पैरामेडिकल महाविद्यालय, निजी 155 पैरामेडिकल महाविद्यालय, शासकीय 07 आयुर्वेद महाविद्यालय, 13 निजी आयुर्वेद महाविद्यालय, शासकीय 01 हौम्योपैथी महाविद्यालय, निजी 14 हौम्योपैथी महाविद्यालय, 01 निजी नैचुरोपैथी महाविद्यालय, शासकीय यूनानी महाविद्यालय 01, निजी यूनानी महाविद्यालय 03 एवं शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय 17 निजी क्षेत्र में नर्सिंग महाविद्यालय 354 संबद्धता प्रदान की गई है।

विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न संकायों के अंतर्गत डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर, सुपर स्पेशलिटी फेलोशिप एवं पी.एच.डी. के विभिन्न पाठ्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न संकायों की 100 से अधिक परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है।

उपलब्धियां –

- विश्वविद्यालय द्वारा प्रथम दीक्षांत समारोह का आयोजन माह जुलाई 2022 में आयोजित किया गया।
- विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों के हित में सभी संकायों हेतु माह सितम्बर 2022 से शत प्रतिशत डबल वैल्यूएशन प्रक्रिया लागू की गई है।
- विश्वविद्यालय द्वारा समस्त संकायों की अंकसूचियां, प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स, माइग्रेशन तथा परमानेंट डिग्री सर्टिफिकेट्स मुद्रित कर छात्रों को वितरित कर पेडेंसी लगभग समाप्त कर दी गई है।
- छात्रों की अंकसूची, प्रोविजनल एवं परमानेंट डिग्री तथा अन्य सर्टिफिकेट को डिजी लॉकर में भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
- विश्वविद्यालय की परीक्षा से संबंधित समस्त प्रक्रियाओं जैसे कि Pre-Exam activity (form filling for exams) Exam activity (प्रश्नपत्र मंगाना एवं भेजना, परीक्षा का मूल्यांकन इत्यादि जैसे अन्य कार्य) and Post exam activity जैसे कि Result processing, declaration एवं Sharing पूर्णतः सुरक्षित Digital माध्यम से कि जाती है।
- विश्वविद्यालय में परीक्षा नियंत्रक एवं अन्य अधिकारियों के साथ प्रतिदिन जनसुनवाई (छात्रों की समस्या/समाधान हेतु) की जाती है एवं प्रकरणों का यथा संभव तत्काल समाधान किया जाता है।

- मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा भोपाल, रीवा, इंदौर, ग्वालियर जिलों में क्षेत्रीय समन्वय केंद्र (रीजनल सेंटर) की स्थापना की जा रही है।
- विश्वविद्यालय को Faceless एवं Paperless बनाने हेतु छात्रों एवं महाविद्यालयों से संबंधित समस्त आवेदनों को प्राप्त करने की प्रक्रिया तथा प्रमाण पत्रों को जारी करने की प्रक्रिया को डिजीटलाइज कर दिया गया है।
- मेडिकल, डेंटल एवं आयुष महाविद्यालयों की सत्र 2023-24 हेतु संबद्धता जारी की जा चुकी है एवं सत्र 2024-25 की प्रक्रिया वर्तमान में संचालन में है।
- महाविद्यालयों में गुणवत्ता पूर्ण निरीक्षण प्रक्रिया हेतु QCI से सहमती पत्र हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया शुरू की गई है।
- विश्वविद्यालय की समस्त भूमि का टोटल स्टेशन सर्वे का कार्य किया गया है तथा कुलपित आवास, गेस्ट हाउस एवं ऑडिटोरियम का निर्माण कार्य प्रक्रियांतर्गत है।
- विश्वविद्यालय द्वारा 35, सहायक ग्रेड-3 की भर्ती हेतु कर्मचारी चयन आयोग को भेजा गया था जिसकी परीक्षाएं हो चुकी हैं। शीघ्र ही विश्वविद्यालय में 35, सहायक ग्रेड-3 कर्मचारी की भर्ती हो जावेगी।
- विश्वविद्यालय द्वारा सफलतापूर्वक बीजादांडी जिला मंडला में आदिवासी स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है तथा डिन्डौरी जिले में स्थित बरगांव ग्राम को गोद लिया गया है।
- मंडला जिले में स्किल सेल एनीमिया के निवारण हेतु 5 गांवों को गोद लेकर स्वास्थ्य एवं जागरूकता शिविर लगाये गये हैं।
- विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के साथ मिलकर छात्रों की जागरूकता हेतु सेमिनार का सफल आयोजन किया गया तथा विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों के हित में जनजातीय प्रकोष्ठ की भी स्थापना की गई है।
- बाबा साहब अंबेडकर वैद्यकीय प्रतिष्ठान शंभाजी नगर एवं मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के मध्य किये गये MOU के अनुक्रम में छात्रों में सेवा भाव जगाने हेतु "सेवांकुर भारत कार्यक्रम" का सफल आयोजन किया गया है।
- विश्वविद्यालय में चिकित्सा विज्ञान की पढाई हिंदी में किये जाने हेतु हिंदी प्रकोष्ठ का गठन किया गया।
- विद्यार्थियों, महाविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में कार्यरत फैकल्टी की शिकायतों के निराकरण हेतु विश्वविद्यालय द्वारा Grievance Management System (GMS) पोर्टल का भी निर्माण एम.पी. ऑनलाइन के माध्यम से कराया जा चुका है। जो कि विगत एक वर्ष से सफलतापूर्वक संचालन में है।
- विश्वविद्यालय में किसी भी प्रकार के संचार हेतु केवल शासकीय ईमेल आईडी के उपयोग को अनिवार्य रूप से लागू किया गया है।

म.प्र. आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय से संबंधित संस्थाओं की सूची :-

दंत चिकित्सा महाविद्यालय :-

1. शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, इंदौर।
2. मार्टन डेंटल कॉलेज, इंदौर।
3. ऋषिराज कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेस एंड रिसर्च सेंटर, भोपाल।
4. हितकारिणी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जबलपुर।

5. इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल एजुकेशन एंड एडवांस स्टडीज, ग्वालियर।
6. महाराणा प्रताप कॉलेज ऑफ डेंटल साइन्स, ग्वालियर।
7. कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस एंड हॉस्पिटल, राऊ, इंदौर।
8. मानसरोवर डेंटल कॉलेज ऑफ भोपाल।
9. गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस, बुरहानपुर।

चिकित्सा महाविद्यालय :-

1. राम कृष्ण मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर भोपाल।
2. छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, छिंदवाड़ा।
3. शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, विदिशा।
4. गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल।
5. शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया।
6. शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, खण्डवा।
7. शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, रतलाम।
8. शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, शहडोल।
9. श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा।
10. नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर।
11. महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर।
12. आर.डी.गार्डी मेडिकल कॉलेज, उज्जैन।
13. बुन्देलखंड चिकित्सा महाविद्यालय, सागर।
14. गजराजा चिकित्सा महाविद्यालय, ग्वालियर।
15. महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च भोपाल।
16. शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी।
17. सुख सागर चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर।
18. शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, सतना।

आयुर्वेद महाविद्यालय :-

1. शासकीय स्वशासी अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय, इंदौर।
2. पंडित शिवशक्ति लाल शर्मा आयुर्वेद कॉलेज एंड हॉस्पिटल रतलाम।
3. वीणा वादिनी आयुर्वेद कॉलेज एंड हॉस्पिटल भोपाल।
4. शुभदीप आयुर्वेद कॉलेज इंदौर।
5. शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय ग्वालियर।

6. शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय जबलपुर।
7. शासकीय स्वशासी आयुर्वेद कॉलेज एंड हॉस्पिटल रीवा।
8. विजय श्री आयुर्वेद कॉलेज एंड हॉस्पिटल जबलपुर।
9. पाराशर आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भोपाल।
10. डॉ. शंकरदयाल शर्मा आयुर्वेद कॉलेज भोपाल।
11. सरदार अजित सिंह स्मृति आयुर्वेद कॉलेज भोपाल।
12. पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय एवं अनुसंधान जबलपुर।
13. शासकीय धन्वतरी आयुर्वेद कॉलेज उज्जैन।
14. ओम आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बैतुल।
15. पंडित शिवनाथ शास्त्री शासकीय स्वशासी आयुर्वेद कॉलेज एंड हॉस्पिटल बुरहानपुर।
16. साईं इंस्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेद एंड रिसर्च मेडिसिन भोपाल।
17. मानसरोवर आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर भोपाल।
18. पंडित खुशीलाल शर्मा स्वशासी आयुर्वेद कॉलेज भोपाल।
19. रानी दुलैया स्मृति आयुर्वेद पी जी कॉलेज एंड हॉस्पिटल भोपाल।
20. कोर्पोरेट कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक साइंस, भोपाल।

यूनानी महाविद्यालय :-

1. हकीम सैयद जूल हशन गवर्नमेंट यूनानी कॉलेज एंड हॉस्पिटल भोपाल।
2. सोफिया हमीदिया यूनानी तिब्बिया कॉलेज एंड हॉस्पिटल बुरहानपुर।
3. हकीम अब्दुल हामिद यूनानी मेडिकल कॉलेज देवास।
4. अल फारुक यूनानी तिब्बिया कॉलेज, इंदौर।

होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालय :-

1. के. एस. होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज ग्वालियर।
2. गवर्नमेंट होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भोपाल।
3. श्री गुजराती समाज श्रीमंत कमलावेन राजूभाई पटेल गुजराती होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज इंदौर।
4. शिवांग होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भोपाल।
5. अनुश्री होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज जबलपुर।
6. रानी दुलैया स्मृति होम्योपैथिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल भोपाल।
7. हेनेमन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज भोपाल।
8. सेंधवा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सेंधवा।
9. नारायण श्री होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज भोपाल।

10. जिला हौम्योपैथी चिकित्सा कॉलेज एंड हॉस्पिटल रतलाम।
11. इंदिरा गांधी मेमोरियल हौम्योपैथिक कॉलेज, धार।
12. एल.बी.एस हौम्योपैथी कॉलेज, भोपाल।
13. महात्मा गांधी हौम्योपैथी कॉलेज, जबलपुर।
14. सोफिया हौम्योपैथी कॉलेज, ग्वालियर।
15. वसुन्धरा राजे हौम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ग्वालियर।

योगा एवं नैचुरोपैथी महाविद्यालय :-

1. संत हिरदाराम प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग विज्ञान महाविद्यालय भोपाल।

मध्यप्रदेश मेडिकल कौंसिल, भोपाल

1. "परिचय"

मध्यप्रदेश मेडिकल कौंसिल, भोपाल मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्र. F-1-95-ME/LV/Med-2 दिनांक 29.03.1996 के अन्तर्गत गठित होकर दिनांक 01.04.1996 से अस्तित्व में आई। जिसका उद्देश्य आधुनिक चिकित्सा पद्धति (एलोपैथिक) के व्यवसाय को मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1987 में उपबंधित प्रावधानों के अन्तर्गत निर्मित करना है।

मध्यप्रदेश मेडिकल कौंसिल के पूर्व महाकौशल क्षेत्र, मध्यभारत क्षेत्र एवं भोपाल स्टेट क्षेत्र हेतु तीन क्षेत्रीय मेडिकल कौंसिल – महाकौशल मेडिकल कौंसिल, मध्यभारत मेडिकल कौंसिल एवं भोपाल मेडिकल कौंसिल विभिन्न अधिनियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यरत थी। मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1987 के अस्तित्व में आने पर पूर्व के तीनों अधिनियम निरसित हो गये तथा उक्त तीनों मेडिकल कौंसिल के पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी स्वतः ही मध्यप्रदेश मेडिकल कौंसिल के पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी माने गये हैं।

2. "उद्देश्य"

मध्यप्रदेश में चिकित्सा व्यवसायियों के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित विधियों को समेकित और संशोधित करने तथा राज्य के लिए आयुर्विज्ञान परिषद् के गठन और उनमें संसक्त विषयों के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियम।

3. "परिषद् की निधि"

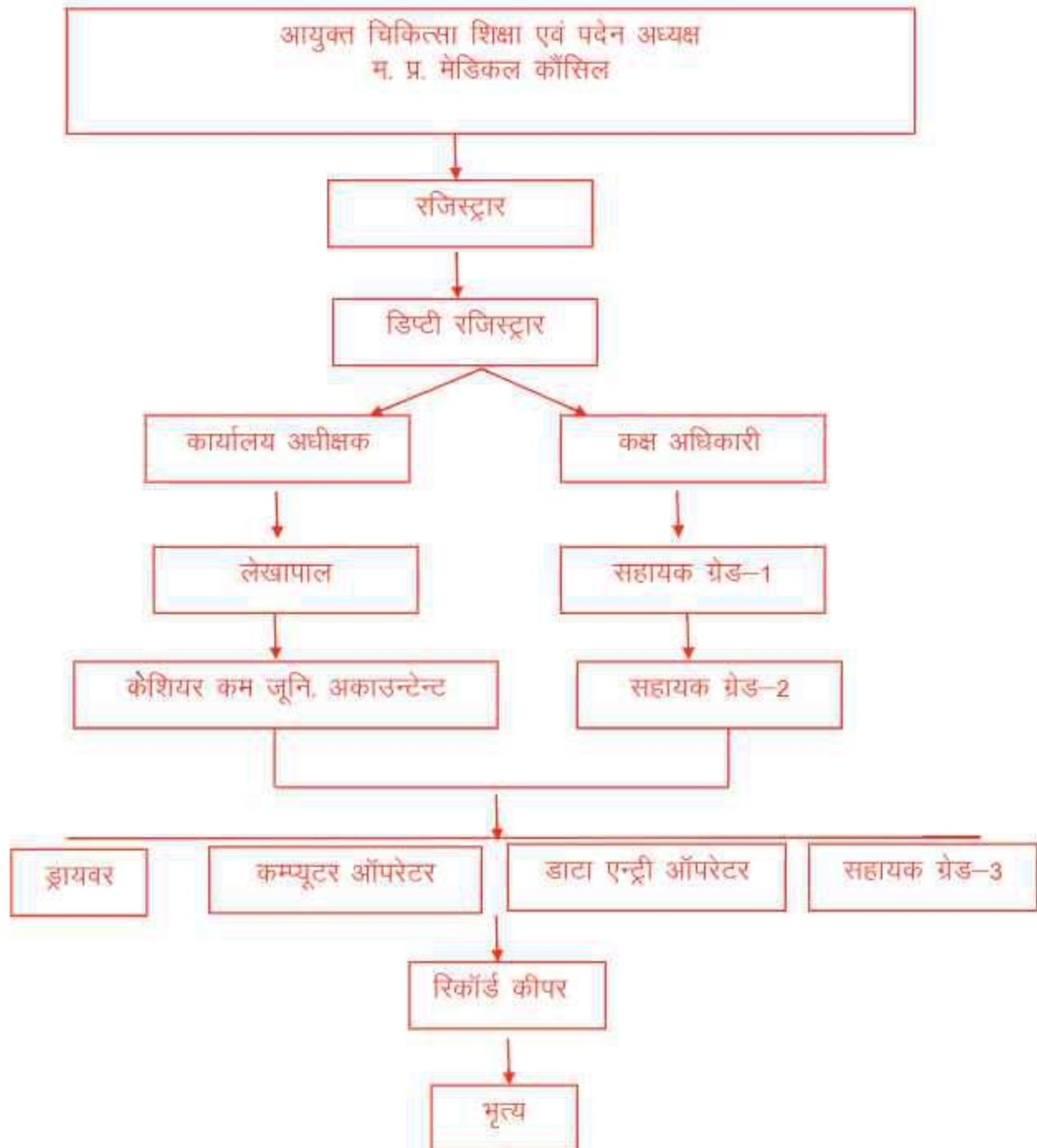
मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1987 की धारा 19 की उपधारा (2) के अनुसार पंजीयन शुल्क से प्राप्त आय परिषद् की निधि होगी। मध्यप्रदेश मेडिकल कौंसिल को शासन से कोई अनुदान प्राप्त नहीं होता है।

4. "परिषद् की स्थापना एवं गठन"

परिषद् निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी अर्थात् :-

- | | | |
|----------------|---|-----------------------------------|
| (क) अध्यक्ष | — | श्री तरुण कुमार पिथोडे, आई.ए.एस. |
| (ख) रजिस्ट्रार | — | डॉ. राजेन्द्र कुमार निगम, एम. डी. |

5. "संगठनात्मक ढांचा"



5. “परिषद् के मुख्य कार्य”

- मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1987 की धारा 11 के अन्तर्गत संधारित स्टेट मेडिकल रजिस्टर में नेशनल मेडिकल कमीशन, नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त चिकित्सकीय अर्हता एम.बी.बी.एस. का पंजीयन किया जाना।
- अधिनियम, 1987 की धारा 13 के प्रावधान अनुसार नेशनल मेडिकल कमीशन, नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर चिकित्सकीय अर्हता एम.एस., एम.डी. एवं डिप्लोमा का इंड्राज स्टेट मेडिकल रजिस्टर में किया जाना।
- पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी को अन्य राज्य या देश के बाहर की कौंसिल में पंजीयन कराये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं गुड स्टैंडिंग प्रमाण पत्र जारी किये जाने की कार्यवाही करना।
- नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट, 2019 के प्रावधान अनुसार प्रत्येक तिमाही में स्टेट मेडिकल रजिस्टर में पंजीकृत चिकित्सकों की सूची इंडियन मेडिकल रजिस्टर में संधारित करने हेतु नेशनल मेडिकल कमीशन, नई दिल्ली को प्रेषित की जाना।
- इंडियन मेडिकल कौंसिल (प्रोफेशनल कंडक्ट, ऐटिकेट एण्ड ईथिक्स) रेग्यूलेशंस 2002 के प्रावधान अनुसार मेडिकल एसोसिएशन अथवा मेडिकल कॉलेज द्वारा आयोजित सतत शिक्षा कार्यक्रम (सीएमई) हेतु अनुमति एवं क्रेडिट आवर आवंटन किया जाना।
- इंडियन मेडिकल कौंसिल (प्रोफेशनल कंडक्ट, ऐटिकेट एण्ड ईथिक्स) रेग्यूलेशंस 2002 के प्रावधान अनुसार परिषद् में व्यवसायिक आचरण एवं इलाज में लापरवाही के संबंध में प्राप्त शिकायत प्रकरणों का निराकरण किया जाना।

7. “राज्य चिकित्सक रजिस्टर का संधारण”

- दिनांक 30/04/2024 की स्थिति में मध्यप्रदेश मेडिकल कौंसिल में 60190 एमबीबीएस चिकित्सक पंजीकृत हैं।

8. “मध्यप्रदेश मेडिकल कौंसिल के निम्न पंजीयन सेवाओं को ऑनलाईन किया जा चुका है”

- Provisional Registration (Madhya Pradesh).
- Provisional Registration (Other State).
- Provisional Registration (Foreign Medical Qualification).
- Permanent Registration (Madhya Pradesh).
- Reciprocal Registration. (Other State)
- Permanent Registration (Foreign Medical Qualification).
- Direct Permanent Registration (Foreign Medical Qualification).
- Additional Registration.
- Duplicate Permanent Registration.
- Duplicate Additional Registration.
- Application Form for NOC
- Application Form for GSC



नवगठित मध्यप्रदेश अलाइड एण्ड हेल्थकेयर काउंसिल

- डॉ. जितेन चन्द्र शुक्ला : अध्यक्ष,
मध्यप्रदेश अलाइड एण्ड हेल्थकेयर काउंसिल
भोपाल
- डॉ. शेलोज जोशी : सचिव,
मध्यप्रदेश अलाइड एण्ड हेल्थकेयर काउंसिल
भोपाल
- श्री अंकित श्रीवास्तव : उपसचिव,
मध्यप्रदेश अलाइड एण्ड हेल्थकेयर काउंसिल
भोपाल

1. प्रस्तावना एवं संक्षिप्त परिचय

मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद अधिनियम, 2000 (क्रमांक 1, सन् 2001) दिनांक 12 जनवरी, 2001 के लागू होने के उपरांत परिषद वर्ष 2003 से गठित होकर सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में प्रभावशील है। परिषद देश की पहली ऐसी वैधानिक संस्था है, जो मध्यप्रदेश राज्य में सह-चिकित्सीय व्यवसायियों व कर्मियों के सुचारु शिक्षण व्यवस्था हेतु शिक्षण संस्थाओं पर नियंत्रण रखने के साथ ही सह-चिकित्सा शिक्षा में एकरूपता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने एवं राज्य सह-चिकित्सीय रजिस्टर में पंजीयन करने के लिये प्रमुख रूप से कार्य करती आ रही है। साथ ही मध्यप्रदेश राज्य में पैरामेडिकल पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की इच्छुक संस्थाओं को इस अधिनियम के तहत बनाये गये नियमों के अंतर्गत मान्यता मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद से विधिवत अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है।

2. उद्देश्य

राज्य में सह-चिकित्सीय परिषद की स्थापना करने और सह-चिकित्सीय व्यवसायियों के द्वारा व्यवसाय करने तथा सह-चिकित्सीय शिक्षा को विनियमित करने के लिये उपबंध करने हेतु अधिनियम लागू किया गया है। जिसके अंतर्गत परिषद द्वारा व्यवसायियों का पंजीयन करना एवं सह-चिकित्सीय शिक्षण संस्थाओं को मान्यता प्रदान करना मुख्य उद्देश्य है।

3. सह-चिकित्सीय विषय

मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय शिक्षा संस्थान (मानक और दिशानिर्देश) स्थापना नियम 2021 की अनुसूची में उल्लेखित 45 सह-चिकित्सीय विषयों को सम्मिलित कर विभिन्न स्नातकोत्तर/डिग्री/डिप्लोमा एवं प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम संचालित करने की मान्यता शिक्षण संस्थाओं को प्रदान की जाती है।

4. परिषद की स्थापना एवं गठन

उल्लेखित अधिनियम के यथा प्रावधानों के तहत परिषद निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर गठित की गई है अर्थात:-

क-पदेन सदस्य

- (1) मंत्री, चिकित्सा शिक्षा (अध्यक्ष)
- (2) संचालक, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश (पदेन उपाध्यक्ष)
- (3) संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, मध्यप्रदेश (पदेन सदस्य)
- (4) संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी, मध्यप्रदेश (पदेन सदस्य)
- (5) नियंत्रक, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश (पदेन सदस्य)

ख-नामनिर्दिष्ट सदस्य

- (6) राज्य या स्वायत्त चिकित्सा महाविद्यालय का एक संकायाध्यक्ष
- (7) राज्य या स्वायत्त आयुर्वेद महाविद्यालय का एक प्राचार्य
- (8) शासकीय या स्वायत्त चिकित्सा महाविद्यालय का अस्थिरोग का एक प्राध्यापक या भौतिक चिकित्सा महाविद्यालय का प्राचार्य
- (9) शासकीय या स्वायत्त चिकित्सा महाविद्यालय जिसमें सह-चिकित्सीय विषय में पाठ्यक्रम चलाया जाता है का एक प्राध्यापक तथा विभागाध्यक्ष

- (10) राज्य या स्वायत्त आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक या यूनानी महाविद्यालय जिसमें सह-चिकित्सीय विषय चलाया जाता है का एक प्राध्यापक तथा विभागाध्यक्ष

ग-निर्वाचित सदस्य

- (11) रजिस्ट्रीकृत सह-चिकित्सीय व्यवसायियों द्वारा ऐसी रीति में जैसी कि विनियमों द्वारा विहित की जाए अपने में से निर्वाचित किये जाने वाले पाँच सदस्य

5. परिषद के कार्य

5.1. मान्यता

परिषद द्वारा सत्र 2022-23 के लिए सह-चिकित्सीय संस्थानों को म.प्र. सह चिकित्सीय शिक्षा संस्था (मानक और दिशा-निर्देश) स्थापना नियम 2021 के यथावर्णित प्रावधानों के तहत निर्धारित प्रक्रिया एवं शासन से प्राप्त अनुमोदन अनुसार विभिन्न सह-चिकित्सीय विषयों में स्नातकोत्तर/डिग्री/ डिप्लोमा एवं प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु मान्यता प्रदान की गयी हैं। मान्यता प्राप्त संस्थाओं की सूची परिशिष्ट -1 में संलग्न है।

5.2. सह-चिकित्सीय कर्मी एवं पंजीयन

प्रदेश में सह-चिकित्सीय कर्मियों को कार्य करने हेतु परिषद में पंजीयन करवाना अनिवार्य है। इस सम्बन्ध में राज्य-शासन द्वारा संचालक चिकित्सा शिक्षा की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति भी गठित है। जिनके द्वारा पंजीयन संबंधी निति-निर्धारण हेतु अनुशंसाएँ परिषद को प्रेषित की जाती हैं।

अधिनियम के तहत बनाये गए नियम-विनियम के अनुसार सह-चिकित्सीय व्यवसायियों के पास परिषद द्वारा जारी वैध पंजीयन का होना अनिवार्य हैं, जो कि पांच वर्ष के लिए वैध होता है। इस हेतु किसी भी पात्र व्यक्ति के द्वारा एम.पी. ऑनलाईन के माध्यम से सशुल्क आवेदन कर नवीन पंजीयन अथवा अपना पंजीयन नवीनीकरण करवाया जा सकता है।

प्रारंभ से अद्यतन स्थिति तक परिषद द्वारा लोक सेवा प्रदाय की गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत प्रदाय की गयी सेवाएँ निम्नानुसार है :-

क्रं.	लोकसेवा गारंटी के अंतर्गत अधिसूचित विषय/कार्य	लोकसेवा गारंटी के अंतर्गत निरधारित समय सीमा	इन सेवाओं के वर्ष 2013 से ऑनलाईन प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद से वर्तमान तक जारी किए गए प्रमाण पत्रों की कुल संख्या
1	पैरामेडिकल प्रैक्टिशन का पंजीयन	30 कार्य दिवस	51310
2	तत्काल पंजीयन	01 कार्य दिवस तथा 07 कार्य दिवस	6981
3	पंजीयन नवीनीकरण	30 कार्य दिवस	16587
4	तत्काल पंजीयन नवीनीकरण	01 कार्य दिवस	880
5	अन्य प्रदेश में कार्य के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र	30 कार्य दिवस	4755
6	गुड स्टेण्डिंग सर्टिफिकेट	07 कार्य दिवस	74
7	डुप्लीकेट पंजीयन	30 कार्य दिवस	233

उल्लेखनीय है कि उक्तानुसार समस्त ऑनलाईन सेवाओं का निराकरण लगभग 90 प्रतिशत से ऊपर है।

5.3. परिषद द्वारा आयोजित प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रमों की परीक्षा

परिषद द्वारा आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा म.प्र.की अध्यक्षता में परीक्षा बोर्ड गठित की गयी है जिसके निर्देशन में परिषद के द्वारा एक वर्षीयप्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्रों की परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। परिषद द्वारा अद्यतन स्थिति में सत्र 2021-22 के मुख्य परीक्षाओं का आयोजन कराकर परीक्षा परिणाम भी घोषित की जा चुकी है, वर्तमान में पूरक परीक्षा सत्र 2021-22 और मुख्य परीक्षा सत्र 2022-23 के लिए कार्यवाही जारी है।

6. परिषद में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी-गण

- (1) प्रथम श्रेणी – 02
- (2) तृतीय श्रेणी (लिपिकीय) – 01
- (3) चतुर्थ श्रेणी – निरंक
- (4) वालंटियर्स (आवश्यकतानुसार) – 17
- (5) आउटसोर्स (आवश्यकतानुसार) – 29

7. परिषद की निधि

परिषद एक स्ववित्तीय संस्था है एवं शासन से किसी प्रकार का वित्तीय सहयोग प्राप्त नहीं किया जाता है। परिषद द्वारा नियमानुसार स्थापित निधि में परिषद की एफ.डी.आर एवं अन्य राशि राष्ट्रीयकृत बैंको में जमा करायी जाती है। परिषद के पास स्वयं का कार्यालय प्लेटिनम प्लाजा माता मंदिर तृतीय तल पर है। परिषद द्वारा प्रतिवर्ष नियमानुसार ऑडिट कराया जाता है।

8. सूचना का अधिकार

परिषद द्वारा शासन द्वारा जारी नीति के अनुसरण में परिषद के कार्यों में पारदर्शिता के उद्देश्य से सूचना का अधिकार सम्बन्धी परिपत्र दिनांक 07 जून, 2004 को जारी किया गया है जिसके अन्तर्गत कोई भी आवेदक परिषद से जानकारी प्राप्त करने हेतु निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन कर सकता है।

9. परिषद की वेबसाइट एवं पोर्टल

शासन द्वारा जारी Digital Madhya Pradesh नीति के अनुसरण में परिषद कार्यों द्वारा जनसाधारण की सुविधा प्रदान करने एवं कार्यप्रणाली में और ज्यादा पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से परिषद की वेबसाइट www.mppmc.ac.in एवं पोर्टल <https://paramedical.mponline.gov.in> संचालित किया जा रहा है। जिसके माध्यम से परिषद से लोक सेवा गारण्टी अधिनियम, 2010 के तहत अधिसूचित कुल 11G2C (Govt to Citizen Services) सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इसके अलावा अन्य ऑनलाईन सेवाएं जिसमें मान्यता, प्रवेश, परीक्षा, छात्रवृत्ति एवं पंजीयन से सम्बंधित सेवाएं भी शामिल है।

साथ ही उक्त पोर्टल पर परिषद द्वारा जारी की जाने वाली विभिन्न सूचनाओं जैसे अधिसूचना, अधिनियम, नियम, त्जप् मान्यता प्राप्त संस्थानों की जानकारी, आम सूचना सहित अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं तथा पत्र-परिपत्रों की जानकारी भी अपलोड की जाती हैं।

10. परिषद कार्यालय का स्वयं का भवन

परिषद द्वारा सर्व-सुविधायुक्त कार्यालय भवन हेतु क्रय भूमि में पेरामेडिकल काउंसिल के साथ-साथ मेडिकल काउंसिल एवं नर्सिंग काउंसिल के एक ही स्थान पर कम्पोजिट भवन निर्माण करने की स्वीकृति शासन से प्राप्त होकर भवन निर्माणाधीन है।

11. NCAHP Act 2021 के अंतर्गत मध्यप्रदेश एलाइड एण्ड हेल्थ केयर काउंसिल के गठन के संबंध में

- मध्यप्रदेश एलाइड एण्ड हेल्थ केयर काउंसिल का गठन NCAHP Act 2021 के प्रावधानों के अनुरूप किया जाकर आगे का संचालन/परिचालन किया जाना है।
- भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा सह-चिकित्सीय कर्मियों के उन्नयन, समरूपता, आधुनिक तकनीकी विस्तार एवं केंद्रीय तथा राज्य स्तरीय पंजीयन के संभारण के उद्देश्य से दिनांक 28 मार्च 2021 को "नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एण्ड हेल्थ केयर प्रोफेशन एक्ट 2021 (National Commission For Allied & Healthcare Profession Act, 2021)" लागू किया गया है।
- इसी परिप्रेक्ष्य में दिनांक 27 फरवरी 2024 को आयोजित मंत्रि-परिषद् की बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार— "मध्यप्रदेश सह चिकित्सीय परिषद अधिनियम, 2000 को निरस्त करते हुए उसके अधीन क्रियाशील मध्यप्रदेश सह चिकित्सीय परिषद का भी विघटन किया जावे तथा नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एण्ड हेल्थ केयर प्रोफेशन एक्ट 2021 (National Commission For Allied & Healthcare Profession Act, 2021) के प्रावधानों के अंतर्गत मध्यप्रदेश एलाइड एण्ड हेल्थ केयर काउंसिल (Madhya Pradesh Allied & Healthcare Council) के गठन किया जावे। मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद की परिसंपत्तियों, कार्यरत अमला, दायित्वों आदि का हस्तांतरण नवीन गठित मध्यप्रदेश एलाइड एण्ड हेल्थ केयर काउंसिल में किये जाने की स्वीकृति दी जावे।"
- जिसके संदर्भ में, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल द्वारा दिनांक 07/03/2024 को जारी आदेश क्रमांक: 443/एफ4/2/6/3/2023/1/55, 455/एफ4/2/6/3/2023/1/55 तथा 451/एफ 4/2/6/3/2023/1/55 जारी किये गए हैं। जिसके अनुसार "नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एण्ड हेल्थ केयर प्रोफेशन एक्ट 2021 (National Commission For Allied & Healthcare Profession Act] 2021) "की धारा 22 (1), (2) एवं (3) के प्रावधानों के अंतर्गत मध्यप्रदेश एलाइड एण्ड हेल्थ केयर काउंसिल के गठन एवं अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति/नामांकन करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।
- नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एण्ड हेल्थ केयर प्रोफेशन एक्ट 2021 (NCAHP, 2021) के प्रावधानों के अंतर्गत शासन से जारी आदेश क्रमांक एफ-4/2/6/03/2023/1-55 दिनांक 09.05.2024 के द्वारा 'मध्यप्रदेश एलाइड एण्ड हेल्थ केयर काउंसिल (Madhya Pradesh Allied & Healthcare Council)* का गठन किया गया है।

संलग्न — मान्यता प्राप्त संस्थाओं की सूची

**RECOGNISED PARAMEDICAL INSTITUTE IN MADHYA PRADESH FOR
RUNNING VARIOUS PARAMEDICAL
P.G., DEGREE, DIPLOMA & CERTIFICATE COURSES
{SESSION 2022-23}**

AGAR - MALWA

1. माँ पीताम्बरा पैरामेडिकल कॉलेज (रुकमणी देवी शिक्षा एवं समाजिक संस्था) मास्टर कॉलोनी, नीलकण्ठेश्वर स्कूल के पास, जिला आगर-मालवा। A22P0193 दिनांक 07/08/2023.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री. डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	BACHELOR OF PHYSIOTHERTAPY	DEGREE	50
2	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DEGREE	100
3	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DIPLOMA	100
4	X-RAY (RADIOGRAPHER)TECHNICIAN	DIPLOMA	50
5	PANCHKARMA TECHNICIAN	CERTIFICATE	50

2. बुद्धिसागर कॉलेज (बुद्धिसागर एज्युकेशनल सोसायटी) जामली जिला - आगरमालवा। A22P0105 दिनांक 18/08/23

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री. डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DIPLOMA	50
2	X-RAY RADIOGRAPHER TECHNICIAN	CERTIFICATE	50
3	OPERATION THEATRE TECHNICIAN	CERTIFICATE	50

ANUPPUR

3. विवेकानंद पैरामेडिकल कालेज, (विरासनी कल्याणसेवा समिति), एसबी हाईट्स गणेश टॉकीज के पीछे, चर्च रोड, वार्ड नंबर 07 जिला अनुपपुर। A22P0022 दिनांक 10/04/2023.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री/ डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
01	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DEGREE	50
02	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DIPLOMA	50

4. संकल्प पैरामेडिकल कॉलेज, (एक्सीलेंट ग्रुप ऑफ एज्युकेशन) शंकर मंदिर के पास, बस्ती रोड, जिला अनुपपुर। A22P0054 दिनांक 10/04/2023.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा / प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	BACHELOR OF PHYSIOTHERAPY	DEGREE	50
2	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DEGREE	50
3	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DIPLOMA	50
4	OPERATION THEATRE TECHNICIAN	CERTIFICATE	50

5. रेवा पैरामेडिकल कॉलेज, (कृष्णा जन सेवा समिति) शासकीय आई टी आई के पास, वार्ड नं. 10, जिला अनुपपुर। A22P0079 दिनांक 10/04/2023.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा / प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DEGREE	50
2	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DIPLOMA	50
3	OPERATION THEATRE TECHNICIAN	CERTIFICATE	50

6. पंडित राम गोपाल तिवारी कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल, (पंडित राम गोपाल तिवारी एज्युकेशनल कल्चरल एंड सोशल वेलफेयर सोसायटी) नए आरटीओ के पास, जैतहरी रोड, जिला अनुपपुर। A22P0115 दिनांक 10/04/2023.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा / प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DEGREE	100
2	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DIPLOMA	100
3	PANCHAKARMA TECHNICIAN	CERTIFICATE	50

ALIRAJPUR

7. श्री नाथ पैरामेडिकल कॉलेज (बाल श्रद्धा शिक्षा एवं सांस्कृतिक समिति) पटेल पब्लिक स्कूल के पास बडौदा हाईवे जिला अलीराजपुर। A22P0041 दिनांक 10/04/2023.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा / प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DEGREE	50
2	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DIPLOMA	50
3	X-RAY (RADIOGRAPHER)TECHNICIAN	DIPLOMA	50

ASHOKNAGAR

8. गुरुदेव संस्थान (गुरुदेव समाज कल्याण समिति) आरोन रोड, वंदना पब्लिक स्कूल के पास, जिला अशोकनगर। A22P0209 दिनांक 10/04/2023.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DEGREE	50
2	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DIPLOMA	50
3	X-RAY (RADIOGRAPHER)TECHNICIAN	DIPLOMA	50
4	O. T. TECHNICIAN	CERTIFICATE	50

BALAGHAT

9. स्वयं श्री इंस्टी. ऑफ पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी (नवराज एज्युकेशनल सोसायटी) शाह कॉम्प्लेक्स हनुमान चौक जिला बालाघाट। A22P0158 दिनांक 10/04/2023.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DEGREE	50
2	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DIPLOMA	50

10. शैलश्री पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, (सोसायटी फॉर एक्शन पीपल एंड डेव्हलपमेंट) ईदगाह के पास, दखनीटोला, लांजी जिला बालाघाट। A22P0067 दिनांक 04/08/23.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	O.T. TECHNICIAN	CERTIFICATE	50
2	PANCHKARMA TECHNICIAN	CERTIFICATE	50

11. जटाशंकर पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, (जटाशंकर विद्या मंदिर समिति) बालाघाट रोड, वारासिवनी जिला बालाघाट। A22P0053 दिनांक 10/04/23.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	BACHELOR OF PHYSIOTHERTAPY	DEGREE	50
2	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DEGREE	50
3	X-RAY(RADIOGRAPHER) TECHNICIAN	DEGREE	50

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
4	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DIPLOMA	50
5	PANCHAKARMA TECHNICIAN	CERTIFICATE	50

12. उत्कर्ष पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, (शकुन्तला देवी मेडिकल रिसर्च वेलफेयर सोसायटी) मेन रोड, जिला बालाघाट। A22P0103 दिनांक 07/08/23.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DEGREE	50
2	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DIPLOMA	50
3	X-RAY (RADIOGRAPHER) TECHNICIAN	DEGREE	50

13. संजीवनी इंस्टी ऑफ पैरामेडिकल साइंस, (शिखर एज्युकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसायटी) वार्ड नंबर 04, फ्रेण्ड्स कॉलोनी बैहर रोड, जिला बालाघाट। A22P0061 दिनांक 10/04/23.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DEGREE	50
2	X-RAY (RADIOGRAPHER) TECHNICIAN	DEGREE	50
3	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DIPLOMA	50
4	OPERATION THEATRE TECHNICIAN	CERTIFICATE	50
5	PANCHAKARMA TECHNICIAN	CERTIFICATE	50

14. स्कूल ऑफ पैरामेडिकल एज्युकेशन, (विंध्य शिक्षा समिति) सरदार पटेल युनिवर्सिटी कैम्पस, वारासिवनी डोंगरिया, जिला बालाघाट। A22P0196 दिनांक 18/08/2023.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	BACHELOR OF PHYSIOTHERAPY	DEGREE	50
2	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DEGREE	50
3	X- RAY RADIOGRAPHER TECHNICIAN	DIPLOMA	50
4	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DIPLOMA	50
5	PARAMEDICAL OPHTHALMIC ASSISTANT	DIPLOMA	30

15. उदयरज पैरामेडिकल कॉलेज, साई राज वेलफेयर सोसायटी, वार्ड नं. 04, बालाघाट रोड, वारासिवनी, जिला बालाघाट। A22P0254 दिनांक 18/08/2023.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	X- RAY RADIOGRAPHER TECHNICIAN	DEGREE	35
2	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DEGREE	35
3	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DIPLOMA	35
4	X- RAY RADIOGRAPHER TECHNICIAN	DIPLOMA	35

BHOPAL

16. भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, करोंद जिला- भोपाल। A22G0136 दिनांक 10/04/2023.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	DIALYSIS TECHNICIAN	DIPLOMA	06
2	X-RAY (RADIOGRAPHER)TECHNICIAN	DIPLOMA	06
3	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DIPLOMA	15
4	P.G DIPLOMA IN PERFUSION TECHNOLOGY	DIPLOMA	06
5	CATH. LAB. TECHNICIAN	DIPLOMA	06
6	OPTROMETRIC REFRACTIONS	DIPLOMA	10
7	BLOOD TRANSFUSION	DIPLOMA	10
8	ANESTHESIA TECHNICIAN	DIPLOMA	08

17. स्वाशासी गाँधी चिकित्सा महाविद्यालय जिला भोपाल। A22G0141 दिनांक 10/04/2023

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	BACHELOR IN RESPIRATORY THERAPY	DEGREE	10
2	DIPLOMA IN P.F.T TECHNICIAN	DIPLOMA	05
3	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DIPLOMA	100

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
4	CATH. LAB. TECHNICIAN	DIPLOMA	20
5	PARAMEDICAL OPHTHALMIC ASSISTANT	DIPLOMA	30
6	X-RAY (RADIOGRAPHER)TECHNICIAN	DIPLOMA	50
7	P.G DIPLOMA IN PERFUSION TECHNOLOGY	DIPLOMA	25
8	DIALYSIS TECHNICIAN	DIPLOMA	40
9	O. T. TECHNICIAN	CERTIFICATE	40
10	X-RAY (RADIOGRAPHER)TECHNICIAN	CERTIFICATE	30
11	HEALTH INSPECTOR	CERTIFICATE	10

18. शासकीय होम्योपैथीक चिकित्सा महाविद्यालय जिला भोपाल। A22G0256 दिनांक 10/04/2023.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	PHARMACY (HOMOEOPATHY)	DIPLOMA	30
2	YOGA	DIPLOMA	50
3	NATUROPATHY	DIPLOMA	50

19. पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय जिला भोपाल। A22G0198 दिनांक 10/04/2023.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	PHARMACY (AYURVED)	DIPLOMA	50
2	PANCHKARMA TECHNICIAN	CERTIFICATE	50

20. एस.एस. कॉलेज (चौहान एज्युकेशन सोसायटी) सलैया सनखेडी ग्राम दानिशकुंज, कोलार रोड, जिला भोपाल। A22P0154 दिनांक 18/08/2023.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DEGREE	50

21. आई.ई.एस. पैरामेडिकल कालेज (इन्फोटेक एज्युकेशन सोसायटी) आई.ई.एस. कैम्पस कलखेडा, रातीबड मेन रोड जिला भोपाल। A22P0138 दिनांक 18/08/2023.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	BACHELOR OF PHYSIOTHERTAPY	DEGREE	100
2	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DEGREE	100
3	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DIPLOMA	100
4	O. T. TECHNICIAN	CERTIFICATE	50

22. एल.एन. पैरामेडिकल कालेज (एच.के. कल्चुरी एज्युकेशन ट्रस्ट) जे.के. हास्पिटल कैम्पस, सी सेक्टर, सर्वधर्म कोलार रोड जिला भोपाल। A22P0040 दिनांक 07/08/2023.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	M.M.L.T. (HAEMATOLOGY)	POST GRADUATE	10
2	M.M.L.T. (HISTOPATHOLOGY)	POST GRADUATE	05
3	M.M.L.T. (BIOCHEMISTRY)	POST GRADUATE	10
4	M.M.L.T. (MICROBIOLOGY)	POST GRADUATE	10
5	MASTER OF PHYSIOTHERTAPY (ORTHO)	POST GRADUATE	10
6	MASTER OF PHYSIOTHERTAPY (SPORTS)	POST GRADUATE	10
7	MASTER OF PHYSIOTHERTAPY (NEURO)	POST GRADUATE	10
8	MASTER OF PHYSIOTHERTAPY (CARDIO)	POST GRADUATE	10
9	MASTER OF PHYSIOTHERTAPY (OBST. & GYNAC)	POST GRADUATE	05
10	BACHELOR OF PHYSIOTHERTAPY	DEGREE	100
11	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DEGREE	200
12	PARAMEDICAL OPHTHALMIC ASSISTANT	DIPLOMA	50
13	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DIPLOMA	200
14	CATH LAB TECHNICIAN	DIPLOMA	50
15	DIALYSIS TECHNICIAN	DIPLOMA	50
16	OPTORMETRIC REFRACTION	DIPLOMA	50
17	X-RAY (RADIOGRAPHER)TECHNICIAN	DIPLOMA	50
18	P.G. PERFUSIONIST TECHNICIAN	DIPLOMA	50
19	O. T. TECHNICIAN	CERTIFICATE	50

23. टेक्नोक्रेड्स इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस (पवन तनय शिक्षा समिति) हथवाई खेडा रोड, आनंद नगर, जिला भोपाल A22P0080 दिनांक 04/08/2023.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	BACHELOR OF PHYSIOTHERTAPY	DEGREE	50
2	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DEGREE	50
3	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DIPLOMA	50
4	O. T. TECHNICIAN	CERTIFICATE	50
5	X-RAY (RADIOGRAPHER) TECHNICIAN	CERTIFICATE	50

24. राजीव गांधी कालेज (चौहान एज्युकेशन सोसायटी) ई-8 त्रिलंगा कालोनी, शाहपुरा जिला भोपाल। A22P0074 दिनांक 18/08/2023.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	MASTER OF PHYSIOTHERTAPY (ORTHO)	POST GRADUATE	05
2	MASTER OF PHYSIOTHERTAPY (SPORTS)	POST GRADUATE	05
3	MASTER OF PHYSIOTHERTAPY (NEURO)	POST GRADUATE	05
4	MASTER OF PHYSIOTHERTAPY (CARDIO)	POST GRADUATE	05
5	MASTER OF PHYSIOTHERTAPY (OBST. & GYNAC)	POST GRADUATE	05
6	BACHELOR OF PHYSIOTHERTAPY	DEGREE	50
7	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DEGREE	50
8	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DIPLOMA	50

अस्थायी अनुज्ञा 1 वर्ष के लिए

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	M.M.L.T. (HAEMATOLOGY)	POST GRADUATE	05
2	M.M.L.T. (BIOCHEMISTRY)	POST GRADUATE	05
3	M.M.L.T. (MICROBIOLOGY)	POST GRADUATE	05
4	X-RAY (RADIOGRAPHER)TECHNICIAN	DEGREE	50

25. वीनस कालेज ऑफ मेडिकल साइंसेस, (वीनस इन एज्युकेशन वेलफेयर सोसायटी) बैरसिया रोड, करोंद जिला भोपाल। A22P0164 दिनांक 07/08/2023.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	BACHELOR OF PHYSIOTHERTAPY	DEGREE	50
2	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DEGREE	50
3	O. T. TECHNICIAN	CERTIFICATE	50

26. कापौरित कालेज ऑफ पैरामेडिकल साइंसेस, भोपाल (एस्सार जी एज्युकेशन सोसायटी) 153 हथाईखेडा रायसेन रोड, नियर पटेल नगर, जिला भोपाल। A22P0071 दिनांक 07/08/2023.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	BACHELOR OF PHYSIOTHERTAPY	DEGREE	50
2	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DEGREE	100
3	X-RAY (RADIOGRAPHER)TECHNICIAN	DEGREE	50
4	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DIPLOMA	50
5	O. T. TECHNICIAN	CERTIFICATE	50

27. आयुष्मान कालेज, भोपाल (सर्वमंगला वेलफेयर सोसायटी) पी.बी. 817 सनखेडी बाया दानिश कुंज जिला भोपाल। A22P0025 दिनांक 10/04/2023.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	MASTER OF PHYSIOTHERTAPY (ORTHO)	POST GRADUATE	05
2	MASTER OF PHYSIOTHERTAPY (SPORTS)	POST GRADUATE	05
3	MASTER OF PHYSIOTHERTAPY (NEURO)	POST GRADUATE	05
4	MASTER OF PHYSIOTHERTAPY (CARDIO)	POST GRADUATE	05
5	MASTER OF PHYSIOTHERTAPY (OBST. & GYNAC)	POST GRADUATE	05
6	BACHELOR OF PHYSIOTHERTAPY	DEGREE	50
7	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DEGREE	50

28. मिलेनियम इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेस, (मिलेनियम एज्युकेशन एंड डेव्हलपमेंट सोसायटी) ग्राम गौरा, नाथू बरखेडा रोड नीलबड के पास, जिला भोपाल। A22P0092 दिनांक 07/08/2023.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	BACHELOR OF PHYSIOTHERTAPY	DEGREE	50
2	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DEGREE	50
3	X-RAY (RADIOGRAPHER)TECHNICIAN	DEGREE	50
4	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DIPLOMA	50
5	X-RAY (RADIOGRAPHER)TECHNICIAN	DIPLOMA	50
6	O. T. TECHNICIAN	CERTIFICATE	50

29. गणपति पैरामेडिकल कॉलेज, (गणपति शिक्षा समिति) आदमपुर छावनी, रायसेन रोड, सेम इंजीनियरिंग कॉलेज के पास जिला भोपाल। A22P0045 दिनांक 07/08/2023.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	BACHELOR OF PHYSIOTHERTAPY	DEGREE	50
2	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DEGREE	50
3	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DIPLOMA	50
4	E.C.G TECHNICIAN	CERTIFICATE	50
5	O. T. TECHNICIAN	CERTIFICATE	50

30. के.एन.पी कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल साइंसेस, (भगवती शिक्षा समिति) बागली रोड, मिसरोद जिला भोपाल। A22P0117 दिनांक 18/08/2023.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	BACHELOR OF PHYSIOTHERTAPY	DEGREE	50
2	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DEGREE	50
3	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DIPLOMA	50
4	X-RAY (RADIOGRAPHER)TECHNICIAN	CERTIFICATE	50
5	ANESTHESIA TECHNICIAN	CERTIFICATE	50
6	O. T. TECHNICIAN	CERTIFICATE	50

31. फैकल्टी ऑफ पैरामेडिकल साइंस, भाभा यूनीवर्सिटी (आयुष्मति एज्युकेशन एंड सोशल सोसायटी) एन एच 12 होशंगाबाद रोड, जिला भोपाल। A22P0051 दिनांक 07/08/2023.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DEGREE	50
2	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DIPLOMA	50

32. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यूनीवर्सिटी, (आर के डी एफ एज्युकेशन सोसायटी) जाटखेडी, आर.के.डी.एफ. मेडिकल कैम्पस, जिला भोपाल। A22P0203 दिनांक 18/08/23

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	MASTER OF PHYSIOTHERTAPY (ORTHO)	POST GRADUATE	05
2	MASTER OF PHYSIOTHERTAPY (OBST. & GYNAC)	POST GRADUATE	05
3	BACHELOR OF PHYSIOTHERTAPY	DEGREE	50
4	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DEGREE	50
5	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DIPLOMA	50
6	X-RAY (RADIOGRAPHER)TECHNICIAN	DIPLOMA	50
7	OPTROMETRIC REFRACTION	DIPLOMA	50
8	PHARMACY (AYURVED)	DIPLOMA	50
9	PHARMACY (HOMOEOPATHY)	DIPLOMA	50
10	O. T. TECHNICIAN	CERTIFICATE	50

33. पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, जवाहर लाल नेहरू कैंसर हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, (म.प्र. कैंसर चिकित्सा एवं सेवा समिति) ईदगाह हिल्स जिला भोपाल। A20P0174 दिनांक 07/08/2023.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	M.M.L.T. (HAEMATOLOGY)	POST GRADUATE	05
2	M.M.L.T. (HISTOPATHOLOGY)	POST GRADUATE	05
3	M.M.L.T. (BIOCHEMISTRY)	POST GRADUATE	05
4	M.M.L.T. (MICROBIOLOGY)	POST GRADUATE	05
5	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DEGREE	50
6	X-RAY (RADIOGRAPHER) TECHNICIAN	DEGREE	50

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
7	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DIPLOMA	25
8	C.T.M.R.I TECHNICIAN	CERTIFICATE	50
9	O. T. TECHNICIAN	CERTIFICATE	50

34. सरदार अजीत सिंह मेमोरियल कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल साइंसेस, (गुरु हरगोविन्द सोसायटी) आदमपुर छावनी ग्राम कोलुआ रायसेन रोड जिला भोपाल। A22P0119 दिनांक 10/04/2023.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	BACHELOR OF PHYSIOTHERTAPY	DEGREE	50
2	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DEGREE	50

35. महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेस, (जैन सर्वोदय विद्या ज्ञानपीठ समिति) सेन्ट्रल जेल के सामने, बायपास रोड, आई टी पार्क के पास, एरोसिटी कोरिडोर, बड़वाई जिला भोपाल। A22P0253 दिनांक 18/08/23.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	BACHELOR OF PHYSIOTHERAPY	DEGREE	50
2	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DEGREE	50
3	X-RAY(RADIOGRAPHER) TECHNICIAN	DIPLOMA	50
4	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DIPLOMA	50
5	OPTROMETRIC REFRACTION	DIPLOMA	50
6	PARAMEDICAL OPHTHALMIC ASSISTANT	DIPLOMA	50
7	O.T. TECHNICIAN	CERTIFICATE	50

36. मान कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस, (गोंधी मेमोरियल हेल्थ केयर फाउण्डेशन) इन्द्र बिहार कॉलोनी, एयरपोर्ट रोड, जिला भोपाल। A22P0031 दिनांक 04/08/23

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
01	Medical Laboratory Technology (Haematology)	POST GRADUATE	05
02	Medical Laboratory Technology (Microbiology)	POST GRADUATE	05

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
03	Medical Laboratory Technology (Biochemistry)	POST GRADUATE	05
04	Medical Laboratory Technology (Histopathology)	POST GRADUATE	05
05	MASTER OF PHYSIOTHERAPY (ORTHOPAEDIC)	POST GRADUATE	05
06	MASTER OF PHYSIOTHERAPY (NEUROLOGY)	POST GRADUATE	05
07	BACHELOR OF PHYSIOTHERAPY	DEGREE	50
08	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DEGREE	50
09	X-RAY RADIOGRAPHER TECHNICIAN	DEGREE	50
10	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DIPLOMA	50
11	X-RAY RADIOGRAPHER TECHNICIAN	CERTIFICATE	25
12	OPERATION THEATRE TECHNICIAN	CERTIFICATE	35

37. एन.आर.आई. इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइसेस, (तारामति एज्युकेशन सोसायटी) सज्जन सिंह नगर, पटेल नगर के सामने, रायसेन रोड, जिला भोपाल। A22P0148 दिनांक 04/08/23

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	M.M.L.T (HAEMO.)	POST GRADUATE	05
2	M.M.L.T (HISTO.)	POST GRADUATE	05
3	M.M.L.T (BIO.)	POST GRADUATE	05
4	M.M.L.T (MICRO.)	POST GRADUATE	05
5	BACHELOR OF PHYSIOTHERAPY	DEGREE	50
6	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DEGREE	100
7	X-RAY (RADIOGRAPHER) TECHN	DEGREE	40
8	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DIPLOMA	50
9	C.T.M.R.I TECHNICIAN	CERTIFICATE	20
10	ULTRA SOUND TECHNICIAN	CERTIFICATE	20

38. चिरायु पैरामेडिकल कॉलेज, (चिरायु चेरिट्रबल फाउण्डेशन) भोपाल इन्दौर हाईवे रोड, बैरागढ केपास जिला भोपाल।
A22P0015 दिनांक 07/08/23..

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	M.M.L.T (HAEMO.)	POST GRADUATE	05
2	M.M.L.T (MICRO.)	POST GRADUATE	05
3	M.M.L.T (BIO.)	POST GRADUATE	05
4	M.M.L.T (HISTO.)	POST GRADUATE	05
5	BACHELOR OF PHYSIOTHERAPY	DEGREE	50
6	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DEGREE	50
7	BACHELOR IN SPEECH THERAPY	DEGREE	25
8	BACHELOR IN OCCUPATIONAL THERAPY	DEGREE	25
9	BACHELOR IN HUMAN NUTRITION	DEGREE	25
10	X-RAY (RADIOGRAPHER) TECHNICIAN	DEGREE	20
11	DIALYSIS TECHNICIAN	DIPLOMA	10
12	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DIPLOMA	30
13	X-RAY (RADIOGRAPHER) TECHNICIAN	DIPLOMA	05
14	CATH. LAB. TECHNICIAN	DIPLOMA	15
15	P.G. DIPLOMA IN PERFUSION TECHNO.	DIPLOMA	05
16	GAMMA CAMERA TECHNICIANèRADIO THERAPY TECHNICIAN	DIPLOMA	15
17	ANESTHESIA TECHNICIAN	DIPLOMA	15
18	OPTROMETRIC REFRACTION	DIPLOMA	15
19	C.T.M.R.I TECHNICIAN	CERTIFICATE	50
20	O.T. TECHNICIN	CERTIFICATE	50

39. जे.के. पैरामेडिकल कॉलेज, (एच.के. कल्चुरी एज्युकेशन ट्रस्ट) जे.के. अस्पताल परिसर, सर्वधर्म, सी सेक्टर कोलार रोड जिला भोपाल। A22P0126 दिनांक 07/08/23

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	M.M.L.T. (HAEMATOLOGY)	POST GRADUATE	10
2	M.M.L.T. (BIOCHEMISTRY)	POST GRADUATE	10
3	M.M.L.T. (MICROBIOLOGY)	POST GRADUATE	10
4	MASTER OF PHYSIOTHERTAPY (SPORTS)	POST GRADUATE	10
5	MASTER OF PHYSIOTHERTAPY (ORTHO)	POST GRADUATE	10
6	MASTER OF PHYSIOTHERTAPY (CARDIO)	POST GRADUATE	10
7	MASTER OF PHYSIOTHERTAPY (NEURO)	POST GRADUATE	10
8	MASTER OF PHYSIOTHERTAPY (ONCOLO.)	POST GRADUATE	10
9	MASTER OF PHYSIOTHERTAPY (GERIA)	POST GRADUATE	10
10	BACHELOR OF PHYSIOTHERTAPY	DEGREE	100
11	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DEGREE	100
12	X-RAY (RADIOGRAPHER) TECHNICIAN	DEGREE	50
13	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DIPLOMA	100
14	PARAMEDICAL OPHTHALMIC ASSISTANT	DIPLOMA	50

40. व्ही. आई पी पैरामेडिकल कॉलेज, (श्री गिरिराजजी रघुनन्दन शिक्षा प्रसार एवं विकास समिति) वी.आई.पी. परिसर, सिकंदराबाद रातीबड जिला भोपाल। A22P0060 दिनांक 10/04/23.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	BACHELOR OF PHYSIOTHERTAPY	DEGREE	50
2	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DEGREE	50

41. जय नारायण कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल, (जय नारायण शिक्षा समिति) न्यू चौकसे नगर, बैरसिया रोड लांबाखेडा जिला भोपाल। A22P0075 दिनांक 07/08/23

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	BACHELOR OF PHYSIOTHERTAPY	DEGREE	50
2	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DEGREE	50

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
3	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DIPLOMA	50
4	OPERATION THEATRE TECHNICIAN	CERTIFICATE	50
5	C.T.M.R.I. TECHNICIAN	CERTIFICATE	50
6	ANGIOGRAPHY TECHNICIAN	CERTIFICATE	50

42. व्यक्सल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवान्सड स्टडी, (व्यक्सल वेलफेयर) सी 178, बी डी ए कॉलोनी ईदगाह हिल्स, जिला भोपाल। A22P0244 दिनांक 04/08/23

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	BACHELOR OF PHYSIOTHERTAPY	DEGREE	30
2	HUMAN NUTRITION	DIPLOMA	30
3	HEALTH INSPECTOR	CERTIFICATE	30

43. केरियर कॉलेज, (केरियर सोसायटी) दशहरा मैदान के सामने, गोविन्दपुरा, बीएचईएल जिला भोपाल। A22P0052 दिनांक 07/08/23

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	MASTER OF PHYSIOTHERTAPY (SPORTS)	POST GRADUATE	05
2	MASTER OF PHYSIOTHERTAPY (ORTHO)	POST GRADUATE	05
3	MASTER OF PHYSIOTHERTAPY (NEURO)	POST GRADUATE	05
4	MASTER OF PHYSIOTHERTAPY (CARDIO)	POST GRADUATE	05
5	MASTER OF PHYSIOTHERTAPY (OBST.& GYNAEC.)	POST GRADUATE	05
6	BACHELOR OF PHYSIOTHERTAPY	DEGREE	50
7	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DEGREE	50
8	X-RAY(RADIOGRAPHER) TECHNICIAN	DEGREE	50
9	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DIPLOMA	50
10	DIALYSIS TECHNICIAN	DIPLOMA	50

44. श्री राम कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल साइंस (विवेकानंद शिक्षा एवम सेवा समिति) धुआखेडा, कोलार रोड जिला भोपाल। A22P0077 दिनांक 04/08/23.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DEGREE	100
2	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DIPLOMA	100
3	X-RAY RADIOGRAPHER TECHNICIAN	DIPLOMA	100
4	OPERATION THEATRE TECHNICIAN	CERTIFICATE	50
5	PANCHAKARMA TECHNICIAN	CERTIFICATE	100

45. गुरुकुल कॉलेज (श्री अमर एज्युकेशन सोसायटी) गरेठिया जोड, भोपाल रोड, बैरसिया जिला भोपाल। A22P0213 दिनांक 18/08/23

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DIPLOMA	50
2	X-RAY RADIOGRAPHER TECHNICIAN	CERTIFICATE	50
3	OPERATION THEATRE TECHNICIAN	CERTIFICATE	50
4	PANCHKARMA TECHNICIAN	CERTIFICATE	50

46. पीपुल्स कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेन्टर (सार्वजनिक जन कल्याण पारमार्थिक न्यास) पीपुल्स" कैम्पस भानपुर जिला भोपाल। A22P0033 दिनांक 07/08/23.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	MASTER OF PHYSIOTHERAPY (SPORTS)	POST GRADUATE	05
2	MASTER OF PHYSIOTHERAPY (ORTHOPAEDIC)	POST GRADUATE	05
3	MASTER OF PHYSIOTHERAPY (CARDIOTHORASIC)	POST GRADUATE	05
4	MASTER OF PHYSIOTHERAPY (NEUROLOGY)	POST GRADUATE	05
5	BACHELOR OF PHYSIOTHERAPY	DEGREE	50

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
6	HUMAN NUTRITION	DEGREE	50
7	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DEGREE	50
8	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DIPLOMA	50
9	DIALYSIS TECHNICIAN	DIPLOMA	50
10	ANESTHESIA TECHNICIAN	DIPLOMA	50
11	X-RAY (RADIOGRAPHER) TECHNICIAN	DIPLOMA	50
12	CATH. LAB. TECHNICIAN	DIPLOMA	50
13	OPTOMETRIC REFRACTION	DIPLOMA	50

47. फ़ैकल्टी ऑफ पैरामेडिकल रामकृष्ण धर्मार्थ फाउण्डेशन विश्वविद्यालय; आयुष्मति एज्युकेशन एण्ड सोशल सोसायटी, एयरपोर्ट के पास बायपास रोड गंधी नगर भोपाल। A22P0169 दिनांक 07/08/23.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	BACHELOR OF PHYSIOTHERAPY	DEGREE	50
2	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DEGREE	50
3	X-RAY (RADIOGRAPHER) TECHNICIAN	DIPLOMA	50
4	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DIPLOMA	50
5	PHARMACY (HOMEOPATHY)	DIPLOMA	50

48. एन.आर.आई, इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साईंसेस; तारामति एज्युकेशन सोसायटी, सज्जन सिंह नगर, अपोजिट पटेल नगर, रायसेन रोड, जिला- भोपाल। A22P0139 दिनांक 04/08/23.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DEGREE	50
2	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DIPLOMA	50
3	O.T. TECHNICIAN	CERTIFICATE	50

BADWANI

49. श्री सत्य साईं कालेज ऑफ पैरामेडिकल साइंसेस (श्री सत्य साईं एज्युकेशन सोसायटी) अंजड रोड सेगांव फाटा जिलाबडवानी। A22P0163 दिनांक 10/04/2023.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DEGREE	50
2	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DIPLOMA	100
3	X-RAY (RADIOGRAPHER)TECHNICIAN	DIPLOMA	50
4	O.T. TECHNICIAN	CERTIFICATE	50

50. मां सरस्वती कालेज ऑफ पैरामेडिकल (श्रीमती काशी देवी गोस्वामी शैक्षणिक एवं चेरिटेबल सोसायटी) पाटीदार छात्रावास परिसर के पास, सेगांव नाका, जिला बडवानी। A22P0081 दिनांक 10/04/2023.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DIPLOMA	50
2	X-RAY (RADIOGRAPHER)TECHNICIAN	DIPLOMA	50

51. योगेश्वर पैरामेडिकल कॉलेज, (योगेश्वर एज्युकेशनल सोसायटी) ग्राम व पोस्ट पिपलाज तहसील व जिला बडवानी। A22P0047 दिनांक 10/04/23.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DEGREE	50
2	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DIPLOMA	50

52. साईं पैरामेडिकल कॉलेज, (आदर्श वैष्णवी शिक्षा समिति) काली बाडी रोड, खण्डवा बडौदा बायपास रोड, जिला बडवानी। A22P0056 दिनांक 10/04/23.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DEGREE	50
2	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DIPLOMA	50
3	PANCHAKARMA TECHNICIAN	CERTIFICATE	50

BETUL

53. विजन कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल साइंस (ओजल वेलफेयर एंड एज्युकेशन सोसायटी) एट साकादेही, आठवामिल के पास, इटारसी रोड, जिला बैतूल। A22P0044 दिनांक 07/08/23.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
01	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DIPLOMA	50
02	O.T. TECHNICIAN	CERTIFICATE	50
03	X-RAY(RADIOGRAPHER) TECHNICIAN	CERTIFICATE	50
04	HEALTH INSPECTOR	CERTIFICATE	50

54. एस. डी कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल साइंस, (श्री धन्वन्तरी एज्युकेशन सोसायटी) भैरव बाबा मंदिर के पास, इन्दौर रोड, देवगांव जिला बैतूल। A22P0032 दिनांक 07/08/23

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	BACHELOR OF PHYSIOTHERTAPY	DEGREE	50
2	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DEGREE	50
3	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DIPLOMA	50

BHIND

55. विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेस (श्री गोपाल दास शिक्षा प्रसार एवं जनकल्याण समिति) दबोहा ग्वालियर रोड जिला भिण्ड। A22P0201 दिनांक 07/08/2023.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DIPLOMA	100
2	X-RAY (RADIOGRAPHER)TECHNICIAN	DIPLOMA	50

56. एन.आर.कॉलेज (जय श्री हरि जनकल्याण एवं शिक्षा प्रसार समिति) लाडमपुरा, जिला भिण्ड A22P0230 दिनांक 07/08/2023

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DIPLOMA	40

57. श्री श्याम जी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, (श्री पीताम्बरा देवी शिक्षा प्रसार एवं समाज कल्याण समिति) रिलायन्स पेट्रोल पम्प के सामने, भिण्ड रोड, मेहगांव, जिला भिण्ड। A22P0021 दिनांक 10/04/23.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
01	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DIPLOMA	50
02	D. PHARMA (AYURVEDIC)	DIPLOMA	50

BURHANPUR

58. प्रो. बृजमोहन मिश्रा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेस, (ईस्वम एकेडमी ऑफ टेक्नीकल एंड जनरल एज्युकेशन, बीआईएमटीएस परिसर, खण्डवा रोड, झिरी जिला बुरहानपुर। A22P0042, दिनांक 18/08/23.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
01	MASTER OF PHYSIOTHERAPY (ORTHOPAEDIC)	POST GRADUATE	05
02	MASTER OF PHYSIOTHERAPY (NEUROLOGY)	POST GRADUATE	05
03	BACHELOR OF PHYSIOTHERAPY	DEGREE	50
04	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DEGREE	50
05	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DIPLOMA	50

59. गुरु गोविन्द सिंह कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल साइंस, (श्री गुरु गोविन्द सिंह एज्युकेशन एंड वेलफेयर सोसायटी) लालबाग रोड जिला बुरहानपुर। A22P0095 दिनांक 18/08/2023.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DEGREE	50
2	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DIPLOMA	50
3	DENTAL MECHANICS	DIPLOMA	50
4	DENTAL HYGIENE	DIPLOMA	50

CHHINDWARA

60. फ्लोरेन्समेडिकलसाइंस (सज्जाद अली खान एज्युकेशन एण्ड वेलफेयर सोसायटी) चांद रोड बोहता जिला छिन्दवाड़ा।
A22P0214 दिनांक 07/08/2023

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	BACHELOR OF PHYSIOTHERTAPY	DEGREE	50
2	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DEGREE	50
3	O. T. TECHNICIAN	CERTIFICATE	50

61. के.एम.सी. इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस (सज्जाद अली खान एज्युकेशन एण्ड वेलफेयर सोसायटी) चांदामेटा तहसील परासिया, जिलाछिन्दवाड़ा।A22P0221 दिनांक 07/08/2023.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DIPLOMA	50
2	X-RAY (RADIOGRAPHER)TECHNICIAN	CERTIFICATE	50

62. स्वशासी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, जिलाछिन्दवाड़ा A22G0197 दिनांक 10/04/2023

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DEGREE	50
2	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DIPLOMA	50
3	X-RAY (RADIOGRAPHER)TECHNICIAN	DIPLOMA	10
4	PARAMEDICAL OPHTHALMIC ASSISTANT	DIPLOMA	10
5	ANASTHESIA TECHNICIAN	DIPLOMA	05
6	ORTHO TECHNICIAN	CERTIFICATE	10
7	O. T. TECHNICIAN	CERTIFICATE	10

63. आर.ए.बी.एल कॉलेज, (महात्मा परमहंस शिक्षण एवं कल्याण समिति) कुण्डीपुर थाने के सामने, सिवनी रोड, जिला छिन्दवाड़ा A22P0161 दिनांक 18/08/2023.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	M.M.L.T(HAEMOTOLOGY)	POST GRADUATE	10

2	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DEGREE	50
3	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DIPLOMA	50

64. केरियोन कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल साइंस, (खिदमत एज्युकेशन एंड वेलफेयर सोसायटी) व्ही आई पी रोड, सिंचाई कॉलोनी जिला छिन्दवाड़ा A22P0157 दिनांक 04/08/2023

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DEGREE	50
2	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DIPLOMA	50

65. अपोलो कॉलेज, (चिराग सोशल वेलफेयर एज्युकेशन एण्ड रिसर्च सोसायटी) पी जी कॉलेज रोड, जिला छिन्दवाड़ा A22P0012 दिनांक 04/08/2023

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	BACHELOR OF PHYSIOTHERTAPY	DEGREE	50
2	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DEGREE	50
3	X-RAY (RADIOGRAPHER)TECHNICIAN	DIPLOMA	50

66. ओरियन्टल कॉलेज, (बी पी मेमोरियल समाजिक शिक्षा सोसायटी) मेन रोड, अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा A22P0140 दिनांक 04/08/2023.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DEGREE	100
2	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DIPLOMA	50

67. एन.आई. कॉलेज, (बी पी मेमोरियल समाजिक शिक्षा सोसायटी) ब्राइट केरियर कैम्पस, पूजा लॉज के बगल में, परासिया रोड, जिला छिन्दवाड़ा। A22P0038 दिनांक 04/08/2023.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	M.M.L.T(HAEMATOLOGY)	POST GRADUATE	05
2	M.M.L.T(BIOCHEMISTRY)	POST GRADUATE	05
3	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DEGREE	50
4	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DIPLOMA	50

5	O. T. TECHNICIAN	CERTIFICATE	50
---	------------------	-------------	----

68. केयर इंस्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, (श्री कृष्णा इन्फोरमेशन एज्युकेशन सोसायटी) श्रद्धा नगर, सेफ गेट के सामने, परासिया रोड, जिला छिन्दवाड़ा। A22P0101 दिनांक 10/04/23.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DEGREE	50
2	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DIPLOMA	50
3	OPERATION THEATRE TECHNICIAN	CERTIFICATE	50

69. पंचवेल्ही लाइफ साइंस कॉलेज, (श्री समर्थ शिक्षा एवं समाजिक कल्याण समिति) परासिया नाका, परासिया रोड, जिला छिन्दवाड़ा। A22P0110 दिनांक 10/04/2023.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DEGREE	50
2	X- RAY RADIOGRAPHER TECHNICIAN	DIPLOMA	50
3	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DIPLOMA	50
4	PANCHAKARMA TECHNICIAN	CERTIFICATE	50

70. स्कूल ऑफ पैरामेडिकल साइंसेन्स (जी एच आर सन्स एज्युकेशनल एण्ड मेडिकल रिसर्च फाउण्डेशन) जी एच रायसोनी नगर, ग्राम डोंडा, बोरगाँव, जिला-छिन्दवाड़ा। A22P0024 दिनांक 18/08/2023

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DEGREE	50
2	X- RAY RADIOGRAPHER TECHNICIAN	DIPLOMA	50
3	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DIPLOMA	50
4	DIALYSIS TECHNICIAN	DIPLOMA	50

CHHATARPUR

71. डिपार्टमेंट ऑफ पैरामेडिकल साइंस, श्री कृष्णा युनिवर्सिटी (स्वर्गीय श्री बलवीर सिंह गौतम शिक्षा प्रसार एवं जनकल्याण समिति) एन. एच 86, ग्राम चौका, सागर रोड, जिला छतरपुर। A22P0007 दिनांक 04/08/23

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
01	BACHELOR OF PHYSIOTHERAPY	DEGREE	50
02	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DEGREE	100
03	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DIPLOMA	100
04	D. Pharma (Ayu.)	DIPLOMA	50
05	X-RAY(RADIOGRAPHER) TECHNICIAN	DIPLOMA	50
06	CATH. LAB. TECHNICIAN	DIPLOMA	50
07	NATUROPATHY	DIPLOMA	50

72. एस. आर. डी कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल साइंस (श्री राम प्रसाद समाज कल्याण समिति) महाराजा कॉलेज रोड, विश्वविद्यालय गेट के सामने जिला छतरपुर। A22P0215 दिनांक 07/08/23

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DEGREE	100
2	O.T. TECHNICIAN	CERTIFICATE	50

73. बुन्देलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस कॉलेज (चिश्ती एज्युकेशन सोसायटी) सदगुरु सेवासंघ ट्रस्ट पुलिस लाइन रोड, रजजा हॉल के पास जिला छतरपुर। A22P0250 दिनांक 18/08/2023.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DIPLOMA	50
2	PANCHAKARMA TECHNICIAN	CERTIFICATE	50

DATIA

74. स्वशासी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, जिला दतिया। A22G0176 दिनांक 10/04/2023

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DIPLOMA	40

2	O. T. TECHNICIAN	CERTIFICATE	40
---	------------------	-------------	----

75. ओमसाई पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट (लार्ड कृष्णा बहुउद्देशीय शिक्षा प्रसार समिति) उन्नाव रोड जिला दतिया। A22P0 165 दिनांक 18/08/23.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DIPLOMA	50

DAMOH

76. एकलव्य यूनिवर्सिटी (ओजस्विनी समदर्शी न्यास) एस एच -14, सागर रोड, जिला दमोह । A22P0199 दिनांक 07/08/23.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	BACHELOR OF PHYSIOTHERTAPY	DEGREE	50
2	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DEGREE	200
3	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DIPLOMA	200
4	PARAMEDICAL OPHTHALMIC ASSISTANT	DIPLOMA	50
5	X-RAY(RADIOGRAPHER) TECHNICIAN	CERTIFICATE	50
6	OPERATION THEATRE TECHNICIAN	CERTIFICATE	50
7	HEALTH INSPECTOR	CERTIFICATE	50

DHAR

77. मॉ नर्मदा कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल, (श्री जयंत सेन शिक्षा एवं समाजिक विकास समिति) सुसारी रोड, ताहेरी मंजिल के पास, कुक्षी जिला धार ।A22P0220 दिनांक 04/08/2023.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DIPLOMA	50
2	PANCHKARMA TECHNICIAN	CERTIFICATE	50

78. आदर्श पैरामेडिकल संस्थान, (आदर्श चिकित्सा शिक्षा समिति) ग्राम जैतपुर, तहसील व जिला धार।A22P0005 दिनांक 07/08/2023.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	X-RAY (RADIOGRAPHER)TECHNICIAN	DIPLOMA	40
2	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DIPLOMA	100
3	O.T. TECHNICIAN	CERTIFICATE	40

79. श्री निमाड़ कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल साइंसेस (श्री दादाजी एज्युकेशनल सोसायटी) बाँयस हायर सेकेण्डरी स्कूल के सामने, बाग रोड कुक्षी जिला धार।A22P0111 दिनांक18/08/2023.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DEGREE	50
2	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DIPLOMA	50

80. श्री नित्यानंद कॉलेज, (स्टार कम्प्युटर एज्युकेशनल सोसायटी) 365/1, ज्ञानपुर विकास खण्ड तिरला, जिला धार। A22P0233 दिनांक07/08/23.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DEGREE	50
2	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DIPLOMA	50

DEWAS

81. अमलतास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, (अमलतास एज्युकेशनल वेलफेयर सोसायटी) ग्राम बगड़, देवास उज्जैन हाईवे, जिला देवास। A22P0188 दिनांक 18/08/23.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
01	BACHELOR OF PHYSIOTHERAPY	DEGREE	50
02	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DEGREE	50
03	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DIPLOMA	50
04	X-RAY(RADIOGRAPHER) TECHNICIAN	CERTIFICATE	50
05	ULTRA SOUND TECHNICIAN	CERTIFICATE	50
06	O.T. TECHNICIAN	CERTIFICATE	50

DINDORI

82. नर्मदा इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस, (स्पर्धन सेवा समिति) आर टी ओ ऑफीस के पास सुबखार, जबलपुर रोड, जिला डिण्डौरी ।A22P0059 दिनांक 07/08/2023

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DEGREE	100
2	HUMAN NUTRITION TECHNICIAN	DEGREE	100
3	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DIPLOMA	100

GWALIOR

83. स्वशासी गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय, जिला ग्वालियर । A22G0178 दिनांक 10/04/2023.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	X-RAY (RADIOGRAPHER)TECHNICIAN	DIPLOMA	50
2	MICROBIOLOGY	DIPLOMA	50
3	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DIPLOMA	50
4	DIALYSIS TECHNICIAN	DIPLOMA	50
5	E.C.G TECHNICIAN	CERTIFICATE	50
6	ANESTHESIA TECHNICIAN	CERTIFICATE	50
7	O.T. TECHNICIAN	CERTIFICATE	50

84. स्वशासी शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, जिला ग्वालियर । A22G0251 दिनांक 10/04/2023.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	PANCHKARMA TECHNICIAN	CERTIFICATE	50

85. श्रीमंत माधवराव सिंधिया शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय, जिला ग्वालियर । A22G0185 दिनांक 10/04/2023.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DIPLOMA	50

86. सी.बी.एस ग्रुप ऑफ एज्युकेशन, (स्व. श्रीमति बैकुण्ठी देवी शिक्षा प्रसार समिति) मदनपुराजिला ग्वालियर। A22P0186 दिनांक 07/08/2023.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DIPLOMA	50

87. वैष्णवी इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस, (न्यू अभय प्रताप सिंह चिकित्सा शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति) टोंटा की बजरिया, कम्पू लश्कर जिला ग्वालियर। A22P0134 दिनांक 07/08/23.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DIPLOMA	50

88. कॉलेज ऑफ लाईफ साइंस, (जन विकास न्यास) कैंसर हिल्स मांडरे की माता, लश्कर जिला ग्वालियर। A22P0219 दिनांक 07/08/23.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
01	BACHELOR OF PHYSIOTHERAPY	DEGREE	50
02	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DIPLOMA	50
03	X-RAY RADIOGRAPHAR TECHNICIAN	DIPLOMA	50
04	OPERATION THEATRE TECHNICIAN	CERTIFICATE	50
05	C.T.M.R.I TECHNICIAN	CERTIFICATE	50

89. के.एस.पैरामेडिकल कॉलेज (ओम चेरिटेबल चिकित्सा समिति) पिपरोली चिरवाई नाका, लश्कर जिला ग्वालियर। A22P0211 दिनांक 07/08/23.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
01	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DIPLOMA	50
02	X-RAY RADIOGRAPHAR TECHNICIAN	CERTIFICATE	50
03	OPERATION THEATRE TECHNICIAN	CERTIFICATE	50

90. बी. आई. एम. आर. कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, (बिरला नगर जनसेवा ट्रस्ट) सूर्य मंदिर रोड, रेसीडेन्सी जिला ग्वालियर। A22P0049 दिनांक 10/04/23.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	M.P.T (ORTHO)	POST GRADUATE	05
2	M.P.T (NEURO)	POST GRADUATE	05
3	BACHELOR OF PHYSIOTHERTAPY	DEGREE	50
4	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DEGREE	50
5	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DIPLOMA	50
6	X-RAY (RADIOGRAPHER) TECHNICIAN	DIPLOMA	50
7	O.T. TECHNICIAN	CERTIFICATE	50
8	C.T.M.R.I TECHNICIAN	CERTIFICATE	50

91. स्कूल ऑफ मेडिकल एण्ड पैरामेडिकल साइन्सेस आई टी एम यूनिवर्सिटी, (समता लोक संस्था ट्रस्ट) सिधौली रेल्वे स्टेशन के सामने एन एच 44, झाँसी रोड जिला ग्वालियर। A22P0028 दिनांक 04/08/23.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	BACHELOR OF PHYSIOTHERTAPY	DEGREE	50
2	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DIPLOMA	50
3	X-RAY(RADIOGRAPHER) TECHNICIAN	DIPLOMA	50
4	ANESTHESIA TECHNICIAN	DIPLOMA	50
5	DIALYSIS TECHNICIAN	DIPLOMA	50
6	C.T.M.R.I. TECHNICIAN	CERTIFICATE	50
7	HEALTH INSPECTOR	CERTIFICATE	50
8	OPERATION THEATRE TECHNICIAN	CERTIFICATE	50

92. व्ही आई एस एम कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीस, (गुरुबक्श सिंह कल्याण समिति) व्हीआईएसएम कैम्पस, तुरारी झाँसी रोड, जिला ग्वालियर । A22P0195 दिनांक 07/08/23.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	BACHELOR OF PHYSIOTHERTAPY	DEGREE	50

2	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DEGREE	50
3	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DIPLOMA	50
4	OPTROMETRIC REFRACTION	DIPLOMA	50
5	X-RAY(RADIOGRAPHER) TECHNICIAN	DIPLOMA	50
6	OPERATION THEATRE TECHNICIAN	CERTIFICATE	50

93. इंस्टीट्यूट ऑफ आयुष एण्ड इंटीग्रेटिव मेडिकल साइंसेस, जीवाजी विश्वविद्यालय (इंस्टी ऑफ आयुष एंड इंटीग्रेटिव मेडिकल साइंसेस) जिला ग्वालियर । A22G0246 दिनांक 10/04/2023

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	BACHELOR OF PHYSIOTHERAPY	DEGREE	20
2	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DEGREE	20
3	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DIPLOMA	30
4	HEALTH INSPECTOR	CERTIFICATE	20

94. रतन ज्योति पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट (रतन ज्योति चेरिटेबल फाउण्डेशन) 18 विकास नगर ,साईबाबा मंदिर के पास, जिला ग्वालियर । A22P0238 दिनांक 18/08/23

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	BACHELOR OF PHYSIOTHERAPY	DEGREE	25
2	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DIPLOMA	10
3	DIALYSIS TECHNICIAN	DIPLOMA	25
4	OPTROMETRIC REFRACTION	DIPLOMA	30
5	OPERATION THEATRE TECHNICIAN	CERTIFICATE	30

GUNA

95. ओमकार कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, (अमरलता शैक्षणिक एवं जन सेवा समिति) बायपास रोड, कलमकार कॉलोनी, जिला गुना । A22P0206 दिनांक 10/04/2023.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DIPLOMA	50

HOSHANGABAD

96. शांति निकेतन पैरामेडिकल कॉलेज, (बी.आर.डी.एज्युकेशनल एंड वेलफेयर सोसायटी) पंचारखेडा बस्ती, बायपास रोड, जिला होशंगाबाद । A22P0242 दिनांक 18/08/23.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
01	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DIPLOMA	50
02	OPERATION THEATRE TECHNICIAN	CERTIFICATE	50

HARDA

97. श्री स्वामी समर्थ कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेस, (साई समर्थ एज्युकेशन एण्ड वोकेशनल सोसायटी) अर्जुन नगर के पास वीर सावरकर वार्ड नंबर 35, छिपानेर रोड, हरदा । A22P0058 दिनांक 07/08/23

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DIPLOMA	100
2	X-RAY(RADIOGRAPHER) TECHNICIAN	DIPLOMA	50
3	OPERATION THEATRE TECHNICIAN	CERTIFICATE	100
4	HEALTH INSPECTOR	CERTIFICATE	50

INDORE

98. स्वाशासी शासकीय अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय, जिला इन्दौर। A22G0175 दिनांक 10/04/2023.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	PHARMACY (AYURVED)	DIPLOMA	50
2	PANCHKARMA TECHNICIAN	CERTIFICATE	50

99. स्वाशासी महात्मा गाँधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, जिला इन्दौर। A22G0160 दिनांक 10/04/2023. (स्थायी मान्यता)

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	MASTER OF PHYSIOTHERAPY (SPORTS)	POST GRADUATE	05
2	MASTER OF PHYSIOTHERAPY (ORTHO)	POST GRADUATE	05
3	MASTER OF PHYSIOTHERAPY (NEURO)	POST GRADUATE	05

4	MASTER OF PHYSIOTHERAPY (CARDIO)	POST GRADUATE	05
5	BACHELOR OF PHYSIOTHERAPY	DEGREE	100
6	PARAMEDICAL OPHTHALMIC ASSISTANT	DIPLOMA	50
7	O.T. TECHNICIAN	CERTIFICATE	50

(अस्थायी मान्यता)

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	MASTER OF PHYSIOTHERAPY (OBST.& GYNAEC)	POST GRADUATE	05
2	MASTER OF PHYSIOTHERAPY (GERIAT)	POST GRADUATE	05
3	MASTER OF PHYSIOTHERAPY (ONCOLO)	POST GRADUATE	05
4	BACHELOR OF OCCUPATIONAL THERAPY	DEGREE	50
5	BACHELOR IN X-RAY RADIOGRAPHER) TECHNICIAN	DEGREE	50
6	BACHELOR IN MEDICAL LAB TECHNICIAN	DEGREE	50
7	CATH LAB TECHNICIAN	DIPLOMA	50
8	DIALYSIS TECHNICIAN	DIPLOMA	50
9	GAMMA CAMMERA TECHNICIAN	DIPLOMA	50

100. विक्रांत इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड साइंस, (पी एस एज्युकेशनल एंड सोशल वेलफेयर सोसायटी) वेटरनरी कॉलेज के पीछे, ग्राम बोरखेड़ी, पोस्ट हरसोला महू, जिला इन्दौर। A22P0026 दिनांक 10/04/2023

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DIPLOMA	50
2	O.T. TECHNICIAN	CERTIFICATE	50

101. इन्दौर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस (कंचन हितकारी ट्रस्ट) 95 ए एफ स्लाईस 6 सेक्टर नंबर 78 अरण्य जिला इन्दौर। A22P0017 दिनांक 18/08/23.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
01	M.P.T (Sports)	POST GRADUATE	05
02	M.P.T (ORTHO.)	POST GRADUATE	05

03	M.P.T (Obst. & Gynaec.)	POST GRADUATE	05
04	BACHELOR OF PHYSIOTHERAPY	DEGREE	50
05	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DIPLOMA	20
06	CATH. LAB. TECHNICIAN	DIPLOMA	20
07	C.T.M.R.I. TECHNICIAN	CERTIFICATE	20

102. आई.एस.बी.ए इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, (साक्षी एज्युकेशन सोसायटी) 112/1, ग्राम बदोदिया, ई.एम.ए.सांवेर रोड, जिला इन्दौर। A22P0004 दिनांक 07/08/23.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
01	BACHELOR OF PHYSIOTHERAPY	DEGREE	50
02	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DEGREE	100
03	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DIPLOMA	100
04	X-RAY RADIOGRAPHAR TECHNICIAN	DIPLOMA	50
05	OPERATION THEATRE TECHNICIAN	CERTIFICATE	50
06	X-RAY RADIOGRAPHAR TECHNICIAN	CERTIFICATE	50
07	C.T.M.R.I. TECHNICIAN	CERTIFICATE	50
08	HEALTH INSPECTOR	CERTIFICATE	50
09	E.C.G. TECHNICIAN	CERTIFICATE	50

103. चौईथराम कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, (चौईथराम फाउण्टेन एण्ड ह्यूमेनिटेरियन सर्विसेस चेरिटेबल ट्रस्ट) श्रीराम तलावली धार रोड, जिला इन्दौर। A22P0147 दिनांक 08/07/23.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
01	OPTROMETRICREFRACTION	DIPLOMA	50

104. वर्मा युनियन पैरामेडिकल कॉलेज, (श्याम रतन एज्युकेशन सोसायटी) 120, धार रोड, जिला इन्दौर। A22P0128 दिनांक 07/08/23.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
01	BACHELOR OF PHYSIOTHERAPY	DEGREE	50
02	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DIPLOMA	50

03	OPERATION THEATRE TECHNICIAN	CERTIFICATE	50
----	------------------------------	-------------	----

105. चौईथराम इंस्टी. ऑफ हेल्थ साइंसेस, (चौईथराम चेरिटेबल ट्रस्ट) चौईथराम हॉस्पिटल कैम्पस, माणिक बागरोड जिला इन्दौर A22P0085 दिनांक 07/08/23.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
01	MASTER OF PHYSIOTHERAPY (NEUROLOGY)	POST GRADUATE	05
02	MASTER OF PHYSIOTHERAPY (ORTHOPADIC)	POST GRADUATE	05
03	BACHELOR OF PHYSIOTHERAPY	DEGREE	50
04	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DIPLOMA	50
05	DIALYSIS TECHNICIAN	DIPLOMA	25
06	OPERATION THEATRE TECHNICIAN	CERTIFICATE	50

106. मानस एकेडमी (दत्तात्रेय सुरेश प्रकाश एज्युकेशन एंड सोशल वेलफेयर सोसायटी) जगत गुरु दत्तात्रेय हॉस्पिटल कैम्पस, तफरीह गार्डन के सामने, धाररोड, गाम सिहासा, जिला इन्दौर । A22P0112 दिनांक 07/08/23.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
01	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DIPLOMA	50
02	XRAY RADIOGRAPHER TECHNICIAN	DIPLOMA	50

107. अरिहंत कॉलेज, (अरिहंत कॉलेज एंड हॉस्पिटल सोसायटी) 453, खण्डवा रोड, जिला इन्दौर। A22P0217 दिनांक 07/08/23.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DIPLOMA	50

108. मालवा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन, (अनहद एज्युकेशन सोसायटी) 148 पीयू 04, मल्हार मॉल के पीछे, विजय नगर, जिला इन्दौर । A22P0093 दिनांक 04/08/23.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	BACHELOR OF PHYSIOTHERTAPY	DEGREE	100
2	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DEGREE	100
3	X-RAY(RADIOGRAPHER) TECHNICIAN	DEGREE	25

4	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DIPLOMA	50
5	OPERATION THEATRE TECHNICIAN	CERTIFICATE	25

109. एल एन पैरामेडिकल कॉलेज, (श्री आस्था फाउण्डेशन फॉर एज्युकेशन समिति) सेफ परिसर, ग्राम कनाडिया, जिला इन्दौर A22P0132 दिनांक 07/08/23.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	BACHELOR OF PHYSIOTHERTAPY	DEGREE	100
2	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DEGREE	100
3	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DIPLOMA	100
4	X-RAY(RADIOGRAPHER) TECHNICIAN	DIPLOMA	50
5	PARAMEDICAL OPHTHALMIC ASSISTANT	DIPLOMA	50
6	OPERATION THEATRE TECHNICIAN	CERTIFICATE	50

110. एक्सल इंस्टी ऑफ पैरामेडिकल एण्ड साइंस, (सिद्धी विनायक एज्युकेशन सोसायटी) ग्राम सुलाखेडी, ए बी रोड बायपास जिला इन्दौर । A22P0037 दिनांक 10/04/23.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DEGREE	50
2	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DIPLOMA	100
3	X-RAY(RADIOGRAPHER) TECHNICIAN	DIPLOMA	50
4	OPERATION THEATRE TECHNICIAN	CERTIFICATE	50

111. केशव कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल, (हरे रामा हरे कृष्णा शिक्षण समिति) नायता मुडंला, बायपास रोड जिला इन्दौर । A22P0129 दिनांक 10/04/23.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DEGREE	100
2	X-RAY(RADIOGRAPHER) TECHNICIAN	DEGREE	50
3	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DIPLOMA	100
4	PANCHKARMA TCEHNICIAN	CERTIFICATE	50

112. प्रत्यांश कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल, (डॉ मुकेश गिरि गोस्वामी शैक्षणिक एंड चेरिटेबल सोसायटी) रितुराज बिजनेससेन्टर,

बिचौली मरदाना, जिला इन्दौर। A22P0120 दिनांक 10/04/23.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	BACHELOR OF PHYSIOTHERTAPY	DEGREE	50
2	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DEGREE	100
3	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DIPLOMA	100
4	CATH. LAB. TCEHNICIAN	DIPLOMA	50

113. श्री शांति निकेतन एकेडमी, (दिव्य रतन एज्युकेशन एंड चेरिटेबल सोसायटी) ग्राम घनड, तहसील रौउ, जिला इन्दौर। A22P0057 दिनांक 07/08/23

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DEGREE	50
2	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DIPLOMA	50
3	X-RAY(RADIOGRAPHER) TECHNICIAN	DIPLOMA	50

114. इन्दौर महाविद्यालय (श्री मोतीलाल नागर स्मृति शिक्षण समिति)ग्राम जम्बुडी, हप्सी, जिला इन्दौर। A22P0073 दिनांक 18/08/23.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DIPLOMA	200
2	OPERATION THEATRE TECHNICIAN	CERTIFICATE	100

115. सीरम कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल साइंस, (सीरम एज्युकेशनल सोसायटी) 260 हिल टॉप,सर्व सम्पन्न, मानवता नगर, जिला इन्दौर। A22P0172 दिनांक10/04/23.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DEGREE	50
2	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DIPLOMA	50
3	YOGA	DIPLOMA	50
4	OPERATION THEATRE TECHNICIAN	CERTIFICATE	50
5	PANCHKARMA TECHNICIAN	CERTIFICATE	50

116. भण्डारी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल एण्ड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट(भण्डारी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल एण्ड इंस्टीट्यूट्स) इन्दौर उज्जैन स्टेट हाईवे, सांवेर रोड, जिला इन्दौर। A22P0018 दिनांक 07/08/23.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	BACHELOR OF PHYSIOTHERAPY	DEGREE	50
2	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DEGREE	50
3	X-RAY (RADIOGRAPHER) TECHNICIAN	DEGREE	50
4	BACHELOR OF OCCUPATIONAL THERAPY	DEGREE	50
5	ANESTHESIA TECHNICIAN	DIPLOMA	50
6	DIALYSIS TECHNICIAN	DIPLOMA	50
7	OPTOMETRIC REFRACTION	DIPLOMA	50

117. राय अकादमी पैरामेडिकल कॉलेज (राजीव राय अकादमी) 32 शीतल बाग, कुशवाह नगर, मेन रोड, जिला इन्दौर। A22P0106 दिनांक 07/08/23.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DIPLOMA	50
2	X-RAY RADIOGRAPHER TECHNICIAN	DIPLOMA	50
3	OPERATION THEATRE TECHNICIAN	CERTIFICATE	50

118. श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय (श्री वैष्णव विद्यापीठ) उज्जैन रोड, ग्राम बरौली, जिला इन्दौर। A22P0030 दिनांक 18/08/23.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DEGREE	30
2	X-RAY RADIOGRAPHER TECHNICIAN	DIPLOMA	30
3	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DIPLOMA	30
4	OPTOMETRIC REFRACTION	DIPLOMA	30
5	CATH. LAB. TECHNICIAN	DIPLOMA	30
6	DIALYSIS TECHNICIAN	DIPLOMA	30
7	OPTOMETRIST CONTACT LENS	DIPLOMA	30

8	ANESTHESIA TECHNICIAN	DIPLOMA	30
9	YOGA	DIPLOMA	30
10	NATUROPATHY	DIPLOMA	30

119. श्री अरविन्दो इंस्टीट्यूट ऑफ एलाईड हेल्थ एण्ड पैरामेडिकल साइंसेस (श्री अरविन्दो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस) इन्दौर उज्जैन स्टेट हाईवे एम आर 10 क्रासिंग सांवेर रोड जिला इन्दौर । A22P0016 दिनांक 18/08/23.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	MASTER OF PHYSIOTHERAPY (ORTHOPAEDIC)	POST GRADUATE	05
2	MASTER OF PHYSIOTHERAPY (NEUROLOGY)	POST GRADUATE	05
3	MASTER OF PHYSIOTHERAPY (CARDIOTHORASIC)	POST GRADUATE	05
4	MASTER OF PHYSIOTHERAPY (Oncology)	POST GRADUATE	05
5	MASTER OF PHYSIOTHERAPY (OBST. & GYNAEC.)	POST GRADUATE	05
6	MASTER OF PHYSIOTHERAPY (SPORTS)	POST GRADUATE	05
7	MASTER OF PHYSIOTHERAPY (Geriatrics)	POST GRADUATE	05
8	MASTER OF OCCUPATIONAL THERAPY IN (PEADIATRICS)	POST GRADUATE	05
9	BACHELOR OF PHYSIOTHERAPY	DEGREE	100
10	BACHELOR OF OCCUPATIONAL THERAPY	DEGREE	50
11	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DIPLOMA	50
12	CATH. LAB. TECHNICIAN	DIPLOMA	50
13	OPERATION THEATRE TECHNICIAN	CERTIFICATE	50
14	X-RAY (RADIOGRAPHER) TECHNICIAN	CERTIFICATE	50

120. रैनेसंस युनिवर्सिटी स्कूल ऑफ पैरामेडिकल साइंसेस (कौटिल्य चन्द्रगुप्त एज्युकेशन सोसायटी) ग्राम रेवती, अरविन्दो हॉस्पिटल के पीछे सांवेर उज्जैन रोड जिला इन्दौर । A22P0142 दिनांक 07/08/23.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	BACHELOR OF PHYSIOTHERAPY	DEGREE	100

121. कोर कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल (प्रथमेश एज्युकेशनल एंड वेलफेयर सोसायटी) प्लॉट नंबर A-1 सिल्वर बिजनेस पार्क के पास ए बी रोड जिला इन्दौर । A22P0069 दिनांक 18/08/23.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DIPLOMA	100
2	HEALTH INSPECTOR	CERTIFICATE	50
3	X-RAY (RADIOGRAPHER) TECHNICIAN	CERTIFICATE	50
4	E.C.G. TECHNICIAN	CERTIFICATE	50
5	OPERATION THEATRE TECHNICIAN	CERTIFICATE	50

122. इंडेक्स मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेन्टर, (मयंक वेल्लेयर सोसायटी) मोरोदाट, नियर खुडैलगांव, नेमावर रोड, जिला इन्दौर। A22P0066 दिनांक 18/08/2023

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY (HAEMATOLOGY)	POST GRADUATE	05
2	MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY (HISTOPATHOLOGY)	POST GRADUATE	05
3	MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY (BIOCHEMISTRY)	POST GRADUATE	05
4	MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY (MICROBIOLOGY)	POST GRADUATE	05
5	MASTER OF PHYSIOTHERAPY (ORTHOPAEDIC)	POST GRADUATE	05
6	MASTER OF PHYSIOTHERAPY (SPORTS)	POST GRADUATE	05
7	MASTER OF PHYSIOTHERAPY (NEUROLOGY)	POST GRADUATE	05
8	MASTER OF PHYSIOTHERAPY (CARDIOTHORASIC)	POST GRADUATE	05
9	BACHELOR OF PHYSIOTHERAPY	DEGREE	50
10	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DEGREE	50
11	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DIPLOMA	50
12	DIALYSIS TECHNICIAN	DIPLOMA	50
13	HUMAN NUTRITION	DIPLOMA	50
14	OPTROMETRIC REFRACTION	DIPLOMA	50
15	X-RAY RADIOGRAPHER TECHNICIAN	DIPLOMA	50

16	ANESTHESIA TECHNICIAN	DIPLOMA	50
17	BLOOD TRANSFUSION	DIPLOMA	50
18	CATH. LAB. TECHNICIAN	DIPLOMA	50
19	DENTAL MECHANICS	DIPLOMA	50
20	DENTAL HYGIENE	DIPLOMA	50
21	PHARMACY (AYURVED)	DIPLOMA	50
22	PHARMACY (HOMOEOPATHY)	DIPLOMA	50
23	OPERATION THEATRE TECHNICIAN	CERTIFICATE	50
24	C.T.M.R.I. TECHNICIAN	CERTIFICATE	50
25	HOSPITAL MEDICAL RECORD SCIENCE	CERTIFICATE	50

123. सेफ इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल स्टडीज, (श्री आस्था फाउण्डेशन फॉर एज्युकेशन सोसायटी) ग्राम कनाडिया जिला -इन्दौर 122P0245 07/08/2023

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	BACHELOR OF PHYSIOTHERAPY	DEGREE	50
2	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DEGREE	50
3	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DIPLOMA	50
4	PARAMEDICAL OPHTHALMIC ASSISTANT	DIPLOMA	50
5	X-RAY RADIOGRAPHER TECHNICIAN	DIPLOMA	50
6	O.T TECHNICIAN	CERTIFICATE	50

JABALPUR

124. स्वाशासी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जिला जबलपुर। A22G0152 दिनांक 10/04/2023. (स्थायी मान्यता)

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	BACHELOR OF PHYSIOTHERAPY	DEGREE	50
2	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DIPLOMA	50
3	DIALYSIS TECHNICIAN	DIPLOMA	50

4	PARAMEDICAL OPHTHALMIC ASSISTANT	DIPLOMA	50
5	X-RAY (RADIOGRAPHER) TECHNICIAN	DIPLOMA	50
6	O.T. TECHNICIAN	CERTIFICATE	50

(अस्थायी मान्यता)

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	MASTER OF PHYSIOTHERAPY (SPORTS)	POST GRADUATE	05
2	MASTER OF PHYSIOTHERAPY (ORTHO)	POST GRADUATE	05
3	MASTER OF PHYSIOTHERAPY (NEURO)	POST GRADUATE	05
4	MASTER OF PHYSIOTHERAPY (CARDIO)	POST GRADUATE	05
5	MASTER OF PHYSIOTHERAPY (OBST.& GYNAEC)	POST GRADUATE	05
6	CATH LAB TECHNICIAN	DIPLOMA	50
7	ANESTHESIA TECHNICIAN	DIPLOMA	50
8	E.C.G TECHNICIAN	CERTIFICATE	50

125. स्वाशासी शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, जिला जबलपुर। A22G0202 दिनांक 10/04/2023.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	PHARMACY (AYURVED)	DIPLOMA	50
2	PANCHKARMA TECHNICIAN	CERTIFICATE	50

126. सुभाष चन्द्र बोस पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट (सेंटर फॉर हायर स्टडीज एंड रिसर्च फॉर ए.ए.एच एज्युकेशन) गौर तिराहा, मण्डला रोड जिला जबलपुर। A22P0010 दिनांक 07/08/2023.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DEGREE	50
2	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DIPLOMA	50

127. मोहन पैरामेडिकल कॉलेज (मोहन एज्युकेशन एंड वेलफेयर सोसायटी) डॉ हिमांशु गुप्ता, मोहन मेशन, राईट टाउन, मदनमहल स्टेशनरोड, जिला जबलपुर। A22P0062 दिनांक 07/08/2023.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	BACHELOR OF PHYSIOTHERAPY	DEGREE	50
2	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DEGREE	50
3	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DIPLOMA	50
4	O.T. TECHNICIAN	CERTIFICATE	50

128. चरक इंस्टी.ऑफ मेडिकल साइंस (सार्थक संस्थान) 295, कंचन विहार, घडी चौक, विजयनगर, जिला जबलपुर। A22P0087 दिनांक 07/08/2023

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	BACHELOR OF PHYSIOTHERAPY	DEGREE	50
2	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DEGREE	100
3	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DIPLOMA	50

129. मीनाक्षी एकेडमी ऑफ पैरामेडिकल साइंसेस, (श्री मीनाक्षी वेलफेयर आर्गेनाइजेशन) नूतन मराठा कैम्पस, गोल बाजार जिला जबलपुर। A22P0123 दिनांक 10/04/2023.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DEGREE	50
2	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DIPLOMA	50

130. विनायक पैरामेडिकल इंस्टी ऑफ साइंस, (लोक शिक्षा समिति) विमल नर्सिंग होम, स्प्रिंग डे स्कूल के आगे, मेन रोड आधारताल, जिला जबलपुर। A22P0144 दिनांक 10/04/2023.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DEGREE	100
2	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DIPLOMA	100
3	O.T. TECHNICIAN	CERTIFICATE	100

131. बालाश्री इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेस, (सत्य साई कैंसर सोसायटी) कुचैनी परिसर दमोह नाका, जिला जबलपुर। A22P0226 दिनांक 07/08/23.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	M.P.T (SPORTS)	POST GRADUATE	05
2	M.P.T (ORTHO.)	POST GRADUATE	05
3	BACHELOR OF PHYSIOTHERAPY	DEGREE	50
4	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DEGREE	50
5	X-RAY(RADIOGRAPHER) TECHNICIAN	DEGREE	50
6	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DIPLOMA	50
7	C.T.M.R.I. TECHNICIAN	CERTIFICATE	50
8	O.T. TECHNICIAN	CERTIFICATE	50

132. बीआईपीएमएस इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेस, (ग्लोबल नेचर केयर संगठन) पाटन बायपास रोड, रेगवां, जिला जबलपुर। A22P0235 दिनांक 07/08/23.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	M.M.L.T (HAEMATOLOGY)	POST GRADUATE	05
2	M.M.L.T (BIOCHEMISTRY)	POST GRADUATE	05
3	M.M.L.T (MICROBIOLOGY)	POST GRADUATE	05
4	BACHELOR OF PHYSIOTHERAPY	DEGREE	50
5	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DEGREE	50
6	X-RAY(RADIOGRAPHER) TECHNICIAN	DEGREE	50

133. अजाक्स मेडिकल ट्रेनिंग, (अजाक्स टूकेयर फाउण्डेशन) व्हीटस कैम्पस, गौर तिराहा, नीमखेडा, जिला जबलपुर। A22P0170 दिनांक 18/08/23.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	BACHELOR OF PHYSIOTHERAPY	DEGREE	50
2	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DEGREE	50
3	X-RAY(RADIOGRAPHER) TECHNICIAN	DEGREE	50

4	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DIPLOMA	25
5	C.T.M.R.I. TECHNICIAN	CERTIFICATE	25

134. गजानन पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, (कुपिया समाजिक सेवा समिति) एलआईजी नगर, जिला जबलपुर। A22P0210 दिनांक 18/08/23. D - 15, धन्य न्तरी

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	O.T. TECHNICIAN	CERTIFICATE	50
2	PANCHKARMA TECHNICIAN	CERTIFICATE	50

135. देवछवि कॉलेज ऑफ लाइफ साइंसेस, (एस्कोर्ट ऑफ ह्यूमनिटी) सालीवाडी, तिलहारी, जिला जबलपुर। A22P0094 दिनांक 18/08/23.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DEGREE	50
2	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DIPLOMA	50
3	X-RAY(RADIOGRAPHER) TECHNICIAN	CERTIFICATE	50
4	C.T.M.R.I. TECHNICIAN	CERTIFICATE	50
5	HEALTH INSPECTOR	CERTIFICATE	50
6	PANCHKARMA TECHNICIAN	CERTIFICATE	50

136. आस्था एकेडमी एण्ड साइंसेस (कमलगिरि शिक्षण कल्याण समिति) लाइफ मेडिसिटी हॉस्पिटल, आगाचौक जिला जबलपुर। A22P0190 दिनांक 10/04/23

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
01	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DEGREE	100
02	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DIPLOMA	50
03	O.T. TECHNICIAN	CERTIFICATE	50
04	PANCHKARMA TECHNICIAN	CERTIFICATE	50

137. जबलपुर पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, (एस्कोर्ट ऑफ ह्यूमनिटी) भेड़ाघाट बिल्हा, भेड़ाघाट रोड जिला जबलपुर। A22P0249 दिनांक 18/08/23.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	HEALTH INSPECTOR	CERTIFICATE	50
2	X-RAY RADIOGRAPHAR TECHNICIAN	CERTIFICATE	50
3	OPERATION THEATRE TECHNICIAN	CERTIFICATE	50
4	PANCHKARMA TECHNICIAN	CERTIFICATE	50

138. एम. के. पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, (आर प्रकाश शिक्षा समिति) कोसम घाट, बरेला रोड, जिला जबलपुर। A22P0155 दिनांक 07/08/23.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DEGREE	50
2	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DIPLOMA	50
3	PANCHAKARMA TECHNICIAN	CERTIFICATE	50
4	OPERATION THEATRE TECHNICIAN	CERTIFICATE	50

139. प्रेमवती कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल साइंस, (सेठ मन्लाल जगन्नाथ दास हॉस्पिटल ट्रस्ट) अहिंसाचौक, विजयनगर, जिला जबलपुर। A22P0035 दिनांक 07/08/23

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	BACHELOR OF PHYSIOTHERTAPY	DEGREE	50
2	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DEGREE	100
3	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DIPLOMA	50
4	CATH. LAB. TECHNICIAN	DIPLOMA	50
5	O.T. TECHNICIAN	CERTIFICATE	50

140. एम. एम. कॉलेज ऑफ फिजियोथैरेपी एंड पैरामेडिकल साइंसेस, (श्री एम.एम.एज्युकेशन सोसायटी) 2382, राइट टाउन, मदन महल स्टेशन के पास, जिला जबलपुर। A22P0150 दिनांक 04/08/23.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	M.P.T (ORTHO)	POST GRADUATE	05

2	M.P.T (NEURO)	POST GRADUATE	05
3	BACHELOR OF PHYSIOTHERTAPY	DEGREE	50
4	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DEGREE	50
5	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DIPLOMA	50
6	O.T. TECHNICIAN	CERTIFICATE	50

141. एस.आर.एस पैरामेडिकल कॉलेज, (श्री रावतपुरा सरकार लोक कल्याण ट्रस्ट), भेडाघाट चौक के पास, एन एच 12, जिला जबलपुर। A22P0064 दिनांक 10/04/23.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	BACHELOR OF PHYSIOTHERTAPY	DEGREE	50
2	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DEGREE	50
3	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DIPLOMA	50
4	X-RAY (RADIOGRAPHER) TECHNICIAN	CERTIFICATE	50
5	O.T. TECHNICIAN	CERTIFICATE	50
6	PANCHKARMA TECHNICIAN	CERTIFICATE	50

142. जाबालि पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, (जस्ट जबलपुर युवा कल्याण समिति) अनिल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन दोषी चेम्बर, रद्दी चौक, गोहलपुर, जिला जबलपुर। A20P0145 दिनांक 10/04/23.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DEGREE	50
2	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DIPLOMA	50
3	OPERATION THEATRE TECHNICIAN	CERTIFICATE	50
4	PANCHKARMA TCEHNICIAN	CERTIFICATE	50

143. अनंत कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल साइंसेस, (अनन्त शैक्षणिक संस्थान) प्लॉट 25, गेट नंबर 04, राइट टाउन मदन महल, स्टेशन रोड जिला जबलपुर। A22P0228 दिनांक 10/04/23.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DEGREE	50
2	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DIPLOMA	50

3	OPERATION THEATRE TECHNICIAN	CERTIFICATE	50
---	------------------------------	-------------	----

144. विजयाश्री आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, (श्री ब्रह्मानंद सरस्वती शिक्षा समिति) ग्राम बसहा, स्वामी विवेकानंद मूर्ति के पास, एकता चौक विजयनगर, जिला जबलपुर। A22P0156 दिनांक 07/08/23.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	OPERATION THEATRE TECHNICIAN	CERTIFICATE	50
2	PANCHKARMA TCEHNICIAN	CERTIFICATE	50

145. महाकौशल विश्वविद्यालय (श्री आर. एस. एज्युकेशनल सोसायटी) ऐठाखेडा मुकवारा रोड, तिलवारा, जिला जबलपुर। A22P0187 दिनांक 07/08/23

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	BACHELOR OF PHYSIOTHERTAPY	DEGREE	50
2	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DEGREE	50
3	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DIPLOMA	50

146. पूर्णायु सह चिकित्सीय केन्द्र (श्री दिगम्बर जैन संरक्षिणी सभा) दयोदय तीर्थ, तिलवारा घाट, जिला जबलपुर। A22P0159 दिनांक 18/08/23.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	D.PHARMA (AYURVED)	DIPLOMA	50
2	YOGA	DIPLOMA	50
3	PANCHKARMA TECHNICIAN	CERTIFICATE	50

147. सी एस पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट (कान्हा शिक्षा समिति समिति) 1166 डॉक्टर रवि अग्रवाल लेन नेपियर टाउन जिला जबलपुर। A22P0102 दिनांक 07/08/2023.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DEGREE	50
2	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DIPLOMA	50
3	OPERATION THEATRE TECHNICIAN	CERTIFICATE	50

148. स्मिता कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल (स्मिता महिला शिक्षण संस्थान) प्लॉट नंबर बी, आई टी पार्क बरगी हिल्स गढ़ा, जिला जबलपुर । A22P0050 दिनांक 10/04/23.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DEGREE	50
2	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DIPLOMA	50

JHABUA

149. वाइटल पैरामेडिकल कॉलेज, (यहोबा एज्युकेशन एंड वेलफेयर सोसायटी) चेतना हाई स्कूल परिसर, ग्राम गडबडा जिला झाबुआ। A22P0181 दिनांक 10/04/2023.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DIPLOMA	50
2	O.T. TECHNICIAN	CERTIFICATE	50

150. आयुष्मान कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल साइंसेस, (श्री उत्तम स्वामी सेवा संस्थान समिति) छाजन रोड, राणापुर, जिला झाबुआ । A22P0098 दिनांक 18/08/23.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
01	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DIPLOMA	20
02	OPERATION THEATRE TECHNICIAN	CERTIFICATE	20
03	X-RAY RADIOGRAPHAR TECHNICIAN	CERTIFICATE	50

KHANDWA

151. नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, जिला खण्डवा । A22G0207 दिनांक 10/04/2023.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DEGREE	20
2	PARAMEDICAL OPHTHALMIC ASSISTANT	DIPLOMA	10
3	ORTHO. TECHNICIAN	CERTIFICATE	06
4	O.T. TECHNICIAN	CERTIFICATE	07

152. साई इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेस, (नव्य सेवा संस्थान) ओल्ड खण्डेलवाल जिन, पंधाना रोड, जिला खण्डवा। A22P0099 दिनांक 10/04/2023.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DEGREE	50
2	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DIPLOMA	50
3	O.T. TECHNICIAN	CERTIFICATE	50

153. माँ विजयलक्ष्मी नर्सिंग एण्ड पैरामेडिकल कॉलेज, (श्री अरनव एज्युकेशनल सोसायटी) रेल्वे ब्रिज के पास, नागचून रोड, जिला खण्डवा। A22P0108 दिनांक 18/08/2023.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DEGREE	50

154. डॉ. सी. व्ही रमन युनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस, (ऑल इंडिया सोसायटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड कम्प्यूटर टेक्नोलॉजी) ग्राम बलखडसुरा, पोस्ट छे गांव माखन, जिला खण्डवा। A22P0036 दिनांक 18/08/23

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	BACHELOR OF PHYSIOTHERTAPY	DEGREE	100
2	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DEGREE	100
3	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DIPLOMA	100

KHARGONE

155. भक्तानंद जी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (उज्जवला चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवा समिति) नूतन नगर कॉलोनी, जिला खरगौन। A22P0205 दिनांक 04/08/2023.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DIPLOMA	50
2	O.T. TECHNICIAN	CERTIFICATE	50

156. आशादीप इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेस, (मोहन देवी शिक्षा प्रसार एवं समाज कल्याण समिति) बिस्टान रोड, जिला खरगौन (मण्डलेश्वर)। A22P0137 दिनांक 10/04/2023.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DIPLOMA	50
2	X-RAY (RADIOGRAPHER)TECHNICIAN	CERTIFICATE	50

157. सुमिषी इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेस, (राहत चेरिटेबल ट्रस्ट) गौरीधाम रोड, डायवर्सन रोड, जिला खरगौन। A22P0055 दिनांक 18/08/23.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
01	Medical Laboratory Technology (Haematology)	POST GRADUATE	05
02	Medical Laboratory Technology (Histopathology)	POST GRADUATE	05
03	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DEGREE	50
04	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DIPLOMA	50

158. शुभदीप कॉलेजऑफ पैरामेडिकल एंड साइंस, (वीर सावरकर जन विकास सेवा समिति) जुलवानिया रोड, जिला खरगौन A22P0133 दिनांक 10/04/23.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
01	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DIPLOMA	100
02	XRAY RADIOGRAPHER TECHNICIAN	DIPLOMA	50
03	X-RAY RADIOGRAPHER TECHNICIAN	CERTIFICATE	50
04	PANCHAKARMA TECHNICIAN	CERTIFICATE	100
05	OPERATION THEATRE TECHNICIAN	CERTIFICATE	50

159. राजीव गांधी पैरामेडिकल कॉलेज, (गुर्जर बाल विकास शिक्षा समिति)तिलक पथ,जिला खरगौन। A22P0009 दिनांक 02/05/23.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DEGREE	50
2	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DIPLOMA	50
3	OPERATION THEATRE TECHNICIAN	CERTIFICATE	50

KATNI

160. महावीर पैरामेडिकल (श्री महावीर शिक्षा एवं जनकल्याण समिति) गायत्री नगर, जिला कटनी। A22P0023 दिनांक 10/04/2023.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DEGREE	50
2	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DIPLOMA	50

161. ग्लोरियस कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल, (श्री गौरीसुत वेलफेयर सोसायटी) आधारकाप रोड, जगमोहन दास वार्ड नई बस्ती, 122P0191 18/08/2023.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DEGREE	50
2	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DIPLOMA	50
3	X-RAY(RADIOGRAPHER) TECHNICIAN	CERTIFICATE	50
4	OPERATION THEATRE TECHNICIAN	CERTIFICATE	50

MANDLA

162. स्वयं सिद्ध इंस्टी ऑफ पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी (स्व.श्री तेजालालजी सोलंकी स्मृति ग्राम विकास शिक्षण समिति) वनवासी सेवा मण्डल परिसर, महाराजपुर, जिला मण्डला । A22P0008 दिनांक 10/04/2023.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DEGREE	50
2	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DIPLOMA	50

163. आस्था इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी, (नलनी शिक्षा प्रसार एवं समाज कल्याण समिति) राजपूत ढाबा के पास, जबलपुर रोड, कटरा जिला मण्डला । A22P0153 दिनांक 07/08/23.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DEGREE	50
2	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DIPLOMA	50
3	O.T. TECHNICIAN	CERTIFICATE	50

164. पायोनियर कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल साइंस (पायोनियर एज्युकेशन एंड वेलफेयर सोसायटी) बिंझिया चौक, टी सी पी सी के सामने, नेताजी कॉलोनी, जिला मण्डला । A22P0218 दिनांक 04/08/23.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DEGREE	50
2	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DIPLOMA	50
3	PANCHKARMA TECHNICIAN	CERTIFICATE	50

165. माँ रेवा इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी, (ज्ञान गंगा शिक्षा समिति) पुराने आर टी ऑफीस के सामने, जाबाला जी वार्ड, महाराजपुर जिला मण्डला । A22P0068 दिनांक 10/04/23.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DEGREE	50
2	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DIPLOMA	50
3	PANCHKARMA TCEHNICIAN	CERTIFICATE	50

166. समरसा इंस्टी. ऑफ पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी (मोहन प्रसाद मिश्रा ज्योति निकेतन समिति) निवारी नियर टंकी मोहल्ला, नैनपुर, जिला मण्डला । A22P0229 दिनांक 07/08/23

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DEGREE	50
2	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DIPLOMA	50
3	PANCHAKARMA TECHNICIAN	CERTIFICATE	50

MANDSOUR

167. शाइन पैरामेडिकल कॉलेज (अनुग्रह शैक्षणिक एवं समाजिक संस्था) शगुन गार्डन के सामने, रेल्वे स्टेशन रोड, जिला मन्दसौर। A22P0078 दिनांक 10/04/2023.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	BACHELOR OF PHYSIOTHERAPY	DEGREE	50
2	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DIPLOMA	50
3	DIALYSIS TECHNICIAN	DIPLOMA	50

168. मिरेकल पैरामेडिकल कॉलेज (महाकौशल्या शिक्षण प्रसार समिति) अजीजखेड़ी, नया खेड़ा बायपास रोड, जिला मन्दसौर। A22P0006 दिनांक 10/04/2023.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	M.M.L.T. (HAEMATOLOGY)	POST GRADUATE	05
2	M.M.L.T. (HISTOPATHOLOGY)	POST GRADUATE	05
3	M.M.L.T. (BIOCHEMISTRY)	POST GRADUATE	05
4	M.M.L.T. (MICROBIOLOGY)	POST GRADUATE	05
5	BACHELOR OF PHYSIOTHERAPY	DEGREE	50
6	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DEGREE	100
7	X-RAY (RADIOGRAPHER)TECHNICIAN	DEGREE	50
8	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DIPLOMA	100
9	X-RAY (RADIOGRAPHER)TECHNICIAN	DIPLOMA	50
10	PARAMEDICAL OPHTHALMIC ASSISTANT	DIPLOMA	50
11	O.T. TECHNICIAN	CERTIFICATE	50
12	PANCHKARMA TECHNICIAN	CERTIFICATE	100

169. डायमण्ड पैरामेडिकल कॉलेज (जागृति पर्यावरण समाजिक समिति) गाँधी नगर, पानी की टंकी के पास, भैसोदा मण्डी, जिला मन्दसौर। A22P0127 दिनांक 07/08/2023.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DIPLOMA	50

170. श्रीजी पैरामेडिकल कॉलेज, (श्रीजी समाजिक सेवा संस्था) ग्राम गुराडिया, दीदा महु, नीमच बायपास, जिला मन्दसौर। A22P0039 दिनांक 04/08/23.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DIPLOMA	50
2	X-RAY(RADIOGRAPHER) TECHNICIAN	DIPLOMA	50
3	O.T. TECHNICIAN	CERTIFICATE	50

171. श्री साई नाथ पैरामेडिकल कॉलेज, (भैंसोदामण्डी श्री साई श्रद्धा सेवा शिक्षा संस्थान समिति) रेल्वे फाटक के पास, मालीपुरा रोड के पास, भैंसोदामण्डी, तहसील भानपुरा जिला- मन्दसौर । 22च0183 07ध08ध23

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	BACHELOR OF PHYSIOTHERAPY	DEGREE	25
2	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DEGREE	100
3	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DIPLOMA	100
4	OPTROMETRIC REFRECTION	DIPLOMA	25
5	O.T TECHNICION	CERTIFICATE	50

MORENA

172. आर.एल. पैरामेडिकल कॉलेज, (रतन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति) केदार मेडिसिटी, ए.बी. रोड, टेकरी, नूराबाद, जिला मुरैना । A22P0240 दिनांक 18/08/23.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DIPLOMA	20
2	PARAMEDICAL OPTHALMIC ASSITANT	DIPLOMA	20
3	X-RAY(RADIOGRAPHER) TECHNICIAN	CERTIFICATE	50
4	E.C.G TECHNICIAN	CERTIFICATE	50
5	O.T. INSPECTOR	CERTIFICATE	50

173. श्रीमती विमला देवी पैरामेडिकल कॉलेज, (ठाकुर होतम सिंह शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति) लश्करीपुरम, ए.बी. रोड, जिला मुरैना । A22P0097 दिनांक 18/08/23

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DIPLOMA	50
2	X-RAY(RADIOGRAPHER) TECHNICIAN	DIPLOMA	50

NARSINGPUR

174. श्री विद्या पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, (श्री स्किल डेव्हलपमेंट संस्था) गाँधी वार्ड, स्टेशन रोड, गाडरवाडा, जिला नरसिंहपुर A22P0118 दिनांक 07/08/23.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DIPLOMA	50

175. ज्ञानसागर एकेडमी पैरामेडिकल कॉलेज, (श्री शिवचरण यादव शिक्षा समिति) ग्राम मनकवारा, भमोरी, तहसील गाडरवाडा, जिला नरसिंहपुर। A22P0225 दिनांक 07/08/23.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	BACHELOR OF PHYSIOTHERAPY	DEGREE	50
2	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DIPLOMA	50

176. रेवाश्री इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस, (मध्य भारत विकास संस्था) सेक्रेण्ड फ्लोर, रेवाश्री हॉस्पिटल, सिविल लाईन, सदर जिला नरसिंहपुर। A22P0082 दिनांक 07/08/23.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DIPLOMA	50
2	O.T. TECHNICIAN	CERTIFICATE	50

NEEMUCH

177. ज्ञानोदय इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, (ज्ञानोदय शिक्षण समिति) ग्राम कनावटी, तहसील व जिला नीमच। A22P0189 दिनांक 07/08/23.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DIPLOMA	50
2	OPERATION THEATRE TECHNICIAN	CERTIFICATE	50

178. संजीवनी कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल (करणीमाता चिकित्सा शिक्षा एवं समाज कल्याण) स्वास्तिक होटल के पास चल्दु एतहसील जीरन A22P0124 04/08/23.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DIPLOMA	50

2	X-RAY (RADIOGRAPHER) TECHNICIAN	DIPLOMA	50
---	---------------------------------	---------	----

179. राधादेवी रामचन्द्र मंगल इंस्टीट्यूट ;रामचन्द्र मंगल शिक्षण समिति) महुए नीमच रोड भाटखेडा। 122P0011 18/08/23.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	M.M.L.T. (HAEMATOLOGY)	POST GRADUATE	05
2	M.M.L.T. (BIOCHEMISTRY)	POST GRADUATE	05
3	BACHELOR OF PHYSIOTHERAPY	DEGREE	50
4	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DEGREE	50
5	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DIPLOMA	100
6	X-RAY (RADIOGRAPHER) TECHNICIAN	DIPLOMA	50
7	O.T TECHNICIAN	CERTIFICATE	50
8	HEALTH INSPECTOR	CERTIFICATE	50
9	PANCHKARMTECHNICIAN	CERTIFICATE	200

PANNA

180. स्वामी विवेकानंद पैरामेडिकल कॉलेज (श्री राम शिक्षा प्रसार एवं ग्रामीण विकास समाजोत्थान समिति) जनकपुर, जिला पन्ना A22P0096 दिनांक 04/08/2023.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DEGREE	100
2	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DIPLOMA	100
3	PHARMACY (AYURVED)	DIPLOMA	50
4	O.T. TECHNICIAN	CERTIFICATE	50

181. माधव पैरामेडिकल कॉलेज, (शारदांचल सोसायटी) जनकपुर रोड, पुरुषोत्तम, जिला पन्ना । A22P0234 दिनांक 07/08/2023.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DEGREE	50
2	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DIPLOMA	50

3	PHARMACY (AYURVED)	DIPLOMA	50
4	YOGA	DIPLOMA	50
5	PANCHAKARMA TECHNICIAN	CERTIFICATE	100

RATLAM

182. स्वशासी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, जिला रतलाम। A22G0208 दिनांक 10/04/2023.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DEGREE	20
2	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DIPLOMA	20
3	OPTOMETRIST REFRACTION	DIPLOMA	10
4	ANESTHESIA TECHNICIAN	CERTIFICATE	10
5	O.T. TECHNICIAN	CERTIFICATE	10
6	ORTHO TECHNICIAN	CERTIFICATE	10
7	HEALTH INSPECTOR	CERTIFICATE	10
8	CYTO TECHNICIAN	CERTIFICATE	05

183. सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेस, (पटेल सर्वोत्तम सकल शिक्षा समिति जावरा) बन्नाखेडा जावरा। A22P0083 10/04/2023.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DEGREE	50
2	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DIPLOMA	50
3	X-RAY (RADIOGRAPHER) TECHNICIAN	DIPLOMA	50
4	OPERATION THEATRE TECHNICIAN	CERTIFICATE	50

RAJGARH

184. मेडिकेयर इंस्टी ऑफ मेडिकल साइंसेस, (मेडिकेयर वेलफेयर सोसायटी) गणेश विहार कॉलोनी ए.बी.रोड सारंगपुर, जिला राजगढ़। A22P0135 दिनांक 10/04/2023.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
------	------------------	--	-------------

1	M.M.L.T. (HAEMATOLOGY)	POST GRADUATE	05
2	BACHELOR OF PHYSIOTHERAPY	DEGREE	50
3	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DEGREE	100
4	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DIPLOMA	100

RAISEN

185. रविन्द्रनाथ टैगोर युनिवर्सिटी (ऑल इंडिया सोसायटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्प्यूटर टेक्नोलॉजी) ग्राम बंगरसिया, पोस्ट भोजपुर जिला रायसेन । A22P0091 दिनांक 18/08/2023.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	MASTER OF PHYSIOTHERAPY (NEURO)	POST GRADUATE	05
2	MASTER OF PHYSIOTHERAPY (ORTHO)	POST GRADUATE	10
3	MASTER OF PHYSIOTHERAPY (SPORTS)	POST GRADUATE	05
4	MASTER OF PHYSIOTHERAPY (CARDIO)	POST GRADUATE	05
5	BACHELOR OF PHYSIOTHERAPY	DEGREE	100
6	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DEGREE	100
7	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DIPLOMA	100

186. सैम कॉलेज ऑफ नर्सिंग साईंसेस, (गुरु हरगोविन्द सोसायटी) ग्राम अगारिया, चौपडा, A22P0070 10/04/23.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	M.M.L.T. (HAEMATOLOGY)	POST GRADUATE	10
2	M.M.L.T. (HISTOPATHOLOGY)	POST GRADUATE	10
3	M.M.L.T. (BIOCHEMISTRY)	POST GRADUATE	10
4	M.M.L.T. (MICROBIOLOGY)	POST GRADUATE	10
5	MASTER OF PHYSIOTHERAPY (ORTHO)	POST GRADUATE	10
6	MASTER OF PHYSIOTHERAPY (SPORTS)	POST GRADUATE	10
7	MASTER OF PHYSIOTHERAPY (NEURO)	POST GRADUATE	10
8	MASTER OF PHYSIOTHERAPY (CARDIO)	POST GRADUATE	10
9	MASTER OF PHYSIOTHERAPY (OBST. & GYNAC)	POST GRADUATE	10

10	BACHELOR OF PHYSIOTHERTAPY	DEGREE	100
11	BACHELOR HUMAN NUTRITION	DEGREE	50
12	BACHELOR MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DEGREE	100
13	BACHELOR OF X-RAY RADIOGRAPHER TECHNICIAN	DEGREE	50
14	YOGA	DIPLOMA	50
15	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DIPLOMA	150

187. स्कूल ऑफ पैरामेडिकल साईसेंस, (गुरु हरगोविन्द सोसायटी) ग्राम अगारिया, चौपडा, A22P0121 10/04/23.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DEGREE	150
2	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DIPLOMA	150

REWA

188. स्वशासी शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, जिला रीवा । A22G0003दिनांक 10/04/2023.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	PHARMACY (AYURVED)	DIPLOMA	50

189. स्वशासी श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, जिला रीवा । A22G0167 दिनांक 10/04/2023.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	M.M.L.T(HISTOPA)	POST GRADUATE	05
2	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DEGREE	30
3	X-RAY (RADIOGRAPHER)TECHNICIAN	DEGREE	15
4	ANESTHESIA TECHNICIAN	DIPLOMA	20
5	MICROBIOLOGY	DIPLOMA	20
6	PARAMEDICAL OPHTHALMIC ASSISTANT	DIPLOMA	15
7	CATH LAB TECHNICIAN	DIPLOMA	15
8	X-RAY (RADIOGRAPHER)TECHNICIAN	DIPLOMA	20

9	DIALYSIS TECHNICIAN	DIPLOMA	15
10	C.T.M.R.I TECHNICIAN	CERTIFICATE	10
11	ORTHO TECHNICIAN	CERTIFICATE	20
12	E.C.G TECHNICIAN	CERTIFICATE	20
13	RESPIRATORY TECHNICIAN	CERTIFICATE	10

190. चौरसिया पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, (शोषित पीडित कल्याण विकास परिषद) जेल रोड, चौरसिया नर्सिंग होम, जिला सीवा । A22P0113 दिनांक 10/04/2023.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	BACHELOR OF PHYSIOTHERAPY	DEGREE	50
2	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DEGREE	50
3	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DIPLOMA	50

191. युनिक पैरामेडिकल कॉलेज, (जाहिद खान तकनिकी शिक्षा समिति) युनिवर्सिटी रोड, जिला सीवा। A22P0200 दिनांक 04/08/23.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DIPLOMA	50

SHAHDOL

192. शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, जिला शहडोल । A22G0177 दिनांक 10/04/2023.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	BACHELOR OF PHYSIOTHERAPY	DEGREE	50
2	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DEGREE	50
3	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DIPLOMA	50
4	O.T. TECHNICIAN	CERTIFICATE	30
5	ANESTHESIA TECHNICIAN	CERTIFICATE	30

193. विवेकानंद पैरामेडिकल कॉलेज, (सत्यम कल्याण सेवा समिति) बाणगंगा रोड, एस.एस मोटर्स कैम्पस, जिला शहडोल। A22P0048 दिनांक 10/04/2023.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	M.M.L.T(MICRO)	POST GRADUATE	05
2	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DEGREE	50
3	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DIPLOMA	50
4	O.T. TECHNICIAN	CERTIFICATE	50

194. श्री रामचन्द्र पैरामेडिकल कॉलेज, (हिन्द विराट फाउण्डेशन समिति) देवांता हॉस्पिटल कैम्पस, बुढार चौक, सिंहपुर रोड, जिला शहडोल। A22P0089 दिनांक 10/04/2023

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DEGREE	50
2	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DIPLOMA	50
3	O.T. TECHNICIAN	CERTIFICATE	50

195. शिवानी पैरामेडिकल कॉलेज, (विकल्प शिक्षा एवं विकास समिति) बायपास बाणगंगा रोड, एस.एस मोटर्स के सामने, जिला शहडोल। A22P0076 दिनांक 10/04/2023.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	BACHELOR OF PHYSIOTHERAPY	DEGREE	35
2	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DEGREE	50
3	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DIPLOMA	100
4	X-RAY (RADIOGRAPHER)TECHNICIAN	DIPLOMA	25
5	PHARMACY (AYURVED)	DIPLOMA	25
6	O.T. TECHNICIAN	CERTIFICATE	20

196. अथर्व पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, (विकल्प शिक्षा एवं विकास समिति) ब्यौहारी, जिला शहडोल। A22P0043 दिनांक 10/04/2023

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
------	------------------	--	-------------

1	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DEGREE	50
2	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DIPLOMA	50
3	O.T. TECHNICIAN	CERTIFICATE	50

197. इंदिरा गाँधी कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल, (एम एल चौरसिया मेमोरियल शिक्षा समिति) गोदावल तिराहा, शहडोल रोड, ब्यौहारी, जिला शहडोल। A22P0143 दिनांक 10/04/2023

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DEGREE	50
2	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DIPLOMA	50

198. राजीव गाँधी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइन्स (तेजा सोसायटी फॉर एज्युकेशन एण्ड एसओएसएल वेलफेयर समिति) कामधेनु भवन के पास राजेन्द्र टाकीज के पीछे जिला-शहडोल A22P0072 04/08/2023.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1.	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DEGREE	50
2	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DIPLOMA	50

SINGROULI

199. सार्थक इस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी, (सार्थक संस्थान) धुरी ताल रोड, बिलौंजी एन.आई.सी.टी.गर्ल्स कॉलेज बैडन जिला सिंगरौली। A22P0192 दिनांक 07/08/2023

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DEGREE	100
2	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DIPLOMA	100
3	PANCHKARMA TECHNICIAN	CERTIFICATE	50

200. सर्व हितकारी पैरामेडिकल कॉलेज, (सर्वहितकारी शिक्षा एवं सेवा समिति) बरगवां बरहवा टोला, पोस्ट डगा, भरगांव, तहसील देवसर जिला सिंगरौली। A22P0130 दिनांक 10/04/2023

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DEGREE	50
2	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DIPLOMA	50

SEHORE

201. फैकल्टी ऑफ पैरामेडिकल स्टडीस, (श्री साई ग्रामोत्थान समिति) ग्राम गडिया, बिलकिसगंज जिला सीहोर। A20P0168 दिनांक 10/04/2023

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DEGREE	100
2	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DIPLOMA	200

202. श्री सत्य साई युनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड मेडिकल साइंसेस, (आयुष्मति एज्युकेशन एंड सोशल सोसायटी) एस.एच. 18, भोपाल इन्दौर रोड, ऑयल फीड प्लांट के पीछे, पंचामा जिला सीहोर। A22P0086 दिनांक 07/07/2023.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	M.M.L.T (HAEMO)	POST GRADUATE	05
2	MASTER OF PHYSIOTHERTAPY (ORTHO.)	POST GRADUATE	05
3	BACHELOR OF PHYSIOTHERTAPY	DEGREE	50
4	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DEGREE	50
5	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DIPLOMA	50
6	X-RAY (RADIOGRAPHER)TECHNICIAN	DIPLOMA	50
7	PARAMEDICAL OPHTHALMIC ASSISTANT	DIPLOMA	50
8	BLOOD TRANSFUSION	DIPLOMA	50
9	PHARMACY (AYURVED)	DIPLOMA	50
10	PHARMACY (HOMEOPATHY)	DIPLOMA	50
11	YOGA	DIPLOMA	50

203. फैकल्टी ऑफ पैरामेडिकलसाइंसेस मानसरोवर ग्लोबल युनिवर्सिटी, (श्री साई ग्रामोत्थान समिति)ग्राम गडिया, बिलकिसगंज जिला सीहोर। A22P0166 दिनांक 10/04/2023.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	MASTER OF PHYSIOTHERAPY (SPORTS)	POST GRADUATE	20
2	MASTER OF PHYSIOTHERAPY (ORTHOPAEDIC)	POST GRADUATE	15

3	MASTER OF PHYSIOTHERAPY (NEUROLOGY)	POST GRADUATE	15
4	BACHELOR OF PHYSIOTHERAPY	DEGREE	50
5	BACHELOR OF X-RAY RADIOGRAPHER TECHNICIAN	DEGREE	50
6	BACHELOR MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DEGREE	100
7	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DIPLOMA	200
8	XRAY RADIOGRAPHER ECHNICIAN	DIPLOMA	50
9	DENTAL HYGIENE	DIPLOMA	50
10	OPERATION THEATRE TECHNICIAN	CERTIFICATE	50

SAGAR

204. चैतन्य इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेस, (सिवनी हेल्थ एज्युकेशन एंड वेलफेयर सोसायटी) संजय ड्राइव के पास तिली रोड जिला सागर। A22P0149 दिनांक 10/04/2023

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DEGREE	100
2	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DIPLOMA	100
3	O.T. TECHNICIAN	CERTIFICATE	50

205. स्वशासी बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय, जिला सागर। A22G0184 दिनांक 10/04/2023.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DIPLOMA	50
2	DIALYSIS TECHNICIAN	DIPLOMA	10
3	X-RAY (RADIOGRAPHER)TECHNICIAN	DIPLOMA	30
4	ANASTHESIA TECHNICIAN	DIPLOMA	10
5	PARAMEDICAL OPHTHALMIC ASSISTANT	DIPLOMA	10
6	ORTHO TECHNICIAN	CERTIFICATE	10
7	O.T. TECHNICIAN	CERTIFICATE	30
8	E.C.G. TECHNICIAN	CERTIFICATE	10

9	HEALTH INSPECTOR	CERTIFICATE	10
10	RESPIRATORY TECHNICIAN	CERTIFICATE	10

206. स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय (प्रखर प्रज्ञा शिक्षा प्रसार एवं समाज कल्याण समिति) नरसिंहपुर रोड, सिरोंज, जिला सागर । A22P0046 दिनांक 18/08/23.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	M.P.T (ORTHO)	POST GRADUATE	05
2	BACHELOR OF PHYSIOTHERAPY	DEGREE	50
3	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DEGREE	50
4	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DIPLOMA	50

207. ज्ञानवीर पैरामेडिकल कॉलेज, (ज्ञानवीर सेवा समिति) राजघाट रोड, तिली जिला सागर । A22P0084 दिनांक 07/08/23.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DEGREE	50
2	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DIPLOMA	50
3	OPERATION THEATRE TECHNICIAN	CERTIFICATE	50

208. श्री साईनाथ पैरामेडिकल एण्ड नर्सिंग कॉलेज, (वसुंधरा जनकल्याणसमिति) ग्राम सिहोरा जिला सागर । A22P0100 दिनांक 04/08/23.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DIPLOMA	50
2	X-RAY(RADIOGRAPHER) TECHNICIAN	CERTIFICATE	50
3	OPERATION THEATRE TECHNICIAN	CERTIFICATE	50

SEONI

209. मीनाक्षी एकेडमी ऑफ पैरामेडिकल स्टडीस, (श्री मीनाक्षी वेलफेयर आर्गेनाइजेशन) 24 नूतन स्कूल भवन, काली चौक, सूफी नगर जिला सिवनी। A22P0125 दिनांक 10/04/2023.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DEGREE	50
2	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DIPLOMA	50

210. ज्ञान गंगा इंस्टी पैरामेडिकल साइंस (सज्जाद अली खान एज्युकेशन एंड वेलफेयर सोसायटी) भारत रतन, हायर सेकेण्डरी स्कूल कम्पाउण्ड, गांधी वार्ड सूफी नगर, जिला सिवनी। A22P0144 दिनांक 04/08/2023

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DEGREE	50
2	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DIPLOMA	50

211. एस.एस. मेमोरियल इंस्टी ऑफ पैरामेडिकल साइंस (सज्जाद अली खान एज्युकेशन एंड वेलफेयर सोसायटी) मिशन गर्ल्स एंड बॉयस हायर सेकेण्डरी स्कूल कम्पाउण्ड, जिला सिवनी। A22P0116 दिनांक 04/08/2023.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DEGREE	50
2	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DIPLOMA	50

212. मारुति इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, (आरव मेडिशाइन प्राइवेट लिमिटेड) राम मंदिर के सामने, नागपुर रोड, ग्राम कलबोडी, तहसील कुरई, जिला सिवनी। A22P0122 दिनांक 18/08/23.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DEGREE	50
2	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DIPLOMA	50

213. आर्यवर्त कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल साइंस (श्री एम एम एज्युकेशन सोसायटी) छिन्दवाडा चौक, इलाहाबाद बैंक के पास, रेल्वे स्टेशन रोड, तिलक वार्ड, जिला सिवनी। A22P0243 दिनांक 04/08/23.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DEGREE	50

2	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DIPLOMA	50
3	PANCHKARMA TECHNICIAN	CERTIFICATE	50

214. संजीवनी पैरामेडिकल कॉलेज, (ज्ञान प्रबोधिनी शिक्षण एवं समाजोत्थान समिति) युनिवर्सल कम्प्युटर आकादमी, ब्लॉक 02, वाराणसी जिलासिवनी। A22P0180 दिनांक 18/08/23

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DEGREE	50
2	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DIPLOMA	50

215. चेतना पैरामेडिकल साइंस कॉलेज, (दीनबन्धु विकलांग कल्याण समिति) राजराजेश्वरी चौक, बरघाट जिला सिवनी। A22P0002 दिनांक 18/08/2023.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DEGREE	50
2	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DIPLOMA	50
3	ORTHO. TECHNICIAN	CERTIFICATE	50
4	PANCHAKARMA TECHNICIAN	CERTIFICATE	50

SATNA

216. मास पैरामेडिकल इंस्टी.(महर्षि अगस्त सेवा समिति) राजेन्द्र नगर लाईन नंबर 05,मेन रोड,जिला सतना । A22P0063 दिनांक 10/04/2023.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	BACHELOR OF PHYSIOTHERTAPY	DEGREE	50
2	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DEGREE	50
3	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DIPLOMA	50

217. आदित्य कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल साइंस, (आदित्य शिक्षा प्रसार संस्थान)95 महादेवा रोड, शेरगंजजिला सतना । A22P0236 दिनांक 07/08/2023

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DEGREE	50

2	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DIPLOMA	50
---	------------------------	---------	----

218. ए.के.एस यूनिवर्सिटी (ए.के. एस चेरिटेबल ट्रस्ट) शेरगंज, पन्ना रोड, जिला सतना। A22P0182 दिनांक 10/04/2023.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	BACHELOR OF PHYSIOTHERTAPY	DEGREE	50
2	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DEGREE	50
3	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DIPLOMA	100
4	X-RAY (RADIOGRAPHER)TECHNICIAN	DIPLOMA	50
5	O.T. TECHNICIAN	CERTIFICATE	100
6	ORTHO TECHNICIAN	CERTIFICATE	50
7	HOSPITAL MEDICAL RECORD SCIENCE	CERTIFICATE	50

219. सदरु इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल चित्रकूट, (श्री सदरु सेवा संघ ट्रस्ट) जानकी कुण्ड, चित्रकूट जिला सतना। A22P0019 दिनांक 07/08/23.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
01	PARAMEDICAL OPHTHALMIC ASSISTANT	DIPLOMA	50

220. यूनिक कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल, (पटेल शिक्षा समिति) सतना रोड अमरपाटन जिला सतना। A22P0212 दिनांक 04/08/23.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DEGREE	50
2	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DIPLOMA	50
3	O.T. TECHNICIAN	CERTIFICATE	50

221. विंध्य कॉलेज ऑफ नर्सिंग पैरामेडिकल (विंध्य एज्युकेशन एण्ड वेलफेयर संगठन) ग्राम शेरगंज, पन्ना रोड, पोस्ट महादेवा, तहसील रघुराज नगर, A22P0148 07/08/23

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	BACHELOR OF PHYSIOTHERTAPY	DEGREE	50
2	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DEGREE	50

3	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DIPLOMA	50
4	O.T. TECHNICIAN	CERTIFICATE	50
5	X-RAY(RADIOGRAPHER) TECHNICIAN	CERTIFICATE	50

SHAJAPUR

222. जश इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस, (अन्नपूर्ण हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड) सिटी सेंटर मॉल गॉंधी पार्क के पास, शुजालपुर जिला शाजापुर । A22P0222 दिनांक 10/04/23.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	OPERATION THEATRE TECHNICIAN	CERTIFICATE	50

SIDHI

223. आर्या पैरामेडिकल एंड साइंस कॉलेज (शांति संकल्प सेवा समिति) जिला सीधी। A22P0104 दिनांक 02/05/2023.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DEGREE	50
2	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DIPLOMA	50
3	YOGA	DIPLOMA	50
4	PHARMACY (AYURVED)	DIPLOMA	50
5	X-RAY (RADIOGRAPHER)TECHNICIAN	CERTIFICATE	50

224. दिव्य ज्योति पैरामेडिकल कॉलेज (अमहा समाजिक एवं शिक्षण समिति) रीवा रोड, जमोडी, सेंगरानजिला सीधी। A22P0237 दिनांक 10/04/2023.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DEGREE	50
2	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DIPLOMA	50
3	O.T. TECHNICIAN	CERTIFICATE	50
4	X-RAY (RADIOGRAPHER)TECHNICIAN	CERTIFICATE	50

225. आर्या पैरामेडिकल कॉलेज, (सोनभद्र विकास एवं शिक्षा समिति) पनवार, तहसील गोपद बनास, जिला सीधी । A22P0107 दिनांक 07/08/23.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DIPLOMA	50
2	PHARMACY (AYURVED)	DIPLOMA	50
3	PANCHKARMA TECHNICIAN	CERTIFICATE	50

226. माता श्रीपैरामेडिकल कॉलेज, (गाँधी बहुउद्देशीय समिति) हाउसिंग बोर्ड, प्रियदर्शिनी नगर,वार्ड नं. 10, जिला सीधी। A22P0034 दिनांक 07/08/23.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DIPLOMA	50

227. सेंट जोसफ कॉलेज, (अकांक्षा शिक्षा एवं जनसेवा समिति मेमोरियल जनकल्याण समिति) शुकवारी, पोस्ट बंजारी, तहसील गोपद बनास, जिला सीधी । A22P0239 दिनांक 07/08/23.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
01	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DEGREE	50
02	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DIPLOMA	50

SHIVPURI

228. स्वशासी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, जिला शिवपुरी । A22G0194 दिनांक 10/04/2023.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DEGREE	50
2	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DIPLOMA	50
3	ANESTHESIA TECHNICIAN	DIPLOMA	15
4	PARAMEDICAL OPHTHALMIC ASSISTANT	DIPLOMA	10

229. पी.के. युनिवर्सिटी (फैकल्टी ऑफ मेडिकल साइंस) (सोनल एज्युकेशन सोसायटी) ग्राम धनरा, तहसील करेरा, एन.एच. 25 जिला शिवपुरी। A22P0020 दिनांक 07/08/2023.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	BACHELOR OF PHYSIOTHERTAPY	DEGREE	50
2	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DEGREE	50
3	X-RAY RADIOGRAPHER TECHNICIAN	DIPLOMA	50
4	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DIPLOMA	50
5	DIALYSIS TECHNICIAN	DIPLOMA	50

230. लक्ष्मण सेठ पैरामेडिकल कॉलेज, (लक्ष्मण सेठ एज्युकेशनल फाउण्डेशन) ग्राम दिनारा, तहसील करैरा, जिला शिवपुरी,। A22P0227 दिनांक 18/08/23.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DIPLOMA	50
2	X-RAY(RADIOGRAPHER) TECHNICIAN	CERTIFICATE	50
3	O.T. TECHNICIAN	CERTIFICATE	50

231. अम्बिका इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल (अम्बिका समिति) एबी रोड मेडिकल कॉलेज के सामने A22P0255 18/08/2023.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DIPLOMA	50

232. वीर तात्या टोपे पैरामेडिकल कॉलेज, (जय बलारी माँ शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति) नेशनल हाइवे -25 झाँसी रोड गाँव करई पोस्ट गंगोरा तहसील व जिला-शिवपुरी A22P0065 04/08/2023.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DIPLOMA	50
2	O.T TECHNICIAN	CERTIFICATE	50

TIKAMGARH

233. राय इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी (रीना मेमोरियल जनकल्याण समिति) ग्राम आलमपुरा, पोस्ट हीरानगर, बावरी, झांसी रोड, जिला टीकमगढ़ । A22P0204 दिनांक 07/08/23

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
01	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DIPLOMA	100
02	O.T. TECHNICIAN	CERTIFICATE	50
03	PANCHKARMA TECHNICIAN	CERTIFICATE	50

UJJAIN

234. इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेस एण्ड कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी (आर.डी.गार्डी मेडिकल कॉलेज) (उज्जैन चेरिटेबल ट्रस्ट हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर) आर डी गार्डी मेडिकल कॉलेज कैम्पस आगर रोड, सुरसा, जिला उज्जैन । A22P0013 दिनांक 18/08/2023

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	MASTER OF PHYSIOTHERTAPY (SPORTS)	POST GRADUATE	05
2	MASTER OF PHYSIOTHERTAPY (ORTHO)	POST GRADUATE	05
3	BACHELOR OF PHYSIOTHERTAPY	DEGREE	50
4	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DIPLOMA	50
5	X-RAY RADIOGRAPHER TECHNICIAN	DIPLOMA	50
6	C.T.M.R.I TECHNICIAN	CERTIFICATE	50
7	O.T. TECHNICIAN	CERTIFICATE	50

235. ग्लोबल प्रशांति पैरामेडिकल कॉलेज, (प्रशांति एज्युकेशनल एंड वेलफेयर सोसायटी) पोस्ट गंगेडी, पोस्ट लेंकोडा, महावीर तपोभूमि के पास, इन्दौर रोड, जिला उज्जैन । A22P0146 दिनांक 18/08/2023

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DIPLOMA	50
2	OPERATION THEATRE TECHNICIAN	CERTIFICATE	50

UMARIYA

236. ज्ञान गंगा पैरामेडिकलइंस्टीट्यूट, (ज्ञान गंगा ग्रामीण विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान) माल ढांका रोड, रेल्वे स्टेशन के पास जिला उमरिया । A22P0027 दिनांक 10/04/2023

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DEGREE	50
2	O.T. TECHNICIAN	CERTIFICATE	50

237. साईनाथ पैरामेडिकलकॉलेज, (हिन्द विराट फाउण्डेशन)आर सी स्कूल के बगल में, कछरवार रोड जिला उमरिया । A22P0088 दिनांक 10/04/2023.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DEGREE	50
2	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DIPLOMA	40

238. विवेकानंद पैरामेडिकल कॉलेज एण्ड साइंस, (गुरुकुल संस्कृति शिक्षा समिति)पुराना पोलीटेक्नीक भवन, बिकटगंज जिला- उमरिया । A22P0224 दिनांक 10/04/2023

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DEGREE	100
2	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DIPLOMA	100

239. तिरुपति बालाजी पैरामेडिकल कॉलेज, (शेखावत एज्युकेशनल एंड सोशल वेलफेयर सोसायटी) वार्ड नं 09, कर्णिका विहार कॉलोनी, पाली रोड जिला उमरिया । A22P0029 दिनांक 07/08/2023.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DEGREE	50
2	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DIPLOMA	50

240. राधे श्याम पैरामेडिकल कॉलेज, (देवांश सेवा समिति) वार्ड नंबर 4, फाजिलगंज, लालपुर रोड, जिला उमरिया । A22P0171 दिनांक 10/04/23.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
01	BACHELOR MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DEGREE	35

VIDISHA

241. अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा विश्वविद्यालय जिला विदिशा । A22G0216 दिनांक 10/04/2023

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DIPLOMA	20
2	X-RAY (RADIOGRAPHER)TECHNICIAN	DIPLOMA	20
3	O.T. TECHNICIAN	CERTIFICATE	20

242. सॉई कॉलेज ऑफ नर्सिंग एण्ड पैरामेडिकल साइंसेस (शांति मानव कल्याण समिति) वार्ड नंबर 10, मुखर्जी नगर, जिला विदिशा । A22P0090 दिनांक 04/08/2023.

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DEGREE	100
2	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DIPLOMA	100
3	X-RAY (RADIOGRAPHER)TECHNICIAN	DIPLOMA	50
4	X-RAY (RADIOGRAPHER)TECHNICIAN	CERTIFICATE	50
5	O.T. TECHNICIAN	CERTIFICATE	50

243. सदगुरु संकल्प कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल साइंसेस, (श्रीसदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट) सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट, नेत्र चिकित्सालय, आनंदपुर, तहसील लटेरी, जिला विदिशा । A22P0179 दिनांक 18/08/2023

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पी.जी. डिग्री / डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
1	OPTROMETRIC REFRECTION	DIPLOMA	50



मध्यप्रदेश नर्सों रजिस्ट्रेशन कौंसिल भोपाल

आयुक्त : श्री तरुण कुमार पिथोड़े, आई.ए.एस.
संचालक/अध्यक्ष : डॉ० जितेन चन्द्र शुक्ला
रजिस्ट्रार/प्रशासक : श्री अभिषेक दुबे

मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल, भोपाल

प्रस्तावना :-

म.प्र. राजपत्र में प्रकाशित अधिनियम 1973 के नियम 36 (निरसन) में उल्लेख है। कि धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन परिषद की स्थापना के लिये उल्लेखित किये गये दिनांक से, सी.पी. एण्ड बरार नर्सिंग रजिस्ट्रेशन एक्ट 1936 (मध्यप्रान्त और बरार उपचारिका रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1936) क्रमांक 23 सन् 1936 तथा म.प्र. स्टेट्यूटरी बोर्डों (रीजनल कान्स्टीट्यूशन) एक्ट 1956 मध्यप्रदेश परिनियत विकास (प्रादेशिक गठन) अधिनियम, 1956 (क्रमांक 17 सन् 1956), जहां तक कि यह उक्त एक्ट से संबंधित हो, मध्यभारत दाई रजिस्ट्रीकरण विधान, 1953 (क्रमांक 22 सन् 1953) तथा मध्यभारत परिचायिका, प्रसूति विशेषज्ञ तथा स्वास्थ्य संदर्शक रजिस्ट्रारंकन विधान, 1955 (क्रमांक 2 सन् 1955) प्रचलन में थे यह स्थिति मध्यप्रदेश गठन के पूर्व की थी।

कौंसिल महाकौशल नर्सिंग रजिस्ट्रेशन के नाम से इन्दौर में स्थित थी तथा संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें भी इंदौर में स्थित था संचालक स्वास्थ्य इसके पदेन/अध्यक्ष, संचालक चिकित्सा शिक्षा थे। वर्तमान में 1995 से संचालक चिकित्सा शिक्षा पदेन अध्यक्ष है।

म.प्र. नर्सिंग कौंसिल में स्वीकृत भरे/रिक्त पदों का विवरण

क्र.	पदनाम	पूर्व स्वीकृत पद	नये पद संख्या	कुल पद संख्या	भरे पद संख्या	रिक्त पद
1.	रजिस्ट्रार	1	0	1	0	1
2.	उप रजिस्ट्रार (प्रशासन)	0	1	1	0	1
3.	उप कुल सचिव परीक्षा	0	1	1	0	1
4.	वित्त अधिकारी	0	1	1	0	1
5.	कार्यालय अधीक्षक	0	3	3	0	3
6.	लेखापाल	1	0	1	1	0
7.	सहायक ग्रेड-I	1	2	3	0	3
8.	सहायक ग्रेड-II	1	6	7	0	7
9.	सहायक ग्रेड-III	3	12	15	1	14
10.	भृत्य / चौकीदार	3	3(आउटसोर्स)	6	6	0
11.	वाहन चालक(आउटसोर्स)	0	3	3	1	2
12.	सफाई कर्मी(आउटसोर्स)	0	2	2	2	0
13.	सुरक्षा कर्मी(आउटसोर्स)	0	3	3	3	0
	कुल	10	37	47	14	33

कौंसिल का संचालन :-

भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय, भारतीय उपचर्या परिषद नई दिल्ली, मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय तथा मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल के (साधारण सभा में पारित निर्णय) द्वारा होता है। कौंसिल में "मध्यप्रदेश उपचारिका, प्रसाविका, सहायी उपचारिका-प्रसाविका तथा स्वास्थ्य परिदर्शक, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1972(क्रमांक 46 सन् 1973) की धारा 24 के साथ गठित धारा 33 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और उनके निमित्त उसे समर्थ बनाने वाली समस्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए 'मध्यप्रदेश नर्सिंग शिक्षण संस्था मान्यता नियम, 2018 बनाया गया है। इसमें दिनांक 23 सितम्बर 2019 ,5 दिसम्बर 2020 एवं 1 अगस्त 2022 में संशोधन किया" प्रभावशील है ।

उद्देश्य:-मध्यप्रदेश में संचालित नर्सिंग स्कूल/कॉलेज में 'मध्यप्रदेश नर्सिंग शिक्षण संस्था मान्यता नियम, 2018 बनाया गया है। इसमें दिनांक 23 सितम्बर 2019 , 5 दिसम्बर 2020 एवं 1 अगस्त 2022 में संशोधन अनुसार मान्यता प्रदान करना। भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली के मापदण्डानुसार पाठ्यक्रम लागू करना तथा भारतीय उपचर्या परिषद के नियमों का पालन करवाते हुये नर्सिंग संवर्ग की गुणवत्ता बरकरार रखना कौंसिल का प्रमुख उद्देश्य है ।

कौंसिल के कार्य :-

- ▶ मध्यप्रदेश में संचालित नर्सिंग स्कूल/कॉलेजों का नवीन नियम "मध्यप्रदेश नर्सिंग शिक्षण संस्था मान्यता नियम 2018" के अन्तर्गत ऑनलाइन के माध्यम से नवीन मान्यता एवं नवीनीकरण एवं सीट्स वृद्धि की द्वारा नर्सिंग संस्थाओं को मान्यता देना।
- ▶ ए.एन.एम./जी.एन.एम./एल.एच.वी./पोस्ट बेसिक डिप्लोमा कोर्स पाठ्यक्रम की परीक्षाएँ आई.एन.सी. के सिलेबस के अनुसार वर्ष में दो बार (दिसम्बर/जनवरी एवं अप्रैल/मई) में आयोजित करना ।
ए.एन.एम./जी.एन.एम./बी.एस.सी. नर्सिंग प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने वाले छात्र-छात्राओं को पंजीयन प्रमाण पत्र ऑन लाईन प्रदान करना ।
- ▶ एम.एस.सी. नर्सिंग/पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग/एल.एच.वी./पोस्ट बेसिक डिप्लोमा कोर्स प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर अतिरिक्त योग्यता का प्रमाण पत्र ऑन लाईन प्रदान करना।
- ▶ ए.एन.एम./जी.एन.एम./बी.एस.सी. नर्सिंग प्रमाण पत्र का प्रति 5 वर्ष पश्चात् नवीनीकरण करना ।
- ▶ अन्य राज्यों में पंजीकृत उम्मीदवारों को मध्यप्रदेश में कार्य करने के लिये माइग्रेसन करना।
- ▶ मध्यप्रदेश राज्य में पंजीकृत उम्मीदवारों को अन्य राज्य में कार्य करने हेतु एन.ओ.सी. प्रदान करना।
- ▶ विदेश जाने वाले नर्सिंग उम्मीदवारों के फार्म को अग्रेषित करना ।
- ▶ कौंसिल का प्रशासनिक वित्तीय नियंत्रण साधारण सभा (कौंसिल बोर्ड) द्वारा किया जाना।
- ▶ मीटिंग, सेमिनार, वर्कशाप आदि का आयोजन करना

कौंसिल द्वारा वर्ष 2023-24 में संचालित किये गये कार्य :-

क्र.	शाखा	वर्ष 2022-23	वर्ष 2023-24
01	जारी एन.ओ.सी	11318	6677
02	माइग्रेसन किये गये	545	570

03.	नवीनीकरण	14518	4026
04.	रजिस्ट्रेशन बी.एस.सी नर्सिंग	7618	6160
05.	ऐडिशनल क्वालिफिकेशन पोस्ट बेसिक बी.एस.सी नर्सिंग	706	1190
06.	ऐडिशनल क्वालिफिकेशन एम.एस.सी नर्सिंग	515	783
07.	रजिस्ट्रेशन ए.एन.एम (18 माह Old)	14	02
08.	रजिस्ट्रेशन ए.एन.एम (02 माह New)	1921	737
09.	रजिस्ट्रेशन जी.एन.एम.	9871	2201
10.	अन्य ऐडिशनल क्वालिफिकेशन एल.एच.वी./पी.बी.डी.सी.	NIL	NIL
11.	विदेश जाने के लिये फार्म किये गये	959	840
12.	मार्कशीट/नामसंशोधन	456	486

विभाग की महत्वपूर्ण उपलब्धि :-

- ▶ कौंसिल में अक्टूबर-2021 में आयोजित की गई परीक्षा में गुणवत्ता सुधार करते हुए प्रश्न पत्र ऑनलाइन बुलाकर परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटे पूर्व पुनः टंकन करा ऑनलाइन परीक्षा केन्द्रों को उपलब्ध कराये गये। उत्तर पुस्तिकाएं की गोपनीयता बरकरार रखने को उत्तरपुस्तिकाएं डाक विभाग द्वारा विशेष तौर पर तुरन्त कौंसिल में पहुंचाने की व्यवस्था की गई, इस तरह परीक्षा में पारदर्शिता बनाये रखी गई।
- ▶ कौंसिल के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का कार्य 3 अप्रैल 2013 से ऑनलाइन किया गया था, जिसमें ए.एन.एम, जी.एन.एम एवं बी.एस.सी नर्सिंग सम्मिलित था। इससे पूर्व टायपिंग मशीन के द्वारा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनाये जाते थे।
- ▶ कौंसिल द्वारा दिनांक 24.9.2014 से ई- रजिस्ट्रेशन नंबर की प्रक्रिया प्रारंभ की है, छात्र-छात्राओं के मोबाईल पर रजिस्ट्रेशन नंबर एस.एम.एस. के माध्यम से पहुंचाने की प्रक्रिया प्रारंभ की है। जिससे छात्र-छात्राओं को घर बैठे उनके रजिस्ट्रेशन नंबर की जानकारी प्राप्त हो जाती है एवं रोजगार के लिये भी उक्त ई-रजिस्ट्रेशन नंबर मान्य है।
- ▶ अक्टूबर 2014 से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में परदर्शिता रखने के लिये क्यू. आर. कोड डाला गया।
- ▶ अतिरिक्त योग्यता जैसे पोस्ट बेसिक बी.एस.सी एवं एम.एस.सी नर्सिंग के रजिस्ट्रेशन भी 24 अक्टूबर 2015 से ऑन लाईन किये गये हैं।
- ▶ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में रजिस्ट्रार एवं अध्यक्ष के डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक 21.10.2015 से प्रारंभ किये गये हैं जिससे पहले काफी समय लगता था अब 45 दिवस में घर पहुँच जाता है तथा डिजिटल हस्ताक्षर वाले सर्टिफिकेट पर होलोग्राम एवं कौंसिल की सील लगायी गयी है जिससे डुप्लीकेसी न हो सके।
- ▶ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में रजिस्ट्रार के डिजिटल हस्ताक्षर होने के उपरांत छात्र-छात्राये अपना रजिस्ट्रेशन ऑन लाईन निकाल सके इस हेतु दिनांक 19 नवम्बर 2015 को ऑन लाईन किया गया, जो किसी भी शहर एवं प्रदेश में छात्र-छात्राये अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट निकाल कर नौकरी हेतु उपयोग कर सकते हैं।
- ▶ माईग्रेशन फार्म, एन.ओ.सी फार्म, डुप्लीकेट मार्कशीट एवं मार्कशीट संशोधन फार्म दिनांक 11 जुलाई 2016

को ऑन लाईन किया गया है।

- ▶ ए.एन.एम. 2 वर्षीय पाठ्यक्रम वाला रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अगस्त 2016 को ऑन लाईन प्रारंभ किया गया है।
- ▶ मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 (कमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 के अन्तर्गत लोक सेवा प्रबंधन विभाग द्वारा मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल, भोपाल की निम्न सेवायें का समय सीमा में चयन किया गया है। यह सेवायें क्रमांक 1 से 15 तक चिन्हित की गयी है जो निम्नानुसार है :-
- ▶ 1. ए.एन.एम कोर्स पंजीयन
- ▶ 2. जी.एन.एम कोर्स पश्चात पंजीयन
- ▶ 3. बी.एस.सी (नर्सिंग) कोर्स पश्चात पंजीयन
- ▶ 4. पोस्ट बेसिक बी.एस.सी (नर्सिंग) कोर्स पश्चात पंजीयन
- ▶ 5. एम.एस.सी (नर्सिंग) कोर्स पश्चात पंजीयन
- ▶ 6. प्रोमोट्री एल.एच.व्ही. कोर्स पश्चात पंजीयन
- ▶ 7. पो. बेसिक बी.एस.सी डिप्लोमा
- ▶ 8. एन.एन.एम कोर्स पंजीयन का नवीनीकरण
- ▶ 9. जी.एन.एम कोर्स पंजीयन का नवीनीकरण
- ▶ 10. बी.एस.सी कोर्स पंजीयन का नवीनीकरण
- ▶ 11. पंजीयन का डुप्लीकेट
- ▶ 12. ए.एन.एम से जी.एन.एम के लिये माईग्रेशन लेटर
- ▶ 13. जी.एन.एम से पोस्ट बेसिक बी.एस.सी के लिये माईग्रेशन लेटर
- ▶ 14. ए.एन.एम की मार्कशीट की डुप्लीकेट
- ▶ 15. जी.एन.एम की मार्कशीट की डुप्लीकेट।
- ▶ ऑन लाईन के माध्यम से कराये जाने वाले कार्यों में कौंसिल के कार्य करने की क्षमता में लगभग 80 प्रतिशत वृद्धि हुई है, जो कार्य पूर्व में 3-4 माह में किया जाता है। वे अब 45 दिवस की सीमा में किया जा रहा है, कार्य में दक्षता आयी है। रिकॉर्ड भी ऑन लाईन के माध्यम से सुरक्षित रखा जा रहा है।
- ▶ दिनांक 15.05.2017 से ए.एन.एम एवं जी.एन.एम पाठ्यक्रमों की मार्कशीट पर बार को प्रारंभ किया गया है। जिससे डुप्लीकेसी की संभावना खत्म हुई है।
- ▶ कौंसिल में नर्सिंग संस्थाओं को नवीनीकरण, नवीन मान्यता, सीट्स वृद्धि का फार्म ऑनलाईन दिनांक 17.11.2018 से प्रारंभ किया गया है।

एम.पी ऑन लाईन द्वारा प्रस्तावित एवं प्रारंभ की जाने वाली सुविधायें :-

- ▶ कौंसिल द्वारा संचालित ANM & GNM की परीक्षा को ऑनलाईन कराना प्रस्तावित है। (प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है)
- ▶ कौंसिल द्वारा समस्त कोर्स जैसे ANM, GNM Nursing, B.Sc Nursing, Post Basic B.Sc Nursing &

M.Sc Nursing के प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा करा कर काउंसिलिंग के माध्यम से निजी संस्थाओं में प्रवेश दिलवाना। जिससे शासकीय एवं निजी संस्थाओं में एक रूपता बनायी जा सके। (प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है)

- ▶ कौंसिल में आवक/जावक, कार्य ऑनलाईन के माध्यम किया जाना है प्रक्रिया प्रचलन में है।
- ▶ मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल द्वारा इस प्रकार परीक्षा संबंधित, रजिस्ट्रेशन संबंधित, एन.ओ.सी, माईग्रेशन, डुप्लीकेट मार्कशीट, मार्कशीट प्रथम वर्ष संशोधन के कार्य हेतु फीस एम.पी.ऑन लाईन के माध्यम से ली जाती है।
- ▶ मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल के अधीन नर्सिंग स्कूल/कॉलेजों में विभिन्न कोर्स जैसे ए.एन.एम. / जी.एन.एम. / बी.एस.सी. नर्सिंग / पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग / एम.एस.सी. नर्सिंग के कोर्स संचालित हैं। शासकीय संस्थाओं एवं ए.एन.एम. प्रशिक्षण को छोड़कर महिला एवं पुरुष दोनों को प्रवेश की पात्रता है तथा देश विदेश तथा निजी संस्थाओं में रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होते हैं।
- ❖ मध्यप्रदेश राज्य के अंतर्गत संचालित नर्सिंग स्कूल/कॉलेजों में पाठ्यक्रमों की संख्या :-

क्र	नर्सिंग स्कूल/कॉलेजों का विवरण	संख्या
1	शासकीय ए.एन.एम. स्कूल	09
2	प्राइवेट ए.एन.एम. स्कूल	77
3	प्राइवेट जी.एन.एम. स्कूल	408
4	शासकीय बी.एस.सी. नर्सिंग कॉलेज	24
5	प्राइवेट बी.एस.सी. नर्सिंग कॉलेज	276
6	शासकीय पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग कॉलेज	7
7	प्राइवेट पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग कॉलेज	118
8	शासकीय एम.एस.सी. नर्सिंग कॉलेज	8
9	प्राइवेट एम.एस.सी. नर्सिंग कॉलेज	89
10	शासकीय पोस्ट बेसिक डिप्लोमा सुपरस्पेशलिटी	4
11	शासकीय जी.एन.एम. स्कूल	1

Course Name G.N.M.			
S. No.	College Name	District Name	Allot- ted seat
1	Samarthya Nursing Instiute (41101) Shajapur	Agar Malwa	60
2	Shrinath College of Nursing	Alirajpur	40
3	CAREER NURSING COLLEGE	Anuppur	60

4	MAA NARMADA NURSINGH COLLEGE	Anuppur	60
5	RELIANCE INSTITUTE OF NURSING	Anuppur	60
6	Sai School Of Nursing Anuppur,	Anuppur	60
7	ANANT INSTITUTE OF NURSING	Ashoknagar	40
8	ANSHIKA INSTITUTE OF NURSING AND LIFE SCIENCE	Ashoknagar	60
9	Shri Krishna College of Nursing, Ashok Nagar	Ashoknagar	60
10	Central Institute of Nursing Science (03106) balaghat	Balaghat	30
11	Mitali Institute of Nursing , Balaghat	Balaghat	30
12	Oriental Institute of Nursing (03104) Balaghat	Balaghat	30
13	Sardar Patel College of Nursing (03103) Balaghat	Balaghat	30
14	Asha Institute of Nursing (04102) Badwani	Barwani	50
15	Late K L Pandey School Of Nursing	Barwani	40
16	Ma saraswati school of nursing	Barwani	60
17	Madhuban School Of Nursing	Barwani	50
18	Mahamrityunjay School Of Nursing	Barwani	40
19	RADHAKRISHNA NURSING COLLEGE	Barwani	20
20	SAI NURSING COLLAGE	Barwani	40
21	Sanjivani College of Nursing	Barwani	20
22	Sendhwa Institute of Nursing, Barwani	Barwani	30
23	SHRI MADANMAMA COLLEGE OF NURSING BARWANI	Barwani	30
24	Yogeshwar Nursing Shiksha Mahavidhyalaya	Barwani	40
25	College Of Nursing Padhar Hospital	Betul	40
26	Raja Bhoj college of Nursing, Jamthi, Betul	Betul	30
27	SANJIVANI INSTITUTE OF NURSING	Betul	50
28	Shri Radha Krishna Nursing School (05101) Betul	Betul	40
29	Naval Kishore Shivhare School Of Nursing (06101) Bhind	Bhind	60
30	Patiram Shivhare Nursing School (06103) Bhind	Bhind	55
31	RLD Nursing School (06105) Bhind	Bhind	60

32	Asha Niketan School Of Nursing	Bhopal	40
33	A I S E C T University Institute Of Nursing Bhopa	Bhopal	30
34	Academy of Nursing & Health Sciences	Bhopal	20
35	Apex nursing College	Bhopal	60
36	APS ACADEMY OF NURSING SCIENCE	Bhopal	60
37	Aurovindo College of Nursing , Bhopal	Bhopal	40
38	Bansal College of Nursing	Bhopal	50
39	Career College Of Nursing	Bhopal	35
40	Chirayu College of Nursing (07137) Bhopal	Bhopal	100
41	Corporate College of Nursing	Bhopal	30
42	DCA COLLEGE	Bhopal	35
43	Dr. S.P. Singh Institute Of Science & Mangement (07116) Bhopal	Bhopal	60
44	Dr. Shankar Dayal Sharma College of Nursing (07103) Bhopal	Bhopal	60
45	florence Nightingale college of nursing	Bhopal	50
46	Ganpati Nursing College, Bhopal	Bhopal	60
47	IES COLLEGE OF NURSING BHOPAL	Bhopal	30
48	Jai narayan college of nursing	Bhopal	100
49	Jeevan jyoti nursing college	Bhopal	60
50	JSR GLOBAL OF NURSING	Bhopal	20
51	KNP College of Nursing	Bhopal	30
52	KP MEMORIAL COLLEGE OF NURSING	Bhopal	60
53	Kusha Bhao Thakre Nursing College (07101) Bhopal	Bhopal	60
54	L N Nursing School (07120) Bhopal	Bhopal	100
55	Maharana Pratap School of Nursing (07135) Bhopal	Bhopal	30
56	Malay College of Nursing,Bhopal	Bhopal	60
57	Mansarovar Nursing College (07102) Bhopal	Bhopal	40

58	Mayo College of Nursing, Mayo Hospital (07110) Bhopal	Bhopal	60
59	Meheko College of Nursing	Bhopal	60
60	Millennium College of Nursing	Bhopal	40
61	Mother Teresa Nursing College	Bhopal	60
62	Nri Institute Of Nursing, Bhopal	Bhopal	30
63	P B G M Nursing College, Bhopal	Bhopal	30
64	Patel College of Nursing	Bhopal	40
65	People's College of Nursing & Research Centre (07136) Bhopal	Bhopal	60
66	R M D JAIN INSTITUTE OF NURSING	Bhopal	50
67	R.D. Memorial College of Nursing (07109) bhopal	Bhopal	40
68	R.K.D.F. School Of Nursing (07108) Bhopal	Bhopal	100
69	RADHARAMAN INSTITUTE OF NURSING	Bhopal	40
70	Rajeev Gandhi College of Nrusing (07104) Bhopal	Bhopal	30
71	RK SCHOOL OF NURSING BHOPAL	Bhopal	100
72	SAM College of Nursing	Bhopal	40
73	sandipani college	Bhopal	50
74	shri ram college of nursing	Bhopal	60
75	Sneh Institute of Nursing & Hospital Bhopal	Bhopal	60
76	Swami Dayanand Saraswati School of Nursing (07114) Bhopal	Bhopal	50
77	TECHNOCRATS INSTITUTE OF NURSING	Bhopal	30
78	Tirupati School of Nursing (07111) Bhopal	Bhopal	40
79	University College Of Nursing	Bhopal	50
80	VAISHNAVI NURSING COLLEGE	Bhopal	60
81	Vikramaditya Institute of Medical Sciences (07121) Bhopal	Bhopal	50
82	VIP School of Nursing (07115) Bhopal	Bhopal	40
83	Vishal Vate Memorial College of Nursing, (07112) Bhopal	Bhopal	60

84	VNS College of Nursing	Bhopal	30
85	BIMTS College of Nursing, Dargah Road, Lalbagh, Burhanpur-450331 M.P.	Burhanpur	30
86	gurukul academy of nursing sciences	Burhanpur	60
87	Christan Hospital School of Nursing	Chhatarpur	20
88	Devi Rudra Priya School of Nursing (09105) Chhatarpur	Chhatarpur	40
89	Jeevan Jyoti College of Nursing (09104) Chhatarpur	Chhatarpur	10
90	Ramdev College Of Nursing	Chhatarpur	40
91	S.B.School Of Nursing (09108) Chhatarpur	Chhatarpur	40
92	Shri Balaji Scholl of Nrusing, Nowgano, Chhatarpur	Chhatarpur	30
93	SITARAM COLLEGE OF NURSING KHOP CHHATARPUR M P	Chhatarpur	30
94	Swami Vevekanand Nursing School Of Nursing (09101) Chhatarpur	Chhatarpur	40
95	Veerangna Awanti Bai Nursing College (09106) Chhatarpur	Chhatarpur	30
96	Christian Medical Training Center College of Nursing (11102) Damoh	Damoh	40
97	Advance School of Nursing	Datia	55
98	Cambridge Institute of General Nursing & Paramedical Sciences (17169) Datia	Datia	40
99	GANDHI COLLEGE OF NURSING INDERGARH DATIA	Datia	60
100	GNS NURSING COLLEGE	Datia	40
101	GYANODAY INSTITUTE OF NURSING	Datia	60
102	JAI MAA PITAMBRA COLLEGE OF NURSING	Datia	60
103	LK COLLEGE OF NURSING	Datia	60
104	Lord Krishna College of Nursing (12103) Datia	Datia	60
105	Maa Devi Ahilya Bai Holkar College of Nursing (12111) Datia	Datia	60
106	N.S. Memorial School of Nursing (12102) Datia	Datia	40
107	Pitambra School of Nursing (12107) Datia	Datia	40
108	R.K. COLLEGE OF NURSING	Datia	40

109	RADHA KRISHAN COLLEGE OF NURSING	Datia	50
110	RBM COLLEGE OF NURSING	Datia	50
111	sad guru college of education	Datia	40
112	SB COLLEGE OF NURSING	Datia	40
113	SHRI BALA JI SARKAR COLLEGE OF NURSING	Datia	50
114	SHRI KHERAPATI SARKAR NURSING COLLEGE	Datia	50
115	SHRI MAHAMAYA COLLEGE OF NURSING	Datia	40
116	SHRI PITAMBRA MEDICAL SCIENCE AND NURSING COLLEGE	Datia	30
117	Shri Rawatpura Sarkar College Of Kalapuram, N H - 75, Jhansi Road Datia,Nursing M.P.	Datia	60
118	SHRI SHYAM COLLEGE OF NURSING	Datia	50
119	Shri Swamiji Maharaj College of Nursing (12104) Datia	Datia	60
120	Sidhdhi Vinayak Paramedical and Nursing College (12109) Datia	Datia	50
121	VAMA SCHOOL OF NURSING	Datia	40
122	Amaltas Insitute of Nursing Sciences, Dewas	Dewas	100
123	Gyanoday Institute of Professional Studies	Dewas	60
124	new era college of nursing dewas	Dewas	40
125	Dhar College Of Nursing Education	Dhar	40
126	A S School Of Nursing	Dhar	30
127	Aadarsh Nursing College Dhar	Dhar	60
128	Gyan School Of Nursing	Dhar	60
129	LSA COLLEGE DHAR	Dhar	30
130	MA NARMADA COLLEGE OF NURSING	Dhar	40
131	nityanand college	Dhar	30
132	samriddhi college of nursing	Dhar	20
133	Sanjivani School of Nursing (14104) Dhar	Dhar	50
134	Bharat Institute Of Nursing	Dindori	40

135	MEKALSUTA COLLEGE DINDORI	Dindori	55
136	IITS College/School of Nursing (16104) Guna	Guna	10
137	Maharani Shivangi College of Nursing Sciences and Research Institute (16101) Guna	Guna	30
138	Malwa School of Nursing (16105) Guna	Guna	40
139	Omkar College of Nursing, Guna	Guna	60
140	Ramkrishna College of Nursing (16103) Guna	Guna	50
141	Sakshi Nursing College & Research Institute	Guna	60
142	Sonali School of Nursing Saraswati Bhihar Guna	Guna	50
143	SRIPS COLLEGE OF NURSING	Guna	30
144	Abhishek Institute of Professional Studies (17127) Gwalior	Gwalior	60
145	Dayal Nursing College (17140) Gwalior	Gwalior	60
146	Mragayani School of Nursing (17181) Gwalior	Gwalior	60
147	Abhishek Nursing College	Gwalior	30
148	Adarsh College of Nursing, Gwalior	Gwalior	40
149	AROGYAM NURSING COLLEGE	Gwalior	55
150	ARYAN SCHOOL OF NURSING	Gwalior	40
151	ARYANSH SCHOOL OF NURSING	Gwalior	40
152	Awadh Madhav School of Nursing (17125) Gwalior	Gwalior	50
153	B.I.M.R. School of Nursing (17114) Gwalior	Gwalior	60
154	B.I.P.S School of Nursing (17126) Gwalior	Gwalior	30
155	BHASKAR COLLEGE OF NURSING	Gwalior	40
156	C.R.M INSTITUTE OF TEACHER EDUCATION	Gwalior	60
157	CBS SCHOOL OF NURSING	Gwalior	40
158	Charak Institute of Nursing College (17152) Gwalior	Gwalior	60
159	CLARKSON INSTITUTE OF NURSING	Gwalior	40
160	CSM School of Nursing, Gwalior	Gwalior	50
161	D.S. School of Nursing (17137) Gwalior	Gwalior	60

162	D.V.S. School of Nursing&Research (17132) Gwalior	Gwalior	55
163	Dev School of Nursing (17146) Gwalior	Gwalior	40
164	DIKSHA PROFESSIONAL ACADEMY GWALIOR	Gwalior	60
165	DWARKADHISH COLLEGE OF NURSING	Gwalior	60
166	G.R. COLLEGE FOR PROFESSIONAL STUDIES (17185) GWALIOR	Gwalior	50
167	GAUTAM COLLEGE OF LIFE SCIENCES	Gwalior	40
168	GNS NURSING COLLEGE	Gwalior	40
169	GOPESH COLLEGE OF NURSING EDUCATION.	Gwalior	50
170	GURU NANAK COLLEGE	Gwalior	40
171	Gwalior Nursing College (17139) Gwalior	Gwalior	60
172	I.C. COLLEGE OF NURSING	Gwalior	40
173	IIPS School of Nursing (17178) Gwalior	Gwalior	30
174	Indraprasth Nursing College (17130) Gwalior	Gwalior	50
175	Institute Of Nursing Sciences Studies & Research (insr) (17103) Gwalior	Gwalior	60
176	J.B. Institute of Nursing & Research (17115) Gwalior	Gwalior	60
177	Jai Institute of Nursing & Research (17167) Gwalior	Gwalior	50
178	Jai Shri Shyam Institute of Nursing & Education Gwalior	Gwalior	55
179	Jay Siya The College of Nursing (17135) Gwalior	Gwalior	50
180	jss college of nursing	Gwalior	40
181	K.S. Nursing School (17122) Gwalior	Gwalior	60
182	KRISHNA INSTITUTE OF NURSING SCIENCE	Gwalior	50
183	Lakshya Institute of Nursing	Gwalior	30
184	M S COLLEGE OF NURSING	Gwalior	60
185	Maharana Pratap School of Nursing (17192) Gwalior	Gwalior	40
186	Manglam School Of Nursing, Chandak Hospital & Research (17110) Gwalior	Gwalior	60
187	MNH College of Nursing	Gwalior	50

188	NARAYANAN COLLEGE	Gwalior	40
189	P S SCHOOL OF NURSING	Gwalior	40
190	PARAMHANS COLLEGE OF EDUCATION	Gwalior	50
191	PECIFIC COLLEGE	Gwalior	50
192	Post Graduate College of Nursing Cancer Hospital & Research Institute, Gwalior, M.P.-474009	Gwalior	60
193	Pratap College Of Nursing And Hospital, Gwalior	Gwalior	60
194	PRATHVI COLLEGE OF NURSING	Gwalior	40
195	Preston School of Nursing (17120) Gwalior	Gwalior	60
196	R.K. School of Nursing (17194) Gwalior	Gwalior	60
197	RamKrishna College of Nursing (17131) Gwalior	Gwalior	60
198	RSC College of Nursing (17182) Gwalior	Gwalior	40
199	S.R. College of Nursing (17108) Gwalior	Gwalior	60
200	SAANVI INSTITUTE OF NURSING AND RESEARCH, GWALIOR	Gwalior	40
201	SAI NATH COLLEGE GWALIOR	Gwalior	60
202	Sai Sharddha Nursing College (17106) Gwalior	Gwalior	60
203	SAMADHIYA INSTITUTE OF NURSING AND RESEARCH CENTRE	Gwalior	60
204	Sarwa Dharma School of Nursing (17149) Gwalior	Gwalior	40
205	Schoolar School of Nursing Gwalior	Gwalior	60
206	Shivnath Singh School Of Nursing (17163) Gwalior	Gwalior	30
207	Shri Maharaj Singh College of Nursing	Gwalior	40
208	shri radha vallabh college of education	Gwalior	40
209	Shri Vyankatesh Education Academy	Gwalior	30
210	Shubh School of Nursing (17177) Gwalior	Gwalior	50
211	Sophia School Of Nursing & College Of Nursing (17111) Gwalior	Gwalior	60
212	Sunrise Institute	Gwalior	55
213	T.R.S. Memorial Nursing School	Gwalior	55

214	The Academy of Nursing Sciences & Hospital Aryan (17101) Gwalior	Gwalior	60
215	Vaishnavi Institute of Professional Studies (17171) Gwalior	Gwalior	60
216	VAISHNAVI NURSING SCHOOL, GWALIOR	Gwalior	30
217	Veena Vadini College of Nursing Gwalior (17138) Gwalior	Gwalior	60
218	VENUS COLLEGE OF NURSING	Gwalior	50
219	VIPS College of Nursing, Gwalior	Gwalior	50
220	Lal Bahadur Shastri Vyavsayik Adhyayan Mahavidyalaya (18101) Harda	Harda	30
221	St. Joseph's School Of Nursing (19101) Hoshangabad	Hoshangabad	50
222	Brd Nursing College	Hoshangabad	50
223	Maruti Institute of Nursing, Hoshangabad	Hoshangabad	40
224	Mother Teresa School Of Nursing, Hoshangabad	Hoshangabad	30
225	Akshay Academy College Of Nursing	Indore	30
226	BHANDARI GROUP OF HOSPITALS AND INSTITUTIONS, COLLEGE OF NURSING INDORE	Indore	30
227	Christan Hospital School of Nursing	Indore	20
228	Index Nursing School (20109) Indore	Indore	100
229	Indira General Nursing School, Indore	Indore	60
230	Indore Mahavidyalaya	Indore	50
231	Indore Nursing college (20107) Indore	Indore	40
232	keshav college of nursing indore	Indore	60
233	Kewal shree Institute of Nursing (20122) Indore	Indore	60
234	L.C.H. Nursing Academy (20119) Indore	Indore	30
235	MADHUBAN COLLEGE OF NURSING INDORE	Indore	50
236	Matushri Ahilyadevi Nursing School (20121) Indore	Indore	60
237	Mother Mary College Of Nursing Indore	Indore	60
238	New Era School of Nursing (20110) Indore	Indore	60
239	OXFORD INTERNATIONAL COLLEGE OF NURSING	Indore	56

240	Parijat College (20116) Indore	Indore	55
241	PRATYANSH COLLEGE OF NURSING	Indore	60
242	R.D. Memorial School of Nursing (20117) Indore	Indore	40
243	RENAISSANCE UNIVERSITY SCHOOL OF NURSING	Indore	30
244	Safe School of Nursing (20106) Indore	Indore	90
245	Samarpan College Of Nursing	Indore	60
246	SAPPHIRE INSTITUTE OF NURSING AND SCIENCE	Indore	30
247	Sapphire Institute Of Nursing Sciences, Indore	Indore	40
248	Shri Aurobindo Institute of Medical Science College of Nursing, Indore	Indore	50
249	Shubh Deep College of Nursing, Indore	Indore	60
250	Smt. R.D. Gardi Nursing Training Centre, Indore	Indore	50
251	Anant Institution of Nursing (21115) Jabalpur	Jabalpur	30
252	Anushree School of Nursing (21107) Jabalpur	Jabalpur	60
253	Central Institute of Nursing Science (21110) jabalpur	Jabalpur	40
254	Gyandeep Institute of Nursing Science (21108) Jabalpur	Jabalpur	40
255	Yogmani Institute Of Nursing	Jabalpur	40
256	Bansal Academy of Nursing Science & Learning (21119) Jabalpur	Jabalpur	40
257	Jabalpur Institute Of Health Science Department Of Nursing Education	Jabalpur	50
258	M.M. School of Nursing (21112) Jabalpur	Jabalpur	34
259	Mahatma Gandhi Institute of Nursing (21111) Jabalpur	Jabalpur	40
260	Nandvandan College of Nursing Silver Oak Hospital (21117) Jabalpur	Jabalpur	30
261	Premwati College of Nursing, Jabalpur	Jabalpur	40
262	Regional Institute of Nursing, (21105) Jabalpur	Jabalpur	30
263	SANJEEVAN INSTITUTE OF NURSING	Jabalpur	30
264	SUKH SAGAR COLLEGE OF NURSING	Jabalpur	60

265	SWASTIK COLLEGE OF NURSING	Jabalpur	30
266	VIJYASHREE EDUCATIONAL INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCE JABALPUR (MP)	Jabalpur	30
267	Aayushman College Of Nursing	Jhabua	30
268	Aayushman School Of Nursing	Jhabua	40
269	Arham Institute Of Nursing	Jhabua	60
270	Maa Sharda Institute Of Nursing	Jhabua	30
271	Maa Trpura College of Nursing, Jhabua	Jhabua	30
272	Sardar Patel School of Nursing, Jhabua	Jhabua	30
273	MGM College Of Nursing Mgm Hospital & Research Centre	Katni	50
274	Sainath School of Nursing (23101) Katni	Katni	30
275	H.M. COLLEGE OF NURSING	Khandwa	60
276	MAA VIJAYLAXMI COLLEGE OF NURSING KHANDWA	Khandwa	40
277	Sai College of Nursing	Khandwa	60
278	Shri Dadaji Institute of Medical & Technical Sciences a& Hospital, Khandwa	Khandwa	60
279	SHRI RAVINDRANATH TAGORE INSTITUTE OF PROFESSIONAL STUDIES	Khandwa	50
280	Rukmani Academy Front Gyatri Mandir	Khargone	22
281	Akhan Jyoti College of Nursing	Khargone	30
282	ANSH COLLEGE OF NURSING KHARGONE	Khargone	60
283	Bhaktanandji Institute Of Medical Science	Khargone	60
284	Khargone Institute Of Medical Science	Khargone	30
285	Manorama College of Nursing, Khargone	Khargone	20
286	Rahat College of Nursing (25101) Khargon	Khargone	50
287	Sant Siyaram Nursing College Bedia	Khargone	30
288	Shri Sai College Of Nursing	Khargone	50
289	SHUBHDEEP COLLEGE OF NURSING KHARGONE	Khargone	60
290	SUJAS NURSING COLLEGE	Khargone	50

291	Adarsh Institute Of Nursing	Mandla	50
292	BHARAT INSTITUTE OF NURSING MANDLA MP	Mandla	60
293	MANDLA INSTITUTE OF NURSING MANDLA	Mandla	40
294	Mother Theresa Institute of Nursing Katra Hospital (26103) Mandla	Mandla	30
295	SARDAR PATEL SCHOOL OF NURSING	Mandla	60
296	Shri Rawatpura Sarkar Institute Of Nursing, Mandla	Mandla	60
297	Acharya Rajendra Suri Shiksha Mahavidhyalaya	Mandsour	30
298	DIAMOND NURSING COLLEGE	Mandsour	50
299	Gyan Vihar College of Nursing (27105) Mandsour	Mandsour	60
300	Miracle Nursing College (27104) Mandsour	Mandsour	60
301	Shreejee Institute of Nursing Sciences (27101) Mandsour	Mandsour	60
302	Shri Sai Nath College of Nursing (27103) Mandsour	Mandsour	40
303	Hari Uday Institute Of Nursing Science	Morena	40
304	A D S School of Nursing (28108) Morena	Morena	55
305	D.D. Swami Nursing College (28119) Morena	Morena	60
306	Dau Hanumant Singh (dhs) Education (28104) Morena	Morena	30
307	G L S COLLEGE	Morena	60
308	HINDUSTAN INSTITUTE OF NURSING	Morena	60
309	Maa Kailadevi college of Nursing	Morena	60
310	Madhavi Raje Nursing College (28101) Morena	Morena	60
311	N A S INTERNATIONAL SCHOOL	Morena	60
312	R.L. School Of Nursing (28102) Morena	Morena	60
313	SANTOSHI LAL BANDIL COLLEGE OF NURSING	Morena	40
314	SHRI RAMRAJA SCHOOL OF NURSING	Morena	50
315	SHRIMATI RAMDEVI COLLEGE OF NURSING	Morena	40
316	Choudhary Ramcharanlal Sahu Nursing Institute Narsinghpur,	Narsinghpur	30

317	Paradkar Nursing Institute Paradkar Hospital,	Narsinghpur	30
318	Parmhans Nursing Institute of Educational (29102) Narsinghpur	Narsinghpur	40
319	Shridham Nursing College	Narsinghpur	30
320	Gyanodaya Institute of Nursing (30102) Neemuch	Neemuch	50
321	Gyanodaya The College of Excellence (30105) Neemuch	Neemuch	30
322	RBS School of Nursing (30104) Neemuch	Neemuch	60
323	Sanjeevni College of Nursing (30101) Neemuch	Neemuch	30
324	Swami Vivekanand School of Nursing (31102) Panna	Panna	30
325	Vaishnav Mata Mahavidhyalya Nursing	Panna	40
326	Sam College Of Nursing Science And Hospital, Raisen	Raisen	40
327	SHRIJI COLLEGE OF NURSING	Raisen	60
328	Christ College of Nursing (33101) Rajgarh	Rajgarh	60
329	ARSHI SCHOOL OF NURSING	Rajgarh	30
330	Nirvindhya Nursing Mahavidhalaya , Rajgarh	Rajgarh	60
331	Sailana College Of Nursing	Ratlam	60
332	Aadhar School Of Nursing Ratlam	Ratlam	40
333	Arogya Institute of Nursing (34104) Ratlam	Ratlam	60
334	Dr. M.B. Sharma Nursing College (34101) Ratlam	Ratlam	20
335	Getwell Institute Of Medical & Nursing Education	Ratlam	30
336	Mahi Institute Of Nursing , Ratlam	Ratlam	50
337	Mahi School of Nursing (34107) Ratlam	Ratlam	60
338	Royal Institute of Nursing	Ratlam	40
339	Sardar Patel College of Nursing (34103) Ratlam	Ratlam	60
340	SHREE VINAYAK NURSING COLLEGE	Ratlam	60
341	T D Institute Of Professional Studies & Research Center	Rewa	60
342	Late M.L. Chaurasia Memorial Nursing College, Rewa	Rewa	40
343	Lord Budha School of Nursing	Rewa	60

344	Saudamini Institute of Nursing & Research (35101) Rewa	Rewa	60
345	Shyam Adarsh College of Nursing	Rewa	30
346	Vindhyanchal College of Nursing (35104) Rewa	Rewa	60
347	aarogya nursing college	Sagar	30
348	BABULAL TARABAI INSTITUTE OF NURSING SCIENCES	Sagar	30
349	Bhagyoday Tirth Nursing College (36108) Sagar	Sagar	40
350	GURUDEV NURSING COLLEGE	Sagar	60
351	Gyanveer Nursing College, Sagar	Sagar	40
352	MAHARANA PRATAP COLLEGE OF NURSING	Sagar	20
353	Sagar College of Nursing (36107) Sagar	Sagar	60
354	Shri Chaitanya College of Nursing Sciences (36106) Sagar	Sagar	50
355	Shri Rawatpura Sarkar College of Nursing Sagar	Sagar	30
356	Manoj Jain Mem College of Nsg. & Research Centre (37101) Satana	Satna	40
357	Nishad College of Nursing & Allied Sciences (37104) Satna	Satna	60
358	Sadguru School of Nursing (37102) Satna	Satna	60
359	Sarthak School Of Nursing, Satna	Satna	40
360	Vindhya School of Nursing (37105) Satna	Satna	60
361	50) Sri Sai Institute of Nursing Science (07139) Sehore	Sehore	40
362	BHARTI VIDYA MANDIR COLLEGE OF NURSING	Sehore	40
363	IES COLLEGE OF NURSING	Sehore	30
364	Maruti Institute Of Nursing	Seoni	60
365	D.P.Chaturvedi School of Nursing (39102) Seoni	Seoni	60
366	JATHAR COLLEGE OF NURSING	Seoni	30
367	ANANDVARDHAN COLLEGE OF NURSING	Shahdol	30
368	DR RAJENDRA SINGH NURSING COLLEGE	Shahdol	20
369	RADHARANI NURSING COLLEGE SHAHDOL	Shahdol	60
370	SHIVANI PARAMEDICAL INSTITUTE	Shahdol	60

371	Shri Rawatpura Sarkar Institute Of Nursing	Shahdol	40
372	SWAMI VIVEKANAND COLLEGE OF NURSING SHAHDOL	Shahdol	60
373	Vindhya College of Nursing, Shadol	Shahdol	50
374	JASH SCHOOL OF NURSING	Shajapur	60
375	KUNO SCHOOL OF NURSING	Sheopur	60
376	TMS School of Nursing (42101) Sheopur	Sheopur	40
377	Laxman Seth College Of Nursing, Shivpuri	Shivpuri	60
378	S S V NURSING COLLEGE	Shivpuri	50
379	Vir Tataya Tope GNM School Shivpuri	Shivpuri	60
380	BHANMATI COLLEGE OF NURSING	Sidhi	60
381	DIVY JYOTI NURSING COLLEGE	Sidhi	30
382	sonanchal college of nursing	Sidhi	60
383	Sai Nath School of Nursing Waidhan (50101) Singroli	Singroli	60
384	The Singrouli Institute of Nursing Waidhan, Dist Singrouli	Singroli	60
385	Aims College Of Nursing	Tikamgarh	40
386	ANGIRA COLLEGE OF NURSING	Tikamgarh	60
387	Apex College Of Nursing And Research	Tikamgarh	50
388	J S NURSING COLLEGE	Tikamgarh	50
389	Mitlesh School of Nursing (45103) Tikamgarh	Tikamgarh	60
390	RADHA RAMAN COLLEGE OF NURSING	Tikamgarh	50
391	Rai School of Nursing (45101) Tikamgarh	Tikamgarh	60
392	Raishree Institute of Nursing (45104) Tikamgarh	Tikamgarh	60
393	S.R. COLLEGE OF NURSING CHAKARPUR	Tikamgarh	50
394	SHRI DEVDARSHAN INSTITUTE OF NURSING	Tikamgarh	50
395	SHRI RAM RAJA COLLEGE OF NURSING	Tikamgarh	60
396	SKS COLLEGE OF NURSING	Tikamgarh	50
397	anant college of nursing	Ujjain	20
398	deshmukh college of nursing	Ujjain	30

399	Florance Nightingale School of Nursing (46106) Ujjain	Ujjain	60
400	GLOBAL PRASHANTI NURSING COLLEGE	Ujjain	25
401	HARSIDDHI COLLEGE OF NURSING	Ujjain	30
402	Mahakal Nursing School, Ujjain	Ujjain	40
403	Patidar Nursing Institute , Ujjain	Ujjain	50
404	R.D. Gardi College of Nursing (46105) Ujjain	Ujjain	60
405	S N Krishna nursing college	Ujjain	30
406	S S G Medical Institution	Ujjain	40
407	Saraswati College of Nursing, Ujjain	Ujjain	60
408	VIVEKANAND NURSING COLLEGE,	Umaria	60

Course Name B.Sc. (Nursing)			
S. No.	Institute name	Disctric Name	Alloted Seats
1	Shrinath College of Nursing	Alirajpur	30
2	RELIANCE INSTITUTE OF NURSING	Anuppur	60
3	Mitali Institute of Nursing , Balaghat	Balaghat	40
4	Oriental Institute of Nursing (03104) Balaghat	Balaghat	40
5	Augustine College of Nursing	Barwani	30
6	Late K L Pandey School Of Nursing	Barwani	40
7	Ma saraswati school of nursing	Barwani	60
8	Madhuban School Of Nursing	Barwani	30
9	Mahamrityunjay School Of Nursing	Barwani	40
10	Sanjivani College of Nursing	Barwani	50
11	Sendhwa Institute of Nursing, Barwani	Barwani	40
12	Yogeshwar Nursing Shiksha Mahavidhyalaya	Barwani	40
13	College Of Nursing Padhar Hospital	Betul	40

14	Mrityunjay Nursing Mahavidhyalaya (06104) Bhind	Bhind	40
15	Naval Kishore Shivhare School Of Nursing (06101) Bhind	Bhind	60
16	A I S E C T University Institute Of Nursing Bhopa	Bhopal	50
17	Academy of Nursing & Health Sciences	Bhopal	60
18	AKHIL BHARTI COLLEGE OF NURSING	Bhopal	30
19	APS ACADEMY OF NURSING SCIENCE	Bhopal	60
20	Aurovindo College of Nursing , Bhopal	Bhopal	50
21	Bansal College of Nursing	Bhopal	50
22	Career College Of Nursing	Bhopal	50
23	Chirayu College of Nursing (07137) Bhopal	Bhopal	100
24	Corporate College of Nursing	Bhopal	40
25	Dr. S.P. Singh Institute Of Science & Mangement (07116) Bhopal	Bhopal	50
26	Dr. Shankar Dayal Sharma College of Nursing (07103) Bhopal	Bhopal	60
27	Faculty of Nursing Bhabha university Bhopal	Bhopal	60
28	Ganpati Nursing College, Bhopal	Bhopal	50
29	IES COLLEGE OF NURSING BHOPAL	Bhopal	60
30	Jai narayan college of nursing	Bhopal	100
31	Jeevan jyoti nursing college	Bhopal	30
32	JSR GLOBAL OF NURSING	Bhopal	30
33	Kasturba College of nursing BHEL Bhopal	Bhopal	60
34	KNP College of Nursing	Bhopal	30
35	Kusha Bhao Thakre Nursing College (07101) Bhopal	Bhopal	60
36	L N Nursing School (07120) Bhopal	Bhopal	100
37	Maharana Pratap School of Nursing (07135) Bhopal	Bhopal	20
38	Malay College of Nursing,Bhopal	Bhopal	30
39	Mansarovar Nursing College (07102) Bhopal	Bhopal	60

40	Mar Baselios College Of Nursing	Bhopal	60
41	Mayo College of Nursing, Mayo Hospital (07110) Bhopal	Bhopal	60
42	Meheko College of Nursing	Bhopal	60
43	Millennium College of Nursing	Bhopal	35
44	NRI INSTITUTE OF NURSING AND RESEARCH	Bhopal	30
45	Nri Institute Of Nursing, Bhopal	Bhopal	60
46	P B G M Nursing College, Bhopal	Bhopal	20
47	Patel College of Nursing	Bhopal	40
48	People's College of Nursing & Research Centre (07136) Bhopal	Bhopal	100
49	Pragyan College of Nursing, Bhopal	Bhopal	60
50	R M D JAIN INSTITUTE OF NURSING	Bhopal	40
51	R.D. Memorial College of Nursing (07109) bhopal	Bhopal	60
52	R.K.D.F. School Of Nursing (07108) Bhopal	Bhopal	100
53	RADHARAMAN INSTITUTE OF NURSING	Bhopal	50
54	Rajeev Gandhi College of Nrusing (07104) Bhopal	Bhopal	40
55	sage college of nursing	Bhopal	60
56	SAM College of Nursing	Bhopal	60
57	shri ram college of nursing	Bhopal	30
58	Sneh Institute of Nursing & Hospital Bhopal	Bhopal	40
59	Sunder Devi Nursing College	Bhopal	40
60	TECHNOCRATS INSTITUTE OF NURSING	Bhopal	60
61	University College Of Nursing	Bhopal	50
62	VAISHNAVI NURSING COLLEGE	Bhopal	60
63	VIP School of Nursing (07115) Bhopal	Bhopal	40
64	Vishal Vate Memorial College of Nursing, (07112) Bhopal	Bhopal	100
65	VNS College of Nursing	Bhopal	60

66	BIMTS College of Nursing, Dargah Road, Lalbagh, Burhanpur-450331 M.P.	Burhanpur	60
67	gurukul academy of nursing sciences	Burhanpur	50
68	Dept. of Nursing Shri Krishna University	Chhatarpur	40
69	Ramdev College Of Nursing	Chhatarpur	50
70	Swami Vevekanand Nursing School Of Nursing (09101) Chhatarpur	Chhatarpur	30
71	Veerangna Awanti Bai Nursing College (09106) Chhatarpur	Chhatarpur	60
72	SCHOOL OF NURSING	Chhindwara	30
73	Christian Medical Training Center College of Nursing (11102) Damoh	Damoh	50
74	School of Nursing and paramedical sciences	Damoh	60
75	Cambridge Institute of General Nursing & Paramedical Sciences (17169) Datia	Datia	30
76	GNS NURSING COLLEGE	Datia	30
77	Lord Krishna College of Nursing (12103) Datia	Datia	60
78	N.S. Memorial School of Nursing (12102) Datia	Datia	20
79	Pitambra School of Nursing (12107) Datia	Datia	20
80	RADHA KRISHAN COLLEGE OF NURSING	Datia	30
81	Shri Rawatpura Sarkar College Of Kalapuram, N H - 75, Jhansi Road Datia,Nursing M.P.	Datia	60
82	Shri Swamiji Maharaj College of Nursing (12104) Datia	Datia	60
83	Sidhdhi Vinayak Paramedical and Nursing College (12109) Datia	Datia	30
84	Amaltas Insitute of Nursing Sciences, Dewas	Dewas	100
85	Gyanoday Institute of Professional Studies	Dewas	60
86	new era college of nursing dewas	Dewas	60
87	Dhar College Of Nursing Education	Dhar	60
88	Aadarsh Nursing College Dhar	Dhar	60

89	Gyan School Of Nursing	Dhar	30
90	INDORE INTERNATIONAL COLLEGE	Dhar	45
91	nityanand college	Dhar	30
92	Sanjivani School of Nursing (14104) Dhar	Dhar	60
93	Bharat Institute Of Nursing	Dindori	60
94	MEKALSUTA COLLEGE DINDORI	Dindori	40
95	Maharani Shivangi College of Nursing Sciences and Research Institute (16101) Guna	Guna	60
96	Omkar College of Nursing,Guna	Guna	60
97	Sakshi Nursing College & Research Insitute	Guna	100
98	Abhishek Institute of Professional Studies (17127) Gwalior	Gwalior	60
99	Dayal Nursing College (17140) Gwalior	Gwalior	40
100	Abhishek Nursing College	Gwalior	60
101	Awadh Madhav School of Nursing (17125) Gwalior	Gwalior	50
102	B.I.M.R. School of Nursing (17114) Gwalior	Gwalior	80
103	B.I.P.S School of Nursing (17126) Gwalior	Gwalior	30
104	BHASKAR COLLEGE OF NURSING	Gwalior	50
105	C.R.M INSTITUTE OF TEACHER EDUCATION	Gwalior	40
106	Charak Institute of Nursing College (17152) Gwalior	Gwalior	60
107	Gwalior Nursing College (17139) Gwalior	Gwalior	60
108	Indraprasth Nursing College (17130) Gwalior	Gwalior	30
109	Institute Of Nursing Sciences Studies & Research (insr) (17103) Gwalior	Gwalior	100
110	J.B. Institute of Nursing & Research (17115) Gwalior	Gwalior	30
111	Jai Institute of Nursing & Research (17167) Gwalior	Gwalior	60
112	K.S. Nursing School (17122) Gwalior	Gwalior	60
113	Maharana Pratap School of Nursing (17192) Gwalior	Gwalior	30

114	Post Graduate College of Nursing Cancer Hospital & Research Institute, Gwalior, M.P.-474009	Gwalior	80
115	Pratap College Of Nursing And Hospital, Gwalior	Gwalior	30
116	PRATHVI COLLEGE OF NURSING	Gwalior	50
117	Preston School of Nursing (17120) Gwalior	Gwalior	40
118	RamKrishna College of Nursing (17131) Gwalior	Gwalior	60
119	Ratan Jyoti Institute of Nursing Sciences	Gwalior	50
120	RSC College of Nursing (17182) Gwalior	Gwalior	40
121	S.R. College of Nursing (17108) Gwalior	Gwalior	60
122	Sai Sharddha Nursing College (17106) Gwalior	Gwalior	60
123	SAMADHIYA INSTITUTE OF NURSING AND RESEARCH CENTRE	Gwalior	30
124	Shivnath Singh School Of Nursing (17163) Gwalior	Gwalior	60
125	Shri Vyankatesh Education Academy	Gwalior	30
126	Sophia School Of Nursing & College Of Nursing (17111) Gwalior	Gwalior	60
127	The Academy of Nursing Sciences & Hospital Aryan (17101) Gwalior	Gwalior	60
128	Vaishnavi Institute of Professional Studies (17171) Gwalior	Gwalior	50
129	Veena Vadini College of Nursing Gwalior (17138) Gwalior	Gwalior	60
130	VIPS College of Nursing, Gwalior	Gwalior	60
131	Shri Swami Samarth College Of Nursing And Paramedical Sciences	Harda	30
132	St. Josphe's School Of Nursing (19101) HoshangaBad	Hoshangabad	40
133	Brd Nursing College	Hoshangabad	50
134	Maruti Institute of Nursing, Hoshangabad	Hoshangabad	40
135	Akshay Academy College Of Nursing	Indore	50
136	BHANDARI GROUP OF HOSPITALS AND INSTITUTIONS, COLLEGE OF NURSING INDORE	Indore	30

137	Bombay Hospital College of Nursing, Indore	Indore	50
138	Cambridge International College of Nursing	Indore	30
139	Choithram College of Nursing, Manik Bagh Road, Indore M.P.-452014	Indore	100
140	CORE COLLEGE OF NURSING AND PARAMEDICAL	Indore	50
141	Edu Serumx Nursing College	Indore	60
142	Index Nursing School (20109) Indore	Indore	150
143	Indore Institute Of Medical Sciences College Of Nursing	Indore	30
144	Indore Mahavidyalaya	Indore	50
145	Indore Nursing College (20107) Indore	Indore	50
146	Kanyakubj College of Nursing, Indore	Indore	60
147	Keshav College of Nursing Indore	Indore	60
148	Kewal Shree Institute of Nursing (20122) Indore	Indore	60
149	L.C.H. Nursing Academy (20119) Indore	Indore	30
150	MADHUBAN COLLEGE OF NURSING INDORE	Indore	60
151	Medicare Nursing College Indore	Indore	49
152	Mother Mary College Of Nursing Indore	Indore	60
153	New Era School of Nursing (20110) Indore	Indore	40
154	Parijat College (20116) Indore	Indore	50
155	PRATYANSH COLLEGE OF NURSING	Indore	60
156	R.D. Memorial School of Nursing (20117) Indore	Indore	40
157	RENAISSANCE UNIVERSITY SCHOOL OF NURSING	Indore	60
158	S.M.S. ENERGY NURSING COLLEGE	Indore	50
159	Safe School of Nursing (20106) Indore	Indore	90
160	Samarpan College Of Nursing	Indore	60
161	SAPPHIRE INSTITUTE OF NURSING AND SCIENCE	Indore	30
162	Sapphire Institute Of Nursing Sciences, Indore	Indore	20
163	SDPS College of Nursing, Indore	Indore	60

164	Shri Aurobindo Institute of Medical Science College of Nursing, Indore	Indore	100
165	Shubh Deep College of Nursing, Indore	Indore	60
166	Smt. R.D. Gardi Nursing Training Centre, Indore	Indore	60
167	St Francis College of Nursing	Indore	60
168	Vikrant institute of nursing and science	Indore	60
169	Anushree School of Nursing (21107) Jabalpur	Jabalpur	60
170	Gyandeep Institute of Nursing Science (21108) Jabalpur	Jabalpur	40
171	Yogmani Institute Of Nursing	Jabalpur	60
172	Amarjyoti Institute Of Nursing Sciences & Research	Jabalpur	55
173	Jabalpur Institute Of Health Science Department Of Nursing Education	Jabalpur	50
174	Jabalpur Institute of Nursing Science & Research , Jabalpur	Jabalpur	60
175	JABALPUR PUBLIC COLLEGE OF NURSING	Jabalpur	30
176	Mahatma Gandhi Institute of Nursing (21111) Jabalpur	Jabalpur	60
177	Nandvandan College of Nursing Silver Oak Hospital (21117) Jabalpur	Jabalpur	60
178	Premwati College of Nursing, Jabalpur	Jabalpur	60
179	Regional Institute of Nursing, (21105) Jabalpur	Jabalpur	60
180	SHRI RAWATPURA SARKAR COLLEGE OF NURSING	Jabalpur	30
181	SUKH SAGAR COLLEGE OF NURSING	Jabalpur	60
182	SWASTIK COLLEGE OF NURSING	Jabalpur	30
183	VIJYASHREE EDUCATIONAL INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCE JABALPUR (MP)	Jabalpur	30
184	Aayushman College Of Nursing	Jhabua	20
185	Maa Sharda Institute Of Nursing	Jhabua	10
186	Maa Trpura College of Nursing, Jhabua	Jhabua	40
187	MGM College Of Nursing Mgm Hospital & Research Centre	Katni	60
188	Sainath School of Nursing (23101) Katni	Katni	60

189	wisdom institute of nursing	Katni	30
190	MAA VIJAYLAXMI COLLEGE OF NURSING KHANDWA	Khandwa	60
191	Sai College of Nursing	Khandwa	60
192	Shri Dadaji Institute of Medical & Technical Sciences a& Hospital, Khandwa	Khandwa	30
193	SHRI RAVINDRANATH TAGORE INSTITUTE OF PROFESSIONAL STUDIES	Khandwa	50
194	Bhaktanandji Institute Of Medical Science	Khargone	60
195	Rahat College of Nursing (25101) Khargone	Khargone	60
196	SHREE BALAJI COLLEGE OF NURSING	Khargone	30
197	Shri Sai College Of Nursing	Khargone	60
198	Shri Siddhi Vinayak College of Nursing, Khargone	Khargone	20
199	SHUBHDEEP COLLEGE OF NURSING KHARGONE	Khargone	60
200	BHARAT INSTITUTE OF NURSING MANDLA MP	Mandla	60
201	Mother Theresa Institute of Nursing Katra Hospital (26103) Mandla	Mandla	30
202	SARDAR PATEL SCHOOL OF NURSING	Mandla	60
203	Shri Rawatpura Sarkar Institute Of Nursing, Mandla	Mandla	60
204	Acharya Rajendra Suri Shiksha Mahavidhyalaya	Mandsour	30
205	DEPARTMENT OF NURSING EDUCATION	Mandsour	60
206	DIAMOND NURSING COLLEGE	Mandsour	60
207	Miracle Nursing College (27104) Mandsour	Mandsour	60
208	Shreejee Institute of Nursing Sciences (27101) Mandsour	Mandsour	60
209	Shri Sai Nath College of Nursing (27103) Mandsour	Mandsour	40
210	Madhavi Raje Nursing College (28101) Morena	Morena	50
211	R.L. School Of Nursing (28102) Morena	Morena	60
212	Paradkar Nursing Institute Paradkar Hospital,	Narsinghpur	30
213	Gyanodaya Institute of Nursing (30102) Neemuch	Neemuch	60
214	Gyanodaya The College of Excellence (30105) Neemuch	Neemuch	30

215	RBS School of Nursing (30104) Neemuch	Neemuch	60
216	Sanjeevni College of Nursing (30101) Neemuch	Neemuch	30
217	Sam College Of Nursing Science And Hospital, Raisen	Raisen	50
218	Sailana College Of Nursing	Ratlam	60
219	Aadhar School Of Nursing Ratlam	Ratlam	40
220	Arogya Institute of Nursing (34104) Ratlam	Ratlam	60
221	Dr. M.B. Sharma Nursing College (34101) Ratlam	Ratlam	40
222	Mahi Institute Of Nursing , Ratlam	Ratlam	40
223	Mahi School of Nursing (34107) Ratlam	Ratlam	40
224	Sardar Patel College of Nursing (34103) Ratlam	Ratlam	60
225	SHREE VINAYAK NURSING COLLEGE	Ratlam	60
226	Tejaswini College of Nursing	Ratlam	30
227	T D Institute Of Professional Studies & Research Center	Rewa	60
228	Jawaharlal Nehru College Of Nursing	Rewa	60
229	Late M.L. Chaurasia Memorial Nursing College, Rewa	Rewa	60
230	Lord Budha School of Nursing	Rewa	60
231	Saudamini Institute of Nursing & Research (35101) Rewa	Rewa	60
232	shrisadgurusainathcollege of nursing	Rewa	60
233	Vindhyanchal College of Nursing (35104) Rewa	Rewa	60
234	BABULAL TARABAI INSTITUTE OF NURSING SCIENCES	Sagar	50
235	Bhagyoday Tirth Nursing College (36108) Sagar	Sagar	100
236	Gyanveer Nursing College, Sagar	Sagar	60
237	MAHARANA PRATAP COLLEGE OF NURSING	Sagar	60
238	Ojaswini Nursing College	Sagar	60
239	Shri Chaitanya College of Nursing Sciences (36106) Sagar	Sagar	40
240	Shri Rawatpura Sarkar College of Nursing Sagar	Sagar	30
241	Swami Vivekanand College of Nursing, Sagar	Sagar	40
242	SWAMI VIVEKANAND UNIVERSITY	Sagar	60

243	Manoj Jain Mem College of Nsg. & Research Centre (37101) Satana	Satna	60
244	Nishad College of Nursing & Allied Sciences (37104) Satna	Satna	60
245	Sadguru School of Nursing (37102) Satna	Satna	20
246	Vindhya School of Nursing (37105) Satna	Satna	60
247	50) Sri Sai Institute of Nursing Science (07139) Sehore	Sehore	100
248	IES COLLEGE OF NURSING	Sehore	60
249	MAHADEV INSTITUTE OFF NURSING	Sehore	30
250	School of Nursing	Sehore	80
251	Maruti Institute Of Nursing	Seoni	60
252	MAHAKOSHAL COLLEGE OF SCIENCE	Seoni	40
253	MA SHARDA DEVI NURSING COLLEGE	Shahdol	25
254	RADHARANI NURSING COLLEGE SHAHDOL	Shahdol	60
255	SARV VIDYA COLLEGE BURHAR	Shahdol	40
256	SHIVANI PARAMEDICAL INSTITUTE	Shahdol	60
257	Shri Rawatpura Sarkar Institute Of Nursing	Shahdol	60
258	SWAMI VIVEKANAND COLLEGE OF NURISNG SHAHDOL	Shahdol	60
259	Vindhya College of Nrsing, Shadol	Shahdol	60
260	P.K. UNIVERSITY (FACULTY OF MEDICAL SCIENCE)	Shivpuri	100
261	Vir Tataya Tope GNM School Shivpuri	Shivpuri	30
262	BHANMATI COLLEGE OF NURSING	Sidhi	60
263	DIVY JYOTI NURSING COLLEGE	Sidhi	30
264	Sai Nath School of Nursing Waidhan (50101) Singroli	Singroli	60
265	Rai School of Nursing (45101) Tikamgarh	Tikamgarh	60
266	Raishree Institute of Nursing (45104) Tikamgarh	Tikamgarh	40
267	anant college of nursing	Ujjain	30
268	deshmukh college of nursing	Ujjain	60
269	Florance Nightingale School of Nursing (46106) Ujjain	Ujjain	40

270	GLOBAL PRASHANTI NURSING COLLEGE	Ujjain	25
271	Mahakal Nursing School, Ujjain	Ujjain	40
272	Patidar Nursing Institute , Ujjain	Ujjain	60
273	R.D. Gardi College of Nursing (46105) Ujjain	Ujjain	60
274	S S G Medical Institution	Ujjain	60
275	SACRED HEART COLLEGE OF NURSING	Ujjain	45
276	VIVEKANAND NURSING COLLEGE,	Umaria	60

Course Name Post basic B.Sc. (Nursing)			
S.No.	Institute name	Disctric Name	Alloted Seats
1	Shrinath College of Nursing	Alirajpur	50
2	Ma saraswati school of nursing	Barwani	40
3	Sanjivani College of Nursing	Barwani	30
4	Sendhwa Institute of Nursing, Barwani	Barwani	14
5	Academy of Nursing & Health Sciences	Bhopal	40
6	Aurovindo College of Nursing , Bhopal	Bhopal	20
7	Chirayu College of Nursing (07137) Bhopal	Bhopal	30
8	Corporate College of Nursing	Bhopal	30
9	Dr. Shankar Dayal Sharma College of Nursing (07103) Bhopal	Bhopal	60
10	IES COLLEGE OF NURSING BHOPAL	Bhopal	50
11	Jai narayan college of nursing	Bhopal	60
12	KNP College of Nursing	Bhopal	30
13	Kusha Bhao Thakre Nursing College (07101) Bhopal	Bhopal	50
14	L N Nursing School (07120) Bhopal	Bhopal	100
15	Malay College of Nursing,Bhopal	Bhopal	20
16	Mansarovar Nursing College (07102) Bhopal	Bhopal	40

17	Mayo College of Nursing, Mayo Hospital (07110) Bhopal	Bhopal	50
18	Meheko College of Nursing	Bhopal	60
19	Nri Institute Of Nursing, Bhopal	Bhopal	15
20	People's College of Nursing & Research Centre (07136) Bhopal	Bhopal	30
21	R M D JAIN INSTITUTE OF NURSING	Bhopal	40
22	R.D. Memorial College of Nursing (07109) bhopal	Bhopal	40
23	R.K.D.F. School Of Nursing (07108) Bhopal	Bhopal	90
24	Rajeev Gandhi College of Nursing (07104) Bhopal	Bhopal	20
25	SAM College of Nursing	Bhopal	60
26	shri ram college of nursing	Bhopal	50
27	University College Of Nursing	Bhopal	60
28	VAISHNAVI NURSING COLLEGE	Bhopal	50
29	Vishal Vate Memorial College of Nursing, (07112) Bhopal	Bhopal	50
30	BIMTS College of Nursing, Dargah Road, Lalbagh, Burhanpur-450331 M.P.	Burhanpur	20
31	Ramdev College Of Nursing	Chhatarpur	20
32	School of Nursing and paramedical sciences	Damoh	60
33	Lord Krishna College of Nursing (12103) Datia	Datia	60
34	Shri Rawatpura Sarkar College Of Kalapuram, N H - 75, Jhansi Road Datia,Nursing M.P.	Datia	20
35	Shri Swamiji Maharaj College of Nursing (12104) Datia	Datia	40
36	Sidhdhi Vinayak Paramedical and Nursing College (12109) Datia	Datia	40
37	Amaltas Insitute of Nursing Sciences, Dewas	Dewas	50
38	new era college of nursing dewas	Dewas	40
39	Dhar College Of Nursing Education	Dhar	60
40	Aadarsh Nursing College Dhar	Dhar	60
41	nityanand college	Dhar	30

42	Omkar College of Nursing,Guna	Guna	50
43	Sakshi Nursing College & Research Insitute	Guna	30
44	Abhishek Nursing College	Gwalior	30
45	B.I.M.R. School of Nursing (17114) Gwalior	Gwalior	25
46	Charak Institute of Nursing College (17152) Gwalior	Gwalior	60
47	Institute Of Nursing Sciences Studies & Research (insr) (17103) Gwalior	Gwalior	40
48	J.B. Institute of Nursing & Research (17115) Gwalior	Gwalior	30
49	Jai Institute of Nursing & Research (17167) Gwalior	Gwalior	40
50	K.S. Nursing School (17122) Gwalior	Gwalior	20
51	Post Graduate College of Nursing Cancer Hospital & Research Institute, Gwalior, M.P.-474009	Gwalior	40
52	RamKrishna College of Nursing (17131) Gwalior	Gwalior	60
53	S.R. College of Nursing (17108) Gwalior	Gwalior	60
54	SAMADHIYA INSTITUTE OF NURSING AND RESEARCH CENTRE	Gwalior	20
55	Shivnath Singh School Of Nursing (17163) Gwalior	Gwalior	30
56	Shri Vyankatesh Education Academy	Gwalior	30
57	Sophia School Of Nursing & College Of Nursing (17111) Gwalior	Gwalior	40
58	The Academy of Nursing Sciences & Hospital Aryan (17101) Gwalior	Gwalior	40
59	Veena Vadini College of Nursing Gwalior (17138) Gwalior	Gwalior	40
60	VIPS College of Nursing, Gwalior	Gwalior	60
61	Brd Nursing College	Hoshangabad	60
62	Akshay Academy College Of Nursing	Indore	20
63	Choithram College of Nursing,Manik Bagh Road, Indore M.P.-452014	Indore	25
64	Index Nursing School (20109) Indore	Indore	100
65	Indore Nursing college (20107) Indore	Indore	30

66	Kewal shree Instiute of Nursing (20122) Indore	Indore	50
67	Mother Mary College Of Nursing Indore	Indore	50
68	New Era School of Nursing (20110) Indore	Indore	40
69	Parijat College (20116) Indore	Indore	40
70	PRATYANSH COLLEGE OF NURSING	Indore	50
71	R.D. Memorial School of Nursing (20117) Indore	Indore	50
72	Safe School of Nursing (20106) Indore	Indore	30
73	Shri Aurobindo Institute of Medical Science College of Nursing, Indore	Indore	30
74	Shubh Deep College of Nursing, Indore	Indore	50
75	Anushree School of Nursing (21107) Jabalpur	Jabalpur	40
76	Yogmani Institute Of Nursing	Jabalpur	30
77	Jabalpur Institute Of Health Science Department Of Nursing Education	Jabalpur	30
78	Mahatma Gandhi Institute of Nursing (21111) Jabalpur	Jabalpur	30
79	Nandvandan College of Nursing Silver Oak Hospital (21117) Jabalpur	Jabalpur	30
80	Premwati College of Nrusing, Jabalpur	Jabalpur	60
81	Regional Institute of Nursing, (21105) Jabalpur	Jabalpur	50
82	Aayushman College Of Nursing	Jhabua	30
83	Maa Trpura College of Nursing, Jhabua	Jhabua	10
84	MGM College Of Nursing Mgm Hospital &Research Centre	Katni	30
85	Sainath School of Nursing (23101) Katni	Katni	30
86	wisdom institute of nursing	Katni	20
87	Sai College of Nrusing	Khandwa	60
88	Bhaktanandji Institute Of Medical Science	Khargone	30
89	Rahat College of Nursing (25101) Khargone	Khargone	40
90	SHUBHDEEP COLLEGE OF NURSING KHARGONE	Khargone	50

91	Shri Rawatpura Sarkar Institute Of Nursing, Mandla	Mandla	20
92	Miracle Nursing College (27104) Mandsour	Mandsour	60
93	Madhavi Raje Nursing College (28101) Morena	Morena	40
94	R.L. School Of Nursing (28102) Morena	Morena	60
95	Paradkar Nursing Institute Paradkar Hospital,	Narsinghpur	30
96	Gyanodaya Institute of Nursing (30102) Neemuch	Neemuch	20
97	RBS School of Nursing (30104) Neemuch	Neemuch	40
98	Sam College Of Nursing Science And Hospital, Raisen	Raisen	50
99	Sailana College Of Nursing	Ratlam	30
100	Aadhar School Of Nursing Ratlam	Ratlam	30
101	Arogya Institute of Nursing (34104) Ratlam	Ratlam	30
102	Dr. M.B. Sharma Nursing College (34101) Ratlam	Ratlam	30
103	Sardar Patel College of Nursing (34103) Ratlam	Ratlam	60
104	T D Institute Of Professional Studies & Research Center	Rewa	60
105	Late M.L. Chaurasia Memorial Nursing College, Rewa	Rewa	40
106	Saudamini Institute of Nursing & Research (35101) Rewa	Rewa	50
107	Vindhyanchal College of Nursing (35104) Rewa	Rewa	60
108	BABULAL TARABAI INSTITUTE OF NURSING SCIENCES	Sagar	30
109	Bhagyoday Tirth Nursing College (36108) Sagar	Sagar	20
110	Gyanveer Nursing College, Sagar	Sagar	30
111	Ojaswini Nursing College	Sagar	60
112	Vindhya School of Nursing (37105) Satna	Satna	20
113	50) Sri Sai Institute of Nursing Science (07139) Sehore	Sehore	60
114	IES COLLEGE OF NURSING	Sehore	15
115	Rai School of Nursing (45101) Tikamgarh	Tikamgarh	30
116	deshmukh college of nursing	Ujjain	40
117	Mahakal Nursing School, Ujjain	Ujjain	30
118	Patidar Nursing Institute , Ujjain	Ujjain	30

Course Name M.Sc. (Nursing)				
S. No.	Institute name	Disctric Name	Alloted Seats	Branch
1	Shrinath College of Nursing	Alirajpur	5	Psychiatric Nursing
			5	Medical Surgical Nursing
			5	Community Health Nursing
			5	Obstetric Nursing
			4	Pediatric Nursing
2	Mitali Institute of Nursing, Balaghat	Balaghat	5	Community Health Nursing
3	Sendhwa Institute of Nursing, Barwani	Barwani	2	Medical Surgical Nursing
			2	Psychiatric Nursing
			2	Obstetric Nursing
			2	Community Health Nursing
4	Sendhwa Institute of Nursing, Barwani	Barwani	2	Pediatric Nursing
5	Naval Kishore Shivhare School Of Nursing (06101) Bhind	Bhind	5	Psychiatric Nursing
			6	Community Health Nursing
6	Academy of Nursing & Health Sciences	Bhopal	5	Medical Surgical Nursing
			5	Obstetric Nursing
			5	Community Health Nursing
			5	Psychiatric Nursing
			5	Medical Surgical Nursing
			5	Community Health Nursing
			5	Obstetric Nursing
			5	Pediatric Nursing
7	Career College Of Nursing	Bhopal	5	Pediatric Nursing
			5	Community Health Nursing
			5	Obstetric Nursing
			5	Psychiatric Nursing
			5	Medical Surgical Nursing

8	Chirayu College of Nursing (07137) Bhopal	Bhopal	5	Medical Surgical Nursing
			5	Psychiatric Nursing
			5	Community Health Nursing
			5	Obstetric Nursing
			5	Pediatric Nursing
9	Dr. Shankar Dayal Sharma College of Nursing (07103) Bhopal	Bhopal	10	Psychiatric Nursing
			10	Pediatric Nursing
			5	Obstetric Nursing
			10	Community Health Nursing
			5	Medical Surgical Nursing
10	IES COLLEGE OF NURSING BHOPAL	Bhopal	5	Psychiatric Nursing
			5	Community Health Nursing
11	Kusha Bhao Thakre Nursing College (07101) Bhopal	Bhopal	5	Psychiatric Nursing
			5	Medical Surgical Nursing
			5	Community Health Nursing
			5	Obstetric Nursing
			5	Pediatric Nursing
12	L N Nursing School (07120) Bhopal	Bhopal	10	Pediatric Nursing
			10	Obstetric Nursing
			10	Community Health Nursing
			10	Medical Surgical Nursing
			10	Psychiatric Nursing
13	Mansarovar Nursing College (07102) Bhopal	Bhopal	5	Medical Surgical Nursing
			5	Community Health Nursing
			5	Obstetric Nursing
			5	Pediatric Nursing

14	Mayo College of Nursing, Mayo Hospital (07110) Bhopal	Bhopal	5	Psychiatric Nursing
			5	Pediatric Nursing
			5	Obstetric Nursing
			5	Community Health Nursing
			5	Medical Surgical Nursing
15	Meheko College of Nursing	Bhopal	5	Community Health Nursing
			5	Psychiatric Nursing
16	Nri Institute Of Nursing, Bhopal	Bhopal	5	Community Health Nursing
17	People's College of Nursing & Research Centre (07136) Bhopal	Bhopal	5	Psychiatric Nursing
			6	Obstetric Nursing
			6	Pediatric Nursing
			3	Medical Surgical Nursing
			5	Community Health Nursing
18	Pragyan College of Nursing, Bhopal	Bhopal	3	Community Health Nursing
			3	Medical Surgical Nursing
			3	Pediatric Nursing
			3	Obstetric Nursing
			3	Psychiatric Nursing
19	R.D. Memorial College of Nursing (07109) bhopal	Bhopal	5	Psychiatric Nursing
			5	Obstetric Nursing
			5	Pediatric Nursing
			5	Medical Surgical Nursing
			5	Community Health Nursing
20	R.K.D.F. School Of Nursing (07108) Bhopal	Bhopal	5	Community Health Nursing
			5	Medical Surgical Nursing
			5	Pediatric Nursing
			5	Obstetric Nursing
			5	Psychiatric Nursing

21	Rajeev Gandhi College of Nursing (07104) Bhopal	Bhopal	4	Obstetric Nursing
			4	Medical Surgical Nursing
			4	Community Health Nursing
22	SAM College of Nursing	Bhopal	5	Community Health Nursing
			5	Medical Surgical Nursing
			5	Obstetric Nursing
			5	Pediatric Nursing
			5	Psychiatric Nursing
23	Vishal Vate Memorial College of Nursing, (07112) Bhopal	Bhopal	10	Psychiatric Nursing
			10	Pediatric Nursing
			10	Obstetric Nursing
			10	Medical Surgical Nursing
			10	Community Health Nursing
24	BIMTS College of Nursing, Dargah Road, Lalbagh, Burhanpur-450331 M.P.	Burhanpur	5	Psychiatric Nursing
			5	Community Health Nursing
			5	Medical Surgical Nursing
			5	Obstetric Nursing
			5	Pediatric Nursing
25	Veerangna Awanti Bai Nursing College (09106) Chhatarpur	Chhatarpur	5	Psychiatric Nursing
			5	Pediatric Nursing
			5	Obstetric Nursing
			5	Medical Surgical Nursing
			5	Community Health Nursing
26	Christian Medical Training Center College of Nursing (11102) Damoh	Damoh	1	Psychiatric Nursing
			1	Pediatric Nursing
			2	Obstetric Nursing
			2	Medical Surgical Nursing
			1	Community Health Nursing

27	School of Nursing and paramedical sciences	Damoh	5	Community Health Nursing
			5	Medical Surgical Nursing
			5	Obstetric Nursing
			5	Pediatric Nursing
			5	Psychiatric Nursing
28	Lord Krishna College of Nursing (12103) Datia	Datia	10	Psychiatric Nursing
			10	Community Health Nursing
29	Shri Rawatpura Sarkar College Of Kalapuram, N H - 75, Jhansi Road Datia,Nursing M.P.	Datia	5	Psychiatric Nursing
			5	Community Health Nursing
			5	Pediatric Nursing
			5	Obstetric Nursing
30	Shri Swamiji Maharaj College of Nursing (12104) Datia	Datia	5	Obstetric Nursing
			5	Pediatric Nursing
			5	Community Health Nursing
			5	Medical Surgical Nursing
			5	Psychiatric Nursing
31	Amaltas Insitute of Nursing Sciences, Dewas	Dewas	5	Psychiatric Nursing
			10	Medical Surgical Nursing
			5	Community Health Nursing
			9	Pediatric Nursing
			5	Obstetric Nursing
32	Aadarsh Nursing College Dhar	Dhar	10	Psychiatric Nursing
			10	Obstetric Nursing
			10	Community Health Nursing
			10	Medical Surgical Nursing
33	Omkar College of Nursing,Guna	Guna	4	Psychiatric Nursing
			4	Pediatric Nursing
			4	Obstetric Nursing
			4	Medical Surgical Nursing
			4	Community Health Nursing

34	Dayal Nursing College (17140) Gwalior	Gwalior	5	Community Health Nursing
			10	Obstetric Nursing
			10	Pediatric Nursing
35	B.I.M.R. School of Nursing (17114) Gwalior	Gwalior	4	Psychiatric Nursing
			4	Pediatric Nursing
			4	Obstetric Nursing
			4	Medical Surgical Nursing
			4	Community Health Nursing
36	Institute Of Nursing Sciences Studies & Research (insr) (17103) Gwalior	Gwalior	5	Psychiatric Nursing
			5	Medical Surgical Nursing
			5	Community Health Nursing
			5	Obstetric Nursing
			5	Pediatric Nursing
37	Jai Institute of Nursing & Research (17167) Gwalior	Gwalior	5	Psychiatric Nursing
			5	Pediatric Nursing
			5	Obstetric Nursing
			5	Medical Surgical Nursing
38	K.S. Nursing School (17122) Gwalior	Gwalior	3	Psychiatric Nursing
			3	Medical Surgical Nursing
			3	Community Health Nursing
			3	Obstetric Nursing
			3	Pediatric Nursing
39	Post Graduate College of Nursing Cancer Hospital & Research Institute, Gwalior, M.P.-474009	Gwalior	6	Psychiatric Nursing
			3	Pediatric Nursing
			5	Obstetric Nursing
			5	Community Health Nursing
			6	Medical Surgical Nursing
40	Preston School of Nursing (17120) Gwalior	Gwalior	10	Psychiatric Nursing
			10	Community Health Nursing

41	RamKrishna College of Nursing (17131) Gwalior	Gwalior	5	Psychiatric Nursing
			5	Community Health Nursing
			5	Medical Surgical Nursing
			5	Obstetric Nursing
			5	Pediatric Nursing
42	RSC College of Nursing (17182) Gwalior	Gwalior	5	Psychiatric Nursing
			5	Pediatric Nursing
			5	Obstetric Nursing
			5	Medical Surgical Nursing
			5	Community Health Nursing
43	S.R. College of Nursing (17108) Gwalior	Gwalior	5	Psychiatric Nursing
			5	Community Health Nursing
			5	Medical Surgical Nursing
			5	Obstetric Nursing
			5	Pediatric Nursing
44	Shivnath Singh School Of Nursing (17163) Gwalior	Gwalior	5	Community Health Nursing
			5	Psychiatric Nursing
45	Sophia School Of Nursing & College Of Nursing (17111) Gwalior	Gwalior	3	Psychiatric Nursing
			5	Pediatric Nursing
			3	Obstetric Nursing
			3	Community Health Nursing
			6	Medical Surgical Nursing
46	The Academy of Nursing Sciences & Hospital Aryan (17101) Gwalior	Gwalior	5	Psychiatric Nursing
			5	Medical Surgical Nursing
			5	Community Health Nursing
			5	Obstetric Nursing
			5	Pediatric Nursing

47	VIPS College of Nursing, Gwalior	Gwalior	5	Pediatric Nursing
			5	Obstetric Nursing
			5	Community Health Nursing
			5	Medical Surgical Nursing
			5	Psychiatric Nursing
48	Bombay Hospital College of Nursing, Indore	Indore	3	Psychiatric Nursing
			4	Medical Surgical Nursing
			3	Community Health Nursing
49	Choithram College of Nursing, Manik Bagh Road, Indore M.P.-452014	Indore	5	Psychiatric Nursing
			5	Community Health Nursing
			8	Medical Surgical Nursing
			10	Obstetric Nursing
			5	Pediatric Nursing
50	Index Nursing School (20109) Indore	Indore	10	Psychiatric Nursing
			10	Pediatric Nursing
			10	Obstetric Nursing
			10	Medical Surgical Nursing
			10	Community Health Nursing
51	Indore Nursing college (20107) Indore	Indore	5	Psychiatric Nursing
			10	Community Health Nursing
			10	Medical Surgical Nursing
			10	Obstetric Nursing
			5	Pediatric Nursing
52	Kanyakubj College of nursing, Indore	Indore	5	Psychiatric Nursing
			5	Pediatric Nursing
			5	Obstetric Nursing
			5	Medical Surgical Nursing
			5	Community Health Nursing

53	R.D. Memorial School of Nursing (20117) Indore	Indore	5	Psychiatric Nursing
			5	Medical Surgical Nursing
			5	Obstetric Nursing
54	Safe School of Nursing (20106) Indore	Indore	10	Psychiatric Nursing
			5	Obstetric Nursing
			5	Pediatric Nursing
			10	Medical Surgical Nursing
			5	Community Health Nursing
55	SDPS college of Nursing, Indore	Indore	4	Psychiatric Nursing
			2	Community Health Nursing
			3	Medical Surgical Nursing
56	Shri Aurobindo Institute of Medical Science College of Nursing, Indore	Indore	3	Medical Surgical Nursing
			5	Community Health Nursing
			2	Pediatric Nursing
			6	Obstetric Nursing
57	Shubh Deep College of Nursing, Indore	Indore	5	Psychiatric Nursing
			5	Obstetric Nursing
			5	Pediatric Nursing
			5	Community Health Nursing
			5	Medical Surgical Nursing
58	Smt. R.D. Gardi Nursing Training Centre, Indore	Indore	4	Community Health Nursing
			8	Obstetric Nursing
			8	Psychiatric Nursing
59	Anushree School of Nursing (21107) Jabalpur	Jabalpur	5	Psychiatric Nursing
			5	Obstetric Nursing
			5	Pediatric Nursing
			5	Community Health Nursing
			5	Medical Surgical Nursing

60	Jabalpur Institute Of Health Science Department Of Nursing Education	Jabalpur	5	Psychiatric Nursing
			5	Obstetric Nursing
			5	Pediatric Nursing
			5	Medical Surgical Nursing
			5	Community Health Nursing
61	Jabalpur Institute of Nursing Science & Research , Jabalpur	Jabalpur	4	Medical Surgical Nursing
			4	Pediatric Nursing
			3	Obstetric Nursing
			4	Psychiatric Nursing
62	Mahatma Gandhi Institute of Nursing (21111) Jabalpur	Jabalpur	5	Psychiatric Nursing
			5	Pediatric Nursing
			5	Medical Surgical Nursing
			5	Community Health Nursing
63	Nandvandan College of Nursing Silver Oak Hospital (21117) Jabalpur	Jabalpur	5	Community Health Nursing
			5	Medical Surgical Nursing
			5	Obstetric Nursing
			5	Psychiatric Nursing
64	Premwati College of Nursing, Jabalpur	Jabalpur	5	Psychiatric Nursing
			5	Obstetric Nursing
			5	Pediatric Nursing
			5	Medical Surgical Nursing
			5	Community Health Nursing
65	Regional Institute of Nursing, (21105) Jabalpur	Jabalpur	2	Medical Surgical Nursing
			3	Pediatric Nursing
66	Maa Trpura College of Nursing, Jhabua	Jhabua	5	Medical Surgical Nursing
			5	Pediatric Nursing
			3	Obstetric Nursing
			5	Community Health Nursing
67	Sainath School of Nursing (23101) Katni	Katni	5	Psychiatric Nursing
			5	Community Health Nursing

68	Rahat College of Nursing (25101) Khargone	Khargone	5	Medical Surgical Nursing
			5	Obstetric Nursing
69	Shri Rawatpura Sarkar Institute Of Nursing, Mandla	Mandla	5	Medical Surgical Nursing
			5	Psychiatric Nursing
			5	Obstetric Nursing
			5	Pediatric Nursing
			5	Community Health Nursing
70	Madhavi Raj Nursing College (28101) Morena	Morena	5	Medical Surgical Nursing
			5	Psychiatric Nursing
			5	Obstetric Nursing
			10	Community Health Nursing
71	R.L. School Of Nursing (28102) Morena	Morena	5	Medical Surgical Nursing
			5	Psychiatric Nursing
			5	Community Health Nursing
			5	Obstetric Nursing
			5	Pediatric Nursing
72	Gyanodaya Institute of Nursing (30102) Neemuch	Neemuch	5	Community Health Nursing
			5	Obstetric Nursing
			5	Pediatric Nursing
			5	Medical Surgical Nursing
			5	Psychiatric Nursing
73	RBS School of Nursing (30104) Neemuch	Neemuch	4	Medical Surgical Nursing
			5	Psychiatric Nursing
			5	Pediatric Nursing
			5	Obstetric Nursing
			5	Community Health Nursing

74	Sailana College Of Nursing	Ratlam	10	Psychiatric Nursing
			5	Medical Surgical Nursing
			10	Community Health Nursing
			5	Obstetric Nursing
			5	Pediatric Nursing
75	Aadhar School Of Nursing Ratlam	Ratlam	5	Pediatric Nursing
			5	Community Health Nursing
			5	Obstetric Nursing
			5	Psychiatric Nursing
			5	Medical Surgical Nursing
76	Dr. M.B. Sharma Nursing College (34101) Ratlam	Ratlam	5	Medical Surgical Nursing
			5	Obstetric Nursing
			5	Community Health Nursing
77	Sardar Patel College of Nursing (34103) Ratlam	Ratlam	5	Pediatric Nursing
			5	Community Health Nursing
			5	Obstetric Nursing
			5	Medical Surgical Nursing
			5	Psychiatric Nursing
78	T D Institute Of Professional Studies & Research Center	Rewa	5	Psychiatric Nursing
			5	Medical Surgical Nursing
			5	Community Health Nursing
			5	Pediatric Nursing
			5	Obstetric Nursing
79	Saudamini Institute of Nursing & Research (35101) Rewa	Rewa	6	Obstetric Nursing
			6	Pediatric Nursing
			6	Community Health Nursing
			6	Psychiatric Nursing
			6	Medical Surgical Nursing

80	Bhagyoday Tirth Nursing College (36108) Sagar	Sagar	5	Psychiatric Nursing
			5	Medical Surgical Nursing
			5	Community Health Nursing
			5	Pediatric Nursing
81	Ojaswini Nursing College	Sagar	5	Medical Surgical Nursing
			5	Psychiatric Nursing
			5	Pediatric Nursing
			5	Community Health Nursing
			5	Obstetric Nursing
82	Swami Vivekanand College of Nursing, Sagar	Sagar	4	Obstetric Nursing
			5	Community Health Nursing
			3	Pediatric Nursing
			5	Psychiatric Nursing
			4	Medical Surgical Nursing
83	Vindhya School of Nursing (37105) Satna	Satna	5	Psychiatric Nursing
			5	Pediatric Nursing
			5	Community Health Nursing
			5	Obstetric Nursing
84	50) Sri Sai Institute of Nursing Science (07139) Sehore	Sehore	3	Community Health Nursing
			3	Medical Surgical Nursing
			3	Pediatric Nursing
			3	Obstetric Nursing
85	Maruti Institute Of Nursing	Seoni	6	Psychiatric Nursing
			6	Pediatric Nursing
			10	Obstetric Nursing

86	Shri Rawatpura Sarkar Institute Of Nursing	Shahdol	5	Psychiatric Nursing
			5	Medical Surgical Nursing
			5	Pediatric Nursing
			5	Community Health Nursing
87	Vindhya College of Nursing, Shadol	Shahdol	5	Psychiatric Nursing
			5	Medical Surgical Nursing
			5	Community Health Nursing
88	Vindhya College of Nursing, Shadol	Shahdol	5	Obstetric Nursing
89	Patidar Nursing Institute , Ujjain	Ujjain	7	Psychiatric Nursing
			7	Community Health Nursing

Government college Data					
S.No.	CollegeName	District-Name	Allotted seat	Course_name	Course_branch_name
1	Government college of nursing Anuppur	Anuppur	30	B.Sc.	Nursing
2	GOVERNMENT COLLEGE OF NURSING DIST. HOSPITAL BALAGHAT	Balaghat	60	B.Sc.	Nursing
3	Bhopal Memorial Hospital & Research Centre (07113) Bhopal	Bhopal	50	P.B B.Sc.	Nursing
			40	B.Sc.	Nursing
			2	M.Sc. (Nursing)	Medical Surgical Nursing
			3	M.Sc. (Nursing)	Obstetric Nursing

4	GOVERNMENT COLLEGE OF NURSING GMC BHOPAL	Bhopal	120	B.Sc.	Nursing
			5	Post Basic Diploma	Orthopedic Rehabilitation Nursing
			10	M.Sc. (Nursing)	Medical Surgical Nursing
			10	M.Sc. (Nursing)	Pediatric Nursing
			5	Post Basic Diploma	Cardio-Thoracic Nursing
			10	M.Sc. (Nursing)	Obstetric Nursing
			10	M.Sc. (Nursing)	Psychiatric Nursing
			10	M.Sc. (Nursing)	Community Health Nursing
			5	Post Basic Diploma	Operation Room Nursing
			5	Post Basic Diploma	Oncology Nursing
			5	Post Basic Diploma	Critical Care Nursing
			5	Post Basic Diploma	Emergency and Disaster Nursing
			5	Post Basic Diploma	Neonatal Nursing
			5	Post Basic Diploma	Forensic Nursing
			5	Post Basic Diploma	Saicretic/Mental Health Nursing
			5	Post Basic Diploma	Midwifery Nursing
			5	Post Basic Diploma	Geriatric Nursing
			5	Post Basic Diploma	Haematology Nursing-Residency Programme
			5	Post Basic Diploma	Burn & Reconstructive Surgery Nursing – Residency Programme
			5	Post Basic Diploma	Neuro Science Nursing
			60	P.B B.Sc.	Nursing
5	COLLEGE OF NURSING, DISTRICT HOSPITAL, Chhindwara	Chhindwara	60	B.Sc.	Nursing
6	School of Nursing Main Hospital, Datia	Datia	60	B.Sc.	Nursing

7	Government Gnm Training Center	Dewas	60	B.Sc.	Nursing
8	GOVERNMENT COLLEGE OF NURSING J.A. HOSPITAL GWALIOR	Gwalior	120	B.Sc.	Nursing
			5	Post Basic Diploma	Operation Room Nursing
			60	P.B B.Sc.	Nursing
			10	M.Sc. (Nursing)	Medical Surgical Nursing
			10	M.Sc. (Nursing)	Community Health Nursing
			5	Post Basic Diploma	Critical Care Nursing
			10	M.Sc. (Nursing)	Obstetric Nursing
			10	M.Sc. (Nursing)	Pediatric Nursing
			10	M.Sc. (Nursing)	Psychiatric Nursing
			5	Post Basic Diploma	Neuro Science Nursing
			5	Post Basic Diploma	Oncology Nursing
			5	Post Basic Diploma	Cardio-Thoracic Nursing
			5	Post Basic Diploma	Emergency and Disaster Nursing
			5	Post Basic Diploma	Orthopedic Rehabilitation Nursing
			5	Post Basic Diploma	Neonatal Nursing
			5	Post Basic Diploma	Midwifery Nursing
			5	Post Basic Diploma	Geriatric Nursing
			5	Post Basic Diploma	Forensic Nursing
			5	Post Basic Diploma	Saicretic/Mental Health Nursing
			5	Post Basic Diploma	Haematology Nursing-Residency Programme
			5	Post Basic Diploma	Burn & Reconstructive Surgery Nursing - Residency Programme

9	Govt. College of Nursing, Indore M.P.	Indore	60	P.B B.Sc.	Nursing
			210	B.Sc.	Nursing
			5	Post Basic Diploma	Critical Care Nursing
			5	Post Basic Diploma	Orthopedic Rehabilitation Nursing
			5	Post Basic Diploma	Burn & Reconstructive Surgery Nursing – Residency Programme
			5	Post Basic Diploma	Cardio-Thoracic Nursing
			18	M.Sc. (Nursing)	Community Health Nursing
			20	M.Sc. (Nursing)	Pediatric Nursing
			20	M.Sc. (Nursing)	Psychiatric Nursing
			5	Post Basic Diploma	Haematology Nursing-Residency Programme
			5	Post Basic Diploma	Operation Room Nursing
			5	Post Basic Diploma	Emergency and Disaster Nursing
			5	Post Basic Diploma	Neonatal Nursing
			5	Post Basic Diploma	Neuro Science Nursing
			5	Post Basic Diploma	Midwifery Nursing
			5	Post Basic Diploma	Saicretic/Mental Health Nursing
			5	Post Basic Diploma	Geriatric Nursing
			5	Post Basic Diploma	Oncology Nursing
			5	Post Basic Diploma	Forensic Nursing
			22	M.Sc. (Nursing)	Obstetric Nursing
			20	M.Sc. (Nursing)	Medical Surgical Nursing

10	GOVERNMENT COLLEGE OF NURSING MEDICAL COLLEGE JABALPUR	Jabalpur	10	M.Sc. (Nursing)	Community Health Nursing
			10	M.Sc. (Nursing)	Obstetric Nursing
			10	M.Sc. (Nursing)	Pediatric Nursing
			10	M.Sc. (Nursing)	Psychiatric Nursing
			120	B.Sc.	Nursing
			60	P.B B.Sc.	Nursing
			10	M.Sc. (Nursing)	Medical Surgical Nursing
			5	Post Basic Diploma	Cardio-Thoracic Nursing
			5	Post Basic Diploma	Haematology Nursing-Residency Programme
			5	Post Basic Diploma	Operation Room Nursing
			5	Post Basic Diploma	Neonatal Nursing
			5	Post Basic Diploma	Neuro Science Nursing
			5	Post Basic Diploma	Forensic Nursing
			5	Post Basic Diploma	Saicretic/Mental Health Nursing
			5	Post Basic Diploma	Geriatric Nursing
			5	Post Basic Diploma	Orthopedic Rehabilitation Nursing
			5	Post Basic Diploma	Oncology Nursing
			5	Post Basic Diploma	Critical Care Nursing
			5	Post Basic Diploma	Emergency and Disaster Nursing
			5	Post Basic Diploma	Midwifery Nursing
			5	Post Basic Diploma	Burn & Reconstructive Surgery Nursing – Residency Programme

11	Government College of Nursing, Jabalpur, M.P.	Jabalpur	10	M.Sc. (Nursing)	Medical Surgical Nursing
			65	B.Sc.	Nursing
			10	M.Sc. (Nursing)	Community Health Nursing
			10	M.Sc. (Nursing)	Pediatric Nursing
			10	M.Sc. (Nursing)	Obstetric Nursing
			50	P.B B.Sc.	Nursing
			10	M.Sc. (Nursing)	Psychiatric Nursing
12	Government Gnm School, Jhabua	Jhabua	60	G.N.M.	Nursing
			60	B.Sc.	Nursing
13	SCHOOL OF NURSING MAIN HOSPITAL (24101) Khandwa	Khandwa	60	B.Sc.	Nursing
14	GOVERNMENT COLLEGE OF NURSING DISTRICT MANDSAUR	Mandsour	60	B.Sc.	Nursing
15	GOVERNMENT COLLEGE OF NURSING	Narsinghpur	60	B.Sc.	Nursing
16	Government College Of Nursing	Raisen	60	B.Sc.	Nursing
17	Government Gnm School Rajgarh	Rajgarh	60	B.Sc.	Nursing
18	GOVERNMENT SCHOOL OF NURSING CIVIL HOSPITAL RATLAM	Ratlam	60	B.Sc.	Nursing
19	GOVERNMENT COLLEGE OF NURSING BUNDELKHAND MEDICAL COLLEGE SAGAR	Sagar	120	B.Sc.	Nursing
			10	M.Sc. (Nursing)	Pediatric Nursing
			10	M.Sc. (Nursing)	Medical Surgical Nursing
			10	M.Sc. (Nursing)	Community Health Nursing
			5	M.Sc. (Nursing)	Obstetric Nursing
			5	M.Sc. (Nursing)	Psychiatric Nursing
20	Government Gnm School, Satna	Satna	60	B.Sc.	Nursing
21	SCHOOL OF NURSING CIVIL HOSPITAL, SEONI	Seoni	60	B.Sc.	Nursing
22	Government Gnm School, Sidhi	Sidhi	60	B.Sc.	Nursing

23	Government College of Nursing, Ujjain, M.P.	Ujjain	10	M.Sc. (Nursing)	Medical Surgical Nursing
			65	B.Sc.	Nursing
			50	P.B B.Sc.	Nursing
			10	M.Sc. (Nursing)	Community Health Nursing
			10	M.Sc. (Nursing)	Psychiatric Nursing
			10	M.Sc. (Nursing)	Obstetric Nursing
			10	M.Sc. (Nursing)	Pediatric Nursing
24	GOVT.GNMTC VIDISHA	Vidisha	60	B.Sc.	Nursing

मध्यप्रदेश राज्य दंत परिषद् (संवैधानिक संस्था, म.प्र. शासन)

प्रस्तावना एवं संक्षिप्त परिचय :-

- लोक सेवा विभाग, म.प्र. शासन की अधिसूचना क्रमांक 11-6039-XIV दिनांक 03/01/1952 के अन्तर्गत म.प्र. शासन द्वारा म.प्र. में दंत चिकित्सकों के पंजीयन करने के लिये एक ट्रिब्युनल (अधिकरण) की स्थापना हेतु जारी की गई।
- म.प्र. राज्य दंत परिषद् का प्रथम गठन राज्य सरकार द्वारा दंत चिकित्सक अधिनियम 1948 के अध्याय III के अनुसार म.प्र. के राजपत्र अधिसूचना संख्या 2002/3985 XVII मेडिकल-IV दिनांक 27/04/1964 के तहत किया गया था।

उद्देश्य :-

राज्य दंत परिषद् की स्थापना दंत चिकित्सकों/डेंटल हाईजीनिस्ट/ मेकेनिक के द्वारा व्यवसाय करने के लिये पंजीकृत करने हेतु दंत चिकित्सक अधिनियम 1948 लागू किया गया है।

परिषद् की स्थापना एवं गठन :-

- म.प्र. राज्य दंत परिषद् का प्रथम गठन राज्य सरकार द्वारा दंत चिकित्सक अधिनियम 1948 के अध्याय III के अनुसार म.प्र. के राजपत्र अधिसूचना संख्या 2002/3985 XVII मेडिकल-IV दिनांक 27/04/1964 के तहत किया गया था।

पदेन सदस्य :-

म.प्र. राज्य दंत परिषद् का प्रथम गठन वर्ष 1998 में किया गया था, जिसमें निम्नलिखित पदों का प्रावधान है :-

- | | | |
|--|---|-----------------|
| ● अध्यक्ष | — | 01 |
| ● उपाध्यक्ष | — | 01 |
| ● कार्यकारिणी समिति सदस्य | — | 05 |
| संचालक चिकित्सा शिक्षा
(नामांकित सदस्य) | | |
| ● सामान्य सभा समिति सदस्य | — | निर्वाचित सदस्य |
| उप सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग
(नामांकित सदस्य) | | |
| ● भारतीय दंत परिषद् नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त म.प्र. में संचालित दंत चिकित्सा महाविद्यालयों के अधिष्ठाता/प्राचार्य। | | |

परिषद् के कार्य :-

म.प्र. लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 की धारा 3 के तहत चिकित्सा शिक्षा विभाग के अन्तर्गत म.प्र. राज्य दंत परिषद् द्वारा प्रदाय की जाने वाली सेवायें।

क्र.	सेवायें	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	वर्तमान तक जारी किये गये कुल प्रमाण पत्रों की संख्या
1	बी.डी.एस. दंत चिकित्सकीय स्नातकों के लिये कोर्स पश्चात नवीन पंजीयन	30 कार्य दिवस	12485
2	बी.डी.एस. दंत चिकित्सक के पंजीयन का नवीनीकरण	15 कार्य दिवस	7645
3	योग्य डी.एम.डी.एच. एवं डोरा के लिये नया पंजीयन करना	30 कार्य दिवस	65
4	पंजीकृत दंत चिकित्सकों का अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना	15 कार्य दिवस	550
5	डुप्लीकेट पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करना	15 कार्य दिवस	28
6	परिषद् से गुड स्टैंडिंग प्रमाण पत्र जारी करना	15 कार्य दिवस	387
7	अतिरिक्त योग्यता का पंजीकरण करना	30 कार्य दिवस	893
8	उपनाम संशोधन करना।	15 कार्य दिवस	

परिषद् की निधि :-

परिषद् एक स्ववित्तीय संस्था है एवं शासन से किसी प्रकार की वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं की जाती है। परिषद् द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं से प्राप्त निधियों से परिषद् का संचालन किया जा रहा है।

सूचना का अधिकार :-

परिषद् द्वारा शासन द्वारा जारी नीति के अनुसरण में परिषद् के कार्यों में पारदर्शिता के उद्देश्य से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत कोई भी आवेदक परिषद् से जानकारी प्राप्त करने हेतु निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन कर सकता है।

परिषद् की वेबसाइट एवं पोर्टल :-

शासन द्वारा जारी नीति के अनुसरण में परिषद् के कार्यों से जनसाधारण में पारदर्शिता लाने एवं परिषद् की सेवाओं को त्वरित गति से प्रदाय करने के उद्देश्य से परिषद् की वेबसाइट www.mpstatedentalcouncil.com एवं पोर्टल dental.mponline.gov.in संचालित है। जिसके माध्यम से परिषद् के द्वारा लगभग आठ सेवाएं प्रदाय की जाती हैं। जिसमें पंजीकरण से संबंधित सेवायें शामिल हैं। कोई भी निर्धारित योग्यता प्राप्त दंत चिकित्सक/डेंटल हाईजीनिस्ट/मेकेनिक आवेदक निर्धारित शुल्क के साथ एम.पी. ऑन लाईन पोर्टल के माध्यम से परिषद् में आवेदन कर सकता है।

साथ ही परिषद् द्वारा जारी की जाने वाली विभिन्न सूचनाओं जैसे अधिसूचना, अधिनियम, नियम, सतत दंत शिक्षा कार्यक्रम सहित अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं तथा पत्र-परिपत्रों की जानकारी भी अपलोड की जाती है।

हमारा संकल्प ...
विकसित और स्वस्थ मध्यप्रदेश
प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ
इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन (पीएम-अभीम)



- 37 जिला अस्पताल एवं 13 चिकित्सा महाविद्यालयों में कुल 50 क्रिटिकल केयर ब्लॉक • समस्त जिला चिकित्सालयों में 52 इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब • विकासखण्ड स्तर पर 196 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट
- वर्तमान मे 6 इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब एवं 24 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट का निर्माण 4 कार्य पूर्ण
- 50 क्रिटिकल केयर ब्लॉक, शेष 24 इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब एवं 172 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट का निर्माण कार्य प्रगतिरत



आपकी सेहत, हमारा संकल्प
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश



आयुष्मान भारत 'निरामयम्' मध्यप्रदेश

पात्रता जाँच कराएं, आयुष्मान कार्ड बनवाएं

₹5 लाख
तक का
निःशुल्क उपचार

प्रति वर्ष, प्रति पात्र परिवार

शासकीय, संबद्ध निजी अस्पतालों एवं
मेडिकल कॉलेजों में

पात्रता जानने के लिए

कामन सर्विस सेन्टर, लोक सेवा केन्द्र/
रोजगार सहायक/आशा कार्यकर्ता से
सम्पर्क करें
अस्पताल में भर्ती होने पर
आयुष्मान मित्र से संपर्क करें

योजना संबंधी कोई भी जानकारी/
शिकायत के लिये
टोल फ्री नम्बर 14555 या
18002332085 पर फोन लगाएं

आभा बनाएं, डिजीटल हो जायें

QR कोड स्कैन करें >>>

